दिनांक 14/11/91

आर.सी.[redacted]एस.91/एस.आई.यू-5/एस.आई.सी.-2 P.W-1

बयान अजाने श्री बसंत कुमार साहू पुत्र श्री राम प्रसाद साहू, जाति, छत्तीसगढ़ी साहू, वासी मुहल्ला गोतीपुर, राजनांदगांव मध्यप्रदेश हाल आफिस बियरर दफ्तर छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा (सी.एम.एम.) एम.आई.जी. 2/1273 आमदी नगर हुडको भिलाई उम्र 22 साल.

--00--

बयान करता हूं कि मैं उपरोक्त पते का वाशिंदा हूं और नवीं कक्षा पास हूं जो मैंने करीब 8 साल पहले पास की थी। जब मैं राजनांदगांव में दसवीं कक्षा में था तो मैंने पढ़ाई छोड़ दी। उसके बाद मैं छोटा मोटा टेलरिंग का काम करने लगा। उसके बाद 1984 में जब राजनांदगांव में श्री शंकर गुहा नियोगी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा का आंदोलन शुरू हुआ, जिसमें मेरे दोस्त अंसार आदि ने भाग लिया तो मैंने भी इस आंदोलन में भाग लिया और मैं तभी से स्वर्गीय श्री शंकर गुहा नियोगी को जानता हूं। उसके एक डेढ़ साल बाद तक मैं टेलरिंग का काम करता रहा और छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा के आंदोलनों में भी भाग लेता रहा। छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा का मुख्यालय दल्ली राजहरा, में कैम्प नं. 1 में [illegible] कि भिलाई से करीब 100 किलोमीटर दूर है, उस समय मैं दल्ली राजहरा में संगठन के मुख्य दफ्तर द्वारा किये जाने वाले कार्यों में हिस्सा लेता रहा। श्री शंकर गुहा नियोगी भी उन दिनों वहां से छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा की गतिविधियों की देखभाल करते थे। सन् 1987 से मैं भी [redacted] से दल्ली राजहरा में ही रुके और घर रहने लग गया, और [redacted] मुक्ति मोर्चा का सक्रिय कार्यकर्ता बन गया। दल्ली राजहरा [redacted] जिसमें लोह अयस्क निकलता है जो कि भिलाई स्टील प्लांट [redacted] के रूप में आता है। वहां करीब 10 हजार मजदूर काम [redacted] कि छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा के मेम्बर हैं। यहां पे यह बताना है कि [redacted] दल्ली राजहरा में था, तो बहुत बार हमारी मजदूर यूनियन के झगड़ों के दौरान हमारे बहुत से साथी लोगों को चोटें भी आती [redacted]. और हम जब भी जरूरत होती थी तो मैनेजमेंट के कार्यों के [redacted] करते थे।

P.W-1

छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा का दफ्तर भिलाई, दल्ली राजहरा ,राजनांदगाव, बन्नी डोंगरी चार्क व बिलासपुर आदि शहरों में है, और छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा में करीब 50 हजार मजदूर है जो कि पूरे छत्तीसगढ़ रीजन में विभिन्न इंडस्ट्रीज में नौकरी करते है ।

अगस्त 1990 में मै और श्री शंकर गुहा नियोगी भिलाई में आ गये थे ,इससे पहले भी हम मोर्चा के काम से भिलाई अक्सर आते जाते रहते थे । अभी भी, मोर्चा का मुख्यालय दल्ली राजहरा में ही है, क्योंकि पिछले साल में मुक्ति मोर्चा का काम भिलाई में पहले से बढ़ गया था इस
भिलाई में अधिक काम की देखभाल [illegible] लिया गया। पर मैं से पहले
लिये नियोगी साहब ने अपना [illegible] जार, अनूप सिंह जो कि मोर्चा के कार्यकर्ता है, आ गये थे और [illegible] यानि अगस्त, 1990 में हम भिलाई में उपरोक्त पते पर दफ्तर में कार्य करने लगे, यहां भिलाई, दफ्तर में सक्रिय कार्यकर्ताओं में श्री शंकर गुहा नियोगी, संगठन, मंत्री छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा, अनूप सिंह कार्यकर्ता में {कार्यकर्ता} कार्य करने लगे, इसके अलावा, पहले से मोर्चा में काम करते आ रहे भिलाई के लोकल कार्यकर्ता भी संगठन के कार्यों में लगे रहे । मै मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा का प्रमुख था, और दफ्तर का सारा, काम देखता था, और ज्यादातर समय दफ्तर में उपरोक्त पते पर हाजिर रहता था, हमारे दफ्तर में टेलीफोन नंबर 2688 लगा है जिस पर मै पार्टी व मोर्चा के संदेशों का आदान प्रदान करता था, इसके अलावा कभी कभी मै श्री नियोगी के साथ पार्टी मीटिंग्स में भाग लेने के लिये रायपुर व अन्य जगहों पर भी जाता था, । पिछले साल जून जुलाई में ए.सी.सी. सीमेंट के मजदूरों का आंदोलन भिलाई में चल रहा था, जिसकी नियोगी साहब दल्ली राजहरा में मुख्य दफ्तर से देखभाल करते थे, ए.सी.सी. सीमेंट कारखाने में काम करने वाले मजदूरों का यह आंदोलन अगस्त 1990 में पूरा हो गया, और इसमें क्योंकि मजदूरों की अधिकतर मांगे मान ली गयी, तो श्री शंकर गुहा नियोगी की लोकप्रियता बहुत ज्यादा बढ़ गई, और इसके कारण जब हमने अपना दफ्तर भिलाई में अगस्त 1990 में पूर्ण रूप से चालू किया तो बहुत ज्यादा मजदूर हमारे संगठन के मेम्बर बनने लगे । ये मजदूर जो कि हमारी पार्टी यानि छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा में शामिल होते थे वे जिस इन्डस्ट्री मे नौकरी करते थे, उनके

मालिक उन पर मोर्चा में शामिल न होने का दबाव डालते थे, । और यदि वे नहीं मानते थे, तो उनको नौकरी से निकाल देते थे और ये मजदूरों की समस्या तब से अभी तक चालू थी । उद्योग मालिकों का इरादा था कि अगर मजदूर छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा के मेम्बर नहीं बनेंगे तो यह संगठन अपने आप टूट जाएगा और उनको मनमानी करने का मौका मिलेगा, इस दौरान मजदूरों पर कई हिंसक वारदात हुई जिनमें श्री रविंद्र शुक्ला, उमाशंकर राय, कौशल आदि पर चाकू से हमला व मोर्चा की महिला मेम्बरों के साथ छेड़खानी करना शामिल है ।

भिलाई में सिम्प्लेक्स ग्रुप की करीब 7-8 इंडस्ट्रीज है जिनमें काम करने वाले अधिकांश मजदूर छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा के सदस्य है इनमें सिम्पलेक्स ग्रुप की एक इंडस्ट्री सिम्पलेक्स कास्टिंग है जिसका मालिक नवीन शाह , मूलचंद शाह आदि है ।

इस आंदोलन के दौरान छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा के सदस्य मजदूरान को काफी बड़ी संख्या में उद्योगपतियों ने नौकरी से निकाल दिया सिम्पलेक्स ग्रुप ने भी सैकड़ों मजदूरों को अपनी विभिन्न यूनिटों से नौकरी से निकाल दिया । सिम्पलेक्स ग्रुप से निकाले गये मजदूरों ने प्रदर्शन किये जिनमें कई बार मजदूरों पर हिंसात्मक हमले हुये । मैनेजमेंट के गुंडो ने रात के समय धरने पर बैठे व सोये हुये मजदूरों पर प्राणघातक हमले किये ।

जब से श्री शंकर गुहा नियोगी ने भिलाई में सक्रिय रूप से कार्य करना शुरू किया तो उन्हे उद्योगपतियों के गुंडो से जान से मारने की - धमकियां मिलने लगी. । नियोगी जी इन धमकियों के बारे में कार्यकर्ताओं की मीटिंगों पब्लिक मिटिंगों व दफ्तर में हुई मीटिंगों में जिक्र करते रहते थे और ये कहते थे कि उन्हे मारने के लिये कोई भी आदमी कभी भी आ सकता है क्योंकि भिलाई के उद्योगपति उनके पीछे पड़े हुये है । नियोगी साहब को मारने के लिये धमकी भरे पत्र आते रहते थे जुलाई/अगस्त 1991 में मजदूरों पर मैनेजमेंट के गुंडों द्वारा हमला किया गया तो उसके बाद मोर्चे की गतिविधियां बहुत बढ़ गयी, और हमने काला दिवस भी मनाया जो सफल रहा, मैनेजमेंट की गुंडागर्दी के विरोध में आवाज उठाने के लिये श्री नियोगी के नेतृत्व में, मजदूर साथियो का दिल्ली जाने का प्रोग्राम बना जिसमें राष्ट्रपति को ज्ञापन देना था । नियोगी जी के नेतृत्व में --

T.C.

PW-1

9 सितम्बर 1991 को लगभग 300/400 मजदूर साथियों का दल भिलाई से दिल्ली के लिये रवाना हुआ और वहां राष्ट्रपति जी को ज्ञापन दिया मजदूर साथियों का दल प्रधानमंत्री जी से व लालकृष्ण आडवाणी जी से भी मिला, उसके बाद 21 सितम्बर को नियोगी जी दिल्ली से वापिस भिलाई पहुंचे और उसी दिन राजहरा चले गये, 2 /25 सितम्बर 1991 को नियोगी जी राजहरा से वापिस भिलाई अपनी कार नम्बर एम.आई.आर. 227 से आये थे, जिसकी ड्राईवर दीपक सरकार चला रहा था, व उसके साथ अंजोरी राम व लाल्लाल भी थे, दिनांक 26.9/91 को नियोगी जी की कोई विशेष गतिविधि मेरी जानकारी में नहीं है।

छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा का कार्यालय एम.आई.जी. 2/273 हुडको भिलाई में स्थित है जिसमें फोन नंबर 2688 लगा हुआ है, । आफिस का काम मै देखता हूं, और मेरी मदद तोहिद खान करता है । 27/9/91 को नियोगी जी अपने निवास एम.आई.जी. 1/55 हुडको से कार्यालय में लगभग 8/30 बजे पहुंचे वे कार नंबर एम.आई.आर. 227 में आए थे जिसको दीपक सरकार चला रहा था उन्होने कार्यालय में अनेक कार्यकर्ताओं से चर्चा की उस दिन इंडिया टूडे के संपादक श्री एन.के.सिंह. कार्यालय में आये और नियोगी जी का इंटरव्यू लिया । लगभग 4 बजे शाम नियोगी जी हम लोगो के साथ खाना खाए और करीब 5/30 बजे अपनी कार से अपने निवास स्थान 1/55 हुडको चले गये । करीब 6/30 बजे तैयार होकर कार से फिर आफिस आये और मुझे बताया कि उन्हे रायपुर जाना है । इसके बाद दीपक सरकार के साथ नियोगी जी रायपुर चले गये, । हमारे, आफिस में रात्रि के समय करीब 9-10 लोग सोये थे जिनमें मेरे अलावा, एन.यल.यादव हेमू, राम साहू तोहिद खान, बिष्णु लाल सरकार और चांदी डुगरी के साथी लोग थे, हमने रात के 1/30 बजे तक नियोगी जी का इंतजार किया, लेकिन वो लौटकर नही आये, रात्रि करीब 2 बजे दीपक सरकार कार लेकर दफ्तर में आया और बताया कि नियोगी अपने क्वाटर एम.आई.जी. 1/55 हुडको में सो गये है मै भी इसके बाद आफिस में सो गया ड्राइवर लहलराम जो कि नियोगी जी के क्वाटर नं. 1/55 हुडको में सोता था, करीब 4 बजे हमारे पास आफिस में आया और दरवाजा खटखटाया, और दरवाजा खुलने के बाद बताया कि नियोगी जी को खुली खिडकी की तरफ से

 P.W-I

किसी ने गोली मार दी है इस पर हम लोग कार नम्बर एम.आई.आर. 227 में लेकर नियोगी जी के 1/55 हुडको रवाना हुये। उस वक्त गाड़ी बहलराम चला रहा था, चलते वक्त मैंने अपने साथ दो ढाई हजार रूपये ले लिये थे, मैंने फोन द्वारा राजहरा को खबर देनी चाही लेकिन लाईन खराब थी, इसलिये फोन नहीं हो पाया, नियोगी, जी के क्वार्टर पहुंचने के बाद हम लोग सेक्टर नं. 9 हस्पताल पहुंचे तो हमारे साथियों ने बताया कि नियोगी जी को आई.सी.यू. में ले गये है। इसके बाद मैं अपने दफ्तर आया, और फोन पर राजहरा सूचना दी इसके बाद करीब 4/4-30 बजे मैंने आफिस से टी.आई. भिलाईनगर को नियोगी जी को गोली लगने की सूचना दी। इसके बाद अस्पताल से मेरे अन्य साथी लोग वापिस आये तो तौहिद खान ने बताया कि नियोगी जी की मृत्यु हो चुकी है, और उनकी लाश को मोरचुरी में रखा गया है। मुझे ये सूचना लगभग रात्त बजे मिली, ।

दिनांक 27/9/91 को नियोगी जी अपने मकान की चाबी मुझे दे गये, थे और कह गये थे कि बहलराम को दे देना और कह देना कि खाना बना दे, बहलराम अक्सर वहीं रहता था और नियोगी जी का खाना बनाता था क्वार्टर नम्बर 1/55 में नियोगी जी गर्मी के दिनों से ही रहना शुरू किया था, कभी कभी उनका परिवार भी भिलाई आकर उनके साथ रहता था अन्यथा परिवार राजहरा में ही रहता था।

पढ़कर सुनाया व तसदीक किया।

//सत्यप्रतिलिपि//

मेरे समक्ष

हस्ता/सही.

{होशियार सिंह,}

पुलिस निरीक्षक/सी.बी.आई.

एस.आई.सी.-2/नई दिल्ली,

{कैम्प - भिलाई 7}

BHILAI 2.12.91

Further Statement of Basant Kumar Sahu, Office In-charge, Chhattisgarh Mukti Morcha Bhilai Office, Bhilai.

PW-I

*****

The agitation in various industries of Bhilai, Urla (Raipur), Tedesara (Rajnandgaon) had been initiated in latter part of 1990 as a result of which various industries had removed the various workmen. There are leaders (Mukhiya) supporting Chhattisgarh Mukti Morcha in every industrial unit. Those leaders had supplied the lists of labourers who had been turned out by the management for supporting the agitation. As per the informations supplied by the leaders, consolidated lists of those labourers had been prepared by me in Chhattisgarh Mukti Morcha Office, Bhilai. As per the list, I have handed over today, number of labourers, noted against each industrial unit who had been removed by the management due to their participation in the agitation launched by late Shri Shanker Guha Niyogi is as follows :-

1.	Simplex Castings, Bhilai	- 414	labourers.
2.	Simplex Castings Ltd., Urla	- 311	labourers
3.	Simplex Unit-2	- 204	"
4.	Simplex Metals, Tedesara	- 12	"
5.	Sangam Forging, Tedesara	- 31	"
6.	Simplex Engineering & Foundary Works Ltd. Unit-3	- 208	"
7.	Bhilai Wires Ltd.	- 169	"
8.	B.E.C.Unit-1	- 69	"
9.	Vishwa Vishal Engineering	- 65	"
10.	B.K.Castings Pvt. Ltd.	- 10	"
11.	B.K.Engineering	- 13	"
12.	B.K.-2	- 7	"
13.	Khetawat Wires Ropes & Cables Urla, Raipur	- 39	"
14.	M/s Khetawat, Urla, Raipur	- 45	"
15.	B.E.C. Implex Unit-4	- 57	"
16.	B.E.C.Urla	- 131	"

T.C.B.

PW-1

17.	Khetawat Cables, Urla	- 19 workers
18.	Kedia Distillery, Bhilai	- 395 "
19.	Chhattisgarh Distillery, Kumhari.	- 345 "

RO&AC

Before me

T.C.

Sd/-

(B.N.P.AZAD) 2.12.91
DSP:CBI:SIC.II:N.DELHI
CAMP : BHILAI

BHILAI
22.11.91

Supplementary statement of Shri Basant s/o Shri Ram Prashad Office-in-charge Chhattisgarh Mukti Morcha, MIG-II/273, HUDCO, Bhilai u/s 161 Cr.P.C.

**** PW-I

Today, I and Ms Sudha Bhardwaj had scrutinized the office files and had been able to trace forteen sheets of papers written by Shri Niyogi. These papers have been handed over to the I.O. under a Memo. I have seen Shri Niyogi (Shanker Guha) our leader writing and have been received papers written by him. I am conversant with the handwriting of late Shri Niyogi. All the aforesaid 14 sheets which are written in English and Hindi in Blue, red & black ink are in the handwriting of Shri Niyogi which I identify. I have put dated initial on all the forteen sheets at the time of handing over.

Explained & A.C.

Before me

Sd/-
(B.S.KANWAR)
22.11.91 DSP

T.C.

बयान [redacted]।

[redacted] आत्मज, राम प्रसाद साहू उम्र 29 साल [redacted] रेलवे [redacted] के पास थाना व जिला राजनांदगांव [redacted] आई.जी. 2/273 थाना भिलाई नगर जिला दुर्ग [redacted]

--००--

मै ग्राम मोतीपुर राजनांदगांव का मूल निवासी हूं [redacted] मुक्ति मोर्चा का कार्य करता हूं जिसके प्रमुख कार्यकर्ता [redacted] नियोगी थे. एम.आई.जी./2/273 हुडको में मुक्ति मोर्चा का [redacted] है जिसका आफिस इंचार्ज मै हूं। आफिस में मेरे [redacted] हिंदलोन है जो पेपरों की कटिंग और अन्य कार्य करते है। [redacted] 91 को शंकर गुहा नियोगी जी आफिस में [redacted] हुडको से 8/30 बजे दिन अपनी कार नं. [redacted] दीपक सरकार के साथ में आफिस [redacted] कर्मचारियों से चर्चा भेट कर बात [redacted] कार्यवाहक एन.के.सिंह आये थे, उनसे भी प्रेस वक्तव्य [redacted] करीबन 4 बजे शंकर गुहा नियोगी जी ने मेस में हम लोगों के साथ खाना [redacted] और करीबन 5/30 बजे दीपक सरकार के साथ में [redacted] जी. 1/55 में फ्रेश होने चले गये। [redacted] आफिस आये। कार लाकर [redacted] कि मुझे रायपुर जाना है, इसके [redacted] जो कार एम.आई.आर. 227 में रायपुर चले गये, [redacted] मजदूर साथियों से बात चीत की थी, तथा करीबन 2 बजे दिन भोपाल [redacted] सरकार साथी से बात चीत किये थे मैं आके आफिस के कार्य में [redacted]। आफिस एम.आई.जी. 273 हुडको में रात 9.10 [redacted] जिसमें मेरे अलावा, एन.एल. [redacted] लाल सरकार, और बंदी डोंगरी के साथी [redacted] शंकर गुहा नियोगी के आने का इंतजार मे करता था [redacted] नहीं आये, करीबन 2 बजे रात दीपक सरकार कार [redacted] एम.आई.जी. 273 में आया, और बताया कि [redacted] गुहा नियोगी जी अपने मकान

PW 14
21/1/94 + 22/1/94

 PW-1

[redacted]आई.जी. 1/55 में सो गये है । मैं भी इसके बाद आफिस में सो गया करीब बाहर छुट्टी कर दीपक सरकार भी आफिस में सो गया, रात करीबन 4 बजे जीप का ड्रायवर बहाल जो कि एम.आई.जी. 1/55 में नियोगी जी के साथ सोया था, ने आकर आफिस का दरवाजा खटखटाया । हम सभी लोग जाग गये तो बहल राम ने बताया कि शंकर गुहा नियोगी को खुली खिड़की की तरफ से किसी ने गोली मार दिया है नियोगी जी अपने बिस्तर पर पड़े है । कि हम सब लोग कार एम.आई.आर. 227 में बैठकर एम.आई.जी 1/55 रवाना हो गये, उस वक्त कार बहालराम चला रहा था, मैंने आफिस से हस कुमार के साथ 2, ढाई हजार रुपये आलमारी से निकाल रखा और राजहरा को खबर देना चाहा परन्तु फोन नहीं लगा । इसके बाद मै साईकिल से सेक्टर 9 अस्पताल पहुंचा, तो हमारे साथियों ने बताया कि शंकर गुहा नियोगी को आई.सी.यू. वार्ड में ले गये है, । कि मैं अपने साइकिल से अस्पताल से आफिस एम.आई.जी. 2/273 आया । और फोन लगाकर राजहरा को सूचना दिया करीबन 4/25 मैंने आफिस के फोन से टी.आई. भिलाईनगर को शंकरगुहा नियोगी को गोली लगने की सूचना दी, ।
टेली
फोन करने के बाद अस्पताल के मेरे और साथी लोग लौटकर आये सोविन्द खान ने बताया कि शंकरगुहा नियोगी की मृत्यु अस्पताल में हो चुकी है, और उनकी लाश मरचुरी में रखाई गई है, मुझे यह सूचना करीबन 5 बजे मिली है दिनांक 27/9/91 को शाम शंकर गुहा नियोगी के मकान एम.आई.जी. 1/55 की चाबी मुझसे मांगकर बहालराम ले गया था, वह अक्सर वहीं खाना बनाता था, और खुद खाता है कभी कभी शंकरगुहा नियोगी जी भी उसी के साथ खाना खा लिया करते थे, । मकान एम.आई.जी 1/55 में करीबन 2 माह पूर्व से नियोगी जी ने रहना शुरू किया था, ज्यादातर वह राजहरा में अपने परिवार के साथ रहते थे ।

//सत्यप्रतिलिपि//

Local

हस्ता/सही,
दिनांक 28/9/91

बयान श्री रमेश कुमार पुत्र श्री ... लाल, उम्र करीब 30 वर्ष, मुख्य आरक्षक नं0 1001, पुलिस स्टेशन सेक्टर 6, कोतवाली, भिलाई (निवासी- म.नं.0 270-जी, रिसाली सेक्टर, भिलाई)

.... PW-2

पूछने पर बयान करता हूं कि मैं उक्त पद पर 1987 से तैनात हूं। उक्त थाने मे मेरा ड्यूटी कभी मुहर्रिर मेजर और कभी जनरल ड्यूटी पर रहता है।

दिनांक 27.9.91 के रात 8.00 बजे से 28.9.91 के सवेरे 8.00 बजे तक मेरा मुहर्रिर मेजर के रूप में ड्यूटी था व इस समय के दौरान की गई एन्ट्रीज मेरे अपने हाथ की हैं। हमारे उक्त थाने की जी0डी0 एन्ट्री सान्हा न0 2881 मेरे हाथ द्वारा की गई। यह एन्ट्री प्रात: 28.9.91 के 4.25 बजे मैंने की थी। श्री जी0एन0 दुबे उप निरीक्षक की 27.9.91 रात के 8.00 बजे से 28.9.91 प्रात: 8 बजे तक की नाईट ड्यूटी आफिसर के रूप में तैनाती थी। श्री जी0एन0दुबे को अज्ञात नाम के व्यक्ति द्वारा नियोगी जी के उनके निवास स्थान 1/55 एच0आई0जी0 में किसी व्यक्ति द्वारा गोली मारने की खबर टेलीफोन द्वारा मिला था। जी0एन0दुबे ने उक्त घटना की रिपोर्ट मेरे द्वारा जी0डी0 में लिखवाई और आरक्षक 509 को लेकर घटना स्थल पर रवाना हो गए थे। उक्त रिपोर्ट के अनुसार टी0आई0 साहब को सूचना दे दी गई थी।

28.9.91 को ही प्रात: 6.20 पर सान्हा न0 2888 के अनुसार आरक्षक जगन्नाथ क्रमांक 509, जो श्री जी0एन0दुबे के साथ घटना स्थल पर गया था, जारी अपराध क्रमांक/91 धारा 307, आई.पी.सी., 25/27 आर्म्स एक्ट की देहाती नालिशी लेकर दुर्ग से 5.40 मिनट पर श्रीमान बी0एल0उइके, ए0एस0आई0 के पास पेश किया। तब बी0एल0उइके द्वारा 6.20 बजे असल अपराध क्रमांक न0 580/91 धारा 307 आई.पी.सी., 25/27 आर्म्स एक्ट कायम किया। उक्त सारा रिपोर्ट मैंने ही अंकित की था। उक्त अंकित रिपोर्ट के मुताबिक इस अपराध की सूचना की स्पेशल रिपोर्ट मैंने तैयार कर के रखा है कि पुलिस अधीक्षक महोदय व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय को भेजा जा सके। उक्त स्पेशल रिपोर्ट आरक्षक 751 के द्वारा भेज दी गई।

28.9.91 को ही प्रात: 7.40 बजे सान्हा नं0 2897 को अंकित रिपोर्ट जो मेरे हाथ की है, के अनुसार ड्राईवर साधू अस्प. सै0 9 अस्पताल से अस्पताली मेमो ले कर आया और ए0एस0आई0 बी0एल0उइके साहब को दी। उक्त अस्पताली मेमो के अनुसार शंकर गुहा नियोगी को मृत अवस्था में

T.C.B.

PW-2

में सं० 9 के अस्पताल में लाया गया । उक्त अंकित रिपोर्ट के अनुसार ही आरक्षक 509, जगन्नाथ को मर्ग का डायरी व अपराध का डायरी विवेचना एवं पंचनामा हेतु इनको घटना स्थल भेजा गया ।

घटना की सूचना प्राप्त होने पर ही समस्त स्टाफ को तुरन्त पुलिस स्टेशन बुला लिया गया था । इनमें श्री जी०एम०उइके ए०एस०आई० भी थे ।
आर० ओ० एण्ड ए०जी०

सही/-
([illegible])
4·1·92
निरीक्षक/सीआईआई
एस०आई०सी०2/दिल्ली
कैम्प भिलाई·

सत्य प्रतिलिपि

बयान   PW-5

बहलराम पुत्र लखन साहू उम्र 28 साल, साकिन कोण्डे पावर हाउस बी·एस; पो· क्वार्टर राजहरा वर्तमान एम·आई·जी·1/55- हुडको भिलाई ।

.....

मैं तिरोड़ी बालाघाट में पैदा हुआ था । मेरे माँ बाप दल्ली राजहरा में रहने लगे और बीएसपी की खदान मजदूर सहकारी समिति में नौकरी करते हैं ।मेरे पिता जी अभी रिटायर हो गये हैं । माँ अभी काम करती है । मैं बचपन से ही वहाँ आ गया था । मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ । हम लोग पाँच भाई और चार बहन हैं । मेरे से एक भाई बड़ा और दो बहनें बड़ी हैं । बड़ा भाई खदान में काम करता है । वह भी केएमएसएस में काम करता है । मेरे से छोटे दो भाई संतराम और बसंतराम मार्केट में सायकल दुकान में काम करते हैं । बड़ा भाई मदन घर से अलग रहता है बाकी सभी माँ-बाप के साथ रहते हैं । मेरे माँ बाप शुरू से ही सीएमएसएस के साथ काम करते रहे हैं इस कारण मैं भी बचपन से ही सीएमएसएस यूनियन में आताजाता रहता था । होश सम्हालने के बाद लगभग 4-5 साल पिल्ले होटल में काम करता था वहाँ मुझे कोई रुपया नहीं मिलता था सिर्फ खाना और कपड़ा मिलता था । उसके बाद लगभग 4-5 साल जंगल से जलाऊ लकड़ी सायकल में लाकर बेचने का काम करता था । लगभग 2-3 साल से मैं शहीद अस्पताल में चौकीदारी का काम करता था लगभग 300/- महिने का मिल जाता था । सुबह का खाना अस्पताल में ही खाता था रात का घर में । इस दौरान मैं शंकर गुहा नियोगी जी की देखरेख करता था क्योंकि उनका पैर गिरने से टूट गया था । शंकर गुहा जी ने ठीक होने के बाद मुझे सत्तार गैरेज में नौकरी दिला दी । यहाँ मैं सिर्फ काम सीखता था कोई रुपया नहीं मिलता था । इस समय मैं अपने माँ बाप के साथ ही रहता था घर पर ही खाता था जब भी 25-50/ की जरूरत होती तो नियोगी जी से ले लेता था । मेरी शादी डोंगरगढ़ छीरपानी में रामसिंग साहू की लड़की पार्बती बाई के साथ 1980 में हुआ था । मेरे चार बच्चे हैं बड़ा लड़का आठ साल का है । सत्तार गैरेज में था तभी मेरा लायसेंस नियोगी जी ने बनवा दिया था । पिछले करीब दो साल से मैं सीएमएसएस यूनियन की जीप चला रहा था । करीब एक साल से भिलाई में आंदोलन होने के कारण नियोगी जी ~~हो~~ का वहाँ आना जाना लगा रहता था । मैं यूनियन के कार्यकर्ताओं को लेकर भिलाई आया करता था । करीब एक साल से यूनियन का आफिस हुडको भिलाई में एमआईजी·2/273

 PW-5

में खुला है । हुडको भिलाई में क्वा·नं0 एमआईजी·1/55 को भी नियोगी जी ने आफिस खुलने के बाद खरीदा है । जब भी नियोगी जी भिलाई जाते थे तो दिन में आफिस में काम करने के बाद रात एमआईजी·1/55 में ही रुकते थे । आफिस में बसंत जी हमेशा रहते हैं वहाँ खाना भी बनता है अत: नियोगी जी कभी आफिस में ही खाना खा लेते थे कभी घर पर । आफिस में कार्यकर्ता आते जाते रहते थे । भिलाई में भी कई जगह नियोगी जी के आफिस हैं लेकिन मुझे उनका पता मालूम नहीं है । नियोगी जी भिलाई में कार में चलते थे उनका कार का ड्रायवर सरकार बाबू है । कार का नंबर एम·आई·आर·227 है । मैं जो जीप चलाता था उसका नंबर एम·पी·जी·7971 है । मैं मंगलवार 24 तारीख को जीप लेकर बाहर से आये लोगों को एवं अनूप जी को लेकर भिलाई गया था । मंगलवार को रात करीब 10-11 बजे नियोगी जी कार से भिलाई हुडको आफिस आये थे उनके साथ और लोग भी थे उनके साथ मैं एमआईजी·1/55 में कार से आ गया था कार को नियोगी जी चला रहे थे । रात को नियोगी जी के साथ मैं अकेले घर पर सोया था । दूसरे दिन कार लेकर हम दोनों आफिस आ गये । दिन भर काम किये । मैं घर पर बिजली बनाने वाले बाबूलाल और अंजोरी के साथ रहा । पंखा और ट्यूबलाइट को ठीक करने का सामान लाने के कारण बाबूलाल ने देखकर कहा सामान लाना पड़ेगा । अंजोरीराम दिन भर घर के दरवाजा खिड़की को ठीक किया । शाम तक काम खतम हो गया । दो मजदूर भी साथ में आये थे । काम खत्म होने के बाद बुधवार को मैं इन चारों को बस स्टेण्ड में छोड़ दिया था । मैं वापस आफिस आ गया । रात को नियोगी जी घर लगभग आठ बजे आ गये थे उनके साथ अनूप जी भी थे । रात को मैं और नियोगी जी गये । साथ में घोषाल दादा भी थे । बृहस्पतवार को सबेरे नाश्ता लेकर घोषाल दादा के साथ कार से कहीं चले गये । कार खुद नियोगी जी चला रहे थे । रात को नियोगी जी हमें आफिस में मिले वहाँ उनके साथ हम दोनों घर 1/55 एमआईजी आये रात को खाना खा कर सो गये । बृहस्पतवार को ही सबेरे सात बजे उठा उस समय नियोगी जी सो रहे थे । मैं दूध लेने चला गया था वहाँ से वापस आया तो नियोगी जी उठ गयेथे । मैं चाय नाश्ता तैयार किया नाश्ते में लालभाजी और रात के बचे आलू को भजिया तैयार किया था किन्तु नियोगी जी चाय लिये नाश्ता नहीं लिये । मैं चाय नाश्ता लिया । चाय नियोगी जी को देने के बाद कार का ड्रायवर सरकार बाबू तथा दो आदमी घर पर आये । नियोगी जी करीबन 9, सवा नौ बजे कार से आफिस के लिये निकले । जो दो आदमी आये थे उनमें एक घोषाल दादा और दूसरा बसंत था

PW-5

जो आफिस से पेपर लेकर आया था । मैं भी नियोगी जी के निकलने के बाद घर के दरवाजे खिड़की बंद करने के बाद आफिस करीब 10 बजे पहुँचा । आफिस में नियोगी जी अन्दर स्टाफ से बातचीत कर रहे थे । मैं आफिस से करीब साढ़े दस बजे अकेला जीप लेकर पावर हाउस के लिये निकला । निकलने के पहले मैं नियोगी से मिला था । जीप को लेकर पावर हाउस पहुँचने के बाद मिस्त्री को जीप दिखाया जो जीप देखने के बाद बोला कि 15-15 सौ रुपय लगेगा तब मैं श्रम बिन्दु कार्यालय आकाश गंगा जाकर टेलीफोन से नियोगी जी को बताना चाहा लेकिन टेलीफोन नहीं लगा तब मैं जीप को लेकर दुर्ग आया । दुर्ग में मालवा होटल के पास काम कराया । भिलाई आटो दुर्ग से टेलीफोन लगाकर नियोगी जी से लगभग 12 बजे बात कर के बताया कि 1000/- की आवश्यकता है । मेरे साथ झारखण्ड का एक आदमी भी था वह जब मैं आफिस से निकला था तब से मेरे साथ था । मुझे नियोगी जी ने टेलीफोन से बताया कि तुम वापस आ जाओ । मैं स्कूटर मिस्त्री से लेकर झारखण्ड वाले आदमी को आफिस भेजा वहाँ से 1000/- लेकर करीब डेढ़ बजे वापस आया । वापस आकर बताया कि ये रुपया नियोगीजी-- भिजवाये हैं । दिन भर वहाँ मिस्त्री के यहाँ रहकर जीप बनवाया लेकिन जीप नहीं बनी । तब मैं और वह आदमी दोनों दुर्ग से आफिस तक पैदल आये । रात करीब पौने नौ बजे आफिस पहुँचे नियोगी जी आफिस में ही बैठे थे । मैंने नियोगीजी को जीप नहीं बनने का हाल सुनाया । रात करीब साढ़े दस बजे मैं और नियोगी जी आफिस से घर आये जहाँ मैंने खाना बनाया और हम दोनों सो गये । शुक्रवार को मैं करीब सात बजे सोकर उठा पानी भरा दूध लेने गया उस समय नियोगीजी सो रहे थे । मैं दूध लेकर वापस आया तो नियोगी जी बिस्तर पर ही थे । मैं चाय बनाकर उनको दिया वे चाय पिये । नाश्ता तैयार किया लेकिन नियोगीजी नाश्ता नहीं किये । करीबन नौ बजे आफिस का बाबू बसंत आया और बोला कि आफिस में कोई मिलने आया है । तब नियोगी जी बसंत को लेकर कार में आफिस चले गये । मैं भी करीबन साढ़े नौ बजे घर से निकलकर आफिस आया । आफिस में नियोगीजी बैठे थे किसी आदमी से बैठकर बात कर रहे थे वे फैक्टरी के साथी लोग थे । मैं नियोगी जी से बोला कि कार से दुर्ग छुड़वा दीजिये । इस पर नियोगी जी ने कार ड्रायवर सरकार को बोला कि तुम जल्दी छोड़कर आ जाओ मैं कार से दुर्ग मिस्त्री के पास आया । मिस्त्री बोला कि जीप का टापा खराब है तब मैं टापा के लिये टेलीफोन से हुडको आफिस बात किया मेरे साथ झारखण्ड का आदमी भी साथ था । मैंने नियोगी जी से बात किया वे बोले आकर पैसा ले जाओ तब मैं

मुक्ति मोर्चा झारखण्ड वाले आदमी को टेम्पो से आफिस भेजा । उसके रवाना होने के कुछ देर बाद सरकार बाबू कार लेकर मेरे पास आया और बोला कि नियोगी जी बुलवाया है मैं बोला कि 400/- में हो जायेगा मैं कार ले आफिस आया उस समय लगभग साढ़े बारह बजा होगा । बसंत से 400/- नियोगी ने दिलवाया । मैं फिर खाना खाने आफिस में रुक गया वहाँ खाना खाया । नियोगी जी भी आफिस में ही खाना खाये । खाना खाकर मैं 3·10 बजे शाम को झारखण्ड वाले आदमी के साथ टेम्पो से दुर्ग गैरेज आया जहाँ जीप का काम कराया । करीब पाँच बजे जीप और मिस्त्री को लेकर आफिस आया । आफिस में नियोगी जी बैठे थे । जीप का ट्रायल लिये फिर मैं मिस्त्री को और जीप को लेकर दुर्ग चला गया । दुर्ग में मिस्त्री के वहाँ चक्के का काम कराया । काम कराने के बाद मैं अकेला करीब साढ़े सात बजे जीप को लेकर आफिस पहुँचा । आफिस में बसंत मिला नियोगी जी नहीं थे । बसंत ने चाभी देते हुये कहा कि नियोगी बोले हैं कि वे रायपुर जा रहे हैं और खाना बना कर रखने को बोले हैं । मैं चाभी लेकर राजेन्द्र और उसके साथ एक और लड़का जो राजहरा का रहने वाला है के साथ सायकल में कपड़े का बंडल रखकर चौक पर आये । चौक में मद्रासी बुड्ढा की दुकान से सब्जी अण्डा खरीदा । पास ही किराना दुकान से दो किलो चावल 10·25 पैसे में खरीदा फिर हम तीनों क्वार्टर करीब आठ सवा आठ बजे पहुँचे । रास्ते में किसी ने नियोगी जी के बारे में नहीं पूछा । घर आकर कपड़े का बंडल रखकर राजेन्द्र और उसका साथी अपने रिश्तेदार के पास जा रहे हैं बोल कर सायकल से चले गये । मैं अकेला घर पर था । घर के दरवाजे खिड़की सभी बंद थे । नियोगी जी के कमरे की खिड़की दरवाजा भी बंद थे । मैं घर में अंदर किचन में खाना बनाया । सब्जी बन रही थी उस समय लगभग सवा नौ बजे थे अनूप अकेले लूना से आया और बोला कि मैं भी खाना खाऊँगा । मैं अपने कपड़े धोया और नहाया । अनूप भी नहाया । इस बीच मेरे और अनूप के बीच नियोगीजी के बारे में आने जाने के संबंध में कोई बातचीत नहीं हुई । करीब 11 बजे हम दोनों खाना खाये । अनूप सेक्टर 2 में रहता है । खाना खाने के 10 मिनट बाद तक वह रुका रहा । करीब सवा ग्यारह बजे रात अनूप लूना लेकर चला गया मैं उसे बाहर गेट तक छोड़ने आया था । अनूप ने जाते जाते कहा कि नियोगी जी जब आये तो बता देना कि मैं सबेरे नहीं आऊँगा गेट जहाँ हड़ताल चल रही है वहाँ जाऊँगा । यह कहकर अनूप चले गये । मैं दरवाजा बंदकर के और बाहर का गेट भी बंदकर अंदर कमरे में जमीन पर चटाई बिछाकर कर हमेशा की तरह सो गया । जहाँ खाना बनता है वहाँ की लाइट जल रही थी बाकी सभी जगह की लाइट बंद थी । घर

PW-5

के बाहर की लाइट भी जल रही थी। रात करीब डेढ़ बजे नियोगीजी कार से घर आए उनके साथ सरकार ड्रायवर था नियोगीजी दरवाजा खटखटाए मैं सोते से उठा और दरवाजा खोला नियोगी जी घर के भीतर आए। कार का ड्रायवर सरकार बाहर कार के पास ही खड़ा था फिर उसने कार का चक्का चेक किया और फिर वह घर के भीतर तक आया। नियोगी जी मुझसे पूछे कि खाना खाये हो कि नहीं तब मैं बोला खाना खा लिया हूं और उनके खाने के बारे में पूछा नियोगी जी ने कहा मैं खाना खाकर आया हूं खाना नहीं खाऊंगा। उन्होंने मुझसे कहा कि सो जाओ। नियोगी जी ने सरकार जब आया था तो उससे पूछा कि तुम आफिस में सोगे कि यहां सोगे इस पर सरकार ने कहा कि आप जहां कहें तो नियोगी जी ने कहा कि तुम आफिस में सो जाओ यदि रात कहीं से टेलीफोन आता है या कोई खबर आती है तो मुझे आकर बताना। इस पर सरकार घर से आफिस के लिए चला गया। मैं अंदर ही था। नियोगी जी ने दरवाजा अंदर से बंद किया। सरकार ने कार स्टार्ट किया मैंने उसकी आवाज सुनी थी कार लेकर सरकार चला गया। नियोगी जी अपने कमरे में चले गए। नियोगी जी ने बाहर की ट्यूब लाइट बंद कर दी। मैं बरामदे में जमीन पर सो गया। नियोगी जी अपने में कमरे में चले गए उन्होंने कमरे की खिड़की खोली और अपने कमरे की लाइट जलाई इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। करीब डेढ़ दो घंटे के बाद मुझे फटाका चलने की जोरदार आवाज आई और नियोगी जी ने जोर से चिल्लाओ भागो तब मैं दौड़कर उनके कमरे में गया देखा कि उनके कमरे का दरवाजा ओंधाया हुआ था मैं धक्का देकर कमरे के अंदर गया। कमरे की लाइट जल रही थी पंखा चल रहा था तखत पर मच्छरदानी लगी हुई थी अंदर नियोगीजी हाथ पैर हिला रहे थे। सिराने की तरफ की खिड़की खुली हुई थी उसका परदा गिरा हुआ था। खिड़की के बाहर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था मैं बाबू बाबू चिल्लाया तो नियोगीजी ने कोई आवाज नहीं की तब मैं बिना मच्छरदानी हटाये देखे वहां से घर से बाहर निकला बाहर का लोहे का दरवाजा बंद था मैं दरवाजा खोलकर सामने सड़क पार करके सामने वाले घर गया वहां लोहे का दरवाजे को हिलाया। अंदर से कौन है करके आवाज आयी फिर मैंने बाहर से कहा कि मेरा बाबू कैसे कर रहा है चलकर देखो तो वे घर का दरवाजा खोलकर बाहर आया। एक बूढ़ा आदमी था जो मेरे साथ घर की तरफ आ रहा था कि उसका लड़का भी साथ में देखने आया हम तीनों नियोगी जी के कमरे में उनको देखने गए तब तक नियोगी जी करवट ले लिए थे हम लोगों ने मच्छर-दानी हटाकर देखा तो नियोजी जी के पीठ के किनारे खून निकलता दिखाई दे रहा था

... 6 पर

PW-5

उस आदमी ने मुझसे कहा कि कोई आवाज सुने थे क्या मैंने उनसे कहा कि एक फटाका फूटने की आवाज सुना था । उस समय बारूद के जलने की थोड़ी-2 बदबू आ रही थी । उस आदमी ने कहा कि नियोगी जी को गोली लगी है सेक्टर 9 अस्पताल ले जाना होगा तब उनके लड़के ने घर आकर स्कूटर निकाली और मैं उनके साथ बैठकर आफिस गया । वहां आफिस जाकर दरवाजा को जोर जोर से ठोका तब आफिस से सरकार बाबू, यादव खेमू और उसके तीन चार साथी बाहर निकले मैंने यादवजी को कहा कि बाबू को गोली मार दिया है एम्बुलेंस लेकर आओ । यादव जी उसी स्कूटर में बैठकर अस्पताल चले गए मैं सरकार बाबू के साथ और साथियों को लेकर घर आया । कमरे में नियोगी जी को निकालकर कार में पीछे सीट में सुलाए वहां से कुछ दूर गए थे कि एंबुलेंस भी आ गई तो नियोगी जी को कार से उतारकर एंबुलेंस में रखे और सेक्टर 9 अस्पताल के लिए रवाना हो गए । मैं अकेला कार लेकर अनूप को बताने सेक्टर 2 रवाना हो गया अनूप के घर जाकर उनको बताया कि बाबू को गोली मार दिए हैं । फिर मैं उनको कार में लेकर सेक्टर 5 घोषाल दादा के घर गया । घोषाल दादा को अनूप जी बताये फिर घोषाल दादा और अनूप को लेकर सेक्टर 9 अस्पताल आया । घोषाल दादा और अनूप को उतारा कार को किनारे लगाया तब तक अनूप और घोषाल दादा अस्पताल के अंदर चले गए थे । मुझे गेट से अंदर नहीं जाने दिए । नियोगी जी पिछले महिने दिल्ली गए थे उसके 3-4 दिन पहले भिलाई घर में खाना खाते समय मुझसे बोल रहे थे कि केड़िया के या सिम्पलेक्स के जो गुण्डे है वे अगर कभी गोली मार दिए या कभी हमला कर दिए तो तुम क्या करोगे । मैं उनसे पूछा कि ये खबर आपको कहां से मिला उन्होंने मुझसे कहा कि इसके बारे में तुमको जानने की जरूरत नहीं है । जब भी नियोगी जी घर में इसके पहले सोते थे तो कमरे की खिड़की हमेशा बंद करके लाइट बंद करके सोते थे । लेकिन जिस दिन नियोगी जी को गोली मारी गई उस दिन उनके कमरे की लाइट जल रही थी एवं खिड़की खुली थी । मुझे ब्यान देने आते समय किसी ने रोका नहीं था मैं फूल बिनने एवं मुण्डन संस्कार में व्यस्त था इस कारण बयान देने सुबह नहीं आ सका । ब्यान पढ़कर सुनाया गया कहे अनुसार लिखे गए हैं ।

Sd - M.G. Agrawal
1-10-91

कैम्प राजहरा

PW-5

बाद सरकार आबू कुमार लेकर मेरे पास आए और बोले कि नियोगी जी ने बुलाया है । मैं कार में आफिस गया तो नियोगी जी ने बसंत से मुझे 400 रुपए दिलवाए । मैंने तथा नियोगी जी ने आफिस में ही खाना खाया । खाना खाने के बाद मैं झारखंड वाले आदमी के साथ टेम्पो में दुर्ग गैरेज गया और जीप का काम करवाया । करीब 5 बजे जीप और मिस्त्री को लेकर मैं आफिस में आया । नियोगी जी आफिस में ही बैठे थे । उन्होंने जीप का ट्रायल लिया और ट्रायल के दौरान में पाया कि गियर में कुछ खराबी बाकी है । मैं मिस्त्री को जीप में लेकर दुर्ग गया । वहां पर काम करवाया और लगभग 7.30 बजे जीप को लेकर आफिस आया । आफिस में बसंत ने मुझे बताया कि नियोगी जी ने घर की चाबी दी है, वे रायपुर गए हैं और उन्होंने मुझे खाना बनाने के लिए कहा है । मैं चाबी लेकर राजहरा के दो लड़कों, जिनमें एक का नाम राजेन्द्र है, के साथ साईकिल पर घर गया । राजेन्द्र यूनियन के गैरेज में राजहरा में काम सीख रहा है । हम साईकिल पर कपड़ों का बंडल, जो नियोगी जी दफ्तर में रखे हुए थे को, लेकर गए थे । जाते हुए मैंने सब्जी, चावल और अंडा वगैरह खरीदा । घर पहुंचने के बाद राजेन्द्र और उसके साथ वाला लड़का अपने रिश्तेदार के घर चले गए और मैं अकेला घर में रह गया । उस समय घर के सभी खिड़की दरवाजे बंद थे । मैंने खाना बनाया, लगभग 9.15 बजे अनूप जी लूना पर आए और बोले कि मैं भी खाना खाऊंगा । मैंने कपड़े धोए और नहाया, अनूप जी भी नहाए । करीब 11 बजे हम दोनों ने खाना खाया । खाना खाने के बाद अनूप जी अपने घर सेक्टर 2 चले गए । इस बीच अनूप जी से मेरी श्री नियोगी जी के बारे में कोई भी बात नहीं हुई । अनूप जी घर जाते समय मुझे ये कह गए कि श्री नियोगी आएं तो उन्हें बता देना कि मैं सुबह नहीं आऊंगा क्योंकि उसे हड़ताल वाले स्थान पर जाना है । मैं दरवाजा और गेट बंद करने के बाद बड़े कमरे में जमीन पर चटाई बिछाकर हमेशा की तरह सो गया । किचन की लाईट जल रही थी और बाकी सभी लाईटों को मैंने बंद कर दिया । रात के एक-डेढ़ बजे नियोगी जी कार में आए, कार सरकार ड्राईवर चला रहा था ।

T.C. [signature]

———5

नियोगी जी ने दरवाजा खटखटाया और दरवाजा खुलने के बाद वो अंदर आए। सरकार भी घर के भीतर आया। नियोगी जी ने मुझसे पूछा, कि मैंने खाना खाया है या नहीं तो मैंने कहा कि मैं खाना खा चुका हूं। मैंने उनके खाने के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि मैं खाना खाकर आया हूं। उन्होंने मुझे सोने के लिए कहा। इसी बीच नियोगी जी ने सरकार ड्राईवर से पूछा कि क्या वह आफिस में सोयेगा या उन्हीं के घर में सोयेगा। इस पर सरकार ने कहा कि जहां वो कहेंगे वहीं सो जाउंगा। इसके बाद नियोगी जी बोले कि तुम आफिस में जाकर सो जाओ यदि रात को कहीं से टेलीफोन आए तो खबर करना। इसके बाद सरकार घर से आफिस चला गया। नियोगी जी ने दरवाजा बंद किया और वो अपने कमरे में चले गए। डेढ़-दो घंटे के बाद मैंने जोर से पटाखा चलने की आवाज सुनी और उसी के साथ नियोगी जी [मांगो] कहकर चिल्लाए। मैं दौड़ता हुआ उनके कमरे में आया तो देखा कि कमरे का दरवाजा कुछ खुला था, मैंने दरवाजा खोला और अन्दर गया। कमरे की लाईट जल रही थी, पंखा चल रहा था और तख्त पर मच्छरदानी लगी हुई थी एवं उसके अन्दर नियोगी जी हाथ पैर हिला रहे थे। सिरहाने के तरफ की खिड़की खुली हुई थी और उसका परदा लगा हुआ था। मुझे खिड़की के बाहर कुछ दिखाई नहीं दिया। मैं बाबू बाबू कहकर चिल्लाया तो नियोगी जी कोई जवाब नहीं दिए। मैं नियोगी जी को अपने पिता से भी बढ़कर मानता था क्योंकि उन्होंने मेरी जिन्दगी बनाई। मैं भागकर गया और बिना मच्छरदानी हटाए या उनको निकट से देखे घर से बाहर निकला और सामने वालों का दरवाजा जोर जोर से खटखटाया। अन्दर से आवाज आई तो मैंने कहा कि मेरा बाबू पता नहीं क्या कर रहा है, चलकर देखो। एक बूढ़ा आदमी दरवाजा खोलकर बाहर आया और मेरे साथ नियोगी जी के घर की ओर चला। उनका लड़का भी हमारे साथ हो लिया। हम तीनों नियोगी जी के कमरे में उनको देखने लगे। उस समय नियोगी जी ने करवट ले रखी थी। हम लोगों ने मच्छरदानी हटाकर देखा तो नियोगी

T.C.M.

PW-5

जी की पीठ से खून निकल रहा था। बूढ़े आदमी ने मुझसे पूछा कि क्या मैंने कोई आवाज सुनी थी तो मैंने कहा कि एक पटाखा चलने की जोर की आवाज आई थी। इस पर उन्होंने कहा कि बाबू जी को गोली लग गई है। उस समय कमरे में बारूद के जलने जैसी थोड़ी थोड़ी बदबू आ रही थी। बूढ़े आदमी ने कहा कि उनको अस्पताल ले जाना होगा। मेरे पास कोई साधन नहीं था। बूढ़े आदमी का लड़का अपना स्कूटर निकालकर लाया और हम दोनों आफिस गए, आफिस जाकर दरवाजा खटखटाया और दरवाजा खुलने पर सरकार बाबू, यादव, खेमू, असीत आदि बाहर निकले तो मैंने उन्हें बताया कि बाबू जी को गोली मार दी है, जल्दी से एम्बुलेंस लेकर आओ। यादव जी स्कूटर पर बैठकर अस्पताल चले गए और मैं सरकार बाबू के साथ और साथियों को लेकर कार से घर आया। बाबू जी को कार में पीछे की सीट पर सुलाया और अस्पताल की ओर चल पड़े। अभी कुछ ही दूर चले थे कि एम्बुलेंस भी आ गई, नियोगी जी को कार से उतारकर एम्बुलेंस में रखा और वहां से वे लोग अस्पताल चले गए। मैं कार लेकर अनूप जी को बताने सैक्टर 2 गया, उसके बाद अनूप जी को साथ लेकर घोसाल दादा को बताया, घोसाल दादा को लेकर मैं अस्पताल आया।

बाबू जी के हत्या से पहले एक दिन हम खाना खा रहे थे तो बाबू जी ने मुझे बताया कि यदि केडिया या सिम्पलैक्स के गुंडे उन्हें गोली मार देंगे तो वह क्या करेगा। मैंने उनसे कहा कि वो आपको क्यों मारेंगे और ये खबर उन्हें कहां से मिली। नियोगी जी ने मुझे कहा कि मुझे ये जानने की जरूरत नहीं है। नियोगी जी को सोने से पहले किताब पढ़ने का शौक था परन्तु मैंने उन्हें कभी भी लाईट जलती हुई छोड़कर सोते नहीं देखा था।

नियोगी जी की हत्या के दिन यानि 28.9.91 को पुलिस वाले मेरे पास आए थे, उस समय सुबह के 5/5.30 बजे होंगे, और घटना के बारे में मेरी रिपोर्ट लिखी थी जिसपर मैंने दस्तखत किए थे, मुझे आज वो रिपोर्ट दिखाई गई है, मैं अपने हस्ताक्षर की तसदीक करता हूं।

पढ़कर सुनाया, सही पाया।

मेरे समक्ष

सत्य प्रतिलिपि

सही-

(बी०एस० [illegible])

आरक्षी उपाधीक्षक/एस०आई०सी०-2 केन्द्रीय

भिलाई
दिनांक: 21.11.91

बयान हेलराम पुत्र लखन साहू, उम्र 28 साल, निवासी - कोंडे पावर हाउस, बी०एस०पी० क्वार्टरस, राजहरा, जिला दुर्ग ।

PW-5

मैं इस समय छत्तीसगढ़ माईन्स श्रमिक संघ (सी०एम०एस०एस०) में बतौर ड्राईवर नियुक्त हूं । मुझे 700 रुपए प्रतिमाह वेतन मिलता है । मेरी माता जी राजहरा में के०एम०एस०एस० सहकारी समिति में नौकरी करती हैं और पिताजी इसी समिति से लगभग एक साल पहले रिटायर हुए थे । मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं । मेरे माता पिता सी०एम०एस०एस० के सदस्य हैं और इसी कारण मैं भी बचपन से ही सी०एम०एस०एस० यूनियन में हूं । हम 4 बहिन और 5 भाई हैं, सभी भाई राजहरा में ही काम करते हैं ।

सबसे पहले मैंने 4-5 साल तक पिन्टो होटल राजहरा में नौकरी की । उसके बाद 4-5 साल तक जंगल से जलाने वाली लकड़ी साईकिल पर लाकर राजहरा में बेचा करता था । लगभग 2 साल मैंने शहीद अस्पताल राजहरा में चौकीदार की नौकरी भी की है । मैं बाबू जी यानि शंकर गुहा नियोगी को बचपन से ही जानता हूं । परन्तु उनके निकट आने का अवसर मुझे उस समय मिला जब मैं शहीद अस्पताल में नौकरी करता था और बाबूजी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती थे, उनका गिरने से पैर टूट गया था । बाबू जी के ठीक होने के बाद उन्होंने मुझे सत्तार गैरेज राजहरा में लगवा दिया । वहां पर मैं काम सीखता था परन्तु मुझे कोई वेतन नहीं मिलता था । मैं अपने मां-बाप के साथ रहता था और आज भी रहता हूं । गैरेज में काम करने के समय यदि मुझे रुपयों की जरूरत होती थी तो मैं श्री नियोगी जी से ले लेता था । मेरी शादी लगभग 10-11 साल पहले हुई थी । मेरे 4 बच्चे हैं । जब मैं सत्तार गैरेज में था तभी मेरा कार चलाने का लाइसेंस श्री नियोगी जी ने बनवा दिया था । मैं पिछले दो-ढाई साल से सी०एम०एस०एस० यूनियन की जीप नंबर 7971 (एम०पी०सी०ओ० 7971) चला रहा हूं । करीब एक साल पहले श्री नियोगी जी भिलाई में ही रहने लगे थे क्योंकि भिलाई में

-------2

PW-5

ही रहने लगे थे क्योंकि भिलाई में उस समय आंदोलन शुरू हुआ था । मैं राजहरा में ही रहता हूं और कार्यकर्ताओं को इधर उधर ले जाता हूं व भिलाई भी आता रहता हूं । लगभग एक साल पहले यूनियन ने अपना आफिस हुडको भिलाई में खोला है । हुडको में दफ्तर खुलने के बाद श्री नियोगी जी ने हुडको में ही एम0आई0जी0- 1/55 नम्बर मकान भी रहने के लिए लिया हुआ था । श्री नियोगी जी जब भी भिलाई में रहते थे तो 55 नम्बर मकान में ही रुकते थे । मैं जब भी भिलाई आया करता था तो श्री नियोगी जी के आदेश के मुताबिक यूनियन के आफिस में या उनके घर में रुकता था । यूनियन के हुडको आफिस में बसंत जी हमेशा रहते थे व वहीं पर खाना बनाते थे । नियोगी जी फियेट कार नम्बर 227 (एम0आई0 आर 227) में आया जाया करते थे । इस कार को मैंने दीपक सरकार को ही चलाते हुए देखा था ।

यूनियन को भिलाई आफिस की जीप को जामुल थाने में हड़ताल के दौरान बंद कर दिया गया था इसी कारण मुझे श्री नियोगी जी ने हत्या से कुछ दिन पूर्व भिलाई जीप लेकर बुलाया था ताकि मैं वहां पर ड्यूटी करूं । मैं श्री नियोगी जी की हत्या से 4 दिन (24 तारीख को) पहले जीप लेकर भिलाई आया था । वहां से मेरे साथ अनूप जी और बहुत सारे लोग आए थे । जिस दिन मैं भिलाई आया था उसी रात करीब 10/11 बजे नियोगी जी कार से हुडको आफिस में आए थे, मैं उनके साथ कार में उनके घर पर चला गया था । मैं रात को नियोगी जी के घर पर ही सोया था । दूसरे दिन मुझे नियोगी जी ने बताया कि बाबूलाल बिजली वाला और अंजोरी बढ़ई घर में काम करेंगे । सारा दिन बाबूलाल और अंजोरी अपने 2 हेल्परों के साथ बिजली बनाने व खिड़की दरवाजे ठीक करने का काम करते रहे । शाम को काम खत्म हो गया तो मैंने उन्हें जीप में बस स्टैंड पर छोड़ दिया । उस दिन नियोगी जी रात को लगभग 8 बजे घर आए, उनके साथ अनूप और घोसाल दादा थे । अगले दिन अर्थात 26 तारीख को श्री नियोगी जी घोसाल दादा के साथ कार में ही चले गए । कार नियोगी जी

———3

TB

PW-5

खुद चला रहे थे। घोसाल दादा बसंत के साथ आफिस के कुछ कागज लेकर घर पर आए थे। उनके जाने के बाद मैं लगभग 10 बजे दफ्तर गया, वहां से जीप को लेकर पावर हाउस गया, वहां पर मिस्त्री को जीप दिखाई। मिस्त्री ने बताया कि जीप को ठीक करने में 15/16 सौ रुपए लगेंगे। मैंने टेलीफोन से नियोगी जी को बताना चाहा परंतु टेलीफोन नहीं लगा। उसके बाद मैं जीप को लेकर दुर्ग आया। दुर्ग में मालवा होटल के पास जीप का काम करवाया। करीब 12 बजे मैंने श्री नियोगी जी को भिलाई आॅटो दुर्ग से टेलीफोन पर बताया कि एक हजार रुपए की जरूरत है। जब मैं सुबह जीप ठीक कराने जा रहा था तो आफिस में झारखंड का एक आदमी था, अनूप जी ने उससे कहा कि यदि बोर हो रहे हो तो जीप में घूम आओ। जीप ठीक कराते समय झारखंड वाला आदमी भी मेरे साथ था। जब मैंने श्री नियोगी जी को पैसे के बारे में बताया तो उन्होंने मुझे कहा कि आकर पैसे ले जाओ। मैंने मिस्त्री को स्कूटर लेकर झारखंड वाले आदमी को आफिस भेजा और वो श्री नियोगी जी से एक हजार रुपए लेकर आ गया। दिन भर जीप नहीं बनी। तब हम दोनों आदमी पैदल ही आफिस आ गए। उस वक्त करीब रात के पौने नौ बजे थे और नियोगी जी आफिस में ही मौजूद थे, मैंने नियोगी जी को जीप न बनने की बात बताई। रात करीब 10·30 बजे मैं और नियोगी जी घर गए, खाना खाया और सो गए। अगले दिन (27 तारीख को) मैंने सुबह नाश्ता तैयार किया परन्तु नियोगी जी ने नाश्ता नहीं किया, करीब 9 बजे बसंत बाबू आए और नियोगी जी को बताया कि उनसे मिलने आफिस में लोग आए हुए हैं। तब नियोगी जी बसंत को लेकर कार में आफिस चले गए। मैं करीब 9·30 बजे आफिस गया, नियोगी जी आफिस में ही थे और लोगों से बात कर रहे थे। नियोगी जी ने अपनी कार के ड्राईवर सरकार को कहा कि मुझे दुर्ग मिस्त्री के पास छोड़ दे। जीप को ठीक कराने के लिए और पैसों की जरूरत थी, मैंने टेलीफोन पर श्री नियोगी जी को बताया तो उन्होंने पैसे के लिए आफिस आने को कहा। उस दिन भी मेरे साथ झारखंड का आदमी था। उसे मैंने टेम्पो से पैसे लाने के लिए आफिस भेजा। उसके थोडी देर

R.C.
B——

बयान

PW-6

श्रीपाद भ.टेंगाँवकर पुत्र जगन्नाथ भा टेंगाँवकर उम्र 57 साल, सा॰नागपुर बजाज नगर प्लाट नं0 3 जिला नागपुर(महाराष्ट्र) हाल मुकाम हुडको सेक्टर एम॰आई॰जी॰।/66 भिलाई जिला दुर्ग ।

......

मैं हुडको सेक्टर में पूरे परिवार के साथ अरसा 5 साल से रह रहा हूँ । मैं बोरूसपो प्लांट में मार्केटिंग डिपार्टमेंट में सेल्स आफिसर के पद पर कार्य करता हूँ । मेरे साथ मेरी पत्नी, लड़का या बहू रहते हैं । मेरे लड़के का नाम हेमन्त भाटेंगाँवकर है 31 साल के हैं मेरा पुत्र ग्लैक्सोजा फारमास्युटिकल कम्पनी में मेडिकल रिप्रेजेन्टेटिव के पद पर कार्य करते हैं अभी दुर्ग हेडक्वार्टर में काम कर रहे हैं घर से आना जाना करते हैं हुडको सेक्टर एमआईजी/1,22 में अरसा 5-6 माह से शंकर गुहा नियोगी रह रहे हैं इसके पहले इस क्वाटर में गोह॰अली कोया रहते थे जो बोरूसपो से रिटायर्डमेंट होने के बाद से शंकर गुहा नियोगी को उक्त मकान बेचकर अपना मूल निवास स्थान केरल चले गये हैं गुहा नियोगी को फैमिली राजहरा में हैं कभी कभी छुट्टियों के दिन में नियोगी जी अपने बच्चों केसाथ लाकर रखते थे । वर्तमान में अरसा 15-20 दिन पहले फैमिली राजहरा चले गये हैं तब से अकेले रहते थे । गुहा नियोगी 2,3 दिन पहले दिल्ली से आये थे ऐसा मैंने सुना था । शंकर गुहा नियोगी इस क्वाटर में हमेशा नहीं रहते थे कभी दिन में तो कभी रात में आते थे कभी तुरंत आने के बाद चले जाते थे । शंकर गुहा नियोगी रात में रोज उस घर में सोते थे या नहीं ये बात मुझे मालुम नहीं है । शंकर गुहा नियोगी कभी जीप में ड्राईव्हर के साथ आते थे तो कभी उनके पार्टी के दो चार आदमी आते थे । वैसे उनके पार्टी के आदमी अक्सर मिलते रहते थे । दिनाँक 27/9/91 को रात्रि करीबन 1 बजे घर घर आये थे ऐसा मैं सुना हूँ । घर आकर रात को कमरे में सोये थे । दिनाँक 27/9/91 को रात में अपने परिवार के साथ अपने घर में करीबन 10 बजे सोया था रात करीबन 3।। पौने चार बजे एक व्यक्ति मेरे घर का दरवाजा खटखटाया मैं उठकर दरवाजा खोला देखा तो गुहा नियोगी का ड्राईव्हर जिसका नाम मुझे आज मालुम हुआ है बहाल नाम है खड़ा था । उसने मुझे बताया कि गुहा नियोगी बाबा को कुछ हो गया है हाथ पाँव हिला रहा है ऐसा कर रहा है कि सूचना पर मैं बहाल के साथ गुहा नियोगी के घर गया तथा गुहा नियोगी जिस कमरे में सोये थे वहाँ बहाल के साथ गया वहाँ जाकर देखा तो गुहा नियोगी पलंग में दाहिने करवट बिस्तर में पड़े थे पीठ में खून लगा था पहने हुए बनियान एवं पलंग का चादर खून से सना था इतने में बहल ने जोर से चिल्लाया कि बाबा को किसी ने मार

PW-6

दिया है मैं उस कमरे में जाते ही देखा तो नियोगी जी के सिर में कुछ हलचल हुई उसके बाद उनके शरीर में कोई हलचल होना बन्द हो गया । मैं जब उसके कमरे में गया तो उस कमरे का खिड़की के दोनों पल्ले खुले थे इतने में मैं उसके ड्राईव्हर को बोला एम्बुलेंस बुलवाओ एवं पुलिस को सूचना दे दो कि मैं बाहर निकल कर बहाल सिंह के पास कोई साधन नहीं होने से मेरे लड़के हेमन्त को अपने स्कूटर में बहाल को मुहा नियोगी के आफिस जो एम•आई•जी•2 में है वहाँ खबर देने जाने भेजा जो मेरा लड़का बहाल को स्कूटर में बैठाकर एम•आई•जी•2 उनके आफिस गया बहाल को वहीं छोड़ा बहाल ने उनके आदमियों को घटना की सूचना दिये फिर मेरा लड़का आफिस से एक व्यक्ति यादव को बिठाकर एम्बुलेंस के लिये सेक्टर 9 अस्पताल गये वहाँ एम्बुलैंस को सूचना देकर मेरा लड़का वापस घर आ गए कुछ देर में नियोगी के यूनियन आफिस से एक कार में बैठकर 4 आदमी नियोगी जी के घर आ गये तब तक मुहल्ले के और कुछ आदमी आ गये थे नियोगी के घर के बाहर खड़े थे कि इतने में यूनियन के आफिस के जो चार आदमी कार से आये थे उन लोगों ने नियोगी को कमरे से बाहर निकाल कर कार में रखे तथा सेक्टर 9 बीएसपी अस्पताल ले जा रहे हैं कहकर चले गये । करीबन 5 बजे प्रातः पुलिस वाले भी नियोगी के घर के पास आ गये मैं दिनांक 27/9/91 की रात में कोई भी आवाज गोली चलने की या किसी आदमी को भाग दौड़ करने की आवाज नहीं सुना । रात 10-11 बजे तक बाजू में बोरिंग मशीन का काम चल रहा था जिसकी आवाज बहुत तेज आ रही थी बाद में काम बन्द कर दिये मैं विगत दो चार दिनों से किसी भी व्यक्ति को संदिग्ध हालत में मैं मेरे स्ट्रीट में घूमते या किसी के घर के आसपास घूमते फिरते नहीं देखा हूँ । नियोगीजी जिस कमरे में सोये थे उसका सिर दक्षिण दिशा में पैर पश्चिम दिशा में था तथा खिड़की पश्चिम की ओर से नियोगी जी कभी बाहर घर के सामने दिख जाते थे तो नमस्कार कर लेता था मेरा उनसे ज्यादा आना जाना एवं घनिष्ठता नहीं थी करीबन 8 बजे मुझे पता चला कि नियोगीजी की मृत्यु हो गई है बहाल ने मुझे बताया कि मैं एम•आई•जी•1-55 में नियोगीजी के घर में करीबन 10•30 बजे सोया नियोगी जी करीबन रात 1 बजे आये तब मैं उठा दरवाजा खोला फिर नियोगीजी अपने कमरे में जाकर सो गए बताए बहाल ने मुझे बताया कि करीबन 3•11 बजे कुछ आवाज सुनाई दिया तथा नियोगीजी माँ ओ कहकर चिल्लाए तब मैं उसके कमरे में गया वहाँ वो छटपटा रहा था तब मैं डर से बाहर आकर मुझको जगाया बताता है । बयान पढ़कर सुनाया गया कहे अनुसार लिखा गया है ।

Sd. M.G. Agrawal
29.9.91
कैम्प हुडको भिलाई

भिलाई,
दिनांक 29.12.91
161 सी0आर0पी0सी0

PW-6

बयान श्रीपाद मार्टे गावकर पुत्र श्री जगन्नाथ मार्टेगावकर, उम्र 56 वर्ष, निवासी- मकान नं0 3, बजाज नगर, नागपुर [महाराष्ट्र] । हाल पता- एम0आई0जी0 1-66 हुडको सेक्टर, भिलाई नगर, दुर्ग ।

मैं उपरोक्त पते पर करीबन 5 वर्ष से अपने परिवार के साथ रह रहा हूं । मैं श्री BSP में मार्केटिंग डिपार्टमेंट में सेल्स आफिसर के रूप में अभी कार्यरत हूं । मेरे साथ मेरी पत्नी एवं मेरा पुत्र श्री हेमन्त जो करीबन 31 वर्ष का है, अपनी पत्नी के साथ रहता है ।

मेरे घर के सामने एम0आई0जी0/1/55 में करीबन 5-6 माह से स्व0 शंकर गुहा नियोगी रहा करते थे । यह मकान पहले मी0 अली कोया रहते थे जो BSP से रिटायरमेंट के बाद नियोगी साहब को मकान बेचकर चले गए । नियोगी साहब का परिवार प्रायः राजहरा में रहा करती थी और कभी-कभी छुट्टियों में यहां आकर रहा करता था । सितम्बर 1991 के दूसरे सप्ताह में उनका परिवार राजहरा चला गया था । जैसा मैं ने सुना था कि उनकी हत्या के 2-3 दिन पहले वे दिल्ली से आए थे । नियोगी साहब हर रात उस घर में नहीं सोते थे । उनसे मिलने उनकी पार्टी के लोग आते रहते थे । वे कभी-कभी गाड़ी में ड्राईवर के साथ भी आ जाते थे ।

दिनांक 27.9.91 को रात्रि करीबन 9 एवं 10 बजे अपने घर आए जैसा मैंने उनको भी 28.9.91 को सुबह सुना, और अपने घर में सोए । मैं भी उस रात अपने परिवार के साथ अपने घर में था । करीबन 3.30-पौने चार बजे एक व्यक्ति मेरे घर का दरवाजा खटखटाया । मैं उठकर दरवाजा खोला तो देखा कि वह नियोगी साहब का ड्राईवर था उसका नाम बहलराम है जो मुझे बाद में पता चला, खड़ा था । उसने बताया कि नियोगी बाबा को कुछ हो गया है, हाथ पांव हिला रहे हैं और कैसे-कैसे कर रहे हैं । मैं बहलराम के साथ नियोगी साहब के घर गया और बहलराम के साथ उस कमरे में गया जहां नियोगी साहब सो रहे थे । साथ में मेरा लड़का भी था । वहां जाकर देखा तो पाया कि गुहा नियोगी पलंग पर दाहिने करवट बिस्तर पर पड़े थे । पीठ में खून लगा था । पहने हुए बनियाने एवं बिस्तर के चादर पर भी खून था । इतने में बहलराम चिल्लाया कि नियोगी बाबा को किसी ने मार दिया है । मैं जब नियोगी साहब के रूम में गया था तो उस वक्त नियोगी साहब के शरीर में किसी से

हरकत हुई थी और फिर वे शान्त हो गए थे। उस कमरे की खिड़की के दोनों पल्ले खुले थे और नियोगी साहब मच्छरदानी में सो रहे थे। इतने में मैंने बहलराम से कहा कि एम्बुलैंस बुलवाओ एवं पुलिस को खबर करो और हम लोग बाहर आ गए। बहलराम के पास कोई सवारी नहीं था अतः मेरा लड़का हेमन्त जो वहां था को अपने स्कूटर पर बहलराम को नियोगी साहब के आफिस जो एम0आई0जी0-2 में है वहां ले जाने को कहा तथा वहां नियोगी साहब के बारे में खबर करने को कहा। हेमन्त बहलराम को स्कूटर पर बैठाकर उनके आफिस ले गए जहां बहलाल ने उनके आदमियों को घटना की सूचना दी। हेमन्त वहां से एक आदमी जिसका नाम मालूम था को लेकर स्कूटर से सेक्टर-9 के अस्पताल गए और एम्बुलैंस को सूचना दी और घर वापिस आ गया। कुछ ही देर में नियोगी साहब के आफिस से एक कार में चार आदमी नियोगी साहब के घर आए। उस वक्त तक मोहल्ले के भी कुछ लोग नियोगी साहब के घर के बाहर आ गए थे। उतने में नियोगी साहब के आफिस से जो चार व्यक्ति आएथे, नियोगी साहब को घर से बाहर निकाल कर कार में लेकर अस्पताल गए जैसा उन लोगों ने कहा था।

करीबन 5 बजे सुबह दिनांक 28-9-91 को पुलिस वाले भी आ गए थे। नियोगी साहब जहां सो रहे थे खिड़की उनके पलंग के पास ही खुली पड़ी थी। करीबन 8 बजे {आठ बजे} मुझे पताचला कि नियोगी साहब की मृत्यु हो गई।

पढ़कर सुनाया, सही पाया ।

सत्य प्रतिलिपि

[signature]

मेरे समक्ष
सही
{एम0के0 झा}
आरक्षी उपाधीक्षक 29-12-91
सी0बी0आई0/एस0आई0सी0-2
केम्प भिलाई

PW-7   PW-7

BHILAI
29.12.91
U/S 161 Cr.P.C.

Statement of Shri Hemant Mategaonkar S/o Shri Shripat J. Mategaonkar, aged about 31 yrs. r/o 66, MIG-I, Hudco Sector, Bhilai, Durg.

******

I hereby state that I have been staying at the above mentioned address for the last 5 years alongwith my family. Shri Shanker Guha Niyogi was residing in Qr.No. 55 just opposite to my house for the last 5/6 months. His family was not staying with him. They used to come sometime during holidays.

On the night of 27.9.91 I was sleeping in my house. My parents were also at home. At about 3.30 to 3.45 hrs. morning some body was knocking my door as such I alongwith my father came out after opening the door. We found that the driver of Niyogi Sahib was standing at my door. He told us that Neogi Baba "Kaise-Kaise Kar Rahe Hain (नियोगी बाबा कैसे-कैसे कर रहे हैं"
We, then went to the house of Niogi Sahib's bed room and found that Niogi Sahib was lying on the bed on right side. The Baniyan he was wearing and the bed sheet were having blood spots. At the time we entered the bed room we found some movement in Mr. Niogi but there-after there was no movement. At that time Bahal Ram, driver of Mr. Niogi, whose name I came to know later told us that he had heard a fire sound some time back. On that my father told him to call 'Ambulance'. Since he did not have any conveyance, I took out my scooter and took him to the office of Mr. Niogi in MIG-II and dropped Bahal Ram there. Thereafter I alongwith one Yadav, a man from the office of Mr.Niogi went to Sector 9 Hospital and told them to send Ambulance to the address of Mr. Niogi. After that I returned to my house. In the meanwhile 4 persons including Bahal Ram came in a car to the residence of Mr. Niogi and took

PW-7

Mr. Niogi to the Hospital.

At about 5 AM Police came. I did not hear any sound of firing on that night. At about 8 AM on 28.9.91 I came to know that Mr. Niogi died.

RO&AC.

Before me,

Sd/-
(M.K. JHA) 29.12.91
DSP/CBI/SIC.II/NEW DELHI.
CAMP : BHILAI.

T.C.

[signature]

PW.8 पी.डब्ल्यू-8, दिनांक 23/12/91

बयान दीपक सरकार पुत्र एस.एन.सरकार, उम्र 38 साल, निवासी-शिवाजी नगर, भिलाई।

—oo—

पूछने पर बयान करता हूं कि अक्टूबर 1978 से मैं ए.सी.सी.जामुल में तौर डंपर ड्राइवर भर्ती हुआ था। मैं दावडा ब्रदर्स कान्ट्रैक्टर के जरिये नौकरी लगा था उस समय हमारी उक्त फैक्टरी में इंटक यूनियन थी परन्तु इंटक के द्वारा हम मजदूरों और कर्मचारी की समस्याओं का हल नहीं निकल रहा था, 1989 में मैंने सी.एम.एम.एम. से कान्टैक्ट किया और इस तरह, मैं नियोगी जी के संपर्क में आया। नियोगी जी की यूनियन के साथ मिलकर हमने अपनी मांगों के लिये संघर्ष शुरू कर दिया। विगत साल भर पहले, कम्पनी ने मुझे नौकरी से ये कहकर निकाल दिया कि मैं नेतागिरी करता हूं। नौकरी से निकाले जाने के बाद मैं सी.एम.एम. की जीप नंबर सी.आई.आर 5706 चलाने लगा। मेरे खर्चे पानी के लिये यूनियन वाले 800/900 रुपये के करीब मासिक भत्ता मुझे दे देते थे। 25 जून 1991 को सी.एम.एम.एस. का जुलूस घासीदास, नगर में आ रहा था तो वहां पर पुलिस ने अपने नायब निरीक्षक श्री [illegible] के आदेश पर जुलूस को बी.के. कम्पनी के पास ही रोक दिया। रास्ता, बंद होने की वजह से जुलूस थाने के रास्ते की ओर से आगे लगा,। जुलूस में शामिल हमारी महिला कार्यकर्ताओं को, जब टी.आई. [illegible] व पुलिस ने पीछे से डंडे मारे तो भगदड़ मच गई। मैं उस समय यूनियन के घासीदास नगरस्थित आफिस में मौजूद था और सुनकर मैं यूनियन की उक्त जीप लेकर हुडको आफिस की तरफ चल पड़ा परन्तु पुलिस ने जीप को रास्ते में ही हिन्दुस्तान केमिकल कंपनी के पास जप्त कर दिया और थाने ले गई। इसी जुलूस के दौरान हमारे [illegible] सिंह जी को चोट लगी थी और मुझे भी हाथ में चोट आई थी। मुझे अन्य कार्यकर्ताओं के साथ जेल भेज दिया गया था और कुछ दिन बाद मेरी जमानत हुई। जीप जप्त हो जाने के बाद मैं हुडको, आफिस जाने लगा। नियोगी जी की कार रविन्द्र सिन्हा नाम का एक ड्राइवर चलाता था परन्तु वो नियोगी जी की हत्या के करीब एक महीना पहले ही चला गया, था, उक्त रविन्द्र सिन्हा पहले कैलाशपति केडिया के यहां कार

ड्राइवर था, उसे भी यूनियन की गतिविधियों में भाग लेने के कारण नौकरी से निकाल दिया गया था, रविन्द सिन्हा, की जगह नियोगी जी की कार दूसरा ड्राईवर पहलवान चलाता था परन्तु तबियत खराब होने की वजह से वो भी छुट्टी पर था, इस तरह नियोगी जी की कार मुझे चलाने के लिये मिल गई, । 21 सितम्बर 1991 को नियोगी जी दिल्ली से भिलाई वापिस आ गये थे, उसी दिन मैं उन्हें कार द्वारा दल्लीराजहरा ले गया था । वहां से हम कार द्वारा ही 2/3 दिन बाद भिलाई वापिस आ गये थे ।

27 सितम्बर 1991 को शुक्रवार वाले दिन करीब शाम के 5-30 बजे मैं नियोगी जी को उनके हुडको स्थित क्वा नं. 1/55 से कार द्वारा हुडको में ही स्थित संगठन के आफिस ले गया था, उक्त आफिस में पहुंच कर उन्होंने वहां उपस्थित चन्द्र ना । के लडके को, चाबी सौंपी और कहा कि पहलवान के आने पर उसे चाबी दे दो और उसे खाना बनाकर रख लेने के लिये बोल दे क्योंकि वो रायपुर जा रहे है । भिलाई से निकलते-निकलते शाम के 6 बज गये होंगे और हम करीब 7 बजे राजेन्द्र सायल साहब के आफिस रायपुर पहुंच गये, । भिलाई से चलते वक्त हमने राजेन्द्र सायल साहब का एक लडका भी ले लिया था जो, हमारे हुडको आफिस में आया हुआ था । सायल साहब को आफिस में न पाकर नियोगी जी ने उनके घर पर फोन किया, और कुछ देर में सायल साहब जीप में आ गये नियोगी, जी सायल साहब के साथ जीप में बैठ गये, और मुझे एक प्रेस विज्ञप्ति की फोटोस्टेट कापी, कराने के लिये दे गये, और कहा कि, इसे पिकाडली होटल लेकर आ जाना और वो दोनों पिकाडली, होटल के लिये रवाना हो गये मैं और उक्त लडका फोटोस्टेट कापी कराकर, पिकाडली होटल पहुंच गये और नियोगी जी को कापी दे दी, । उस वक्त नियोगी जी, किसी पत्रकार से बात कर रहे थे इसके बाद मैं और उक्त लडका, सायल साहब के लावर बंगला स्थित आफिस में आ गये रात के करीब 12 बजे नियोगी जी उक्त आफिस में आये और हम दोनो कार में बैठकर भिलाई के लिये चल पडे और करीब सवा एक बजे, भिलाई स्थित नियोगी जी के निवास स्थान पर पहुंच गये रायपुर से भिलाई वापिस आते वक्त नियोगी

जी ने मुझे बताया था कि फेडिया और सिम्बलेकर वालों ने कुछ गुंडो को मुझे मारने के लिये बुलवा भेजे दिये हैं । नियोगी जी ये भी बोले कि मै अपने घर में बता दू कि उनकी गाडी चलाने पर रोटी भी मिल सकती है और गोली भी तो मैने कहा ठीक है, ऐसी बात नियोगी जी से मैने पहले कभी नही सुनी थी, । रास्ते में आते हुये नियोगी जी ने अनूप जी के घर सेक्टर 4 में जाने की इच्छा जाहिर की थी परन्तु अधिक रात होने की वजह से वो अनूप जी के घर के आगे दो मिनट गाडी रूकवाकर अपने घर की ओर चल दिये, । नियोगी जी के पूछने पर ही मै उन्हे उनके आफिस न ले जाकर घर ले गया, । घर पहुंचने पर नियोगी जी ने चहलराम को आवाज दी, चहलराम, ने दरवाजा खोला और नियोगी जी अंदर चले गये, । नियोगी जी के कहने पर ही मै आफिस में गाडी लेकर सोने के लिये चला गया चलते वक्त नियोगी जी ने कहा था कि अगर कोई खबर हो तो बता देना, और सुबह साथ मुझे लेने आ जाना घर का दरवाजा नियोगी जी ने बंद किया जब मै आफिस में पहुचा तो करीब पौन दो बजे होगे उस वक्त आफिस में हमारा एक साथी लिखाई पढाई कर रहा था, उससे मैने पूछा कोई खास बात तो नही है उसने कहा नही, तब मै सो गया । सुबह करीब 3=45 बजे के करीब, चहलराम, दौडा-दौडा, आफिस में आया और जोर-जोर, से दरवाजा खटखटाने लगा और बोला कि जल्दी दरवाजा खोलो नियोगी जी को किसी ने गोली मार दी है । आफिस में मौजूद सभी लोग, जिनमें [illegible] भी था, गाडी में बैठकर नियोगी जी के घर की तरफ चल पडे, एक आदमी को एम्बुलेंस के लिये भेज दिया । घर पहुंचने पर हमने देखा कि नियोगी, जी जिस मच्छरदानी में सोये थे उसमें एक बडा छेद हो गया था जिसके, चारों तरफ जलने का निशान सा था और कमरे की खिडकी, खुली हुई थी गोली पीठ के पास पसलियों में लगी थी, छाती दबाकर देखा तो सांस नही चल रही थी, और वो शायद खत्म हो चुके थे, । नियोगी, जी को कार में डालकर, अस्पताल ले जाने लगे तो रास्ते में ही एम्बुलेंस मिल गई, और उनको एम्बुलेंस में डालकर, सेक्टर 9 अस्पताल में ले गये जहां पर मौजूद, डाक्टर सिस्टर ने नियोगी जी को अस्पताल के कैजुवल्टी से आई.सी.यू. में ले गये हम 2-3 आदमी अस्पताल से अपने दुकानों आफिस की तरफ जीप लाने के लिये पैदल, जा रहे थे उस समय उजाला हो चला था नजदीक ही हमने आफिस जाने के

PW-8 [4]

रास्ते से पहले वाली गली में कत्थई रंग की टाटा नं. 407 गाड़ी को निकलते हुये देखा हमारे साथ एक नौजवान लड़का, था, वह टेडेसरा में रहता है और हमारे संगठन का ही आदमी है उसने बताया कि ये टाटा गाड़ी, जो टेडेसरा, में सिम्पलेक्स कॉलोनी में आती जाती रहती है उक्त गाड़ी में से लड़कों में से एक को उसने अस्पताल में भी देखा था उस समय नियोगी जी को स्ट्रेचर पर ले जा रहे थे ।

नियोगी जी की हत्या के बाद धीरे धीरे हमारे सी.एम.एम. और हमारे सम्बन्धित ट्रेड यूनियन के प्रमुख कार्यकर्ता व सदस्य नियोगी जी के निवास स्थान व अस्पताल में इकट्ठे होने लगे और नियोगी जी के मृतक शरीर का मेडिकल वगैरह अस्पताल में पुलिस की देखरेख में हुआ, । इसके बाद मैं उनके शव के साथ दल्ली राजहरा गया व उनके क्रिया कर्म में शामिल हुआ ।

पढ़कर सुनाया सही पाया ।

मेरे समक्ष

हस्ता/सही,

(शाहेर) 23/12/91

निरीक्षक,

सी.बी.आई./एस.आई.सी.-2

कैम्प भिलाई,

PW-8

पी.डब्लू. 8

बयान

दीपक सरकार आत्मज एस.एन. सरकार बंगाली, उम्र 38 साल साकिन श्रीपुर हावड़ा, 24 परगना, जिला वेस्ट बंगाल, हाल मु. कुर्मीपारा लेबर कैम्प के पास कोसरा शिवाजी नगर भिलाई, ।

--००--

मैं बंगाल अपने गांव से लगभग 20 साल पहले आया था मैं रोजी मजदूरी करने भिलाई आया था, मैं भिलाई में शुरू में रवीन्द्र बाबू इलेक्ट्रीकल वर्कस शाप नंदनी रोड भिलाई में इलेक्ट्रीशियन का काम सीखता था करीब 2 साल काम सीखा, इसके बाद मैं ठेकेदारी का काम कई मालिकों के साथ किया, 1971 में मैंने रायपुर से लायसेंस बनवाया, भिलाई में रहकर मैंने ट्रक चलाया कई लोगों के यहां ड्रायवर की नौकरी किया जैन ट्रान्सपोर्ट, दाल्डा फैक्ट्री में 13 साल रहकर ड्रायवरी का काम किया करीबन साल भर पहले कंपनी ने मुझे टर्मीनेट किया उन्होंने मुझ पर आरोप लगाया कि मैं नेतागिरी करता हूं और इसी वजह से उन्होंने मुझे टर्मिनेट कर दिया । उसके बाद मैं छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा की जीप सी.आई.आर 5706 को चलाने लगा, मुझे सी.एम.एम.एस. की तरफ से 8-9 सौ रूपया, मिल जाता है 15 जून 1991 को हम यूनियन के कार्यकर्ता, छावनीदास नगर के आफिस में थे, तो उसी समय सी.एम.एस.एस का जुलूस छावनीदास नगर में आया उसी समय पुलिस ने बी.के. कंपनी में जाने को बंद कर दिया जिससे जुलूस, थाने की रास्ते की ओर जाने लगा, उसी समय टी.आई. सलाम ने जुलूस की एक महिला को पीछे से डंडा मारा जिससे वहां का माहौल खराब हो गया । पुलिस ने जुलूस पर पत्थर भी मारे, मैं आफिस में था आवाज सुना, मजदूर लोग चिल्ला रहे थे भगदड मच गई, कई लोगों को चोटें भी आयीं मैं छावनीदास के यूनियन आफिस से जीप स्टार्ट करके उसको आफिस के लिये निकाला मेरी जीप को पुलिस ने हिन्दुस्तान केमिकल कंपनी के पास जप्त कर लिये और थाने लेकर आ गये थाने में हमारे कई साथी भी थे, । उनको चोटें आयी थी, अनूपसिंह, के सिर में चोट आयी थी मुझे भी हाथ में चोट आ गई थी, अस्पताल गये वहां से कई कार्यकर्ताओं को जेल में डाल दिये, जेल में भी गया वहा

वहाँ से कुछ दिन बाद जमानत हो गई । मै दुकानो, आफिस जाने लगा, और वहाँ नियोगी जी की कार चलाने लगा । नियोगी जी की कार को, मेरे, से पहले सिन्हा ड्रायवर चलाता था, करीबन । बाद पहले सिन्हा ड्रायवर कार से गाँव चला गया था इसके बाद नियोगी जी, की कार को पहलवान ड्रायवर चला रहा था, उसकी तबियत खराब होने से वह आराम, करने लगा नियोगी जी दिल्ली से, 21/9/91 को आये और उसी दिन मै उन्हे, लेकर दिल्ली राजहरा गया, भिलाई से कार नंबर एम.आई.आर. 227 से नियोगी जी, को लेकर राजहरा आया था वहाँ 2 दिन रहकर वे भिलाई, आ गये थे, । शुक्रवार 27/9/91 को सबेरे नियोगी जी, अकेले कार लेकर आफिस आये पहलवान जीप बनवाने दुर्ग चला गया था नियोगी जी दिन भर दुकानो, आफिस मे ही थे, । करीबन 5 बजे मै और नियोगी जी कार से क्वार्टर 1/55 गये वहाँ नियोगी जी नहाये और फिर उन्होने चाय बनाने को कहा, नियोगी जी सबेरे का रखा नाश्ता करने लगे, मै चाय बनाकर उनको दिया, और मैने भी, पिया, छः से करीब साढे सात बजे आफिस पुनः आये, आफिस मे स्वस्त बाबू, को चाभी दिये और बोले कि पहलवान आ जायेगा तो उसको चाभी दे देना, और खाना बनवा लेना हम लोग रायपुर जा रहे है बतना. बोलकर मै नियोगी जी को, कार मे लेकर रायपुर के लिये शाम छे बजे निकला हमारे साथ मे एक लड़का भी था जो सायल साहब के आफिस मे हिसाब करने आया था, रायपुर जाते समय फारेस्ट [illegible] होकर कुम्हारी गेट पार कर जी.ई रोड. से रायपुर राजेन्द्र सायल साहब के आफिस मे पहुंचे करीबन, 7 बजे, वहाँ पहुंचे सायल साहब आफिस मे नही थे नियोगी जी, ने उनको फोन किया, कुछ देर बाद सायल साहब आये । नियोगी, जी सायल साहब के साथ उनकी जीप मे बैठकर फ्रेंडली होटल जा रहे है बोलकर दोनो चले गये मै वही, रुक गया, मुझे नियोगी जी ने प्रेस विज्ञप्ति की फोटो स्टेट कराकर होटल पहुंचने को कहा था, जिसे मैने फोटो स्टेट कराकर मै और वह लड़का जो मेरे साथ भिलाई से आया था, को साथ लेकर होटल पहुंचे । होटल मे काउन्टर मे पूछने के बाद एक कमरे मे जहाँ नियोगी जी एवं सायल साहब थे गये, वहाँ पत्रकार के साथ दोनो बातचीत कर रहे थे उस लडके ने जो, मेरे साथ गया था,

PW-8 {38}

गोयल साहब से बातचीत की, । फिर फोटो स्टेट कापी देकर दोनो बाकर बंगला वापस गोयल साहब के आफिस आ गये रात करीबन, साढे ग्यारह बारह बजे नियोगी जी एवं गोयल साहब वापस बाहर बंगला आये, मैं वहां सो रहा था, मुझे उठाकर नियोगी जी और मैं रात करीबन 12-10 बजे रायपुर से भिलाई, के लिये रवाना हो गये कार में मेरे और नियोगी जी के अलावा और कोई नहीं था, रास्ते में कहीं नहीं रुके, सीधे हुडको, मैं उनके घर कुम्हारी? फारेस्ट एवन्यू होकर करीब 1.15 बजे पहुंचे, रास्ते में नियोगी जी मुझसे चर्चा कर रहे थे कि सिम्पलेक्स और केडिया वालो ने कुछ गुन्डों को एडवांस रुपया नियोगी जी को मारने के लिये दिया है नियोगी जी मुझसे बोल रहे थे, । कि तुम अपने घर में बतला देना, कि नियोगी जी की गाडी चलाने पर रोटी भी मिल सकती है और गोली भी, । इस पर मैंने कहा कि ठीक है, जब हम दोनो, साथ साथ जायेंगे तो मरेंगे भी साथ, इस तरह की बात उन्होंने, पहले भी, कही थी, । रास्ते में उन्होंने कहा कि अनूप जी का घर पडेगा, तो मुझे उठा लेना, अनूप जी के घर आने पर मैंने नियोगी, जी को उठाकर बताया अधिक रात, होने के कारण उन्होंने चलने को कहा कार अनूप जी, के घर लगभग 2 मिनट खडी किये फिर आगे चल दिये, हुडको पहुंचने के पहिले, सेक्टर 9 अस्पताल चौक में मैंने उनसे फिर पूछा, कि घर चले कि आफिस उन्होंने कहा घर चलो, मैं सीधे कार घर की ओर मोड दी, घर में चहलदार को नियोगी जी आवाज दिये, चहलदार बाहर निकला नियोगी जी अंदर, चले गये, मैंने चहलदार से पूछा, खाना खाया क्या उसने कहा मैं खा लिया, [illegible] ने मुझसे भी पूछा, कि खाना खा लिया, क्या मैं बोला बाहर बंगले में खाना खा लिया, नियोगी जी ने मुझसे, पूछा कि आप कहां सोयेंगे, । यहां सोना है यहां सो जाइये आफिस में सोना है तो आफिस में सो जाइये, मैंने कहा जैसा आप बोलेंगे, फिर उन्होंने कहा आफिस में सो जाओ, कोई खबर आयेगी, तो बता देना अगर कोई खबर न आये तो 7 बजे सबेरे मुझे लेना आ जाना मैं आफिस आ गया जब मैं वापस आ रहा था तो नियोगी जी ने घर का दरवाजा बंद किया, था, इस समय लगभग पौने दो बजा होगा आफिस पहुंचने पर देखा कि एक लडका लिखा पढी का काम कर रहा था, मैंने

उनसे पूछा कि कोई टेलीफोन फोन कॉल है क्या, उन्होंने कहा कोई खास बात नहीं है। आफिस में सो गया कुछ देर बाद वह लड़का भी सो गया करीबन, पौने चार बजे मेरे बहलराम। एकदम घबड़ाया हुआ भागता हुआ आफिस में आया, और जोर से दरवाजा खटखटाया, और चिल्लाया जल्दी खोलना, जल्दी खोलना, मैं अंदर से आवाज दिया क्या बात है, दरवाजा खोला तो वह बताया कि नियोगी जी को गोली मार दिया आफिस में जो लोग थे, सभी कार से आफिस से घर आये, उसने एकाधी को एम्बुलेंस लाने अस्पताल भेज दिया था, घर आने पर देखे नियोगी, जी के सिर के पास की खिड़की खुली हुई थी कमरे की लाइट जल रही थी, एवं पंखा चल रहा था, नियोगी जी की छाती दबाकर देखे सांस नहीं चल रही थी, वे शायद खतम हो गये थे, गोली पीठ के पास से अंदर घुसी थी, मच्छरदानी में जलने के निशान थे, एवं काफी बड़ा छेद हो गया था, सभी लोग मिलकर नियोगी जी को, कार से अस्पताल, ले जाने लगे रास्ते में एम्बुलेंस मिली उसमें उनको कार से, एम्बुलेंस में शिफ्ट किये। एम्बुलेंस से अस्पताल चला गया, बहलराम कार लेकर दूसरे साथियों को लाने चला गया, । अस्पताल में कैजुल्टी में नियोगी जी को ले गये, सिस्टर डाक्टर वगैरह, आक्सीजन लगाये फिर आई.सी.यू. रूम में, नियोगी जी को ले गये हम लोग नीचे आ गये मैं जीप लाने अस्पताल से आफिस जाने के लिये खड़ा था, कार के इंतजार में देर होने पर हम 2-3 आदमी जो, आफिस से आये थे, उनको साथ लेकर पैदल चले उस समय कुछ उजाला हो रहा था जब हम लोग चौक के पास पहुंचे तो आफिस जाने के रास्ते के पहले वाली गली से टाटा 407 स्टेयरिंग की निकली, उस समय दूध लेने कई लोग आते जाते रहे थे हम लोगों के साथ एक खान लड़का भी था, उसने बताया कि टाटा 407 सिम्पलेक्स कंपनी, में आती जाती रहती है इस टाटा 407 में 3-4 आदमी बैठे थे खान ने मुझे बताया कि जो लड़का टाटा 407 में बैठा था वह लड़का अस्पताल में भी देखा गया था जब नियोगी जी को स्ट्रेचर में ले जा रहे थे नियोगी जी के कमरे की खिड़की अक्सर बंद रहती थी मैं, भिलाई से राजहरा, नियोगी जी के अंतिम संस्कार में भाग लेने आया था और जीप चलाने में व्यस्त था आज

PW-8

भी उनके मूल कौरह सुनने के क्रिया कर्म में व्यस्त हूँ, होने से अब समय मिलने पर बयान देने आया हूँ । मुझे किसी ने बयान देने आने से मना नहीं किया था, । व्यस्त रहने से नहीं आ सका । बयान पढ़वाकर सुनकर ठीक बताया ठीक लिखा गया ।

//सत्यप्रतिलिपि//

[signature]

हस्ता/सही,
(एस.जी.अग्रवाल,)
1/10/91
केस राजबर,

बयान

निरंजन लाल यादव पिता श्री फत्तूराम यादव, उम्र 35 साल, सा०चांपा थाना चांपा जिला बिलासपुर हाल सी०एम०एस०एस० यूनियन हुडको क्वार्टर नं० एम०आई०जी० 2/273.

PW-9

....

मैं उक्त पते पर रहता हूं । मेरा पैदाइशी ग्राम मुडका थाना बरसिया जिला रायगढ़ का है । अकेला भाई हूं पैदाइशी गांव छोड़कर वर्तमान में चांपा में रहता हूं । मोदी सामेंट फैक्ट्री, बलौदा बाजार में इलेक्ट्रीशियन का काम करता था करीबन एक डेढ़ साल हुये बरखास्त किया जा चुका हूं । चूंकि मैं फैक्ट्री में यूनियनबाजी करता था इसलिये बरखास्त किया गया है । 1990 से सी०एम०एस०एस० से जुड़ा हुआ हूं । जिससे अक्सर भिलाई आना जाना लगा रहता है दिनांक 24.9.91 को मैं हुडको कार्यालय आया तीसरे दिन 26.9.91 को यूनियन काम से राजहरा गया था । जहां से दिनांक 27.9.91 को नौ बजे रात्रि को हुडको कार्यालय में आया । उस समय बसन्त, तौहिद, ईशकुमार, तथा चांदी डुमरी के छेमूराम तथा तीन चार साथी और थे । जिनसे मैं पूछा कि नियोगी जी कहाँ है तब पता चला कि नियोगी जी रायपुर गये हैं । करीबन 11 बजे अनूप सिंह आफिस में आया । जो कि टेलीफोन लगाकर दिल्ली में सुधाजी से बातचीत किया । दिल्ली बातचीत करने के बाद करीब 12.30 बजे अनूप सिंह अपने क्वार्टर सेक्टर 2 चले गये । करीबन 4 बजे रात्रि को किसी ने जोर से दरवाजा खटखटाया तब हम सब लोग उठे तथा दरवाजा खोले तो देखे कि बहालराम ड्राईवर था जो काफी हड़बड़ाया हुआ था बताया कि नियोगी जी को किसी ने गोली मार दी है । उस समय बहाल के साथ एक व्यक्ति और था । उसी के स्कूटर में बैठकर आया था तब मैं जल्दी जल्दी पैंटशर्ट पहना और बाकी भी तैयार हो गये । तब स्कूटर से सेक्टर 9 अस्पताल रवाना हुआ । बाकी लोगों को कार से नियोगी जी के क्वार्टर भेजा सेक्टर 9 अस्पताल पहुंचकर तथा एंबूलेंस लिया । एंबूलेंस लेकर जब मैं हुडको जा रहा था तो रास्ते में हम नियोगी जी को कार से ले आते हुये मिले तब कार से उठाकर एंबूलेंस में लिटाकर सेक्टर 9 अस्पताल

T.C.

.......2/.....

PW-9

4.20 बजे पहुँचा । जहाँ भर्ती किया । इसके बाद डाक्टर साहब ने आई0 सी0 यू0 रूम में ले गये । करीबन 4.45 बजे डाक्टर साहब बताये कि नियोगी जी नहीं रहे । इसी बीच में गाड़ी भेज कर घोषाल दादा तथा अनूप सिंह को सूचना भेजे । डाक्टर साहब ने यह भी बताया था कि आप लोग जब नियोगी जी को अस्पताल लाये तो उससे 10 मिनट पहले ही खत्म हो चुके थे । चूँकि ये महत्वपूर्ण नेता थे इसीलिये मैं चेक करने के बाद ही खत्म होने की बात बताया । दिनांक 6.9.91 को काफी टी हाउस आकाशगंगा के प्रेस कांफ्रेंस में जब इनसे पत्रकार लोग पूछे थे कि अगर किसी श्रमिक साथी की हत्या या कोई नुकसान होता है तो आप के संगठन की ओर से उसे क्या दिया जाता है । इस पर नियोगी जी बोले थे कि हम लोग गरीबों के लिये संघर्ष करते हैं और इसमें शहीद हो जाते हैं तो कुछ नहीं चाहिये । इसके अलावा मेरे से कभी कोई बात नियोगी जी ने नहीं बताया ।

सही/-
कमल भान सिंह, एस0आई0
8/10/91

सत्य प्रतिलिपि

(signature)

बयान अनूप सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह जाट, उम्र 29 साल, साकिन-ग्राम हाजमपुर, जिला हिसार, थाना- हांसी, हरियाणा । हाल मुकाम - सेक्टर -2, सड़क सेंट्रल स्वन्यू क्वाo - 1, ब्लाक-7, 24 यूनिट, भिलाई ।

मैं ग्राम हाजमपुर जिला हिसार का रहने वाला हूं । मेरे पिताजी कई साल पहले नहीं रहे, मेरी मां भी नहीं है । मेरे दो भाई हैं । बड़ा भाई कहां है नहीं मालूम उनका नाम अजय सिंह है, उनसे मेरी आखिरी मुलाकात 1987 में हुई थी । घर में मुलाकात हुई थी । छोटे भाई अरुण सिंह हैं जो हरियाणा पुलिस में इंस्पेक्टर हैं । उनकी पोस्टिंग कुरुक्षेत्र में है ऐसा मेरा ख्याल है कोई निश्चित नहीं मालूम है । इनसे आखिरी मुलाकात पिछले साल हुई थी, इनसे यमुनानगर में जहां इनकी पोस्टिंग थी मुलाकात हुई थी । सगी कोई बहन नहीं है । मैंने M.Sc. Previous Bio technology सन् 1987 मार्च में किया था । जवाहर लाल विश्वविद्यालय दिल्ली से । दिल्ली में हास्टल में ही रहता था । B.Sc. सेंट स्टीफन कालेज से 1983 में किया था Methes, Physics, Chemistry grop लिया था । पत्रिकाओं में पढ़ने के बाद से मैं शंकर गुहा नियोगी के संपर्क में आया । राजहरा के शहीद अस्पताल के कार्यक्रम एवं अन्य श्रमिक रचनात्मक कार्यों के बारे में पढ़ा इससे 1987 में शहीद अस्पताल में स्वास्थ्य कर्मी के रूप में कार्य शुरू किया । वहीं रहना खाना पीना एवं मरीजों की सेवा करना मेरा काम था । CMSS यूनियन के संगठन के आदेशानुसार और भी जो काम दिया जाता था वह करता था । भिलाई 25 मार्च 1990 में आया । यहां उस समय ACC के ठेकेदारों एवं मजदूरों का आंदोलन चल रहा था इस कारण यूनियन के आदेश पर ही भिलाई आया था । जहां मैं रहता था वह मकान CMSS ने किसी एम्पलाय से किराये पर Y.K. चंद्राकर के माध्यम से लिया था वह टेकसरा में काम करता है । नियोगी जी ने चंद्राकर को 1400/- साल भर का किराया दिया था । 27 तारीख को रात करीब साढ़े सात आठ बजे के आसपास मैं हुडको भिलाई CMSS आफिस से नियोगी जी के घर 1/55 गया था वहां उस समय बहलराम अकेला था । मैं वहां नहाया खाना खाया था इस बीच कोई भी आदमी घर नहीं आया । खाना खाकर करीब 10-10.15 बजे हुडको आफिस पहुंचा वहीं पर बसंत, [illegible] एन0एल0 यादव, खेमूराम साहू, तौहित और [illegible] कुछ अन्य साथी लोग थे । यूनियन आफिस से STD से हिसार 7450 पर अपनी बहन अंजला और पोरसी से बात किया क्योंकि मैं अपनी बहन

की शादी में फरवरी में नहीं जा पाया था । एक ट्रंककाल दिल्ली सुधा भारद्वाज से 66522। पर बात किया था इनकी मां की तबियत के बारे में बातचीत हुई थी । सुधा भी वहीं थी उससे भी बातचीत हुई थी । आफिस से लगभग 12-12.30 बजे अपने घर सेक्टर 2 लुना पर आया । घर में अकेला था और सो गया । नियोगी जी से मेरी मुलाकात 27 तारीख को शाम करीब 5--6 बजे आफिस में हुई थी । नियोगी जी ने मुझसे पहले 2-3 बार यह बात बताई थी कि भिलाई के उद्योगपति कैलाश केडिया और मूलचन्द शाह अपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं । दिल्ली नियोगी 13 सितम्बर को गए थे उनके साथ करीब 300 मजदूर भी थे साथ में मैं और डा0 गुन, जनक लाल ठाकुर आदि मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्त्ता थे । दिल्ली में नियोगी जी स्वामी अग्निवेश के घर 7 जंतर मंतर रोड में रुके थे । मजदूर लाजपत नगर धर्मशाला में रुके थे । मैं सुधा भारद्वाज के यहां रुका था । 11 तारीख को राष्ट्रपति से मिले मैं नहीं गया था । 12 तारीख को अडवाणी जी से मिले । 13 तारीख को प्रधानमंत्री से, 14 को दिल्ली में अन्य साथियों के साथ मीटिंग लिये । इसके बाद वे उनके साथ Advocate जोस थामस जो नंदनी भिलाई के हैं साथ में थे उनके साथ देश के प्रसिद्ध शिक्षाविद एवं वैज्ञानिक डा0 अनिल सद्गोपाल भी थे ये दिल्ली के हैं उनके साथ भोपाल तक आए थे । मैं दिल्ली में ही रुक गया था । मैं दिल्ली से 19 तारीख को सीधे भिलाई आया तमिलनाडु एक्सप्रेस से नागपुर तक आया उसके बाद एक्सप्रेस से भिलाई आया । 20 तारीख को दुर्ग कोर्ट में 307 की पेशी में गया । सुधा भारद्वाज से मेरी मुलाकात जवाहर लाल विश्वविद्यालय में हुई थी । सुधा की मां Economic Dept. में प्रोफेसर हैं । जब मैं पढ़ता था तभी हुई थी । सुधा ने M.Sc.Maths में किया है । मैंने और सुधा ने साथ रहने का फैसला किया है । किन्तु विधिवत विवाह अभी नहीं हुआ है । सुधा अक्सर भिलाई आती रहती है । M.Sc.Final में मेरी मां की मृत्यु होने से एवं सामाजिक जीवन व्यतीत करने के इरादे से पढ़ाई छोड़ दी । मेरे पिता जी हरियाणा में हेड मास्टर थे, मां भी टीचर थी । नियोगी जी दिल्ली से 21 तारीख को लौटे थे । मैं 21 तारीख को रात को नियोगी जी के साथ राजहरा गया था । एक पत्रिका अखबार [illegible] निकालने की मीटिंग राजहरा में 21-22 तारीख को थी । इसमें बाहर से नीता मूर्ती नागपुर शंकर चिंगारी पत्रिका से, कुछ नये लोग भी उनको नहीं जानता । नरेन्द्र मो[illegible] एण्ड स्टील वर्कर्स यूनियन लुधियाना से, राम नागोरी - आल झारखण्ड स्टूडेंट्स यूनियन, इस तरह कुल 10-15 लोग बाहर से आए थे। [illegible] मीटिंग में

कोई निर्णय नहीं लिया गया । नियोगी जी मीटिंग में शामिल नहीं हुए थे ।

CMSS की तरफ से इस मीटिंग को Dr. Guha ने संचालित किया था । मैं 24 तारीख को राम लागोरी, नरेन्द्र के साथ जीप में भिलाई रात को करीब 7/7.30 बजे वापिस आया । रात को हुडको आया वहां पर घासीदास कार्यालय आया वहां मीटिंग थी । 25 एवं 26 तारीख को [illegible] मैं भिलाई में ही था । नियोगी जी 24 तारीख को देर रात तक आए थे । नियोगी जी कार से आए थे । 25,26 को नियोगी जी [illegible] भिलाई में ही थे । 27 तारीख को रायपुर मेरे सामने शाम छः बजे के करीब निकले थे । उनके साथ केवल सरकार ड्राईवर ही था और कोई था इसका ख्याल नहीं है । 28 तारीख को सवेरे करीब साढ़े चार पांच बजे थे बहलराम ड्राईवर मेरे पास कार पे अकेला आया और रोते हुए दरवाजा पीटकर मुझे उठाया और बताया कि नियोगी जी को किसी ने गोली मार दी है । मैं भी [illegible] दरवाजा में ताला लगाये घोषाल दादा के पास सेक्टर-5 S.P.A. आया उनको लेकर अस्पताल गया । नियोगी जी को ICU में ले गये थे वहां से करीब 6/6.30 बजे सरकार ड्राईवर के साथ जीप में इंडस्ट्रियल एरिया आया और सभी को बताया । नियोगी जी प्राय: खिड़की और लाईट बंद [illegible] करके सोते थे । CMSS से कोई सेलरी नहीं मिलती । जीवन चलाने के लिए खर्चा CMSS यूनियन ही देती है । 17 दिसम्बर 1986 में राजहरा आया था । नियोगी जी से मेरी मुलाकात राजहरा आने से पहले स्वामी अग्निवेश के घर में हुई थी । नियोगी जी दानीटोला केस में दिल्ली गए थे । मैं दिल्ली में पढ़ाई के साथ साथ मजदूरों के साथ सामाजिक कार्य करता था । वहां मैं कभी भी अंदर नहीं हुआ । मेरी खेती हाजपपुर में है जो गांव वाले देखते हैं मुझे गांव से कोई मदद नहीं मिलती । नियोगी जी ने टेप रिकार्ड में कुछ बातें टेप की थी उसकी जानकारी उनकी हत्या के बाद राजहरा जाने के बाद 4 तारीख को लगी थी । टेप को मैंने सुना था उसका हिन्दी में लेख सुधा भारद्वाज ने राजहरा में किया था । सुधा की मां की बीमारी से मैं परेशान रहता हूं क्योंकि मैं श्रमिक संगठन से संलग्न रहने के कारण अधिक समय नहीं दे पाता हूं इस कारण मेरे मन को कभी कभी खराब महसूस होने लगता है । सुधा भी श्रमिक संगठन एवं श्रमिकों के सामाजिक कार्य में पूर्णत: समर्पित है । रविवार दिवस (सितम्बर में) के दिन घासीदास नगर में नियोगी जी ने मीटिंग में कहा था कि

कैलाशपति केडिया के तीन गुंडावाहिनी हैं. जिसके प्रमुख संतोष गुप्ता, जुबेर और आर० बी० सिंह हैं । सिम्पलेक्स के गुंडावाहिनी का सरगना ज्ञान प्रकाश मिश्रा है । 15 अगस्त को मजदूर भवन घासीदास नगर में नियोगी जी के भाषण के बाद जब हम लोग पैदल हाउसिंग बोर्ड जा रहे थे उस समय में नियोगी जी और पुक्ति साथ में थे तो एक मारुति वैन सफेद रंग की 2-3 बार हमारे आसपास से गुजरी । नियोगी जी ने टिप्पणी की कि ये बहुत आसपास मंडरा रही है क्या चक्कर है इस कार को अक्सर नंदनी रोड पर केडिया डिस्टलरी के पास एक होटल के सामने खड़ा देखा जाता है । सुधा का घर दिल्ली में जवाहर लाल यूनिवर्सिटी में है ।

पढ़कर सुनाया, सही पाया ।

सत्य प्रतिलिपि

मेरे समक्ष
सही-
आरक्षी उपाधीक्षक
कैम्प भिलाई

BHILAI
16.11.91

Statement of Shri Anoop Singh s/o Shri Mahender Singh, age 30 years, r/o Quarter No.1, Block No.9, 24 Units, Sector-II, Bhilai, permanent r/o village & Post Office-Hajimpur, Distt. Hissar recorded u/s 161 Cr.P.C.

P.W-11

****

I have passed my M.Sc. Bi-technology (previous) in 1987 from Jawahar Lal Nehru University, Delhi. I had been reading about late Shri Shanker Guha Niyogi in Magazine and thus came to know about his programme for the welfare of the workers. I was influenced by his work. In 1987 I joined Shaheed Hospital, Rajhara as Health worker. I performed my duties in the hospital as health worker for 6-7 months. I had been associated with the activities of Chhattisgarh Mines Sharmik Sangh during that period. I had been attending to all the work regarding the union as per directions of leaders including Shri Niyogi. I came to Bhilai in March 1990 when workers of ACC were agitating. The dispute between the management of ACC and the workers was settled in July 1990.

The struggle of the workers in Bhilai started under the banner of Chhattisgarh Sharmik Sangh. Chhattisgarh Sharmik Sangh sent their demands numbering 29 to the Management of Bhilai Engineering Corporation and some other industries in September 1990. Later on various trade unions like Pragatisheel Engineering Shramik Sangh, Chhattisgarh Chemicals Shramik Sangh etc. were registered and all these unions were working under Chhattisgarh Mukti Morcha. After the registration of Pragatisheel Engineering Shramik Sangh a charter of nine demands was presented to various industries of Bhilai but all of them refused to accept the same. We sent our demands by registered post but the same were also returned. Later on we presented the demands to Asstt. Labour Commissioner at Raipur with spare copies for the various industries. The Asstt. Labour Commissioner of Raipur called meetings of union representatives and the industries on a number of occasions but none from the industries attended those

T.C.B.

PW-11

meetings. In the middle of September 1990 Shri Mool Chand Shah had threatened that he will not allow the union or late Shri Shanker Guha Niyogi to work in Bhilai. His interview in this regard was also published in some papers. The workers of Bhilai took out a big rally on 17th September 1990 when gundas of the industrialists attacked on the workers. The workers lodged complaint against Chandrakant Shah and Gyan Prakash Mishra for the assault on 17.9.90. All the big industrialists of Bhilai were against the workers. Shri Hira Bhai Shah, Chairman of Simplex group of industries had also threatened in an interview on 25th December 1990 or so that he will not allow the union or Shri Niyogi to work in Bhilai, Shri B.R.Jain, another industrialist, gave a press note wherein he emphasised that with the coming of Shri Niyogi to Bhilai large number of workers have become unemployed. Chhattisgarh Mukti Morcha had planned to celebrate 2nd October,1991 in a big way. It may be mentioned that the administration did not allow us to celebrate 2nd October 1990. For celebrating Gandhi Jayanti on 2nd October 1991 Morcha had planned to give wide publicity and have plans to place before the people the philosphy of Gandhiji which is relevant today.

260 workers of Bhilai had gone to Delhi ~~under the leadership~~ of Shri Niyogi on 10.9.91. I had also gone to Delhi alongwith the group. In Delhi the workers, under the leadership of Shri Niyogi had called on President of India on 11.9.91, Shri L.K.Advani on 12.9.91, Prime Minister of India on 13.9.91. Shri Niyogi had presented the memorandum on behalf of the workers to the President of India, Prime Minister of India and Shri Advani. I left Delhi on 19.9.91 for Bhilai by Tamilnadu Express and reached Bhilai on 20.9.91. Shri Niyogi had returned to Bhilai from Delhi on 21.9.91 and left for Rajhara on the same night. I had accompanied Shri Niyogi. Shri Niyogi was at Rajhara on 22.9.91 and 23.9.91. He came to Bhilai on the night of 24-9-91 in ~~24.9.91 in the union jeep alongwith other workers.~~ x in his car. I had also returned from Rajhara on Shri Niyogi was in Bhilai on 25.9.91 and 26.9.91, attending to the union work.

T.C.

[signature]

I had been meeting Shri Niyogi in the union office at MIG II/273, HUDCO as well as at his residence at MIG I/55, HUDCO often. On 27.9.91 I went to the residence of Shri Niyogi at MIG I/55, HUDCO. Shri Niyogi was not present in the house. Shri Bahal Ram was there. I took my bath and food in the house of Shri Niyogi. After finishing my meal I went to office where various workers including Basant, K.L.Yadav, Khemu Ram Shah were present. After attending to some work and making telephone calls I went to my residence at about 12.00/12.30 in the night. On 27.9.91 Shri Niyogi had left for Raipur in my presence at about 6.00 PM in his car. Shri Deepak Sarkar was driving the car. On 28.9.91 Shri Bahal Ram, driver of the union came to my residence at about 4.30 AM. He was weeping and told me that somebody had shot at Shri Niyogi. I immediately came out of the house and went in the car alongwith Bahal Ram to the residence of Shri Ghoshal. Thereafter both of us went to the hospital. Shri Niyogi had been taken to the Intensive Care Unit. At about 6.00/6.30 AM I left for Industrial Area in the jeep driven by Shri Sarkar to tell the workers about the incident.

Shri Niyogi had been telling us and even we have also come to the conclusion that management of big industries like Kedia, Simplex were adament to the demands of the workers. Workers of various industries were agitating for better wages and working conditions since September 1990. All the workers of Simplex group of industries except of Simplex Engineering & Foundary Limited Unit No.1 are on strike. Workers of Kedia Distillery are also on strike. During our agitation for the last about one year the gundas of these big industries had been assaulting the workers and a number of cases had been got registered with the police. In our representations to the various authorities we had specifically mentioned that big industrialists are violating the labour laws and there is a great danger to the lives of the workers as well as their leaders. In August 1991 Shri Niyogi had warned me that I should be careful as he had received information that gundas of

T.C. [signature]

PW-11

these industrialists may try to harm me. He had himself been telling us that industrialists have procured the services of criminals to eliminate him but we were not serious. He himself was telling us that we are fighting for a just cause and as such we should not be afraid of the death.

I have been shown a diary written in Hindi and English. This diary was handed over by us to the police. This diary belongs to Shri Niyogi. All the writings in the diary are in the hand writing of Shri Niyogi except the following :-

1. Page-17 - Suraj in Hindi, in black ink
2. Page-18-19 - Black ink writings.

(Both of these have been written by Smt Sudha, Secretary of the Chhattisgarh Mukti Morcha).

3. Page 168 - Hindi writings.

This diary had been written by Shri Niyogi while he was in jail in February-March 1991. While Shri Niyogi was in jail, I had given him a book for reading and the quotations on page-22 are from the said book. I have seen the diary, which contains names of criminals from whom he was apprehending danger to his life. All the information about the criminals and their activities which find a place in the diary, had been gathered by Shri Niyogi from the criminals in the jail as well as from his sources.

Earlier I had the occasion to hear the tape recorded voice of Shri Niyogi. I had also heard the tape recorded voice of Shri Niyogi in a cassette wherein Shri Niyogi had recorded his apprehension about the threat to his life and I identified the same to be his voice. This cassette had been handed over by the union to the police for investigation purposes.

RO&AC

Before me

Sd/-
(B.S.KANWAR)
DSP/CBI/SIC.II/Camp : Bhilai.

PW-12 PW-12 24.11.91
BHILAI

Statement of Shri Neel Ratan Ghoshal s/o late Shri Har Har Ghoshal, age 50 years, r/o SPA Street, House No.22A, Sector-V, Bhilai, Permanent r/o village Salona Colony, Post & PS Chakdaha, Distt. Nadia (West Bengal) u/s 161 Cr.P.C.

I came to Bhilai in 1962 and I joined as Junior Operative Trainee in B.T.I. Bhilai. After 1½ years training, I was appointed as Asstt. Stove Tender Blast Furnace, BSP, Bhilai. My services were terminated on 14th Feb.,91 because of long absence from duty. I am not well and suffering from XX number of problems and thus have to be absent from duty for long duration. When my services were terminated, I was working as Senior Stove Tender.

Because of Trade Union activities I was arrested under MISA and remained in jail for about 20 months and was released on 21st March,1977. I know late Shri Shanker Guha Niyogi since 1964-65 when he was working in Coke Oven of BSP. Shri Niyogi was also arrested under MISA in 1975 and we were together in Central Jail, Raipur. Shri Niyogi founded Chhattisgarh Mines Shramik Sangh(CMSS) in 1977 and I am connected with this organisation since then. I am also convenor of CMM of Durg, Bhilai and Pattan area. I am also organising Secretary of all Trade Unions under the banner of CMM like PESS, CCMSS etc. which are functioning in Bhilai, Urla, Tedesara, Kumhari, Baloda Bazar since 1989.

When Shri Niyogi returned from Delhi on or about 21st September 1991, I could not meet him. On 25.9.91 night Shri Anoop Singh and N.I.Yadav of Baloda Bazar came to my house at about 9.45 PM when I was taking my meals. They told me that Shri Niyogi wanted to speak to me urgently regarding programme for celebration of 2nd October,1991. After taking my meals I accompanied them on their motorbike. We all discussed the matter with Shri Niyogi upto 11.30 PM at his house at MIG I/55, HUDCO.

During this time he took tea twice. He also took his food. I enquired from him about the result of his Delhi visit and he told that they had met number of leaders and have been assured of positive results. Anoop Singh and N.I.Yadav left the place at about 11.30 PM. Shri Niyogi asked me to sleep in his house. I went to the adjoining room where Shri Bahal Ram was to sleep. Shri Bahal Ram fell asleep immediately whereas I was still awake. Shri Niyogi called me and I went to his room and we again discussed various matters especially programme for 2nd October,1991. He wanted us to celebrate the Gandhi Jayanti on a large scale and that our programme for celebration for the same should be given vide publicity. He emphasised that philosphy of Gandhiji is relevant today and we should place the same before the people during the celebration. He also told me that the attitude of the industrialists especially Kedia and Simplex group is adament towards the demands of the labourers. He also told me that in view of the incidents of the last 14 months when workers had been assaulted on a number of occasions by the 'gundas' of the industrialists it is very necessary that we should be careful as they may assault us. He advised me not to move in the night and take rest at the place where night falls. After about half an hour we went to our beds. I could not sleep throughout the night thinking about the threats which Shri Neogi was telling.

On the next morning Shri N.I.Yadav and others came there. Shri Yadav requested Shri Neogi to meet Advocate Shri. Bhojwani as it was very essential. Shri Neogi left his residence to meet the Advocate and to attend to some other works. I left for HUDCO office. I was in the HUDCO office when Shri Neogi came to collect some papers as he wanted to meet Collector, ADM and city Supdt of Police.

I could not meet Shri Neogi on 27.9.91 as I was busy in the industries and taking round of the various industries where our workers were demonstrating etc.

On 28.9.91 at about 4.15/4.30 AM Shri Bahal Ram, Driver of the Union came to my house and called me saying that Shri Neogi has been shot at and I should come immediately. I dressed up immediately and came out of the house. Shri Anup Singh was already sitting in the car. We straightway drove to the hospital at Sector-IX Bhilai. After sometime Doctor told me that Shri Neogi is no more and that we should not spread this news among the workers immediately and allow the administration to make necessary arrangement as there was apprehension of violence etc.

S/Shri Kedia, Khetawat and industrialists of Simplex group of industries, B.K.Industries, B.E.C. etc. were trying to smash our struggle and had adopted very harsh attitude towards the demands of the workers. Gundas of these industrialists have been assaulting the workers since our struggle began in September,1990, the day when Chhattisgarh Mukti Morcha took out a big rally in Bhilai. Since then gundas of the industrialists had attacked active workers of various trade unions who were functioning under the banner of Chhattisgarh Mukti Morcha.

I have seen photograph of accused Gyan Prakash Mishra & Avdhesh Rai who had been arrested by police in connection with murder of Shri Niyogi in newspaper/magazine. I emphatically state that these persons used to attend our meetings at various places including our office. Prior to the murder of Shri Niyogi, I had seen these persons attending our meetings with another person whom I had also seen moving alone on a red motorcycle as well as on foot and on bicycle near CMM office at MIG II/273, HUDCO Bhilai about 10/15 days prior to the murder of Shri Niyogi. I can identify that person if shown to me. The physical appearance of the said person was Age about 30 yrs., black colour, height about 5½', black hairs and small mostaches, wearing taweez around his neck.

RO&AC

Before me.

Sd/- 24/11/91
(B.S.KANWAR)
DSP:CBI:SIC.II:N.DELHI
CAMP : BHILAI.

T.C.

[signature]

कथन श्री नीलरतन घोषाल पिता श्री हरीहर घोषाल जाति बंगाली [ब्राम्हण] उम्र 50 वर्ष सा0 ग्राम सालुवा कालोनी थाना चाकदह जिला नदिया पश्चिम बंगाल हाल सेक्टर 5 स्ट्रीट/22ए भिलाई

....

मैं सालुवा चाकदह जिला नदिया पश्चिम बंगाल का रहने वाला हूं कि मैं भिलाई में सन 1962 से नौकरी के तलाश में आया था कि 1964 में मैं बीएसपी भिलाई में असि0 स्टोर हेंडर प्लान्ट गैरेज में भर्ती होकर डेढ वर्ष तक ट्रेनिंग कर नौकरी में लग गया तथा काम करता रहा. कि इस वर्ष फरवरी माह में मुझे टीबी. बीमारी से मेरा ज्यादा अबसेंट रहने से बीएसपी ने टर्मिनेट कर दिये परन्तु मैं अभी तक हिसाब नहीं लिया तथा क्वार्टर भी खाली नहीं किया सन 1979 में नियोगी के बंद होने के पहले मैं भी मीसा में बंद हुआ था जो मैं करीब 20 माह तक जेल में रहा जेल में मैं 1975 में बंद हुआ था 21 मार्च 77 में जेल से छूटा था । सन 1964-65 में नियोगी जी भी कोको । मैं बीएसपी में काम करते थे उस समय मजदूर आंदोलन के समय से मेरी जान पहचान नियोगी जी से हुआ था कि उसी समय नियोगी जी को झूठे गलत चार्ज लगाकर निकाल दिए थे जिसने 1977 में जब नियोगी जी ने दल्लीराजहरा में छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा युनियन का गठन किए तभी से मैं भी इस संगठन के साथ जुड़ गया भिलाई के प्रगतिशील इंजीनियरिंग श्रमिक संघ में मैं संगठन मंत्री के पद पर सन 89 से हूं कि अक्सर नियोगी जी भिलाई आते थे तबमुझसे मुलाकात करके जाते थे दिनांक 26.9.91 को शंकर गुहा नियोगी मुझे अपने क्वार्टर हुडको 55 में करीब साढ़े दस बजे रात को अनूपसिंह के द्वारा मुझे बुलवाये थे तब मैं एम0एल0यादव बलोदाबाजार के के जे.मोदी सीमेंट फैक्ट्री बलोदा बाजार के यूनियन के महामंत्री है उनके साथ गए थे कि 2 अक्टूबर के कार्यक्रम के बारे मे चर्चा किए पिछले वर्ष रायपुर मनाए थे इस वर्ष भिलाई में गांधी जयंती मनायेंगे कैसा मनाया जाय । व्यापक रूप से मनाया जाय या अलग 2 मनाये कि इसका निश्चय नहीं हुआ था कि साढ़े 11 बजे रात को नियोगी जी नहाए और खाना खाने बैठे तब मुझे बोले कि खाना खाओ मैं बोला खा लिया हूं पर 3-4 बार खाना खाने बोले पर मैं खाना खा लिया था इसलिए नहीं खाया अधिक रात होने से साढ़े 11 बजे अनूप तथा यादव जी चले गये । रात को मैं नियोगी जी के साथ ही सोया नियोगी अलग कमरे में मैं तथा अनूप सोये थे । सोते समय मुझे नियोगी बुलाकर सिगरेट दिए और बोले कि कामरेड संगठन की मजबूती है । कोई कमी नहीं है बात करते करते नियोगी ने मुझे कहा कि आप

... पर

थोड़ा सावधान में रहना क्योंकि मेरे ऊपर विभिन्न प्रकार से विभिन्न रूप से जैसे केडिया, सिम्प्लेक्स, बी.ई.सी.एल. (जैन) के तरफ से हमला किया जा रहा है जान का खतरा है परंतु खतरा से नहीं डरना है काम तो करना ही है। मुझे ये लोग कभी भी मार सकते हैं परंतु जो काम हम लोग जनता के सेवा के लिए उठाया है। उसको आगे बढ़ाना है यदि मैं मर भी गया तो शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन बढ़ाते रहना उसके बाद करीब साढ़े 12 पौने एक बजे सो गये 27.9.91 को सुबह हम दोनों करीब आठ साढ़े 8 बजे नाश्ता फिर तब नियोगी जी बोले कि वकील साहब के पास जाना है। कलेक्टर साहब से मिलना है कहे तब मैं करीब 9 बजे हुडको आफिस आया। नियोगी वकील साहब के यहां चले गये आफिस में आया तो वहां और मजदूर आ गए थे तब मैं करीब साढ़े 10 बजे वापस क्वाटर चला गया उसके बाद मैं घासीदास नगर आफिस चला गया। 28.9.91 के करीब सवा 4 बजे रात को बडल कार में मेरे घर अनूप के साथ आकर बताये कि नियोगी जी को गोली मार दिए दादा जल्दी चलिए तब मैं घर से तुरंत सेक्टर 9 अस्पताल में आए तब उसी समय डाक्टर हम तीनों को बुलाकर बताए कि नियोगी जी कि मृत्यु हो गई है जिस दिन मैं नियोगी जी के साथ सोया था नियोगी [illegible] बंद किए थे परंतु सिटकिनी नहीं बंद किए थे।

सही/

5.10.91

सत्यप्रतिलिपि

PW-13 RC.9(S)/91-SIU.V

20.11.91.

Statement of Dr. C.S.Ghosh s/o Mr.B.S.Ghosh r/o Sl.No.57, Sector-8, Bhilai, A/P working as Medical Officer, Jawahar Lal Nehru Hospital, Sector-9, Bhilai M.P. u/s 161 Cr.P.C.

I am as above. Today I was shown the Police Intimation Report and Accident/Brought dead certificate of the Casuality deptt. in r/o Shri Shanker Guha Niyogi. Both these have been filled up by me and are in my own hand. Shri Niyogi was brought dead to the Hospital on 28/9/91 at 4.15 AM by one Shri N.I.Yadav. Later the dead body was sent to the mortuary.

I own my signatures on both the papers.

R.O. & A.C.

Before me.

Sd/-
(N.M.Sharawat)
Inspr/CBI/SIC.II/N.Delhi
Camp : Bhilai.

T.C.

पी.डब्ल्यू 15

4/1/92

बयान श्री रतिलाल पुत्र नंदराम लोई उम्र 21 साल, आरक्षक नं. 921 पुलिस थाना भिलाई, कैम्प 6, आर.ओ. व्हीलेज आककाशवार पुलिस थाना महासमुन्द जिला रायपुर

—oo—

पूछने पर बयान करता हूं कि मैं उक्त थाना पर पिछले करीब डेढ वर्ष से तैनात हूं ।

आज आपने मुझे एक डयूटी सर्टीफिकेट दिखाया है जो श्री सी.के. शर्मा उप. नि.पु. थाना भिलाई के हाथ का लिखा हुआ व हस्ताक्षर किया हुआ, जिसमें मुझे 28/9/91 को 9/30 बजे सै.9 अस्पताल से शंकर गुहा नियोगी का शव जिला चिकित्सालय लीड कार्ड कर दुर्ग के ले जाने का आदेश दिया गया है उक्त आदेशानुसार मै शव के साथ उक्त स्थान पर गया व वापस थाना हाजिर होकर उक्त आदेश लिखित कागज के पीछे ही अपनी रिपोर्ट थाना में दी उक्त डयूटी सर्टीफिकेट पर ही सा.न. 2941 तारीख 28/9/91 अंकित है जिसके अनुसार रात के 2/40 पर मैने थाना वापसी की थी ।

पढकर सुनाया सही पाया, ।

हस्ता/सही.
(शंकरेश)
पु.नि./सी.बी.आई.
/एस.आई.सी. 2/दिल्ली
कैम्प –भिलाई.

//सत्यप्रतिलिपि//

RC.9(S)/91-SIU.V/CBI/SIC.II PW-20 Dated : 1.1.1992

Statement of Shri Rajkarar Mishra, age about 44 yrs. S/o Shri Ram Gopal Mishra r/o Vill. Majhiyari, PS Lalapur, Distt. Allahabad (UP) working as Sub-Inspector, PS Chhawni Bhilai, Distt. Durg recorded u/s 161 Cr. P.C.

******

PW-20

I hereby state that I have been working as above since 5.5.1989. In connection with the investigation of FIR No.580/91 u/s 302 IPC, Shri M.G.Aggarwal, DSP, Investigating Officer of the above case directed me to go to District Hospital, Durg to collect exhibits regarding Shanker Guha Niyogi Murder case. Accordingly I went to District Hospital, Durg and collected the following exhibits from Shri Tiwari, Head Clerk of the Hospital for purpose of investigation :-

1. One sealed small bottle containing 3 pellets of the cartridges.
2. One sealed bottle containing viscera.
3. One sealed small bottle containing the burnt skin of the deceased from the place of bullet fire.
4. One small sealed bottle containing sample of liquid in which viscera is preserved.

After collecting the above exhibits, I returned to camp Bhilai Nagar Police Station and handed over the above exhibits to Shri M.G.Aggarwal, DSP who prepared a Seizure Memo and seized the above exhibits. I also signed the above said seizure memo dt. 30.9.91 in token of having handed over the above exhibits to Shri Aggarwal, DSP in the presence of two witnesses. I brought the above 4 sealed exhibits in the same condition as I had received the same at the Hospital.

RO&AC.

Before me,

Sd/-
(M.K. JHA) 1.1.92
DSP/CBI/SIC.II/NEW DELHI.
CAMP : BHILAI.

T.C.

PW-27

ब्यान : श्री तुकाराम धमले पुत्र राघो जी धमले चपरासी देना बैंक, नन्दनी रोड भिलाई । निवास-ब्लाक नं.एल.सी.7, क्वाटर नं.ई कैम्प ।, भिलाई ।

.....

मैं करीब 2 वर्ष से क्वाटर नं. ई में अपने परिवार के साथ रहता हूँ । मैं अमरावती का निवासी हूँ । मेरे क्वाटर के बगल में क्वाटर नं. एफ है । उसमें पिछले 2 तीन महिनों से एक व्यक्ति दुबला सा था लाल बुजुको पर चलता था रहता था । मेरे क्वाटर के सामने के क्वाटर में अभय सिंह रहते थे उनसे ज्ञान प्रकाश मिलने अक्सर आते जाते थे । रवि उर्फ पल्टन के फोटो देखने के पहिचानना बताया । व कहा कि एफ क्वाटर में यही आदमी रहता था । अभी अभयसिंह व पल्टन नियोगी हत्याकाण्ड के बाद फरार हैं घरों पर उपस्थित नहीं हैं ।

यही मेरा ब्यान है पढ़ा सही पाया ।

रा.प्र.लिटौरिया
पु.उप अधी.
22.11.91.

TC

.. ..

P.W. 28

बयान श्री रियाज अहमद पुत्र श्री मोहम्मद हनीफ मुसलमान, ब्लॉक नं0 7, क्वार्टर नं0 एच, कैम्प नं0 4, भिलाई ।

मैं इलाहाबाद जिले का निवासी हूं । मैं रेडीमेड कपड़े के बेचने का धंधा करता हूं । सवेरे 9 बजे निकल जाता हूं तथा 8 बजे रात को लौटता हूं । मेरे क्वार्टर के बगल में अभय सिंह रहते हैं जिन्हें मैं अच्छी तरह से पहचानता हूं । अभय सिंह के पहले मकान में अजीज खां रहते थे । इससे मेरे उनसे अच्छे संबंध थे । उसी क्वार्टर में अभय सिंह रहते थे । मैं ज्ञान प्रकाश मिश्रा को भी जानता हूं वे अक्सर अभय सिंह से मिलने आते हुं थे । उन दोनों में अच्छी दोस्ती थी । रवि उर्फ पलटन को फोटो देखने के बाद ना पहचानना बताया ।

नियोगी हत्याकांड के 8-10 दिन बाद से अभय सिंह की कोई जानकारी नहीं है । वह घर से फरार है । घर में सिर्फ ताला लगा है ।

यही मेरा बयान है, पढ़ा सही पाया ।

सत्य प्रतिलिपि

(signature)

मेरे समक्ष
सही- R.P. Litoria
आरक्षी उपाधीक्षक

In support of the information supplied by us, vide our above mentioned letter dt.9.12.91, I have handed over the photostate/ true copy of the undermentioned documents maintained in our office during the routine course of official business to you vide a receipt memo dated 16.12.91 (Today) :-

1. A list of Board of Directors of M/s. Simplex Engg. & Foundary Works Ltd., 65, Industrial Estate, Bhilai (one sheet).

2. A list of Board of Directors of M/s. Simplex Castings Ltd., 5, Industrial Estate, Bhilai (one sheet).

3. Memorandum and articles of association of M/s. Oswal Iron & Steels Pvt. Ltd. (MP) (2 sheets).

4. Deed of Partners of M/s. Oswal Steel Trunk Industries, 17-C, Industrial Estate, Bhilai dt.12.6.84 together with letter No. DIC/DRG/SSI/84/391 dt.11.1.85 of G.M., Distt. Industries Centre, Durg (7 sheets).

5. Application form-D dated 20.2.88 of Shri Chandrakant Shah, Prop. M/s Lohawala Processor with a letter No. DIC/DRG/Prov/ SSI/88/1120 dated 25.2.88 of the Manager Distt. Industries Centre Durg (M.P.) (4 sheets).

According to the above mentioned document No.1, the Board of Directors of M/s. Simplex Engg. & Foundary Works Ltd. are as under:-

1. Shri H.B.Shah, W-67, Greater Kailash-II, New Delhi-110017.

2. Shri A.K.Shah, Simplex Colony, Malviya Nagar, G.E.Road, Durg-491002.

3. Shri M.R. Shah, Simplex Colony, Malviya Nagar, G.E.Road, Durg-491002.

4. Shri N.R.Shah, Simplex Colony, Malviya Nagar, G.E.Road, Durg-491002.

5. Shri V.H. Shah, W-67, Greater Kailash-II, New Delhi-110 017.

----3/p

 PW 29

According to the above mentioned document No.2, the Board of Directors of M/s. Simplex Castings Ltd. are as under :-

1. Shri H.B.Shah, W-67, Greater Kailash, New Delhi-110 017.

2. Shri A.K.Shah, Simplex Colony, Malviya Nagar, GE Road, Durg-491002.

3. Shri M.R.Shah, Simplex Colony, Malviya Nagar, G.E.Road, Durg-491002.

4. Shri N.R.Shah, Simplex Colony, Malviya Nagar, G.E.Road, Durg-491002.

5. Shri H.Balachandran, 9, Laxmi Niwas, Rifle Range, Ghatkpor (W), Bombay-400086.

Since, we had no record of the names of Directors of the above mentioned both companies, our General Manager had asked for a list of Directors from the above mentioned companies. As was desired by our G.M., these companies had supplied to him a list of Directors on the letter-heads of their concerned companies separately on 14.10.91. I identify the writings and initial dated 14.10.91. On the document No.1 & 2 mentioned as above, of our G.M., Shri S.K. Mishra.

According to the document No.3, mentioned as above, the Directors of M/s. Oswal Iron & Steels (P) Ltd. are mentioned as under :-

1. Shri Chandra Kant Shah S/o Sh. Ramji Bhai Shah, 19/5, Nehru Nagar, Bhilai (MP) Industrialist.

2. Smt. Prafulla Shah W/o Shri Rajesh Shah, MIG, Vaishali Nagar, Bhilai, House Wife.

PW 29

The above mentioned document No.3 was received by us from the concerned company. This company was registered on 17.3.1988 vide certificate of Incorporation No.10-04443 of 1988 under the companies Act,1956 under the seal of Registrar of Companies M.P., Gwalior. The names of the above mentioned both Directors are mentioned on the reverse of last page of this documents No.3.

According to the document No.4, mentioned as above, there were four undermentioned partners of M/s. Oswal Steel Trunk Industries as on 12.6.84 of equal shares. On the request of these partners, the name of this unit was changed under the name and style of M/s. Oswal Steel Industries (A) vide our letter No. DIC/DRG/SSI/84/391 dated 11.1.85. There was no change of Directors. Thus at present these undermentioned persons are the partners of M/s. Oswal Steel Industries since 11.1.85 :-

1. Shri Rattan Chand Jain S/o Late Manaklal Jain aged about 40 yrs., r/o Camp No.2, Bhilai.
2. S/Shri Chandra Kant Shah S/o R.B.Shah, aged about 26 yrs., r/o H-52, Padmanabhpur,Durg.
3. Shri Manish Kumar Shukla S/o Shri Kamlakant Shukla, aged about 19 yrs., r/o Sadar Bazar, Bhatapara, Distt. Raipur (MP).
4. Smt. Prafulla Shah W/o Shri Rajesh P.Shah, aged about 26 yrs., r/o MIG-71, Vaishalinagar,Bhilai.

According to the document No.5, mentioned as above, Shri Chandra Kant Shah S/o Shri R.B.Shah, 19/5, Motilal Nehru Nagar, Bhilai, had applied for land allotment for establishing a scrap processing industry in the Industrial Area, Bhilai. On his request, he was allotted land in the light Industrial Area for establishing the

PW 29

industry under the name and style of M/s. Ioha Walla Processor on 25.4.88. The proprietor of this unit is mentioned as under :-

Shri Chandra Kant Shah S/o Shri R.B. Shah,
19/5, Motilal Nehru Nagar, Bhilai (MP).

RO&AC.

Before me,

Sd/-
(J.C. PRABHAKAR) 16.12.91.
Inspr./CBI/SIC.II/New Delhi.
Camp : Bhilai.

TC

RC.9(S)/91-SIU.V/CBI/SIC.II

PW-30 Dated : 2.12.91 at Bhilai.

Statement of Shri S.Vishwanathan(aged 50 yrs) S/o Late Shri T.R.Subramaniam r/o EWS, 65, Vaishali Nagar, Bhilai (MP).

****

PW25
24.3.95

I am as above. I did my pre-science in the year 1968 from Kerala University. I worked as a Steno-Typist in Central Mechanical Engineering Research Institute, Durgapur from 1968-70. I resigned from there in 1970 and worked for 8 years in a private concern namely Hindustan Malleables Limited, Dhanbad as a Stenographer. In the year 1978, I joined Simplex Castings, Bhilai. I worked there upto 1983. Thereafter I joined Bhilai Engineering Corporation Ltd. Bhilai as a Junior Executive and worked there till April, 1991. I again joined Simplex Castings in April,1991. I am working as PA to Shri Navin Shah who is one of the Directors of Simplex Castings Ltd., 5, Industrial Area, Bhilai (M.P.).

Simplex Castings Ltd. is a private limited company whose Chairman is Shri H.B.Shah whereas Mool Chand Shah, Arvind Shah and Navin Shah are the Directors of the company. Shri Navin Shah usually sits in the premises of Simplex Castings Ltd. for supervising the work of the company. Shri Navin Shah is popularly called Vice-Chairman of the company. Besides Simplex Castings Ltd.,

Ex P | 117

there are other concerns namely, Simplex Engineering and Foundary Works, Bhilai, Simplex Udyog, Bhilai, Simplex Castings Ltd. (Special Casting Divisdon) Urla, Raipur and Sangam Forging Tedesara(which form the Simplex Group of Industries).

The raw materials used in Simplex Castings, Bhilai are pig iron, scrap and hard coke.

Simplex Castings are engaged in the manufacture of Door Body, Door Frame, Ingot Mould, Flash Plate, Cement Plant Castings, Railway Castings, Fertiliser Plant Castings.

Simplex Castings used to get the work of scrap cutting.etc. done from Oswal Industries Pvt. Ltd. belonging to Chandrakant Shah who is one of the brothers of S/Shri Mool Chand Shah and Navin Shah.

RO&AC

Exp| 117

Before me.

Sd/- 2.12.91
(B.N.P.AZAD)
DSP CBI SIC.II

TC
[signature]

PW-31

बयान : अन्नाव राव पुत्र अरविन्द फुलनले उम्र 53 वर्ष, सीनियर टेक्नीशियन भिलाई स्पात संयत्र, निवासी क्वार्टर नम्बर एल.डी. 6जी, कैम्प-1, भिलाई ।

मैं क्वाटर नम्बर एल.डी.6जी में कई वर्षों से रह रहा हूँ । मैं ज्ञान प्रकाश मिश्रा को अच्छी तरह से जानता हूँ । अभय सिंह मेरे मकान के पास ही रहते हैं इससे उन्हें भी अच्छी तरह से पहिचानता हूँ । अभय सिंह पिछले 4 वर्षों से मेरे मकान के सामने क्वाटर में रहता था । अभय सिंह के क्वाटर पर ज्ञान प्रकाश अक्सर दिखते थे तथा साथ साथ रहते थे । मेरे क्वाटर के बाजू में दो तीन माह से एक आदमी रहता था जिसका नाम रवि उर्फ पल्टन कहते थे । वह कहीं काम नहीं करता था । लाल रंग की सुजुकी मोटर साईकिल पर चलता था । मोटर साईकिल उसके घर के सामने अक्सर खड़ी रहती थी । रवि उर्फ पल्टनने जिस क्वाटर में वह रहता था उस पर जबरन कब्जा किया था । वह मकान में कब आता था कब जाता था कोई निश्चित समय नहीं रहता था ।

Red colour Motorcycle

नियोगी हत्याकांड के बाद से ही रवि उर्फ पल्टन तथा अभय सिंह अपने घरों से गायब हैं व फरार हैं ।

यही मेरा बयान है पढ़ा सही पाया ।

रा.प्र. सिटौरिया
पुलिस उप अधीक्षक
21-11-91

TC

PW-31

पी डब्लयू 31।

ब्यान अजाक्राय अर्जुन जी० फूल अले पिता अर्जुन जी फूल अले उम्र 53 वर्ष डीफिन्ट ना० ब्लाक नं० 6, क्वा० जी० कैम्प । थाना कल्यानी ।

....

मैं उपरोक्त पते पर सन 1975 से इस क्वा० में रह रहा हूं । डीएसपी में जनरल मेंटनेन्स विभाग में नौकरी करता हूं अरसा 2-3 माह पहले की बात है मैंने सुना था कि ब्लाक नं० 6 क्वा० एम० किसी सिक्युरिटी गार्ड वाले को एलाट हुआ था किंतु सिक्युरिटी गार्ड वाला नहीं आया और उस उस क्वा० में पलटन नाम का आदमी आ कर रहने लगा था पलटन कभी - 2 आता था कभी रात में आता था कभी दिन में आता था कभी लाल रंग की हीरो होण्डा में आता था तो कभी लूना कभी सायकिल से भी आना जाना करता था । जब पलटन रहता था तो ज्ञान प्रकाश उसके क्वा० में आना जाना करता था । अभयसिंह भी पलटन के यहां उठना बैठना करता था । अभयसिंह ब्लाक नं० 8/क्वा० नं० जी में अरसा एक डेढ़ वर्ष से रहता था । यह लोग क्वा० में अंदर क्या-2 बात करते थे मुझे नहीं मालूम है।

ह०/- 28.10.91
Mishra SI.

सत्यप्रतिलिपि

P.W.-32

ब्यान : दीप नारायन पुत्र राधौ पाण्डे प्रिन्सिपल आआ राघव दास उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सेक्टर नं॰11, जोन 2, रोड नम्बर 18, कैम्प । भिलाई ।

....

मेरा मकान प्रभुनाथ मिश्रा के सामने है । इस मकान में मुझे रहते हुये 20 वर्ष हो गए हैं । मैं प्रभुनाथ मिश्रा तथा ज्ञान प्रकाश मिश्रा को पिछले 20 वर्षों से जानता हूँ । प्रभुनाथ मिश्रा जन सेवक हैं तथा ज्ञान प्रकाश मिश्रा अभी पढ़ रहे हैं । मैं गोरखपुर उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ । अभय सिंह को भी भली भाँति जानता हूँ । अभयसिंह गाजीपुर का निवासी है ज्ञान प्रकाश मिश्रा तथा अभय सिंह साथ ही साथ अक्सर रहते थे । अक्सर ज्ञान प्रकाश मिश्रा के घर बहुत से व्यक्ति आते थे तथा मिलते जुलते थे । अभी 2 यह हमारे घर के सामने एक तखत लकड़ी का पड़ा है उस पर बैठते थे । ज्ञान प्रकाश के पास अक्सर अभयसिंह चन्द्रप्रकाश सिंह, बल्देव सिंह, अवधेश सिंह, रवि मल्लाह तथा दोनो पंजाबी आते थे । उनकी क्या2 बातें होती थी यह मुझे नहीं मालूम ।

नियोगी हत्याकाण्ड के बाद से अभय सिंह, रवि उर्फ पल्टन अपने 2 घरों से फरार हैं और अपने घर अभी तक नहीं लौटे हैं ।

यही मेरा ब्यान है पढ़ा सही पाया ।

रा॰प्र॰लिटौरिया
पु॰उप॰अधी॰
21॰11॰91॰

TC
[signature]

PW-33

ब्यान : अहमद अली पुत्र रासिद अली मुसलमान, मकान नम्बर 6 डी· कैम्प । भिलाई ।

....

मैं भिलाई स्टील प्लान्ट में गैस कटर की नौकरी करता हूँ। मुझे प्लान्ट में नौकरी करते हुये 27 वर्ष हो चुके हैं। मेरी ड्यूटी भिलाई स्टील प्लान्ट में तीनों पाली रहती है। अभय सिंह मेरे मकान के सामने पिछले 4 वर्षों से रह रहा है। मैं ज्ञान प्रकाश मिश्रा को अच्छी तरह से जानता हूँ। वेह भी कैम्प । में रहते हैं। अभय सिंह के घर ज्ञान प्रकाश मिश्रा अक्सर आते थे। व साथ 2 रहते थे। मेरे मकान के बगल में पुन्नाराम घसले रहते हैं। उनके मकान के बगल के क्वाटर में एक आदमी रहता था जो रवि उर्फ पल्टन कहते थे। नियोगी हत्याकाण्ड के बाद पता चला कि रवि उर्फ पल्टन तथा अभय सिंह अपने घरों से गायब हैं तथा फरार हैं। उनके घरों पर ताले लगे हैं। रवि उर्फ पल्टन को भिलाई इस्पात संयत्र के क्वाटर अलाट नहीं किया था वह उस क्वाटर में जबरन रह रहा था।

जो मेरा ब्यान है पढा सही पाया।

रा·प्र·लिटोरिया
पु·उप·अधी·
21·11·91·

TC

PW-34

ब्यान : नायडू मारन पुत्र वी·टी·राजू क्वाटर नं· एसोबी-5, कैम्प 1, भिलाई ।

.....

मैं तथा मेरे भाई राजेन्द्र कैम्प 1 में रहते हैं । मेरे पिता कपड़ों की सिलाई का काम करते थे । मेरी दुकान प्रभुनाथ मिश्रा के मकान के सामने थी । जब प्रभुनाथ मिश्रा ने अपनी पक्की दुकानें बना ली तो 3·11·91 से 500=00 माहवार से प्रभुनाथ मिश्रा की दुकान में अपनी सिलाई की दुकान "पैराडाईज टेलर्स" के नाम से खोल ली । मैं प्रभुनाथ मिश्रा के भाई ज्ञान प्रकाश मिश्रा को भलीभांति से जानता हूँ । ज्ञान प्रकाश मिश्रा तथा अभय सिंह में अच्छी दोस्ती थी तथा वे अक्सर साथ साथ रहते थे । ज्ञान प्रकाश मिश्रा के पास टोनी, भसीन चन्द्रबक्स सिंह, बल्देव सिंह तथा अवधेश अक्सर आते जाते थे तथा अक्सर द्वीप नारायन पाण्डे की चौकी पर बैठते थे । उनमें क्या2 बातें होती थी हमें जानकारी नहीं है । ज्ञान प्रकाश के साथ एक रवि नाम का लड़का लाल सुजुकी मोटर सायकल पर रहता था तथा ज्ञान प्रकाश के पास आता जाता था । रवि उर्फ पल्टन की फोटो देखने के बाद पहिचानकर बताया ।

Red Colour Motorcy

नियोगी हत्या काण्ड के बाद अभय सिंह तथा रवि दिखाई नहीं दिये हैं घरों से फरार हैं ।

यही मेरा ब्यान है पढ़ा सही पाया ।

TC

रा·प्र·सिसोदिया
पु·उप अधी·
21·11·91

PW-35

ब्यान : श्री राजेन्द्र पुत्र वी·टी·राजू मालिक पैराडाईज टेलरिंग शाप क्वाटर नं· एसोजी-5, केम्प नं· 1, भिलाई ।

.....

मेरी टेलरिंग की दुकान पिछले 20-25 वर्षों से है दुकान प्रभुनाथ मिश्रा के मकान के सामने थी। मेरे पिता के मरने के बाद अब हम दोनों भाई टेलरिंग का काम करते हैं । दिवाली के तीन दिन पूर्व प्रभुनाथ मिश्रा की दुकान 500=00 माहवार किराये पर लेकर स्वयं की टेलरिंग की दुकान शुरू कर दी है । मैं मैं प्रभुनाथ मिश्रा तथा ज्ञान प्रकाश मिश्रा को वर्षों से जानते हैं । ज्ञान प्रकाश मिश्रा के साथ अभय सिंह तथा अवधेश को देखते थे । तीनों में अच्छी दोस्ती थी । तीनों अक्सर साथ2 रहते थे । दोनो भगोन, चन्द्रवक्स सिंह, तथा बल्देव सिंह से भी ज्ञान प्रकाश मिश्रा की दोस्ती थी । रवि उर्फ पल्टन की फोटो देखकर पहिचाना व कहा कि वह लाल रंग की मोटर साईकिल पर घूमता रहता था तथा ज्ञान प्रकाश से अक्सर मिलता था । यह सभी अक्सर दीप नारायन की चौकी पर बैठते थे । ‖Red Colour Motorcycle

अभय सिंह तथा लाल बुलेट वाला रवि उर्फ पल्टन नियोगी हत्या काण्ड के बाद दिखाई नहीं दिये अपने घरों से फरार हैं ।

यही मेरा बयान है पढा सही पाया ।

रा·प्र·सिटौरिया
पु·उप अधी·
21·11·91·

TC
[signature]

PW-36

PW-36

RC.9(S)/91-SIU.V/CBI   Dated : 2nd January, 1992.

Statement of Sh. P.B.Nair, Supervisor Town Engg.Deptt.(Civil) Camp No.1, near Hr.Sec.School, Bhilai r/o Qr.No.16-A, Street No.22, Sector 2, Bhilai age 42 yrs., Telephone No. 4332 recorded u/s 161 Cr.P.C.

******

I am posted in the TED (Civil) Deptt. Camp No.1, Bhilai as Supervisor/Section Officer since 1986. Today, as required I have submitted the certified photocopy of the following documents :-

1. Occupation Report No.03372 dt. 6.4.73, signed by Shri Chaukse, Section Officer vide which Qr.No.154, Camp No.1, Tata Line was occupied by Sh. Ram Ashish Rai, Rigger BSP. As per the entry mentioned in the Occupation Report, the above said quarter was allotted to Sh. Ram Ashish Rai vide Order No.Estt/Camp I/73/307 dt. 3rd Feb.1973.

2. Vacation Report No.07074 dt. 15.2.89 vide which Sh. Ram Ashish Rai vacated the above said quarter.

As per the above record, Qr.No.154, Camp No.1, Bhilai remained in the possession of Sh. Ram Ashish Rai, Rigger BSP w.e.f. 6.4.73 to 15.2.89. I have kept the original record relating to this quarter with me and I will produce it in the court as and when required.

RO&AC.   Before me.

Sd/-
(HOSHIYAR SINGH) 2.1.92
Inspr./CBI/SIC.II/New Delhi.
Camp : Bhilai.

T.C.

STATEMENT

PW-36

Case No. RC.2(S)/91-SIU.V/SIC.II Dated : November 20, 1991.

SHRI P.B.NAIR S/O LATE P.K.P.NAIR P.NO.134646, SUPERVISOR, T.E.D.(CIVIL), BHILAI STEEL PLANT, DURG.

PW19 1.3.95

I am working as above since 1986. The Estate Deptt. does the allotment of the quarter to the employees of Bhilai Steel Plant as per the eligibility. Once the allotment order is issued by the Estate Office, I give the possession of the quarter to the allottee. Today I have been shown the Allotment Order No.010544 dated 21.4.88 and Allotment Order No. Estt/5(H)/90/200 dated 22.12.90. The first allotment Order was issued by Raj Kumar Hansda, Estate Manager and the second order was issued by Shri K.G.Achary. Vide Allotment order No.010544 dt. 21.4.88, the quarter No.7-G, situated in Labour Camp-I was allotted to Shri Lathlu Ram, Helper, P.No.138818, working in Blast Furnace (Blast Repair Shop), BSP. Vide Allotment order No.Estt/5(H)/90/200 dated 22.12.90, the quarter No.6-F situated in Labour Camp-I was allotted to Central Industrial Security Force. Today I have been also shown, the Occupation Report No.00612 dt. 28.1.91 and Occupation Report No.00104 dt. 26.4.88. Vide the former occupation report the quarter No.6-F was handed over to Narain Rao, Quarter Master of C.I.S.F. by me. Vide latter occupation report, the quarter No.7-G was handed over to Shri Lathlu Ram by Shri Ramroop Ram, Section Officer of Enquiry Office, Labour Camp-I. After taking the possession of the quarter, Shri Narain Rao, Quarter Master and Lathlu Ram have signed on the occupation reports No.00612 and 00104 respectively.

Read over & admitted to be correct.

Sd/-
(R.K. SHUKLA)
INSPECTOR OF POLICE
CBI : JABALPUR (MP)
CAMP : BHILAI.

5

(S)/91-SIU.V PW-37 PW.37 Dated : 4.12.1991

Statement of Shri Jacob Kunian S/o Shri M.K.Kunian, aged about 27 years, Asstt. Manager(Personnel) Blast Furnace, Bhilai Steel Plant, Bhilai, Distt. Durg (MP) r/o H.No.3-A/13/10-Sector, Bhilai, Distt. Durg (MP)

******

I joined service in Bhilai Steel Plant, Bhilai on 27.10.1986 as a Management Trainee and since May,1990, I am working as above i.e. Asstt.Manager(Personnel) Blast Furnace, B.S.P. Bhilai (MP).

Today, I have handed over one leave Book of Shri Abhay Kumar Singh bearing personnel No.148218 and token No.22906, N-3 Operator, Blast Furnaces, B.S.P., Bhilai vide a Receipt memo to you. This book contains the leave record of Shri Abhay Kumar Singh from the date of joining service in B.S.P. According to the leave record, Shri Abhay Kumar Singh has not availed any leave during the month of Sept.90 and Oct.1990. Shri Abhay Kumar Singh had intimated his chargeman, Shri S.C.Sarkar, now Junior Executive, Blast Furnaces for proceeding on leave(verbally) w.e.f. 10.11.90 to attend an urgent piece of work. Shri Abhay Kumar Singh thereafter had joined duty on 22.11.90 and had submitted a medical certificate of Dr. M.B.Male, M.S.D.L.O., ENT Surgeon, Distt.Hospital, Gasipur (UP) for 10 days w.e.f. 12.10.90. He was not having E.L. due in his account therefore, he was recommended 2 days H.P.L.(Half Pay Leave) from 10.11.90 & 11.11.90, 9 days commutted leave(on the basis of Medical Certificate) from 12.11.90 to 20.11.90 and 1 day L.W.P. (Leave without Pay) for 21.11.90 by his the then chargeman Shri S.C.Sarkar on 22.11.90 and the leave for this period on the recommendation of Shri S.C.Sarkar was sanctioned by Shri R.C.Sharma, Manager Blast Furnaces, BSP, Bhilai.

Thereafter, he availed leaves dated 10.1.91, 21.1.91, 23.1.91 & 25.1.91 on the grounds mentioned against each. He had

applied for 4 days E.L. from 28.1.91 to 31.1.91 on 25.1.91, which was sanctioned by Shri G.N.Singh, Sr.Manager, Blast Furnaces, BSP. The grounds for grant of this E.L. are not mentioned against this leave. He had not joined his duty after the expiry of this 4 days E.L. on 1.2.91 but had joined his duty only on 9.2.91 (By mistake in the leave Book the date is mentioned as 9.1.91 instead 9.2.91). On 9.2.91, he had submitted a medical certificate of Dr. M.B.Mall, M.S.,D.L.O., E.N.T. Surgeon, Distt.Hospital, Ghazipur (UP) for 8 days w.e.f. 30.1.91. On the basis of this medical certificate on medical grounds, the commutted leave for 8 days from 1.2.91 to 8.2.91 was sanctioned to him by Shri G.N.Singh, Sr.Manager, Blast Furances, BSP, Bhilai on 9.2.91. After this, he has availed leaves on 13.2.91, 14.2.91, 5.3.91 to 9.3.91, 10.3.91 to 22.3.91, 17.4.91, 14.5.91, 19.5.91, 26.5.91, 16.6.91 to 22.6.91, 12.7.91, 13.7.91, 7.8.91, 19.8.91, 21.8.91 and on 11.9.91 for the grounds mentioned against the entries and we do not maintain any application/record separately for the leaves granted on the grounds mentioned there. The above mentioned both medical certificates have also been handed over to you today vide above mentioned receipt memo.

He proceeded on weekly off from 4.10.91 and thereafter he has not joined his duty so far. He is being treated as absentee w.e.f 5.10.91 and for that charge-sheet No. C.S./BF/Pers/91/153 dt. 19.11.91 has been issued to him by Shri A.S. Khokhare, Chief Supdt.(Operation), Blast Furnaces, B.S.P., Bhilai (MP).

One copy of the receipt memo mentioned above for handing over the 3 documents mentioned therein has been received by me.

RO&AC.

Before me,

Sd/-
(J.C. PRABHAKAR) 4.12.91
Inspr/CBI/SIC.II/New Delhi,
Camp : Bhilai (MP)

T.C.

Statement

RC.2(S)/91-CBI/SIC.II-Delhi Date 20/11/91

श्री ललू राम आत्मज श्री दउवा राम उम्र 40 साल, Operator, Blast Furnace, Tap hole Masab, Bhilai Steel Plant Durg
Permanent Add : - Camp-I, Shastri Chowk, Bhilai, Durg.

PW-38

--CC--

मै सन् 1979 से भिलाई स्टील प्लांट में आपरेटर का काम कर रहा हूं, अभी करीब 5 साल से मै ब्लास्ट फरनेस (Production) विभाग में तैनात हूं। मेरे ही साथ श्री अभय सिंह जो भी ऑपरेटर है काम करते है, इन्हे, मै अच्छी तरह से पहचानता हूं सन् 88 में मुझे एक क्वार्टर नं. 7-जी लेबर कैम्प । में Estate office से मिला था । ता. 27/4/88 को यह मकान मुझे मेरे अधिकार में दिया गया था, इस क्वार्टर के अपने अधीन लेने के बाद मैंने Occupation Report में अपने हस्ताक्षर किया मुझे आज, Occupation Report No.00104 dt/26/4/88 दिखाया गया देखने के बाद मैं अपने हस्ताक्षर इसके ऊपर पहचानता हूं क्वार्टर मिलने के बाद श्री अभय सिंह जो कि मेरे साथ ही काम करते हैं, ने मुझे कहा कि मै क्वार्टर मैं उन्हे दे दूं और वो मुझे 100 महीना जो कि मेरे वेतन से कटेगा वो मुझे दे देंगे। मकान लेने को, कारण उन्होने ने बताया कि वो अपना परिवार उसमें रखना चाहते है मेरे पास कच्चा एक झोपडी जैसा मकान भिलाई में ही है जिसमें मै और मेरा परिवार, रहता हूं । इसलिये मै उनको मकान देने के लिये राजी हो गया, और मई 1988 मे मैंने श्री अभय सिंह को 100/- महीना पर ये मकान नं. 7-जी. जो कि प्लांट से मिला था दे दिया, मकान श्री अभय सिंह को देने के बाद उस मकान में वे खुद रहते थे, या किसी अन्य को उस मकान में रखते थे ये मुझे नहीं मालूम है, क्योंकि हर महीना श्री अभय सिंह मुझे 100/- रु. मुझे फैक्ट्री में ही दे दिया करते थे । मकान 7-जी से मेरी झोपडी करीब 3 किलोमीटर दूर है इसी कारण मुझे इस मकान में

T.C.M.

जिसको अभयसिंह को किराये पर दिया था जाने की फुर्सत नहीं मिलती थी अभयसिंह मुझे हर महीना नगदी दे दिया करते थे, ।

R.O.A.C.

PW-38

Sd/- 20.11.91
(R.K.SHUKLA)
Inspr./CBI/SPE/Jabalpur
Camp-Bhilai

//सत्यप्रतिलिपि //

STATEMENT PW-39.

RC.9(S)/91-SIU.V/CBI/SIC.II Dated : 20.11.91

PW.24
24395

Shri H.P.Mishra S/o Shri Ram Sunder,
Sub-Inspector(Min) to Commandant,
CISF, Bhilai Steel Plant, Durg.

I am working as above since 1989. On perusal of termination file of Shri R.Shri Ram Reddy, No.90231037/5 Kahar(Saes), I am to say that Shri Reddy was appointed as Kahar on dt. 5.9.90. During the probation period of two years, he absented himself from duty unauthorisedly during the period 12.3.91 to 16.4.91, 1.5.91 to 14.5.91 and 22.5.91 to 8.9.91. When his service was terminated by the Commandant vide Order No.E-33014/40/Estt.III/91-02 dated 17.9.91(Unit Service Order Part I No.91/91) issued by Shri V.S.Choubey, Commandant, CISF Unit, Bhilai).

RO&AC.

Before me,

Sd/-
(R.K. SHUKLA)
INSPECTOR OF POLICE
CBI : JABALPUR.
CAMP: BHILAI.

D.N. Sahu examined in place of HP Misra as he is transferred

PW. 40 बयान पी.डब्लू 40

सि[illegible] आत्मज जगदेव यादव उम्र 48 साल साकिन क्वार्टर 7ई कैम्प 1 अट्ठारह नम्बर भिलाई,

--CC--

मैं भिलाई कैम्प 1 में रहता हूँ मैं बी.एस.पी. में काम करता हूँ मेरे 2 लड़के हैं जीवन सिंह बड़ा लड़का है मेरे घर के सामने एक लड़का 2-3 महीने से रह रहा था जो फोटो आज सामने मुझे दिखाया यह फोटो वाला लड़का ही मेरे घर के सामने रहता था आसपास बताने पर ज्ञात हुआ कि उसका नाम पल्टन है जिस घर में यह पल्टन रहता था उसमें पहले अकील नाम का आदमी उसमें रहता था अकील अब श्मशान के पास झोपड़े में रहता है कपड़े ठेला में बेचता है अकील के बाद बी.एस.पी. की तरफ से उसमें ताला लगा दिया गया था करीब 2-3 महीने पहले अभय सिंह ने उस मकान का ताला तुड़वाकर उस लड़के को रखा था जिसका नाम पल्टन पता चला पल्टन के पास लाल रंग की मोटर सायकल थी (Red colour) पल्टन के घर अभय सिंह का आना जाना, रहता था मैंने कई बार देखा हूँ कि पल्टन भी अभय सिंह के आता जाता रहता था शंकर गुहा नियोगी की हत्या के बाद से पल्टन फरार है अभय सिंह बी.एस.पी. में काम करता है इसी कारण मेरी उससे जान पहचान है । अभय सिंह भी नियोगी जी की हत्या के बाद से फरार है ।

हस्ता/सही . M.C. [illegible]

दिनांक 26/10/91

डी.एस.पी.

[illegible]

बयान श्री मिट्ठू लाल पुत्र श्री जादेव यादव, उम्र 48 साल, निवासी क्वार्टर नं. 7 ई, केम्प -1 रोड नम्बर 18 भिलाई, ।

PW-40

—CC—

मै गाव लोलाह डाकखाना रानीगंज थाना रानीगंज जिला प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं । 1962 से बी.एस.पी. में काम कर रहा हूं पिछले 23/24 साल से मै एस.जी. प्लांट में कार्यरत हूं और इस समय क्रेन आपरेटर हूं मै अपने परिवार के साथ केम्प । में रहता हूं जो घर मुझे बी.एस.पी. से मिला हुआ है श्री अभय सिंह जो कि बी.एस.पी. में काम करते है भी मेरे पडोस में ही क्वार्टर नं. 7 जी में रहते है । मै अभय सिं. को पिछले 4-5 साल से जानता हू । मै ज्ञान प्रकाश मिश्रा को भी जानता हूं । जो कि केम्प -1 में ही रहते है ज्ञान प्रकाश मिश्रा अक्सर अभयसिंह के घर आता रहता था ज्ञान प्रकाश मिश्रा के अलावा भी बहुत सारे लड़के अभय सिंह के घर आते रहते थे जिनको मै नहीं जानता हूं क्योंकि अभय सिंह घर में अकेले ही रहते थे इसलिये उनके पास कई लड़के आते रहते थे या वे खुद ही घर से बाहर रहते है 3-4 महीने पहले अभय सिंह और ज्ञान प्रकाश मिश्रा ने हमारे घर के सामने वाले मकान अर्थात 6 एफ का ताला तोडा था और एक लड़के को को वहां पर रखा था ये मकान सी.आई.एस.एफ. को मिला हुआ था परन्तु इन लोगो ने ताला तोडकर उस लडके को रखा हुआ था अब मुझे पता चला है कि उस लड़के का नाम रवि उर्फ पलटन है । रवि उर्फ पलटन के पास एक लाल रंग की मोटर साईकिल थी अक्सर तैयार होकर प्रातः वो मोटर साईकिल पर बाहर चला जाता था, अभयसिंह पलटन के घर आता जाता रहता था और मैने पलटन को भी कई बार अभयसिंह के घर जाते हुये देखा था । शंकर गुहा नियोगी की हत्या के बाद उक्त पलटन अपने घर मे नहीं आया अभयसिंह भी नियोगी जी की हत्या के कुछ दिनो के बाद घर से चला गया था और वापिस नहीं आया ।

Red colour Motor Cycle

TC

हस्ताक्षरी,

बी.एस.कंवर, डी.एस.पी

20/12/91

भिलाई,

PW11
19.12.94

PW-41. PW11
19.12.94
21.12.94 PW-41

Statement of Shri Manubhai Boda S/o Shri Velji Boda, age 34 years, r/o Plot No. 51-A, Baba Deep Singh Nagar (Vaishali Nagar), Bhilai-23, Permanent Add : Village Gondhali, Taluka, Mandvi Kutch, Gujrat working at Simplex Castings, Bhilai, Phone-5589, 6125 (O).

Ex P/63
21.12.94

******

I am as above and am working in the capacity of Junior Executive Purchase with Simplex Castings, 5, Industrial Estate, Bhilai-26. My duties include to procure the raw materials, consumable and other required items for production as per the targets fixed by the production department.

Whenever we receive indents from the indentors, we are floating enquiry to the reputed manufacturer or dealers (any for cement). After receipt of quotations, we are preparing comparative statements and forwarding to the indentor for the technical recognition. Indentor is giving approval as per the past performance of the supplier or [illegible] of a new suppliers. After vetting from indentor we forward the comparative statements to the finance deptt. for their approval. After clearance from finance-Purchase deptt. places the order as per recommendations of production (indentor) and finance.

After delivery of goods, the stores deptt. make the SRV Stores Receipt Vouchers on actual receipt. Stores deptt. contact the indentor/quality control for their information and approval. Thereafter the SRV is forwarded to the Purchase Deptt. for the concurrence with the Finance.

[signature] Hohile

PW-41

I am working in Simplex Castings for the past 11 years, started as Stores Clerk and presently as Junior Executive Purchase. I have known Shri Navin Shah for the past 11 years and report to him only through the Chief Executive Finance. I have been to his house only with the other workers on festivals of the Jains.

I know Chandrakant Shah and Gyan Prakash Mishra. "Gyan Prakash had come to me after being recommended by Navin Shah for award of contract for supply of sand." I enquired from him about his experience and terms etc. However the thing did not materialise because he did not turn up. This was around the end of July'91 or early August'91. Besides this Gyan Prakash used to come to me with the supplies of Oswal Iron & Steel Industry of Chandrakant Shah. The volume of business with Oswal Iron & Steel Industry is as usual as before and all in house scrap breaking work still goes to Oswal Iron & Steel Industry.

RO&AC.

Before me,

Sd/-
(K. BHATTACHARYA) 17.12.91
Sub-Inspector: CBI.

T.C.

PW-45   बयान   पी.डब्ल्यू 42

जसवंत कुमार आत्मज मिट्ठूलाल यादव उम्र 20 साल साकिन केम्प ।
अट्ठारह नंबर ब्लाक -7 ई भिलाई,

--OO--

मैं भिलाई केम्प एक में रहता हूं पालिटेक्निक कालेज दुर्ग में सेकन्ड इयर का छात्र हूं मेरा मकान केम्प । अट्ठारह नंबर में ब्लाक 7 ई में रहता हूं मेरे पिता जी भिलाई स्टील प्लांट में काम करते है । मेरे घर के सामने के पक्के मकान [illegible] में एक लडका रवि नाम का रहता था जिसकी फोटो आपने मुझे दिखाया, यही फोटो रवि की है वह अधिकतर रात को ही घर पर आता, [illegible] दिन को ज्यादातर घर के बाहर ही रहता था यह करीब 3-4 महिने से अपने घर में रह रहा था यह मकान जहाँ रवि रहता था, अभयसिंह ने उसे यह मकान दिलवाया था, । 2-3 दिन की आड में उसके घर रात को ज्ञान प्रकाश मिश्रा, मुकेश अभयसिंह, आते रहते थे ये सब रात को रवि के घर मस्ती करते रहते थे अक्सर खाना पीना भी वहीं होता था । रवि के पास टी.व्ही.एस. सुजुकी मोटर सायकल थी यह लाल रंग की थी रवि, शंकरगुहा नियोगी की हत्या होने के बाद से फरार है रवि दिन में क्या करता था मुझे नहीं मालूम । रवि के आस पडोस के लोग रवि को जानते है ।

Ridcoli

हस्ता/सही. MC Agrawal
दिनांक 26/10/91
डी.एस.पी.

Pw - 43

बयान

कृष्ण कुमार पुत्र ~~श्री~~ श्रीराम 30 साल ड्राइवर आपरेशन गैरेज बीएसपी, सा० कैम्प -1, 18 नंबर क्वा० 7 सी, भिलाई।

......

मैं भिलाई स्टील प्लांट में ड्राइवर के पद पर कार्यरत हूँ। करीबन 3-4 महिने पहले से क्वा० नं० 6 एफ में एक लड़का को अभय सिंह ने बीएसपी के क्वार्टर में रखवाया था उसके पास लाल रंग की मोटर सायकल थी। वह रात में आता जाता रहता था दिन को लगभग बाहर ही घूमता रहता था। आपने जो फोटो बतलाया वह वही लड़का है जो 6 एफ में रहता था। नियोगी की हत्या के बाद से वह नहीं दिखाई दे रहा है। इसके यहाँ अभय सिंह का आना जाना लगा रहता था। अभय सिंग भी बीएसपी में काम करता है। यह भी हत्या के बाद से मुझे नहीं दिख रहा है। आपने जो फोटो बतलाई वह ~~वह~~ आपके बताने पर ज्ञात हुआ कि यह पल्टन की फोटो है। यही मेरा बयान है पढ़कर सुना जैसा बतलाया वैसा ही लिखा है।

Red colour

सही/-
28.10.91
डी०एस०पी०

सत्य प्रतिलिपि

T.C.

ता० 20/12/91

बयान श्री कृष्ण कुमार पुत्र उदयराम, उम्र तकरीबन 37 साल, हेवी-व्हीकल ड्राईवर, प्लान्ट व्हीकल पूल, (आपरेशन गैरेज), बीएसपी, साकिन ब्लाक 1, मकान नं० 7-सी, कैम्प नं०-1, भिलाई।

PW-43

....

बयान करता हूं कि मैं मार्च 1986 से बीएसपी में उक्त पद व स्थान पर कार्यरत हूं। उक्त मकान मुझे बीएसपी की तरफ से मिला हुआ है। अभय सिंह जो कि हमारे बीएसपी में आपरेटर के पद पर कार्य करता था, मेरे घर की लाईन में ही रहता था। इस तरह वो हमारा पड़ोसी था और मैं उसे जानता था। अभय सिंह जो कि यू० पी० का रहने वाला है वैसे शादीशुदा है परन्तु कभी भी अपनी फैमिली नहीं लाया। नियोगी काण्ड से करीब दो महीने पहले मैंने एक लड़के को, जिसका नाम बाद में मालूम पड़ा कि रवी है, अभय सिंह के साथ आते जाते देखा क्योंकि मेरे घर के सामने वाली लाईन में ब्लाक नं० 6-एफ उक्त रवी ने एक कमरे में रहना शुरू किया था। ये मकान अभय सिंह के जरिये ही रवी को मिला था। उक्त रवी अकेला ही रहता था और उसके पास एक लाल रंग का सुजुकी मोटर साईकिल था। रवी के पास अभय सिंह के अलावा कार और मोटर साईकिल पर कुछ लोग आते थे। कार सफेद रंग का मारुति वैन था। उस समय ही हमें मालूम पड़ा कि ज्ञान प्रकाश मिश्रा जिसकी कैम्प-1 में रोड पर ही आटा चक्की है, भी उक्त रवी के घर आता है। ये मैंने भी स्वयं देखा। सफेद मारुति वैन वही ज्ञान प्रकाश मिश्रा ही चलाता था। ज्ञान प्रकाश का नाम मोहल्ले में तकरीबन सबको मालूम था और मोहल्ले वालों के जरिए ही मुझे भी इसका नाम मालूम पड़ा। मैंने भी इसको आटा चक्की पर कईबार देखा है। नियोगी जी के हत्या के बाद मैंने रवी उर्फ [illegible] को फिर कभी उक्त मकान में आते जाते या रहते नहीं देखा और तब से ही वो हमारे मोहल्ले से गायब है। इस हत्या काण्ड के बाद मैंने ज्ञान प्रकाश मिश्रा को भी उक्त मकान में अकेले या किसी के साथ आते जाते नहीं देखा।

सही/-
(शमशेर)
20.12.91
नि०/सीबीआई/एसआईसी-2/दिल्ली
कैम्प भिलाई.

सत्य प्रतिलिपि

20/12/91
भिलाई.

बयान श्री अजित कुमार पुरकायस्थ आत्मज स्वर्गीय जे.के. पुरकायस्थ उम्र करीब 38 वर्ष आर./ओ. ब्लाक 6 क्वार्टर नं. आई. लेबर कालोनी भिलाई (म.प्र.)

PW-44

--00--

मै बी.एस.पी. आयरसेकन्ड्री स्कूल कुम्हार मे शिक्षक हूं. मै उपरोक्त क्वार्टर मे तकरीबन 4/5 सालो से रह रहा हूं अभय सिंह कुछ वर्षो से क्वार्टर नं. 76 मे रह रहा है जून जुलाई 1991 मे क्वार्टर नं. 6 एफ.(एल.सी.) कैम्प 1 भिलाई जो मेरे पडोस मे है मे सरकारी ताला लगा था, अभय सिंह और ज्ञान प्रकाश मिश्रा.ने क्वार्टर नं. 6 एफ (एल.सी.) का ताला तोडकर पलटन को उस क्वार्टर मे रखा, ताला तोडकर पलटन को जून जुलाई 1991 मे ही रखा गया अभय सिंह के क्वार्टर मे तरह तरह के लोग आया जाया करते थे वे तरह तरह की गाडिया मे आया करते थे, रात मे अनेकबार अभय सिंह के क्वार्टर और पलटन के क्वार्टर मे शराब की पार्टिया हुआ करती थी, नियोगी जी की हत्या के 2-3 महीने पहले से अभय सिंह के यहां काफी लोग आया जाया करते थे, और पार्टियो मे भाग लिया करते थे पलटन के पास लाल रंग की मोटर सायकिल थी जिस पर आया जाया करता था, वह किसी से ज्यादा बोलता चालता नही था, अभय सिंह, दादा टाइप का आदमी, ज्ञान प्रकाश मिश्रा के संगत मे आने के बाद हो गया था, नियोगी, जी की हत्या के बाद पलटन उपरोक्त क्वार्टर मे दिखाई नही पडा है, अभय सिंह 3-4 अक्टूबर के बाद दिखाई नही पडा, 1 Read

पढकर सुनाया व तस्दीक किया मेरे समक्ष, 1

//सत्यप्रतिलिपि//

हस्ता/सही,

दिनांक 30/12/91

बी. एन.पी. आजाद
उप. पु. अधीक्षक,
सी.बी.आई.

बयान

श्री अशोक कुमार पुत्र श्री जे0के0पुरोहित जाति बंगाली उम्र 38 वर्ष सा0 ब्लाक 6, क्वा0 नं0 आई. केम्प 1, थाना छावनी जिला दुर्ग।

Pw-44

....

मैं भिलाई इस्पात संयत्र में सिक्यु. के पद पर कार्यरत हायर सेकेंडरी स्कूल, जोन 2, खुर्सीपार में कार्यरत हूं। मैं केम्प के इस क्वार्टर में करीब 4/5 साल से रहता हूं। अभय कुमार सिंह ब्लाक 7, क्वा0 नं0 जी में करीब 4/5 साल से रहता था। अभय कुमार सिंह भिलाई इस्पात संयत्र में खिलाड़ी था। अभय कुमार सिंह का दोस्त ज्ञान प्रकाश मिश्रा था। ज्ञान प्रकाश अभय सिंह के क्वार्टर में आना जाना करता था। ज्ञान प्रकाश के अलावा भी बहुत से लड़के आते थे। एक सफेद रंग का जिप्सी भी आती थी वहां अभयसिंह के यहां सब लोग शराब भी पीते थे। पल्टन करीब 3 माह से यहां क्वा0 नं0 एफ ब्लाक 6 में रहता था। इस क्वार्टर का ताला अभय सिंह तोड़कर पल्टन को इस में रखवाया था। पल्टन के आने के पश्चात् और बहुत से लोगों का आना जाना हो गया था। कभी स्कूटर में तो कभी जिप्सी में लोग बैठ कर आते थे और उनमें हाकी, राड वगैरह रखे रहते थे। अभय कुमार सिंह एवं पल्टन के क्वार्टर में सब का जमघट लगा रहता था। लोग यहां शराब पीकर हुल्लड़ भी करते थे। यहां के सभी लोग परेशान थे किन्तु डर के कारण कुछ बोलने का हिम्मत नहीं करते थे। पल्टन हमेशा अपनी लाल रंग की टीओएस सुजुकी में आना जाना करता था। ज्ञान प्रकाश मिश्रा, पल्टन अभय कुमार सिंह तथा उनके अन्य साथी आपस में बैठकर क्या बातें करते थे यह मुझे नहीं मालूम है। इन लोगों की मीटिंग रात दिन यहां चलता रहता था। जब से अभय कुमार और पल्टन यहां से गये हैं तब से आज तक यहां वापस नहीं आये हैं।

सही/-
26.10.91

सत्य प्रतिलिपि

[signature]

PW 45

बयान

पी०डब्ल्यू 45

संतोष लोधी आत्मज मानसिंह लोधी उम्र 20 वर्ष सा० ग्राम हाथीडोन थाना धमधा जिला दुर्ग हाल :- ब्लाक 6 क्वार्टर एम० कैम्प 1 भिलाई,

--OO--

मैं ग्राम हाथीडोन का रहने वाला हूं मेरे 4 भाई है मैं सबसे बड़ा हूं । मैं आठवीं तक पढ़ा हूं मेरे पिता खेती करते है मेरे पास 10 एकड़ खेत है, मैं अपने घर से भागकर एक साल पहले भिलाई आया हूं पहले मैं [illegible] भिलाई आकर गंगा सायकिल स्टोर्स जामुल लेबर कैम्प में काम किया हूं उसके बाद केडिया डिस्टलरी भिलाई में 6 माह काम किया हूं केडिया मे मुझे 15/16 रुपये रोज मजदूरी मिलती थी केडिया में हड़ताल हुई तो दूसरा काम की तलाश में वहां से छोड़ दिया केडिया से काम छोड़ने के पश्चात अग्रवाल आटा चक्की लेबर कैम्प जामुल में काम किया हूं अग्रवाल मुझे 30 रुपये महीना वेतन देता था इस कारण मजदूरी कम होने से उसके यहां से काम छोड़कर 6/91 को लाला आटा चक्की में आया हूं मुझे यहां 450/- माह वेतन मिलता था पहले मैं जामुल से आना जाना करता था, मुझे वहां से आने जाने में दूर पड़ता था तो ज्ञान प्रकाश मुझे इस क्वार्टर की चाभी दिये और बोले इस क्वार्टर में तू रहा कर, तब से मैं करीबन एक माह से इस क्वार्टर में रहता हूं जब से मैं इस क्वार्टर में रहता हूं तब से पलटन नहीं आया है, इस क्वार्टर का नं. ब्लाक 6/ क्वार्टर नं. एफ. है । पलटन की इस क्वार्टर में एक फोल्ड वाली चारपाई है, एक सायकिल एक बैटरी एली फोम है, ।

हस्ता/सही,
Mishra S.I

//सत्यप्रतिलिपि//

28/10/91

P10 - 4C

दिनांक 1.12.91

बयान श्री विजय कुमार भसीन उर्फ टोनी पुत्र श्री सत्यपाल भसीन निवासी तीन मंदिर दर्शन कैंप नं0 1, जिवराज ट्रांसपोर्ट लाईन, भिलाई। उम्र 30 साल.

....

मैं उपरोक्त पते पर सपरिवार रहता हूं और जयभारत ट्रांसपोर्ट कंपनी जीई रोड भिलाई (टेलीफोन नं0 52181) में मैनेजर की नौकरी करता हूं मैं इस कंपनी में कंपनी के मालिक श्री हरजीत सिंह निवासी रायपुर का पार्टनर भी हूं मैं एक ट्रक नंबर एमपी 24 सी 0425 का मालिक हूं और मेरे पास लोकल इस्तेमाल के लिए अपनी हीरो होंडा मोटर साइकिल नंबर एमआईआर 4413 भी है।

मैं श्री ज्ञानप्रकाश मिश्रा निवासी भिलाई को अरसा करीब 4-5 साल से जानता हूं क्योंकि वह हमारी ट्रांसपोर्ट कंपनी से कुछ दूरी पर रहता है। मैं ज्ञानप्रकाश मिश्रा के दोस्तों अवधेश राय, अभय सिंह को भी अच्छी तरह जानता हूं इसके अलावा मैं श्री विक्रम सिंह ठाकुर, व देवेंद्र पाटनी उर्फ देबू जो दुर्ग के रहने वाले हैं और ज्ञान प्रकाश मिश्रा उर्फ ज्ञानू के दोस्त हैं, को भी अच्छी तरह जानता हूं।

मैं पिछले करीब 6-7 महीने से अभयसिंह के मकान पर जो ज्ञान प्रकाश मिश्रा के घर के पास ही है, उपरोक्त दोस्तों के साथ पार्टी व खानेपीने के प्रोग्रामों में जाता रहा हूं। इसी तरह एक दिन अभयसिंह के घर पर ही मेरी मुलाकात बलदेव सिंह, चंद्रप्रकाश सिंह उर्फ छोटू, महेंद्र प्रताप सिंह उर्फ महेन्द्र से ज्ञानप्रकाश मिश्रा ने करवाई और बतलाया कि ये भी उसके साथी है क्योंकि मेरे ट्रांसपोर्ट के धंधे में अच्छी कमाई है इसलिए मैं अक्सर उपरोक्त खाना पार्टियों के लिए मीट, मुर्गा इत्यादि का इंतजाम करता था व काफी बार खुद भी मीट खरीद कर लाता था मेरे साथ मीट खरीदने के लिए 2-3 बार बलदेव भी गया था खाने पीने के ऐसे ही एक मौके पर ज्ञान प्रकाश मिश्रा उर्फ ज्ञानू ने मेरी मुलाकात रवि नाम के एक लड़के से कराई जिसका असली नाम बाद में मुझे पलटन होना मालूम हुआ।

मैं ज्ञानप्रकाश मिश्रा, अभयसिंह, महेंद्र, बलदेव, चंद्रप्रकाश सिंह, अवधेश राय कई बार शाम के समय मेरे मोटर साइकिल, ज्ञानप्रकाश की काइनेटिक होंडा व अभयसिंह का स्कूटर इत्यादि लेकर दुर्ग में देबू व विक्रमसिंह से मिलने अक्सर जाते थे। जहां पर ये लोग आपस में बातचीत करते थे। माह सितंबर 91 में अभयसिंह के घर पर खाने पीने के प्रोग्राम कई बार हुए जहां पर उपरोक्त सब लोग शरीक होते थे। हम लोग कभी कभी शिवनाथ नदी पर बन्ना ढाबे पर भी खाना खाने जाते थे। नियोगी की हत्या से दो तीन दिन पहले भी मैं ज्ञानप्रकाश, अभयसिंह, छोटू, बलदेव व रवि, देबू व विक्रम के साथ बन्ना ढाबे में रात को खाना खाने गए थे। उस दिन रवि देबू की जिप्सी में से नहीं उतर रहा था जिसे बाद में ज्ञानप्रकाश ने उतारा तो उसने भी खाना खाया।

दिनांक 27.9.91 को शाम को करीब 9/9.30 बजे मैं अपनी मोटर सायकल पर ज्ञानप्रकाश मिश्रा के घर पहुंचा वहां अभयसिंह, देबू पाटनी और उसके तीन चार दोस्त मुझे मिले। मुझसे अभयसिंह ने ज्ञानप्रकाश के बारे में पूछा मैंने उसको बताया कि मुझे ज्ञानप्रकाश मिश्रा के बारे में मालूम नहीं फिर देबू के कहने पर मैं व अभयसिंह मेरी मोटर साइकिल पर बैठकर ज्ञानप्रकाश मिश्रा को ढूंढने व बुलाकर लाने के लिए पावर हाउस मार्केट में गए। वहां हम बसंत टाकीज व इंडियन काफी हाउस में पहुंचे जहां पर उसके मिलने के चांस थे। ज्ञानप्रकाश मिश्रा को वहां ढूंढा लेकिन वह हमें कहीं नहीं मिला। उसके बाद मैं व अभय सिंह श्री के0के0झा पत्रकार के घर पर पहुंचे लेकिन ज्ञानप्रकाश मिश्रा हमे वहां भी नहीं मिला परंतु देबू, छोटू, बलदेव, महेंद्र हमें मिले। अभयसिंह ने उन्हें बताया कि ज्ञानप्रकाश

.... 2 पर

PW 46

11211

कहीं नहीं मिला । उसके बाद मैं अपने दफ्तर ट्रांसपोर्ट नगर में आ गया ।

अगली दिन यानि 28.9.91 को सुबह मैं अपने बिजनेस के काम से रायपुर गया था वहीं मुझे पता लगा कि नियोगी की हत्या हो गई है ।

ज्ञानप्रकाश मिश्रा के कहने पर मैंने भी अवधेश राय, अभयसिंह, बलदेव, छोटू इत्यादि के साथ चंद्रा मौर्या सिनेमा हाल के सायकिल स्टैण्ड का ठेका चलाने के लिए हामी भर दी थी जो ठेका अवधेश के नाम से 30.9.91 को मिला था ।

दि0 4.10.91 को ज्ञानप्रकाश मिश्रा के कहने पर मैंने उसका खाता सिंडिकेट बैंक जीई रोड भिलाई में खुलवाया था जो उसको साइकिल स्टैंड का ठेका चलाने के लिए चाहिए था । ज्ञानप्रकाश मिश्रा के खाता खोलने के फार्म पर मैंने बतौर इन्ट्रोड्यूसर दस्तखत किए थे उसी दिन शाम को करीब 5-5.30 बजे मैं अभयसिंह, ज्ञानप्रकाश मिश्रा अपनी दोपहिया गाड़ियों पर दुर्ग में विक्रम सिंह ठाकुर के मकान होकर पहुंचे और वहां देबू के बारे में पूछा व नाश्ता किया । विक्रम सिंह ठाकुर ने पूछा कि इनदेबू को क्यों पूछ रहे हैं ज्ञान प्रकाश मिश्रा ने कहा कि उसका दुर्ग की कोर्ट से गैर जमानती वारंट निकला हुआ है और पुलिस उसको गिरफ्तार करना चाहती है । ज्ञान प्रकाश मिश्रा ने कहा कि इस वारंट को कैंसिल करवाने के लिए उसे देबू की मदद की जरूरत है वहां 30-35 मिनट बैठने के बाद विक्रम सिंह ठाकुर और ज्ञानप्रकाश मिश्रा देबू के घर उसका पता करने के लिए चले गए व मैं और अभय सिंह देबू के दफ्तर शिवनाथ मिनरल्स पहुंच कर बैठ गए 2 कुछ देर बाद ज्ञान प्रकाश मिश्रा और विक्रम सिंह ठाकुर भी वहां पहुंच गए और हम सब वहीं बैठकर देबू का इंतजार करने लगे । देबू वहां 7/7.30 बजे पहुंचा ज्ञान प्रकाश मिश्रा ने देबू से कुछ बातचीत की व अभयसिंह को कहा कि भिलाई जाकर अपने सामान तैयार कर लो तो मैं अभयसिंह को अपनी मोटर सायकिल पर बैठाकर भिलाई ले आया और उसके घर पर छोड़ दिया । उसके बाद मैं अपने दफ्तर पहुंच गया । बाद में मुझे पता लगा कि ज्ञानप्रकाश मिश्रा व अभयसिंह रात को ही बाहर जाने के लिए चले गए हैं ।

उसके बाद दि0 10.10.91 को जब मैं अपने काम से दुर्ग कोर्ट में गया था तो वहां मुझे ज्ञानप्रकाश मिश्रा व अभयसिंह मिले थे । वहां ज्ञानप्रकाश मिश्रा अपना गैर जमानती वारंट कैंसिल करवाने आया था फिर वहां से मैं विक्रमसिंह ठाकुर के कहने पर देबू के शिवनाथ मिनरल्स आफिस में पहुंचा था जहां पर अभयसिंह, ज्ञानप्रकाश मिश्रा, देबू व विक्रम सिंह ठाकुर पहले से मौजूद थे वहां सबने बातचीत की । वहां ज्ञानप्रकाश मिश्रा व अभयसिंह ने मेरे से पूछा कि भिलाई के क्या हाल है तो मैंने बताया कि मुझे चंद्रा मौर्या साइकिल स्टैण्ड के एक लड़के ने बताया था कि 2-3 दिन पहले अभयसिंह के मकान पर पुलिस ने रेड कीथी ।

बयान सुन लिया ठीक है। मेरे समक्ष

सही/1.12.91

(होशियारसिंह)

इन्स्पेक्टर सीबीआई एसआईसी-2, नई दिल्ली

कैम्प भिलाई

CTC [signature]

पी.डब्ल्यू 46

26/12/91

पृथक बयान श्री हितेन्द्र कुमार भसीन उर्फ सोनी, पुत्र श्री सत्यपाल भसीन निवासी जैन दर्शन मन्दिर के पास कैम्प 1, जी.ई. रोड भिलाई, ।

--00--

पूछने पर आगे बयान करता हूँ मैं ज्ञान प्रकाश से कई सालों से परिचित हूँ इस वर्ष अक्टूबर 1991 में ज्ञान प्रकाश ने व इसके साथी अवधेश राय आदि ने चंद्रा मौर्या सिनेमा के साईकल स्कूटर व कार स्टैण्ड का ठेका लिया था, इस ठेके से प्राप्त कमाई को बैंक जमा करवाने के लिये ज्ञान प्रकाश मिश्रा, ने सिंडीकेट बैंक में खाता खुलवाने की इच्छा जाहिर की और मुझे इन्ट्रोड्यूसर बनने के लिये कहा क्योंकि उक्त बैंक में मेरा भी खाता है, । उक्त बैंक चंद्रा मौर्या सिनेमा केम्पस में मौर्या कम्पलेक्स में ही स्थित है । अतः एक 4/10/91 को मैंने ज्ञान प्रकाश का एस.बी. ए/सी उक्त बैंक में खुलवाया

आज आपने मुझे उक्त बैंक का खाता खोलने का एक फार्म दिखाया है जो उक्त ज्ञान प्रकाश के नाम से है । उक्त फार्म के पीछे मेरे भी हस्ताक्षर है जो मैंने इन्ट्रोड्यूसर की हैसियत से किए थे व अपने खाता नं. 4128 भी लिखा है खाता खोलने वाले ही दिन मैंने अपनी ओर से 501/- रुपया भी ज्ञान प्रकाश के खाता नं. 5405 में जमा करवाये थे आज आपने मुझे उक्त खाता नं. 5405 की एक डिपोजिट स्लिप ता. 4/10/91 दिखाई है जिसके द्वारा मैंने अपने हस्ताक्षर करके 501/- रुपये जमा करवाए है । उक्त स्लिप मैंने वहां मौजूद किसी व्यक्ति से भरवाई थी ।

पढ़कर सुनाया सही पाया

हस्ताक्षर/सही,
(शमशेर)
प्र.निरी. सी.बी.आई./एस
आई.सी. 2 कैम्प भिलाई,

//सत्यप्रतिलिपि//

PW - 47 पी डब्ल्यू 47

बयान श्री [illegible] रायचंद नाग उम्र 34 साल साकिन सर्वेन्ट रूम क्वा० नं० 3ए सड़क नं० 29 सेक्टर 9 भिलाई स्थायी पता ग्राम कुल्लू बहल पो०आ० चाकल सुखा थाना किरीपुरा जिला अंलागीर उड़ीसा

मैं उपरोक्त हूं और भिलाई में पिछले 15-16 साल से रह रहा हूं जब मैं पहली बार यहां आया तो रोजी कमाने के उद्देश्य से आया था, और तिवारी होटल जो कि सेक्टर 9 हास्पिटल सेक्टर में है में काम करता था, वहां पर करीब 4 साल काम करने के बाद मैं एक किराये की रिक्शा चलाता था। अब करीब 7-8 साल से मैं सेक्टर 9 के अस्पताल के परिसर में चाय का ठेला लगाता हूं। पहले किराये का ठेला था और अब करीब 3 साल से अपने चाय के ठेले पर से कमाता खाता हूं। मैं हमेशा रात में ही ठेला लगाता हूं। शाम के 7 बजे से लेकर करीब सुबह 8 बजे तक मैं ठेले से चाय सिगरेट आदि बेचता हूं इस धंधे से हमारी रोज की आय करीब 35-40 रूपये हो जाते हैं और इसमें मैं अपना परिवार चलाता हूं।

27 सितंबर 91 और 28 सितंबर 91 के दरम्यानी रात को भी हमने अपना ठेला सेक्टर 9 के अस्पताल के परिसर में लगाया था मेरे ठेले के बगल में ही एक और ठेला लगता है जिसका मालिक नारायणा है 28 सितंबर 91 के करीब 1.00-1.30 बजे कुछ लोग नारायणा के ठेले पर चाय पीने आये और नारायणा के ठेले पर पहुंच कर चाय बनाने के लिए कहा यह सब लोग आपस में बातचीत कर रहे थे और हंसी मजाक भी कर रहे थे। यह सब लोग नारायणा के ठेले से चाय पी रहे थे नारायणा के लड़के अनिल कुमार उस वक्त ठेला के बाजू में सो रहा था उसका नौकर फुटबाल उनको चाय बनाकर पीलाया था उन लोगों में से एक हट्टा कट्टा लड़का मेरे ठेले पर आया और एक ब्रिस्टल सिगरेट खरीदा वह जब मेरे ठेले पर आया था तो उसके हाथ में चाय का गिलास था उस लड़के के फोटो को हमने देखकर पहचाना है और उसके पीछे अपने दस्तखत किया है।

हमको यह उपरोक्त घटना इसलिए याद है क्योंकि उसी सुबह करीब चार बजे नियोगी जी जो कि भिलाई का एक नेता था को अस्पताल लाया गया था।

आरओएसी

सही/17.12.91

(के० भट्टाचार्य)

उप निरीक्षक सीबीआई/भोपाल.

सत्यप्रतिलिपि

बयान श्री राजकुमार पांडे पु. श्री रामसूरत पांडे, उम्र 26 साल, निवासी क्वार्टर नं0 155, टाटानगर लाईन, कैम्प-2, थाना छावनी, भिलाई.

Pw-48

.....

मैं गांव पकौली, पोस्ट सराय, थाना हाजीपुर, जिला वैशाली, बिहार का मूल निवासी हूं । मेरे पिताजी भिलाई स्टील प्लांट के एक्युपमेंट जोन से जीप ड्रायवर के पद से 6-7 महीने पहले रिटायर हुए हैं । टाटा लाईन का 155 नंबर मकान मेरे पिताजी को भिलाई स्टील प्लांट की तरफ से मिला हुआ था और अब हम इसमें किराए पर रहते हैं । उपरोक्त मकान में हम मेरे बचपन से ही रहते आए हैं । हमारे पड़ोस के क्वार्टर नंबर 154 में श्री रामअशिष राय यादव 4-5 साल पहले तक अपने परिवार के साथ रहते थे उनका एक बेटा अवधेश राय भी है जिसको मैं बचपन से ही जानता हूं । वे अब सेक्टर 4 भिलाई में रहते हैं ।

मैंने मैट्रिक की परीक्षा बी0एस0पी0 के हायर सेकेण्डरी स्कूल कैंप-1 से 1984 में पास की थी । उसी समय ज्ञान प्रकाश मिश्रा जो कैम्प 1 में रहता है, उसी स्कूल में प्राइवेट परीक्षा देने आया था मैं ज्ञान प्रकाश मिश्रा को उसी समय से जानता हूं । अवधेश राय भी उसी स्कूल में पढ़ता था परंतु मेरे से 3 वर्ष पीछे था । पिछले एक साल से मैं बसंत टाकीज के निकट जी0ई0रोड पर होटल चला रहा हूं । इस होटल में ज्ञान प्रकाश मिश्रा अवधेश राय और उनका दोस्त अभय सिंह खाना खाने आते रहते हैं । मैं इन तीनों को पिछले 4-5 साल से इकटठा घूमते देखता आ रहा हूं । अभयसिंह भी कैंप -1 में रहता है । इन लोगों के साथ कभी-कभी टोनी भी खाना खाने आता है । ज्ञानप्रकाश मिश्रा अक्सर अपनी सफेद काइनेटिक होण्डा पर आता है, अवधेश राय के पास लूना मोपेड है तथा अभयसिंह के पास एक स्कूटर है ।

पढ़कर सुनाया।

मेरे समक्ष

सही/-25.12.91

(बी0एस0कंवर)

आरक्षी उपाधीक्षक

सी0बी0आई0/एस0आई0सी0-2

कैम्प भिलाई.

सत्यप्रतिलिपि

[signature]

आरसी 4(एस)/91-एस0आई0यू0-5/एस0आई0सी0-2

बयान श्रीमती रेशमा पत्नी स्वर्गीय कांतिलाल मराठी, मोची, उम्र तकरीबन 40 वर्ष, निवास - गांधीनगर, ओल्ड भिलाई थाने के पीछे, भिलाई । PW-49

मैं उपरोक्त हूं । मेरे पति, जिन्हें टी0बी0 थी, की मृत्यु आज से तकरीबन 3-4 वर्ष पूर्व हुई थी । मेरे पति जब जीवित थे तो यू0पी0 के देवरिया जिले के निवासी पलटन मेरे घर के करीब रहता था । मेरा पति शराब पीकर मुझे मारा पीटा करता था । पलटन कभी कभी इन झगड़ों को रोकने और बीच बचाव करने के लिए आ जाता था । इसके कारण मेरी उससे जान पहचान बढ़ी और उससे मेरे शारीरिक संबंध स्थापित हो गए । यह बात तकरीबन 1985-86 की है । मेरे पति की मृत्यु के बाद वह मेरे साथ ही रहने लगा । सन् 1990 के आसपास की बात है, मेरे घर पर पुलिस का छापा पड़ा और पुलिस ने कुछ चीजें पलटन के पास से बरामद कीं । पलटन हाल के दिनों में कैम्प -1 के ज्ञान प्रकाश मिश्रा के पास रहने लगा था । नियोगी जी की हत्या के कुछ दिन पूर्व उसने मुझसे खर्च के लिए 50 रुपए मांगे थे पर पैसे न होने के कारण मैं उसे पैसा न दे पायी थी । नियोगी जी की हत्या के दिन के बाद पलटन मेरे पास नहीं आया है । लगता है भिलाई छोड़कर कहीं चला गया है ।

पढ़कर सुनाया, सुन व तसदीक किया ।

सत्य प्रतिलिपि

मेरे सामने

सही-
(ब्र0प्र0 आजाद)
आरक्षी उपाधीक्षक
सी0बी0आई0/एस0आई0सी0-2
कैम्प भिलाई

बयान श्री उमाशंकर राम पुत्र श्री जे0 राम, उम्र 30 वर्ष, निवास- क्वार्टर नं0 1 ए, स्ट्रीट नं0 -22, सेक्टर-1, भिलाई (म0 प्रदेश)

मैं गोरखपुर (यू0पी0) का मूल निवासी हूं । मेरे पिताजी बी0एस0पी0 में काम करते हैं । मैंने बी0ए0 1984 में कल्याण कालेज, भिलाई से किया है । बी0ए0 करने के बाद मैंने बी0एम0 पटेल कान्ट्रेक्टर सिम्पलैक्स उद्योग में हैल्पर का काम किया । टी0एम0 पटेल एच0एस0सी0एल0 में ठेकेदार हैं । मैंने वहां जनवरी 1987 से जून 1987 तक नौकरी की । जुलाई 87 में सी0एम0 पटेल की सिफारिश से सिम्पलैक्स में नौकरी मिली थी । सन् 1989 मैंने साईकिल एलाउंस, मेडीकल एलाउंस, मकान किराया आदि की मांगों को लेकर शंकर चक्रवर्ती, जो इंटक के नेता हैं, के नेतृत्व में हड़ताल की थी परन्तु इसमें सफलता नहीं मिली । 27 जुलाई 1990 को मैं नियोगी से मिला और उनके संगठन छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा में शामिल हो गया । इस समय उनकी यूनियन छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा के संगठन के मजदूरों की ए0सी0सी0 जामुल में भूख हड़ताल चल रही थी । मैंने राजाराम निर्मलकर, भारत भूषण पांडे से मिलकर सिम्पलैक्स इंजीनियरिंग के मजदूरों को संगठित किया और उन्हें नियोगी के संगठन में शामिल किया । बाद में मुझे छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा के स्थानीय ईकाई प्रगतिशील श्रमिक संघ का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया ।

दिनांक 15·8·90 को नियोगी जी ने एक रैली निकाली । उस रैली में मैंने भी भाग लिया । उस रैली में सिम्पलैक्स ग्रुप, केडिया आदि उद्योगों के श्रमिक भी शामिल थे । ये रैली ए0सी0सी0 चौक से होते हुए नंदनी रोड होते हुए मजदूर भवन जो जामुल थाने के पीछे है, में जाकर सभा में बदल गई ।

17·9·90 को विश्वकर्मा पूजा के दिन शंकर गुहा नियोगी के नेतृत्व में एक विशाल रैली का आयोजन किया गया जो कि भिलाई के उद्योगपतियों के खिलाफ थी । जब यह रैली सिम्पलैक्स इंजीनियरिंग के सामने पहुंची तो ज्ञान प्रकाश मिश्रा के आदमियों ने हमला किया । मैं ज्ञान प्रकाश मिश्रा को चिन्द्रा हत्याकांड से जानता हूं जो 3-4 साल पहले भिलाई में घटित हुआ था । मैं ज्ञान प्रकाश मिश्रा के बड़े भाई प्रभुनाथ मिश्रा को भी जानता हूं । प्रभुनाथ मिश्रा और ज्ञान प्रकाश मिश्रा अक्सर मूलचन्द शाह और उसके भाईयों से मिलते जुलते रहते थे ।

------2

अक्तूबर 1990 में हमारे संगठन ने अपनी मांगों का एक ज्ञापन बनाया जिसपर नील रतन घोषाल, महामंत्री, इस्पात श्रमिक संघ, भिलाई, शंकर गुहा नियोगी, संगठन मंत्री, छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा, रामाधिलास मंडल, जनरल सैक्रेटरी प्रगतिशील इंजीनियरिंग श्रमिक संघ के हस्ताक्षर थे। यह ज्ञापन मुझे मूलचन्द शाह को देने के लिए दिया गया। मैं इस ज्ञापन को लेकर मूलचन्द शाह के पास गया लेकिन उन्होंने इसे नहीं लिया और कहा कि रजिस्टर डाक से भेजा। मूलचन्द शाह ने मुझे बताया कि आप लोग अपना संगठन बनाकर मिल सकते हो लेकिन छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा या नियोगी जी से तो बात नहीं करेंगे।

छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा के श्रमिकों को उद्योगपतियों के पाले हुए गुंडो से पिटवाया जाता था तो इसके विरोध में हम लोग रैली, आमसभा और फैक्टरी के गेट पर नारे आदि लगाते थे और हड़ताल करते थे। सिम्पलैक्स इंजीनियरिंग गेट पर नारेबाजी कई कई बार करवाई गयी। इनमें मैं शामिल रहता था। संगठन के लोगों को पिटवाने के लिए मूलचन्द शाह, नवीन शाह, केडिया आदि ने गुंडे पाल रखे थे।

जुलाई 1991 में सिम्पलैक्स इंजीनियरिंग में कांट्रैक्ट देने जापान के आदमी आए थे तो मैंने गेट पर नारे लगवाये जिससे उन्हें कांट्रैक्ट नहीं मिल सका। जापान के ये लोग कितने थे, कहाँ के थे मुझे मालूम नहीं है।

मूलचन्द ने मुझे बुलाकर कहा कि वह नियोगी जी को अच्छी तरह जानता है और वह उनसे किसी भी तरह के समझौते की बात नहीं करेगा। मूलचन्द शाह ने आगे कहा कि वह कोर्ट से कंपनी बंद करने के आर्डर ले आया है और यदि जरूरत पड़ी तो कंपनी बंद कर देगा लेकिन नियोगी से समझौता नहीं करेगा। मैंने मूलचन्द शाह को कोर्ट का आर्डर दिखाने के लिए कहा लेकिन उसने दिखाने से इन्कार कर दिया। हमारी हड़ताल लगातार चलती रही।

माह अगस्त 1991 के एक शाम 5.30 बजे के करीब जब मैं अपने दोस्त की लूना पर अपने घर जा रहा था तो साईकिल की दुकान जो हाउसिंग बोर्ड पर है के आगे बी०आई०टी० चौक के पास पीछे से स्कूटर पर तीन आदमी आए

------3

F 20 50

और अचानक मुझे लोहे के राड व बाजुओं से मारना शुरू कर दिया । मैं अपना जान बचाने [illegible] में घुस गया । उस वक्त उनमें से एक ने कहा पिस्तौल लाओ इसे मार डालते हैं नहीं तो यह खतरनाक हो जायेगा । इस घटना की रिपोर्ट मैंने थाना जामुल में उसी दिन दर्ज कराई थी । बाद में इन मारने वालों का नाम ज्ञान प्रकाश मिश्रा के दोस्त [illegible] सिंह वगैरह पता चला । मुझे ये भी मालूम हुआ कि उस दिन जान से मारने वाली बात बलदेव सिंह ने कहा था।

घायल होने व मार पड़ने के कुछ दिनों बाद मूलचन्द शाह अपना कांटेसा कार नं0 225 में खुद चलाकर आए । उन्होंने कहा कि जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ । जितने पैसे चाहिए ले लो । उनके पास नोटों से भरा एक ब्रीफकेस भी था जिसे उन्होंने मुझे खोलकर दिखाया । मैंने पैसे लेने से इंकार कर दिया और कहा कि मैं यूनियन के साथ दगाबाजी नहीं कर सकता तो वे चले गए । फिर इसके 5-6 दिन बाद मूलचन्द शाह मुझसे मिलने मेरे घर आए और बोले कि वे मुझे सिम्पलेक्स इंजीनियरिंग के फैब्रीकेशन में ठेकेदार बना देंगे और कहा कि मैं नियोगी जी को छोड़कर उनके साथ आ जाऊं । मैंने इसके लिए भी उनसे मना कर दिया और इसके बाद वे चले गए । माह सितम्बर 1991 में मूलचन्द शाह एक बार फिर मेरे घर आए और नाना प्रकार के लोभ देकर बोले कि मैं अपने साथियों के साथ संबल चक्रवर्ती के संगठन में मिलकर समझौता कर लूं । मैंने कहा कि संबल चक्रवर्ती को कब से देख चुका हूं, वह दलाल है । उससे समझौता नहीं हो सकता है । संबल चक्रवर्ती के कारण ही हमारे कई एक मजदूर नौकरी से बाहर हैं । मैंने मूलचन्द शाह से कहा कि आप संबल चक्रवर्ती से समझौता कर सकते हैं तो नियोगी जी से क्यों नहीं कर सकते हैं ? नियोगी जी की बात क्यों नहीं मान लेते ? मूलचन्द शाह ने कहा कि नियोगी जी को जल्दी ही देख लिया जाएगा फिर तुम अकेले पड़ जाओगे । तुम हमारे साथ अभी क्यों नहीं आ जाते । मेरे साथ घटना होने से मुझे काफी चोट था प्लास्टर भी चढ़ा था जिसके कारण मैं डेढ़ महीने के करीब घर ही बिस्तर पर पड़ा रहा । 28.9.91 को जब नियोगी जी की हत्या हुई तो उस दिन मैं घर पर ही था । मुझे मेरे साथियों ने बताया कि नियोगी जी को किसी ने गोली मार कर हत्या कर दी है ।

पढ़कर सुनाया, सही पाया ।

सत्य प्रतिलिपि

मेरे समक्ष
सही-2.1.92
आरक्षी उपाधीक्षक
सी0बी0आई0/एस0आई0सी0-2
कैम्प भिलाई

PW-51

भिलाई

दिनांक 26.11.91

श्याम श्री राम आसरे राम पुत्र श्री घुनाऊ राम, उम्र 45 साल, फिटर, मकेनिकल मैंटेनेंस सिम्पलेक्स इंजीनियरिंग एण्ड फाऊंड्री लिमिटेड, यूनिट- 1, भिलाई। निवासी- आजाद मोहल्ला, कैम्प -1, स्टील नगर, भिलाई।

मैं गांव जारैला तिवारी की, थाना खजनी, जिला गोरखपुर, यू०पी० का रहने वाला हूं। मैंने फिटर की नौकरी उस कम्पनी में 15.11.77 को शुरू की थी। मैं 23 सितम्बर 1990 से हड़ताल पर हूं। 16.9.91 को रात को लगभग बाहर बजे मुझे ज्ञान प्रकाश मिश्रा ने अपने घर पर बुलाया। मैं उसके घर से 25 गज की दूरी पर रहता हूं तथा उन्हें पहले से ही जानता हूं। मैं सोनी व उसके भाई मुमताज के साथ गया था। मिश्रा के घर पर श्री नवीन शाह व एक और सज्जन बैठे थे। मिश्रा ने बताया कि वे सज्जन ओसवाल के चंद्रकांत शाह हैं। उन्होंने मुझे कहा कि क्या आप श्री नियोगी की यूनियन के मुखिया हैं तो मैंने न कही। उन्होंने मुझसे और मुखियों के बारे में जानकारी चाही परन्तु मैंने मजबूरी जाहिर की। इस पर मिश्रा ने कहा कि उसके पास सबकी लिस्ट है व मैं उन सब लोगों को सचेत कर दूं। उनका उद्देश्य उन लोगों का पता पक्का करना था तथा रैली जो 17.9.90 को निकालना था उसे विफल करना था। 17.9.90 को श्री नियोगी के नेतृत्व में भिलाई के मजदूरों ने एक बड़ी भारी रैली निकाली थी। उस रैली पर उद्योगपतियों के गुंडों ने हमले किए थे और कुछ लोग घायल हुए थे। श्री नियोगी के हत्या के चार दिन पूर्व भी ज्ञान प्रकाश मिश्रा ने बुलाया था अपने नौकर के द्वारा लगभग 7 बजे शाम को। मैं उनके घर गया और मिश्रा ने मुझे घर के अंदर बुला लिया। उन्होंने बताया कि केडिया के 7-8 लोग उनसे हड़ताल खत्म करने के बारे में बात कर रहे हैं। केडिया की ओर से सुझाव है कि उनको ट्रक आदि फाइनान्स कर देंगे। उन्होंने मुझे भी बताया कि मैं चार दिन के अंदर काम पर चला जाऊं नहीं तो बाद में मुश्किल होगी। मैंने मिश्रा से पूछा कि किस शर्त पर वापिस लिया जायेगा तो उन्होंने श्री नवीन शाह से टेलीफोन पर मेरे सामने बात की तथा बात करने के बाद मुझे बताया कि श्री नवीन शाह ने कहा है कि नौकरी पर वापिस ले लेंगे परन्तु लिखकर देना होगा कि मेरा नियोगी जी की यूनियन से कोई संबंध नहीं है। मैं नियोगी जी की यूनियन का शुरू से ही मेंबर हूं।

T.C.

B

——2

हड़ताल के परिणाम का बाद में फैसला होगा, यह कहा । श्री नवीन शाह द्वारा बताई हुई शर्तें मुझे मंजूर नहीं थी इसलिए मैंने ड्यूटी में हाजिर होने का मना किया । इस पर श्री मिश्रा ने मुझे कहा कि और साथियों से बात कर लो । मिश्रा ने मुझे यह भी बताया कि वह सिम्पलेक्स में शाह को शाहू का ठेका दिये जा रहा है । जब बातचीत हो रही थी तो अभय सिंह भी वहां बैठा हुआ था । उन्होंने मुझे डराने की कोशिश की परन्तु मिश्रा ने उन्हें बताया कि मैं भी उनके गांव का ही हूं । मैं अभय सिंह को बहुत दिनों से जानता हूं । और उनको अक्सर मिश्रा के घर पर देखता रहता हूं । जो बात मुझे मिश्रा ने बताई थी वह मैंने दूसरे साथियों को बताया तथा उन्हें श्री नियोगी जी को भी बताने को कहा तथा कहा था कि श्री नियोगी साथियों को व मुझे जान का खतरा हो सकता है । नियोगी की हत्या होने पर मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि इस हत्या के पीछे ज्ञान प्रकाश मिश्रा व उसके साथियों और सिम्पलेक्स ग्रुप का हाथ है ।

पढ़कर सुनाया, सही पाया ।

मेरे समक्ष
सही-
(बी0एस0 [illegible])
आरक्षी उपाधीक्षक
सी0बी0आई0/एस0आई0सी0-2
कैम्प भिलाई

सत्य प्रतिलिपि
[signature]

STATEMENT PW-52

CASE NO.RC 9(S)/91 : SIC.II Dated : November 2?, 1991.

SHRI M.V.REDDY S/O LATE AMMI REDDY, ASSTT.EXECUTIVE, TIME KEEPING ORGANISATION (OPERATION) P.NO.45399, BHILAI STEEL PLANT, BHILAI DURG.

I am working as above since 1989 in Time Keeping Organisation. As per the Master Attendence Register of the Blast Furnace (Production), token No.22906 has been allotted to Abhay Kumar Singh who is working as Operator in the Blast Furnace Production Section. In case of Shri Abhay Kumar Singh, Operator, his attendence was marked through token system. The tokens are kept in the Time Office and whenever he used to attend duty he collects the token from the Time Office Counter and deposits the same with the Sectional Incharge in the Blast Furnace and at the end of the shift he collects the token from the Shift Incharge and deposits at the Time Office Counter. When he submits the token in his Section i.e. Blast Furnace, the Sectional Head will mark his attendence in the Daily Present Report. As per the Daily present Report, for the date 27.9.91, Shri Abhay Kumar Singh did not attend the duty because his weekly rest had fallen on this date which is clear from the Master Attendence Register for the month of September'91. As per the Master Attendence Register Shri Abhay Kumar Singh attended the duty in A-shift from 23rd to 26th & 27th has been shown as his weekly rest. As such on 27th Shri Abhay Kumar Singh did not attend duty. As per the Daily Present Report for date 28.9.91, Shri Abhay Kumar Singh attended the duty in A-shift. In Bhilai Steel Plant there are four shifts, the details of which are as follows :-

1.	'A' shift	Timing	6 a.m.	to 2 p.m.
2.	'B' shift	"	2 p.m.	to 10 p.m.
3.	'C' shift	"	10 p.m.	to 6 a.m.
4.	General shift	"	8 a.m.	to 4.30 p.m.

TCB

PW-53

पी डब्ल्यू. 53

बयान श्री सूरजमल जैन पुत्र श्री मिश्री लाल जैन बमिलसिला आरसी 9 (एम/91 एसआईयू 5/एसआईती-2 नियोगी हत्याकाण्ड व्यवसाय सूरज आटो ट्रेडर्स, आकाश गंगा, सुपेला भिलाई, हाल निवासी एम0डी05, एम्पी हाउसिंग कालोनी दुर्ग.

....

श्री सूरजमल जैन ने दरयाफ्त पर बयान किया कि मेरी उम्र लगभग 36 वर्ष है और वैसे तो हम मूलत: जोधपुर के रहने वाले हैं लेकिन हमारा परिवार काफी समय से दुर्ग में ही व्यवसाय करता है एवं मैंने दुर्ग में ही पढ़ाई लिखाई की है । मैं कालेज दिनों से ही श्री चंद्रकांत शाह, निवासी 21/24 अनुविला, मोतीलाल नेहरू नगर को जानता हूं. श्री चंद्रकांत शाह मेरे गहरे मित्र हैं । मैंने 1978 में अपना आटो मोबाइल का बिजनेस चालू किया चंद्रकांत मुझे लगभग एक साल छोटा है और उन्होंने लगभग 1984 में स्वतंत्र रूप से अपना बिजनेस चालू किया । हमारा अपना बिजनेस चालू होने के बाद हम आपस में उठने बैठने लगे और धीरे -2 हमारी घनिष्ठता बढ़ती गई. मैं अक्तूबर 90 से जून 91 तक श्री चंद्रकांत शाह के पास वाले मकान में किराए पर रहा और पड़ोसी होने के कारण अक्सर हम एक दूसरे के घर आने जाने लगे थे । मैं बयान करता हूं कि फरवरी मार्च 1991 में श्री चंद्रकांत शाह अपने टेम्पो ट्रेवलर नंबर एमपी 24 बी 6622 में अपने कुछ मित्रों, जिनके नाम ज्ञानप्रकाश मिश्रा जो प्रभुनाथ मिश्रा का छोटा भाई है, अवधेश राय, अभयसिंह जो बीएसपी में काम करता है, के साथ नेपाल गया था । इनकी गाड़ी का ड्राइवर रवि था जो पहले मेरा यहां सर्विस कर चुका था और अब माइंस में नौकरी करता है । इनकी नेपाल यात्रा लगभग 12-13 दिन की थी और रवि ड्रायवर ने वापस आने के बाद टेंपो ट्रेवलर को मेरी दुकान के बाजू वाले रोड पर खड़ा किया था और डीजल कैन उतारा था और मुझे बताया था कि भैया कैसे आदमी के साथ आपने मुझे नेपाल भेज दिया । रवि ने आगे बताया कि पैसे मांगे तो पैसे नहीं दिए, आपने कभी 2 साल में मुझे गाली नहीं दी लेकिन इन्होंने मुझे मां बहन की गालियां दी और घूमने के बहाने क्या करने गया था आपको मालूम है क्या और वे वहां से कुछ हथियार खरीद कर लाए हैं । उसके बाद वो चला गया । उस समय गाड़ी में अवधेश राय और ज्ञान प्रकाश मिश्रा बैठे हुए थे और गाड़ी ज्ञानप्रकाश मिश्रा चला रहा था। जब मैं रात को घर गया तो मेरी मुलाकात चंद्रकांत शाह से हुई और मैंने उससे पूछा कि तुमने रवि ड्राइवर के साथ ऐसा दुर्व्यवहार क्यों किया और वो मेरे को बता रहा था कि तुम लोग वहां से हथियार खरीद कर लाए हो । मैंने उससे पूछा कि क्या खरीद कर लाए हो, मुझे दिखाओ । इस पर उसने कहा कि तुम्हें क्या करना है । समय आएगा तो दिखा देंगे । इसके बाद हमारा व्यवहार सामान्य स्तर पर चलता रहा।

मुझे याद है कि 27 सितंबर 1991 को रात को लगभग 9.15 बजे हम लोग यानि मैं, देवेंद्र पाटनी, सोहन जैन, उत्तम बरड़िया आदि अपनी कार से ज्ञानप्रकाश के घर गए, हम ज्ञानप्रकाश को साथ लेकर कैलाशपति केडिया के यहां दुर्गा उत्सव के लिए चंदा लेना चाहते थे परंतु ज्ञान प्रकाश घर में नहीं मिला । देवेन्द्र पाटनी, अभयसिंह के घर गया जो पास ही में है और उसे बुला लाया । अभयसिंह को भी नहीं मालूम था कि ज्ञान प्रकाश कहां है । इसी बीच टोनी वहां आया वह और अभयसिंह ज्ञान प्रकाश को खोजने गए उनके जाने के बाद छोटू, बलदेव और महेन्द्र एक स्कूटर पर आए । देवू ने छोटू से ज्ञान के बारे में पूछा तो उसने कहा कि के0के0हा

...... 2 पर

पत्रकार के यहां हो सकता है तब देवू उन लोगों के साथ ज्ञा के यहां चले गये और वापस आने पर बताया कि ज्ञानप्रकाश का पता नहीं चला । चूंकि देर हो रही थी इसलिए हम वापिस चले गए ।

दूसरे दिन सुबह यानि 28 सितंबर 1991 को जब मैं अपनी दुकान पर पहुंचा तो मार्किट के दुकानदार खड़े थे । मेरे वहां पहुंचने पर उन लोगों ने मुझे बताया कि नियोगी जी की हत्या रात को किसी ने कर दी है जिसके कारण श्रमिक चक्का जाम कर रहे हैं और उन्होंने मुझे पूछा कि मार्किट खोलनी है या नहीं । क्योंकि मैं उस मार्किट का अध्यक्ष हूं इसलिए उन लोगों ने मेरे से पूछा । उनसे बात करने के बाद मैंने सामने से अपनी दुकान नहीं खोली जब मैं पीछे के शटर खुलवाने में लगा हुआ था तो उस समय करीब 9.15/9.30 बजे के बीच का समय होगा जब चंद्रकांत शाह वहां आया उसने आते ही पूछा तुम्हें मालूम है क्या कि नियोगी को किसी ने गोली मारकर हत्या कर दी है।" मैंने उससे कहा कि बाजार में उसके बारे में काफी हल्ला है तब उसने कहा कि "ले देकर मैं अपनी गाड़ी लाईन पर लाया था पर मेरे लिए यह नया सिरदर्द खड़ा हो गया है। अब मेरे से पूछताछ होगी क्योंकि यह मेरे ही लड़कों का काम है।" मैंने चंद्रकांत शाह से लड़कों के नाम के बारे में नहीं पूछा क्योंकि मैं जानता हूं कि उसके लड़के ज्ञानप्रकाश मिश्रा, अवधेश राय, अभयसिंह मोटू आदि है ।

इसके बाद 30 सितंबर 1991 को मेरी लड़की का जन्मदिन था, इसमें मैंने जान पहचान के बहुत लोगों को बुलाया था । जब मैं चंद्रकांत शाह को बुलाने गया था तो ज्ञानप्रकाश मिश्रा वहां बैठा हुआ था । जन्मदिन पर चंद्रकांत शाह भी अपने परिवार सहित आया था लेकिन नियोगी के संबंध में भीड़भाड़ के कारण कोई बात नहीं हुई परंतु जब वो जाने लगा तो बाहर निकलकर मैंने पूछा कि "तेरे से कोई पूछताछ हुई क्या" चंद्रकांत शाह ने कहा अभी तक तो पूछताछ नहीं हुई है उस समय रात के करीब 10.30 बजे होंगे उसके बाद चंद्रकांत चला गया । उसके बाद चंद्रकांत शाह मार्किट में एक दो बार आया और उससे दुआ सलाम हुई लेकिन नियोगी हत्याकाण्ड के बारे में कोई बातचीतनहीं हुई । मेरे पेट में बीमारी थी और मैं 5.10.91 को अस्पताल में भर्ती हुआ तब मुझे पता चला कि चंद्रकांत फरार हो गयाथा ये जानकारी मुझे 7 अक्टूबर 1991 को अखबार से मिली मेरे नौकर ने अस्पताल में उन्हीं दिनों बताया के चंद्रकांत शाह अपनी प्रिमियर गाड़ी नं0 एमपी 23/7736 मेरे फार्म हाउस गैरेज जो कि माडल टाउन में है, पर छोड़ गया है और चाबी उसीके पास है।

पढ़कर सुनाया, सही पाया।

मेरे समक्ष
सही/25.11.91
(आर0एन0प्रसाद)
आरक्षी उपाधीक्षक
सी0बी0आई0/एस0आई0सी0-2, कैंप भिलाई.

सत्यप्रतिलिपि

PW-53 पीडब्ल्यू 53

आर सी 9 (एस) 91 एस आई 5 दिनांक 4.12.91

जारी बयान श्री सूरज मल जैन पु0 श्री मिश्रीलाल जैन नि0 एम-डी-5 एचपी हाउसिंग कालोनी दुर्ग सूरज आटो ट्रेडर्स, आकाश गंगा सुपेला भिलाई ।

...

आज मुझे निम्न कागजात जिसके लिखावट है दिखाई गई ।

1. होटल एलो पगोडा की रसीदें नं0 006648 दि0 15/3, 006648 दिनांक 15/3, 004087 दि0 14.3.91, 004080 दि0 13.3., 006613 दि0 13.3.91, 006612 दि0 3.3.91

उपरोक्त सभी रसीदों को देखने के बाद मैं बयान करता हूं कि इसमें जो कालम गेस्ट सीगनेचर के उपर हस्ताक्षर है अंग्रेजी में वे सभी हस्ताक्षर चन्द्रकांत शाह के हैं ।

2. हल्के गुलाबी रंग के लाइनों वाले कागज पर लिखा हिन्दी का पत्र "प्रिय रेनू" चन्द्रकांत" दि0 23-9.79 (2 पृष्ठ) जिन पर 12.11.91 की तारीख में दो हस्ताक्षर है।

उपरोक्त पत्र को देखने के बाद मैं बताता हूं कि यह पत्र श्री चन्द्रकांत शाह की लिखावट में है ।

3. सफेद लाइनों वाले कागज पर लिखाई हिन्दी में तीन पृष्ठ जिन पर 12.11.91 की तारीख में दो हस्ताक्षर है।

उपरोक्त कागजों को देखने के बाद मैं बयान करता हूं कि ए चन्द्रकांत शाह की लिखावट ही है ।

4. एक सादे कागज पर लाल स्याही से लिखापत्र जिस पर 12.11.91 की तारीख में दो हस्ताक्षर है एक पृष्ठ और जिस पर नीचे में अंग्रेजी में 15.6.87 लिखा है और हस्ता0

इन्हें देखकर मैं बयान करता हूं कि यह लिखावट और हस्ताक्षर चन्द्रकांतशाह के हैं।

5. एक छोटे सफेद कागज पर लाल रंग की स्याही से हिंदी में लिखाई और नीले रंग की स्याही में दो गाड़ियों के नंबर इसकेअतिरिक्त में नीले रंग की स्याही में लिखा मंडपारवनाम

6. एक सफेद कागज पर लिखा 4 नाम जिन दोनों ही कागजों पर 12.11.91 की तारीख में दो हस्ताक्षर हैं ।

उपरोक्त को देखने पर मैं बयान करता हूं कि ए सारी लिखावट चंद्रकांत शाहकी है। लाल रंग की लिखाई को छोड़कर

7. दीपावली ग्रीटिंग कार्ड "लविंग योनू एण्ड ब्रुन" जिस पर अंग्रेजी में लिखा है।

8. ग्रीटिंग कार्ड जिस पर अंग्रेजी में लिखाई है "रेनू आई फोल फोर यू" और जिस पर नीचे अंग्रेजी में ही हस्ताक्षर है ।

9. लाल रंग के लिफाफे पर अंग्रेजी में बुक पोस्ट और हिन्दी में पता लिखा है और जिसके अंदर में दीवाली ग्रीटिंग कार्ड पर हिंदी में लिखाई है और नीचे हस्ता0है।

10. एक हल्के गुलाबी रंग का लिफाफा जिसपर मास्टर करन और पता हिंदी में लिखा है और जिसके अंदर में दीवाली ग्रीटिंग कार्ड पर अंग्रेजी में "टू माई लव" और नीचे अंग्रेजी में हस्ताक्षर हैं ।

11. एक रोड एटलस आफ इंडिया जिसके पिछले कवर पेज के अंदर "13 विक्टोरिया क्रिसेन्ट रोड मद्रास और टेलीफोन नं0 लिखा है हिंदी में अंग्रेजी में ।

..... 2 पर

PW-53/12/11

12. ब्लू वेल्स नीट चीयर गत्ते के डब्बे का नीचे का हिस्सा जिसमें हिंदी में "यह गाड़ी भिलाई दुर्ग वाले चन्द्रकांत शाह " वगैरह लिखा है और टेलीफोन नंबर लिखे हैं अंग्रेजी में ।

मैं उपरोक्त सभी लिखावटों और हस्ताक्षरों को जो क्र० सं० 7 से 12 तक है को देखने के बाद बयान करता हूं कि यह लिखावट और हस्ताक्षर श्री चन्द्रकांत शाह के हैं ।

मैं चन्द्रकांत शाह की हस्तलिपि को अच्छी तरह पहचानता हूं मुझे उनकी लिखाई हिंदी और अंग्रेजी को देखने का अवसर मिलता रहा है । मैं उनकी लिखावट से अच्छी तरह परिचित हूं ।

मेरे समक्ष
R.C. Rawat
मह 1/12.91
अधि० अ०अ० सी०बी०आई०
कैम्प भिलाई

TC
[signature]

पुरक बयान श्री सूरजमल जैन पुत्र श्री मिश्री लाल जैन ब्सिलसिला आरसी 1§एस§/91/ एस0आई0यू0-5/एस0आई0सी0-2-नियोगी हत्याकांड । व्यवसाय - सूरज ऑटो ट्रेडर्स, आकाश गंगा, सुपेला, भिलाई । हाल निवासी- एम0डी0 -5, एम0पी0 हाऊसिंग कालोनी, दुर्ग ।

मेरे पहले दिए गए बयान के आगे मैं बताता हूं कि माडल टाउन दुर्ग में मेरी 15 एकड़ जमीन है । 1989 में मैं इस जमीन को मैं बेचना चाहता था लेकिन चंद्रकांत शाह जोकि मेरा दोस्त है, ने मुझे सलाह दी कि जमीन एक मुश्त न बेचकर प्लाट काटकर बेचा जाए तो ज्यादा फायदा रहेगा । मैंने उसे कहा कि इस काम में बहुत झंझट हैं क्योंकि कालोनी बनाने के लिए कलोनाईजर का लाइसेंस होना चाहिए, फिर साडा व टाउन प्लानिंग आदि से भी तरह तरह की इजाजत लेनी पड़ती है, तो चंद्रकांत शाह ने कहा कि मैं उसे वर्किंग पार्टनर बना लूं वो ये सारे काम अपने आप कर लेगा, अत: हम दोनों ने सलाह करे, हलांकि हमारा कोई लिखित समझौता नहीं हुआ था, दीवाली 1990 से जैन शाह एण्ड कम्पनी के नाम से एक फर्म खोल दी जिसका कार्यालय दुकान नं0 108, आकाश गंगा व्यावसायिक परिसर में था । ये दुकान मैंने ही साडा से किराए पर ले रखी थी । हमने उपरोक्त फर्म का रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है क्योंकि चंद्रकांत शाह कहते थे जब काम शुरु होगा तो रजिस्ट्रेशन करा लेंगे । ये दफ्तर खोलने के बाद हमने अपनी कालोनी का नक्शा भी जवराकर आर्किटैक्ट से बनवाया लेकिन जब हम नक्शा टाउन प्लानिंग में देने गए तो उन्होंने कहा कि अरबन सेलिंग वालों से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेकर आना होगा क्योंकि इसी बीच मास्टर प्लान के लागू होने की वजह से मेरी जमीन लैंड सेलिंग से ज्यदा होती थी । इसी बीच किसी पार्टी ने हाई कोर्ट से स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया व मेरी जमीन अभी सरकार ने अधिग्रहण नहीं की और न ही हमारे कालोनी के काम में कोई प्रगति हुई है । जनवरी 1990 से ही चंद्रकांत शाह उपरोक्त जैन शाह एण्ड कंपनी के दफ्तर में बैठता था वह वही इस काम को देखभाल करता था ।

मैं शान्ति लाल शाह, जिसकी रायपुर में कपड़े की दुकान है, को जानता हूं । उसके मामा मेघराज §दुर्ग वाले§ को मैं फूफा कहता हूं । दिसम्बर 1990 में मेघराज ने मुझे कहा था कि उनके पास एक फिएट गाड़ी है जिसे वे बेचना चहते थे । मैंने उन्हें कहा कि वे फिएट मुझे दिखा दें, गाड़ी मुझे §पसंद§ पसन्द आ गई तो मै ले लूंगा । इसके कुछ

———2

दिन बाद मेघराज शान्ति लाल शाह को साथ लेकर सफेद फियेट नं० एम०पी०
23-7736 में मेरी दुकान पर आए । वहां शान्ति लाल शाह ने अपनी उपरोक्त
फियेट का मेरे से सौदा किया । उपरोक्त गाड़ी शान्ति लाल ने फाइनांस करवाई
हुई थी जिसकी कि आखिरी किश्त दिसम्बर 1991 में देनी थी । गाड़ी का सौदा
एक लाख 40 हजार रुपए में हुआ जिसे मैंने 7 हजार रुपए माहवार के हिसाब से देना
स्वीकार किया । सौदा होने के बाद शान्ति लाल गाड़ी मेरे पास छोड़कर चले गए ।
मैंने एक दो दिन गाड़ी को चलाया लेकिन मुझे जंची नहीं व मैंने उसे वापिस शान्ति
लाल को भेजने का मन बना लिया । जब चंद्रकांत शाह को इसका पता लगा तो उसने
कहा कि उसे गाड़ी की जरुरत है व मैं वो गाड़ी उसे दे दूं । मैंने इस बारे शान्ति
लाल से बात की तो शान्ति लाल ने कहा कि उसे तो उसके पैसों से मतलब है, मुझे
मतलब है, चाहे मैं गाड़ी किसी को भी दे दूं । अत: मैंने जनवरी 1991 में ही
उपरोक्त फियेट गाड़ी चंद्रकांत को दे दी । चंद्रकांत ने 7 हजार रुपए माहवार के हिसाब
से 8 किस्तें दी । उपरोक्त गाड़ी जनवरी से चंद्रकांत शाह के पास ही है, इसका उसके
नाम ट्रांसफर इसलिए नहीं हो सका क्योंकि ये गाड़ी फाइनांस करवाई हुई थी व
गाड़ी का पूरा पेमेंट करके, दिसम्बर 91 तक, चंद्रकांत शाह का अपने नाम ट्रांसफर
कराने का इरादा था । इस गाड़ी को चंद्रकांत शाह व उसकी पत्नी चलाते थे ।
कभी कभी ज्ञान प्रकाश मिश्रा भी इस गाड़ी को चलाता था ।

पढ़कर सुनाया, सही पाया ।

सत्य प्रतिलिपि

T.C
[signature]

मेरे समक्ष
सही-
(एम०के० झा)
आरक्षी उपाधीक्षक
सी०बी०आई०/एस०आई०सी०-2
कैम्प भिलाई

बयान श्री रवीन्द्र कुमार उर्फ राव पुत्र श्री रामा गेंडे, उम्र 26 साल, निवासी- हिंगन घाट, जिला वर्धा, महाराष्ट्र । हाल मुकाम के0 पाकेट, क्वार्टर नं0 36 सी, मरोदा सेक्टर, भिलाई, थाना नेवई, जिला दुर्ग ।

मैं उपरोक्त पते पर सपरिवार रहता हूं । मेरे पिताजी बी0एस0पी0 में वाटर सप्लाई विभाग में फिटर के पद पर कार्यरत हैं । मैं वर्तमान में साडा में स्थाई ड्राईवर के पद पर कार्य कर रहा हूं । साडा में मैंने नौकरी अप्रैल 1990 में शुरू की थी, उसके पहले मैं सूरज आटो ट्रेडर्स में पिछले 5-6 साल से नौकरी करता था । वहां श्री चंद्रकांत शाह सुरजमल जैन के पास आते जाते रहते थे और इस तरह मैं उन्हें भी जानने लगा । होली के बाद मार्च 1991 के शुरू में मुझे सुरजमल जैन ने कहा था कि चंद्रकांत शाह को नेपाल जाना है और उसके लिए उन्हें एक ड्राईवर चाहिए । मैं साडा से छुट्टी लेकर जाने के लिए तैयार हो गया और होली के बाद श्री चंद्रकांत शाह की गाड़ी टेम्पो ट्रेवलर एम0पी0-24-B-6622 में चंद्रकांत शाह, अवधेश राय, अभय सिंह के साथ नेपाल के लिए चल पड़े, गाड़ी मैं चला रहा था । भिलाई से चलकर हम लोग बिलासपुर, अंबिकापुर, बनारस होते हुए टेम्पो ट्रेवलर से अभय सिंह के घर बालिसपुर जिला गाजीपुर रात को पहुंचे और रुके । वहां से दूसरे दिन सुबह 4 बजे टेम्पो ट्रेवलर में हम सभी निकल पड़े और सिवान वगैरह होते हुए बीरगंज, नेपाल में पहुंच गए । बीरगंज पहुंचने पर हम सभी होटल कैलाश में रुके । उस होटल में श्री ज्ञान प्रकाश मिश्रा पहले से ही रुके हुए थे । जैसा मुझे बताया गया ज्ञान प्रकाश मिश्रा दुर्ग से कलकत्ता गया था और कलकत्ता से हवाई जहाज द्वारा नेपाल पहुंचा था । मैंने उन्हें बीरगंज में ही पहली बार देखा था । बीरगंज में हम लोग लगभग 2 दिन रुके और वहां से टेम्पो ट्रेवलर में ही हम सभी काठमांडू चले गए । काठमांडू पहुंचकर हम लोग होटल जनक में रुके । वहां 2 कमरे लिए गए थे, एक कमरे में चंद्रकांत और ज्ञान प्रकाश मिश्रा ठहरे थे जबकि दूसरे कमरे में अभय सिंह, अवधेश राय और मैं ठहरे । काठमांडू में भी हम लोग लगभग 2-3 दिन ठहरे व पशुपति नाथ मंदिर एवं अन्य स्थान भी हम लोगों ने देखे । काठमांडू से टेम्पो ट्रेवलर में मैं, अवधेश राय, ज्ञान प्रकाश मिश्रा और अभय सिंह वापिस बीरगंज आए । श्री चंद्रकांत शाह काठमांडू में ही रुक गए । बीरगंज वापिस आने के बाद हम लोग पुनः कैलाश होटल में रुके । 2-3 दिन बाद चंद्रकांत शाह हवाई जहाज से वापिस आए । बीरगंज में कुछ खरीददारी हुई । बीरगंज में एक दो दिन रुकने के बाद हम सभी टेम्पो ट्रेवलर में वापिस

 PW 54

चल पड़े और रक्सौल पहुँचे । रक्सौल पहुँचकर चंद्रकांत शाह ने टैम्पो ट्रैवलर में एक बंदूक और एक थैली में कुछ कारतूस, टेप रिकार्डर और जिप्सी के टायर रखवाए । रक्सौल हम लोग बेतिया के लिए चल पड़े । रक्सौल से एक आदमी टैम्पो ट्रैवलर में हम लोगों के साथ बैठा, मैं उस आदमी को नहीं पहचानता था । बेतिया हम लोग करीब 10/11 बजे रात में पहुँचे थे । बेतिया पहुँचने के कुछ देर पहले ही सड़क पर गाड़ी रोकी गई । वह आदमी उतर कर कहीं गया और वापिस आकर उस आदमी ने (जो रक्सौल से हमारे साथ आया) श्री चंद्रकांत शाह को 2 पिस्तौल दिए, उसके बाद श्री चंद्रकांत शाह ने उसे वापिस भेज दिया । उस व्यक्ति के वापिस जाने के बाद कुछ दूरी पर चंद्रकांत शाह के कहने पर मैंने गाड़ी रोकी, गाड़ी में पहले से ही एक विदेशी शराब की बोतल लेकर इन लोगों ने रखी हुई थी जिसे खोलकर सभी ने शराब पी । मुझे भी पीने के लिए कहा लेकिन चूंकि मुझे गाड़ी चलानी थी इसलिए मैंने शराब नहीं ली । शराब पीते समय चंद्रकांत ज्ञान प्रकाश मिश्रा वगैरह आपस में कुछ बातें कर रहे थे । चंद्रकांत शाह ने ज्ञान प्रकाश मिश्रा से कहा कि अब हमारे पास अच्छे अच्छे हथियार जैसे पिस्तौल और बंदूक और उनके कारतूस आ गए हैं, अतः अब हमें नियोगी का काम करने में किसी तरह की कठिनाई नहीं आएगी । चंद्रकांत ने ये भी कहा कि नियोगी ने हम लोगों के नाक में दम कर रखा है और बहुत ही परेशान कर रखा है, इस पर ज्ञान प्रकाश मिश्रा ने चंद्रकांत शाह से कहा उन्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं, वो खुद ही सब देख लेंगे । इस पर चंद्रकांत शाह से ज्ञान प्रकाश मिश्रा से कहा कि यदि वह कुछ नहीं कर सकता तो वो अकेले ही खुद ही काम कर देंगे । इस पर ज्ञान प्रकाश मिश्रा ने कहा कि आप बिल्कुल चिंता न करें हम सब काम लेंगे, हमें सिर्फ पैसे की मदद चाहिए । चंद्रकांत शाह ने कहा पैसे की कोई चिन्ता नहीं है यदि 10-20 लाख खर्च हो जाएं तो वो देने के लिए तैयार हैं, काम जल्दी से जल्दी होना चाहिए ।

वहां से हम लोग वापिस चल पड़े और बनारस में सुबह 6-7 बजे पहुँचे और कुछ देर के लिए रुके । वहां ज्ञान प्रकाश मिश्रा ने मुझे ये धमकी दी कि रात की बात मैंने सुनी है उसे मैं अपने तक ही रखूं और किसी को नहीं बताऊं यदि मैं उसे किसी को बताऊंगा तो वे नियोगी को खत्म करने से पहले मुझे खत्म करेंगे । बनारस से हम

लोग इलाहाबाद, रीवा, जबलपुर, मांडला होते हुए भिलाई पहुंचे । भिलाई पहुंचने पर मैंने चंद्रकांत शाह को उसके घर नेहरू नगर में छोड़ दिया, वहीं सब लोग उतर गए और चंद्रकांत शाह के कहने पर मैंने टैम्पो ट्रैवलर को सर्विसिंग के लिए प्रोजेक्ट आटो मोबाइल में छोड़ दिया । चंद्रकांत शाह ने मुझे पारिश्रमिक के तौर पर 4/5 सौ रुपए दिए थे ।

उपरोक्त यात्रा के दौरान चंद्रकांत शाह, ज्ञान प्रकाश मिश्रा, अवधेश राय, अभय सिंह चूंकि नेपाल से हथियार लाए थे और गलत [illegible] करना चाहते थे, ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी, बाद में मेरी मुलाकात श्री सूरजमल जैन से हुई तो मैंने उन्हें चंद्रकांत शाह द्वारा नेपाल से हथियार लाने की बात बताई ।

पढ़कर सुनाया, ठीक पाया ।

मेरे समक्ष

सत्य प्रतिलिपि

सहो-

(आर०एस० धनखड़) 16/11/91

आरक्षी उपाधीक्षक

सी०बी०आई०/एस०आई०सी०-2

कैम्प, भिलाई

पी.डब्ल्यू 54

कथन गवाह

रवीन्द्र कुमार उर्फ रवि आत्मज रा गोंढे जाति लोहार उम्र 26 साल, निवासी हिगनधार जिला वर्धा महाराष्ट्र हा.मु. के.पाकिट क्वार्टर नं. 36सी, मडौदा सेक्टर भिलाई थाना नेवई जिला दुर्ग (म.प्र.)

--CO--

मै मडौदा सेक्टर में सपरिवार रहता हू तथा मेट्रिक पास हू और साडा में स्थायी ड्रायवर के पद पर 16 अप्रैल 1990 से कार्यरत हू मेरे घर मे माता पिता बडा भाई अविनाश छोटा भाई सिद्धार्थ, छोटी बहन, कु. कल्पना, छोटा भाई मनोज रहते हैं मेरे पिता, बी.एस.पी. वायर राड मिल मे फिटर के पद पर कार्यरत है साडा मे रहने मै सूरज आटो ट्रेडर्स, मे पिछले चार पाच सालो से नौकरी करता था चंद्रकांत शाह सूरज आटो ट्रेडर्स आना रहता था इसी कारण मेरी उनसे पहचान हो गई होली के बाद मार्च महीने में सूरज आटो ट्रेडर्स, के सूरजमल के कहने पर मैं चंद्रकांत शाह से आकाशगंगा में जैन एण्ड शाह कंपनी में मिला था जहां चंद्रकांत शाह ने कहा कि अपने को नेपाल चलना है तब मैने कहा कि छुट्टी मिल जायेगी तो चलूगा, फिर साडा ऑफिस में छुट्टी लेकर, चंद्रकांत शाह की वाहन टेम्पो ट्रेवलर नंबर एम.पी. 24बी, 6622 से चंद्रकांत शाह अवधेशराम , अभयसिंह, को लेकर नेपाल, रवाना हुआ अवधेश और अभयसिंह से रास्ते में परिचय हुआ , बिलासपुर अंबिकापुर, बनारस होकर गाजीपुर गये गाजीपुर के पास ही शालिमपुर में रात रूके, अभयसिंह के घर पर फिर दूसरे दिन, फिर 4 बजे वहा से रवाना होकर सिवान गये वहां से वीरगंज गये वीरगंज में होटल कैलाश में रूके । वीरगंज में ही ज्ञान प्रकाश मिश्रा मिले थे जो भिलाई से कलकत्ता ट्रेन से गये, थे फिर कलकत्ता से हवाई जहाज से नेपाल, गये थे । वीरगंज, में होटल कैलाश में दो कमरे लिये गये, थे और दो दिन रूके फिर वहा से काठमाण्डू, गये, जहां होटल जनक में रूके, वहां भी दो कमरे किराये पर लिये, एक कमरे में चंद्रकांतशाह, ज्ञान प्रकाश मिश्रा, व दूसरे कमरे में मै अभयसिंह तथा अवधेश साथ रूके । काठमाडू में तीन दिन रूके जहा पशुपति नाथ मंदिर देखे, कांग्रेस भवन गये, फिर वापस वीरगंज आये फिर दो दिन होटल कैलाश में रूके । चंद्रकांत शाह, काठमाडू, में रूक गये थे, जो बाद में

दूसरे या तीसरे दिन हवाई जहाज से वीरगंज पहुंचे उनके आने के पश्चात रक्सौल गये, जहाँ चंद्रकांत ने दो टायर व एक टेपरिकार्डर एवं स्पीकर व एक रायफल व एक थैली में कारतूस रखवाये, । रक्सौल से एक आदमी, जिसका नाम नहीं मालुम हम लोगो के साथ बेतिया आया । बेतिया से थोडा पहले उन लोगो ने सड़क पर गाडी रोकी, जो आदमी हम लोगों के साथ,. रक्सौल,से चला था, वह गाडी से उतरकर गया और थोडी देर में दो पिस्तौल, लाकर चंद्रकांत शाह को दिया, और वह चला गया इसके बाद कुछ दूर, और चलकर, गाडी रोककर सभी लोगों ने गाडी में बूथ में खरीदकर रखी अंग्रेजी शराब निकालकर एक एक पेग पी, पीने के बाद चंद्रकांत शाह ने ज्ञान प्रकाश से कहा कि अब तो हमें अच्छे अच्छे बंदूक और पिस्तौल मिल गये है, अब नियोगी का काम खत्म करने में थोडी ही कोई कठिनाई है ज्ञान प्रकाश ने कहा कि आप क्यो फिक्र कर रहे है अब तो मै ही सब कर लूंगा, चंद्रकांत ने कहा कि नियोगी का काम जल्द ही खत्म होजाना चाहिये, । यदि तुम नहीं कर सकते हो तो बताओ फिर मै ही निपटा दूंगा, साला नियोगी हम लोगो की नाक में दम किये हुये है । ज्ञान प्रकाश ने फिर चंद्रकांत शाह से कहा, कि आप तो पैसे भर की मदद कीजिये हम सब निपट लेंगे । क्यो अवधेश " क्यों अभय " तब अभयसिंह तथा अवधेश ने भी हामी भरते हुये हाँ कहा । जिस पर चंद्रकांत ने कहा, कि पैसा चाहे जितना भी लगे 10 लाख -20 लाख मै दूंगा, पैसे की फिक्र मत करो फिर रवाना हो गये, दूसरे दिन 6-7 बजे बनारस पहुंचे, बनारस मे कुछ देर रुके तो ज्ञान प्रकाश ने मुझसे कहा था, कि क्यो रे रवी, तूने तो हमारी रात वाली बात नही सुनी तो मैने कहा कि सुनने न सुनने से हमे क्या मतलब है, तो ज्ञान प्रकाश ने कहा था, कि सुना भी हो तो किसी से भी नही बताना, नही तो तेरा काम पहले खत्म कर देंगे । फिर हम लोग बनारस इलाहाबाद, रीवा, मंडला, कवर्धा होते हुये भिलाई आये, भिलाई में मैने उपरोक्त सभी लोगों को चंद्रकांत के घर में नेहरुनगर में छोडदिया और चंद्रकांत शाह के कहे अनुसार गाडी को सर्विसिंग के लिये प्रोजेक्ट आटोमोबाइल्स में छोडकर अपने घर चला गया उक्त दिन का चंद्रकांत शाह ने मुझे चार -पांच सौ रुपये दिये थे, । यही मेरा बयान है, पढवाकर सुना सही लिखा है ।

हस्ता/सही,
13/10/91
"एम.जी.अग्रवाल, केम्प भिलाई"

//सत्यप्रतिलिपि//

CTC

Local Pol

करवाया था, मैं और 8-10 लडके तकरीबन डेढ, दो घंटे तक कर चले आये थे, मेरे वहां से चलने तक ज्ञान प्रकाश मिश्र व अभय सिंह के तकरीबन 1000 लडके वहां इकट्ठा हो गये थे।

PW-55

मैं मार्च 1991 में गांव गया और मुहर्रम के दिन जुलाई 91 में लौटकर भिलाई आया, अभय सिंह के घर पर ताला पडा था, मेरे पिता जी भी क्वार्टर पर ताला लगाकर बाहर गये हुये थे जब मैं गांव गया था तो क्वार्टर नं. 6 एफ (एल.सी.) में सरकारी सील लगा हुआ था, लौटने पर मैंने पाया कि उसमें ताला लगा हुआ था अभय सिंह से मुलाकात हुई, मेरे पिता जी, भी लौटकर आ गये, तो मैं अपने घर में आकर सो गये, अभय सिंह से बाद में मालूम हुआ कि 6 एफ (एल.सी.) में रवि उर्फ पलटन रह रहा था, मैंने रवि को मुझकी पर आते जाते देखा है।

अभय सिंह जबकभी बाहर जाते थे तो अपना कीमती सामान मेरे पास छोड जाते थे, 28/9/91 के सुबह तकरीबन 5-साढे पांच बजे अभय सिंह मुझसे मिले और बोले कि मेरा सामान रख लो नियोगी की हत्या रवि उर्फ पल्टन ने की है मेरे यहां कभी भी पुलिस आ सकती है तुम्हारे यहां नहीं आयेगी इसलिये यह सामान जो जूते के डिब्बे में रखा है रख लो बाद में ले लूंगा, चूंकि अभय सिंह अपना सामान समय समय पर मेरे यहां रखते रहते थे इसलिये मैंने जूते का डिब्बा ले लिया और कमरे के दिवार में बने आलमारी के ऊपर रख दिया।

3 या चार अक्टूबर के दिन रात में तकरीबन साढे दस बजे अभय सिंह मेरे पास आया और अपने क्वार्टर की चाबी मुझे दे दी अभय सिंह कहीं जाने की तैयारी में था अभय सिंह को लेने के लिये एक एम्बेस्डर कार आयी, जिसमें बैठकर अभय सिंह चले गये मैं अभय सिंह के साथ जाने वालो को नहीं देख पाया, उस दिन के बाद अभय सिंह लौटकर नहीं आये।

दिनांक 29/11/91 के दिन अभय सिंह पुलिस हिरासत में मेरे घर आये और मुझे अभय सिंह ने आवाज देकर बुलाया और 28/9/91 के दिन सुबह दिये सामान को देने के लिए कहा मैंने क्वार्टर के दिवार में बने आलमारी के ऊपर से जूता रखने का डिब्बा जो अभय सिंह ने दिया था उतार कर दिया डिब्बे को खोलकर देखा गया तो एक रेक्जीन का बैग मिला जिसके अन्दर दो देशी रिवाल्वर व दवा के बोतलें डिब्बे में

10 भिन्न भिन्न प्रकार के कारतूस मिले गवाहो के सामने इस बारे में फर्दनामा बना जिस पर मैने भी दस्तखत किये, । PW-55

28/9/91 की सुबह जब भूपेन्द्र सिंह ने मुझे जूते का डिब्बा लाकर रखने को दिया था, उसके पहले मैने एक मोटर साईकिल भूपेन्द्र सिंह के घर पर आकर रुकी थी जिसकी आवाज मैने सुनी थी मै बिस्तर में ही था, इसलिये मैने यह नही देखा कि कौन आया था, और किस मोटर साईकिल पर आया था तकरीबन 10-15 मिनट बाद भूपेन्द्र सिंह ने मुझे बुलाया था, तब तक मोटर साईकिल सवार व्यक्ति जा चुका था मोटर साईकिल जाने की आवाज सुनी थी, नियोगी की हत्या के बाद मै रवि अपने क्वाटर में नही आया ।

लाला आटा चक्की में काम करने वाला एक लडका रवि वाले क्वाटर में अक्टूबर 1991 मे रहने लगा लाला आटा चक्की मालिक प्रकाश मिश्र के परिवार वालो का है, मै रवि के क्वाटर में रहने वाले लडके का नाम नही जानता हूँ ।

पढकर सुनाया तसदीक किया मेरे समक्ष,

हस्ता/सही,

//सत्य प्रतिलिपि//

§बी.एन.पी.आजाद, § 30/11/91

उप,
पुलिस, अधीक्षक /सी.बी.आई के
एस.आई.सी.II. /नई दिल्ली,
§कैम्प भिलाई§

P.W.-56

कथन

संतोष कुमार गुप्ता पिता भोलानाथ गुप्ता उम्र 27 वर्ष, डि-4, तीन मंजिला क्वार्टर्स, हाउसिंग बोर्ड, औद्योगिक क्षेत्र, जामुल ।

....

मैं हाउसिंग बोर्ड में पिताजी के साथ रहता हूं । मेरे पिताजी छत्तीसगढ़ डिस्टलरी कुम्हारी में पिछले 20 वर्ष से सुपरवाईजर हैं । हम चार भाई तथा एक बहन है । मेरे से दो भाई बड़े हैं । एक सुभाष गुप्ता बीएसपी में इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन है । दूसरा भाई अशोक गुप्ता केडिया डिस्टलरी में पिछले सात वर्षों से एकाउंटेंट है । छोटा भाई मनोज गुप्ता बी0काम0 सेकेंड ईयर प्राइवेट कर रहा है तथा रेलवे स्टेशन दुर्ग में सायकल स्टेण्ड चला रहा है । बहन संगीता बी0ए0 थर्ड ईयर में पढ़ रही है । मैं 10वीं कक्षा तक पढ़ा हूं । 11वीं कक्षा में कैम्प-1 हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ता था । पढ़ाई 9 साल पहले छोड़ दिया । वर्ष 1984 से छत्तीसगढ़ डिस्टलरी कुम्हारी में सिविल ठेकेदारी का काम प्रदीप देवड़ा ने मुझे दिलवाया था । छत्तीसगढ़ डिस्टलरी में मैंने टैंक, वाटर टैंक तथा रोड आदि बनवाने का कार्य तथा शेड बनवाने का कार्य किया है । करीब 12 लाख का काम किया है । उसके बाद केडिया डिस्टलरी में भी लेबर सप्लाई एवं सिविल वर्क का काम किया है । केडिया डिस्टलरी में छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा का हड़ताल चल रहा है। करीब तीन चार माह पूर्व छत्तीसगढ़ मोर्चा का लेबर शराब बोतल लेकर जा रहा था तो मेरे भाई अशोक ने उसको मना किया इस बात को लेकर लेबर मेरे भाई से मारपीट करने लग गये थे मैं भी वहां था इस पर जामुल थाना में दोनों तरफ से रिपोर्ट लिखाई गई थी । ज्ञान प्रकाश मिश्रा को जब कैम्प-1 स्कूल में पढ़ता था तभी से जानता हूं । इसने वहां पर हायर सेकेंडरी स्कूल का फार्म प्राइवेट भरा था । मेरे से इसकी दोस्ती था । करीब साल भर से ज्ञान प्रकाश से संबंध कम है । ज्ञान प्रकाश के साथ अवधेश राय तथा अभयसिंह रहते थे । अवधेश तथा अभय सिंह कैम्प-1 में रहते हैं ।

इस वर्ष मोहर्रम के दिन मैं घर पर था तब रात करीब आठ-साढ़े आठ बजे मेरे घर पर ज्ञान प्रकाश, अभय सिंह, छोटू, बलदेव सिंह संधू तथा एक आदमी और जिसका नाम नहीं जानता सफेद रंग की फियट कार में जिसको ज्ञान प्रकाश चला रहा था लेकर आये थे । ज्ञान प्रकाश मुझे बोला कि नियोगी कहां मिलेगा हम उसे ढूंढ रहे हैं । अभय सिंह तथा छोटू स्टेनगन लिये हुये थे । ज्ञान प्रकाश बोला था कि आज पूरी पुलिस मोहर्रम ड्यूटी में लगी आज नियोगी को मारने का अच्छा मौका है । नियोगी को पूरे आफिसों में ढूंढ लिया कहीं नहीं मिल रहा है । मैंने बताया था मुझे नहीं मालूम नियोगी कहां मिलेगा । मेरे से ज्ञान प्रकाश बोला था कि केडिया से पैसा दिलवाओ नियोगी का काम कर देते हैं तब मैं बोला था

...2/...

PW - 56

कि तुम मेडया से बात करो मैं इस संबंध में कुछ नहीं जानता इसके बाद ज्ञान प्रकाश अपने साथियों के साथ कार से चला गया था ।

ज्ञान प्रकाश के साथ करीब दो वर्ष पूर्व अपना टाकिज के मालिक के साथ हुई मारपीट में 307 का केस बना था उसमें मेरा भी चालान न्यायालय में हुआ है । यही मेरा बयान है ।

सही/-
13.10.91

सत्य प्रतिलिपि

Tc

Lai

PW-56.

ये कहा जाता था कि मैं केडिया का गुंडा हूं ।

ज्ञान प्रकाश मिश्रा मेरे साथ पढ़ता था इसलिये मैं उसको दसवीं कक्षा से ही अच्छी तरह से जानता हूं । 5-6 महीने पहले मैंने एक देशी रिवाल्वर ज्ञान प्रकाश मिश्रा से अपनी सुरक्षा के लिये लिया था । यह रिवाल्वर मैंने पुलिस को बरामद करवा दिया है । इस साल के मोहर्रम के दिन शाम को 7.30 बजे ज्ञान प्रकाश मिश्रा, ओटू, अभय सिंह, बलदेव सिंह संधु और एक आदमी के साथ एक सफेद फियट में मेरे घर आये थे । अभय सिंह, बलदेव सिंह संधु व ओटू को मैं पिछले डेढ़ वर्ष से जानता हूं, वे ज्ञान प्रकाश के साथ घूमते थे । वे लोग कार में बैठे हुये थे और मैं कार के पास खड़ा होकर बातें कर रहा था । गाड़ी को ज्ञान प्रकाश मिश्रा चला रहा था । ज्ञान प्रकाश मिश्रा ने कहा कि वे नियोगी को ढूंढ रहें हैं और उन्होंने हुडको और घासीदास नगर के आफिस में ढूंढा परन्तु वह कहीं नहीं मिला । उन्होंने कहा कि उस दिन सारी पुलिस मोहर्रम के इंतजाम में लगा था इसलिये नियोगी जी को मारने का अच्छा मौका था । उन्होंने मुझसे भी पूछा कि क्या मैं नियोगी के बारे में जानता हूं तो मैंने कहा मुझे नहीं मालूम है । गाड़ी में अभय सिंह व ओटू स्टेनगन लिये हुये थे । अभय सिंह, ज्ञान प्रकाश के साथ अगली सीट पर बैठा हुआ था तथा बाकी लोग पिछली सीट पर बैठे हुये थे उन्होंने मुझे अपने साथ चलने के लिये कहा परन्तु मैंने मना कर दिया । अभय सिंह ने मेरी तरफ हाथ बढ़ाकर कहा कि स्टेनगन ले लो, काम आयेगा, । मैंने कहा कि मुझे इसकी कोई आवश्यकता नहीं है । फिर अभय सिंह ने स्टेनगन अपने पास रख ली और वे लोग वहां से चले गये ।

पढ़कर सुनाया, सही पाया ।

मेरे समक्ष

(बी0एस0कंवर)
आरक्षी उपाधीक्षक
सी0बी0आई0/एस0आई0सी0-2
कैम्प- भिलाई

सत्य प्रतिलिपि

[signature]

PW-57 पी.डब्ल्यू 57

महेन्द्र कुमार सिंह उम्र 2[illegible] साल पुत्र स्वर्गीय महात्मा सिंह निवासी क्वा नं. टी.आर.टी. 284 ए.सी.सी. कालोनी जामुल दुर्ग ।

—00—

स्थाई पता :- गांव भिदुना डाकखाना - गौराबाजार पी.एस. गौराबाजार जिला जौनपुर, उत्तरप्रदेश ।

— —00—

मेरे स्वर्गीय पिता जी ए.सी.सी. में ड्रेसिंग विभाग में खलासी के पद पर काम करते थे मै मेरी मां और मेरा बड़ा भाई मेरे पिता जी के साथ ही रहते थे. मेरे पिता जी का निधन 5 वर्ष पूर्व हो गया था मेरे पिता के निधन के बाद मेरा परिवार मेरे मामा उपेन्द्र सिंह, बघेल, जो कि ए.सी.सी. में ही रहते है और ए.सी.सी. में ड्रेसिंग विभाग में हाई प्रेशर सिलेंडर का काम करते है के पास रहने लगा ।

मै अपनी पढ़ाई सिर्फ पांचवी कक्षा तक कर सका, ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं होने के कारण मैं प्रायः बेकार ही रहता था बीच में कुछ छोटे-मोटे काम कर लेता था । मैं चन्द्रभूषण सिंह उर्फ छोटू पुत्र श्री भरत सिंह और बलदेव सिंह पुत्र श्री केवल सिंह को पिछले 3-4 वर्षों से जानता हूँ और ये लोग मेरे अच्छे मित्र भी है । चन्द्रभूषण सिंह के पिता भी ए.सी.सी. में ही बस कंडक्टर है और वह ए.सी.सी. क्वार्टर में अपने पिता के साथ रहता है बलदेव सिंह एम.पी. हाउसिंग बोर्ड कालोनी में रहता है मै इन लोगों के घर आता जाता हूं और ये लोग भी मेरे घर आते जाते है ।

1990 में विश्वकर्मा पूजा के दिन मै चन्द्रभूषण सिंह के साथ ओसवाल आयरन इंडस्ट्रीज के कारखाने में जो चन्द्रकांत शाह का है चन्द्रभूषण सिंह के कहने पर गया था वहां, विश्वकर्मा पूजा का आयोजन था, इसलिये चन्द्रभूषण सिंह मुझे वहां ले गया था वहां चन्द्रभूषण ने मेरा परिचय ज्ञान प्रकाश मिश्रा से कराया, वहां अखिलेश राय और अभय सिंह, भी थे, चन्द्रभूषण सिंह ने ही मेरी पहचान अखिलेश राय से कराई वहां लगभग 150 लड़के उपस्थित थे, सभी के खाने पीने का प्रबंध था और कुछ लोग खाना खा भी रहे थे तभी बीच ज्ञान प्रकाश ने जोर से आवाज लगाई कि छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा के मजदूर कारखाने को बन्द कराने आ रहे

है, कारखाने का गेट बंद नहीं होना चाहिये और वह स्वयं गेट की ओर गया और साथ ही साथ अवधेश राय और अभय सिंह भी दौडे और उनके पीछे 35-40 लडके और दौडे । उसके बाद मै और चंद्रबक्श सिंह भी उनके पीछे गये । ज्ञान प्रकाश मिश्र, अवधेश राय और अभय सिंह, एवं अन्य कुछ लडको ने मिलकर किसी एक मजदूर की पिटाई कर दी कुछ हंगामा, हुआ और इसी बीच पुलिस भी आ गयी बाद में छत्तीसगढ मुक्ति मोर्चा की ओर से एक रैली भी निकली, जिसमें 6-7 हजार लोग थे जब रैली गुजर गयी तो मैं और चंद्रबक्श सिंह उस दिन बलदेव सिंह के घर गये क्योंकि उस दिन बलदेव सिंह का जन्मदिन था इसके बाद मेरी मुलाकात ज्ञान प्रकाश मिश्र, अवधेश राय या अभयसिंह से पुन: 1991 के बरसात के मौसम में ही हुई ।

1991 में मै ठेकेदार मन्नालाल तिवारी जो भिलाई स्टील प्लान्ट में ठेकेदारी का काम करते है के साथ काम करने लगा, मैने भी उनके काम में अपनी तरफ से 8-10 हजार रूपये लगाये थे उनके साथ मैने मोदी सीमेंट कम्पनी में भी काम किया लेकिन दोनो ही जगह के काम में मुझे घाटा हुआ और मै पुन: बेकार हो गया और अपने गांव चला गया, ।

गांव में मेरे जीजा जी, जो भिलाई में ही रहते है आये और मुझे सूचना दी कि चंद्रबक्श सिंह और बलदेव सिंह ने मुझे भिलाई में अतिशीघ्र बुलाया है मेरे जीजा जी ने मुझे ये भी बताया कि बलदेव सिंह और चंद्रबक्श सिंह ने कहा कि वे मेरे लिये कही नौकरी का प्रबंध कर रहे है मै बरसात के समय भिलाई आ गया वापिस भिलाई आकर मै चंद्रबक्श सिंह और बलदेव सिंह से मिला उन्होने बताया कि हम लोग ज्ञान प्रकाश मिश्र के पास जायेंगे । और उन्हे हम लोगो को कोई नौकरी दिलाने के लिये कहेंगे । बलदेव सिंह और चंद्रबक्श सिंह भी बेकार ही थे । भिलाई वापिस आने के 3-4 रोज बाद चंद्रबक्श सिंह और बलदेव सिंह के साथ मै बलदेव सिंह के स्कूटर पर ज्ञान प्रकाश मिश्र से मिलने उनके घर गया । वहा उनके नौकर, के बुलाने पर ज्ञान प्रकाश मिश्र बाहर आये, हम लोग ज्ञान प्रकाश मिश्र साहब के साथ उनके घर के सामने सडक के दूसरी तरफ पडे बल्ले पर बैठे और वही उनसे नौकरी. के विषय में चंद्रबक्श सिंह और बलदेव सिंह ने बातचीत की । ज्ञान प्रकाश मिश्र ने आश्वासन दिया कि वे प्रयत्न करेंगे । और हम लोगों के लिये कोई अच्छी सी नौकरी देखकर दिला देंगे । चूंकि हम तीनो ही बेकार थे, । और ज्ञान प्रकाश मिश्र भी

जब वो अपनी लूना से आ रहा था हमला किया उमाशंकर की पिटाई में इन लोगों ने राड वगैरह का इस्तेमाल किया उमाशंकर की पिटाई के बाद ज्ञान प्रकाश मिश्रा ने चन्द्रबक्श सिंह और बलदेव सिंह को एक लाल रंग की टी.वी. एस. सुजुकी मोटर सायकिल जिसका नम्बर एम.पी. 24 बी. 1707 था ये कहकर दी थी कि ये चन्द्रकान्त शाह, मोगवाल आयरन स्टील इंडस्ट्री वाले ने दी है और इसका इस्तेमाल नियोगी साहब कहां कहां भाषण के लिये उपस्थित होते है का पता लगाने के लिये कियाजाये इस बात को मुझे चन्द्रबक्श सिंह, और बलदेव सिंह ने कहा था उपरोक्त टी.वी.एस. सुज्जुकी मोटर साईकिल मिलने के बाद हम तीनो ही, इस पर घूमते थे, एक बार इसी मोटर साईकिल पर हम तीनों यानि मैं चन्द्रबक्श सिंह, और बलदेव सिंह ज्ञान प्रकाश मिश्रा, अभय सिंह और अवधेश राय के साथ सिमप्लेक्स कारखाने में नवीन शाह से मिलने के लिये गये हम लोग वहां ज्ञान प्रकाश मिश्रा के कहने पर गये थे वहां पर चन्द्रबक्श सिंह, बलदेव सिंह और मैं बाहर ही रहे और ज्ञान प्रकाश अभयसिंह, एवं अवधेश, राय अंदर नवीन शाह के पास बातचीत करने गये नवीन शाह के पास बातचीत करने वापिस आकर ज्ञान प्रकाश मिश्रा ने हम लोगों को सबके सामने बताया कि नवीन शाह ने कहा है कि अभी नियोगी साहब दिल्ली गये हुये है, उनके दिल्ली से वापिस आते ही उन्हे जान से मारना है, ।

उसके बाद अभयसिंह, के घर में 15-20 दिन के अंदर 3-4 बार खाने पीने का प्रोग्राम हुआ, इसमें मुर्गा, और मटन वगैरह बना। इन अवसरों पर मैं चन्द्रबक्श सिंह, बलदेव, सिंह, दोनो ज्ञान प्रकाश मिश्रा, अभयसिंह, अवधेश राय उपस्थित थे। उपरोक्त लोगों के अलावा, एक या 2 बार बी.के.सिंह जो बी.ई.सी. में कामकरता है, भी ज्ञान प्रकाश मिश्रा, के कहने पर आया बी.के.सिंह को बुलाने के लिये ज्ञान प्रकाश ने चिट्ठी देकर अवधेश राय और चन्द्रबक्श सिंह को भेजा था। इन अवसरों पर अक्सर ज्ञान प्रकाश मिश्रा, अभयसिंह, अवधेश राय से नियोगी के विषय में बात करते थे, वे लोग ये कहते थे कि नियोगी न खुद चैन से रह रहा है और न ही हम लोगों को चैन से रहने दे रहा है। जब अभय सिंह, के यहां खाने पीने का प्रोग्राम, था 2 बार वहां रवि उर्फ पलटन भी आया जो अभय सिंह के घर के सामने ही रहता था रवि जब वहां आया तो उसने भी खाना आदि खाया। ज्ञान प्रकाश मिश्रा ने ये कहते हुये रवि का परिचय कराया कि

P.W.-57 (114)

27/9/91 को करीब 9/30 बजे रात को मैं चंद्रप्रकाश सिंह और बलदेव सिंह ज्ञान प्रकाश मिश्रा के घर बलदेव सिंह के स्कूटर से गये । वहाँ पहुँचने पर हम लोगों ने देखा कि ज्ञान प्रकाश मिश्रा के घर के सामने खड़े तख्त के नजदीक देवू भाई और सूरज भाई 5-6 और लोगों के साथ खड़े थे, देवू भाई ने चंद्रप्रकाश सिंह से पूछा, कि हम लोगों को ज्ञान प्रकाश मिश्रा ने यहां बुलाया थां, पता नहीं वो कहां चला गया, क्या तुम्हे पता है कि वह कहां गया हो सकता है ' चंद्रप्रकाश सिंह ने कहा कि हो सकता है वो के.के. शा के पास एस.पी. हार्डिंग रोड कालोनी उनके घर चला गया हो । देवू भाई और चंद्रप्रकाश एवं मैं देवू भाई की मारुति से के.के. शा साहब के घर गये, वहाँ नौकर से पता चला कि ज्ञान प्रकाश मिश्रा वहाँ नहीं आया, । इस बीच अभय सिंह वहाँ पहुंच गया और बोला, कि उसे भी ज्ञान प्रकाश कहीं नहीं मिला और कहा कि काफी देर हो गयी अपने अपने घर जाओ । हम लोग, फिर चले गये, अगले दिन यानि 28/9/91 को सुबह, सवेरे नियोगी जी की हत्या के बारे में मालूम हुआ ।

चंद्रा मौर्या सिनेमा के साईकिल स्टैंड को ठेकेदार को ठेके पर देना था श्री ज्ञान प्रकाश मिश्रा ने ये ठेका अवधेश राय के नाम से लिया था जो कि दिनांक 1-10-91 से ज्ञान प्रकाश मिश्रा, अभय सिंह, और अवधेश राय ने शुरू किया । 1-10-91 से 30-40 दिन पहले ज्ञान प्रकाश मिश्रा, अवधेश राय और अभय सिंह ने चंद्रप्रकाश सिंह, बलदेव सिंह और मुझे, बताया कि ये सायकिल स्टैण्ड का ठेका ले रहे है इसमें हम तीनो यानि चंद्रप्रकाश सिंह बलदेव सिंह और मैं, काम करेंगे और हमें कम से कम 500-600 रूपये प्रतिमाह मिलेगा, और इसके अलावा 20 रूपये प्रतिदिन का भत्ता भी होगा, हमें ये भी कहा गया कि यदि ठेके में ज्यादा मुनाफा हुआ तो महीने में 500-600 के स्थान पर 1000-1100 रूपये भी दे देंगे । ठेका लेने पर थियेटर वाले को 20-25 हजार रूपये प्रतिमाह देना था जो ज्ञान प्रकाश , अभय सिंह, और अवधेश राय ने दिया,

P W-58

26.11.91

बयान : बयाने श्री विजय सिंह ठाकुर उर्फ पप्पू पुत्र श्री रघुराज सिंह ठाकुर, निवासी -मोतीपारा, अपोजिट हनुमान मन्दिर, वार्ड नं0 23, दुर्ग, टेलीफोन नं0- 3131।

.....

मैं उपरोक्त पते पर सपरिवार रहता हूँ और एल0आई0सी0 दुर्ग में एजेंट का काम करता हूँ एवं बी0कॉम0 पी0 फाईनल ईयर में और एक्स स्टूडेंट पढ़ाई भी कर रहा हूँ। हमारे मेरे पिता जी व उनके दो भाईयों के नाम होटल मान बुलाजी एवं ढाबा, मोती पारा को भी मैं अपने चचेरे भाईयों के साथ चलाता हूँ। हमारा परिवार गाँव अतर्रा, जिला बांदा, यू0पी0 से यहाँ पर करीब 80 साल से स्थापित हुआ है।

मैं ज्ञान प्रकाश मिश्रा निवासी भिलाई कैम्प-1 को अरसा करीब 3-4 साल से जानता हूँ क्योंकि वो मेरे साथ साईंस कालेज दुर्ग में पढ़ता था। अवधेश राय भी ज्ञान प्रकाश के साथ कभी कभी कालेज में मिलने आता था तभी से उसको भी मैं जानता हूँ और अभय सिंह को मार्च/अप्रैल 1991 से जानता हूँ। क्योंकि वो भी ज्ञान प्रकाश मिश्रा के साथ हमारे घर मिलने आता था।

मेरे दोस्त देवेन्द्र पाटनी उर्फ देबू, निवासी दुर्ग, का एक प्लाट ज्ञान प्रकाश मिश्रा के घर के पीछे की तरफ है जिस पर पड़ोसियों ने कब्जा करने की नीयत से थोड़ा थोड़ा चारों ओर से घेर लिया है। देवेन्द्र पाटनी उर्फ देबू ने ज्ञान प्रकाश मिश्रा को यह प्लाट देने का वायदा किया था और ज्ञान प्रकाश मिश्रा ने इसको पड़ोसियों से खाली करवाने का फैसला किया था और वो इस प्लाट को लेना चाहता था। इसके लिये ज्ञान प्रकाश मिश्रा, अभयसिंह, अवधेश राय, बलदेव सिंह, छोटे पहलवान, महेन्द्र, हितेश भसीन उर्फ टोनी अक्सर देबू से मिलने दुर्ग आते थे, जहाँ मैं भी उनसे मिलता था और हम अक्सर देवेन्द्र पाटनी के आफिस विश्वनाथ मिनरल्स, शीला होटल के पास में खड़े होकर बात चीत करते थे और हम सब काफी बार खाना पीना भी साथ खाते थे। देबू भी ज्ञान प्रकाश मिश्रा से दोस्ती बढ़ाता था क्योंकि दुर्ग में देबू का संतोष, सूर्या इत्यादि के साथ झगड़ा था जो उन पर दबदबा दिखाने के लिए ज्ञान प्रकाश मिश्रा व उसके साथियों की मदद चाहता था।

अगस्त, सितम्बर 1991 में करीब 10-15 बार ज्ञान प्रकाश मिश्रा अपने इन साथियों, अवधेश राय, अभय सिंह, बलदेव, छोटे व टोनी के साथ मेरे से व देबू से मिलने दुर्ग आए थे। वे कभी दिन में आते थे और कभी शाम के समय। इनके पास हीरो होंडा, काइनेटिक होंडा, लूना व एक लाल रंग की टी0वी0एस0 सुजुकी गाड़ियाँ होती थीं।

......2/...

शंकर गुहा नियोगी की हत्या के करीब 10-15 दिन पहले मैं और देवेन्द्र पाटनी शाम को अभय सिंह के घर में जो कि ज्ञान प्रकाश मिश्रा के घर के पास में ही है, करीब 7·30 बजे एक मारुति कार में उनसे मिलने पहुंचे थे जहाँ मुझे ज्ञान प्रकाश मिश्रा, अभय सिंह, हितेश उर्फ टोनी, बलदेव, छोटे पहलवान वगैरह मौजूद मिले जिनसे हमारी बातचीत हुई। वहाँ हमने खाना खाया और करीब 11 बजे वहाँ से अपने घर के लिए चल दिये।

नियोगी की हत्या के करीब एक सप्ताह पहले ज्ञान प्रकाश मिश्रा के संदेश पर मैं और देवेन्द्र पाटनी एक जिप्सी में 1/2 बजे अभय सिंह के घर पर पहुंचे, वहाँ पर हमें अभय सिंह, ज्ञान प्रकाश मिश्रा, छोटे पहलवान व एक और लड़का जिसका नाम हमें ज्ञान प्रकाश मिश्रा से रवि उर्फ पलटन मालूम पड़ा, भी मौजूद था। उस समय रवि टी शर्ट व जींस पहने हुए वहाँ बैठा था। ज्ञान प्रकाश मिश्रा ने रवि उर्फ पलटन से बातचीत की और वहाँ कुछ देर रुकने के बाद में, देवेन्द्र पाटनी, अवधेश राय और ज्ञान प्रकाश साडा में आए और उसके बाद हम दोनों वापिस दुर्ग पहुंच गए। मैं रवि उर्फ पलटन को देखने पर पहचान सकता हूँ।

नियोगी हत्याकांड के लगभग 20-25 दिन पहले देवेन्द्र कुमार पाटनी उर्फ देबू के माँगने पर ज्ञान प्रकाश मिश्रा ने, एक इम्पोर्टेड रिवाल्वर ·25 बोर का काले रंग का जो छोटे साईज का था और पॉकेट में आसानी से आ जाता था, देबू को दिया था। ज्ञान प्रकाश मिश्रा ने देबू के दफ्तर शिवनाथ मिनरल्स में बताया था कि उसने चंद्रकांत शाह से यह रिवाल्वर लेकर देबू को दिया है। मैंने देबू के पास वो रिवाल्वर अच्छी तरह से देखा था। नियोगी की हत्या के करीब 7-8 दिन पहले एक दिन जब मैं और देबू, देबू के आफिस में बैठे थे तो चंद्रकांत शाह शाम को करीब 8 बजे आया और देबू से अपना रिवाल्वर वापिस ले गया। नियोगी हत्याकांड के बाद यही रिवाल्वर पुलिस ने देबू से बरामद किया था, ऐसा लगता है कि वही रिवाल्वर देबू चंद्रकांत शाह से वापिस लाया था।

उसके 3/4 दिन बाद यानि नियोगी की हत्या के 2/3 दिन पहले शाम को करीब 8/8·30 बजे ज्ञान प्रकाश मिश्रा, अभय सिंह, हितेश उर्फ टोनी, अवधेश राय, रवि उर्फ पलटन, बलदेव, छोटे पहलवान और महेन्द्र प्रताप सिंह देवेन्द्र पाटनी उर्फ देबू के दफ्तर में शिवनाथ मिनरल्स में हमसे मिलने आए, मैं वहां मौजूद नहीं था लेकिन अभय सिंह व अवधेश राय मुझे मेरे होटल मान से मुझे बुलाकर देबू के उपरोक्त दफ्तर ले गए जहाँ देबू पहले ही इनके साथ मौजूद था। वे सब अपनी अपनी टू व्हीलर्स पर वहाँ पहुंचे थे जिसका मैंने पहले भी जिक्र किया है। वहाँ हमने आधे

PW-58...

घंटे तक बातचीत की । उसके बाद हम सब देबू की जिप्सी नम्बर एम0आई0एस0-5555 में बैठकर करीब 10 बजे रात दुर्ग में हो हन्ना ढाबा जोकि शिवनाथ नदी पर है, खाना खाने गए, वहाँ हमने खाना खाया । वहाँ रवि उर्फ पलटन जिप्सी से उतर नहीं रहा था और अपने को छुपाने की कोशिश कर रहा था तो ज्ञान प्रकाश मिश्रा ने बाद में उसको खाना ... और हम अपने वहाँ पर खाना खाया । उसके बाद हम सब वापिस शिवनाथ मिनरल्स दफ्तर आफिस आ गए और करीब 12 बजे रात के ये सब अपनी अपनी गाड़ियों पर बिदाई के लिए वहाँ से चल दिए।

उसके बाद देवेन्द्र पाटनी व सूरज सोनोरिया 27.9.91 को शाम करीब 9/10 बजे ज्ञान प्रकाश मिश्रा से मिलने उसके घर गए थे । मुझे बाद में मालूम पड़ा कि उस दिन इनको ज्ञान प्रकाश मिश्रा मिला नहीं ।

28.9.91 को करीब 9 बजे दिन में ज्ञान प्रकाश मिश्रा अपने काइनेटिक होंडा पर मुझसे मिलने मेरे घर आया, वह घबराया हुआ था और मेरे नजदीक आकर बोला "किसी को बताना नहीं, हमने बीती रात नियोगी को मार डाला" और कहा कि देवेन्द्र पाटनी (देबू) व सूरज को बताना है कि वो उसके (ज्ञान प्रकाश) के घर पर न पहुँचे क्योंकि वहाँ माहौल खराब है । फिर मैं व ज्ञान प्रकाश मिश्रा देवेन्द्र पाटनी के घर पहुँच गए । उसके बाद ज्ञान प्रकाश मिश्रा, मैं और देवेन्द्र पाटनी देबू के दफ्तर शिवनाथ मिनरल्स में इन्दिरा मार्केट दुर्ग में पहुँचे और हमने वहाँ 15/20 मिनट तक बातचीत की । देवेन्द्र पाटनी को भी ज्ञान प्रकाश मिश्रा ने नियोगी को जान से खत्म करने की बात बताई । उसी समय रवि उर्फ पलटन अपनी लाल रंग की टी0वी0एस0 सुजुकी मोटर साईकिल पर आया और देबू के इस आफिस के सामने मोटर साईकिल खड़ी करके दफ्तर में आया जहाँ पर मैं, देबू व ज्ञान प्रकाश मिश्रा बैठे थे । ज्ञान प्रकाश मिश्रा ने रवि उर्फ पलटन से अलग से बात की, उसके बाद ज्ञान प्रकाश मिश्रा के कहने पर कि पलटन को रुपए देने हैं, देबू ने मेरे सामने अपने गल्ले से व जेब में से पैसा जोकि करीब 10-15 हजार रुपया होगा ज्ञान प्रकाश को दे दिया जो कि 100-100 के नोट थे । रवि उर्फ पलटन भी वहीं मौजूद था । ज्ञान प्रकाश ने भी अपनी जेब से एक पचास के नोटों की गड्डी निकाली और उसको मिलाकर सारे रुपए उसने हमारे सामने पलटन उर्फ रवि को दे दिए और कहा कि "तुम गाँव चले जाओ और 1/2 महीने बाद आना"। उसके बाद रवि उर्फ पलटन अपनी लाल रंग की उसी मोटर साईकिल टी0वी0एस0 सुजुकी में चला गया और ज्ञान प्रकाश मिश्रा करीब आधे घंटे तक हमारे साथ बातचीत करता रहा। बातचीत में पूछने पर ज्ञान प्रकाश मिश्रा ने बताया कि जो नोटों की गड्डी उसने

Extra Judicial confession of G.P.

Red colour

...4/...

अपनी जेब से निकाल कर रा[illegible] उर्फ पल्टन को दी थी, वह रुपये उसे चंद्रकांत शाह ने उसी दिन सुबह दिए थे जब वह चंद्रकांत के घर गया था ।

उसके करीब 3 दिन बाद यानि 30 सितम्बर या 1 अक्टूबर को चंद्रकांत शाह को सफेद फियट कार में ज्ञान प्रकाश मिश्रा मुझे शाम को करीब 8 बजे अकेला दुर्ग में सूर्या जुआ कारनर के पास [illegible] और पूछा कि देबू कहाँ है तो मैंने बताया कि मुझे पता नहीं है । [illegible] और कोई खास बातचीत नहीं हुई और वो वहाँ से चला गया ।

उसके बाद 4 या 5 [illegible] 1991 को शाम को करीब 5/5.30 बजे अभय सिंह, ज्ञान प्रकाश [illegible] दोनो अपनी दु व्हीलर्स गाड़ियों पर मेरे भान होटल दुर्ग में आए और [illegible] किया और देबू के बारे में पूछा । मैंने पूछा कि क्यों देबू को पूछ रहे हो तो उन्होंने कहा कि अवधेश राय को नियोगी की हत्या के लिए पुलिस ने पकड़ लिया है और उसे (ज्ञान प्रकाश मिश्रा) पुलिस सीधा उठाने की हिम्मत नहीं कर रही है [illegible] लिए दुर्ग कोर्ट से उसका 107 के केस में वारंट निकलवाया है ताकि पुलिस उसे गिरफ्तार करके नियोगी की हत्या के बार में पूछताछ कर सके । उसने बताया कि जो आज दुर्ग कोर्ट अवधेश की पैरवी के लिए आया था, वहीं उसे यह मालूम पड़ा और उसके बाद वो दोनों सीधे देबू के दफ्तर शिवनाथ मिनरल्स, जहाँ वो नहीं मिला, से होकर मेरे पास आए हैं । उसने बताया कि इस वारंट को कैंसिल करवाने के लिए उसे देबू की मदद की जरूरत थी।

मेरे होटल में 30-35 मिनट बैठने के बाद देबू का पता करने के लिए मैं और ज्ञान प्रकाश मिश्रा देबू के घर गए और अभय सिंह व दोनो देबू के दफ्तर शिवनाथ मिनरल्स पहुँच गए । देबू हमें घर पर नहीं मिला और हम दोनों भी उसके दफ्तर शिवनाथ मिनरल्स में पहुँच कर बैठ गए और वहीं देबू का इन्तजार किया जो करीब 7-7.30 बजे वहाँ पहुँचा । वहीं बैठकर हम सबने बातचीत की ।वहाँ देबू ने कहा कि वो वारंट कैंसिल करा लेगा तब-तक अभय सिंह व ज्ञान प्रकाश 4/5 दिन के लिए यहाँ से कहीं बाहर चले जाएं । उसके बाद दोनो व अभय सिंह दोनो की हीरो होंडा मोटर साईकिल पर बैठकर भिलाई के लिये चल दिए । फिर हम वहाँ और आधे घंटे तक बैठे रहे । उसके बाद मैं ज्ञान प्रकाश मिश्रा, देवेन्द्र पाटनी, देबू की एम्बेसडर कार में अभय सिंह के घर भिलाई कैम्प-1 में पहुँचे, यहाँ अभय सिंह मिला जिसने अपना सामान बाँधा हुआ था । वहाँ से अभय सिंह ने अपना सामान उसी कार में डाला और जल्दी ही हम चारों यानि मैं, देबू, ज्ञान प्रकाश मिश्रा व अभय सिंह दुर्ग के लिए चल पड़े । दुर्ग पहुँचकर ज्ञान प्रकाश मिश्रा ने देबू को अपनी ही एम्बेसडर कार बाहर जाने के लिए देने को कहा तो देबू ने कहा कि वो गाड़ी

खतरा है, तो देबू द्वारो गाड़ी, मारूति वैन सफेद रंग, किराए की टैक्सी जो दुर्ग टैक्सी स्टैंड से चलती है, जाकर खुद लाया । देबू ने ज्ञान प्रकाश मिश्रा को कहा कि वो 2/3 दिन के पचमढ़ी घूमने चला जाए और रविवार या मंगलवार को शाम यानि 7/8·10·91 को उसके जीजा के घर छिंदवाड़ा में वे दोनों पहुँच जाएं जहाँ वो (देबू) उनको टेलीफोन पर बता देगा कि वारंट कैंसिल होने का क्या हुआ । वह रात के 12 और 1 बजे के बीच की बात है । उस समय ज्ञान प्रकाश मिश्रा व अभय सिंह को वैन में बैठे जिसमें देबू खुद पैट्रोल की टंकी फुल करा कर वहाँ लाया था, उस वक्त गाड़ी लाने अभय सिंह भी देबू के साथ गया था व मैं और ज्ञान प्रकाश मिश्रा उनका इन्तजार देबू की दल मिल के आफिस में बैठे कर रहे थे । उसके बाद ज्ञान प्रकाश मिश्रा और अभय सिंह उस मारूति वैन में बैठकर पचमढ़ी के लिए चले गए, देबू ने वैन के ड्राईवर को उनको पचमढ़ी छोड़कर वापिस आने को बोला था ।

8/9·10·91 को शाम को देबू ने मुझे अपने दफ्तर में बताया कि उसको छिंदवाड़ा बात हो गई है और ज्ञान प्रकाश व अभय सिंह उसके जीजा के घर छिंदवाड़ा पहुँच गए हैं । देबू ने बताया कि ज्ञान प्रकाश मिश्रा को अपना वारंट कैंसिल कराने के लिए दुर्ग कोर्ट में हाजिर होना पड़ेगा । दिनांक 9·10·91 को वहाँ मेरे सामने देबू ने अपने आफिस के एस0टी0डी0 फोन से छिंदवाड़ा अपने जीजा से रात के 11 बजे बात की और ज्ञान प्रकाश मिश्रा से भी बात की और बताया कि वारंट कैंसिल कराने के लिए उसको कोर्ट में 10 तारिख को हाजिर होना ही पड़ेगा तो ज्ञान प्रकाश मिश्रा ने कहा कि ठीक है वो वापिस दुर्ग आ जाएगा, तो देबू ने कहा कि दुर्ग स्टेशन पर ना उतरे बल्कि राजनांदगांव उतरे क्योंकि दुर्ग स्टेशन पर पुलिस के पकड़ने का खतरा है, तो ज्ञान प्रकाश मिश्रा ने कहा कि वो दोनों बम्बई हावड़ा मेल से 10 तारिख को दोपहर बाद राजनांदगांव करीब पौने चार बजे पहुँचेंगे । मैंने भी उस वक्त ज्ञान प्रकाश से बात की थी और उसका हालचाल पूछा था । फिर देबू ने मुझे कार या टैक्सी से अगले दिन उन दोनों को राजनांदगांव स्टेशन से लेकर आने को कहा ।

अगले दिन यानि 10·10·91 को सुबह 10/11 बजे देबू ने मुझे बताया कि वो आज कोर्ट का काम देख लेगा और मैं राजनांदगांव स्टेशन चला जाऊँ ।

उसके बाद मैं करीब 3 बजे टैक्सी स्टैंड से एम्बेसेडर कार टैक्सी, जिसे मेरे दोस्त बलदेवार द्वारा दिलवाया गया था, ले राजनांदगांव स्टेशन के लिए चल पड़ा । वहाँ ज्ञान प्रकाश मिश्रा व अभय सिंह करीब 3·45 बजे स्टेशन पर उतरे, मैंने

उनको अभय सिंह के घर पर पुलिस रेड की बात बतलाई । हम तीनों सीधे दुर्ग कोर्ट वाली साहब की कोर्ट में पहुँचे । जहाँ ज्ञान प्रकाश मिश्रा का वकील अशोक यादव था, उसका वारंट कैंसल करवाया फिर मैं ज्ञान प्रकाश उसी कार पर वापिस आ गए और ज्ञान प्रकाश ने अभय सिंह को गाँव जाने को कहा । वहाँ से हम तीनों देबू के आफिस में आ गए । वहाँ अभय सिंह को छोड़ दिया और मैं और ज्ञान प्रकाश मेरे दोस्त विक्की की माँगी हुई गाड़ी हीरो होंडा पर बैठकर ज्ञान प्रकाश के घर पहुँच गए और 5 मिनट बाद मैं व ज्ञान प्रकाश वापिस उसी गाड़ी पर देबू के आफिस पहुँचे तो देबू ने बताया कि उसने अभय सिंह को दुर्ग स्टेशन पर सारनाथ जाने के लिए छोड़ दिया है । फिर मैं ज्ञान प्रकाश मिश्रा को वापिस उसके घर छोड़ कर आया । अगले दिन पेपर में मुझे पता लगा कि ज्ञान प्रकाश मिश्रा को पुलिस ने पकड़ लिया है ।

चंद्रकांत शाह को मैं ज्ञान प्रकाश मिश्रा व देबू के साथ सूरज कांकरिया के दफ्तर में 2/3 बार मिला हूँ और मैं उनको पिछले 2/3 साल से जानता हूँ । मैं चंद्रकांत शाह के बड़े भाईयों मूलचंद शाह व नवीन शाह को भी जानता हूँ । पिछले काफी समय से यानी करीब एक साल से सिम्पलैक्स इंडस्ट्रीज में मजदूरों की हड़ताल चल रही थी जिससे कम्पनी नुकसान में थी जैसा कि मुझे ज्ञान प्रकाश मिश्रा ने बताया था । ज्ञान प्रकाश मिश्रा व चंद्रकांत शाह गहरे दोस्त हैं व सिम्पलैक्स ग्रुप की इंडस्ट्रीज में मजदूरों के झगड़ों के समय चंद्रकांत शाह, ज्ञान प्रकाश मिश्रा व उपरोक्त नाम बताए गए उसके साथियों की मदद लेता था और ज्ञान प्रकाश व उसके साथी हड़ताली मजदूरों के साथ मारपीट करते थे । चंद्रकांत शाह ने अपने पाटन वाले ईंट भट्ठे को चालू करने व लाभ कमाने के लिए ज्ञान प्रकाश मिश्रा के सुपुर्द किया था जिसको ज्ञान प्रकाश मिश्रा संभालता था । जहाँ तक मुझे लगता है चंद्रकांत शाह उसके परिवार के कहने पर ही ज्ञान प्रकाश मिश्रा और रवि उर्फ पलटन ने नियोगी की हत्या की है । चंद्रकांत शाह बहुत ही गुस्सैल, झगड़ालू व बदमाश प्रवृत्ति का आदमी है क्योंकि चंद्रकांत शाह व ज्ञान प्रकाश दोनों ही कुख्यात गुंडे हैं इसलिए इनके डर की वजह से यह सब बातें मैंने किसी को नहीं बताई ।

TC

मेरे समक्ष

होशियार सिंह

निरीक्षक

सी0बी0आई0/एस0आई0सी02

कैम्प भिलाई

पी.डब्ल्यू-58

आर.सी.-9(एस)91।

तारीख 20/12/91

ब्यान (नतीजा) श्री विक्रम सिंह ठाकुर पुत्र श्री रघुराज सिंह ठाकुर नि. मोतीपारा वार्ड नं. 23 दुर्ग.

PW-58

--00--

मैं श्री ज्ञान प्रकाश मिश्रा उर्फ बाबू को पिछले कई वर्षों से जानता हूँ मैं और ज्ञान प्रकाश मिश्रा शासकीय कला एवं विज्ञान महाविद्यालय दुर्ग में इकट्ठे ही पढ़ते थे। मैं बी.काम में था और ज्ञान प्रकाश बी.ए.में, हम लोग अच्छे दोस्त बन गये थे और हमारा उसका मिलना जुलता था, ज्ञान प्रकाश का घर कैम्प । में है और कालेज से उसके घर की दूरी 7-8 कि.मी. है मेरे घर से कालेज की दूरी लगभग 1 कि.मी. है कभी कभी ज्ञान प्रकाश मेरे पास पत्र भी लिखकर किसी किसी के हाथ अपने जानने वाले लड़के के हमारे कालेज में दाखिले के सम्बन्ध में भेजता था पढ़ाई के दौरान उसकी लिखाई देखने का भी अवसर मिलता रहता था अतः मैं उसकी हिन्दी और अंग्रेजी कि लिखाई अच्छी तरह पहचानता हूँ।

आज मुझे हिन्दी में लिखे तीन पत्र दिखाये गये जिनमें दो पत्र लाइन वाले कागज पर लिखे गये है और जिन पर 12/11/91 के दो हस्ताक्षर (गवाहों के) है और जिनमें से एक पत्रों में तारीख पड़ी है एक में नहीं एक पत्र की तारीख 4/2/89 है तीसरा पत्र सादे कागज पर लिखा है, और जिस पर भी 12/11/91 की तारीख के साथ दो हस्ताक्षर है और जिस पर 13/4/87 तारीख पड़ी है। इन तीनो पत्रों के देखने के बाद मैं ब्यान करता हूँ कि ए तीनो ही पत्र ज्ञान प्रकाश कि लिखाई में है और इन तीनो पत्रों पर मैं उसकी हस्तलिपि पहचानता हूं इन तीनो पत्रों में हस्ताक्षर भी ज्ञान प्रकाश मिश्रा के ही है। मुझे पथुलन कास्माटिक्स का एक कैशबिल नं. 10362 दिखाया गया जिसके पीछे अंग्रेजी में लिखावट है स्याही में। इस लिखावट को देखने के बाद मैं पहचानता हूं कि यह अंग्रेजी कि लिखाई श्री ज्ञान प्रकाश मिश्रा के हाथ की है।

//सत्यप्रतिलिपि//

मेरे समक्ष
हस्ता/सही,
रा.स.प्रसाद,
20/12/91
उ.पु.अ. कैम्प भिलाई.

दिनांक : 1·12·91

बयान श्री देवेन्द्र कुमार पाटनी उर्फ देबू पुत्र श्री गुलाब चन्द पाटनी, निवासी- जैन गली, सदर बाजार, दुर्ग।

PW-59

मेरा जन्म दुर्ग में ही हुआ व मैं वहीं पढ़ा लिखा। मैंने सन् 1977 में एम0 काम0 किया व उसके बाद अपने पारिवारिक व्यवसाय में लग गया। हमारे परिवार को दो दल मिल, एक पोवा मिल व एक चावल मिल हैं।

मार्च 1991 में मैंने मानसिंह, रतनाकर राव, मोहन खंडेलवाल व राकेश शर्मा के साथ मिलकर मध्य प्रदेश मिनरल्स कार्पोरेशन से शिवनाथ नोद की रेती की खदानों का ठेका 20 लाख रुपए में लिया। इसके लिए हमने शिवनाथ मिनरल्स के नाम से फर्म बनाई जिसका दफ्तर इन्दिरा मार्केट दुर्ग में है। मार्च 1991 से मैं शिवनाथ मिनरल्स के दफ्तर में ही बैठता हूं।

मेरा एक प्लाट कैम्प नं0 1 भिलाई में है जिसपर बिहारी लोगों ने जबरदस्ती कब्जा कर रखा है। मेरा काफी समय से अनिल जैन दुर्ग वाले से झगड़ा चल रहा है। अनिल जैन ने संगीत सूर्या नामक गुंडे को मेरे पीछे लगा रखा है व संगीत सूर्या ने मुझे कई बार जान से मारने की धमकी दी है। एक बार मैंने संगीत सूर्या को, जब वो मेरे से जबरदस्ती पैसे वसूलने आया था, पुलिस से पकड़वा दिया जिसके बाद वो मेरे ज्यादा ही पीछे पड़ गया। मैं एक तो अपने प्लाट के चलते व दूसरे संगीत सूर्या के कारण काफी परेशान रहता था। इन सबसे निबटने के लिए मेरे दोस्त विक्रम सिंह ठाकुर ने अब से करीब 6-7 महीने पहले मेरी मुलाकात ज्ञान प्रकाश मिश्रा जो कैम्प -1 भिलाई में रहता है, से कराई। ज्ञान प्रकाश मिश्रा का नाम मैंने काफी पहले से सुन रखा था। वो अपने इलाके का बदमाश है। ज्ञान प्रकाश मिश्रा के बारे में मैंने ये भी सुन रखा था कि वो सिम्पलैक्स ग्रुप वालों का खास आदमी है व मैंने सुना था कि वो उनके कहने से कई मजदूर नेताओं को पिटवा चुका है। मैंने ये सोचते हुए कि ज्ञान प्रकाश मिश्रा मेरा काम करवा सकता है, उसी बात की। ज्ञान प्रकाश मेरे प्लाट को खाली कराने के लिए राजी हो गया व कहा कि अगर मैं चाहूं तो प्लाट उसे दे दूं वो मेरे जितने पैसे लगे हैं, मुझे दे देगा। संगीत सूर्या के बारे भी ज्ञान प्रकाश ने कहा वो उससे निपट लेगा।

------2

 PW-59

मेरे को ज्ञान प्रकाश की बातों से बड़ी राहत मिली व मैंने सोचा मेरे सब काम ठीक हो जायेंगे ।

इसके बाद मेरा ज्ञान प्रकाश के यहां आना जाना शुरू हो गया । ज्ञान प्रकाश से मुलाकात के बाद मेरा परिचय उसके आदमियों अभय सिंह, अवधेश राय, रवि, बलदेव सिंह, छोटू पहलवान व टोनी आदि से हुआ । ये सभी ज्ञान प्रकाश के खास आदमी हैं व उसके साथ ही रहते व घूमते फिरते हैं । ज्ञान प्रकाश व उपरोक्त सभी लड़कों का ज्यादातर उठना बैठना ज्ञान प्रकाश के घर के सामने टेलर की दुकान के आगे व अभय सिंह के घर पर रहता था । मैं माह अगस्त व सितम्बर 1991 में कई बार ज्ञान प्रकाश, अभय सिंह, रवि, अवधेश, बलदेव व छोटू से मिला हूं । ये सभी मेरी दुकान शिवनाथ मिनरल्स में भी आते थे । तीन-चार बार मैंने इनके साथ शिवनाथ नदी के पास खन्ना ढाबे पर खाना भी खाया है । नियोगी की हत्या के 2-3 दिन पहले भी मैंने व विक्रम सिंह ने ज्ञान प्रकाश, अभय सिंह, अवधेश राय, रवि, बलदेव सिंह, छोटू व टोनी के साथ खन्ना ढाबे पर रात में खाना खाया था । उस दिन रवि गाड़ी से नहीं उतर रहा था (मेरी जिप्सी) जिसे बाद में मिश्रा ने बाहर बुलाया तो उसने खाना खाया ।

अगस्त 1991 में मुझे मेरे एक रिश्तेदार का दाखिला बी0आई0टी0 में कराना था । क्योंकि बी0आई0टी0 में सिम्पलैक्स ग्रुप का एक कोटा है तो मैंने ज्ञान प्रकाश से इस बारे बात की । ज्ञान प्रकाश मुझे लेकर मूलचन्द शाह के पास गया व दाखिले के बारे में बात की लेकिन मूलचन्द ने कहा वो उनके कोटे से पहले ही दाखिला करा चुके हैं । इसके बाद ज्ञान प्रकाश मुझे नवीन शाह के पास ले गया लेकिन नवीन शाह दफ्तर में नहीं मिला ।

सितम्बर माह के पहले सप्ताह में एक दिन मेरे को संगीत सूर्या के आदमियों ने घेरने की कोशिश की लेकिन मैं किसी तरह बच निकला । दूसरे दिन जब मैंने ये बात ज्ञान प्रकाश मिश्रा को बताई तो वो मेरे को लेकर चंद्रकांत शाह के पास उसके जैन शाह कम्पनी के दफ्तर आकाश गंगा गया व चंद्रकांत से मुझे एक छोटा पिस्तौल दिलाया व कहा कि मैं पिस्तौल रखूंगा तो लोगों को पता लग जायेगा व मुझे तंग नहीं करेंगे । अत: मैंने पिस्तौल रख ली । नियोगी की हत्या के बाद में ये पिस्टल मेरे से पुलिस ने बरामद कर ली ।

3

 PW-59

ज्ञान प्रकाश फिर करीब एक घंटे बाद फिर मेरे पास आया व मुझसे 5000/- रु0 और मांगे । मैंने पूछा इतने रुपयों की क्या जरूरत पड़ रही है तो ज्ञान प्रकाश ने बताया कि नवीन शाह व चंद्रकांत शाह नियोगी को मरवाने के लिए पीछे पड़े हुए थे, रात रवि ने नियोगी को गोली मार दी क्योंकि रवि को यहां से महीने दो महीने के लिए भगाना था सो जो रुपए सुबह मेरे से लिए थे वो व 4500/- रु0 जो उसने चंद्रकांत से सुबह ही लिए थे, वो सब रवि को दे दिए व अब उसके पास कुछ नहीं बचा था, अतः उसे रुपयें चाहिए । मैं ये सुनकर काफी घबरा गया । उसकी सुबह वाली बात को मैंने मजाक समझा था । मेरी घबराहट देखकर ज्ञान प्रकाश ने कहा तुम क्यों घबराते हो सब देख लेंगे । जहां तक तुम्हारे रुपयों का सवाल है वो मारे नहीं जायेंगे, नवीन शाह से ले लेना चिट्ठी लिखकर मैं दे देता हूं । इतना कह कर ज्ञान प्रकाश ने नवीन शाह के नाम चिट्ठी लिखकर मुझे दी व कहा कि नवीन शाह से 20,000/- रु0 ले लेना । ज्ञान प्रकाश को रुपया मना करने की मेरी हिम्मत नहीं हुई व मैंने 5000/- रु0 लाकर उसें दे दिए । रुपये लेकर ज्ञान प्रकाश चला गया । उसी दिन दोपहर बाद मैं आकाश गंगा गया जहां मेरी भेंट चंद्रकांत शाह से उसके दफ्तर में हुई । मैंने चंद्रकांत को बताया कि ज्ञान प्रकाश ने सुबह मेरे से कुल 19,500/- रु0 लिए थे व नवीन भाई के नाम चिट्ठी दी है । चंद्रकांत ने पूछा चिट्ठी कहां है तो मैंने चिट्ठी उसे दिखाई । चंद्रकांत ने चिट्ठी पढ़ी व हंसने लगा और कहा बेवकूफ है ये भी कोई लिखने की बात है । इतना कहते हुए चंद्रकांत ने वो चिट्ठी फाड़ दी व मुझे कहा रुपये मिल जायेंगे ।

4.10.91 को विक्रम सिंह के साथ ज्ञान प्रकाश, अभय सिंह व टोनी शाम मेरे दफ्तर पर आए । ज्ञान प्रकाश ने मुझे बताया कि पुलिस ने उसका किसी पुराने केस में वारंट निकाला है व गिरफ्तार करने के चक्कर में है अतः वो बाहर जाना चाहता है व मेरे से किसी गाड़ी का इन्तजाम करने को कहा । मैंने कहा मेरी गाड़ी तो खराब है तो उसने कहा कोई टैक्सी कर दो वो पचमढ़ी तक जायेगा । मैंने कहा ठीक है टैक्सी का प्रबंध कर देता हूं । तो ज्ञान प्रकाश ने कहा पहले उसका सामान भिलाई से ले आऊं, जिसके लिए उसने पहले ही अभय सिंह को टोनी के साथ भेज दिया था तो मैं उसके साथ अपनी अम्बैसडर में जाकर अभय सिंह के घर से सामान ले आया । विक्रम सिंह भी हमारे साथ गया था । फिर तरूण ऑटो सर्विस वाले बंटू मिस्त्री

 PW-59

से एक पार्जीत वैन का प्रबंध कर दिया जिससे ज्ञान प्रकाश व अभय सिंह दोनों रात करीब 12/1 बजे दुर्ग से पचमढ़ी के लिए रवाना हो गए । जाते समय ज्ञान प्रकाश ने मुझे भी साथ चलने को कहा जो मैंने कहा मुझे मेरे जीजा के यहां छिंदवाड़ा जाना है । इस पर उसने मुझसे मेरे जीजा के बारे पूछा कि वो क्या करते हैं, कहां रहते हैं जो मैंने उसे बता दिया । ज्ञान ने मुझे ये भी कहा कि मैं उसके वारंट के बारे पता रखूं कि कैंसिल हो गया या नहीं ।

9.10.91 को ज्ञान प्रकाश का मेरे पास टेलीफोन आया, मैंने उसे बताया वारंट कैंसिल कराने के लिए उसे अदालत में हाजिर होना पड़ेगा । उसके बाद ज्ञान प्रकाश का टेलीफोन मेरे जीजा के घर से आया व उसने बताया कि वो 10.10.91 को गाड़ी से राजनांद गांव आयेगा । जहां मैं विक्रम सिंह को कार के साथ भेज दूं । मैंने विक्रम सिंह को अगले दिन राजनांद गांव जाने को बता दिया ।

10.10.91 को ज्ञान प्रकाश व अभय सिंह, जिन्हें विक्रम सिंह राजनांद-से ले आया था, शाम को मुझे मिले तो ज्ञान प्रकाश ने बताया उसने वारंट कैंसिल करा लिया है । अभय के घर क्योंकि पुलिस का छापा पड़ा था अतः वो उसी रात सारनाथ गाड़ी से दुर्ग से चला गया ।

रवि का असल नाम मुझे बाद में पलटन होना मालूम हुआ था । उपरोक्त बातें मैंने किसी को नहीं बताई क्योंकि एक तो ज्ञान प्रकाश ने मना किया था दूसरे मुझे खुद ही उनसे डर लगता था ।

आर०ओ०एस०सी० ।

सत्य प्रतिलिपि

मेरे समक्ष
सही-
आरक्षी उपाधीक्षक
सी०बी०आई०/एस०आई०सी०-2
कैम्प भिलाई

आर.सी. 9(एस)91   PW-57 पी.डब्ल्यू -59

तारीख 17/12/91

जारी(नतीजा) बयान श्री देवेन्द्र कुमार पाटनी उर्फ देवू पुत्र श्री गुलाब चंद्र पाटनी नि. जैनगली सदर बाजार दुर्ग ।

आज मुझे 6 ( ) टुकडों में फटी 28/9/91 को हिन्दी में लिखी चिट्ठी दिखाई गई । इस पत्र को देखने के बाद मैं बयान करता हूँ कि यह वही पत्र है जिसे श्री ज्ञान प्रकाश मिश्र उर्फ ज्ञानू ने 28/9/91 को मेरे सामने लिखी थी और मुझे नवीन शाह सिम्पलेक्स कास्टिंग्स वाले से 20 हजार रुपये लेने के लिये दी थी मैं आगे बयान करता हूँ कि यह वही चिट्ठी है जिसे मैने श्री चंद्रकांत शाह को उनके जन शाह कं. के आफिस आकाश गंगा में दे दी थी और जिसे श्री चंद्रकांत शाह ने मेरे सामने ही फाड दिया था । मै इस पत्र पर श्री ज्ञान प्रकाश कि लिखावट और उनके हस्ताक्षर पहचानता हूँ जिसे उसने मेरे सामने ही लिखा था, ।

मेरे समक्ष

हस्ता/सही,

रा.स. प्रसाद

17/12/91

उप.पु.अधीक्षक,

कैम्प भिलाई,

TC

Pw 60

पी डब्ल्यू-60

दि0 9.12.91

बयान श्री रामकुमार हरमुख उर्फ बंटू मिस्त्री पुत्र स्व0 मुकुन्द हरमुख उम्र 44 साल साकिन कसारडीह दुर्ग।

....

मेरी तरुण आटो सर्विस के नाम से जी.ई.रोड दुर्ग पर मोटर गैराज है। मैं देवेन्द्र पाटनी उर्फ देबू को पिछले कई सालों से जानता हूं उसकी गाड़ियां मेरी गैराज में ही ठीक होती है। देवेन्द्र पाटनी के पास एक जिप्सी व दो अम्बेसडर कार है व उसका मेरी गैराज में काफी आना जाना है। देवेन्द्र पाटनी के साथ उनके दोस्त विक्रम सिंह, राजू महाराज, टीनू इत्यादि भी मेरी गैराज में आते हैं।

पिछले तीन चार महीने से देवेन्द्र पाटनी के साथ कुछ उनके नये दोस्त भी मेरी गैराज में आने जाने लगे जिनमें मैं ज्ञानप्रकाश व अभयसिंह को तो नाम से जानता हूं।

4 अक्टूबर 91 को शाम करीब 9/9.30 बजे जब मैं अपनी गैराज में काम कर रहा था तो देवेन्द्र पाटनी विक्रमसिंह, ज्ञानप्रकाश व अभयसिंह के साथ अम्बेसडर कार में आये व मेरे से बताया कि ज्ञानप्रकाश व अभयसिंह को 3-4 दिन के लिए पचमढ़ी जाना है व किसी गाड़ी का इंतजाम करने को कहा। मैं टैक्सी लेने के लिए बस स्टैंड गया लेकिन कोई टैक्सी नहीं मिली। मैंने गैराज लौटकर उनको बताया व कहा कि अगर ज्ञानप्रकाश व अभयसिंह मारुती वैन से जाना चाहे तो प्रबंध हो सकता है। मारुति वैन का मैंने इस लिए कहा क्योंकि उस समय कौशल देशमुख की मारुती वैन नं0 एमपी 24-ए 8256 मेरी गैराज में ही थी। कौशल देशमुख से मेरा भाई जैसा रिश्ता है वो चन्द्रपुरी दुर्ग में रहता है। ज्ञानप्रकाश व अभयसिंह वैन से जाने को तैयार हो गये तो मैंने कहा मैं वैन ड्राइवर टीकम दास साहू को ले आता हूं इस पर वे लोग देवेन्द्र के मिल चले गये व मेरे को ड्राईवर लेकर मिल पहुंचने को कहा। उनके जाने के बाद मैं वैन से टीकमदास के घर गया व उससे 3-4 दिन के लिए पचमढ़ी जाने को कहा। टीकमदास ने जाने से इंकार कर दिया क्योंकि उसका बीएसपी में नौकरी के लिए इंटरव्यू था। मैं फिर वैन से देवेन्द्र पाटनी के मिल गया व ड्राइवर के न जाने की बात बताई तो देवेन्द्र पाटनी व अभयसिंह मेरे साथ वैन में फिर टीकमदास के घर आए। देवेन्द्र पाटनी ने टीकमदास को कहा कि सिर्फ पचमढ़ी छोड़कर आ जाना वहां रुकना नहीं। टीकमदास जाने को तैयार हो गया।

इसके बाद हम टीकमदास को लेकर ढोढी पेट्रोल पंप आए जहां टैंक फुल कराया व फिर देवेन्द्र के मिल गए जहां ज्ञानप्रकाश व अभयसिंह ने मारुती में अपना सामान रखा व पचमढ़ी के लिए रवाना हो गये। वे रात करीब 1 बजे वहां से चले थे। मारुती वैन का भाड़ा वैसे तो चार रु0 प्रति किलोमीटर है लेकिन क्योंकि देवेन्द्रपाटनी ने गाड़ी भिजवाई थी इसलिए हमें हिसाब किताब की चिंता नहीं थी। टीकमदास 6.10.91 को पचमढ़ी से अकेला वापिस आया व बताया ज्ञानप्रकाश ने उसे सिर्फ 200 रु0 दिए व तेल टैंक फुल कराया था।

R.S. Jhankar

सही/9.12.91

डीवाईएसपी/सीबीआई/एसआईसी-2

न्यू रेस्ट हाउस कैंप भिलाई

सत्यप्रतिलिपि

[signature]

PW-61

पी डब्ल्यू-61

दि0 10.12.91

ब्यान श्री टीकम दास साहू आ0 मनीलाल साहू उम्र 28 साल साकिन दुर्गा चौक शंकर नगर दुर्ग ।

......

मैं गांव उतई थाना उतई जिला दुर्ग का रहने वाला हूं व पिछले 5-6 महिने से अवधेश कुमार शर्मा के मकान में उपरोक्त पते पर किराए पर रह रहा हूं । मैं माह अक्टूबर में कौशल कुमार देशमुख जो चंदखुर्द में रहते हैं, कि मारूति वैन नंबर एम0पी0 24-ए-8256 चलाता था जो मैंने करीब डेढ़ महीना पहले छोड़ दी । आजकल मैं उत्तमचंद जेठवानी उर्फ लालाजी की गाड़ी चलाता हूं ।

4.10.91 को रात मैं अपने घर सोया था कि करीब 12 बजे बंटू मिस्त्री, तरूण आटो सर्विस का मालिक उपरोक्त वैन जो मैं घर जाने से पहले देशमुख के यहां छोड़ आया था, में मेरे घर पहुंचा व मेरे को पचमढ़ी (3-4 दिन के लिए) जाने के लिए कहा । मैंने जाने से इंकार कर दिया क्योंकि मेरा 9.10.91 को बीएसपी में नौकरी हेतु इंटरव्यू था । इस पर बंटू चला गया । करीब आधा घंटा बाद बंटू देवेन्द्र पाटनी उर्फ देबू व एक अन्य आदमी के साथ फिर मेरे घर आए । देवेन्द्र पाटनी जिसको मैं पहले से जानता हूं, ने मुझे पचमढ़ी जाने को कहा तो मैंने फिर इंटरव्यू की बात बताई । इस पर पाटनी बोला कि मैं सिर्फ पचमढ़ी छोड़कर आ जाऊं । मैं तैयार हो गया व फिर उनके साथ वैन में पास छोटी पेट्रोल पंप पर गए जहां उन लोगों ने टैंक फुल कराया फिर वहां से हम देवेन्द्र पाटनी के मिल गए जहां पर दो आदमी मेरी वैन में बैठे । उनको लेकर मैं उनके कहे अनुसार पचमढ़ी गया । मैं उनको लेकर रात करीब एक बजे दुर्ग से चला व सुबह सात बजे सिवनी पहुंचे जहां एक होटल पर चाय पी । सिवनी से छिंदवाड़ा होते हुए वे मुझे पचमढ़ी में सीधे नीलाम्बर काटेज ले गए जहां पर वे दोनों रूके । मेरे को भी उन्होंने एक अलग कमरे में रखा । नीलाम्बर काटेज हम करीब 1 बजे पहुंचे थे । नहा धोकर वे मुझे खाना खाने के लिए बाहर ले गए व पाण्डव गुफा, गुप्त गुफा इत्यादि घूमें । रात को मैं वहीं काटेज में ही रहा व दूसरे दिन सुबह यानि 6.10.91 को अकेला वैन लेकर दुर्ग के लिए रवाना हो गया व शाम 8-9 बजे दुर्ग पहुंचा । उन्होंने चलने से पहले मुझे 200/ रू0 दिए व तेल टैंक भरा दिया था।

उपरोक्त दोनों आदमियों के नाम मुझे बात बात में हानू व अभयसिंह मालूम चले । मैं इन दोनों को सामने आने पर पहचान सकता हूं । मैंने हानू व अभयसिंह से पूरे पैसे इसलिए नहीं मांगे क्योंकि गाड़ी को बंटू व देवेन्द्र पाटनी ने भिजवाया था । लौटने पर जब मैंने देवेन्द्र पाटनी को बताया तो भी पता चला कि हानू व अभय सिंह ही मेरे साथ पचमढ़ी गए थे ।

पढ़कर सुनाया सही माना ।

R.S. Dhankar

सही/10.12.91

उप अधीक्षक पुलिस

सी0बी0आई0 नई दिल्ली

कैंप भिलाई

TC

[illegible]

बयान पी डब्लू 62

वीरेन्द्र कुमार सिंह आ0 श्री राम बहादुर सिंह क्षत्री उमर 21 साल सा0 चिंतामणि रायकाटोला थाना बैरिया जिला बलिया उ0प्र0 हाल मुकाम न्यू संतोषी पारा कैंप नं0 1 थाना छावनी जिला दुर्ग म0प्र.

Dred

...

मैं ग्राम चिंतामणि रायकाटोला थाना बैरिया जिला बलिया उ.प्र. का मूल निवासी हूं। गांव में खेती बाड़ी और पक्का मकान है मेरे पिताजी रायपुर पुलिस लाइन हवलदार है मेरी मां का नाम अखाड़ा मैया देवी है जो पिताजी के साथ रायपुर में रहती है हम लोग 5 भाई है सबसे बड़ा भाई राजबचन सिंह 25 साल शिवबचन सिंह 25 साल सुरेन्द्र कुमार सिंह 21 साल जिन के साथ मैं जुड़वा पैदा हुआ हूं सबसे छोटा भाई संजय कुमार सिंह है सभी भाई गांव में रहते हैं मैं मैट्रिक फेल हूं सन 1987 में बीईसी कंपनी खोज में गार्ड की नौकरी करता था 375/ रूपया वेतन मिलता था सन 1989 में मेजर बेंजामिन ने मुझे सिक्युरिटी गार्ड में फिल्ड आफिसर बना दिया है तबसे 1250/ रू0 वेतन मिलता है गार्डों की चेकिंग का काम करता हूं दि0 12 सितंबर 1991 को मुझे दुर्ग कलेक्टर से 12 बोर बंदूक का लायसेंस मिला था उसके लिए मैंने बहुत पहिले से दरखास्त दे रखी थी उसी दिन मैं रायपुर बंदूक तथा कारतूस खरीदने जा रहा था तो ज्ञान प्रकाश मिश्रा पलटन के साथ आये और मुझसे कहा कि उसे भी चार एल0जी0 की जरूरत है एक उसके पास है तीन एल0जी0 की मांग मुझसे किया मैंने कारण पूछा तो उसने कहा कि फिर बतायेंगे। ज्ञान प्रकाश मिश्रा से मेरा पूर्व से परिचय है। और दादा किस्म का आदमी है मैंने कहा कि अच्छा मैं दे दूंगा इस पर ज्ञान प्रकाश ने पलटन को 500/ रूपया दिया और कहा कि तुम भी इसके साथ में रायपुर चल दो। तब मैं और पलटन उसके द्वारा लाई गई सुजुकी मोटर सायकिल जिसका नंबर याद नहीं है से रायपुर गये सत्यनारायण सिंह गनमैन ने अपना 12 बोर बंदूक का लायसेंस मुझे कारतूस लाने के लिए दियाथा। रायपुर सदर बाजार में बंदूक की दुकान पर गये वहां मैं पलटन को बिठाकर पुलिस लाइन गया वहां मैं अपने पिताजी के जान पहिचान के एक आरमोरर को अपने साथ वापस दुकान आया वहां पर मैंने एक 12 बोर की सिंगल बैरल की बंदूक 2500/ रू0 में तथा अपने लायसेंस पर 5 कारतूस 12 बोर का छर्रा 20/ रू0 प्रति छर्रा के हिसाब से तथा सत्यनारायण सिंह लायसेंस पर 10 छर्रा 20/ रू0 प्रति छर्रा के हिसाब से तथा तीन एलजी 140/ रू0 प्रति एल0जी0 के हिसाब से खरीदा था पैसा 420/ रू0 पलटन ने मुझे दियाथा और तीन एलजी उसने रख लिया था दिनांक 27.9.91 को शाम को पलटन अपनी लाल रंग की सुजुकी से मेरे घर आया और उसने मुझसे मेरी बंदूक मांगा मैंने कारण पूछा तो कारण नहीं बताया और बोला कि ज्ञानप्रकाश भैया मुझको तुम्हारे पास बंदूक लेने भेजे हैं। मैंने कहा कि मैं अपनी बंदूक नहीं दूंगा। वह बोला कि क्या तुम्हारे पास ही गन है मेरे पास भी है अपनी शर्ट उठाकर उसने पेंट में खोंसी हुई रिवाल्वर कट्टा और कारतूस दिखाए और कहा कि किसी को बताना नहीं वर्ना जान से मार दूंगा। पलटन फिर वहां से चला गया। दूसरे दिन करीबन 6 या 6.30 बजे सुबह पलटन मेरे यहां आया और अपना टिफिन डब्बा मांगा मैंने टिफिन डिब्बा दे दिया। बातचीत में उसने कहा कि तुम तो बंदूक नहीं दिए लेकिन ज्ञान भैया के साथ जाकर मैंने कट्टे से ही उसका काम खलास कर दिया है. लेकिन तुम बंदूक वाली बात जाहिर मत कर देना नहीं तो ज्ञान भैया तुमको छोड़ेंगे नहीं और पलटन यह कहकर चला गया कि अब तो मैं महीना भर बाद ही आऊंगा। पलटन उस समय भी अपनी लाल रंग की सुजुकी में आयाथा।

...2 पर

दिनांक 29.9.91 को करीबन 1.30 बजे दिन कैंप नं0 1 में टेलर की दुकान में ज्ञान प्रकाश मिश्रा बैठे मिले तो मैंने उन्हें अलगले जाकर बोला कि मेरी तीन एलजी मुझे लौटा दे तो ज्ञान प्रकाश ने कहा कि तुम्हारी एल जी से नहीं मारा है और मेरे पास रखी एलजी से जो पलटन ने इस्तेमाल किया है तीन एलजी पलटन के पास है । पलटन के आने के बाद मैं तुम्हे तीनो एलजी भिजवा दूंगा उसके तीन चार दिन बाद करीबन 6 या 6.30 बजे शाम मेरे पास पूर्णानंद आया था और तीन एलजी देकर कहा कि ज्ञान प्रकाश भैया ने भिजवाया है तब मैंने वह तीन एलजी रख ली और उसी दिन भी जी यादव नायक गार्ड के द्वारा मै तीनो एलजी सत्यनारायण सिंह को लौटा दिया था क्योंकि उसी के लायसेंस पर उसे खरीदा था 10 कारतूस जो सत्यनारायण सिंह के लायसेंसपर खरीदा था उसी की चार कारतूस श्री श्रीराम गनमैन को दे दिया हूं 6 कारतूस मेरे पास है जिसमें 5 कारतूस को मैंने अपने लायसेंस पर लिया था उसमें एक कारतूस मैंने गनेश पूजा के दिन होर्डिंग कंपनी के सामने मैदान में जाकर फायर किया था उस कारतूस का खोखा भी मेरे पास है और शेष बचे चार कारतूस मेरे पास है मैंने अपना बयान पढवा कर सुना जैसा बतया हूं लिखा गया है।

सही/13.10.91

सत्यप्रतिलिपि

PW-62

आरसी० (एम०)/91/एस०आई०यू०-5/एस०आई०सी०-2 दिनांक 26.11.91

जारी बयान श्री बीरेन्द्र कुमार सिंह पुत्र श्री राम बहादुर सिंह, उम्र 21 साल, निवासी संतोषीपारा, भिलाई जिला दुर्ग. स्थायी पता - चिन्तामणिराम का टोला, थाना बैरिया, जिला देवरिया, उत्तर प्रदेश ।

वर्किंग एज़ फील्ड आफिसर बेन-मैन एण्ड एसोसिएट्स, बी०ई०सी० कंपनी, भिलाई.

.....

मैं मूल निवासी जिला बलिया, यू०पी० का हूं । मेरे पिताजी श्री राम बहादुरसिंह पुलिस लाईन रायपुर में हवलदार के पद पर काम करते हैं । मैं 10वीं कक्षा तक पढ़ा हूं । मैं 1984 में बेनमैन एण्ड एसोसिएट्स कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड के पद पर नियुक्त हुआ था । इस कंपनी का मुख्यालय सिकंदराबाद में है । यह कंपनी भिलाई में विभिन्न कारखानों में सिक्योरिटी गार्ड्स की आपूर्ति करती है। वर्तमान में मैं फील्ड आफिसर के पद पर काम कर रहा हूं और बी०ई०सी० कंपनी हथखोज में काम करता हूं । मेरी ड्यूटी रात्रि में सिक्योरिटी गार्ड जो हमारी कंपनी द्वारा लगाए जाते हैं, का निरीक्षण करने की है ।

मैं ज्ञान प्रकाश मिश्रा को वृन्दा काण्ड के समय से जानता हूं जो 3-4 वर्ष पहले घटित हुआ था । ज्ञान प्रकाश दादा किस्म का आदमी है और उसका भिलाई में दबदबा है । 1991 के सितंबर के शुरू में एक दिन रात्रि में लगभग 8/8.30 अवधेश राय और छोटू मेरे पास बी०ई०सी० कंपनी में आए और बताया कि ज्ञान प्रकाश ने बुलाया है । मैं उनके साथ ही कंपनी के बुलेट मोटर साइकिल में चल पड़ा । वे लोग मुझे कैंप-1 में अभयसिंह के घर ले गए । वहां ज्ञान प्रकाश मिश्रा, अभयसिंह और कुछ अन्य लोग भी थे । वे खाना वगैरह खा रहे थे । वहां ज्ञानप्रकाश मिश्रा ने मुझे कहा कि तुम गार्ड वगैरह भर्ती करते हो तुम्हारे पास गोली वगैरह होगी । मुझे गोली चाहिए । मैंने कह दिया था कि अभी मेरे पास गोली नहीं है । फिर उन्होंने कहा जब जरूरत होगी बाद में तुम्हारे पास से मंगवा लेंगे । उसी रात ज्ञान प्रकाश ने मेरा परिचय रवि उर्फ पलटन से करवाया जो वहीं बैठा था । उसके बाद मैं वापिस आ गया ।

मेरी कंपनी में जो सिक्योरिटी गार्ड काम करते हैं उनमें कुछ के पास अपने हथियार के लाइसेंस भी है, इन लाइसेंसों के ऊपर गोली खरीदी जाती है । कुछ गोलियां कभी कभी कंपनी के काम के लिए इस्तेमाल की जाती है, हवाई फायर करके, ताकि उस क्षेत्र में [illegible] । जो गोली इस्तेमाल होती है उसके पैसे कंपनी दे देती है।

मैंने जिला दुर्ग में जिला मैजिस्ट्रेट के कार्यालय से अपने नाम से गन लाइसेंस के लिए आवेदन किया था और मुझे सिंगल बैरल गन लाइसेंस सितंबर महीने में 12 तारीख को मिल गया था ।

मुझे तारीख 14.9.91 को अपने लाइसेंस पर गन खरीदने के लिए रायपुर जाना था । उसी दिन हमारी कंपनी में हमारे नीचे काम करने वाले श्री सत्य-नारायण सिंह सिक्योरिटी गार्ड से उनका लाइसेंस ले लिया था जिस पर मुझे रायपुर से कारतूस खरीदकर लाने थे । 14.9.91 को ही जब मैं बंदूक खरीदने के लिए जाने वाला था तो लगभग 9/10 बजे दिन के श्री ज्ञान प्रकाश मिश्रा और पलटन मेरे घर आए । वो दोनों ही लाल रंग की सुजुकी मोटर साईकिल पर आए थे ।

... 2

उन लोगों ने मुझसे 4 एल0जी0 (कारतूस) मांगे । मैंने उनसे कारण पूछा तो उन्होंने कुछ नहीं बताया और कहा कि उन्हें एल0जी0 चाहिए । मैंने बताया कि मेरे पास एल0जी0 नहीं है और मैं अपने लाइसेंस पर बंदूक खरीदने रायपुर जा रहा हूं, इस पर ज्ञान प्रकाश मिश्रा ने कहा कि पलटन भी मेरे साथ जाएगा और मैं रायपुर से एल0जी0 कारतूस उसे दे दूं । चूंकि ये [illegible] सिंह के लोग हैं इसलिए मैं उन्हें न नहीं कर सका । श्री ज्ञान प्रकाश मिश्रा ने मेरे सामने ही पलटन को 500 रू0 दिए और मुझे बताया कि ये एल0जी0 खरीदने के लिए हैं ।

मेरे पास रायपुर जाने के लिए कोई सवारी नहीं थी इसलिए मैं पलटन उर्फ रवि को लाल रंग की सुजुकी मोटर साइकिल पर रायपुर गया । रायपुर पहुंचकर हम लोग सदर बाजार में बंदूक की दुकान पर गए । मैंने पलटन को वहीं छोड़ दिया और पुलिस लाइन अपने पिता के पास गया और बताया कि बंदूक खरीदने आया हूं । मुझे पुलिस लाइन में वे आरमोरर के पास ले गए और उसे मेरे साथ कर दिया । मैं पलटन की मोटर साइकिल पर आया था और उसी से दुकान पर वापिस गया। बंदूक की दुकान से मैंने अपने गन लाइसेंस पर एक सिंगल बैरल की गन 2500 रूपये में खरीदी और 5 एक नंबर के कारतूस (छर्रे) खरीदे । मैंने अपनी बंदूक के लिए 2500 रूपये और 5 छर्रे के लिए 100 रूपये दिए । सत्यनारायण सिंह के लाइसेंस पर मैंने 10 छर्रे और 3 एल0जी0 कारतूस खरीदे । जो 3 एल0जी0 कारतूस सत्यनारायण के लाइसेंस पर लिए थे उनकी कीमत 140 रूपये प्रति एल0जी0 के हिसाब से 420 रूपए हुए जिनको पलटन ने दिया । बाकी 10 छर्रे की कीमत मैंने दी थी । तीनों ही एल0जी0 कारतूस पलटन ने वहीं दुकान में ही ले लिए थे । बाकी सभी छर्रे मैंने मैंने अपने पास रख लिए । रायपुर से मैं पलटन के साथ ही उसकी लाल रंग की सुजुकी मोटर सायकिल पर वापिस भिलाई आ गया । पलटन मुझे बी0ई0सी0 कंपनी छोड़कर और ये बताकर कि वो ज्ञान प्रकाश मिश्रा के पास जा रहा है, चला गया।

इसके बाद 27.9.91 को शाम के समय पलटन अपनी लाल रंग की सुजुकी मोटर सायकिल पर मेरे घर आया । मैं उस समय खाट पर बैठा था । वह भी उसी पर बैठ गया। बैठते ही उसने मुझसे मेरी बंदूक मांगी और कहा कि इसको ज्ञान भैया ने मंगवाया है । मैंने कारण पूछा तो उसने कुछ भी बताने से इंकार कर दिया । मैंने अपनी बंदूक देने से इंकार कर दिया , इस पर उसने कहा कि ऐसी बात नहीं कि हमारे पास हथियार नहीं है और उसने अपनी कमीज उठाकर पैंट में खोंसे हुए रिवाल्वर , कट्टे और कारतूस दिखाए और धमकी दी कि इस विषय में अगर किसी को कुछ बताया तो हम जान से मार देंगे । उसके बाद पलटन उसी मोटर सायकिल पर वापिस चला गया।

28 सितंबर 1991 को सुबह लगभग 6/6.30 बजे पलटन मेरे घर अपना टिफिन डब्बा लेने आया, उसने मुझे बताया कि उसने श्री नियोगी की, जब वो हुडको कालोनी में अपने घर सोए थे 12 बोर के कट्टे से, खुली खिड़की से, गोली चलाकर हत्या कर दी है । उसके साथ ज्ञान प्रकाश मिश्रा भी गया था जो मकान के बाहर ही खड़ा रहा । उसने मुझसे ये भी कहा कि मैं इस संबंध में किसी को कुछ नहीं बताऊं और किसी को ये भी नहीं बताऊं कि मैंने पलटन को 3 एलजी कारतूस दिए थे । उसने धमकी दी कि ये बात सिर्फ मुझे ही मालूम है और अगर

PW-62

-3-

इस विषय में मैंने किसी को भी कुछ बताया तो वे लोग मुझे जान से मार देंगे। मैं बहुत डर गया। ये कहकर पल्टन वहां से वापिस अपनी मोटर सायकिल पर चला गया। उसके बाद से मैंने भिलाई में पल्टन को नहीं देखा।

29 तारीख को अखबार में नियोगी जी की हत्या का समाचार छपा था जिसे मैंने पढ़ा और मैं कैम्प -1 में ज्ञान प्रकाश मिश्रा के घर के सामने से जा रहा था तो ज्ञान प्रकाश टेलर की दुकान पर मिले, मैंने जो 3 एल0जी0 कारतूस ज्ञान प्रकाश के कहने पर पल्टन को दिए थे, उसको वापिस मांगा, ज्ञान प्रकाश मिश्रा ने ये कहा कि तुम डरो मत, नियोगी की हत्या तुम्हारी एल0जी0 से नहीं हुई है, 3 एल0जी0 कारतूस पल्टन के पास हैं और जैसे ही पल्टन उनके पास आएगा वे एल0जी0 कारतूस मुझे वापिस कर देंगे। उसने ये भी बताया कि मुझे उसके पास इसके लिए आने की जरूरत नहीं है।

इसके लगभग 4-5 दिन बाद शाम को 7/7.30 बजे मेरे घर पर मेरी ही कंपनी में काम करने वाले हैड गार्ड श्री नंदूगानंद राव आए और उसने पेपर में लिपटे हुए 3 एल0जी0 कारतूस मुझे वापस किए और बताया कि ज्ञान प्रकाश मिश्रा ने इसे मेरे पास भिजवाया है। उसी रात मैंने ये तीनों एल0जी0 कारतूस सिक्योरिटी गार्ड श्री बी0बी0यादव द्वारा गन लाइसेंस समेत श्री सत्यनारायण को वापिस भिजवा दिए थे।

मैंने जो 10 कारतूस सत्यनारायण सिं: के लाइसेंस पर खरीदे थे उसमें से 4 छर्रे मैंने गनमैन श्री श्रीराम को दे दिए थे और 6 छर्रे मेरे पास ही थे। गणेश पूजा के दिन बी0ई0सी0के सामने हवा में एक छर्रा मैंने अपने छर्रों में से चलाया और 4 छर्रे मेरे पास बच गए थे, चार बचे हुए कारतूस खोखे समेत मैंने पुलिस वालों को दे दिए थे।

पढ़कर सुनाया, सही पाया।

मेरे समक्ष
सही/-26.11.91
(आर0एस0प्रसाद)
आरक्षी उपाधीक्षक
सी0बी0आई/एस0आई0सी0-2
कैम्प भिलाई.

सत्यप्रतिलिपि

[signature]

बयान सत्यनारायण सिंह पुत्र स्वर्गीय राम नगीना सिंह उम्र करीब 40 साल ।
निवासी गांव डुमरिया डाकखाना डुमरिया, थाना सहतवार, जिला बलिया
उत्तर प्रदेश + वर्तमान पता – बी०आई०डब्लू० हथखोज, मध्यप्रदेश

P.W-63

मैं उपरोक्त हूं । मैं दिसंबर माह 1990 में कोरबा से भिलाई आया । भिलाई आने से पूर्व मैं बिलासपुर में श्री संजय सिंह, सिक्योरिटी आफिसर, बी०एस०ए० से मिला । श्री संजय सिंह ने मुझे सलाह दी कि बी०एस०ए० में गनमैन के लिए बिलासपुर में स्थान रिक्त नहीं है इसलिए मैं भिलाई जाकर बलिया के निवासी बी०के०सिंह से मिलूं जो बी०एस०ए० के सुपरवाईजर हैं । मैं संजयसिंह की सलाह पर भिलाई आकर श्री बी०के०सिंह से मिला । बी०के०सिंह ने मुझे गनमैन की नौकरी बी०एस०ए० संस्थान में दी । प्रतिदिन 8 घंटे ड्यूटी करने पर मुझे 1200 रू० प्रति-माह वेतन मिलता है और 12 घंटे ड्यूटी करने पर 1800 रू० वेतन मिलता है । 14.9.91 को श्री बी०के०सिंह मेरा बंदूक लाइसेंस मांगकर रायपुर कारतूस खरीदने के लिए गए थे । रायपुर से लौटने के बाद बी०के०सिंह ने मुझे कोई जानकारी नहीं दी कि उसने मेरे लाइसेंस पर कारतूस खरीदे या नहीं, । 3.10.91 को रात करीब 9 बजे कंपनी के गार्ड बी०बी०यादव ने मेरे निवास पर आकर 3 एल०जी० कारतूस (12 बोर के) और मेरा लाइसेंस दिया और बताया कि ये सब चीजें बी०के०सिंह ने भिजवायी है । मैंने कारतूस खरीदने के लिए बी०के०सिंह को पैसे भी नहीं दिए थे । दो तीन दिन बाद बी०के०सिंह ने मुझे बताया कि मेरे लाइसेंस पर उसने 3 एल०जी० और 10 कारतूस रायपुर से खरीदे थे । उसने यह भी बताया कि 10 कारतूस उसने अपने पास रख लिए हैं । 3 एल०जी० कारतूस जो बी०के०सिंह ने मुझे दिए थे, भिलाई नगर थाना ने जप्त कर लिए ।

पढ़कर सुनाया व तसदीक किया।

मेरे समक्ष
सही/-15.11.91
(बी०एन०पी०आजाद)
सी०बी०आई०/एस०आई०सी०-2
कैम्प भिलाई.

सत्यप्रतिलिपि

[signature]

पी॰डब्ल्यू 63

Pw-63

बयान

सत्य नारायण सिंह, आत्मज राम नगीना सिंह उम्र 60 साल, सा॰ डुमरिया थाना सहतवार जिला बलिया उ॰प्र॰ हाल मुकाम सी॰आई॰डब्ल्यू सी॰ई॰सी॰ कम्पनी हथखोज थाना पुरानी भिलाई जिला दुर्ग म॰प्र॰।

—CD—

मै ग्राम डुमरिया थाना सहतवार जिला बलिया, उ॰प्र॰ का मूल निवासी हूँ गाँव में खेती बाड़ी और कच्चा मकान है मेरे पिता जी का स्वर्गवास, हो गया है माँ राजेश्वरी देवी जिन्दा है हम लोग दो भाई और दो बहीन मे हैं सबसे बड़ा मै हूँ मुझसे छोटा भाई अवधेश, सिंह उम्र 30 साल, का है जो कि सी॰आर॰पी॰ में वायरलेस आपरेटर है कश्मीर दसवी फेल है, मेरी शादी सन 1952 शकुन्तला देवी के साथ हुई है मेरे चार लड़कियां और तीन लड़के, है रमाकांत सिंह 30 साल श्री कान्त सिंह 25 साल, राजकुमार 19 साल, का है अभी गाँव में है सन् 1989 में मै बलिया, से कोरबा बिलासपुर जूनूनी, गाली में आया है जहाँ मैने एस॰पी॰लाइ में गन मैन की नौकरी कर लिया 1000/- रुपया, मुझे वेतन मिलता था, नौकरी छोड़ कर 14 सितम्बर, 1991 को मै कोरबा से भिलाई, आ गया सिक्युरिटी, की सी॰एस॰ए॰ संस्था में गनमैन की नौकरी मिल गयी और 1200 रू॰ वेतन माहवार मिलता मेरे इन्चार्ज करनसिंह और बी॰के॰सिंह॰ सुपरवाइजर है, सन 1974 में कलेक्टर बलिया के कार्यालय से 12 बोर बन्दूक का लायसेंस, नं॰ 2208/1562 मिला है, जिसकी वैधता आल इण्डिया है। और 15 कारतूस की सीमा है, मै अपनी बन्दूक को साथ लाया है, दिनांक 14/9/91 को बी॰के॰सिंह मेरा बन्दूक लायसेंस मांगकर रायपुर कारतूस खरीदने ले गये थे, मैने अपना बन्दूक लायसेंस बी॰के॰ सिंह उसी दिन दे दिया था रायपुर से लौटने के बाद, बी॰के॰ सिंह ने मुझे कोई जानकारी, नहीं दी थी, दिनांक 3/10/91 को रात करीब 9 बजे कम्पनी के गार्ड बी॰बी॰यादव ने मेरे बैरिक में आकर तीन नई एल॰जी॰ कारतूस 12 बोर के लाकर दिया और बताया कि बी॰के॰ सिंह ने दिया है और मेरा लायसेंस भी वापस दे दिया मैने कारतूस खरीदने वास्ते पैसा बी॰के॰सिंह॰ को नहीं दिया था, उसके दो तीन दिन बाद बी॰के॰ सिंह, ने बताया कि तुम्हारे लायसेंस पर मैने तीन

[illegible] 128

एल.जी. और 10 कारतूस रायपुर मे 14/9/91 को खरीदा था बी.के.सिंह. द्वारा दिया गया, तीन एल.जी. मेरे पास है पेश कर रहा हूँ मेरा बयान पढवा कर सुना जो मेरे बताये अनुसार लिखा गया है ।

//सत्यप्रतिलिपि//

हस्ता/सही, M.C. Agarwal
दिनांक 3/10/91

PW-64 पी.डब्ल्यू 64 PW-64

बयान

श्रीराम सिंह आत्मज राम सुन्दर सिंह जाति उमर 45 साल, सा. खुआ थाना बांसडीह रोड जिला बलिया उत्तर प्रदेश हाल मुकाम बी.सी. इन्नेवक कंपनी हथखोज थाना भिलाई नं. 3 जिला दुर्ग (म.प्र.)

--00--

मैं ग्राम ककुआ में पैदा हुआ हूँ गांव में मेरी बाडी और पक्का मकान है मेरे मां बाप मौत हो चुके हैं मैं कक्षा दसवीं फेल हूँ मेरी शादी सन् 1959 में रामतिर्था के साथ हुई है मेरे चार लड़कियां और दो लड़के हैं लड़कों में संजय कुमार सिंह, 12 साल, अजय कुमार सिंह, 6 साल, का है मैं सन् 1962 में एस.पी. एस.एफ. में 17 बटालियन भिलाई में भर्ती हुआ और 6 वर्ष तक नौकरी किया, सन् 1968 में फिरोजाबाद आगरा जिला कलेक्टर के कार्यालय से 12 बोर सिंगल बैरल बन्दूक का लायसेंस नं. 656 मिला है एरिया आल इण्डिया है, और 15 [illegible] कारतूस रखने का अधिकार है सन् 1976 में छुट्टी बढाने पर एस.पी.एस.एफ. से बरखास्त हो चुका हूँ, उसके बाद में एन.टी.पी.सी. कोरबा में सिक्युरिटी गार्ड की नौकरी करता था वहां से नौकरी छूट जाने से दिनांक 24/2/91 को अपनी पत्नी कोरबा से भिलाई आया हूँ और वर्तमान में बी.सी. इन्नेवक हथखोज में गनमैन की नौकरी कर रहा हूँ, और 1400 रुपया माहवार वेतन मिलता है, 15 अगस्त 1991 को बी.सी. कम्पनी के जी.एम. के बंगले में फायर निकला था, जिसमें मैंने दो कारतूस, दगा चलाया था खोखा खाली रखा है दिनांक 18/9/91 को बी.के. सिंह ने 4 छर्रे 12 बोर के नये दिये थे मेरे पास मे मौजूद है मेरे पास 7 कारतूस 12 बोर के छर्रे पुराने थे जिसमें दो खाली खोखा और 5 पुराने कारतूस बचे हैं बी.के.सिंह- के द्वारा दिया गया 4 कारतूस 12 बोर के नये पेश कर रहा हूँ।

//सत्यप्रतिलिपि//

हस्ताक्षर /-प्ति,

PW-64 पी. डब्लू 64

22nd Nov.91

Statement of Shri Ram Singh S/o Ram Sunder Singh aged about 46 yrs presently posted as Gunman in B.E.C. Company Bhilai, permanent r/o village & P.O. Rohna P.S. Bansdeeh Road Distt. Ballia U.P. presently residing in factory premises at BEC Bhilai (M.P.).

मैने [illegible] में [illegible] में सिपाही की नौकरी प्रारम्भ की मेरा नं. 40[illegible] की Battalion No.4 1968 में सी.आर.पी. में transfer कर दी गई, तब सी.आर.पी. में मेरा नं. 683903008 हो गया। मै सी.आर.पी. में आसाम, मीजोरम, और नागालैंड में रहा और सी.आर.पी. का बटालियन नं. 2 था, जुलाई 1974 में छुट्टी से देर से लौटने के कारण मुझे नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया, इसके बाद 4-5 साल मैं अपने गांव पर रहा, उसके बाद पब्लिक ब्यूरो आफ इंडिया वाराणसी, के द्वारा मैने सिक्यूरिटी गनमैन की हैसियत से डालर फैक्टरी बैजनाथधाम बरौनी आयल रिफायनरी, बरौनी और एन.टी.पी.सी. कोरबा में नौकरी की। इसके बाद उपरोक्त सिक्यूरिटी कंपनी बंद हो जाने के कारण हम नौकरी से निकाल दिये गये, फरवरी 1991 विज्ञापन के जरिये मैने बी.ई.सी. कंपनी भिलाई में नौकरी शुरू किया।

बी.ई.सी. कंपनी भिलाई के जनरल मैनेजर जेम्स साहब है उनके कहने पर 15 अगस्त 91 को [illegible] के बाद मैने अपनी रायफल (एस.बी.बी.एल. 12 बोर) से दो एक नम्बर के छर्रे हवा में फायर किया तभी जी.एम. साहब के घर से खबर आया कि सांप निकला है। मै जी.एम. साहब के साथ गया, तथा वहां पेड़ पर लिपटे हुये सांप को दो गोली से मार गिराया, तब जी.एम. साहब ने कहा कि चारो छर्रों का पैसा कम्पनी से क्लेम कर लेना। मैने अपना क्लेम अपने अफसर बी.के. सिंह को लिखकर दे दिया। ये क्लेम मैने उसी दिन या उससे अगले दिन दिया थे। बी.के. सिंह ने पैसे को कंपनी से पैसा तो नहीं दिया पर विश्वकर्मा पूजा के दिन शायद 18/9 को चार छर्रे वापस कर दिया वे चार छर्रे मेरे से भिलाई पुलिस ने जप्त कर लिया था,

बयान सुना सही लिखा है।

हस्ता/सही,

22/11

(एस.एन. सक्सेना),

डी.वाई.एस.पी.

//सत्य प्रतिलिपि//

PW-65 — पी॰डब्ल्यू 65

ब्यान श्री राम बहादुर सिंह पुत्र श्री जगभान सिंह उम्र 46 साल, गाव गोरहा, पी॰एस॰ लाला पुर गाजियाबाद उत्तरप्रदेश,

--CC--

मै एम॰पी॰ पुलिस मे 16/11/65को बतौर सिपाही भर्ती हुआ , मेरा नम्बर 706 है मेरी पहली नियुक्ति भोपाल में हुई थी, और सन 1979 से मै रायपुर पुलिस मे बतौर आरमोरर काम कर रहा हूँ। आरमोरर होने के नाते मुझे हथियारो के बारे मे जानकारी है । मेरे पास अपनी एक निजी एस॰बी॰बी॰ एल॰ गन भी है जो मैने इसी साल बदरूद्दीन शमशुद्दीन एण्ड सन्स आर्म्स एण्ड अम्यूनिशन डीलर, सदर बाजार ,रायपुर से खरीदी थी ।

मै सिपाही राम बहादुर जो कि रायपुर पुलिस लाईन्स मे ही है, को जानता हूँ इस साल सितम्बर माह के मध्य मे वे अपने लडके जिसका नाम मुझे बीरेन्द्र कुमार सिंह मालुम पडा को साथ लेकर मेरे पास कोत मे आया व बताया कि उनके लडके ने एक गन खरीदनी है और मेरे से कहा कि मै उनके साथ जाकर कोई अच्छी सी गन खरीदवा दू । मै इसके लिये तयार हो गया व फिर उसके लडके बी॰के॰ सिंह के साथ मोटर साईकिल, पर उपरोक्त दुकान पर गऐ उस दुकान पर मैने देखा कि बी॰के॰ सिंह का एक साथी और बैठा हुआ था बी॰के॰सिंह से पूछा कि उसका लाईसेंस सिंगल बैरल का है या डबल बैरल का तो उसने कहा कि सिंगल बैरल की गन खरीदनी है अत; दुकान पर मैने देखकर एक सिंगल बैरल की गन सेलेक्ट की जो बी॰के॰सिंह॰ ने खरीदी, बी॰के॰सिंह ने अपने लाईसेंस पर 5 कारतूसों के अलावा अन्य सामान भी खरीदा, उसी समय बी॰के॰ सिंह ने एक दूसरे गन-लाईसेंस, जिसका विवरण मुझे याद नहीं है पर [illegible] 13 कारतूस [illegible] खरीदे [illegible] 10 बारे मे। दुकानदार ने भी कारतूस व गन लेने के बाबू रजिस्टर मे इन्दराज किया जिस पर बी॰के॰ सिंह ने मेरे सामने ही दस्तखत किये थे । राईफल व कारतूस लेने के बाद बीके॰ सिंह मुझे मोटर साईकिल पर बैठाकर लाईन मे छोड गया । हम दुकान से लाईन तक तीनो आदमी यानि मै बी॰के॰ सिंह व बी॰के॰सिंह के साथ वाला लडका मोटर साईकल पर आए थे । मैने बी॰के॰ सिंह व उसके साथ आये आदमी को अच्छी तरह से देखा था व मै उनको सामने आने पर पहचान सकता हूँ ।

मेरे समक्ष, हस्ताक्षर/सही,
25/11/91 आर॰एस॰ [illegible], पी॰ [illegible]

पढकर सुनाया सही पाया,

[illegible]

PW 66 PW-66 Dated : 20.11.91

Statement of Sh. Zahiruddin S/o Badruddin aged 72 yrs. R/o H.No. 9/333, Sadar Bazar, Raipur (M.P.) Tel. 27725.

******

I am one of the partner of M/s. Badruddin Samsuddin & Sons. The other three partners are Taffzud Hussain, Nooruddin & Sahabuddin who are my sons. We are dealing in purchase/sale of arms & ammunition. Our licence No. is XIII (4-N) 76 which is in my name. I and my son Nooruddin look after our shop which is in front portion of our house. Under terms of licence I am authorised to keep and sell ammunition covered under category 1(a), 1(b) & 1(c). In brief I am authorised to keep and sell.12 bore gun SBBL as well DBBL, Air gun e etc. and cartridges of .12 bore. I reflect the daily sale of arms/ ammunition in the Daily Sale Register and the Stock position of arms/ ammunition in the Stock Register. In the Stock register the stock of all types of .12 bore cartridges is shown under one head and the break up various types of .12 bore cartridges, which include L.G. cartridges (containing six pillets) manufactured by B.B.M.M Company of England also, is not shown separately.

On being shown Licence no. 2200/R/1562 of Sh. Satyanarayan I state that I have sold 13 cartridges of .12 bore against this licence on 14.9.91. I entered the sale of 13 cartridges on this licence and I identify my writings/signatures on the licence, which is in my hand. After refering to my records I state that on 14.9.91 Birender Kumar Singh holder of Licence no.44/III/91 had come to my shop alongwith one youth. Birender Kumar wanted to purchase a SBBL gun against his newly issued licence. For selecting the gun Birender Kumar had

PW 66 -2-

brought his relation, armourer Sh.Thakur, who was known to me since earlier. Sh.Thakur selected a gun which was purchased by Birender Kumar. He also purchased five 12 bore cartridges against his licence. The sale of one S.B.B.L. & 5 cartridges has been entered in my daily sale register at page 29. This entry has been made by me in my own handwriting which I identify and varify. Sh. Birender Kumar Singh has put his signature against this purchase in my presence which also I verify.

In addition to the purchase of SBBL gun & five cartridges Birender Kumar also purchase 13 more 12 bore cartriges out of which three cartridges were L.G. against licence no.2200/1562 of Sh.Satyanarayan. However the three L.G.Cartridges were taken and kept by the youth who had came along-with Birender Kumar Singh and 10, twelve bore cartridges were taken by Sh. Birender Kumar Singh. This I remember as is evident, first I made entry of only three (L.Gs) cartridges on licence as well as in my register but subsequently when Birender Kumar wanted ten more twelve bore cartridges I added one before three. I could not sell these cartridges against Birender Kumar's licence as the authorisation was for only five cartridges. I have entered this sale in my daily sale register at page 29. I identify my writing. Birender Kumar Singh signed against this sale in my presence which also I identify. The sale has duly been entered into my stock register at page 58. On that day in all I sold one B.L.Gun and 23 cartridges. I identify my writings with respect to this entry (of 14.9.91) which is in my hand. I have issued bill no. 205 and 206 in respect of these sales and I identify my writings on the Carbon copies of the bills.

I have purchased 150 cartridges of 12 bore (L.Gs) ELEY BB England from M/S Devas Arms, Ammunition Dealers, Jai Parkash Marg Devas vide their

PW 64

bill no.56/91 dated 23-7-91. These cartridges were received by us on 12-8-91 and have been duly taken in stock vide entry dated 12-8-91 at page 56 of the stock register. This entry is in my hand which I verify. It so happened that the L.G. Cartridges were not available in the market for the last more than one year and in July 1991 Fakhruddin Bhai of Ujjain Arms, Gujrati Samaj Building New Road Ujjain has come to me. I enquired from him whether he could supply L.G. cartridges. On this he told that he would be receiving a supply of L.G. Cartridges and on receipt of the same he would supply. Than I requested him to supply 150 LGs. In this respect I wrote a letter dt.18.7.91 to him which was sent under registered post, reminding him to supply the material as ordered and adjust the payment against the purchase of two guns, which he had purchased from me.

I am producing my daily sale register, stock register, Cash memo book containing carbon copies, bill no.56/91 of M/S Devas Arms and my letter dt.18.7.91 which have been taken into possession by you under a seizure memo which I have signed.

I can identify Sh. Birender Kumar and the boy who came with him if shown to me. Now I have been shown various photographs and I have identified the photograph of the boy who had come with Birender Kumar. I have put my signature on the back of the photograph in token of having identified and later you have disclosed that the name of the boy is Paltan @ Ravi.

R.O.& A.C.

Sd/- 20/11/91.
(R.S. DHANKAR)
DY. SP/CBI/SIC.II/N.Delhi
C.Raipur.

TC
MY

PW-66 PW 66

Dt. 11-12-1991

Further statement of Sh. Zahiruddin S/o Badruddin aged 72 yrs. r/o H.N.9/333, Sadar Bazar, Raipur.

मेरे पहले दिये ब्यान के सिलसिले में अपनी दुकान का सेल रजिस्टर, स्टोक रजिस्टर व कैश मेमो बुक जो आपने मुझे आज दिखाये है को देखकर बताता हूं कि मैंने 3/10/91 को जयनारायण त्रिपाठी विकास नगर बिलासपुर उसके अपना लाइसेंस पर तीन एल.जी. कारतूस व पांच ब्लैक कारतूस बेचे है इस बिक्री का इन्दराज 3/10/91 में मेरे सेल रजिस्टर में दर्ज है जो मेरे हाथ का लिखा है श्री त्रिपाठी, ने भी सेल रजिस्टर में इस खरीद बारे मेरे सामने पन्ना नं 33 पर दस्तखत किये है जिसकी मैं तस्दीक करता हूं, इस बिक्री बारे मैंने बिल नं. 318 तारीखी 3/10/91 दिया था जिसकी कापी कैश मेमो बुक में मौजूद है ये मेरे हाथ की बनी है स्टोक रजिस्टर में इस बिक्री का इन्दराज पन्ना नं. 59 पर दर्ज है जो मेरे हाथ में है उस दिन मैने कुल 38 कारतूस बेचे है,

मुझे याद है श्री त्रिपाठी मेरी दुकान पर कारतूस खरीदने 3/10/91 को बाद दोपहर आये व उनके साथ उस समय दो अन्य नौजवान थे आज आपने मुझे छ: फोटो दिखाये है इनमें से मैने श्री त्रिपाठी के साथ आये दोनो नौजवानों का फोटो पहचाना है व इस पहचान बाबत दोनो फोटो के पीछे आज की तारीख में दस्तखत किये है मैं सामने आने पर उन दोनो को पहचान सकता हूं।

//~~सत्य~~सत्यप्रतिलिपि//

हस्ता/सही,
11/12/91
(आर.एस. धनकर)
डी.वाई. एस.पी.
सी.बी.आई. कैम्प रायपुर.

पूरक बयान श्री जयनारायण त्रिपाठी पुत्र श्री हरगोविन्द त्रिपाठी, निवासी -वार्ड नं. 1, शमीनगरी, बाजार, विकास नगर, बिलासपुर ।

PW-68

—oo—

पूछने पर आगे बयान करता हूँ कि मैं अपनी ससुराल भिलाई में आया हुआ था, वहाँ पर एक फंक्शन था जिसे मैंने अटेंड किया । इसमें मेरे अलावा और भी कई लोग शामिल थे, जिनमें अवधेश राय जो कि मेरे साले ज्ञान प्रकाश मिश्रा का खास दोस्त है, भी था, और हम लोगो के उस फंक्शन में कई फोटोग्राफ्स भी उतारे गये थे, ।

आज आपने मुझे 9 रंगीन फोटोग्राफ्स दिखाए है जिन्हे ए से आई तक मार्क किया हुआ है, । इन फोटोग्राफ्स में से ए.सी. और एच मार्क किया हुआ है फोटो में अवधेश राय के साथ मेरा अन्य लोगो के साथ फोटो है । बी मार्क किए हुए फोटो में अवधेश राय और प्रभुनाथ मिश्रा है । डी मार्क किए हुये फोटो में ज्ञान प्रकाश एवं अन्य लोग है । ई और एफ मार्क किये फोटो में अवधेश राय अन्य लोगों के साथ खड़े है । जी और आई, मार्क किये हुये (2) फोटो में ज्ञान प्रकाश मिश्रा, अवधेश राय और मैं हूँ ।

उपरोक्त फोटोग्राफ्स में मै अवधेश राय को इसलिये जानता हूँ क्योंकि इनको मैंने पहले भी कई बार देखा है ।

पढ़कर सुनाया सही पाया ।

(सत्यप्रतिलिपि)

मेरे समक्ष
हस्ता/सही
(शमशेर)
निरीक्षक,
सी.बी.आई./एस.आई.सी.
कैम्प भिलाई,

- पी.डब्लू 62

बयान,

सम्पूर्णानंद उर्फ एस.एन. राव वल्दजगन्नाथ राव उम्र 28 साल साकिम नगवा... थाना रुद्रपुर जिला देवरिया उत्तरप्रदेश हाल मुकाम, केम्प नं. 1 स्टील नगर थाना छावनी जिला दुर्ग म.प्र.

--००--

मैं ग्राम नगवा में पैदा हुआ हूँ मैंने दसवीं तक मराव इन्टर कालेज देवरान 1978 में पास किया, है, गांव में खेती बाड़ी, और पक्का मकान है मेरी मां का नाम रामरती देवी, है वह जीवित है हम लोग 4 बहिन और दो भाई हैं सबसे बड़ा मैं हूँ छोटा भाई विवेकानंद राव उमर 25 साल का है गांव में रहता है मेरी शादी खड़गपुर बंगाल में बनारसिंह, से सन् 1980 में हुई है मैं अपने चाचा दही चंद्रराव के पास केम्प नं. 1 में सन् 1980 में भिलाई आया हूँ मैं नंदनी रोड पर हरिश्चन्द्र मेडिकल स्टोर में फार्मेसिस्ट का काम था स्टोर बंद हो जाने से सन् 1991 में कैलाश केडिया के बंगला नं. 49 में दरवानी का काम किया 1000/- रुपया वेतन मिलता था, माह अगस्त 1991 में केडिया ने नोकरी से निकाल दिया था और माह सितम्बर 1991 से ..... सी/एस.ए. सिक्युरिटी गार्ड में हेड गार्ड पर नौकरी में लग गया है 1050/- रुपया वेतन मिलता है, मेरी ड्युटी भिलाई वायर्स में है मेरे सिक्युरिटी आफिसर वी.के.सिंह. है दिनांक 3/10/91 को शाम करीब 7 बजे ज्ञान प्रकाश मिश्रा केम्प नं. 1 ने मुझे घर बुलाया था और बोले कि तुम्हारी क्या ड्युटी है, तो मैंने कहा कि मेरी ड्युटी भिलाई वायर्स में 9 बजे रात से 5 बजे सुबह तक है तो वह बोले कि बी.के.सिंह. तुम्हें ड्युटी में मिलेगा, तो यह सामान दे देना, और एक मोटे कागज में तीन एल.जी.कारतूस थे मुझे दे दिया, मैं उसी, दिन शाम करीबन साढे सात बजे, तीन एल.जी.कारतूस बीके.सिंह. को दे दिया और अपनी ड्युटी में चला गया, बयान पढ़कर सुना जो मेरे बताये अनुसार लिखा गया है ।

//सत्यप्रतिलिपि//

हस्ता/सही,

13/10/91

PW-69

पी डब्ल्यू 69

दिनांक 1.12.91

[illegible] श्री पूर्णानंद राव पुत्र श्री जगन्नाथ राव, उम्र 28 साल निवासी गांव नगवां खास, थाना रूद्रपुर कोतवाली (इकौना) जिला देवरिया, यू०पी०
वर्तमान झोपडा रोड नं० 18 पीछे आबा आटा चक्की कैंप नं० 1 भिलाई।

......

मैं उपरोक्त पते का निवासी हूं और साल 1980 से भिलाई में रह रहा हूं और विभिन्न फैक्टरियों में काम करता रहा हूं। मैं आबा आटा चक्की वाले ज्ञान प्रकाश मिश्रा को पिछले 7-8 साल से जानता हूं और उसके दोस्त अश्वसिंह जो मेरे मकान के नजदीक रहता है, को पिछले 2-3 साल से जानता हूं, वह बीएसपी में नौकरी करता है। अवधेश राय जो ज्ञान प्रकाश का दोस्त है, को भी एक साल से जानता हूं।

मैंने साल 1991 में श्री कैलाशपति केडिया की नेहरूनगर की कोठी पर चौकीदारी की नौकरी 1000/ रू० प्रतिमाह तनख्वाह पर मई, जून, जुलाई माह में की थी। एक बार काम की तलाश में मैं केडिया जी की उपरोक्त कोठी पर चौकीदार के पास गया था तो वहीं मेरी मुलाकात बी०के०सिंह से हुई। बी०के०सिंह, बी०एम०एस० सिक्योरिटी गार्ड जिसका लोकल दफ्तर भिलाई में बी०ई०नी० में है, में फील्ड आफिसर था। और वह भिलाई में विभिन्न इंडस्ट्रियों में गार्ड व हैड गार्ड लगवाता था। मेरे कहने पर बी०के०सिंह ने मेरी नौकरी बतौर हैड गार्ड माह सितंबर 1991 में भिलाई वायर्स भिलाई में लगवा दी जहां मैं अक्टूबर 1991 के आखिरी सप्ताह तक नौकरी करता रहा। मैं बी०के० सिंह के घर को भी जानता हूं।

अक्टूबर 1991 के पहले सप्ताह में भिलाई वायर्स नंदिनी रोड फैक्टरी में मेरी नाईट शिफ्ट की डियूटी थी। यह नाईट शिफ्ट की डयूटी 9 बजे रात से अगले दिन सुबह 5 बजे तक होती थी।

दिनांक 3.10.91 को शाम को करीब 7 बजे ज्ञान प्रकाश मिश्रा ने मुझे अपने घर पर बुलाया, डयूटी पर जाने के बारे में पूछा और कुछ देर बाद 3 एल०जी० के कारतूस एक कागज में लपेट कर दिए और कहा कि मैं इन कारतूसों को बी०के०सिंह को दे दूं। मैंने वे कारतूस अपने पास रख लिए और बी०के०सिंह के घर पर अपनी साइकिल पर पहुंचा। बी०के०सिंह मुझे अपने घर पर मिला और मैंने कागज में लिपटे हुए वे तीनों एल०जी० कारतूस बी०के०सिंह को दे दिए और उसको कहा कि ये ज्ञान प्रकाश मिश्रा ने उसको देने के लिए दिए थे। उसने कहा ठीक है। उसके बाद मैं अपनी डयूटी पर भिलाई वायर्स में चला गया।

पढ़कर सुनाया, सही पाया।

मेरे समक्ष

सही/ 1.12.91

(होशियार सिंह)

निरीक्षक

सी०बी०आई०/एस०आई०सी०-2

कैंप, भिलाई

TC

PW-71

कथन

दीपक सुराना पुत्र श्री हेमचन्द सुराना उम्र 32 वर्ष, सा0 एम.आई.जी./28, पद्मनाभपुर, दुर्ग।

....

मैं पद्मनाभपुर में रहता हूं। मैं सीमेन्ट और रिवल्हर खाद बिक्री करने का धन्धा करता हूं। मेरा दुकान संजय मार्केट गंजपारा दुर्ग में सुराना ट्रेडर्स के नाम से है। मेरे पास एम.पी.24-बी-1707 नम्बर का एक बजाज सुपर स्कूटर है जिसे मैंने 1-1/2 वर्ष पहले एक दलाल के माध्यम से रायपुर से खरीदा था। जिसका आर0 टी0 ओ0 कार्यालय दुर्ग में उसी वक्त कराया था। जब मैंने खरीदा था। मेरे पास टीवीएस सुजुकी मोटर सायकल न तो पहले था और न अभी है। इसके अलावा मेरे पास एक कायनेटिक होंडा नं0 एम.के.टी.3031 नम्बर का है इसके अलावा मेरे पास और दूसरी गाड़ी नहीं है।

Sd/- S.
31/10/91

CTC
5/1/12

Statement of Shri Mahendra Singh Patel S/o Mohan Singh Patel, Receptionist, Hotel Nilamber, Panchamarhi r/o Qr.No.I, Vaisan Lodge, Panchmarhi.

****** PW-72

I am working as Receptionist at Hotel Nilamber since last 5 years. One Umesh Bansal is also working as Receptionist in this Hotel.

On 5.10.91 at 1.30 PM, One Abhay Kumar Singh alongwith two other persons came to this Hotel and booked room No.3 and 4. The room was booked by Abhay Kumar Singh. As per visitor's Register page No.78-79, Sr.No.155 on 6.10.91 at 12.00 noon, Shri A.K.Singh vacated room No.3&4 and booked room No.3. This time Abhay Kumar Singh and another one man was there in the room No.3 and they stayed till 9.10.91 11 AM. On 9.10.91 at11.00 AM Abhay Kumar Singh vacated the Hotel after an effective Trunk Call to Telephone No.3854 at Durg and the particular of this call has been mentioned by me in Sr.No.59 of the Bill Book No.133 and the entire bill was made by me with a total amount of Rs.438.75. The money Receipt Book No.18, Sr.No.156 dt. 9,10.91 in the entered name Abhay Kumar Singh for Rs.438.75 was issued by me. The money Receipt books and bill book will be deposited in the office of Special Area Development Authority after the books are completed.

The statement recorded by me. Read over to the witness and admitted by him to be correct.

Sd/-
(P.J. MATHAI) 28.11.91.
INSPECTOR OF POLICE :
CBI : JABALPUR.
CAMP : BHILAI.

पी.डब्ल्यू 73

बयान श्री प्रमोद कुमार राका पुत्र हजारी लाल राका उम्र 50 साल निवासी गोल बाजार छिन्दवाड़ा (म.प्र.)

--00--

मैं छिन्दवाड़ा का निवासी हूं मेरे सोने चांदी की दुकान है बने हुये जेवर बेचने तथा जेवर गिरवी रखने का व्यवसाय करता हूं मेरे पास जेवर गिरवी रखने का लायसेन्स है, मेरी ससुराल दुर्ग में है तथा मेरे ससुर गुलाबचंद पाटनी है मेरे चार साले है इन्दर, देवेन्द्र जिनेन्द्र, तथा नरेश, है, मेरे ससुर की दाल मिल राईस मिल तथा लोहा मिल है, संयुक्त परिवार है, देवेन्द्र ने रेत का ठेका लिया है जो वे कर रहे है ।

अक्टूबर माह में तारीख 9 को दो आदमी जीप में मेरी दुकान पर आये थे उन्होने अपने को देवू उर्फ देवेन्द्र जो मेरा साला है के दोस्त बताये थे उनहोने रात रुकने हेतु अपनी इच्छा, जाहिर की थी तो मैने अपने टेलीफोन से देवेन्द्र से दुर्ग बात की थी देवेन्द्र ने कहा था कि रात को रुकेंगे सबेरे नागपुर चले जायेंगे मैने उन लोगो से नाम पूछा तो उन्होने ज्ञान प्रकाश मिश्रा, तथा अभयसिंह, बताया था फिर उन्होने देवेन्द्र से दुर्ग बात की थी उनकी क्या बात हुई मैने नही सुनी थी, दुकान के काम में ग्राहक होने से ध्यान नही दिया था ज्ञान प्रकाश मिश्रा तथा अभयसिंह, ने बताया था, कि पचमढ़ी से आ रहे है, उन्होने अपनी जीप से सामान निकाल कर हमारी दुकान में रख दिया था । दुकान से निकलकर जीप वाले से बातचीत उन्होने की थी जीप चली गयी थी दूसरे दिन ज्ञान प्रकाश मिश्रा तथा अभय सिंह बस से नागपुर चले गये थे यह लोग पहली बार मेरे घर आये थे, उसके पहले मैने उनको कभी नही देखा था, ।

देवेन्द्र मेरी बच्ची की शादी में 18 नवम्बर को छिन्दवाड़ा आया था तथा शादी के इन्तजाम को उसे परिवार के साथ इन्दौर भेज दिया, था वह अपने परिवार के साथ एम्बेसेडर कार में आया था, अभी इन्दौर में [illegible] कालोनी में अजमेरा जी रहते है उन्हीं के यहां रुका है देवेन्द्र अपनी कार में पत्नी ,बच्चा तथा एक भतीजे के साथ आये थे, ।

यही मेरा बयान है, ।

पढ़ा सही पाया,

//सत्यप्रतिलिपि//

Sd/-
आर.पी.लिटोरिया, पु.उप अधीक्षक,
के.अन्वे.ब्यूरो, कैम्प छिन्दवाड़ा
दिन. 27/11/91

Case RC.9(S)/91-SIU.V/SIC.II/CBI Dated : 4.12.91

Statement of Shri Anant Ramesh Rao Pimpalwar, Receptionist, Hotel Sona, Central Avenue Road, near Telephone Exchange, Nagpur recorded u/s 161 Cr.P.C.

******

PW-74

On being asked I state that I am working as above in the said Hotel which is owned by Sh. Chanderbhan Shawanji Sonargpare.

Today I have handed over to you the required documents i.e. Passenger's arrival/departure register for the period from 31.3.90 to 4.12.91 and a photocopy of the bill No.105 dt. 9.10.91. The said documents have been taken by you in your possession through a receipt memo of even date which is duly signed by me as well as by you and a copy of the same has also been provided to me by you.

On being asked I further state that on Sheet No.63, Sr.No.665 of our said Passenger's arrival/departure register, entry of one C.K.Shah r/o 34, Civic Centre, Bhilai, appears on 8.10.91 alongwith one female. The said C.K.Shah checked in at our hotel alongwith one lady at 9.30 PM and they were allotted room No.104, as per the said entry. The column of date, passenger's full name, address and signature were made by C.K.Shah himself in his own hand in my presence at Sr.No.665 of the aforementioned register. Sh. C.K.Shah also paid an advance of Rs.100/- at the time of check-in. Sh. C.K.Shah stayed in our hotel just for a night and

T.C.

[signature]

8w-74

checked out at 6.00 AM in the morning of 9.10.91 as per the entry at Sr.No.665 made in the said register. The bill No.105 dt. 9.10.91 was prepared by me, a carbon copy of which is available in our bill book No.11, as the original was handed over to Sh. C.K.Shah as customer's copy. As per the said bill C.K.Shah was charged Rs.90/- only for a night stay and he was returned the balance of Rs.10/- out of his advance of Rs.100/-.

I also state that said C.K.Shah was brought to our hotel by our neighbour Tinkoo of Car Shingar. I do not know about the particulars of lady who stayed with C.K.Shah. No telephone call either local/STD or ISD was made/booked by C.K.Shah from our hotel. No Taxi/ Conveyance was arranged by us for said C.K.Shah also.

RO&AC.

Before me,

Sd/-
(SHAMSHER) 4.12.91.
Inspr./CBI/SIC.II/New Delhi.
Camp : Bhilai.

PW-75

Statement of Sh.M.Mohan s/o Sita Ramaiha, Receptionist, Hotel Godawari, Near Bus Stand, Bhadrachalam, Distt.Khaman r/o Sarpaka, Counductors Colony, near BPL,Khaman recorded u/s 161 Cr.P.C.

...

On being asked I state that I am working as above for the last 6 months in Hotel Godavari. Today I have handed over to you a bunch of Arrival Form with Sr.No.1050 to Sr.1100 and a copy of advance-receipt No.6593 dt.11.10.91 of our said hotel. The said documents have been taken by you in your possession vide a receipt memo of even date which has been duly signed by me as well as by you. A copy of the said receipt memo has been provided to me by you.

Today you have shown me a original copy of receipt No.6170, dt.12.10.91 in the name of guest C.K.Shah. The said receipt for Rs.40/- has been prepared and signed by me in my own hand- towards the payments of Rs.40/- by guest C.K.Shah who has been shown to have stayed in room No.205 from 11.10.91 at 13.30 to 12.10.91 at 910hrs, in our hotel. C.K.Shah was paid back an amount of Rs.10/- out of his advance payment of Rs.50/- after charging Rs.40/- from him. I prepared the aforementioned receipt X No.1052 and advance payment receipt No.6593 dt.11.10.91. The date of arrival, check in time, regn.No., room No. and No.of persons particulars about C.K.Shah have been filled up by another receptionist Ch.Sekhar, in his own handwritng in the said form No.1052 at Regd.No.1739. Similarly the advance receipt dt. 11.10.91 was issued by Ch.Sekhar for receipt of Rs.50/- from guest C.K.Shah in his own handwriting and signature which I identify. The said guest C.K.Shah stayed single as per our hotel record.

RO&AC

X No 6170 on the basis of particulars of C.K.Shah as mentioned in Register of arrival Form

Recorded by

Sd/-(Shamsher) 30/11/91
Inspr.of Police CBI SIC.II.
Camp:Madras.

Statement of Ch.Sekhar s/o Sankar Rao, Receptionist, Hotel Godawari, Bhadrachalam, Distt.Khammam recorded u/s 161 Cr.P.C.

...

PW-76

On being asked I state that I am working as above for the last 16 months in Hotel Godawari. My duty hours are 6.00pm to 9.00am but I also perform duty between 12.30pm to 2.00pm when M.Mohan ~~the~~ another receptionist goes for his lunch whose duty hours are from 9.00pm to 6.00pm.

Today you have shown me Register of Arrival Form No.1052 of our hotel. As per the entry at regd.No.1739 dt.11.10.91 which is in my own handwriting, one C.K.Shah, 34, Civic Centre, Bhilai (MP) occupation business checked in at 1330 hrs in our hotel. I allotted him room No.205 for single occupancy by making entry in the said form in my own hand and issued him a receipt No.6593 for taking advance payment of Rs.50/- on the date and time of his arrival in our hotel. The particulars like name, address arrived from and probable date of departure and signature were made by guest C.K.Shah in Form No.1052, in his own hand writing in my presence as at that time I was at reception counter.

You have also shown me one photocopy of advance receipt No.6593 dt.11.10.91 for Rs.50/- in the name of C.K.Shah towards for ~~the~~ advance of room No.205. The said receipt pertain to our receipt book No.46 and has been issued and signed by me in my own handwriting. The receipt is prepared in duplicate, the original is given to guest and duplicate is retained by us. That is why M.Mohan our receptionist has provided to you the photocopy of the copy of receipt No.6593 dt.11.10.91 as the original has been given to the guest i.e.C.K.Shah.

You have also shown me cash receipt No.6170 dt.12.10.91 in the name of C.K.Shah which has been prepared and signed by M.Mohan other receptionist of our hotel whose handwriting I identify.

As per the said receipt C.K.Shah checked out on 12.10.91 at 910hrs after paying room rent for Rs.40/-.

RO&AC

T.C.

Recorded by

Sd/-(Shamsher)
Inspr.fo Police CBI SIC.II.
Camp:Madras.

Statement of Sh.P.Rajkumar s/o Sh. Dr.Winfred Bunsfan, Genral Manager, Hotel President, Edward Elliot Road, Madras (R/o H.No. 35, 3rd Cross-Street, LTMN Colony, Madras) recorded u/s 161 Cr.P.C.

...

PW-77

On being asked I state that I am working as above for the last 1½ years in Hotel President.

Today you havd shown me Registration Form No.70062, of my said hotel which is in original. As per the entry in the said form, one Shah Chandra of 34, Civic Centre, Bhilai, Durg(M.P.) arrived from Calcutta and checked in at our hotel at 6.30pm on 15.10.91. The said form was duly filled up and signed by guest Shah Chandra in my presence at the reception. Then I filled - up room No.404 at @ Rs.390+20% booked by self, in my own hand-writing as I was present on the reception-counter. I also made billing instructions DPT i.e.Direct payment, in my own hand-writing on the said form which is also duly signed by me.

The said guest Shah Chandra Mr. was not a regular customer of our hotel because regular customer's antecedents etc. are known to me or to our employees. He was an occasional guest and that is why I do not know much about him.

You have also shown me one board and Apartment Guest Bill No.T-16012 of our hotel which shows that Shah Mr.Chandra stayed in our hotel from 15.10.91 to 18.10.91 and paid an amount of Rs.1549/- only as charges for room tarrif, snacks etc. The said bill does not show any STD/ISD call made by Shah Chandra from our hotel. However, entry of Rs.30/- in the Telephone column shows he made some local calls, the record of which is not maintained by us. The said bill which is computerised is prepared in duplicate, one is given to the guest and another is retained by our account section for our own record and the same has been shown to me. The said bill also bears the initials of our the then account clerk S.Sekhran who has left the hotel now. The said S.Sekhran has checked the receipt No.117865 as written on the said guest bill and put his initial for checking the amount etc. paid by the guest i.e. Chandra Shah.

...2/-

 Pw-77

I also state that generally the Registration From vide which room allotment is done, is filled up by the receptionist at the counter. But sometimes receptionists are busy in attending other guests then the said forms are either filled up by me or by some other person of the same/equivalent designation. In this particular case, S.Sankar, receptionist who was on duty at that time i.e. at 6.30pm on 15.10.91, I filled up the said Form No.70062 as he was busy and I allotted the room No.404 to Shah Chandra.

RO&AC

Recorded by

Sd/(Shamsher) 29/11/91
Inspr. of Police CBI SIC.II
Camp: Madras.

Statement of Sh.S.Sankar s/o Sh.N.Subramanian,Receptionist, Hotel President, Edward Elliot Road, Madras recorded u/s 161 Cr.P.C.

....

PW-78

On being asked I state that I am working as above for the last 6 months. Today you have shown me Registration Form No.70062 dt.15.10.91 which is in original. The said form has two portion one is meant for guest's particulars of Indian and another for foreigners. Then there is small portion in the said form which is for office use only. On 15.10.91, I was on duty between 2.00pm to 10.00 pm. But the said Form No.70062 has been filled up by our General Manager P.Rajkumar as he happened to be present on the counter and I was busy in entertaining some other guests. So the portion meant for our office use has been filled up by Sh.P.Rajkumar in my presence and I identify his handwriting and signatures on the said form vide which Guest Shah Chandra had been allotted room No.404 in our hotel.

and apartment guest Bill No.T-16012 in the

You have also shown me one board/name of Shah Chandra of Bhilai(Durg)MP which is computerised. The said bill has been prepared by me on 18.10.91 at 6.25 pm when guest Shah Chandra checked out from our hotel. On the basis of tarrif/charges etc. as shown in the said bill No.T-16012, I prepared a cash receipt No.117865 for Rs.1549/- in the name of Mr.Shah Chandra, the original of which was handed over to guest Shah Chandra and duplicate retained by us. You have shown me the duplicate receipt No.117865 dt.18.10.91 which bears my signature and handwriting for receiving Rs.1549/- from Shah Chandra towards settlement of room rent/telephone bills etc. for the period of three days stay in our hotel.

Said Shah M.Chandra made no STD/ISD call from our hotel and he also did not take lunch/dinner at our hotel as is evident from the restaurent charges of Rs.52/-, 12/-. & 62/- only because these charges are only for breakfast, snacks and coffee.

The entry of Rs.30/- towards the charges for telephone call, mentioned in the bill No.T-16012, also shows that Shah Chandra made no STD/ISD call from our hotel as these charges are only for local calls, the record of which is also not maintained in our hotel.

RO&AC

Recorded by
Sd/-(Shamsher)
Inspr. of Police CBI SIC/II
Camp: Madras.

29/11/91

RC.9(S)/91-SIU.V/SIC.II/CBI

PW-79

Dated : 2nd December 1991

Statement of Shri P.C. Pullaiha S/o Venkatarha, Works Inspector, N.H.Division No.5, Gudur R/o Vill. Monabolu, West Nellore recorded u/s 161 Cr.P.C.

*****

On being asked I state that I am working as above with O/o SDO, NH-5, Gudur Division, Gudur for the last 6 months. Prior to that I was posted at Toll-Gate bridge of river Khandaleru, Vill. Monabolu, Gudur Division in the same capacity.

Today you have shown me Toll-tax receipt No.185620 dt. 13.10.91 for Rs.2/- in the name of remitter MP-24B-6622. The said receipt has been filled up by me in my own handwriting and duly initialled by me for collecting Rs.2/- as toll-fare from vehicle No. MP-24B-6622 on 13.10.91 which passed through our said toll tax-gate.

You have also shown me page No.27 of toll tax-gate register which contains the vehicles registration No., amount of toll-tax charged and total amount received. As per the entry on page No.27, I was on duty between 2.00 PM to 10.00 PM on 13.10.91 at Vill. Monabolu Toll-tax gate. I made the entry of vehicle No. MP-24B-6622 at Sr.No.185620 in my own hand on the basis of particulars entered by me in receipt No.185620 dated 13.10.91. As per entry at page No.27, Sr.No.185620, the said vehicle passed between 2.00 PM to 10.00 PM from our toll-tax gate.

RO&AC.

T.C.

Before me,

Sd/-
(SHAMSHER) 2.12.91
Inspr./CBI/SIC.II/New Delhi.
Camp : Bhilai.

बयान श्री अमृत मंगलदास पत्तोगर पुत्र श्री मंगलदास पत्तोगर उम्र 55 साल निवासी, मनोहर कालोनी रोड रामनगर गोंदिया महाराष्ट्र, ।

PW-80

--00--

मै नागपुर यूनिवर्सिटी से 1960 में 5 साल का आर्किटेक्ट का डिप्लोमा किया था । उसके बाद मैने 2 साल तक बतौर सुपरवाईजर एम.एस. एस.काले ज नागपुर में नौकरी की । उसके बाद मैने 2 साल अमरावती में प्राइवेट प्रैक्टिस की और 1964 से गोंदिया में प्रैक्टिस कर रहा हूं मै काम के सिलसिले में भिलाई, तिरूड़ा तुमसर भंडारा बालाघाट और उरला (रायपुर) में आता रहता हूं मेरी सालाना की प्रैक्टिस करीबन 70-80 हजार रूपये है । भिलाई में मै सर्व श्री राजकुमार मूंदड़ा मनु भाई चावड़ा नंदू भाई परमार, चंदूलाल जैन और चंद्रकांत के लिये काम कर रहा हूं ।

मेरी मुलाकात चंद्रकांत शाह से राजकुमार मूंदड़ा के जरिये लगभग साल-सवा साल पहले हुई थी मैने चंद्रकांत शाह के लिये उसके अपने घर के जो कि नेहरू नगर में है रफ आल्टरेशन प्लान बनाये थे और उसी प्रकार उसके ससुर के नेहरू नगर के घर के भी रफ आल्टरेशन प्लान बनाये थे बाद में चंद्रकांत की स्पोंज आयरन की फैक्टरी लगवाने के लिये (इंडस्ट्रियल इस्टेट में) ड्राईंग बनाया फिर मौके पर ले आउट बताया तथा काम चालू करवाया, सभी कामों के लिये चंद्रकांत शाह ने मुझे फैक्टरी का प्लान बनाने के बाद में 10 हजार रूपये एडवांस दिये । मैं पिछली बार चंद्रकांत शाह की फैक्टरी के काम के लिये इस साल के सितम्बर माह में आया था, उस समय मैने ले आउट प्लान दिया था और मौके पर भी ले आउट बताई । नियोगी की हत्या के एक या दो दिन बाद मै भिलाई आया हुआ था तो मै राजकुमार मूंदड़ा के घर ठहरा था, हमेशा की तरह मैने अपने सभी क्लाईंटो को चंद्रकांत सहित फोन पर सूचित किया चंद्रकांत शाह मुझे मिलने श्री मूंदड़ा के घर शाम के 4-5 बजे आया वह मुझे अपने साथ अपनी गाड़ी में बैठाकर अपने ससुर के बन रहे घर में ले गया, मकान का काम मैने देखा और बाद में चंद्रकांत शाह ने मुझे बताया कि नियोगी की हत्या की वजह से पुलिस मेरे पीछे पड़ी है और वह शायद फरार हो जाएगा, । उसने आगे बताया कि हो सकता है वह मेरे पास कभी गोंदिया आकर मिले और उसने ये भी कहा कि वह जो कुछ कहे उसकी खबर भिलाई मे दे दू और भिलाई की खबर उसको दे दूं । मैने उसे कहा कि ये काम अच्छा नही है और गोंदिया में पहचाना जाएगा । मुझे चंद्रकांत शाह

TC
B

 P.W-80

ने कहा कि मुझे उसका काम करना ही पडेगा, क्योंकि मेरा लडका उसके पास है मेरा लडका गत्यकी 6 महीने से सूरज आर्किटया की आटोमेटिक होंडा की सर्विस सेंटर पर मैकेनिक का काम सीख रहा है और दो घंटे के लिये हिन्दू इंस्टीटयूट पावर हाउस चौक में मोटर रिवाईडिंग का कोर्स भी कर रहा है वह राजकुमार मूंदडा के घर ही रहता है ।

उसके बाद 5 नवम्बर 1991 को प्रातः उसका भाई हेमंत शाह गोंदिया मे मेरे पास आया 20 हजार रुपये मुझे दिये और उसने कहा कि आज कल में चंद्रकात शाह मुझसे संपर्क करेगा, ये मैं उसे दे दूं, उसने ये भी कहा कि उसके आने की खबर किसी को भी नहीं दू, जब मैं चंद्रकात शाह की फैक्टरी में, लिये काम कर रहा था तो एक बार हेमंत शाह चंद्रकात शाह की फैक्टरी में मुझसे मिला था और अपना घर जानने के लिये कहा था । हेमंत शाह मुझे और चंद्रकात शाह को अपने घर ले गया और वहा पर मैने उनका घर, एल. आई जी. फ्लैट दुर्ग में देखा और कुछ परिवर्तन सुझाए । चंद्रकात शाह 5 नवम्बर को ही शाम को करीब साढे छः बजे मेरे पास आया । मैने चंद्रकात को 20 हजार रुपये दे दिये चंद्रकात शाह ने कहा कि मै उसके भाई को संदेश दे दूं कि वह 7-8 तारीख को अपनी गाडी, यानि टेम्पो ट्रेवलर को गोंदिया लालाघाट रोड पर छोड देगा, वे आकर उसको देख ले और उसके मुताबिक पुलिस को खबर कर दे । उसके बाद चंद्रकात शाह वहा से चला गया. ।

चंद्रकात शाह के जाने के बाद मने चंद्रकात शाह के भी हेमंत शाह को फोन से खबर कर दी कि मैने उसका काम कर दिया है और कहा कि वो गाडी 7-8 नवम्बर को गोंदया लालाघाट रोड पर छोडकर जाएगा उसके बाद हेमंत शाह और उसके पिता जी मेरे घर में 14-15 नवम्बर को शाम के 5-6 बजे आये और पूछा कि क्या मुझे चंद्रकात शाह की कोई खबर है और कहा कि क्या मैने गाडी देखी थी मैने उनको बताया कि मेरे पास चंद्रकात शाह की कोई खबर नही है और नही मैने गाडी देखी है ।
उसके बाद उन्होने मुझे एफ़ आई आर की फोटो स्टेट कापी दिखाई जिसमें चंद्रकात शाह की 3-4 पुलिस वालों के साथ हाथापाई और उसके अपहरण के बारे में लिखा था, उसके बाद वे लोग जबलपुर की ओर चले गये । उनके जाने के बाद मै किसी क्लाईंट की गाडी में चंद्रकात शाह की गाडी को देखने गोंदिया-लालाघाट रोड पर गया । मने अपनी गाडी की लाईट्स चंद्रकात शाह की गाडी देखी,

 PW-80

इसमें एक सफेद तौलिया ड्राईवर की सीट पर पड़ा हुआ था जिस पर कुछ खून जैसा लगा हुआ था, अंधेरे के कारण गाड़ी में और चीजें दिखाई नहीं दीं उसके 2-3 दिन बाद देवेन शाह अकेला श्री जबलपुर से लौटते हुये रात 9-9/30 बजे मेरे पास आया और पूछा कि क्या मेरे पास चंद्रकांत शाह के बारे में कोई खबर है तो मैंने कहा कि मेरे पास कोई खबर नहीं है, उसके बाद वह चला गया 24-25 नवम्बर को मैं भिलाई आया हुआ था। श्री राजेश शाह, जो कि श्री चंद्रकांत शाह के रिश्तेदार हैं और उनकी फैक्टरी के मैनेजर भी है, मुझे राजकुमार मूंदड़ा के घर मिले और जबलपुर हाईकोर्ट द्वारा चंद्रकांत शाह की अग्रिम जमानत के आदेश की फोटो कापी देते हुये कहा कि यदि चंद्रकांत मुझसे मिले तो उसे दे दूं। 24-25 नवम्बर के बाद भी मैं 2 बार भिलाई आया था परन्तु मैं चंद्रकांत शाह के किसी रिश्तेदार से नहीं मिला और न ही उन्होंने मुझसे मिलने की कोशिश की।

T.C.

[signature]

हस्ता/सही,
बी.एस.कंवर §डी.एस.पी§
19/12/91 कैम्प भिलाई,

Statement of Shri S.B.Kumbalekar, Inspector of Police, Gondia Rural Police Station, Gondia.

******

On 11.11.91 Police Patel, Nagra Village came to the Police Station with the information, that the vehicle No. MP-24B-6622 is lying in the village Nagra since 7.11.91 un-attended with locked doors. His statement was recorded by PSI Shri R.B.Singh as per Station Diary No.21 dt. 11.11.91. PSI Singh reached the spot immediately and drew a Panchanama in presence of Mohemed Abdul Razak S/o Mohemmed Ibrahim aged 2? years Market Contractor Savara Tolly, Gondia and Chandra Kant Budhram Muskane of village Nagra and as the vehicle was in gear and doors were locked and it was left there under watch. I recognised the signature of the Police Patel and signature of PSI Shri R.B. Singh on the statement and Panchanama. R.T.O. Durg was asked to give the information regarding the owner of the vehicle. Meanwhile P.S. Gondia(Grammin) received a telegram from Ramji Shah, Simplex Estate Madan Mahal, Jabalpur stating that the harrasment given by the police officers of Bhilai to his son Chandra Kant Shah and the telegram was based on the letter received by him from one K.R.Nair of Durg by post, suspecting the kidnapping or killing of his son by the Police. A letter was written to Ramji Shah to come to the Police Station for further action instead he wrote a letter confirming the telegram for necessary action, copy of which was sent to SP Durg and CBI.

On 18.11.91 Shri Baladev Singh Kanwar, DSP, CBI New Delhi, Camp Bhilai visited at Gondia in connection with the investigation of RC.9(S)/91-SIU.V/SIC.II and broke open the locked doors of the above said vehicle in presence of Panchanamas and managed to take the photograph of the vehicle and seized the vehicle alongwith

CTC
29

PW-81

the article available in the vehicle. The Finger Print Expert was called, he scrutinised the chance prints, On the probable spot and could find chance prints on bull worker and the rear view mirror; both the articles were sent to Nagpur for photo prints. The Finger Print Expert after taking the prints both the articles were sent to the Police Station with a letter. Both the articles are at present at the Police Station. As a temporary arrangements the vehicle is kept in the safe custody of P.S. Gondia Rural by Shri Kanwar, DSP.

The Statement was recorded by me read over to the witness and admitted by him to be correct.

Sd/-
(P.J.MATHAI) 23.12.91
INSPECTOR OF POLICE
CBI : JABALPUR.
CAMP: BHILAI.

T.C.
3/1/92

Statement of Shri Mangulal Panch Budh, S/o Rangoji Panch Budh. aged 40 years. Village Patel Nagra Village Gondia Tahsil Bandara Distt, Maharashtra.

I am a farmer and I am also Village Patel of Nagra Village. On 7.11.91 morning I was going to my farm. I saw a Tempo Traveller Vehicle bearing No.MP-24-B-6622 was lying on the road side, un-attended with locked doors. I saw the above said vehicle on 9.11.91 un-attended, then I ascertained one of the residents Gosaiudapura about the vehicle, he also said this vehicle was here since 7.11.91. I also ascertained from other people about this vehicle, but nobody said whose vehicle is this. I could not inform about the vehicle to the Police Station on 9.11.91 as

I was not feeling well. On 11.11.91 I went to the Gramin Police Station, Gondia and met Inspector Kumblekar and told him about the vehicle abandoned in the village; he directed me to see P.S.I. Shri R.B.Singh and to write a complaint. I made oral complaint to the P.S.I. Shri R.B.Singh; in turn he wrote my complaint about the abandoned vehicle in the village Nagra since 7.11.91. My statement was recorded by the P.S.I. R.B.Singh in the station Diary. I left the Police Station by 12.00 hours in my bicycle.

P.S.I. Shri R.B.Singh reached the village at about 13.00 hours on 11.11.91 and met me and after ascertained about the vehicle. he drew a Panchanama in presence of myself; one Mohemed Abdul Razak s/o Mohemed Ibrahim aged 27 years, Market Contractor Savara Tolly Gondia and one Chandrakant Bhudhram Muskare village, Nagra. P.S.I. Shri R.B.Singh left the place after leaving the vehicle in the village. Two days after A.S.P. Shri Venketeswar Saheb and P.S.I. Shri R.B.Singh came and saw the vehicle in the village; the next day Police guards were posted. I was told that the vehicle was taken to the police Station Gondia (Gramin) on 18.11.91 as I had gone to Bandara with my daughter the same day.

Pw-82

Statement recorded by me read over to the witness and admitted by him to be correct.

Sd/- 23.12.91
(P.T.MATHAI)
Inspr/CBI/JBR.
Camp.Bhilai.

T.C.
[signature] 3/1/92

PW-83

RC.9(S)/91-SIU.V/SIC.II/CBI   Dated : 23.12.91

Statement of Shri Rashid Rijvi S/o S.Z.Hussain, aged 25 yrs. r/o 149, KF-4 Flat Dhatkidih, Jamshedpur, Receptionist, Centre Point Hotel, Bishanpur, Jamshedpur.

******

I am working as Receptionist in Hotel Centre Point, Bishanpur, Jamshedpur since 1.2.91.

Whenever a guest checks in the Hotel, he is given a quest Registration Form to fill in. In the quest Registration Form the details are filled in and at the column of signature of guest, the guest signs.

Guest Registration Form Sr.No.1650 is before me. This is of Centre Point. On perusal of the same I find that the name of the guest filled in is H.K.Shah and the address given is 54, Civic Centre, Bhilai (M.P.). The guest as per the entry in the G.R.Form has checked in the hotel at 11 PM on 23.11.91. He had checked out on 25.11.91 and was staying in room No.105. The room rent per day is Rs.625/-. The payment was made in cash. At the column for signature of the quest the guest has signed.

I am referring to the carbon copy of Centre Hotel Sr.No. GB/11/171 in respect of G.R.No.1650 (Bill) of Mr. H.K. Shah. With reference to the above bill I state that this bill has been opened by Shri Kingshuk Chakravorty, Receptionist on duty. The entries in the bill upto 23.11.91 on the left side in the column arrival date have been made by him. The guest had checked in on 23.11.91 at 11 PM as recorded when Shri Kingshuk Chakravorty was on duty. As per the entry in the bill, the

CTC 2/8 5/1/92

guest checked out at 9 AM on 25.11.91. The quest checked out when I was on duty. The rest of the entries in the bill have been made by me and I have closed the bill. I identify the handwriting of Kingshuk Chakravorty in the bill. In this bill at the column receptionist (at bottom) I have signed.

Today on demand I have handed over the Guest Registration Form Sr.No.1650 in the name of H.K.Shah, address 34, Civic Centre, Bhilai (MP) of Centre Point and carbon copy of Bill No. 11/171 in respect of H.K.Shah, Regn.No.1650 for Rs.1349.40 under a production memo prepared for the purpose.

A number of guest come and go every day and as such it is difficult to remember the face of any guest after a lapse of few days. I have been shown a photograph (of Chandra Kant Shah) today but on the basis of the photograph, it is not possible to either confirm or ~~xx~~ deny whether theguest had come to the hotel on 23.11.91.

RO&AC.

Before me,

Sd/-
(R.S. PRASAD)
DSP/CBI/SIC.II/New Delhi.
Camp : Jamshedpur.

T.C. 2M
5/1

PW-84

RC.9(S)/91-SIU.V/SIC.II/CBI Dated : 24.12.91

Statement of Shri Kingshuk Chakravorty S/o Nirmal Kumar Chakravorty r/o E-204, Sonari, Jamshedpur, Receptionist, Hotel Centre Point, Bishanpur, Jamshedpur.

******

I am as above. I am working as Receptionist in Hotel Centre Point, Jamshedpur.

As soon as a guest arrives in the hotel for stay he is given the Guest Registration Form to fill in. The G.R. Form is filled in by the quest giving all details and he signs in the same at the appropriate column.

The Guest Registration Form No.1650 is before me. On perusal of the same I find that the guest Shri H.K.Shah address 34, Civic Centre, Bhilai, M.P. had checked in at 11 PM on 23.11.91. At that time I was on duty as on 23.11.91 I was in night shift. The guest had stayed in room No.105. The Guest Registration Form had been filled in and signed by the guest in my presence.

I am also referring to the carbon copy of Centre Point hotel bill No. GB. 11/171 in respect of GR No.1650 of Mr. H.K.Shah. By referring to the above bill I state that this bill has been opened by me. The entries in the bill upto date 23.11.91 on the left side in the column arrival date have been made by me. As per the entry the guest had checked out at 9 AM on 25.11.91. The remaining entries in the bill have been made by Shri Rashid Rajvi, Receptionist of the hotel.

PW-84

A number of guests come to stay in the hotel and persons also come to meet the guest. As such it is difficult to remember the face of any guest after few days of his checking out. I have been shown a photograph of a person (Chandra Kant Shah) today. On seeing the photograph I state that after a lapse of one month it is difficult to confirm or deny whether this guest had stayed in this hotel.

RO&AC.

Before me,

Sd/-
(R.S. PRASAD) 24.12.91
DSP/CBI/SIC.II/NEW DELHI.
Camp : Jamshedpur.

T.C.

बयान   पी॰डब्लू॰ 85

देवप्रकाश सिंह उप निरीक्षक थाना रुद्रपुर जिला देवरिया (उ॰प्र॰) मैं ट्रेनिंग के बाद पहली बार लगभग दो माह से रुद्रपुर थाने में तैनात हूं तथा ग्राम निवही मेरी ही बीट में आता है मुझे मुखबिरों तथा ग्राम के प्रधान से ऐसी इत्तला मिली कि निवही के नोखई मल्लाह का लड़का पल्टन जो भिलाई में रहता है अपराधी किस्म का है कोई लम्बा हाथ मारकर आया है, एक लाल रंग की इन्डे सुजुकी मोटर सायकल नं॰ एम॰पी॰ 24बी /1707 रखे है उसी पर घूम रहा है मकान बनाने ईंटे खरीदा है बैल भी खरीदा है, नोखई की माली हालत ठीक नहीं है इससे व मोटर सायकल के कारण मुझे शंका हुई, कि दिनांक 11/10/91 को एक दीगर मामले की तफ्तीश में ग्राम रामलखन गया था उक्त मोटर सायकल पर लोरेठीह के ऋषी केश उपाध्याय के साथ मोटर सायकल चलाते एक लम्बा पतला सांवला युवक जो बाद में पल्टन होना मालूम पड़ा निवही के तरफ से रामलखन पुलिया पर आया मैं वहीं था पूछ ताछ के लिये रुकने का संकेत दिया तो गाड़ी नहीं रोककर वापस तेजी से रामलखन से निवही गांव की ओर चला गया, मेरे पता लगाने पर अवगत हुआ कि तत्काल निवही पहुंच कर घर से कुछ सामान लेकर पिठरा, छाट कपीना होते मोटर सायकल से भाग गया है, जो तलाश पर आज तक मुझे फिर नहीं मिला । ऋषीकेश उपाध्याय को थाने लाकर पूछ ताछ भी की गयी, बल्ला और नोखई मल्लाह से भी पूछताछ किया पर कोई जानकारी नहीं मिली, मैं भी उनकी तलाश में हूं ऐसा सुनने में आया है कि पल्टन के पास एक देशी कट्टा और जापानी तमंचा भी है जिसके कारतूस खरीदने नेपाल जाने वाला है यही मेरा बयान है ।

हस्ता/मही.

दिनांक 14/10/91

//सत्य प्रतिलिपि//

5/1/92

PW-85

Dt.20/12/1991

Statement of Shri Dev Prakash Singh S/o Sh. Ram Krishen Singh working as Sub-Inspector Police, P.S.Rudrapur Distt. Deoria.

I am posted as S.I. Police in P.S.Rudrapur since 23.9.1991. I am Incharge of the area in which village Nibhai under P.S. Rudrapur falls.

On 11.10.91, I had gone to village Khorma near Nibhai for investigation of a case registered under Sec.436/504 I.P.C. relating to fire in a house there. I had gone there with Constable Hiresh Lal Maurya & Bhola Rai. During night, I conducted night patrolling in that area & halted in the area itself.

On 12.10.91, while I was going back to the Police Station with the Constables named above, at Ram Lachchan crossing, I saw an undesirable character of my area talking to another person having red Suzuki motor cycle. Constable Hiresh Lal Maurya, who is working in that area for the last two years told me that the undesirable character was Rishikesh Upadhyay of village Bor-Dih of the area, who has association with criminals of the area & if intercepted, we may be able to recover any fire-arm from him. At that time, Upadhyay was about to go on the motor-cycle and was seated on the pillion, he was brought by Hiresh Lal Maurya on my instruction. He was examined to know, where & for what purpose he was going & with whom. He told that he was to go for some work to Deoria via Rudrapur & that he was not much aware about the identity of the motor-cycle owner except that he was someway or the other known to Chchabba Mallah of his village Bor-Dih & that on talking to him in the village it was transpired that he was also to go to Ram Lachchan side and will drop me there. It was under these circumstances that he took a lift on his motor cycle from the village Bor-Dih. It was around 11.00 A.M. when Rishikesh was intercepted by us at Ram-Lachchan crossing.

PW 85

Therefore, for checking about the correct identity of the motor cycle driver/owner, Ct. Hiresh Lal Maurya was directed to bring him. When Hiresh Lal went near the driver of motor cycle, who was already sitting on it, the driver sped away on motor cycle towards Khorma-Kanhauli side. I suspected him to be a criminal associate of Rishikesh Upadhyay & tried to chase him on a private Jeep No.1335, but by that time the motor cycle had already covered enough distance & therefore, the driver/owner of the motor cycle could not be caught. Khorma- Kanhauli is on the same side from which side, he had come with Rishikesh Upadhyay from Bor-Dih. Then Rishikesh Upadhyay was taken to Rudrapur & further examined, but he could not tell anything about identity of the motor cycle driver. The registration number of the motor cycle displayed on the registration plate on motor-cycle noted by me at that time in Ram-Lachchan was No. MP 24 B 1707. Since I had to finalise the investigation into the fire incident of village Khorma, I with the assistance of two constables mentioned above, remained busy in conducting investigation in Khorma and also in patrolling in the area, but could not see the red motor cycle as also its driver in the area. However, on enquiries in Nibhai village and Bor-Dih, I came to know that the above red motor cycle belonged to Paltan s/o Sukhai Mallah of Nibhai village. On further enquiries in village Nibhai from Pradhan Mr. Alamgir, it was found that Paltan was doing some work in Bhilai (M.P.) and had come to the village about 10-12 days ago with red motor cycle. On reaching Nibhai, he had purchased a bullock and also bricks from the money brought by him. Nothing more about him could be known about his activities here. I, however, came to know that last time, when he had come from Bhilai, he had brought a blue-coloured motorcycle and this time red-coloured Suzuki, on which he travels in the area. He was not found in the village and as such, I could not check up from him about the details of the acquisition of these motorcycles. On enquiries from Kailash Upadhyay, I came to know that he was the sone of Nukhai Kewat (Mallah) of Nibhai and had come from Bhilai, and is a frequent visitor to Rishikesh Upadhyay and Chchakka Mallah, whose relatives are also in Bhilai. He was being seen in the village for the last 10 days. Since there was no criminal

PW 25

history of Palton in my Police Station. I did not probe further into the matter, although from enquiries I gathered that He had association with undesirable elements.

On 14.10.91, the M.P.Police was assisted by me in conducting raids in Nibhai in the night for tracking down Palton. He, however, was not found there at the likely places of hideouts there. The help of village Chowkidar Ram Daras was also taken in apprehending Palton there, but he was found to be non-cooperative and at the first available opportunity fled away and has not returned to the village thereafter. There, on the spot enquiries conducted from Chowkidar indicated that he during the day, had gone to the Police Station and contacted Constable Sita Ram there casually. He however, did not disclose the purpose for which he had gone to the police station and when the police busied itself in tracing out Palton and his motorcycle, leaving further questioning of Chokidar mid-way, he quitely sneaked away in the night, in commotion, when suddenly it was noticed that somebody was running towards the open fields and thinking that Palton was trying to escape, the police party ran in that direction and Chowkidar also fled away.

On enquiries in village in the night, before Ram Daras Chowkidar was called, it has been confirmed by Constable Bhola Ram and Daya Ram Yadav, who were on patrol duty in the day, that Chowkidar & Palton had been seen together during the day. The village Pradhan Alamgir also confirmed the same. Constable ~~Harinder~~ Hirat Lal Maurya, who was sent during the day for calling the Chowkidar from Nibhai, on return to Police Station had also informed that Chowkidar had come with Palton on his motorcycle to Rudrapur. On receiving this information from Constable Maurya, the officers of MP Police i.e. ASI Shukla and his staff in their jeep made efforts for about two hours in Rudrapur with Constable ~~Harinder~~ Hirat Lal Maurya, but could not trace them. It was in the light of these developments, the stress was laid on examining Ram Daras Dusadh Chowkidar and through him, capture Palton.

Thereafter, a number of efforts have been made to trace Paltan, but he could not be apprehending so far.

ROAC

TC. 24

Before me

Sd/-
(D.P.SINGH) DSP SIC.I

बयान श्री आ0 जोखन निषाद आयु 28 साल सा0 सिकटी थाना रुद्रपुर जिला देवरिया (उ0प्र0) का रहने वाला हूं। किसानी का काम करता हूं सलटन मल्लाह के घर के पास में ही रहता हूं सलटन ज्यादातर बाहर रहता है कभी 2 गांव आता है। कल दि0 14.10.91 को करीब 9 बजे जब मैं अपने खेत में था तब सलटन को एक लाल रंग की मोटर सायकल से मेड से [illegible] जा रहा था। सलटन की दोस्ती आज कल गांव के चौकीदार रामरस दुसाध से है। आज मैं सलटन को नहीं देखा है। यही मेरा बयान है।

हस्ता0/15.10.91

सत्यप्रतिलिपि

बयान पी॰डब्लू 87

किशोर आत्मज शिवजतन मल्लाह आयु 25 साल ग्राम निवही, थाना रुद्रपुर जिला देवरिया (उ॰प्र॰)

मै पल्टन को जानता हूँ दूर की रिश्तेदारी है अभी मेरे फूफा, का देहान्त मिर्जापुर बाजार में 20/25 दिनों पहले हुआ जिसके क्रिया कर्म में 10/12 दिन पहले गया था वहाँ पल्टन अपनी बहन के घर आया था मेरी मुलाकात, हुई वह एक लाल रंग की सुजुकी मोटर सायकल जिसका नंबर हमारे गाँव के प्रधान के नाम लिखा है, उसे अपने पास रखे था लगभग दो माह पहले गाँव आया था तो पल्टन बोला था, कि भिलाई में गाड़ी खरीदकर रखा हूँ पूछने पर वही गाड़ी होना बताया मैं 3/4 साल पहले भिलाई में ही पढ़ता था, 6/7 साल तक पढ़ा है पल्टन शुरू शुरू मेहनत मजदूरी भिलाई में करता था फिर न्यू खुर्सीपार में बालेश्वर के सम्पर्क में आने के बाद बिगड़ गया, गलत लोगों के मोहल्ले में रहने लगा तब से मेरा ज्यादा, सम्पर्क नहीं है अभी ग्राम निवही, में भी आया था निवही में भी उसी मोटर सायकल पर घूमता रहा रामदरश चौकीदार से मेल जोल बनाया था, कब आता है कहाँ जाता है पता नहीं चलता, परन्तु इस बार गाँव में ही रहूँगा बोलता था मकान के लिये 4/5 हजार ईंटे खरीदा है सुरेश लोहार के साथ ईंटा खरीदने गया था दो बैल भी खरीदा है 2000/- में लिया है, बताते है, अभी दो तीन दिनों से पल्टन को नहीं देखा हूँ यही मेरा बयान है।

हस्ता/सही

//सत्यप्रतिलिपि//

15/10/91

ब्यान, पी.डब्ल्यू 88

ऋषीकेश वा त्मज ओंकार उपाध्याय आयु 25 साल सा. लोरडी थाना रुद्रपुर जिला देवरिया का रहने वाला हूँ ग्राम निवड़ी मेरे गाव के पास में ही है वहाँ के पल्टन मल्लाह को मै जानता हूँ वह अभी कुछ दिनों पहले एक लाल रंग की मोटर सायकल लेकर 10/12 दिनो से आया हुआ है 11/10/91 को मै उसी के साथ उसकी मोटर सायकल पर बैठ कर ग्राम रामलक्ष्मण तरफ गया था, जहाँ पुलिया पर रुद्रपुर के छोटे दरोगा, के सिपाही ने रुकवाया तो पल्टन मोटर सायकल वहीं छोड़कर पैदल ही भागकर निवड़ी भाग आया, और फिर तुरन्त ही निवड़ी से भी चला गया मेरे पूछने पर बोला कि भिलाई से जाँच में कोई कागज आया होगा, इसी लिये रोकते होंगे बाद में रामदरश चौकीदार के जरिये थाने से निपट लूगा मेरी जमीन जायदाद के मामले में रिस्तेदारो से कुछ झंझट है पल्टन दादा टाइप का आदमी है अतः मदद लेने उससे सम्पर्क किया था मेरी कोई पुरानी पहिचान नहीं है इसके पिता राम रूप मल्लाह तथा छब्बा पिता इकबाल मल्लाह दोनो लौंडाडीह वाले उसके ज्यादा सम्पर्क में है यही मेरा ब्यान है ।

हस्ता/सही,

दिनांक 15/10/91

//सत्यप्रतिलिपि//

बयान पी॰डब्लू 89

श्रीराम आत्मज कलवारू जाति मल्लाह आयु 42 साल, सा॰ मिर्जापुर बाजार थाना चौरवार, जिला गोरखपुर (उ॰प्र॰) का रहने वाला हूँ ।

सीताराम मेरा पट्टीदार था, तथा चचेरा भाई था वह करीबन 10 साल, पूर्व फौत हो गया है सीताराम की छोटी कुमारी बाई [illegible] ~~[illegible]~~, ग्राम निवड़ी की रहने वाली है तथा पल्टन मल्लाह की बहन है पल्टन कभी कभी आता है दो दिन पहले भी पल्टन एक लाल रंग की मोटर सायकिल में आया था रात में रुका था, सुबह चला गया यही मेरा बयान है ।

//सत्यप्रतिलिपि//

हस्ता/सही,

दिनांक 15/10/91

पी डब्ल्यू 10

बयान स्वारीलाई देवा सीताराम मल्लाह आयु 35 साल सा0 मिर्जापुर बजार थाना बेरावार जिला गोरखपुर की रहने वाली हूं । मेरा मर्द करीब 10 साल पहले मर गया है । मेरा बड़ा लड़का सतीश है जो 3-4 साल से अपने मामा सतराज के पास बम्बई में रहता है । छोटा लड़का दिनेश है जो मेरे पास ही रहता है । मेरा एक भाई भरत है जो सेना में रहता है । पलटन मेरा छोटाभाई है जो भिलाई में रहता है । कभी-2 आता है । अभी कुछ दिनों से यहीं है दो दिन पहले लाल रंग की मोटर सायकल में आया था रात में रुका सुबह चला गया उसके पहले भी 8-10 दिन पहले आया था । उसने 3500 भी बैंक में मेरे नाम से जमा किए । बैंक की पासबुक तथा उसके कागजात डायरी तीन टेप रिकार्ड वगैरह सामान पलटन का है जो पेटी में यहीं रखा है । पलटन की पेटी का सामान डायरी कागजात चाकू टेप वगैरह पेश कर रही हूं । दो दिनों से पलटन यहां नहीं आया है अभी कहां है यह नहीं मालूम है । उसे बताया भी नहीं है कि वह कहां जा रहा है यही मेरा बयान है ।

हस्ता0/15.10.91

सत्यप्रतिलिपि

पी डब्ल्यू 70

बयान संवारीबाई बेवा सीताराम मल्लाह आयु 35 साल सा0 मिर्जापुर बाजार थाना खोराबार जिला गोरखपुर की रहने वाली हूं । मेरा मर्द करीबन 10 साल पहले मर गया है । मेरा बड़ा लड़का सतीश है जो 3-4 साल से अपने मामा संतराज के पास बंबई में रहता है । छोटा लड़का दिनेश है जो मेरे पास ही रहता है । मेरा एक भाई भरत है जो मेखा में रहता है । पल्टन मेरा छोटा भाई है जो भिलाई में रहता है कभी -2 आता है । अभी कुछ दिनों से यही है दो दिन पहले लाल रंग की मोटर सायकल में आया था रात में रूका सुबह चला गया इसके पहले भी 8-10 दिन पहले आया था उसने 3500 रूपये भी बैंक में मेरे नाम से जमा किए । बैंक की पासबुक तथा उसके कागजात डायरी तीन टेप रिकार्ड वगैरह सामान पलटन का है जो पेटी में यहां रखा है । पलटन की पेटी का सामान डायरी कागजात चाकू टेप वगैरह पेश कर रही हूं । दो दिनों से पलटन यहां नहीं आया है अभी कहां है यह नहीं मालूम है । मुझे बताया भी नहीं है कि वह कहां जा रहा है । यही मेरा बयान है ।

CTC

सही/15.10.91

पी डब्ल्यू 86

बयान मुंशी पिता जोखन निषाद आयु 28 साल सा0 निबहुवें थाना रूद्रपुर जिला देवरिया (उ0प्र0) का रहने वाला हूं । किसानी का काम करता हूं पल्टन मल्लाह के घर के पास में ही रहता हूं पलटन ज्यादा बाहर रहता है कभी-2 गांव आता है कल दिनांक 14.10.91 को करीबन 9 बजे जब मैं अपने खेत में था तब पलटन को एक लाल रंग की मोटर सायकल से तेज से फनफनाते जा रहा था । पलटन की दोस्ती आजकल गांव के चौकीदार रामरतन दुसाध से है । आज मैं पलटन को नहीं देखा हूं । यही मेरा बयान है ।

CTC

सही/15.10.91

बयान

Rw-91

आशा पत्नी स्व0 श्री शंकर गुहा नियोगी उम्र 40 साल सा0 भोलापारा, राजहरा, जिला दुर्ग ।

....

मैं दानीटोला माइन्स की रहने वाली हूं । मेरे पिताजी हैं माताजी का स्वर्गवास हो गया है पिताजी निवासी दानीटोला में रहते हैं । पिताजी पत्थर फोड़ते हैं । हम लोग तीन बहनें और एक भाई हैं । मेरा भाई कोमल बचपन से ही मेरे साथ मेरी शादी होने के बाद से रहता है अभी सइद गैरेज में काम करता है । मैं सबसे बड़ी हूं मेरी दोनों बहने मेरे से छोटी हैं एक का नाम पन्ना दूसरे का नाम बेदू है । [redacted] बेदू महामाया में मजदूरी करती है पन्ना बालोद में रोजी मजदूरी करती है दोनों की शादी हो गई है । मेरे परिवार में दो बच्चियां और एक पुत्र है । बड़ा लड़का 15 साल का है उसका नाम क्रांति है यह निर्मला स्कूल राजहरा में 10वीं कक्षा में पढ़ रहा है । उसके बाद लड़की जीत है उसकी उम्र लगभग 13 साल है जो बीएसपी स्कूल नं0 3, कक्षा 8 में पढ़ रही है । उसके बाद लड़की मुक्ति है जो लगभग 11 साल की है तथा कक्षा 6वीं में बीएसपी स्कूल में पढ़ रही है । नियोगीजी के पिताजी का नाम एच. के. गुहा नियोगी है जो जलपाईगुड़ी में रहते हैं । नियोगी 5 भाई थे तथा 2 बहनें थीं । सबसे बड़े नियोगीजी थे उसके बाद के भाई इम्फाल में रहते हैं । इमरजेंसी से पहले मेरी शादी हो गई थी । नियोगीजी चाय और सिगरेट बहुत ज्यादा पीते थे चारमीनार सिगरेट अधिक पीते थे शुरू में चार मीनार सिगरेट पीते थे फिर कुछ दिन स्टाइल सिगरेट पीते थे । रात को सोने से पहले किताब पढ़ने का शौक था पढ़ते पढ़ते सो जाते थे । नियोगीजी पढ़ते पढ़ते सो जाते थे तो कमरे की लाइट जलती रह जाती थी कई बार मैं कमरे की लाइट बंद की हूं । डेली डायरी नहीं लिखते थे लेकिन कुछ पता या फोन नम्बर डायरी में लिखते थे । भिलाई के आंदोलन के बाद लगभग 1 साल हुये हुडको में पहले आफिस का मकान खरीदे थे । वे किससे खरीदे और कितने में खरीदे इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं है । मैं गर्मी की छुट्टी में बच्चों को लेकर भिलाई गई थी । आफिस का मकान खरीदने के बाद एक मकान और रहने के लिये हुडको में खरीदे थे । मेरे बच्चों को नियोगीजी अंग्रेजी सिखाते थे । मैं पढ़ी लिखी नहीं हूं । केवल दस्तखत करना आता है । मैं शादी के बाद घर पर

 Pw-91

ही रहकर बच्चों की देखरेख करता था । नियोगीजी घर पर आते थे तो हमेशा बोलते रहते थे कि मेरे जान के पीछे कैलाशपति केडिया, विनय केडिया, मूलचंद शाह, ज्ञानचन्द शाह, नवीन शाह, बी0आर0 जैन, एच0पी0 छेता सब पड़े हैं । और भी नाम बताये थे जो याद नहीं आ रहे हैं । वे दिल्ली से आपस भिलाई आये थे तो वहाँ से दल्ली राजहरा आये थे तो मैंने उनसे पूछा था कि मजदूरों का क्या फैसला हुआ तो उन्होंने कहा कि अभी नहीं हुआ धीरे से हो जायेगा लेकिन मेरा जान के पीछे सब लोग पड़े हैं । धमकी वाली चिट्ठी बहुत दिन पहले आयी थी जिसको पुलिस में दे दिये थे । नियोगी जी की हत्या के बाद एक आवेदन पत्र मैंने दल्ली राजहरा थाने में दिया था जिसको गणेशरामजी लिखवाये थे इसमें मैंने दस्तखत किया था । गणेशराम ने जो आवेदन पत्र लिखा था उसको पढ़कर मुझे उन्होंने सुनाया था । इस आवेदन पत्र में जैसा मैंने बताया था वैसा ही लिखा था । नियोगी जी जब भिलाई में रहते थे तो मैं बच्चों को राजहरा में छोड़कर भिलाई अकेला जाकर उनको समझाता था कि आपको जान को खतरा है तो आप अकेले मत रहा करो । नियोगीजी के साथ उनका ड्रायवर बहलराम रहता था जब बहलराम काम से बाहर जाता था तो नियोगी जी अकेले रहते थे । नियोगीजी भिलाई में जब रहते थे तो घर की खिड़की कभी खुला रखते थे कभी बंद रखते थे ।

Sd-

कैम्प- राजहरा

C.T.C.

राजहरा 29/1/92

बयान श्रीमती आशा पत्नी स्व० शंकर गुहा नियोगी उम्र 40 साल निवासी भगोलीपारा राजहरा जिला दुर्ग (म.प्र.)

PW-91

--CC--

मेरे पिता जी श्री प्यारराम दानीटोला में रहते हैं और क्वार्टज माईन्स में काम करते है । मेरी माता जी का स्वर्गवास हो गया है । मै पढी लिखी नही हूँ और न ही हिन्दी अच्छी तरह बोल पाती हू मै भी पहले क्वार्टज माइन्स में काम करती थी । मेरा छोटा भाई कोमल मेरी शादी होने के बाद मेरे साथ ही रहता है और इस समय मिनूपद गैरेज में काम सीख रहा है, । मेरी शादी एमरजेन्सी के एक साल पहिले श्री शंकर गुहा नियोगी के साथ हुई थी । शादी के बाद मैने नौकरी छोड दी थी व दानीटोला में ही लगभग दो साल रहती रही थी । उसके बाद मजदूरों ने हमारे लिये राजहरा में झोपडा बना दिया था और मै श्री नियोगी जी व बच्चो के साथ राजहरा में रहने लगी । मेरी दो बेटियां क्रांति व मुक्ति है और एक बेटा जीत है । क्रांति दसवी कक्षा में निर्मला स्कूल राजहरा में पढती है । बेटा व छोटी बेटी बी.एस.पी. स्कूल में क्रमशः आठवी व छठवीं कक्षा में पढ रहे है । नियोगी जी के पिता श्री एल.के. गुहा नियोगी जलपाई गुडी में रहते है ।

श्री नियोगी जी जब मीटिंग वगैरह में जाते थे तो डायरी रखते थे । वे चाय व सिगरेट बहुत पीते थे पहेलवार मिनार परन्तु बाद में स्टाईल व चारमीनार सिगरेट पीने लगे थे । उन्हे सोने से पहिले किताब पढने का बहुत शौक था, । वे पढते पढते ही सो जाया करते थे, और लाईट बंद करना भी भूल जाया करते थे ।

भिलाई का आन्दोलन पिछले साल शुरू हुआ था और तभी से श्री नियोगी जी भिलाई में ही ज्यादा रहने लगे थे । शुरू में वे पुरोहित होटल में रुकते थे परन्तु बाद में छत्तीसगढ मुक्ति मोर्चा के हुडको वाले आफिस में रुकने लगे थे । इस वर्ष हुडको आफिस के थोडी दूर यूनियन ने एक और मकान खरीदा था, और इस साल की बच्चो की छुट्टियों के कुछ समय पहले ही उसका कब्जा लिया था तबसे नियोगी जी उसी मकान

में रहते थे, । गर्मी की छुट्टियों में हम सभी उस मकान में रहकर आये थे, हम वहां पर लगभग डेढ महीना रहे । उस दौरान बहुत कम लोग नियोगी जी को घर पर मिलने आये थे, । उन्होंने मुझे बताया था कि कुछ लोग पुराने मालिक के बारे में पूछने आते थे । उसके बाद भी मैं एक या दो बार भिलाई गई थी ।

दिल्ली जाने से पहिले नियोगी जी राजहरा आये थे । उस समय उन्होंने मुझे एक कैसट सम्भाल कर रखने के लिये दिया था और उसे मैंने ट्रंक में रख दिया था । इसके बाद मैं भी उनके साथ भिलाई गई थी व एक सप्ताह वहां रही थी । श्री नियोगी जी अपने बारे में ज्यादा बात नहीं करते थे मुझे पता था कि उनको धमकी भरे पत्र मिले थे । इन पत्रों के आने पर मैंने भी उन्हे कई बार कहा था कि सम्भलकर रहा करें और रात को गाड़ी में न अकेले चला करें और न ही घर पर अकेले सोया करें इस पर उन्होंने इतना ही कहा था, बहालराम अक्सर मेरे साथ रहता है , बातो के दौरान उन्होंने मुझे कई बार बताया था कि कैलाशपति केडिया, विनय केडिया, मूलचंद [illegible] शाह, नवीन शाह, चंद्रकांत शाह, अरविंद शाह, बी. आर. जैन, [illegible], कुलदीप गुप्ता, विजय गुप्ता, आदि उनकी जान के पीछे पड़े हुये थे, वो कुछ और लोगों के नाम भी बताते थे, परन्तु वह मुझे याद नहीं है । वे कहते थे कि मूलचंद शाह पैसे देकर हथियार व गुण्डे इकट्ठे कर रहा है व केडिया के बारे में उनका कहना था कि वह बदमाश है और उन्हे मरवाने के लिये कोई भी ताकत लगा सकता है । दिल्ली जाने के बाद मजदूरों के बारे में पूछने पर बताया था कि धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा । राजहरा से भिलाई होकर आये थे । जब वापिस भिलाई जा रहे थे तो बहुत खुश थे उनको मजदूरों के मसले की काफी उम्मीद थी ।

नियोगी जी की हत्या के बाद एक रिपोर्ट मैंने दल्ली राजहरा थाने में किया था मैंने रिपोर्ट में लिखने वाली बातें श्री गोपाल राय को बतायी थी और उन्होंने मेरे सामने ही बिहारी लाल को लिखवाया था । मुझे पढ़कर सुनाया गया था । और मैंने उस पर अपने दस्तखत किये थे । रिपोर्ट जो आज मुझे दिखाया गया है, मैं अपने दस्तखत पहचानती हूं और इसमें लिखी हुई बातों की तसदीक करती हूं । इसमें जो मकान नं. गलत लिखा गया है

T.C.B.

उसके बारे में कहना है कि मुझे मकान नं. तो याद था, परन्तु यह याद नही था कि एम.आई.जी एक है या दो. (PW-4)

इस वर्ष टाउन शिप नगर में कुछ समय के बाद कांती नियोगी जी के साथ रायपुर गयी थी, वापिस आने पर उसने मुझे बताया था, कि नियोगी जी ने साइल साहब को एक कागज दिखाया था, जिसमें लिखा बताया था, कि उनको मारने के लिये कुछ लोग भिलाई आये हैं। व भिलाई के उद्योगपति उनको मारने के लिये 20 लाख रुपये देने को तैयार है भिलाई आन्दोलन के दौरान सेठ लोगों ने मजदूरों पर कई बार हमले करवाये थे, नियोगी जी कहा करते थे, कि हमारे ऊपर भी हमला करवा सकते है। घटना के बाद जब पुलिस क्रांति का बयान लिख रही थी तो उसने नियोगी जी द्वारा एक टेप करने का बताया जिसमें उनको मरवाने वालो के नाम थे। डाक्टर गुन के कहने पर मैने याद किया कि एक कैसेट ट्रंक में रखवाया था। ढूंढने पर वह मिल गया, कैसेट को मेरे घर में गोविंदराम, डाक्टर गुन, क्रांति व नियोगी जी के साथियों के सामने उसी दिन बजाया गया, हम सबने नियोगी जी की आवाज पहचानी, व उसमें टेप किया व उनके मरवाने वालो के नाम भी सुने। मैने रिपोर्ट इस टेप सुनने के पहिले ही कर दी थी मै नियोगी जी की आवाज पहचान सकती हूं पढ़कर सुनाया सही माना।

{सत्यप्रतिलिपि}

डी.एस.कंवर,
डी.एस.पी.

बयान

क्रांति पुत्री स्वर्गीय शंकर गुहा नियोगी, उम्र 15 वर्ष, साकिन कोलीपारा, राजहरा, जिला दुर्ग।

PW-92

मैं उक्त पते पर रहती हूं। मेरे पिताजी शंकर गुहा नियोगी सी0एम0एस0एस0 के नेता थे। मैं निर्मला स्कूल में 10वीं कक्षा में पढ़ रही हूं। मेरे पिताजी मुझे खूब पढ़ाना चाहते थे। मेरा भाई जीत गुहा नियोगी आठवीं में तथा छोटी बहन ~~कविता~~ मुक्ति छठी कक्षा में पढ़ती है। करीबन एक वर्ष से भिलाई में मजदूरों का आंदोलन चल रहा था, इससे मेरे पिताजी अक्सर भिलाई में रहते थे परन्तु सप्ताह में एक दो दिन राजहरा जरूर जाते थे। गर्मी की छुट्टियों में हम सभी भिलाई में अपने पिताजी के पास डेढ़-दो महीने उनके मकान एम0आई0जी0 1/55 हुडको कालोनी में रहे थे। मुझे 28.9.91 को सुबह राजहरा में खबर मिली थी कि मेरे पिताजी को किसी ने गोली मारकर हत्या कर दी है। इसके करीबन डेढ़ माह पहले मैं अपने पिताजी के साथ रायपुर सायल साहब से मिलने गई थी। पिताजी ने सायल साहब को कागज दिखाते हुए कहा था कि उनको मारने के लिए उद्योगपतियों ने यू0पी0 से आदमी मंगवाये हैं और उनकी जान की कीमत 20 लाख लगाई है।

करीब एक-डेढ़ महीने पहले दिल्ली जाने के पिताजी ने मुझे बताया था कि उन्हें भिलाई के उद्योगपतियों से जान का खतरा है। जिन लोगों से खतरा है उनका नाम कैसेट में टेप कर दिया है अगर ~~कुछ~~ मुझे कुछ हो जाए तो कैसेट पुलिस को बता देना। बताने के समय पिताजी काफी मायूस लग रहे थे। वह कैसेट कहां है मुझे मालूम नहीं है। यही मेरा बयान है, पढ़कर सुनाया, ठीक है।

सत्य प्रतिलिपि

[signature]

मेरे समक्ष

सही— 3-10-91

बयान कुमारी क्रांति पुत्री स्व० शंकर गुहा नियोगी, उम्र 15 वर्ष, निवासी-भोलापारा, राजहरा, जिला दुर्ग (म०प्र०)

PW-92

......

मैं अपनी माता व भाई बहन के साथ राजहरा में रहती हूँ। मैं नेहरू स्कूल में दसवीं कक्षा में पढ़ रही हूँ। मेरा भाई जीत गुहा नियोगी आठवीं में तथा छोटी बहन छठी कक्षा में पढ़ती है। मेरे पिताजी स्वर्गीय शंकर गुहा नियोगी छत्तीसगढ़ माइन्स श्रमिक संघ (सी०एम०एस०एस०) व छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा (सी०एम०एम०) के नेता थे। मेरे पिताजी लगभग एक वर्ष से भिलाई में रहते थे परन्तु सप्ताह में एक दो दिन के लिये राजहरा जरूर आते थे। गर्मी की छुट्टियों में हम सभी भिलाई में अपने पिता जी के पास डेढ़ दो महिने मकान नं० एम०आई०जी० 1/55 हुडको भिलाई में रहे थे।

28.9.91 को प्रात: हमें राजहरा में खबर मिली कि पिताजी की हत्या किसी ने गोली मारकर, हुडको के घर में कर दी थी। घटना के डेढ़ माह पहिले मैं अपने पिताजी के साथ साईल साहब के घर रायपुर गई थी, पिताजी ने साईल साहब को कागज दिखाते हुये बताया था कि उन को मारने के लिये 20 लाख रुपए तक देने को तैयार हैं। सितम्बर 1991 में दिल्ली जाने से पहले मेरे पिताजी ने मुझे साईकिल संभालकर चलाने के लिये कहा था क्योंकि मैं स्कूल साईकिल पर जाती थी। उन्होंने बताया था कि साईकिल पर आते जाते समय कार वालों से सावधान रहना।

दिल्ली जाने से पहले पिताजी ने कुछ घटनाओं के बारे में व जिन लोगों से उन को जान का खतरा था उन लोगों के बारे में एक कैसेट में टेप किया था। मैं उस समय साथ वाले कमरे में पढ़ रही थी। शुरू शुरू में मैंने सब बातें ध्यान से सुनी थीं परन्तु बाद की बातों को मैं शोर के कारण अच्छी तरह सुन नहीं सकी। ऐसा लगता था कि मेरे पिताजी बहुत नाराज थे और उन को कुछ लोग मिटा भी सकते हैं। मेरे पूछने पर पिताजी ने कैसेट के बारे में बताया था कि उन्हें भिलाई के उद्योगपतियों से जान का खतरा है अगर उन्हें कुछ हो जाए तो कैसेट का पुलिस को बता देना इसमें उन लोगों के नाम हैं जो उन्हें मरवायेंगे।

जब पुलिस वाले मेरा बयान लिख रहे थे तो मैंने उन्हें उक्त कैसेट के बारे में बताया था। डा० गुण भी वहाँ थे। हम लोगों ने कैसेट को ढूंढना शुरू किया। माँ से जब इस बारे में ध्यान से याद करने के लिये कहा तो उन्होंने बताया कि पिताजी ने एक कैसेट उन को संभाल कर रखने के लिये दिया था। कैसेट को हमने ढूंढा तथा डा० गुण, माताजी, गणेश राम व पिताजी के रिश्तेदारों ने हमारे घर पर सुना तो सारी बातें सामने आ गई। मैंने भी कैसेट सुनकर पिताजी की आवाज पहचान ली थी और अब भी पहचान सकती हूँ।

आज मुझे एक 1990 की डायरी दिखाई गई। इस डायरी को मैंने

T.C.B.

PW-92

पहले नहीं देखा था क्योंकि मेरे पिताजी अपने सारे कागजात भिलाई में ही रखते थे। इस डायरी में जो अंग्रेजी व हिन्दी में लिखा हुआ है वह सारी, निम्नलिखित के अतिरिक्त, मेरे पिताजी के हाथ का लिखा हुआ है, जिसे मैं पहचानता हूं:-

1. पृष्ठ 17 पर हिन्दी में और अजा से लिखा हुआ "सूरज"।

2. पृष्ठ 18-19 पर नीली स्याही में लिखा है।

3. पृष्ठ 168 पर हिन्दी में लिखा है।

पढ़कर सुनाया, सही पाया।

मेरे समक्ष,

सत्य प्रतिलिपि।

सही/-
(आर०एस०कंवर)
डी०एस०पी०/सी०बी०आई०
नई दिल्ली
15.11.91

Ex D-5
20.12.94

बयान

नाम, स्वामी अग्निवेश शिष्य दयानंद सरस्वती उम्र 52 साल, आर0 7, जन्तर मन्तर, जनता दल कार्यालय, नई दिल्ली ।

PW-93

....

मैं सन् 1979-80 से नियोगी जी को जानता हूँ । नियोगी जी असंगठित मजदूरों को संगठित करने तथा बंधुआ मजदूरों के लिये काम करता था । नियोगी जी के साथ मैं शहीद वीर नारायण सिंह दिवस मनाने हेतु बालोद या दल्ली राजहरा जाता था । राजनांदगांव में कपड़ा मिल मजदूरों का हड़ताल था और वहाँ गोली चली थी तो राजनांदगांव गया था । दिल्ली में अक्सर नियोगी मेरे यहाँ रुकते थे । 1984 में उन्हीं के आग्रह पर राजनांदगांव चुनाव लड़ने हेतु गया था । दिल्ली में आना जाना तथा 84 के चुनाव के बाद घनिष्ठता बढ़ती चली गई । श्री राजेन्द्र सायल रायपुर के भी बंधुआ मुक्ति मोर्चा से जुड़े हुये हैं ।

नियोगी जी 11.9.91 से 16.9.91 तक दिल्ली में मेरे साथ रहे । इस दौरान उनकी मुलाकात राष्ट्रपति महोदय, प्रधानमंत्री महोदय, आडवाणी जी आदि नेताओं से हुई । नियोगी जी ने 50 हजार मजदूरों के हस्ताक्षर युक्त ज्ञापन राष्ट्रपति महोदय को 11.9.91 को दिया । मैं भी उनके साथ था । भारत के श्रम मंत्रालय के सामने 450 मजदूरों के साथ नियोगी तथा मैं 11.12.13/9/91 को धरना दिया । ज्ञापन उन्होंने भिलाई व छत्तीसगढ़ के ठेका मजदूरी प्रथा, कानून का ईमानदारी से पालन हो, यूनियन बनाकर काम करना, अपने संवैधानिक अधिकारों के लिये लड़ने वाले श्रमिकों को जीने का अधिकार प्राप्त हो आदि के संबंध में दिया था । ज्ञापन में लिखित रूप से केडिया डिस्टलरी, सिम्पलेक्स ग्रुप, बी0के0 व [illegible] इंडस्ट्रीज के मालिकों के हथियारबंद गुण्डों से मजदूरों के जान का खतरा बताया गया था ।

सत्य प्रतिलिपि

सही/-
21.10.91
एस0आई0

PW 13
20.12.94

PW 13
20.12.94

PW 13
20.12.94

D-6
20.12.94

पी.डब्ल्यू 03

22/12/91

बयान श्री स्वामी अग्निवेश शिष्य दयानंद सरस्वती, उम्र 52 साल, निवासी-7 जन्तर मन्तर, जनता दल आफिस, नई दिल्ली,

दिनांक 11/9/91 को नियोगी जी के नेतृत्व में एक शिष्ट मंडल राष्ट्रपति जी से दिल्ली में तकरीबन दिन के 12-00 बजे मिला था, मेरे एवं नियोगी जी के अतिरिक्त श्री जनक लाल ठाकुर, भीलाभाई राजहरा से जनकलाल ठाकुर अनूप सिंह, भीमराव बागडे भिलाई से इत्यादि थे। राष्ट्रपति जी से हम लोग लगभग आधा घण्टा मिले। नियोगी जी ने राष्ट्रपति से भिलाई के मजदूरों द्वारा महसूस की जा रही कठिनाईयां मुलाकात में बताईं। नियोगी जी ने कहा, कि हमारी मांगें संवैधानिक हैं और जो कानून है उसके अनुसार ही है। जैसे यूनियन बनाने का अधिकार, ठेका श्रमिक उन्मूलन कानून का कार्यान्वयन आदि। साथ में नियोगी जी ने पिछले कुछ महीनों से भिलाई के उद्योगपतियों एवं शराब माफिया से संबंधित संगठित गिरोह द्वारा निहत्थे मजदूरों पर हथियार बंद हमलों का जिक्र किया और कहा कि जिस ढंग से यह सब चल रहा है कि भिलाई में हमारे जीने का अधिकार खतरे में पड़ा हुआ है जबकि हम शांतिपूर्ण एवं संवैधानिक तरीकों से संघर्ष कर रहे हैं। इसमें उन्होंने म.प्र. की भा.ज.पा. सरकार और उसकी पुलिस की मिली भगत का स्पष्ट उल्लेख किया। मैंने स्वयं प्रतिनिधि मंडल के एक एक सदस्य से उनका परिचय करवाया। राष्ट्रपति जी ने सभी को साथ बिठाया था, चाय पिलाई, और बातों को बड़ी संवेदना से सुना। उन्होंने आश्वासन दिया कि वे तत्काल इस सम्बन्ध में प्रधान मंत्री को लिखेंगे, हमारे आग्रह पर उन्होंने म.प्र. के राज्यपाल को भी लिखना स्वीकार किया।

इस अवसर पर नियोगी जी एवं उनके सभी सदस्यों ने राष्ट्रपति जी को प्रतिनिधि मंडल के सभी सदस्यों द्वारा लिखित व 50 हजार श्रमिकों द्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापन दिया, राष्ट्रपति जी ने ज्ञापन को स्वीकार करते हुये हमें सलाह दी कि हम भारत के प्रधानमंत्री से भी मिलें। जब हमने उन्हें बताया कि प्रधानमंत्री इस्तीफा देकर {अग्रिम प्रतिनिधि} चले गये हैं तो उन्होंने कहा कि हम प्रधानमंत्रालय का कार्यभार देखने वाले कोयला मंत्री श्री पी.ए. संगमा जी से मिलें

नियोगी जी के नेतृत्व में 25 सदस्यों का प्रतिनिधि मण्डल प्रधान मंत्री के रेस कोर्स स्थित निवास स्थान पर अल्प समय के लिये मिला और एक लिखित ज्ञापन दिया । यह वही ज्ञापन था जो राष्ट्रपति जी को दिया गया था । इस क्रम में दूसरे दिन नियोगी जी संसद के कक्ष में बी.जे.पी. के नेता लाल कृष्ण आडवाणी जी से मिले और उसके अगले दिन में और नियोगी जी श्री वी.पी. सिंह जी से संसद के हाल में मिले ।

हस्ता/अपठनीय

(शमशेर सिंह)

नि./सी.बी.आई.

एस.आई.सी.-2 दिल्ली

कैम्प बिलासपुर,

//सत्यप्रतिलिपि//

Memo to President

D/168

PW16

पी डब्ल्यू 94

बयान डा0 पुन्यब्रत पिता अनिन्द्र मोहन गुन बंगाली उम्र 31 साल सा0 शहीद अस्पताल दल्ली राजहरा ।

मैं कलकत्ता में 244/इ विवेकानंद रोड कलकत्ता 6 में रहता हूं था मैं दल्ली राजहरा में दिसंबर 1983 में आया था एमबीबीएस कलकत्ता में मेडिकल कालेज बंगाल से किया था । मैं अविवाहित हूं मेरे माता पिताजी कलकत्ता में ही रहते हैं । मैं नियोगी जी के विचारों से प्रभावित होकर उनके साथ काम करने का सब्स्टेंस एलाउंस 1500 रू0 प्रतिमाह मिलता है । नियोगी जी ने मैंने एक बार करीब 9 माह पहले जनवरी माह में कहा था कि आपके क्वार्टर की खिड़की के ऊपर लगे कांच से यदि आपको कोई गोली मार दे तो इस पर उन्होंने कहा था कि इस आंदोलन में उद्योगपति मेरे पीछे पड़े हुए हैं डरने से काम कैसे चलेगा नियोगी जी मेरे मोटर सायकल या स्कूटर से भिलाई आने पर बोलते रहते थे कि आप लोगों की जान को भी खतरा है और और डाक्टर जाना स्कूटर और मोटर सायकल से मत आया करो गाड़ी ले लिया करो । करीब एक डेढ़ माह पहले नियोगी जी मुझसे कहा था कि मेरे पीछे जो पूंजीपती पड़े हैं वे मुझे मार भी सकते हैं यदि मेरी मौत हो जाये तो मैंने संगठन और पूंजीपतियों के बारे में कैसेट टेप किया है उसको सुन लेना । घटना होने के बाद मुझे नियोगी जी की बताई बातों की याद आने पर मैंने यूनियन आफिस में साहू बाबू के पास रखे छोटे टेप रिकार्डर एवं 2 कैसेट को सुना इन दोनों कैसेट में दूसरे नेताओं के भाषण टेप थे मुझे ऐसी जानकारी थी कि नियोगी जी के पास छोटे 3-4 कैसेट थे इस पर मैंने उनके घर में जाकर तलाश किया इस पर उनकी पत्नी की सुहाग की शाखा वाली चूड़ी जिस पेटी में रखी थी उसके साथ एक कैसेट रखा हुआ था यह कैसेट और चूड़ी एक पुट्ठे के छोटे डब्बे में रखी थी इस कैसेट को खोजने में गणेशराम ने, कांती ने भी सहयोग दिया मैंने इस कैसेट को सुना व इसको बड़े टेप पर डबिंग भी कराकर मैंने अपने पास रखी है । इस नियोगी जी के भाषण को सुधा भारद्वाज द्वारा हिन्दी में लिखा गया है इस लिखित कागज को एवं कैसेट का आज भिलाई आपके सामने लाकर पेश किया । इस कैसेट में जो आवाज है वह नियोगी जी की ही है । गवाह को पढ़कर बयान सुनाए गए गवाह ने कहा कि जब नियोगी जी ने मुझे कैसेट के बारे में बता रहे थे तो मैं उसको मजाक समझ रहा था इस कारण पहले कैसेट के बारे में याद नहीं आया।

सही/6.10.91 (एस0जी0अग्रवाल)
डीएसपी (राज0)
कैम्प भिलाई.

सत्यप्रतिलिपि

23.11.91
RAJHARA

Supplementary statement of Dr. Punya Brata Gun, Shaheed Hospital, Rajhara.

PW-94

******

I have been shown today 14 sheets of paper containing writings in English and Hindi. These writings are the notes which Shri Niyogi had been writing for his future reference. All these 14 sheets are in the hand writing of Shri Niyogi which I identify.

One inland letter bearing postal stamp and another letter which were received by Shri Niyogi stating about the threat to his life in April and July 1991 respectively were found in one of the files which had been brought from Bhilai office to Rajhara after the death of Shri Niyogi. When these letters were traced the same were handed over, in original, to the police. The cover of the second letter of July, 1991 could not be traced. As mentioned earlier, these letters had been referred to the police of Rajhara for necessary action and Shri Niyogi was informed of the same by the office.

I have today produced a book 'Lenin on Trade Unions' a collection of articles and speeches published by Progress Publishers, Moscow and original transcript of the cassette referred to above, prepared by Smt. Sudha Bhardwaj which were taken into possession under a memo. The book was at the residence of Shri Niyogi on the day of the incident and was sent to Rajhara by the office workers of Bhilai office.

RO&AC

Before me,

Sd/-
(R. S. KANWAR)
DSP: CBI: SIC.II: N. DELHI
Camp : Rajhara.

PW16

15.11.91
RAJHARA

Statement of Dr. Punya Brata Gun s/o Dr. Atinder Mohan Gun, age 31 years, Shaheed Hospital, Rajhara u/s 161 Cr.P.C.

PW-94

I belong to Calcutta and used to reside at 244/E, Vivekanand Road, Calcutta-6. I came to Dalli-Rajhara in December, 1986. I had done my MBBS from Calcutta. In 1985, I was serving the gas victims of Bhopal in a health centre. During this period I came in contact with late Shri Shanker Guha Niyogi and Dr. Jana. Both of them asked me to come to Rajhara and work in their hospital. Since then I am working in the hospital. I am getting subsistence allowance of Rs.1500/- per month. I am working for the Chhattisgarh Mukti Mines Shramik Sangh (CMSS) from the begining.

For the last 1½ years, CMSS has started its struggle at Bhilai under the banner of Chhattisgarh Mukti Morcha. I am also a worker of Chhattisgarh Mukti Morcha. During the aforesaid struggle I had also been visiting Bhilai. Late Shri Niyogi was arrested by the police on false grounds in about 32 cases. He got bail in number of cases from the lower courts but in some of the cases we had to go to Jabalpur High Court for getting bail for Shri Niyogi. Shri Niyogi was in jail from 4.2.91 to 3.4.91 at Durg. During the period when Shri Niyogi was in jail he had come into contact with number of criminals. Those criminals had told him about various activities of the gundas of Bhilai under the protection of industrialists.

About 260 workers under the leadership of late Shri Niyogi visited Delhi in September 1991. I was also a member of the said group. In Delhi the delegation of the group called on the President of India, Prime Minister of India, Shri L.K.Advani, Shri V.P.Singh and others. Memorandum containing the demands of the workers of Bhilai especially mentioning the violations of

T.C.
B

PW-94

labour laws and atrocities being committed by the gundas of industrialists of Bhilai were submitted to the President of India, Prime Minister of India and Shri L.K.Advani. I returned from Delhi on 16.9.91 whereas Shri Niyogi left Delhi later on. He was planning to meet Chief Minister Shri Patwa at Bhopal and Labour Commissioner at Indore in addition to some miscellaneous matters at other places. He came back from Delhi on 21.9.91 and reached Rajhara via Bhilai in the night. Shri Niyogi was in Rajhara on 22.9.91 and 23.9.91. He left for Bhilai on 24.9.91.

Since the begining of the year Shri Niyogi had been telling me that industrialists of Bhilai wanted to crush the struggle of the workers. They had assaulted number of workers and there was threat to the lives of all the leaders of the Chhattisgarh Mukti Morcha. He was aware of the threat to his life but used to tell us that it will not be possible to get the just demands of the workers of Bhilai accepted if we were afraid of the industrialists. Shri Niyogi used to tell me that I should not perform journeys from Rajhara to Bhilai and back on motorcycle/scooter. He was giving similar advice to Dr.Jana and was asking us to perform the journeys in office vehicle or bus. About 1½ months prior to the murder of Shri Niyogi, Shri Niyogi told me that industrialists of Bhilai wanted to get him killed. He further told me that he had recorded a cassette which contained his advice to the union and the names of the industrialists who wanted to kill him. In case he is killed then the union leaders should hear his cassette and take further action accordingly. At that time I took the matter lightly.

From the very begining, industrialists of Bhilai were against the demands of the workers and were making all out efforts to crush the agitation. The industrialists got various workers assaulted from their

TG

gundas and got them implicated in false cases including that of fire in the godown of R.K.Industries. Shri B.R.Jain of B.E.C. had given an interview in some paper wherein he had threatened the leaders who were leading the struggle. Industrialists had not spared even the press people. Dr. Devi Dass of Bhilai Times exposed certain nefarious activities of Kedia Distillery in his paper. After this he was got stabbed on 12.12.90. I knew that two threatening letters were received by Shri Niyogi and those were forwarded to the police for necessary action. We came to know about the killing of Shri Niyogi over telephone in the morning of 28.9.91.

During the course of investigation of the case police recorded the statement of Kumari Kranti Guha on 3.10.91. I was also present during her examination. During her examination she informed the police that late Shri Niyogi had recorded a cassette within her hearing in which he had stated about the apprehension to his life and even named the industrialists who could be held responsible for his murder. It immediately struck me that there may be a cassette available either in office or at his residence. Immediately after the murder of Shri Niyogi we had got shifted all the important documents from our Bhilai office to Rajhara. I traced out a Micro-recorder and two cassettes which had been received from Bhilai. I played both the cassettes but those did not contain anything of the short mentioned above. On 4th October 1991 I was away during the day and returned to Rajhara on 4th night. On 5th I made searching enquiries from Smt. Asha Guha Niyogi as to whether Shri Niyogi had given her some diary, papers or cassette for safe custody. The said cassette was traced out from the trunk. After tracing the cassette, the same was played by me in the presence of Smt. Asha Niyogi, Kumari Kranti, Ganesh Ram and relations of Shri Niyogi at the residence of Shri Niyogi. I also got its transcription prepared from Smt. Sudha Bhardwaj on 5.10.91. We also informed

-1 [signature]

PW-44.

the police about the presence of the cassette. The said cassette alongwith the photocopy of the transcript was handed over to the police on 6.10.91. When the cassette was handed over to the police it was played in my presence as well as in the presence of S/Shri Basant and Janak Lal Thakur. All of them identified the voice of Shri Niyogi in the cassette. The tape recordings of Shri Niyogi were of about 10 minutes duration. Police prepared a memo to that effect which was signed by all of us in token of having identified the voice of late Shri Niyogi.

I have been shown a diary of Shri Niyogi, written in Hindi and English. I have seen Shri Niyogi writing in Hindi and English and as such can identify his hand writing. After going through the said diary I state that all the written pages in the diary are in the hand writing of late Shri Niyogi except a Title word 'Suraj' on page-17, black ink writings on page-18, 19 and page No. 168. This diary was traced in Bhilai office and was in the possession of Shri G.M.Ansar, former editor of Mitan, who had taken it from Anoop Singh for translating Hindi poems of Shri Niyogi.

I have today handed over a letter written by Shri Niyogi to me. It does not bear any date. It was received by me two days prior to the incident and was in my pocket when I heard of the murder of Shri Niyogi. I had kept this letter and today handed over to you. I used to receive letters pertaining to certain matters to be attended to from Shri Niyogi but was not preserving the same and used to destroy the same after the work is over.

RO&AC

Before me

Sd/-
(B.S.KANWAR)
DSP: CBI: SIC.II: N.DELHI
Camp : Rajhara.

T.C.

B

Ph-94 2.12.91
BHILAI

Supplementary statement of Dr. Punya Brata Gun, Medical Officer, Shaheed Hospital, Dalli Rajhara, Durg.

I am as above. Shaheed Hospital is run by Chhattisgarh Mines Shramik Sangh. Late Shri Shanker Guha Niyogi was the Organising Secretary of Chhattisgarh Mines Shramik Sangh and thus he was known to me for the last about five years. Pragatisheel Truck Owners Association purchased a second-hand fiat car bearing No.MIR-2?? in the year 1987-88 for the use of Shri Niyogi as he had suffered a fracture and was finding it difficult in travelling in a jeep. Subsequently, this car was got registered in my name and even today it is registered in my name but, for all practical purposes this car was being utilised by Shri Shanker Guha Niyogi especially for long journeys. Occasionally Shri Niyogi also used to travel in other vehicles i.e. Jeep. The jeep Shri Niyogi used to utilise was having registration No.MPT-7971. As far as I know, this jeep also belongs to Chhattisgarh Mines Shramik Sangh.

RO&AC

Before me,

Sd/-

(B.N.P.AZAD)
Y.SP: CBI: SIC.II.N.DELHI
CAMP : BHILAI

T.C.

[signature]

// ब्यान//   PW-95

सहबाल जाना पुत्र गोलोपद जाना अंगालो उम्र 39 साल साo गांव पोस्ट सुबदो जिला मिदनापुर पo बंगाल हाल मुकाम शहीद अस्पताल राजहरा जिला दुर्ग ।

......

मैं राजहरा में 1982 से हूँ । मैंने एमबीबीएस कलकत्ता से 1978 में किया। एक पत्रिका में पढ़ा था कि ... अस्पताल बना रहे हैं । पहले मेरा दोस्त आशीष कुंडो राजहरा आया और वापस जाकर बताया कि तुमको वहां काम करना हो तो नौकरी करना हो तो राजहरा चले जाओ तब तक शहीद अस्पताल बन रहा था पूरा बना नहीं था । मैं जनवरी माह में 1982 में राजहरा आया । मैं राजहरा आने के बाद पुष्पा अस्पताल में काम किया । पुष्पा अस्पताल कैथोलिक अस्पताल था । वहाँ मैं 1982 सितम्बर तक काम किया । सितम्बर 1982 से मैं डिस्पेंसरी जो सी.एम.एस.एस. यूनियन आफिस में थी मैं काम करने लगा । शहीद अस्पताल 3 जून 1983 से शुरू हुआ तब से मैं इसी अस्पताल में काम कर रहा हूँ । इस शहीद अस्पताल का संचालन सीएमएसएस यूनियन करता है । मुझे 1500/- प्रतिमाह मिलता है । मैं हर मंगलवार को भिलाई घासीदास नगर और टेडेसरा मजदूरों को देखने जाता रहता हूँ । नियोगीजी दिल्ली लगभग 20-25 दिन पहले गये थे जाने से पहले राजहरा में उनसे मुलाकात हुई थी वे मेरे घर आते थे । करीब 2-3 महीने पहले मैं भिलाई में उनके हुडको के मकान में उनसे मिला था तो बातचीत के दौरान नियोगीजी ने मुझसे कहा था कि खिड़की से बाहर कोई मुझे गोली मार दे तो मैंने उनको सुझाव दिया था कि खिड़की में ग्रिल लगा लें तो अच्छा होगा या मजबूत जाली लगा लें तो ठीक होगा उन्होंने कहा ठीक है तब बातें और बात वहीं खत्म हो गई । करीब साल भर से नियोगीजी मुझसे कई बार बोले कि मालिकों के विरुद्ध जो आंदोलन चल रहा है ये लोग उनको खत्म भी कर सकते हैं । दिल्ली से आने के बाद मुझे राजहरा उनसे बात करने का मौका नहीं मिला लेकिन दिल्ली जाने से पहले उन्होंने बताया था कि अक्टूबर माह में जरूर फैसला हो जायेगा । मंगलवार को सुबह अनूप सिंह नियोगीजी से मिलने उनके घर राजहरा गया था । नियोगीजी से पूछा था कि घासीदास नगर में कब और कितने बजे मीटिंग करना है । अनूप वहाँ से आकर मुझे बताया था कि नियोगी जी चार बजे घासीदास नगर जायेंगे । मैं मंगलवार सुबह सात बजे एम्बुलेंस से भिलाई गया था वहाँ अनूप के बताये अनुसार घासीदास नगर आफिस में बताया कि नियोगीजी चार बजे मीटिंग करने आयेंगे । मैं एक डाक्टर

 PW-95

उरला क्लोनिक चला गया । वहाँ से रात नौ बजे के बाद हुडको आफिस आया तो पता चला कि नियोगीजी नहीं आये अनूप सिंह मिटिंग करने घासीदास नगर चला गया है । मैं रात राजहरा वापस आ गया । डाक्टर गुन से पूछा कि नियोगी जी भिलाई गये कि नहीं उन्होंने बताया कि रात साढ़े आठ बजे वे भिलाई निकल गये हैं । उन्होंने ही मुझे बताया कि मोरी और बाबूलाल जी भी नियोगीजी साथ ले गये हैं । 28 तारीख को सुबह मुझे पता चला कि नियोगीजी को पीठ में गोली मार दिये हैं । मैं डाक्टर गुन को बताया और तुरंत यूनियन आफिस गया वहाँ बताया । टेलीफोन पर अनूपसिंह से बातचीत किया उसने बताया कि नियोगीजी को गोली लग गई है ।

C.T.C.
[signature]

2.10.91
कैम्प-राजहरा

Statement of Dr.S.Jana S/o Shri Kalipat Jana r/o Vill.& P.O. Subdi, Distt. Midnapore, West Bengal, at present working as Doctor in Shaheed Hospital, Dalli-Rajhara, Durg (M.P.).

****

I am as above. I completed my MBBS from Calcutta National Medical College in 1978. I completed the house job in 1982 when one of my friends Dr.Ashish Kundu said that I could get a job in Rajhara. Consequently, I came to Rajhar and joined Pushpa Hospital, Rajhara and worked there till September,1982 when Shaheed Dispensary was started where I joined in September,1982, I have been working in Shaheed Dispensary till June 1983 when Shaheed Dispensary became a full-fledged hospital by the name of Shaheed Hospital and since then I have been working in that hospital and drawing a monthly salary of Rs.1500/-. On every Tuesday I come to Bhilai for running a clinic for the striking workers of Chhattisgarh Mukti Morcha at Ghashi Dass Nagar, Bhilai as also Tedesara and Urla.

Around 3 months before the murder of Shri Shanker Guha Niyogi, I alongwith one Ansar, working in Urla, was sitting with Shri Niyogi in his room. Shri Niyogi told me that he apprehended that some-one could fire at him through the window in order to kill him. On hearing that I said that a grill could be fixed on the window. On hearing that Shri Niyogi laughed away the matter. On another occasion also Shri Niyogi told me that Gyan Prakash Mishra was a gunda. On many occasions Shri Niyogi gave expressions to his fears that the big industrialists of Bhilai could try to kill him in order to stifle the voice of labour. On 11.9.91 Mr.Niyogi had gone to Delhi for around 10 days. Shri Niyogi had gone to submit a

memorandum to the President of India regarding the labour problems in Bhilai Durg industrial belt and to draw his attention towards the pitiable conditions of labour in this area. About 300/400 workers had also gone with him to Delhi. After his return from Delhi Shri Niyogi had visited Dalli Rajhara and had stayed for a couple of days. I recall that on Tuesday dt. 24th September, Shri Anoop Singh had met Shri Niyogi at his residence at Rajhara and had asked him as to when and at what time meeting was to be held in Ghashi Dass Nagar. Anoop Singh told me later that Shri Niyogi had agreed to address the meeting at 4.00 PM that day in Ghashi Dass Nagar, Bhilai and had asked me to convey it to CMM office at Ghashi Dass Nagar. Accordingly, I conveyed the message and thereafter went to Urla and returned to Rajhara late at night. On my return I asked Dr. Gun whether Niyogi ji had gone to Bhilai or not and Dr. Gun informed that Niyogi ji had gone to Bhilai at 7.00/8.00 PM and that Anoop Singh and Babu Lal had also gone alongwith him. On 28th morning, I came to know that Niyogi Ji had been shot dead. This information I passed on to Dr. Gun as also to CMM office. I also talked to Anoop Singh on telephone about this matter.

RO&AC

Before me,

Sd/-
(SHAMSHER)
INSPR/CBI/SIC.II/NEW DELHI.
CAMP : BHILAI.

I.C. [signature]

बयान जी0एम0अंसार पिता उसमान गाजी मुसलमान उम्र 37 साल सा0 शंकरपुर पोस्ट तोकीपुर जिला उत्तर 24 परगना पश्चिम बंगाल ।

...

मैं पश्चिम बंगाल शंकरपुर पोस्ट तोकीपुर जिला उत्तर 24 परगना में रहता हूं । मैं कोसार कुकुर उच्च विद्यालय पोस्ट राखल गाच्छा जिला उत्तर 24 परगना में टीचर हूं । 1977 में मैं राजहरा नौकरी की तलाश में आया था तब मेरी मुलाकात शंकर गुहा नियोगी से हुई थी मैं इसके बाद लगातार 4-5 साल राजहरा में ही रहा यहां सी0एम0एस0एस0 द्वारा निकाले जाने वाली पत्रिका "मितान" को देखता था । इस मितान में शंकर गुहा नियोगी के लेख और कविता छापता था । 1983 में यहां से वापस पश्चिम बंगाल नौकरी मिलने के कारण चला गया । तब से अभी तक वहीं था । शंकर गुहा नियोगी की कविता और लेख भी पश्चिम बंगाल में पत्रिका में छपवाता रहता [illegible] । साल में 1-2 बार राजहरा आता रहता था । मैं पेपर के माध्यम से नियोगी जी की हत्या के समाचार मिलने पर 26.10.91 को राजहरा आया । यहां से मैं 27.10.91 को भिलाई गया । मुझे मालूम था कि नियोगी जी डायरी में कविता लिखते थे मैंने उनके ऊपर लेख लिखने के लिए उस डायरी के बारे में पूछा तो पता चला कि वह डायरी अनूप सिंग के पास है मैं अनूप सिंग से मिला तो उन्होंने बताया कि डायरी सुधा के पास है । तब मैं 29.10.91 को रायपुर डी0 साना के साथ गया वहां सुधा के पास डायरी मिली । इस डायरी को मैंने पूरा पढ़ा इस डायरी में पेज नंबर 172 पर ज्ञान प्रकाश मिश्रा कैम्प-1, संतोष, अवधेश, अभयसिंह कैम्प 2, ओमप्रकाश मिश्रा, बिज्जू, शशिकांत, राजकुमार पाण्डे, दिलीप पाण्डे, चंदू का नाम अंग्रेजी में लिखा है । यह शंकर गुहा नियोगी द्वारा लिखा गया है मैं उनकी हैण्ड राइटिंग जानता हूं । मैं आज आपके यह पूछने पर कि और कोई डाकुमेंट है क्या ? मैं आज आपके पास यह डायरी पेश किया ।

सही/- 1.11.91
उप पुलिस अधीक्षक
कैम्प राजहरा

सत्यप्रतिलिपि
[signature]

बयान

सुधा भारद्वाज पिता रंगनाथ भारद्वाज जाति ब्राम्हण उम्र 29 साल, सा० फोर न्यू कैम्पस जवाहर लाल नेहरु विद्यालय पास, न्यू दिल्ली हाल सेक्टर 2, ब्लाक 9, क्वार्टर 1/24, यून्ट भिलाई।

PW- 97

......

मैं उक्त पते पर रहती हूँ। मेरा पैदाइशी दिल्ली की है। मैं एम०एस०सी० तक आई०आई०टी० कालेज कानपुर में पढ़ी हूँ। मेरी माँ कृष्णा भारद्वाज दिल्ली में इकोनामिक्स की प्रोफेसर हैं। अनूप सिंह से मेरी जानपहचान जे०एन०यू० में हुई थी। मैं 1982 से छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा के साथ हूँ। दिनांक 27.9.91 को मैं अपनी माँ के पास दिल्ली में थी। करीब 11/11.30 बजे रात्रि में अनूप सिंह का टेलीफोन पहुँचा था जिसमें पारीवारिक बातें हुई थीं इसके बाद 28.9.91 के सुबह 6 बजे श्री एन० एल० यादव द्वारा टेलीफोन दिल्ली में मिला तो पता चला कि नियोगी जी का इन्तकाल हो चुका है। मैं दिनांक 29.09.91 को प्रातःकाल उड़ान में बैठकर नागपुर होते हुए आई जहां से 8.30 बजे पहुँचे। बाद दुर्ग को कार्यालय आई तब पूरी बात मालूम हुई। जब भिलाई में रहती थी तो नियोगी जी से मुलाकात होती रहती थी किन्तु कभी भी कोई खास बात नहीं बताये। अनूप सिंह जरूर बोलते रहते थे कि हमेशा सतर्क होकर रहा करो। दिनांक 5.10.91 को डा० पुन के अस्पताल में मैंने नियोगी जी का कथन जो उन्होंने दिल्ली जाने के पूर्व टेप किया था सुन कर लिपिबद्ध किया थी। कैसेट में नियोगी जी की ही आवाज थी। मैं उनकी आवाज पहचानती हूँ। यही मेरा बयान है। पढ़कर सुनी सही लिखा गया है।

सत्य प्रतिलिपि

सही/-
भान सिंह, एस०आई०
7.10.91

PW 15
23.12.94 PW-97

22.11.91
BHILAI

Statement of Smt Sudha Bhardwaj, d/o Shri Rangnath Bhardwaj 4, New Campus, J.N.U., New Delhi-67, also r/o Quarter No.1, Block No.9, 24 Units, Sector-II, Bhilai, u/s 161 Cr.P.C.

******

I am as above. My mother Smt Krishna Bhardwaj is a Professor in Economics in Jawahar Lal Nehru University, Delhi. I did my M.Sc. in Mathematics from I.I.T. Kanpur in 1984.

I am associated with Chhattisgarh Mukti Morcha since 1982. Between 1982-87 I used to visit Chhattisgarh two-three times in a year. In 1987 I became Delhi representative of the C.M.M. and started actively working for Chhattisgarh Mukti Morcha in Delhi.. I was appointed Secretary of the Chhattisgarh Mukti Morcha in 1989. After 1987 my visit to Chhattisgarh area, especially Rajhara and Bhilai became more frequent. I was a teacher in Delhi Public School, R.K.Puram, New Delhi for about 2 years but because of Morcha work I left the job on 10th May, 1991. After 1989, I am spending more time in Bhilai/Rajhara etc but had to go to see my mother in Delhi who is not keeping good health.

I had known late Shanker Guha Niyogi since 1982 but started working with him only in 1987. I have been living with Shri Anoop Singh, a senior leader of C.M.M.

Late Shri Niyogi had never specifically told me about the threat to his life from industrialists of Bhilai. He has, however, been telling that the incidents which are happening in Bhilai in connection with the on going agitation in which workers are assaulted by the gundas of the industrialists lead him to infer that

...2/p

T.C.

Bw-97

the leaders like him of the Chhattisgarh Mukti Morcha may be the targets. In August 1991 before I left for Delhi in the second week Shri Niyogi had told me that he had received information that there is serious threat to the life of Shri Anoop Singh. He had cautioned me to be careful.

About 260 representatives of the Chhattisgarh Mukti Morcha and its associated trade unions went to Delhi in the second week of September 1991. I had made all arrangements at Delhi for the stay of the representatives as well as arranged appointments with various leaders. Leaders of Chhattisgarh Mukti Morcha had met President of India, Prime Minister, Shri L.K.Advani, Shri V.P. Singh and other leaders. Memorandum/representations were submitted to the President of India, Prime Minister and Shri Advani. Shri Niyogi had headed the group which had gone to Delhi and had been leading the delegation which called on various leaders. In the representation submitted to President and other leaders it had been mentioned that there is gross violations of the labour laws in Bhilai area and great risk to the lives of the workers and their leaders.

I came to know about the death of Shri Niyogi in the morning of 28th September 1991 on telephone. I reached Bhilai on 29th September to take part in the last rites which were performed at Rajhara. On 5th October 1991 I was at Rajhara when Dr. Gun gave me a Micro-Cassette Player and asked me to transcribe the cassette which had already been made ready to play. I went to the adjacent room in the house of Dr. Gun and played the cassette. Immediately I recognised the voice of Shri Niyogi. I heard one side of the cassette in which there was tape recordings in the voice of Shri Niyogi for about 10 minutes. I prepared the transcript of the recording in my own hand. I have been shown the transcript in 4 pages and I identify the same to be in my hand writing. This is the true transcription of the recordings except one word "Punjipatiyon" instead of "Udyogpatiyon". I have heard Shri Niyogi on many occasions and heard

PW-97

the cassette recordings also and as such I am familiar with his voice. After the recordings of Shri Niyogi there is a poetry recitation by a child followed by Bangla songs.

We intended to bring out 'Mitan', a paper brought out by Chhattisgarh Mukti Morcha on 28th October 1991. I knew that Shri Niyogi used to write poems. Shri Anoop Singh gave me a diary which contains some poems in the initial pages. We decided to publish one of the poem in 'Mitan' and for that purpose selected the first one and gave it heading 'Suraj'. As I was in hurry, I wrote the heading on the diary itself with black ink. At the end of the poem I again wrote in Black ink that the poem has been written in jail by Comrade Niyogi. At that time I had gone through the diary which was written in Hindi as well as in English by Shri Niyogi except one page. I had seen Shri Niyogi writing in Hindi and English and as such identified the same.

Today, I and Shri Basant searched the files for the writings of late Shri Niyogi. We had found 14 sheets of paper written in Hindi and English by Shri Niyogi in the office files including those pertaining to Chhattisgarh Distillery. All these papers have been handed over by Shri Basant to the I.O. I have seen all these sheets and identify all of them to be in the hand writing of late Shri Niyogi.

RO&AC

Before me

T.C.

Sd/-
(B.S.KANWAR)
DSP/CBI/SIC.II
CAMP: BHILAI

Further statement of Smt Sudha Bhardwaj, Secretary, Chhattisgarh Mukti Morcha, MIG-II/273, Amadi Nagar, HUDCO, Bhilai.

PW-97

On being asked I state that I am as above since 20th Dec. 1989. Prior to it I was the worker of the said organisation i.e. Chhattisgarh Mukti Morcha.

In 1 8?, Chhattisgarh Mukti Morcha came into existence as a main political organisation and Sh. Janak Lal Thakur was chosen as a Morcha President, Ganesh Ram Chaudhary, Leela Bhai, Phagoo Ram and Prem Narayan Verma were the office bearer of the Morcha. In Dec. 1982 I joined the said Morcha as an ordinary worker and subsequently in 1989 became its one of the office bearer i.e. Secretary. Its other office bearer are Janak Lal Thakur, President, Ganesh Ram Chaudhary, Leela Bhai, Phagoo Ram & Prem Narayan Verma all Secretaries, Chabi Lal Sahoo Treasurer and there are 11 Vice-Presidents and 11 General Secretary. On 8 January, 1990 one letter was sent to Election Commissioner, Delhi with a request to ~~regular~~ register our said Morcha, as a political party so that election symbol could be allotted to us. The said letter was signed by me. Thus on 23rd Jan.1990, a provisional registration was notified to us through a telegram by Election Commissioner, Delhi. But due to a latest amendment in the Representation of People's Act, 1954 in Nov.1991, the provisional registration was withdrawn by the Election Commission and now our Morcha is going to get the fresh registration by election Commission. I may also add that the office of our Morcha is at Dalli Rajhara i.e. Camp-1, Dalli Rajhara, 491228, Distt. Durg and all the official correspondence is done at the aforementioned address. There are other trade unions namely P.E.S.S. i.e. Pragatisheel Engineering Sharmik Sangh, Chhattisgarh Mines Sharmik Sangh, Chhattisgarh Chemical Mills Mazdoor Sangh, Pragatisheel Transport Sharmik Sangh and Ispat Sharmik Sangh, all these organisations comes under Chhattisgarh Mukti Morcha which is our umbrella organisation. All the

PW-97

aforesaid unions are registered bodies with registrar of Trade Unions, Indore.

Late Shanker Guha Niyogi was the Organising Secretary of CMSS, but he was actively involved with the functioning of our bther trade unions and CMM. He was our main leader and our all the organisations worked as per his guidelines.

RO&AC

Before me

Sd/-

(SHAMSHER)
28.12.91
Inspector/CBI/SIC.II
Camp Bhilai.

T.C.

PW22
23.3.95

बयान

गणेशराम पिता आशा राम जाति केंवट उम्र 34 साल आल निवासी ग्राम फुरान टोला थाना कुरया जिला राजनांदगांव हाल मुकाम कुन्डे पावर हाउस 566 यूनिट बीएसपी क्वार्टर नं0 50 बी, थाना राजहरा दुर्ग मध्यप्रदेश ।

PW-100

....

मैं उक्त पते पर परिवार सहित रहता हूँ । मेरे पिताजी टाटा जाबर राड मिल में काम किया करते थे । जो मेरा पैदायशी टाटानगर की ही है । जब मैं करीबन दो साल का था तभी पिताजी साथ लेकर ग्राम कोकपुर थाना डोंगरगांव, जिला राजनांदगांव आ गये । वर्ष 1968 में ग्राम फुरान टोला में जहाँ मेरा पुश्तैनी जमीन थी वहाँ चले गये । कक्षा 8 तक ग्राम कोकपुर में पढ़ा तथा कक्षा 11 तक कुरिया स्कूल में पढ़ा । मेरा चार बहन तथा एक भाई है । जिसका नाम मनकूराम है । जो राजहरा में खदान में काम करता है । पिता माता दोनों खतम हो चुके हैं । वर्ष 1972 में पढ़ाई छोड़ा । एक साल तक गाँव में रहा । इसके बाद रोजी मजूरी की तलाश में राजहरा आ गया । राजहरा में एच0एस0सी0एल0 में मजदूरी करता था । उसके बाद बाद 1974 में खदान में काम करना प्रारंभ किया । उस समय कुन्डे कान्ट्रैक्ट माईनिंग कंपनी में काम करता था । जहाँ 10/रुपया सप्ताह में मिलता था वर्ष 1977 के पहले मेटल माईन्स वर्कर यूनियन (इंटक) एवं संयुक्त खदान संघ (एटक) दोनों यूनियनें खदान में काम किया करता थीं । वर्ष 1975 में इमरजेंसी के समय बोनस कानून को रद्द कर दिया गया था । फिर भी बीएसपी एवं डिपार्टमेंटल (पास रेटेड) मजदूरों को बोनस के बदले में उत्पादन उत्पादकता के नाम से कुछ पैसा दिया जाता था किन्तु ठेकेदारी तथा सोसायटी के मजदूरों को पैसा नहीं दिया जा रहा था । तब इन्हीं मुद्दों को लेकर मजदूरों में असंतोष का भावना आई तथा 1977 में मैनेजमेंट तथा ठेकेदारों द्वारा यह समझौता किया गया कि ठेकेदारी मजदूरों को 70/रुपये एवं रेगुलर तथा डिपार्टमेंटल मजदूरों को 300/रुपया दिया जायेगा । जिससे समझौता को लेकर मजदूरों में असंतोष काफी हुआ । इन दोनों यूनियनों के अलावा एक तीसरी यूनियन का निर्माण 3 मार्च 1977 को हुआ । जिसका

नेतृत्व बंशीलाल साहू कर रहा था । जब यह यूनियन बना तो नियोगी जी जेल में थे । चूंकि नियोगी जी दानीटोला की खदान में काम किया करते थे जहाँ से इन्हें इमरजेंसी में बंदी बनाया गया था । करीब 27/28.3.77 को नियोगी जी जेल से छूटकर दानीटोला आये तथा दानीटोला के मजदूरों के साथ राजहरा आये । चूंकि जब नियोगी जी जेल में थे तो तभी मजदूरों द्वारा बोनस का विवाद शुरू हुआ था । जिसमें दानीटोला के भी मजदूर शामिल थे । इसलिये नियोगी जी जेल से आये तो वे भी उन मजदूरों के साथ हो गये । 1977 में जब यह लालहरा यूनियन राजहरा में बना तब मैं भी इस यूनियन में आकर काम करने लगे । दिनांक 29.4.77 को इस यूनियन का नाम छत्तीसगढ़ माईन्स श्रमिक संघ रखा गया । उसी दिन इसका रजिस्ट्रेशन 2019 हुआ । इसके बाद लगातार यूनियन काम करने लगा । नियोगीजी इस यूनियन में सक्रिय रूप से काम करने लगे तथा इन्हीं के समय रजिस्ट्रेशन भी हुआ । दिनांक 3.6.77 को श्रमिकों द्वारा अपनी मांगों को लेकर हड़ताल किया गया जिसमें नियोगी जी को भी गिरफ्तार किया गया । जिसका विरोध मजदूरों द्वारा किया गया उसी समय गोली चली थी । वर्ष 1979 में बंशीलाल साहू अलग हो गया । तब सहदेव साहू अध्यक्ष बना । नियोगी जी जब से यूनियन बनी तब से संगठन मंत्री बने थे । वर्ष 1986 में सहदेव साहू को अध्यक्ष पद तथा यूनियन से हटा दिया गया । सहदेव साहू पर इस बात की शिकायत थी कि ठेकेदारों तथा मैनेजमेंट से मिलकर संगठन विरोधी कार्य किया करते हैं । इसके बाद वर्ष 1986 में अध्यक्ष रामकिशन को बनाया गया । वर्तमान में भी राम किशन अध्यक्ष हैं । मुझे 1987 से इस यूनियन का उपाध्यक्ष चुना गया जिस पद पर वर्तमान में भी हूँ । अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का चुनाव आपस में मजदूर बैठकर सर्वसम्मत से किया जाता है । वर्तमान में राजहरा में सात हजार पाँच सौ मजदूर यूनियन में है । अभी सात सोसाइटी सी०एम०एस०एस० के अंतर्गत काम कर रही हैं । जो सभी सदस्य हैं । जो 7500 में शामिल हैं । सोसाईटी (1) एस०एस०एस० जिसका अध्यक्ष कोई नहीं यह शासन की देखरेख में है (2) डी०के०एम०एस०एस० अध्यक्ष नारायण हैं (3) के०एम०एस०एस० अध्यक्ष समयलाल, (4) आर०के०एम०एस०एस० अध्यक्ष बिहऊ आचरन और . अध्यक्ष मुंजन, ज०के० एम०एस०एस० शासन के अधीनस्थ, एन०के०एम०एस०एस० अध्यक्ष रामशंकर हैं ।

 PW-160

दो सोसाइटी जिसमें एस०एस०एस० (श्रमिक सहकारी समिति) तथा ज०मु०एम० एस०एस० (जनदल्ली मजदूर सहकारी समिति) को दिसम्बर 1990 में सुपरसीड किया गया है। जिसमें एस०एस०एस पर असिस्टेंट रजिस्ट्रार दुर्ग यह आरोप लगाया गया था कि समिति को स्कूल चलाने का अधिकार नहीं तथा अन्य कई बातें जो मुझे ख्याल नहीं इसी तरह से ज०मु०एम०एस०एस० समिति पर आडिट से संबंधित आरोप लगाकर [illegible] दोनों सोसाईटीओं में जो माल भरने हेतु दिन प्रति दिन झगड़ा बरादर करना पड़ता है उसके लिये दुर्ग के असिस्टेंट रजिस्ट्रार अनुमति एक बार लेकर ही बरादर जाने [illegible] जो ऐसा नहीं करने का आरोप है। तब से दोनों सोसायटियों में शासन के लोग काम कर रहे हैं। अध्यक्ष बंशीलाल को जब यूनियन से निकाला गया था तो उन पर यह आरोप लगा था कि यूनियन का अध्यक्ष होते हुये किसी दूसरी सोसायटी का अध्यक्ष नहीं बन सकता लेकिन बंशीलाल डोकेएमएसएस सोसायटी का अध्यक्ष भी बनना चाहता था एवं मानसिक रूप से भी ठीक से काम न करने के कारण आम मजदूरों में असंतोष था इसलिये निकाल दिया गया था। वर्ष 1988 में एसीसी जामुल में चलने वाली ट्रकें जिनसे स्लेग ढुलाई का काम किया जाता है के ड्राईवरों द्वारा एक संगठन बनाया गया जिसके मुखिया लोग सीएमएसएस यूनियन आकर चर्चा किया करते थे जो अपनी मांगों को ट्रांसपोर्टर ठाकुर ब्रदर्स के सामने रखे किन्तु काम [illegible] कर सभी चालक जाते थे। एक साल तक मांग करते रहे आखिरकार उनकी मांगे पूरी हुई यह मांग 1989 में पूरी की गई। इसी मांग की पूर्ति को होते देख कर एसीसी जामुल फैक्ट्री के मजदूरों द्वारा सीएमएसएस यूनियन को साथ लेकर 1989 में संगठन बनाये। जो एसीसी मैनेजमेंट ने कुछ को काम से निकाल दिया बाद में सीएमएसएस यूनियन से संबंधित प्रगतिशील श्रमिक कमेटी [illegible] के साथ चर्चा कर मैनेजमेंट ने मांगों को मान लिया तथा निकाले गये मजदूरों को काम पर रख लिया। तब भिलाई औद्योगिक क्षेत्र में सीएमएसएस के प्रति [illegible] पैदा हुआ तथा सभी फैक्ट्री में संगठन बनाने लगे तथा अपनी अपनी समस्यायें यूनियन में आकर बताने लगे। तब माह सितम्बर 1990 से भिलाई में संगठित (?) रूप से कार्यवाही शुरू हुई सभी फैक्ट्री मालिकों को मांग पत्र एवं समस्याओं से संबंधित अनुरोध पत्र दिये गये। किन्तु फैक्ट्री मालिकों ने चर्चा में भाग नहीं लिये तब मार्च 1991 में समझौता या संघर्ष का एक बिल्ला [illegible] जिसको पहनकर सभी मजदूर काम पर जाते थे। इस बिल्ले का भी [illegible] और

W - 100

नहीं हुआ । भिलाई में यूनियन का कार्यालय शुरू में एससीसी जामुल कैम्प में था । इसके बाद एक कार्यालय हुडको एचआईजी 2/273 में बनाया गया । तीसरा कार्यालय घासीदास नगर में बना जहाँ यूनियन का काम एन0आर0 घोषाल एवं प्रत्येक फैक्ट्री के प्रमुख साथी मिलकर देखते थे । उन्हीं लोगों के साथ अनूपसिंह भी काम देखता था जो इंडस्ट्रियल की हड़ताल की देखरेख नियोगीजी, जनकलाल ठाकुर साथी किया करते थे । फैक्ट्री वाले मजदूरों की मांगों को देने के लिये तैयार नहीं हुये तब दिनांक [illegible]9.9.91 को श्री नियोगी जी तथा जनकलाल ठाकुर करीबन 400 लोगों को साथ लेकर दिल्ली गये । जहाँ राष्ट्रपति महोदय से ज्ञापन सौंपे । दिल्ली मैं नहीं गया था । हुडको का एचआईजी 2/273 जहाँ कार्यालय है वह क्वार्टर किराये से है जिसका किराया कितना है मुझे नहीं मालूम, एचआईजी 1/55 वर्ष 1991 में नियोगी जी के रहने के लिये खरीदा गया था । जिसकी कीमत नहीं मालूम की कितनी दी गई है । रकम यूनियन से ही दी गई है । नियोगीजी जब कभी मिटिंग जाते थे तो रात्रि को हमेशा क्वार्टर राजहरा या भिलाई के हुडको में आ जाते थे । चूंकि उनके पैर का आपरेशन हुआ था जिसमें रॉड डाला गया था जो बैठ नहीं पाते थे । इसलिये घर में यूनियन कार्यालय तथा हुडको वाले क्वार्टर में एक लकड़ी की कुर्सी बीच में काट कर रखी गई थी जिस पर बैठकर लेट्रिन करते थे । बाहर जाना होता था तो कुरसी को साथ में ले जाते थे । नियोगी जी दिल्ली से दिनांक 21.9.91 को दिल्ली से भिलाई आये उसी रात को कार से राजहरा आये । दूसरे दिन मेरी मुलाकात नियोगी जी से हुई । उसके बाद 23.9.91 को मैं जगदलपुर काम से चला गया था । चूंकि 22.9.91 को यूनियन कार्यालय में मिटिंग थी जिसमें बाहर से लोग भी आये थे जिनके नाम ख्याल नहीं है । नियोगी जी इन्हीं लोगों से बातचीत कर रहे थे इसलिये मेरे साथ विस्तृत चर्चा नहीं हो पाई । मैं दिनांक 23.9.91 को रात्रि में जगदलपुर से लौटकर राजहरा वापस आया दूसरे दिन नियोगी 24.9.91 को करीबन 12 बजे नियोगी जी से मेरी मुलाकात हुई जिसमें राजहरा की समस्याओं के बारे में चर्चा हुई । शाम 7.30 बजे नियोगी जी कार से भिलाई को रवाना हुये । कार को सरकार बाबू चला रहा था । दिनांक 28.9.91 को प्रात: 5 बजे मैं अपने घर पर सोया हुआ था वहीं तारा ड्राईवर आकर मुझे जगाया तथा बताया कि भिलाई से [illegible]

[signature]

P.W-100

टेलीफोन आया है तत्काल यूनियन आफिस चलो । तब मैं उसी के साथ बैठकर जीप में यूनियन आफिस आया और वहाँ डा [illegible] जाकर मिले , जिन्होंने बताया कि भिलाई में नियोगी जी को गोली मार दी गई है तब मुझे जानकारी हुई । तब जीप में लाउडस्पीकर लगाकर सभी मजदूरों को सूचना दिये । और राजहरा में उपस्थित रहा । मैं भिलाई नहीं गया । दिनांक 29.9.91 को नियोगी जी का अंतिम संस्कार राजहरा में किया गया । संस्कार के बाद काफी लोगों का आना जाना यूनियन कार्यालय में लगा था । चूंकि आनेजाने वाले लोग नियोगी जी की पत्नी आशा बाई से मुलाकात किया करते थे इस लिये आशा बाई ज्यादा समय यूनियन कार्यालय में अपने दोनों बच्चों के साथ रह रही थीं । दिनांक 30.9.91 को मुझे आशा बाई ने थाना दल्ली राजहरा में स्वतः की रिपोर्ट एफ.आई.आर. देने कहा । आशा बाई काफी दुःखी थी व थाना नहीं जा सकती थीं पढ़ी लिखी भी कम है इससे मैंने बिहारी लाल ठाकुर को बुलाया मैंने बिहारीलाल ठाकुर को कागज लेकर बैठने को बोला जो कागज लेकर लिखने के लिये यूनियन के भीतर आफिस रूम में बैठा । जहाँ आशा बाई पूर्व में भी बैठी थी । आशा बाई छत्तीसगढ़ी भाषा बोलती थी जिसको हिन्दी में शुद्ध करके मैं बिहारीराम को बताता था जो बिहारी लिखता था । रिपोर्ट लिखने के बाद आशा बाई ने अपने हस्ताक्षर किये । उस को बताई रिपोर्ट लिखने के बाद उसे पढ़कर सुनाया भी था । आशा बाई ने जैसा रिपोर्ट बताई थी उसी प्रकार मैंने लिखाई थी । आशा बाई जब आवेदन लिखा रही थी तो कभी कभी उसके बच्चे भी आ जाते थे । आवेदन पत्र लिखवाते समय आशाबाई मानसिक तौर से ठीक थी । आवेदन पत्र में आशा बाई ने बताया था कि मेरे पति की हत्या भिलाई के मूलचंद शाह, नवीन शाह, अरविंद शाह, बी0आर0जैन, [illegible], केडिया आदि उद्योगपतियों के द्वारा ही कराई गई है यह रिपोर्ट मैंने थाना राजहरा में ले जाकर दिया । यूनियन कार्यालय में जब नियोगी जी बैठा करते थे तो अक्सर यह चर्चा करते थे कि सिम्पलेक्स का मालिक मूलचंद शाह दादा है । पूरे उद्योगपतियों को बाँधकर रखा है कुछ भी करा सकता है । बयान को पढ़वाकर सुना, कहे अनुसार लिखा गया है ।

सत्य प्रतिलिपि

सही/-
कमल भान सिंह, एस0आई0
16.10.91

बयान श्री गणेशराम चौधरी पुत्र श्री आत्माराम चौधरी उम्र करीब 34 साल निवासी, 596 यूनिट कोड टावर हाउस ब्लाक -50 बी राजहरा, खास निवास -गांव पुरटोला, थाना चूडिया राजनांदगांव, । BW-100

--00--

पूछने पर बयान करता हूँ कि आजकल मै राजहरा में उक्त स्थान पर रहता हूँ । मै कक्षा ग्यारह तक पढा हूँ । आजकल मैं सी.एम.एस.एस का उपाध्यक्ष हूँ । मैं श्री नियोगी की उपरोक्त संस्था का उपाध्यक्ष होने के नाते उनके बहुत करीब था । 28/9/91 को मुझे राजहरा में अपने निवास स्थान पर ही मेरे संगठन के किसी सदस्य से नियोगी जी की हत्या की सूचना सुबह के समय मिली थी, उक्त सूचना पहले हमारे संगठन के राजहरा आफिस में फोन द्वारा मिली थी ।

आज आपने मुझे दिनांक 30/9/91 को हिन्दी में लिखी हुई रिपोर्ट जो कि थाना प्रभारी राजहरा को संबोधित है, दिखाई है और जिसे मेरे द्वारा टी.आई. शुक्ला, पी.एस. राजहरा को देना भी दर्शाया गया है । उक्त रिपोर्ट श्रीमती आशा गुहा नियोगी ने 30/9/91 को हमारे उक्त संगठन के राजहरा स्थित आफिस में आकर लिखवाई थी । श्रीमती आशा नियोगी ने छत्तीसगढी भाषा में बोलकर उक्त रिपोर्ट लिखवाई थी जिसे उसी समय मैने हिन्दी भाषा में अनुवाद करके वहां मौजूद बिहारीलाल ठाकुर के द्वारा लिखवाया था । उक्त रिपोर्ट में नियोगी जी के भिलाई स्थित निवास स्थान जहां कि उनकी हत्या हुई थी, का पता 11/55 लिखा गया है, जबकि असल में यह 1/55 है । निवेदन पत्र लिखवाते समय से गलती से 11/55 लिखा गया । उक्त रिपोर्ट में श्रीमती आशा नियोगी ने कुछ उद्योगपतियों जैसे कैलाशपति केडिया, मूलचंद शाह, अरविंद शाह, नवीन शाह, बी.के. जैन, एन.पी. ठेलावत, विजय गुप्ता, कुलदीप गुप्ता, विनय केडिया आदि का उल्लेख किया है जिनका नियोगी जी को मारने में हाथ है ।

श्रीमती आशा नियोगी ने बताया कि नियोगी जी कई बार उनसे यह जिक्र किया करते थे कि कैलाशपति केडिया, ठेलावत, मूलचंद शाह, अरविंद शाह, नवीन शाह, बी.के. जैन, विजय गुप्ता, कुलदीप गुप्ता, विनय केडिया आदि उनको मरवाने की कोशिश में लगे हुए है । ये रिपोर्ट मै स्वयं ही लेकर थाना गया था व टी.आई. शुक्ला को सौंपा था ।

§2§ PW-100

5/10/91 को नियोगी जी के निवास स्थान पर ही मैंने ,नियोगी,, जी की पत्नी श्रीमती आशा नियोगी ने, उनकी बेटी क्रान्ती ने, डाक्टर गुण ने व नियोगी, जी के अन्य साथियों ने एक आडियो कैसेट सुनी थी जो नियोगी, जी की आवाज में थी । उसमें उनके मारने वालो के नामव यूनियन के बारे में कहा गया था ।

पढ़कर सुनाया, सही पाया ।

T.l.

मेरे समक्ष

हस्ता/सही,

§शमशेर§ 22.12.91

निरीक्षक,

सी.बी.आई./एस.आई.सी.-2

कैम्प भिलाई.

D/18 Submitted at P.S Rajhara at about 15.30 hrs to T.I. Sneikh ||

पी डब्ल्यू 101

बयान बिहारी लाल ठाकुर पिता श्री काशी राम ठाकुर जाति हल्बा उम्र 23 साल सा0 फरदफोड थाना देवरी जिला दुर्ग हाल मुकाम सीएमएमएम यूनियन पास राजहरा जिला दुर्ग (म0प्र0)

.....

मेरी पैदाइशी गांव फरदफोड है पिताजी किसानी का काम किया करते हैं मैं तीन भाई हैं सबसे बड़ा भाई रमेश सिंह है जो ट्रांसपोर्ट लेबर का काम राजहरा डीके एमएम सोसाइटी में काम करता है दूसरे नंबर का सोमनसिंह ठाकुर है जो गांव में ही रहता तथा किसानी काम किया करता है तथा सबसे छोटा मैं हूं कक्षा 1 से 5 तक मैं अपने गांव में ही पढ़ा इसके बाद कक्षा 9 से 12 तक स्कूल नं0 3 बीएसपी राजहरा में पढ़ा तथा बी ए राजहरा कालेज से किया वर्तमान में शास0 महाविद्यालय बालोद में एम ए पूर्व पढ़ रहा हूं मेरे बड़े पिताजी का लड़का जनकलाल ठाकुर है जो छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा का अध्यक्ष है राजहरा में उसी के साथ में रहता हूं वर्ष 1989 में छत्तीसगढ़ स्टूडेंट फेडरेशन को मेरे द्वारा राजहरा में बनाया गया था जिसका मैं अगस्त 91 तक अध्यक्ष रहा वर्तमान में सेवा कुमार अध्यक्ष है जो राजहरा में ही रहता है इस फेडरेशन का कार्यालय शहीद चौक पर ही है चूंकि मेरा सगा बड़ा भाई तथा बड़े पिता जी का लड़का सीएमएसएस यूनियन में है इसलिए पढ़ाई के बाद जब समय मिल जाता है तब मैं भी सीएमएसएस यूनियन में आता तथा कुछ कार्यवाई 1988 से किया करता हूं इसी यूनियन के द्वारा भिलाई में भी आंदोलन चलाया जा रहा है जहां सीएमएसएस के संगठन मंत्री शंकरगुहा नियोगी हमेशा आते जाते थे दि0 27.9.91 को रात्रि में किसी ने गोली मारकर नियोगी जी की हत्या कर दी जिस बात की जानकारी हमें 28.9.91 को सुबह हुई जो इनका शव रात्रि को राजहरा आया तथा दूसरे दिन अंतिम संस्कार राजहरा में ही किया गया। दि0 30.9.91 को करीबन 11 बजे दिन की बात है मैं यूनियन आफिस में बैठा था तब गणेशराम चौधरी ने मुझे कागज लेकर यूनियन आफिस के भीतर वाले रूम में बुलाया जहां नियोगी जी पत्नी आशाबाई तथा गणेशराम एवं नियोगी जी के तीनो बच्चे थे आशाबाई छत्तीसगढ़ी भाषा में बोलती जाती थी जिसका शुद्ध हिंदी करके गणेशराम बोलता था तथा उसको मैं लिखालिखने के बाद आशाबाई ने हस्ताक्षर किया हस्ताक्षर करने के बाद उस आवेदन पत्र को मैंने गणेशराम चौधरी को दे दिया इसके बाद आवेदन को कौन लेकर साथ गया मुझे नहीं मालूम आशाबाई भी हस्ताक्षर करने के बाद शहीद अस्पताल वाले मकान पर चली गई आशाबाई ने उद्योगपतियों द्वारा नियोगी जी की हत्या करायी जाने की बात बतायी थी जिसमें बी आर जैन, नवीन शाह, अरविंद शाह एवं 1-2 नाम और बतायी थी किंतु वे नाम मुझे याद नहीं है आवेदन लिखने के बाद मैं यूनियन कार्य में लग गया। आशाबाई जब आवेदन पत्र लिखायी उसवक्त मानसिक तौर से ठीक थी और उन्होंने जो बताया उसी बात को हिंदी में गणेशराम मुझे बोला तथा मैं लिखा हूं।

सही/16.10.91

सत्यप्रतिलिपि

बयान श्री बिहारी लाल ठाकुर पुत्र श्री काशीराम ठाकुर उम्र करीब 25 साल, निवासी करद रोड, थाना देवरी, जिला दुर्ग। हाल मुकाम सी.एम.एस.एस. यूनियन के पास, राजहरा जिला दुर्ग।

PW-101

--cc--

पूछने पर बयान करता हूँ कि मैं शासकीय महाविद्यालय, बालोद, जिला दुर्ग में एम.ए. पूर्व में पढ़ रहा हूँ। श्री जनकलाल ठाकुर अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा मेरे बड़े पिताजी के लड़के है और इस तरह मेरे भाई लगते है। इस प्रकार छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा व इससे संबंधित यूनियनों में मेरा भी आना जाना है।

आज आपने मुझे हिन्दी में लिखी हुई एक रिपोर्ट दिखाई है। रिपोर्ट श्रीमती आशा नियोगी जो सी.एम.एस.एस. के राजहरा स्थित आफिस में आई हुई थी, ने छत्तीसगढ़ी भाषा में बोली थी और श्री गोपाल रामचौधरी उपाध्यक्ष सी.एम.एस.एस. ने हिन्दी में अनुवाद करके बोलकर मुझसे लिखवाया था,। उक्त रिपोर्ट में नियोगी जी के भिलाई स्थित निवास स्थान का नंबर मैंने पहले टू-55 लिखा था, परन्तु बाद में मैंने ही इस टू को बदल कर रोमन टू यानि II/55 किया था, उक्त रिपोर्ट पर श्रीमती आशा नियोगी ने हस्ताक्षर किया है जिसे गोपाल राम जी राजहरा पुलिस स्टेशन में देकर आये थे,।

पढ़कर सुनाया सही पाया।

[signature]

मेरे समक्ष,
हस्ता/सही
(शमशेर)
निरीक्षक,
सी.बी.आई./एस.आई.सी.-2
कैम्प भिलाई [illegible]

RAJHARA
23.11.91

Statement of Shri K.S.Sahu s/o Shri Bali Ram Age 42 years r/o Purana Bazar Ram Nagar Rajhara Distt. Durg u/s 161 Cr.P.C.

PW-102

I am working as Office Secretary of C.M.S.S. Camp No.1 Rajhara since 1979. I have been shown C.M.S.S. letter dt.29.4.91 addressed to Police Station Incharge Rajhara regarding receipt of a threatening letter by Shri Niyogi and request for action. This letter bears my signatures which I identify. The letter photocopy of which was enclosed was received in the office and opened by Shri Niyogi. [redacted] going through the letter he asked me to send a photocopy of the same to Police Station Rajhara and return the original to him for handing over to the Supdt of Police, Durg. I have also been shown a letter (copy) from C.M.S.S. to Police Station Incharge Rajhara dated 4.7.91. This also bears my signatures which I identify. The letter mentioned in this was opened by me and shown to Shri Hiraman Singh, Vice President C.M.S.S. and as per his direction the copy was sent to Police Station & original alongwith cover was handed over to Shri Niyogi when he visited Rajhara after this.

I have seen late Shri Niyogi writing and signing and as such conversant with his writing in Hindi and English as well as signatures and can identify his writing and signatures. I have been shown two bunches of notes each containing 7 sheets in Hindi and English. All these are in the handwriting of late Shri Niyogi which I identify.

R.O.&A.C.

Before me.

Sd/-
(B.S.KANWAR)
DSP: CBI: SIC.II CAMP: Rajhara

Statement of Shri S.C. Sarkar s/o Late S.K. Sarkar, 50 years working as Junior Executive, Blast Furnace, BSP, Bhilai r/o K-30-A, Maranda Sector, Bhilai.

I am as above and am working in the above capacity since 31.12.90. Before this I was the Chargeman at the same department. I know Abhay Singh who worked there as a Khalasi and subsequently as Junior Operator. In a course of his employment he was writing leave applications etc. which used to be routed through me and I am therefore acquainted with his handwriting.

Today on 19.12.91 I have been shown a brown coloured Executive Diary. On the very first page the name of Abhay Singh and his address are written which I can identify as his own handwriting. On that very page at the right hand corner at top, the writing "Niyogi Jeep MBR 1438" is also Abhay Singhs handwriting. The writing अजय का खाता नं. 2854 गाजीपुर (कछवा मोड़) is also Abhay Singhs handwriting. The following pages containing some accounts of money are also his handwriting. On page dated 1.1.88 the writing is Abhay Singhs. Further the writings on pages dated 5.4.88, 7.4.88, 9.4.88, 1.8.88, and 27.12.88 are in the handwriting of Abhay Singh.

I have also been shown a small writing pad with green stripes, where in the pages marked 2,3, and the last page, half torn bear the handwriting of Abhay Singh. Besides this the 3 written pages bearing serial nos. MR-2 which are all in Abhay Singhs handwriting.

R.O.A.C.

Sd/- 19/12/91
(K. BHATTACHARYA)

T.C. [signature]

बयान श्री दर्शनानंद तिवारी पिता तुर्गनाथ तिवारी उम्र 40 साल निवासी क्वा0 नं0 ए, ब्लाक नं0 39, कैंप-1, भिलाई वर्किंग ब्यूरो कंट्रा ब्लास्ट फर्नेस, हाई लाइन सेक्शन एज खलासी परमानेंट पता ग्राम व पोस्ट युवराजपुर, थाना सुहेण्डल तहसील जमनिया, जिला गाजीपुर.

मैं उपरोक्त हूं व बीएसपी भिलाई में फरवरी 1987 से खलासी के पद पर तैनात हूं लगभग इतने ही समय से मैं अभयसिंह को जानता हूं क्योंकि हम लोग एकही साथ एक ही जगह पर काम कर रहे थे। कार्यकालिन, छुट्टी की दरखास्त अथवा गेट पास आवेदन पत्र भरते हमने अभयसिंह को देखा था, इसी कारण मैं उसके लेखन से परिचितहूं।

आज दिनांक 19.12.91 को हमे एक भूरे रंग की एक्जक्युटिव डायरी दिखाई गई जो वर्ष 1988 की है। इसके पहले ही पृष्ठ पर अंग्रेजी में अभयसिंह का नाम व पता लिखा है जो उसके ही लिखी में लिखीगेई है। इसके ठीक बगल में "नियोगी ग्रुप नं0 एमसीआर 1438" लिखा है जो अभयसिंह का ही लिखा हुआ है। इसके अलावा इसी पृष्ठ पर हिंदी में लिखा अजय का खाता नं0 2854 गाजीपुर (कछवा रोड) भी इसी के द्वारा लिखा गया है। आगे पृष्ठ इयर प्लानर 1988 पर लिखा गया हिसाब व "सतलु" (अंग्रेजी में) भी अभयसिंह द्वारा ही लिखी गई है। पृष्ठ दि0 1.1.88, 5.4.88, 7.4.88, 9.4.88, 1.8.88 तथा 27.12.88 पर लिखा गया हिसाब व वाक्य इत्यादि अभयसिंह के ही लिपि में है।

एक छोटा हरे धारियों वाले राइटिंग पेड के पृष्ठ 2 व 3 पर "सिम्पलेक्स 5870 टेल0 2129" अभयसिंह के लिपि में है इसी के आखिरी पेज पृष्ठ पर लिखा गया पता भी अभयसिंह के लिपीमें है। इसके अलावा इसको तीन पर्चियां दिखाई गई जिनपर एमआर-2/5 संख्या लिखा है। इन पर लेखन भी अभयसिंह का ही है।।

आरओएसी

सही/19.12.91

(के0 भट्टाचार्य)

उप निरीक्षक, सी0बी0आई0

कैम्प भिलाई.

सत्यप्रतिलिपि

[signature]

बयान श्री दयानंद तिवारी पुत्र श्री जगन्नाथ तिवारी उम्र 40 साल निवासी केम्प । क्वार्टर 39/ए (एल.सी.) भिलाई, (एम.पी.)

PW-104

—00—

मै उपरोक्त हूं मैं भारतीय थल सेना इंजीनियर कोर से 31/8/86 के दिन 15 वर्षो की सेवा के बाद सेवा निवृत्त हुआ । मैने भिलाई इस्पात संयंत्र में 28/2/87 के दिन खलासी के रूप में ज्वाइन किया अभय सिंह ने 12/3/87 के दिन खलासी के रूप में भिलाई इस्पात संयंत्र में ड्यूटी ज्वाइन की, अभयसिंह भी भारतीय थल सेना से डिस्चार्ज लेकर आया था । मेरी उससे जान पहचान हो गई । अभय सिंह उतला से भिलाई ड्यूटी करने आता था और उसके पास भिलाई में कोई निवास नही था । मै उन दिनों अपनी बड़ी बहन के निवास पर रहता था मेरी बड़ी बहन का क्वार्टर नं. 69ए(एल.सी.) केम्प । भिलाई में था, 4-5 दिन अभय सिंह मेरे साथ भी रहा अभय सिंह कुछ दिन राधेश्याम सिंह जो उसी ब्लाक में रहते है (69 एफ.एल.सी.) के साथ रहा । फिर अभय सिंह किराये पर क्वार्टर लेकर रहने लगा अभय सिंह ने 7 जी(एल.सी.) केम्प । किराये पर लिया बाद में मुझे क्वार्टर मिल गया, जिसमें मै आज भी रह रहा हूं अभय सिंह मेरे यहां आता जाता था, अपना स्कूटर वह मेरी बहन के यहां खड़ा किया करता था, ।

3/10/91 के दिन अभय सिंह करीब 6/7 बजे शाम मेरे घर आया । अभय सिंह घबराया हुआ था वह बोला कि वह घर जा रहा है और बोला कि साहब को बता देना कि मै घर जा रहा हूं । तब मैने कहा कि ऐसा कैसे होगा, एप्लीकेशन देना होगा । अभयसिंह घर के सामने, मेरे लड़के से कागज और कलम मांगकर लाया । कागज प्राप्त होने पर उसने अपना दस्तखत हिन्दी में जल्दी जल्दी बना दिया और कहा कि एप्लीकेशन लिख देना और चला गया, । मैने एप्लीकेशन हिन्दी में लिखी और 3/10/91 की तारीख डाल दी, और एप्लीकेशन लेकर ड्यूटी के लिये टाइम पर आफिस पहुंचा, अभय सिंह भी पहुंच गया, ड्यूटी करने । अभय सिंह ने बताया कि वह आज घर नही जा पाया और कल वीकली आफ है, कल या परसों जाऊंगा । फिर मेरी मुलाकात अभयसिंह से नही हो पायी और मैने उपरोक्त एप्लीकेशन डेट 5/10/91 चेंज करके दे दी । मैने

Pw-104

मैने यह एप्लीकेशन एडजुटेन्ट साहब को दी थी, अभय सिंह की पर्सनल फाइल का अवलोकन किया, 5/10/91 को एप्लीकेशन मेरे सामने है जो मैने लिखी है और उसके नीचे अभय सिंह ने अपने दस्तखत बनाये है उसके बाद अभय सिंह, ड्यूटी पर नही आया और न अपने निवास पर ही आया ।

पढ़कर सुनाया तसदीक किया,

मेरे समक्ष

हस्ता/सही,

§नन्दन प्र. आजाद§

आरक्षी उपाधीक्षक,

सी.सी.आई./एस.आई.सी.-2 कैम्प भिलाई

PW-105

पी डब्ल्यू 105 दि० 31.12.91

बयान श्री जनकलाल ठाकुर अध्यक्ष छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा, एलआईजी 2/273, आमदी नगर हुडको, भिलाई ।

.....

पूछने पर बयान करता हूं कि मैं डौंडी लोहारा जिला दुर्ग का रहने वाला हूं। आजकल मैं छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चे के उक्त आफिस में ही रहता हूं । मैं स्व० नियोगी जी के संपर्क में काफी पहले से हूं परंतु 1979-80 में हमारा उक्त छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा, जो कि पहले से ही था, उभरकर एक राजनीतिक दल के रूप में आया । इस मोर्चे का मुख्य उद्देश्य ये था कि फैक्ट्री व कारखाने आदि के मजदूरों को छोड़कर अन्य कामगार जैसे किसान आदि के हितों के लिए आवाज उठाई गई व उनको मेहनत का वाजिब दाम आदि उन्हें मिल सके । उस समय स्वयं नियोगी जी, शेख अंसार महासचिव, गणेशराम चौधरी उपाध्यक्ष, हीरामन सिंह ठाकुर सदस्य आदि प्रमुख थे, जिन्होंने सी०एम०एम० को जन-आंदोलन का रूप दिया। 1979 या 80 के आम चुनाव में डौंडी लोहारा से श्री नाथूराम मंडावी को एक आजाद उम्मीदवार की हैसियत से सी.एम.एम. ने एम.एल.ए. के चुनाव के लिए खड़ा कियाथा जो कि वे हार गयेथे । सन 1985 में मैं स्वयं एम.एल.ए. के चुनाव के लिए डौंडी लोहारा से खड़ा हुआ था व विजयी हुआ था । मैं भी एक आजाद उम्मीदवार की हैसियत से खड़ा हुआ था । हमारी सीएमएम पार्टी को कोई चुनाव चिंह नहीं मिला है परंतु फिर भी चुनाव आयोग दिल्ली ने हमारी सीएमएम पार्टी को एक राजनैतिक पार्टी के रूप में टेम्पोरेरी मान्यता दी हुई है । आजकल इस पार्टी का अध्यक्ष मैं ही हूं । प्रगतिशील इंजीनियरिंग श्रमिक संघ, छत्तीसगढ़ माईन्स श्रमिक संघ, छत्तीसगढ़ केमिकल मिल मजदूर संघ, प्रगतिशील ट्रांसपोर्ट श्रमिक संघ व इस्पात श्रमिक संघ, सब छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा के ही अंग है व अपने अपने क्षेत्रों में मजदूरों के हकों के लिए मिल मालिकों से संघर्ष आदि कर रहे हैं । श्री अनूप सिंह हमारी प्रगतिशील इंजीनियरिंग श्रमिक संघ के सदस्य सुधा भारद्वाज, छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा के सचिव हैं व श्री भीमराव बागड़े, अध्यक्ष, सीएमएसएस, प्रमोद वानखेड़कर प्रगतिशील ट्रांसपोर्ट के सदस्य एवं श्री एन० आर० घोषाल इस्पात श्रमिक संघ के महामंत्री है । हमारी उक्त यूनियन या मोर्चा के सभी प्रोग्राम उक्त लिखित व्यक्तियों की सलाह से ही चलते हैं । इन सब यूनियन्स व मोर्चा में स्व० नियोगी जी की प्रमुख भूमिका होती थी इसलिए हमारे सब कार्यक्रमों में उक्त लिखित व्यक्तियों के नाम आदि जरूर होते थे ।

आज आपने मुझे एक पीले रंग का छोटा सा पोस्टर दिखाया है जिस पर मैंने अनूप सिंहजी, सुधा भारद्वाज, स्व० शंकर गुहा नियोगी व श्री भीमराव बागड़े के नाम दिए हैं, उक्त पोस्टर के जरिए हमने सोमवार 19.8.90 शाम को 5.30 बजे श्री उमाशंकर राय उपाध्यक्ष प्रगतिशील श्रमिक संघ भिलाई, पर कैलाशपति केडिया के गुण्डों एवं संतोष गुप्ता के भाई मनोज व अबली द्वारा उन पर हुए हमले को उजागर किया है । इस पोस्टर में हमने मुख्यत: कैलाशपति केडिया का नाम दिया है जिसने अपने गुण्डों के जरिए प्राणघातक हमले करवाए । इस पोस्टर में सिम्पलेक्स, बी०के०, बी०ई०सी० उद्योगों के नाम भी दिए हैं जहां पर इस्पात मजदूरों पर मूलचंद शाह, बी०आर० जैन आदि द्वारा गुण्डों के जरिए हमले करवाने और शोषण आदि करने की बातें भी बताई गई है । इस पोस्टर में नियोगी जी ने ये छपवाया था "हमारे उपर अनेकों हमले हुए हैं, कल और भी खतरनाक हमलों के दौर से गुजरना होगा, क्योंकि औद्योगिक क्षेत्र के मजदूर अपनी मांग पूरी किए बिना नहीं रूकेंगे । इसलिए ऐसी भी घटना हमारे ऊपर हो सकती है जिस

PW-105/12/1

सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे । उस दिन साथियों उठ खड़े होना, अगर यह भी संभव न हो फिर हमारी कुरबानी को याद कर दो बूंद आंसू बहा देना"लाल जौहर"

ये एक पोस्टर की भाषी लाइनें व पेटर नियोगी जी ने स्वयं बनाया था और हमने बजाज प्रिंटर्स राजहरा में इसकी हजारों कापियां छपवाई थी । ये पोस्टर 21 अगस्त के आसपास छपवाया था । इस पोस्टर पर मेरे व मेरे अन्य साथियों के नाम भी छपे हुए हैं ।

आपने मुझे एक गुलाबी रंग का, बजाज प्रिंटर्स राजहरा द्वारा छपा हुआ पोस्टर दिखाया है जिसमें सर्व श्री पुनाराम वायनकर प्रगतिशील ट्रांसपोर्ट श्रमिक संघ, मेरा व एन आर घोसाल महामंत्री इस्पात श्रमिक संघ भिलाई का नाम छपा है । इस पोस्टर में दिनांक 17.9.90 दिन सोमवार को इंडस्ट्रियल स्टेट मैदान में एस.बी.ई.बी. हाउसिंग बोर्ड के पास आम सभा में भाग लीजिए, हर कारखाना से जुलूस लेकर सभा स्थल पर आना है, समय दोपहर एक बजे, की मीटिंग का आह्वान किया था । इस पोस्टर में हमने सिम्पलेक्स बी0ई0सी0, केडिया, बी0के0, भिलाई वायर्स आदि उद्योगों में मची हुई धांधली का ज़िक्र किया है। इसमें हमने मजदूरों के लिए न्याय, मुक्ति, इज्जत व निश्चित भविष्य का भी उल्लेख किया है । यह पोस्टर भी नियोगी जी द्वारा ही बनाया गयाथा और 17.9.90 के 2-3 दिन पहले छपवाया था ।

आपने मुझे एक और गुलाबी रंग का पोस्टर दिखाया है जिसमें श्री एन0आर0 घोसाल, मेरा और शेकर गुहा नियोगी के नाम छपे हैं । उक्त पोस्टर बजाज प्रिंटर्स राजहरा में छपवायाथा । इस पोस्टर के जरिए हमने सारे औद्योगिक क्षेत्र में हड़ताल न करके केवल भिलाई वायर्स तथा सिम्पलेक्स साम्राज्य की इकाईयों में हड़ताल का आह्वान किया था इस पोस्टर में साफतौर से सिम्प्लेक्स समूह का उल्लेख किया है कि मजदूर नेताओं पर चाकू, चलाना, मजदूरों को नौकरी से निकालना, सिम्पलेक्स जिम्मेवार है । इसमें हमने अपनी पीएफ,और ग्रेच्युटी, दुर्घटना के समय चिकित्सा सुविधाएं व छुट्टियों का प्रावधान आदि की मांग भी उल्लेखित की है । यह पोस्टर भी श्री नियोगी जी ने ही बनाया था इसको छापने का समय शायद नवंबर 1990 था ।

हमारे उक्तसंगठनों का मुख्य उद्देश्य ठेका मजदूर प्रथा को खत्म करवाना व उनके जीवनयापन के लिए मिल मालिकों से न्यूनतम वेतन प्राप्त करना था ।

पिछले एक डेढ़ साल से नियोगी जी के नेतृत्व में भिलाई औद्योगिक क्षेत्र में हमारा संगठन मुख्य रूप से उभरकर सामने आ रहा था और श्रमिक आंदोलन जोर पकड़ता जा रहाथा । आरंभ में हमारे संगठन ने 29 मांगे रखी थी परंतु उसके बाद हमने अपनी केवल 9 मुख्य मांगें ही मिल मालिकों के सामने रखी । गत वर्ष 17 सितंबर 1990 को हड़ताल के बाद श्रमिकों की मांगों को लेकर प्रदर्शन व नारेबाजी, हड़ताल व आमसभाएं आयोजित करनी शुरू कर दी । नियोगी जी की व हमारे संगठनों की बढ़ती हुई लोकप्रियता व ताकत को देखते हुए यहां के उद्योगपतियों, जिनका उल्लेख उक्त पोस्टरों में है, ने उधार के गुण्डों द्वारा हमारे भाईयों पर घातकहमले करवाने शुरू कर दिया इसी दौरान नियोगी जी को भी टेलीफोन द्वारा धमकियां व पत्रों द्वारा धमकियां मिलनी शुरू हो गई कि वे अपने श्रमिक आंदोलन द्वारा मिल मालिकों को परेशान करते हैं, और इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं । पुलिस को भी जताया गया परंतु कोई कार्यवाही नहीं हुई ।हमारे संगठन की आम सभाओं में नियोगी जीने कई बार अपने पर ऊपर जानलेवा हमला होने का अंदेशा व्यक्त किया । कई बार जब मैं और संगठन के अन्य

....3पर

PW-105 //3//

प्रमुख व्यक्ति उनके साथ बातचीत करते थे तो वो अपने ऊपर जान के खतरे को हंसकर उड़ा देते थे। 11 सितंबर 1991 को नियोगी जी, स्वामी अग्निवेश के साथ मैं और हमारे 6 अन्य सदस्य दिल्ली में राष्ट्रपति से भी मिले थे और उन्हें इस बात से अवगत कराया था कि श्रमिकों पर उद्योगपति हथियारबंद गुण्डों से हमले करवा रहे हैं और उनके लिए जीना मुश्किल कर रहे हैं। हमने राष्ट्रपति जी को 50,000 मजदूरों द्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापन भी दिया था। दिल्ली प्रवास के दौरान हम प्रधानमंत्री के रेसकोर्स स्थित निवास स्थान, पर भी मिलने गए थे, उसी दौरान हम लोग श्री वी0पी0 सिंह व श्री लालकृष्ण आडवाणी जी से भी मिले थे और उनको श्रमिक भाईयों की कठिनाईयों से अवगत करवाया था।

पढ़कर सुनाया, सही पाया

मेरे समक्ष

हस्ता0/-

(शमशेर)

निरीक्षक

सी0बी0आई0/एस0आई0सी0-2

कैम्प भिलाई

सत्यप्रतिलिपि

[signature]

RC.9(S)/91-SIU.V 27.12.91

Statement of Sh. Janak Lal Thakur, President Chhattisgarh Mukti Morcha, MIG-II/273, Amdi Nagar, HUDCO, Bhilai.

******

On being asked I state that I am as above. Today I have handed over to you 3 pamphlets, first bearing my name as President C.M.M., Anoop Singh of Pragatisheel Engineering Sharmik Sangh, Sudha Bhardwaj Secretary CMM, Shanker Guha Niyogi Sangathan Mantri CMSS & Bheemrao Bangre Adhyaksh CCMMS second bearing the name of Punam Vamankar of Pragatisheel Transport Sharmik Sangh, my name as Adhyaksh CMM & N.R.Ghoshal Mahamantri Ispat Sharmik Sangh Bhilai and third bearing the names of N.R.Ghoshal, my name & of Shanker Guha Niyogi respectively. The aforementioned 3 pamphlets were got printed at Bajaj Printers Rajhara as shown and the same have been taken into possession by you through a receipt memo of even date i.e. 27.12.91, which bears my signature as well as your. A copy of the same has been provided to me by you.

RO&AC.

Before me,

Sd/-
(SHAMSHER)
Inspr/CBI/SIC.II/New Delhi.
Camp : Bhilai.

T.C.

KB

बयान Pw-106

नाम :- राजेन्द्र सायल आत्मज श्री रामदीन सायल उम्र 45 साल सा० कि रत्तीयन विला नैनी इलाहाबाद म/38 शंकरनगर रायपुर,

—00—

मैं नैनी इलाहाबाद का रहने वाला हूँ मैंने बी.एस.सी. एल.एल.बी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से सन् 69 71 में पास किया। सन् 69 71 में मैंने गांधी मेमोरियल सेंटर में 9 माह काम किया, इसके बाद दिल्ली में नेशनल कौंसिल आफ सोशल एप. सी.ए. स्टडी प्रोजेक्ट मे नई दिल्ली में कानून एवं पोलिटिक्स में दो साल काम किया। । 1974 मई में मेरी शादी शशी शोयल से हुई, शशीकानपुर की रहने वाली है । इनके भाई दिल्ली में जीपुर रोड पर रहते थे, । इनकी शादी के बाद अभी अलकनंदा कालका जी में रहते है, अगस्त 1974 में ए.जी. स्टेट डायरेक्टर के पद पर गांधी मेमोरियल में काम शुरू किया, । यह सर्व आफ नार्थ इण्डिया की आफिस हाल मेमोरियल में है । यह समाज सेवी संस्था है इसमें मैंने जुलाई 76 मे स्तीफा दे दिया क्योंकि आपात काल में सर्व लीडरशिप से विरोध होने के कारण दिया । जुलाई 1976 में बैंगलोर में क्रिश्चियन इन्स्टीट्यूट फार दी स्टडी आफ रिलीजन एण्ड सोसायटी में नार्थ के इंचार्ज पद पर रायपुर में काम करना शुरू किया । सन् 1982 में मैंने यह काम करना छोड़ दिया । तथा रायपुर में वकालत करने लगा, । इस बीच मै पोलिटिक्स तथा मजदूर आदि संस्थाओं से जुड़ा । पी.यू.सी.एल. पीपुल्स यूनियन फार सिविल लिबरटी है जिसकी स्थापना जय प्रकाश नारायण जी ने आपात काल के दौरान की थी से जुड़ा, । वर्तमान में इस संस्था का राष्ट्रीय संगठन सचिव हूं । इसका कार्य मानव अधिकारों की रक्षा व हनन के विरूद्ध में कार्य करना है यह स्वतंत्र संस्था है इसका एमनिस्टी से कोई संबंध नहीं है । सन् 1977 में दल्ली राजहरा में गोलीकाण्ड हुआ था तो मै संस्था पी.यू.सी.एल. की ओर से जांच हेतु गया था, । नियोगी जी उस समय जेल में थे, मुलाकात नहीं हुयी जेल से छूटने के बाद स्वयं रायपुर आये तब मेरी मुलाकात उनसे हुई, नियोगी जी के कार्य का मैंने अध्ययन किया था, उनके व मेरे विचार मिले मैंने उनके कार्य में मदद भी किया इस प्रकार सारी पहचान बढ़ने लगी तथा एक दूसरे से निकटता हुई, मेरा मुख्यदान उनके छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा में ज्यादा था, नियोगी जी ने मुझे, पब्लीसिटी का काम दिया था, मै तथा मजदूर मुक्ति

संगठन से जुड़ा हूँ यह संस्था भी छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा से जुड़ा है । मैंने हड़ताली मजदूरों के लड़कों की शिक्षा हेतु एक संस्था का निर्माण किया था जिसमें उनके लड़कों की शिक्षा हेतु कापी पुस्तकें तथा पुस्तकें वगैरह खरीदने हेतु चंदा इकट्ठा किये, इसका टारगेट करीबन डेढ़ लाख था, जिसमें एक लाख 12 हजार इकट्ठा किये, छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा को सहयोग इसके विभिन्न 22 सहकारी संस्थाओं से मिलता है, मजदूर इसके बाद भी पीछा चंदा देते थे इनकी यूनियन में ट्रक टैंकर आदि थे, जिनका भी किराया आदि मिलता है, । मेरा परिचय नियोगी जी से आपातकाल के समय हुआ, कार्यक्रम के समय से भी है बाद में हम लोग अच्छे दोस्त हो गये, । नियोगी 1961 में भिलाई आया, यहां अपने मामा विश्वास राय के यहां रहे, जे.ओ.टी में अप्रेंटिकशिप किया, यहां दुर्ग कालेज में बी.एस.सी. तथा बी.एस.सी. की परीक्षा पास की, भिलाई में 1966-67 तक काम किया, है यहां से बस्तर गये, वहां पेपर स्फूलिंग निकाला, इसी दरमियान कलकत्ता गये, तथा चारू मजूमदार से मिले वहां पर उनसे झगड़ा हुआ, बस्तर से वापिस भिलाई आये, आम मछली का धंधा किया बाद दल्ली राजहरा में काम करना शुरू किया, ।

नियोगी 9/9/91 को ट्रेन से दिल्ली गये थे, दिनांक 11/9/91 को राष्ट्रपति महोदय से मिले, साथ में स्वामी अग्निवेश, जनकलाल, अनूप, तथा 6 अन्य और व्यक्ति थे, । 12/9/91 को आडवानी जी, जनकलाल आदि के साथ मिले यहां पर उस समय विजयराजे सिंधिया भी थी, । दिनांक 14/9/91 को प्रधानमंत्री महोदय जी से मिले, वह मुझे दरबार में मिले, श्री वी.पी.सिंह से 15/9/91 से मिले, दिनांक 16/9/91 को जार्ज फर्नांडीज से मिले तथा 17/9/91 को श्री वी.सी. शुक्ला से मिले । मैं दिनांक 13/9/91 को दिल्ली गया तथा 16/9/91 को वापस आ गया नियोगी जी, 17/9/91 को दिल्ली से रवाना होकर होशंगाबाद आये वहां से बलिया सिरसियाबाद जहां 18 एवं 19/9/91 को दो दिन रहे, वहां से भोपाल आये, तथा श्री भोजवानी, इनकी से मिले, 20-9-91 को शायद वापस आये, सभी से हड़ताली मजदूरों के संबंध में चर्चा किये है,

दिनांक 27/9/91 की शाम को करीबन 7/7/30 बजे मुझे फोन से पता चला कि नियोगी जी लालभवन आये हैं दिन में ही, शायद

बताते ने सूचना दी कि नियोगी जी शाम को मिलने आने वाले है, कहीं जाना नहीं, मैं नहाकर करीबन 8 बजे पहुंचा, इसी दरम्यान पिकेडली से सिंह का फोन आया था कि मैं पिकेडली में हूं सिंह पत्रकार इण्डिया टुडे ने पहले दिन में भिलाई में नियोगी से पत्रकार वार्ता का समय लिया था नियोगी जी के मैं करीबन 9.30 बजे तथा यहीं आफिस में बात किया। बाद मेरी जीप से पिकेडली होटल गए यहां पर काफी भीड़ थी होटल में हम लोग सिंह के कमरे में [illegible] उनके कमरे बैठा हूं। बातें कमरे में लेकर चर्चा किए काफी देर रशिया के सम्बन्ध में चर्चा हुई नियोगी जी ने केडिया के डिस्लरी के सम्बन्ध में मालूमात कागजात कागजात दिया इन लोगों से नियोजी की हत्या के सम्बन्ध में बात किए नियोगी जी ने बताया कि मेरी हत्या केडिया तथा सिम्पलेक्स के मूलचन्द शाह करा सकते हैं। सिम्पलेक्स में मूलचन्द शाह है जो कि डर्टी किंग कहलाता है। उसका काम ही इस प्रकार के काम करना है खाना खाने हम लोग डाईनिंग हाल में आए यहां उस रोज भीड़ थी पूरे हाल में कोई संदेहास्पद व्यक्ति नहीं दिखा। खाना खाकर हम लोग बाहर निकले करीबन 11.30 बजे था प्रायः सभी गाड़ियां चली गई थी हम दोनों वापस पावर भवन जीप से आए नियोगी अपने कागजात मालूमात के सम्बन्ध में यहां पर फोटोस्टेट कराने दिए थे जिसे देने के लिए आये। नियोगी की कार लेकर होटल आया था उसके कमरे में दिया था। सिंह ने बताया कि हमारे आने के पहले डा० नियोगी को डाॅ० श्रीवास्तव आया था नियोगी के साथ वापस पावर भवन आये वहां से करीबन 12.30 बजे अपनी कार से वापस भिलाई गए। यहां पर दौरान चर्चा के मैंने बताया कि केडिया की डिस्लरी के खिलाफ हाईकोर्ट से कारखाना बन्द करने का आदेश हुआ है तो कुछ नर्म हो गए थे तथा कहे कि मुझे बताया क्यों नहीं तथा इस सम्बन्ध में सिंह से भी चर्चा किए। मुझे कहे थे कि कल इस सम्बन्ध में एसपी कलेक्टर से बात करूंगा।

सिंह पत्रकार 24 या 25 को रायपुर आया था तथा यहां से जगदलपुर गयाथा उसने फोन करके बाद में बतायाथा दि0 28-9-91 को वापस जाऊंगा बताया तथा छत्तीसगढ़ से टिकट रिजर्वेशन करने कहा था। उसकी बात श्रीमती से हुई थी।

दि० 28.9.91 को सुबह करीब 4 बजे फोन से फोन पर बताया कि नियोगी जी को गोली लगी है । घायल है तथा उसके बाद डेरहा ड्राइवर भवन वाला आया उसने भी बताया बाद में फोन आया कि उनकी मौत हो चुकी है । मैंने सिंह तथा अन्य लोगों को फोन से सूचना दी । स्वयं तैयार हुआ तथा जीप में सिंह को लेकर उरला गया श्रमिकों को बताया तथा भिलाई आया ।

नियोगी जी से कभी-2 उनकी हत्या के सम्बन्ध में चर्चा होती थी । आज से करीब डेढ़ माह पहले ऐसी ही चर्चा हुई । मैंने कहा कि हत्या की कीमत 5 लाख है तो उन्होंने हंसते हुए बताया कि अब 20 लाख हो गई है ।

इनमें मजदूर जो कि हड़ताल पर हैं उनके बच्चों की स्कूल यूनीफार्म तथा कापी पुस्तक आदि के लिए एक फंड बनाया है जिसमें हम चंदा लेते हैं तथा उसके कई सदस्य हैं । इनके द्वारा हड़ताली मजदूर के बच्चों को सहयोग करते हैं । इसका ही हिसाब हेतु आनंद भिलाई गया था । दिनांक 29.9.91 को इसकी मीटिंग थी । आवश्यक बात कर मैं 3 तारीख को मैं 2 माह के लिए विदेश जा रहा था । विदेश बारे में मेरी पत्नी जाने वाली थी । इस काण्ड के बाद मैं कैंसिल कर दिया मैंने 10 हजार रुपया नियोगी जी को नहीं दिया है ।

सही 9.10.91
उप निरीक्षक

सत्यप्रतिलिपि
[signature]

Local Police

Statement of Shri Rajinder Sail S/o Shri Ramdin Sail, Age 45 years r/o A-38, Sector-I, Shankar Nagar, Raipur permanent r/o Christian Villa, Naini, Allahabad.

****

At present, I am National Organising Secretary of P.U.C.L. for the last about years. I am associated with this organization since long.

I came in contact with late Shri Shanker Guha Niyogi after the firing incident of Dalli Rajhara on 2nd and 3rd June, 1977. I met Shri Niyogi in jail who had been arrested by the police. At that time I had gone as a member of the P.U.C.L. Enquiry Committee to make enquiries into the police firing. I was greatly impressed by the work which Shri Niyogi was doing under the banner of his Trade Union called Chhattisgarh Mines Shramik Sangh and another political outfit formed in 1978 as Chhattisgarh Mukti Morcha. Our ideas for the upliftment of the society were common. As such, we drew close to each other. I had also been lending my hand in the activities of Chhattisgarh Mukti Morcha. I used to write in magazines, papers about the work which Shri Niyogi and Chattisgarh Mukti Morcha were doing.

Shri Shanker Guha Niyogi hailed from Jalpaiguri distt. of West Bengal. He passed his I.S.C. in 1961 and the same year he came to Bhilai to live with his maternal uncle Sitanshu Roy who was working as a foreman in Bhilai Steel Plant. Shri Niyogi started apprenticeship course in BSP and also completed two years AMII course. He also simultaneously did his B.Sc. from Bhilai and was active in the Student movement in the capacity of Joint Secretary of the Students Federation of India. He formed first trade union called Blast Furnace Action Committee while working in the BSP. He was dismissed from service on security grounds. Thereafter he left Bhilai and went to Bastar and from there came to Dalli-Rajhara in the year 1977 and formed a trade union called Chhattisgarh Mines Shramik Sangh (CMSS) which became active in Dalli Rajhara and Rajnandgaon etc. In the year 1978 he formed another organization called Chhattisgarh Mukti Morcha which emerged as a democratic organization bringing together the workers and peasants, tribals and dalits,

youths and women for fight for a common cause. Shri Niyogi started organising industrial workers of Bhilai in the year 1990 and came in the fore-front when the workers of Associated Cement Company started their agitation in early 1990. Shri Niyogi also formed trade unions by the name Chhattisgarh Shramik Sangh, Chhattisgarh Chemical Shramik Sangh etc. which were working under the banner of Chhattisgarh Mukti Morcha.

On September 17, 1990 Shri Niyogi took out a big rally of the workers of Bhilai. Previous to this he had associated with the plight of the workers of ACC and had been able to get concessions for the workers from the management regarding which an agreement was signed with the management. After the above said rally the administration and the industrialists of Bhilai were alarmed by the show of strength which Shri Niyogi was able to muster on 17.9.90. Shri Niyogi was arrested on flimsy grounds in February,1991 in more than 24 cases. He got bail from the lower courts in majority of the cases but had to remain in jail for about two months when he was released from the jail by the Madhya Pradesh High Court at Jabalpur. Mr. Justice Gulab Gupta of the High Court had almost censured the police for keeping Shri Niyogi detained for two months in jail. The enemies of Niyogi who were the industrialists of Bhilai further conspired to extern Shri Niyogi from five districts of Chhattisgarh viz. Raipur, Rajnandgaon, Durg, Bilaspur and Bastar under 'Rajya Suraksha Adhiniyam 1991'. In the externment notice which was served on Shri Niyogi, the administration had cited the incidents, which happened about ten years back and made personal attack which were not relevant for the externment. The reply to the externment notice was submitted to the Collector of Durg on 9th August,1991. Immediately upon receipt of the externment notice a petition was filed in the Madhya Pradesh High Court and High Court again intervened and granted ex-parte injunction on 9th August,1991. The very purpose of this exercise of the administration, in conrivance with the industrialists, was to remove Shri Niyogi from Bhilai scene. The industrialists of Bhilai were able to get the law twisted in their favour and used the Government machinery to suit their will. After the failure of the administration and the industrialists on 9th August,1991, we were thinking that what next

step would they take to remove Shri Niyogi from the scene. I happened to talk to Shri Niyogi after the above said injunction and enquired from him as to what would happen next. Shri Niyogi told me that now they are left with no option other than to kill him.

PUCL and myself were always with Shri Niyogi for his just struggle to get some concessions for the workers of Bhilai. I and my friends were discussing the plight of the workers and their children vis-a-vis the on-going struggle in which large number of employees had been illegally terminated. We were more concerned with the education of children of these striking workers. We started a striking workers children education fund so that the children of these striking workers could go to their schools/colleges and continue their studies. Appeal for collection was made by a group of persons which included retired Distt. Session Judges, Freedom Fighters, Advocates and Academicion on 10th July,1991. We have been able to collect Rs.1,12,000/- for this fund and are making arrangements for the payment of fees, purchase of books, stationery, arrangement for transportation and uniform etc. for the children of the striking workers.

Chhattisgarh Mukti Morcha had planned to take a group of workers for demonstration at Delhi and also to meet the President of India, Prime Minister of India and other leaders to bring into their notice the plight of the Bhilai workers who had been demanding observance of the labour laws and a living wage based upon the consideration of the industry and the region. I and Shri Niyogi were to leave for Delhi on 10.9.91 by flight. On 9th September,1991 upon enquiries I learnt that there was little chance of getting a seat in the plane on 10.9.91. I informed Shri Niyogi and he told me that then he will proceed with the group to Delhi by train. Due to certain personal problems, I could leave for Delhi on 13th September, 1991. At Delhi Swami Agnivesh, Shri Shanker Guha Niyogi met President of India, Prime Minister of India and other leaders. As per practice, a delegation consisting of 10 persons was to meet the President of India. The delegation included Swami Agnivesh, Shri Janak Lal Thakur, Niyogi, myself and others. As I had not reached Delhi on 11th, I could not accompany the

delegation and, in fact, only 9 persons had met the President of India. I left Delhi for Raipur on 17th September, 1991 whereas Shri Niyogi had left Delhi on 16th. In Delhi I was suffering from virul fever so did not have opportunity to know as to what happened in Delhi. As such, Shri Niyogi was very eager to meet me and discuss the developments in Delhi. We had plans to celebrate Gandhi Jayanti on 2nd October, 1991 in a big way. Shri Niyogi was to discuss the programme with me. I alongwith my wife was to leave on 3.10.91 for U.K., Germany, Holland, Austrilia for a tour of about two months. Both of us had been invited by the British Council of Churches to deliver lectures for one month in U.K. This was also the reason that Shri Niyogi wanted to interact with me on various matters. On 27.9.91 I received a phone from Shri Niyogi in the morning that he would come to see me on that day. Shri Niyogi had requested me to be available during the day as he could come at any time by the evening. Shri Basant, office incharge of CMM at Bhilai, had also confirmed the visit of Shri Niyogi over telephone during the day. At about 7.00/7.15 PM, I received a phone from Shri Niyogi at my residence. Shri Niyogi was contacting me over phone from Baur Bhawan, Raipur. Immediately thereafter Shri N.K.Singh telephonedme from Piccadilly hotel. I told Shri Singh that Shri Niyogi had also arrived. Shri Singh told me to bring Shri Niyogi to Piccadilly hotel so that they could discuss various matters. After about half an hour I reached Baur Bhawan where Shri Niyogi was present. We discussed various matters. After about half an hour I reached Baur Bhawan where Shri Niyogi was present. We discussed various matters. A little after 9.00 PM I reminded Shri Niyogi that Shri Singh had invited both of us to Piccadilly hotel. I may add here that Shri N.K.Singh of India Today is a very close friend of us and had met Shri Niyogi on that day at Bhilai. Shri Singh had gone to Bhilai to study and write about the pollution problem of Chhattisgarh Distillery. Shri Niyogi had brought a set of papers, copy of which he wanted to hand over to Shri N.K.Singh. These papers pertained to the Chhattisgarh Distillery. We left for hotel Piccadilly at about 9.30 PM in my jeep. Shri Niyogi instructed his driver Deepak Sarkar to bring copies of the papers after getting their copies

prepared on photostat machine in our office. We went to the room of Shri N.K.Singh. Shri Prashant Panjiar, a photographer of the India Today was also there. Immediately Shri N.K.Singh enquired from us whether they had met Dr. Shrivastava of Kedia as he had left his room a little before after a meeting. We told him that we did not see him. We discussed various matters in the room. We were discussing about the Soviet Union, Asia and other matters. During this discussion driver of Shri Niyogi brought the set of papers which Shri Niyogi handed over to Shri N.K.Singh. Shri Anand of Baur Bhawan was also with him. During the discussions I also brought into the notice of Shri N.K.Singh that recently Madhya Pradesh High Court had restrained the Kedia's from distilling untill further orders. I gave a copy of the High Court orders to Shri N.K.Singh. Shri Niyogi was not aware of the this order. Upon knowing this, he asked me to give a copy of the order to him so that he could meet the Collector and SP of Durg for taking action against the distilleries of Kedia in view of the High Court's order. We also talked about the threat to the life of Shri Niyogi. Shri Niyogi told that Kedia and Mool Chand Shah of Simplex group may get him killed. Shri Singh asked him for the reasons to which Shri Niyogi replied that both of them have criminal mentality. He told us that all the nefarious activities of Simplex group are supervised and organised by Shri Mool Chand Shah. After discussions we went to take our foods in the dining hall. The dining hall was almost full. We finished our meals at about 11.30 PM or so. At that time only my jeep was parked there. All other had left. I may add here that the driver of Shri Niyogi had taken back his car to Baur Bhawan after handing over the papers. We both came to Baur Bhawan after handing over the papers. We both came to Baur Bhawan in my jeep. Shri Niyogi left Baur Bhawan for Bhilai at about 12.30/12.45 in the night.

On 28.9.91, at about 4.30 AM, Shri Basant informed me over phone that Shri Niyogi had been shot at, at his residence. He told me that he is injured and wanted me to come to Bhilai immediately. I informed Shri N.K.Singh at Piccadilly hotel immediately.

Shri Dehra Ram, Manager of Baur Bhawan also came to my residence, a little after the telephone from Shri Basant. He informed me that there was a telephone from Bhilai to the effect that Shri Niyogi had been shot at. After few minutes, I received another telephone from Shri N.L.Yadav of Baloda Bazar that Shri Niyogi is no more. I immediately telephoned to Shri N.K.Singh and asked him whether he will accompany me to Bhilai. He told me that he will be ready soon and both of us decided to go to Bhilai. We first went to Urla and informed the workers. We requested them to be peaceful and reminded them of the ideology of Shri Niyogi. Then we also went to the workers at Bhilai, talked to them and then reached the hospital.

During the pendency of the Bhilai struggle, Shri Niyogi had received threats on a number of occasions. We used to talk about the threats. Shri Niyogi was not prepared to talk much about these threats and would immediately change the topic after telling a few things. About 1½ months before the incident Shri Niyogi had come to my place with his elder daughter and driver. When we were discussing the threats Shri Niyogi took out a torn portion of an envelope and read it wherein it has been written that persons had been called to kill him. He had also said that the industrialists had raised the amount from Rs.5 lacs to Rs.20 lacs for eliminating him. While Shri Niyogi was in Durg Jail in Feb./March, 1991, I had met him. During conversation in the Supdt's office he had told me that he had got information from the criminals lodged in the jail that a few persons had been hired to kill him. Those persons who were talking about the killing of Shri Niyogi had been caught in 'Bomb Kaands' of Durg. After the failure of the industrialists to remove Shri Niyogi from the scene of Bhilai, the industrialists had started getting the leaders of the Chhattisgarh Mukti Morcha assaulted. On 19th August, 1991 Uma Shankar Rai, a leader of the Morcha was attacked. The workers of Urla were assaulted on 24th August, 1991. I had photographed the workers and got them treated in D.K.Hospital of Raipur.

After the failure of the industrialists to get removed Shri Niyogi from Bhilai scene, either getting the workers assaulted, or getting him jailed/externed, we were thinking that industrialists

may now try to get the leaders killed. The visit of Shri Niyogi to Delhi had been very fruitful and as told by him, he was hopeful that the demands of the workers would be settled soon. During discussion Shri Niyogi had told me that during his meeting with Shri Bhojwani, Labour Minister of Madhya Pradesh, District Administration of Durg and the feelers which the industrialists used to send to Shri Niyogi, had been harping on a date 3rd October, 1991. He did ask me why all of them were telling this date ? Did they want to eliminate me by this date ? I gave my view point that it could be that all of them would like to see his popularity in the massive rally/celebration which is being called on 2nd October, 1991 and then talk to him with appropriate offers. I may also add here that industrialists of Bhilai had been often telling that they will settle the demands of the workers without Niyogi. Industrialists had tried their best to crush the struggle of the workers and also for this purpose had availed the services of Labour Commissioner who arranged a settlement of AITUC Union with the industrialists. The industrialists thought that after this settlement lot of workers will leave Shri Niyogi but that did not happen.

RO&AC

Before me.

Sd/- 28/11/91
(B.S.KANWAR)
DY.SP:CBI:SIC.II:N.DELHI

T.C.

बयान नाम नरेन्द्र कुमार सिंह पिता श्री स्व0 शीतल प्रसाद सिंह उम्र 39 साल 45 बंगला भोपाल.

मैं 1972 से पत्रकार हूं । इंडिया टुडे के पहले मैं इंडियन एक्सप्रेस, नई दुनिया हितवाद, सेक्यूलर, डेमोक्रेसी में कार्य कर चुका हूं । इंडिया टुडे में 1986 से जुड़ा हूं । वर्तमान में इंडिया टुडे का मुख्य विशेषसंवाददाता की हैसियत से ही भोपाल में संवाददाता हूं।

मैं अपनी पत्रिका के कार्य से 16 सितंबर 91 को भोपाल से जयपुर गया था। फिर 23 सितंबर 91 को जयपुर से दिल्ली आया और 24 सितंबर को दिल्ली से हवाई जहाज से प्रशांत पंजियार फोटोग्राफर के साथ रायपुर आया । दोपहर में रायपुर पहुंचकर मैंने श्रीमान [illegible] को फोन किया था । हवाई अड्डे से ही टेक्सी से बस्तर, जगदलपुर रवाना हुए । 27.9.91 को कांकेर से राजहरा होते हुए करीबन दोपहर के समय दुर्ग आए तथा वहीं दुर्ग में खाना खाया तथा शंकर गुहा नियोगी को फोन मिलने हेतु किया । हम लोग वहां के शराब कारखानों के द्वारा होने वाले प्रदूषण के बारे में लिखने व फोटो लेने के लिए गए थे 2 करीबन ढाई बजे नियोगी जी के दफ्तर गए । वहां पर करीबन डेढ़ घंटे हमारी नियोगी जी से चर्चा हुई । नियोगी से मुख्यत चर्चा प्रदूषण व श्रमिक आंदोलन के संबंध में हुई । श्रमिक आंदोलन के संबंध में नियोगी जी ने बताया कि आंदोलन को काफी दबाने की कोशिश हो रही है । इसके लिए कारखाने के मालिकों ने किराए पर गुण्डे भर्ती किए हैं । नियोगी जी का आरोप था कि इन कारखानों के मैनेजमेंट में भी आपराधिक तत्व बैठे हैं । उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें जान का खतरा बना हुआ है । भिलाई के उद्योगपती उन्हें मरवाने के लिए किराए का गुण्डे लाए हैं । केडिया डिस्टलरी के प्रदूषण के संबंध में चर्चा होने पर उन्होंने कागजात देने के बारे में कहा तथा यह कोई तय नहीं था कि रायपुर आकर कागजात देंगे । मैंने नियोगी जी को बताया कि रायपुर में रुकूंगा तथा हमें भी मालूम था मेरे रेल्वे का टिकिट राजेन्द्र सायल के यहां है । नियोगी जी से बात करने के बाद हम लोग केडिया डिस्टलरी तथा छत्तीसगढ़ डिस्टलरी देखने गए । वहां हमारी मैनेजमेंट के लोगों से बातचीत हुई और कारखाने के आसपास घूमकर प्रशांत पंजियार ने फोटो खिंची । हम लोग पास में एक दो गांव में फोटो खींचने व बातचीत करने गए । इसके बाद हम लोग रायपुर के पिकेडली होटल में रुकने हेतु शाम को गए । वहां से मैंने अपने रेल्वे टिकिट के रिजर्वेशन के बारे में राजेन्द्र सायल को फोन किया उन्होंने मुझे बताया कि नियोगी जी भी रायपुर आए हैं उन्हीं के पास बैठे हैं । इस पर मैंने दोनों को होटल में खाने के लिए आमंत्रित किया । नियोगी जी व राजेन्द्र सायल होटल में मेरे कमरे 101 में रात में करीबन 9.30 बजे आए । श्री प्रशांत पंजियार मेरे कमरे में बैठे थे । हम लोगों ने विभिन्न विषयों पर चर्चा की । नियोगी जी ने फिर से भिलाई में चल रहे श्रमिक आंदोलन की चर्चा की । उनका इस बात पर बहुत जोर था कि केडिया ने अपने कारखानों में आपराधिक तत्वों को भर रखा है और वे मजदूरों के साथ मारपीट करते हैं । चर्चा के दौरान नियोगी जी ने यह भी आरोप लगाया कि सिम्पलेक्स के शाह और केडिया ने उन्हें मरवाने के लिए किराये पर गुण्डे लाए हैं । नियोगी जी का कहना था पहले उनकी सिर की कीमत 5 लाख थी पर इसमें कोई तैयार नहीं हुआ इसलिए बाहर से 50 लाख में गुण्डे बुलवाए गए हैं । इस संबंध में धमकी भरे पत्र भी मिलना बताए थे । इसमें भी राजनैतिक परिस्थितों के बारे में तथा देश में कम्यूनिस्ट आंदोलन के असर पर चर्चा हुई । बाद

Rs-107

हम चारों वहीं होटल में डायनिंग हाल में गए व खाना खाये । करीबन 11.30 बजे श्री राजेन्द्र सायल व नियोगी जी ने बिदा ली । जब हम लोग कमरे में बैठकर चर्चा कर रहे थे तो इसी समय नियोगी के आदमी ने फोटो स्टेट कागजात लाकर दिए जो कि नियोगी जी ने भिलाई में देने को कहा था । दूसरे दिन दि0 28.9.91 को करीबन 5 बजे सुबह मुझे राजेन्द्र सायल का फोन आया उन्होंने मुझे बताया कि रात रायपुर से जाने के बाद नियोगी जी को भिलाई में किसी ने गोली मार दी और उन्हें अस्पताल ले जाया गया है । सायल ने बताया कि भिलाई जा रहे हैं । इस पर मैंने उन्हें कहा कि मैं भी चलूंगा आप होटल से मुझे साथ ले लें । क्योंकि खबर काफी बड़ी थी इसलिए मैं प्रशांत पंजियार को भी बताया और उन्हें भी साथ चलने कहा तथा घटना से संबंधित फोटो ले लें । हम लोग तैयार होने लगे इसी बीच सायल का दूसरा फोन आया उन्होंने बताया कि नियोगी जी अब नहीं रहे और वे फोन पर ही फूट-2 कर रोने लगे । काफी प्रतीक्षा के बाद राजेन्द्र सायल अपनी गाड़ी से पिकेडली होटल आए हम दोनों (प्रशांत) उनके साथ भिलाई गए । पहले हम यूनियन के दफ्तर गए उसके बाद हम नियोगी जी के घर गए जहां पुलिस वाले घटनास्थल पर निरीक्षण कर रहे थे । प्रशांत पंजियार ने उसकी फोटो खींची । फिर हम लोग भिलाई अस्पताल गए पर पता चला कि नियोगी जी की लाश को ताले में बंद कर रखा गया है क्योंकि हम लोगों का उसी दिन अपने हेड क्वाटर वापस लौटने का पूर्व नियोजित कार्यक्रम था । मेरी बुकींग छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस भोपाल के लिए तथा प्रशांत पंजियार दोपहर के जहाज से दिल्ली जाने वाले थे इसलिए नहाने धोने का सामान लेने पिकेडली होटल चले गए । उस समय करीबन 11 बजा होगा । सामान लेकर टैक्सी से दुर्ग आए । बाकी घटना की पूरी जानकारी अपनी पत्रीका हेतु इकट्ठा कर सके । उस दिन हमने पूर्व नियोजित कार्यक्रम के मुताबिक कैलाशपति केडिया के निवास पर मुलाकात की । इसके बाद मैं छत्तीसगढ़ से भोपाल आया प्रशांत पंजियार वापस रायपुर हवाई जहाज पकड़ने आ गए।

मैं राजेन्द्र सायल को करीबन 1980-81 से जानता हूं उस समय मैं इंडियन एक्सप्रेस का संवाददाता था और वे अपनी गतिविधि सामाजिक परिवर्तन के लिए जो काम कर रहे हैं उस संबंध में भेजते थे । नियोगी जी से मेरी पहली मुलाकात 1977 में रायपुर केंद्रीय जेल में हुई थी जहां वे राजहरा गोलीकाण्ड के बाद बंद थे तब मैं इंदौर के नई दुनिया में काम करता था और पत्रकार की हैसियत से उनकी गतिविधियों के बारे में लिखने के लिए राजहरा और रायपुर गया था उसके बाद नियोगी जी का मेरा सतत संपर्क बना रहा और सामाजिक सुधार क्षेत्र में और सामाजिक परिवर्तन के क्षेत्र में वो जो काम कर रहे थे उनके बारे में कई दफा विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में लिखा और उसके लिए कई बार दल्ली राजहरा गया ।

मेरा टूर प्रोग्राम में पूरा खर्च हमारे इंडिया टुडे पत्रिका की ओर से होता है।

सही/18.10.91

सत्यप्रतिलिपि

PW-107

Name in full	:	Narendra Kumar Singh
Father's Name	:	Late Sh. Shital Prasad Singh
Age or date of birth	:	39 years 15.12.1952.
Address	:	E/43, 45 Bangalows, Bhopal State.
Designation	:	Principal Correspondent India Today, Tel.No.Residence 553372, Telex 705-412 INTO IN
Date,time and place of examination	:	26.12.1991 in the afternoon. Office of the Supdt. of Police, CBI, ACB, Bhopal.

******

I have been working in India Today since 1986. Before that I was the Principal Correspondent of Indian Express at Bhopal. I have been staying at Bhopal since 1979.

As a Journalist it is my job to meet people in various walks of life to gather information for my magazine. This includes interviewing people. I work under guidance of my editors who are in Delhi and who keep in touch with me through telephone, telex and fax.

I cover the states of M.P. and Rajasthan. My job includes travelling through these two States as well as the other places where my magazine sends me in connection with the work. My editors decide which specific job I have to do in a fortnight and where I have to travel in connection with my work. Most of the time I travel alone and hire local photographers to take the picture for my magazine. Sometimes I take photographers from Bhopal. But if the story is important then magazine's photographer staff comes from Delhi.

In the month of September,1991 my editors cleared the idea of 2-3 stories in Bastar and in Durg areas. The Bastar Story concerned land scandal involving influential persons. The Durg Story concerned violation of antipollution laws by 2 local distilleries, Kedia Distillery and Chattisgarh Distillery.

I had suggested the idea of the stories to my editors as usual. I left on tour after my editors cleared my tour programme, as normally happens in case of all other stories I work on.

I left Bhopal on Sept.16 by air for Delhi. The same afternoon I flew to Jaipur in connection with my office work. I stayed there till Sept.23. On Sept. 23 I left for Delhi by air. That day I stayed at Delhi. Next morning on Sept. 24th alongwith our magazine's Sr. Photographer, Mr. Prasant Panjiar, I left for Raipur by air. We reached Raipur in the afternoon. I had already arranged for a taxi to meet us at Raipur Aiport to take us to Jagdalpur. Upon reaching Raipur Airport I rang up my friend, Mr. Rajendra Sail's house to arrange for my return reservation by train to Bhopal. Mr. Sail was not at his residence. I talked to his wife, Mrs. Shashi Sail and asked her to book my ticket by Chhattisgarh Express on Sept. 28. She assured me that it will be done.

Alongwith Mr. Panjiar I left by taxi for Bastar. We stayed in Bastar from Sept. 24 to 26. After finishing my work in Bastar we stayed at Kanker on Sept.26 night.

In the morning of Sept.27th we left Kanker for Durg by taxi. We reached Durg. There at one PM we had our lunch at a Hotel in front of Durg Railway Station, whose name I do not remember. From that hotel I rang up Mr. K.R.Kedia, the owner of Kedia Distillery because we wanted to visit his factories and talk to him in connection with the the news report that wer were planning. I could not talk to Mr. Kedia as he was out. Then I rang up the office of Mr. Shanker Guha Niyogi, the Labour leader, whom I have known since 1977. Mr. Niyogi told me that he was leading an agitation of workers in both the plants that we wanted to visit. He invited us over to his office. F.P. from the hotel we went to his office

around 2.30 PM. Mr. Niyogi told us in detail about the agitation of workers for implementation of various labour laws in the Private industrial units of Durg and Bhilai. He also told us that because of strike in the local industrial areas an explosive situation had been created. According to him the industrialists thought that Niyogi agitation was responsible for their troubles including strike and losses. Niyogi believed that some of the industrial units, particularly Kedias and the Simplex group had hired professional goondas to deal with the workers. He gave me photocopies of various memoranda he had submitted to the President of India and other important leaders of the nation about this during his recent trip to Delhi. Mr. Niyogi told me that he apprehended a threat to his life from the industrialists, particularly the Kedias and Mr. Shah of Simplex group. He named Mr. Kailashpati Kedia, who he believed had employed criminals in his factories. About the Simplex group he did not name any person in particular. He just named Shah of Simplex Group. Mr.Niyogi told me that earlier these industrialist were willing to pay Rs. 2 lacs to any one for murdering him. He said now the price on his head had gone upto Rs.20 lacs. After talking to me Mr.Niyogi also introduced some of the workers from Kedia Distillery, who had been retrenched. I talked to the workers in the office.

Later from Mr.Niyogi's office I went to Kedia Distillery and Chattisgarh Distillery. We were accompanied in the taxi by two of the workers whose names I do not remember. They had accompanied us to guide us as we were outsiders. We were refused entry to Kedia Distilleries. The Managers told us that Mr. Kedia's permission was required for our entry to the plant for taking picture. At Chattisgarh Distilleries Mr. Prashant Panjiar took picture of the polluted water coming out of the plant. We also went to a neighbouring village to talk to the villagers about the problems they were facing because of the polluted water released by the

plant in the river. Then we came back to the plant. This time we could meet Mr. Kedia, who said he was busy at that time but agreed to meet us next day at 1 PM and also arranged for our visit to his plant and taking of photographs.

After that we went to Raipur, where we stayed at Hotel Picadilly. From the hotel I rang up Mr. Rajendra Sail to enquire about my train ticket to Bhopal. He said it was wait listed. He also told me that Mr. Niyogi had come to Raipur in the meantime. I invited Mr. Sail for dinner at the hotel. I also asked him to bring along Mr. Niyogi. Mr. Sail and Mr. Niyogi came to my hotel room around 9 PM. Apparently Mr. Niyogi expected to meet me in Raipur. I had told him in Bhilai that I would stay at Hotel Picadilly, Most Probably he also knew that I had to collect my train ticket from Mr. Rajendra Sail. Hence Mr. Niyogi had arranged for delivery of some News papers about Kedias plants at my hotel room. These were brought in even as we were talking.

Mr. Panjiar, who had also joined us for the dinner talked to Mr. Niyogi about the situation in Russia, particularly the fall of communism. Mr. Niyogi again started talking about Bhilai. He repeated that he faced threats to his life from the industrialist, particularly Mr. Kedia and Shah of Simplex. He revealed that his information was that killers had already been hired for the job. Later we went from my room to the hotel's dining hall for our dinner. We all had the same dishes, which we shared. Alongwith Mr. Sail, Mr. Niyogi left the hotel around 11.30 in the night. Mr. Panjiar retired to his hotel room while I went to mine for sleeping.

Next morning around 5.30 I received a telephone call from Mr. Rajendra Sail, who was greatly agitated. He told me that Niyogi had been fired upon in Bhilai in the early hours. He said that he was going to Bhilai to enquire about his condition. I offered to come along with

him because I thought that it was a big news items for my magazine. I also rang up Mr. Panjiar from my hotel room and woke him up. He also agreed to accompany us to Bhilai for taking photographs. After some time Mr. Sail rang up again to inform me that Mr. Niyogi was dead. He did not have full details. But he broke down.

Mr. Sail came in his car to our hotel a bit late i.e. around 7 AM and we immediately left for Bhilai. At Bhilai we went to Mr. Niyogi's office, his residence, where he was murdered and finally to the hospital. As the body was kept in the mortuary we decided to return to Raipur for our bath at the hotel. We went in Rajendra Sail's car to Raipur. We checked out of the hotel after our bath. Meantime, the Taxi that we had hired arrived at the hotel. Myself and Mr. Panjiar went in that to Bhilai where we met people at Niyogis office and then went to mortuary where autopsy was being performed on Niyogi's body. Mr. Panjiar took photographs of his body. Then we went to Mr. M.P.Kedia's house and interviewed Mr. K.P.Kedia in connection with the alleged pollution caused by his industries. Mr. Panjiar took pictures. Then Mr. Panjiar dropped me at a Union office. He went to Raipur Airport to catch his flight to Delhi and I went to Durg Station to catch a train to Bhopal. I reached Bhopal in the morning of September 29.

Later a member of a special investigation team constituted by the M.P.Police for investigation the Niyogi Murder case called on me at my Bhopal residence and I talked to him about the details of my programme and what Mr.Niyogi had told me about the threat to his life when I met him on Sept. 27.

R.O.A.C.

Before me,

Sd/-
(K. MURALIDHAR) 26.12.91
DY. SUPDT. OF POLICE
CBI:ACB:BHOPAL

बयान - नाम प्रशांत पंजियार आ० ध्रुव नारायण पंजियार 34 साल सा० सी-58 साउथ एक्सटेंशन पार्ट-2 द्वारा इंडिया टुडे एफ 14/15 कनाट प्लेस नई दिल्ली-9

मैं 1977 से ब० फोटोग्राफी में हूं इंडिया टुडे मैंने अप्रैल 86 में ज्वाइन किया है।

मैं 28 सितंबर 91 को नरेन्द्र कुमार सिंह मुख्य संवाददाता (म.प्र.) के साथ फोटोग्राफर की हैसियत से रायपुर गया था रायपुर से बस्तर टैक्सी लेकर गये 26 ता० की रात में कांकेर रुके थे वापस रायपुरा होते हुए 26.9.91 को दुर्ग आये। दुर्ग में लंच लेकर नियोगी जी से सिंह ने अपाइंटमेंट फिक्स किया इसमें वहां के प्रदूषण आदि तथा श्रमिक आंदोलन के संबंध में जानकारी लेनी थी। नियोगी के घर में सिंह तथा उनकी चर्चा हुई। चर्चा का मुख्य बात के साथ उन्होंने बताया कि दिल्ली आकर मैं नेताओं से मिला तथा उन्हें भी यहां के हालात से अवगत कराया। बाद हम लोग केडिया की डिस्लरी देखने गये तथा वहां गांव जाकर बात किए तथा मैंने वहां की फोटोग्राफ लिया इसके बाद शाम को रायपुर आकर पिकेडली होटल में रुके।

27.9.91 के रात करीबन 9.30 बजे मैं व सिंह उनके कमरे में थे तो नियोगी तथा राजेन्द्र सायल आये। राजेन्द्र सायल का मेरे साथ परिचय हुआ। यहां पर चर्चा का मुख्य विषय श्रमिक आंदोलन, केडिया डिस्लरी के प्रदूषण के संबंध में था। राजेन्द्र सायल ने कोर्ट का आदेश भी बताया तथा इसके बारे में चर्चा इन लोगों की हुई। नियोगी को कोर्ट आदेश के बारे में जानकारी नहीं थी। इस संबंध में राजेन्द्र सायल ने फोटोस्टेट कापियां भी सिंह को दी। दौरान चर्चा के नियोगी ने बताया, कि मेरी हत्या करने के बाबत धमकी मिली है तथा केडिया और सिम्पलेक्स ने हत्या करने के लिए किराए का गुण्डा बुलाए हैं मेरी हत्या के लिए पहले 5 लाख रुपया था अब 50 लाख हो गया है इसी प्रकार की बाते खाने के टेबल में भी हुई।

सुबह 28.9.91 के करीबन 5 बजे सिंह ने मुझे जगाया व बताया कि नियोगी जी को गोली लगी है। हम लोग तैयार होने लगे इसी समय पुनः फोन आया बताये कि नियोगी जी खतम हो गये हैं मैं सिंह के साथ व राजेन्द्र सायल के साथ कार में भिलाई गए मैं इसको घटनास्थल का फोटो लिया वहां पर राजेन्द्र सायल व सिंह के साथ इधर घूमे उसे समय याद नहीं है बाद करीबन 10 बजे वापस होटल रायपुर आए। क्योंकि केडिया के साथ इंटरव्यू था इंटरव्यू के बाद मैं वापस रायपुर आया व दिल्ली के लिए जहाज से रवाना हुआ।

सही/- 18.10.91

सत्यप्रतिलिपि

Dt.2.1.1992

Statement of Shri Prashant Panjiar s/o Late Brig. Dhrub Narain Panjiar r/o C-58, South Extn. Part II New Delhi working as Staff Photographer, India Today, F-14/115, C' Place, New Delhi.

In September 1991, myself & Mr. Narendra Kumar Singh, Correspondent, India Today based at Bhopal, were on tour in Bastar area of Madhya Pradesh. On 27th in the afternoon we reached Bhillai. We had our lunch in a restaurant & from there, Mr. N.K.Singh telephoned Late Mr. Sankar Guha Neyogi, Labour Leader for an interview with him. Mr. Neyogi invited us to come to his office for this purpose. I alongwith Mr. N.K.Singh went to his office in Bhillai. The necessity to interview him being a renowned Labour Leader of Chhattisgarh area, had arisen to know the reaction of the masses on non-compliance of the High Court order issued for the closure of Kedia Distillery & Chhattisgarh Distillery of this area. The High Court order was issued, because the environment was getting polluted, due to the waste material from the distilleries was being excreted outside from there in Nallahas creating lot of pollution in the area thus creating health hazards.

During talks Mr. Neyogi informed that in utter disregard of the High Court order, Kedia's the owners of these distilleries had been running these distilleries. The workers under his guidance went on strike for compelling the Kedias to close down the distilleries, so that the atmosphere may be pollution-free.

Instead of closing down the distilleries, the Kedias dismissed the striking employees & continued running these distilleries with the help of remaining labourers. Some of the dismissed labourers were sitting in his office. They were interviewed and as result of their interviews, it was gathered that the Kedia group with their henchmen had harrassed them & fired from the job. I took photograph of Mr. Neyogi there.

Therefore, for seeing the extent of the pollution, we took two labourers from Mr. Neyogis office and inspected from outside the Kedia Distillery in Bhillai & then Chhatisgarh distillery near Kumbhari on Bhillai-Raipur Road & took photographs of the vicinity. It was observed that the waste liquid material from the distilleries were being thrown in the Nullahs & its foul smell emanating in the neighbourhood.

For finding out the version of the other side, we tried to be in touch with Mr. Kailash Pati Kedia. The two labourers were left for going back to Bhillai as for the night stay we had to go to Raipur. Ultimately around 6.00 P.M. we could find that Mr. Kedia was in Chhattisgarh distillery attending a meeting. His Manager in the distillery told us that we could inspect the distillery also tomorrow morning. He told that they had inspected necessary machinery for controlling pollution & had also taken other measures for checking pollution. He also told that we could meet Mr. Kedia. Also at his residence in Bhillai tomorrow at 12.00 Hrs. The programme was accordingly fixed for inspecting the factory & then interview of Mr. Kailash Pati Kedia.

Thereafter, we went to Raipur & stayed in Pikkadly Hotel. We had taken separate rooms. Here, Mr. N.K.Singh informed me that Mr. Rajinder Sayal, of PUCL (People's Union of Civil Liberties) Bhillai & Mr. Neyogi would be coming for dinner. Mr. Sayal & Mr. Neyogi came around 9.30 P.M. or so. The talks mostly revolved on the High Court order floated by the Kedias. Then we went to the

restaurant in the hotel for taking dinner. There, during conversation, Mr. Neyogi told that big industrialists of the area belonging to Simplex group & Kedia group in Bhillai had hired criminals to kill him because he was leaving no stone unturned for the uplift of the labourers of the area, something which these powerful industrialists did not relish, being against their interests. Then after dinner Mr. Neyogi & Sayal left the hotel.

Early morning on 28th, telephone Mr. Sayal came to Mr.N.K.Singh informing him that Mr. Neyogi has been shot & was in hospital. Since, we had no vehicle, Mr. Sayal was requested to get us picked upto Bhillai for seeing Mr. Neyogi. He agreed. After sometime, Mr. Sayal telephonically informed that Mr. Neyogi had died. When Mr. Sayal came to fetch us around 6.00 - 6.30 A.M., we alongwith him went straight to the hospital in Bhillai, where dead body of Mr. Neyogi was lying, then to his union office, then to his house where he was shot. Police was conducting enquiries there. I also took photographs there.

We alongwith Mr. Sayal came back to union office, dropped him there & in his vehicle went to Raipur. From Raipur, after collecting our baggage from the hotel, we came back to Bhillai in our car & went to Mortuary. There huge crowd had gathered, therefore, I was unable to take the photographs of the dead body of Mr. Neyogi. We left & went to the house of Mr. Kamlapati Kedia, which was heavily guarded by the private securityman. Mr. N.K.Singh interviewed him & I took his photograph. Since, I had to go to Airport, Raipur for catching flight to Delhi, I dropped Mr N.K.Singh at Union office of Mr. Neyogi, came to Raipur & from there to Delhi.

Before me.

R.O.A.C.

Sd/-
(D.P.SINGH)
DSP SIC.II N.Delhi.

बयान श्री भास्कर भूषण पांडे पुत्र श्री शैलेन्द्र पांडे, उम्र -28 साल, बी.एस.सी. बोरिंग मशीन आपरेटर, सिम्पलेक्स इंजिनियरिंग एण्ड फाउन्ड्री लिमिटेड, यूनिट -1 भिलाई, निवासी धार्मीदास नगर नजदीक पुलिस स्टेशन जामुल भिलाई ।

--००--

मैं गांव सिसवार, डाकखाना बरौं, थाना मदनपुर, जिला देवरिया यू.पी. का रहने वाला हूँ । मैं बी.एस.सी. तक पढ़ा हूँ मैंने उपर लिखित कम्पनी में 11/5/81 को नौकरी शुरू की थी । मैं श्री नियोगी से अगस्त 1990 से संबंधित हूँ जब छत्तीसगढ़ श्रमिक संघ के नेतृत्व में विभिन्न कारखानों में आंदोलन शुरू हुये । प्रगतिशील इंजीनियरिंग श्रमिक संघ का गठन अक्टूबर 1990 में हुआ था, मुझे इस संघ का इस वर्ष, के चुनाव में सेक्रेटरी चुना गया है ।

श्री विश्वनाथ त्रिपाठी जो कि भिलाई इस्पात संयंत्र में डिप्टी मैनेजर के पद पर कार्यरत है मेरे फूफा लगते है । ये त्रिपाठी भवन कोहका, भिलाई में रहते है अप्रैल 1991 में इनके पुत्र की शादी हुई थी, मै भी इस शादी में सम्मिलित हुआ था श्री ज्ञान प्रकाश मिश्रा, जो कैम्प 1, स्टील नगर भिलाई में रहते है, को भी श्री त्रिपाठी, से रिश्तेदारी है, । 27/8/91 को श्री ज्ञान प्रकाश मिश्रा श्री त्रिपाठी जी के घर पर विवाह की एलबम देख रहे थे तो मेरा फोटो देखकर कहने लगे कि ये कौन है, इस पर श्री त्रिपाठी जी ने उनसे पूछा कि आप क्यों पूछ रहे है, तो मिश्रा ने बताया कि उनको सिम्प लेक्स ग्रुप के मालिक मूलचंद शाह से कुछ आदमियों की पिटाई करने के लिये 50 हजार रुपये मिले है, जिनमें एक ये है, इस पर श्री त्रिपाठी ने ज्ञान प्रकाश को बताया, कि ये तो हमारा भतीजा है उनको नुकसान नहीं पहुँचाना, । त्रिपाठी जी के यहां से मुझे ये खबर श्री जे.पी.एन.पांडे, जो बी.एस.पी. में काम करते है और मरोदा में रहते है, तथा धानेन्द्र पांडे जो बंगाली पार स्कूल भिलाई में अध्यापक है के जरिये 29/8/91 को पहुँची थी साथ ही उन्होंने मुझे सतर्क रहने के लिये भी कहा था, मैंने इस सूचना के आधार पर 30/8/91 को पुलिस स्टेशन जामुल में एक लिखित शिकायत दी थी । शिकायत को मैंने श्री सेन उप निरीक्षक को दिया था और उनसे हस्ताक्षर भी लिये थे इस शिकायत पर पुलिस ने कोई कार्यवाई अभी तक नहीं की है । 4-5 दिन

पहले भी मेरा बयान लिखकर ले गये हैं ।

हमारी यूनिट में हड़ताल नहीं चल रही है परन्तु सिम्पलेक्स ग्रुप की बाकी सभी यूनिटों में कर्मचारी हड़ताल पर है । इस हड़ताल को तोड़ने के लिये उद्योगपति गुंडों का सहारा ले रहे हैं और उन्होंने बहुत सारे कर्मचारियों पर गुंडों से हमला करवाया है, जिसमें बहुत सारे कर्मचारी घायल भी हुये । पिछले एक वर्ष के घटना क्रम को देखते हुये ऐसा प्रतीत होता है कि भिलाई के उद्योगपति श्री नियोगी जी को व यूनियन के अन्य नेताओं को जानी नुकसान पहुंचाना चाहते थे और इसके लिये उन्होंने काफी कुछ किया भी पुलिस ने भी उद्योगपतियों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की, ।

पढ़कर सुनाया सही माना ।

मेरे समक्ष

हस्ता/सही,

(डी.एस.कंवर, 28/11/91)

आरक्षी उपाधीक्षक,

सी.बी.आई./एस.आई.सी.-2

कैम्प भिलाई,

बयान चन्द्र भूषण चौहान पिता त्रिभुवन सिंह चौहान जाति चौहान उमर 28 साल सा0 कुर्सीपार जोन 2 सड़क 36 क्वा0 नं0 3 एफ थाना छावनी जिला दुर्ग ।

मैं उपरोक्त पते पर परिवार के साथ बाप के साथ में रहता हूं और मूल निवासी ग्राम राजधानी पोस्ट राजधानी थाना गगहा जिला गोरखपुर उ0 प्र0 का है । गांव में बड़े भाई चंद्रकेश चौहान भाभी सुभद्रा चौहान मेरी पत्नी मंजू देवी चौहान गांव में है मेरे पिता त्रिभुवन सिंह ओएसपी में केमकोकन में क्रेन आपरेटर है । पहिले सिक्युरिटी में थे मेरा जन्म तिथि 5.10.1964 को है । भिलाई में पैदा हुआ है । मैं कक्षा दसवी तक इंटर कालेज हरही सोन बरसा गोरखपुर से 1981 में पास किया है । मेरी शादी गांव तिवारी जिला देवरिया में इंददेव की लड़की मंजूदेवी के साथ हुई है मेरे दो बच्चे हैं बड़ा लड़का राजकुमार 5 साल का है छोटा ढाई साल का गोलू है । मैं 2 भाई और एक बहिन है बड़ा भाई चन्द्रकेश गांव में है छोटा मैं हूं सुनो को मेरी बहिन इन्दू जो शादी होकर तुमराल ... भिलाई में मेरे पिताजी माता ... पदमा देवी रहते हैं सन 1982 में गांव से आने के बाद केडिया की छत्तीसगढ़ डिस्टलरी में गाड़ी में एक हेलपर का काम करता था मुझे वेतन 382/ 7/ भत्ता मिलता है टेन्कर एमपीटी, 9474, सीआईआर 8567 में डायवर अनथोनी संतोष दोनों टेंकर चलाते थे । पिछले अगस्त 1990 में पूरे मजदूरों ने संगठन बना लिया और पार्टी शंकर गुहा नियोगी के शामिल हो गया । पहिले कुछ मजदूर आर0बी0 सिंह के साथ थे उसमें भी कुछ जने टूटकर शंकर गुहा नियोगी के यूनियन में शामिल हो गये। मैनेजमेंट केडिया के द्वारा आठ मार्च एक नोटिस मिला कि गंभीर दुराचरण के फैक्टरी के प्रांगण में आने से रोका जा रहा है इनक्वारी पूरी होने तक उसमें लकोच ... मन बहादुर परमेश्वर यादव, और लोगों को यही नोटिस देकर केडिया ने काम से निकाल दिया फरवरी 1991 से वेतन देना बंद कर दिया है । तब से मैं शंकर गुहा नियोगी के यूनियन का कार्य मैं देखरेख करता हूं मेरे पास स्पार्क मोपेड नं0 सीआईडी 740 है जिसे ... नंदनी रोड ललना गैरज से खरीदा हूं मेरे पास में घर में पड़ी है । कागजात नहीं मिले हैं वर्तमान में छत्तीसगढ़ मुक्तिमोर्चा संगठन का कार्य देखरेख रहा हूं कोई वेतन नहीं लेता हूं । सन 1991 में 16 अप्रेल को छत्तीसगढ़ डिस्टलरी कुम्हारी को छत्तीसगढ़ मुक्तिमोर्चा के मजदूरों और पुलिस के साथ पथराव और लाठी चार्ज हुआ था जिसमें हमारे दीपचंद यादव, मनबहादुर आदि लोगों के खिलाफ को छत्तीसगढ़ डिस्टलरी के मेनेजमेंट ने ... किया था । सीएसपी श्री कैलाशसिंह साहब ने इन लोगों को ... पकड़ा किया और ... दिया था । मुकदमा कायम हो गया है और पेशी दुर्ग सिटी मजि0 श्री ... राम दुर्ग के यहां चल रही है । पेशी याद नहीं है तब से केडिया मेनेजमेंट की तरफ से कई मामलों में छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा के मजदूरों को जबरन फंसाया गया है । शंकर गुहा नियोगी के हुडको आफिस एमआईजी 2/273 में मजदूरों के साथ कई बार गया हूं और जहां रहते थे एमआईजी 1/55 का पता इन लोगों को नहीं मालूम था । केडिया की ओर से हमेशा दादा गिरी संतोष कुमार गुप्ता, जुबेर अहमद खान के कुछ लड़के भिलाई के हैं नामसनहीं जानता हूं । करीबन 8 माह पूर्व मैंने अन्य लोगों के साथ कुम्हारी पुलिस चौकी में जुबेर वगैरह के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराया था । यह लोग छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा का संगठन तोड़ने के यहां हमेशा दादागिरी किया करते थे दिनांक 27.9.91 को मैं अपने घर में था । रात खाना खाकर सोये थे 28.9.91 को 7.30 बजे भिलाई वायर का एक मजदूर आकर बताया कि नियोगी साहब को गोली लगी है और वह

Tk. S

....2 पर

अस्पताल में सेक्टर 9 में भर्ती है मैं उस बात को पता करने उसी मजदूर के साथ घासीदास नगर जाने के लिए बढ़ा उस समय रास्ते में राधाकांत एक दोस्त स्कूटर लिये खड़ा था चला उसके साथ में भी घासीदास छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा कार्यालय में गया तो वहां शंकर गुहा नियोगी की मृत्यु की घोषणा हो चुकी थी हम लोग मौन धारण करने के बाद बताया गया कि [illegible] दुर्ग चलो उसी स्कूटर से हम लोग दुर्ग गए 3 बजे एमआईजी 2/273 में [illegible] ठाकुर के नाम से बुलाई गई, जिसमें सूचना दी गई कि 5 बजे शाम शंकर गुहा नियोगी को दर्शनार्थ रखा जायेगा फिर हम लोग उनके शव के अंतिम दर्शन के बाद राजहरा गए और दूसरे दिन उनका अंतिम संस्कार हुआ शंकर गुहा नियोगी को किसने गोली मार दिया है मुझे कोई जानकारी नहीं है 14 सितंबर 1990 के झगड़ा के बाबत कोई जानकारी नहीं है सफेद [illegible] कार के बाबत भी मुझे कोई जानकारी नहीं है ।

सही / 11.10.91

सत्य प्रतिलिपि

बयान श्री चंद्रभाग चौहान पुत्र शिवबचन सिंह चौहान, उम्र 28 साल, निवासी खुर्सीपार जोन-2, सड़क नं0 36, क्वार्टर 1 एफ0, थाना छावनी, जिला दुर्ग ।

.... PW-110

मैं उक्त पते पर अपने माँ बाप के साथ रह रहा हूँ । मैं गाँव राजधानी, पोस्ट आफिस राजधानी, थाना गगहा, जिला गोरखपुर, उत्तर प्रदेश का मूल निवासी हूँ । मेरा बड़ा भाई अपने परिवार के साथ गाँव में ही रहता है । इस समय मेरा परिवार भी गाँव में ही है । मेरे पिताजी बी0एस0पी0 में क्रेन आपरेटर कोक-1 विभाग में कार्यरत हैं । मैं दसवीं कक्षा तक पढ़ा हूँ । मैं 1982 में गाँव से आया था और उसके बाद केडिया की छत्तीसगढ़ डिस्टलरी में गाड़ियों पर हेल्पर का काम करने लगा और हड़ताल से पहले मैं टैंकर का ड्राईवर था । मुझे 750 रुपए मासिक वेतन मिलता था । मेरे पास एक काइनेटिक स्पार्क मोपेड जिसका नंबर सी0आई0टी0 740 है, पिछले 4-5 साल से है और मैं इसी का इस्तेमाल करता हूँ और कभी कभी साईकल भी इस्तेमाल करता हूँ । छत्तीसगढ़ डिस्टलरी भिलाई में ही थी और 5-6 वर्ष पहले कुम्हारी में शिफ्ट हो गई है । छत्तीसगढ़ डिस्टलरी की जगह अब केडिया डिस्टलरी भिलाई में चल रही है ।

अगस्त 1990 में छत्तीसगढ़ डिस्टलरी के मजदूर एटक को छोड़कर नियोगी जी की यूनियन में शामिल हो गये । शुरू में मजदूर एटक में थे जिसके नेता रामबदन सिंह थे परन्तु बाद में लगभग सभी मजदूर एटक छोड़कर नियोगी जी की यूनियन में सम्मिलित हो गये । नियोगी की यूनियन में शामिल होने के बाद हम हड़ताल पर चले गए परन्तु दीवाली से पहले केडिया जी का नियोगी जी के साथ समझौता हो गया, उस समझौते के कारण दीवाली पर हमने फिर ड्यूटी ज्वाइन कर ली । इस वर्ष के शुरू में मुझे, अकील मोहम्मद, मन बहादुर, रामेश्वर यादव आदि लोगों को मैनेजमेंट की तरफ से एक नोटिस दिया गया जिसमें लिखा था कि हम सब को गंभीर दुराचरण के कारण डिस्टलरी के प्रांगण में आने से रोका जा रहा है जिसकी इन्क्वारी हो रही है, जब तक इन्क्वारी चल रही है तब तक हम लोग डिस्टलरी के प्रांगण में न आएं । हमें जनवरी 1991 तक का वेतन मिलता रहा । उसके बाद बंद कर दिया गया । फरवरी 1991 के बाद मैं नियोगी जी की यूनियन का सक्रिय कार्यकर्ता बन गया । 16 अप्रैल 1991 को केडिया डिस्टलरी के मजदूरों ने, जो छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा की यूनियन में थे, पुलिस पर पथराव किया और पुलिस ने लाठी चलाई । मैं और मेरे अन्य दोस्त वहाँ नहीं थे फिर भी केडिया ने मेरे व मेरे अन्य दोस्तों दीपचंद यादव, हरजीत सिंह, अकील मोहम्मद, रामेश्वर यादव व मन बहादुर सिंह आदि के खिलाफ एक केस बना दिया । मुझे उस केस में गिरफ्तार नहीं किया गया परन्तु अब मेरे व अन्य दोस्तों के ऊपर कोर्ट में मुकदमा चल रहा है ।

छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा यूनियन का सक्रिय कार्यकर्ता होने के नाते

.....2/..

मैं श्री शंकर गुहा नियोगी को जानता था और यूनियन के हुडको के आफिस एम०आई०जी० 2/273 में अक्सर जाया करता था । यूनियन के नियोगी जी के रहने के लिये हुडको में ही एम०आई०जी० 1/55 नंबर का मकान ले रखा था परन्तु वहाँ पर ड्राईवर या खास लोगों के अतिरिक्त किसी को नहीं जाने दिया जाता था । छत्तीसगढ़ डिस्टलरी के मजदूरों के ऊपर केडिया की ओर से संतोष गुप्ता और जुबेर अहमद खान मार पिटाई करवाते थे । फरवरी/मार्च 1991 में जुबेर की जीप में आए हुए कुछ लोगों ने 3-4 मजदूरों को रात के 8·30 बजे के करीब चाकू से घायल कर दिया था जिसकी रिपोर्ट कुम्हारी पुलिस चौकी में की गई थी । मेरी जानकारी के मुताबिक अभी तक उस केस में कोई कार्यवाई नहीं हुई है । संतोष कुमार गुप्ता व जुबेर अहमद ने छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा का संगठन तोड़ने के लिये हमेशा कोशिश की और बहुत दादागिरि की ।

नियोगी जी की हत्या से 20-25 दिन पहले मैं हुडको आफिस से साईकिल पर अपने घर जा रहा था । मेरे साथी दीपचंद यादव भी था । उस समय मैं कुर्ता पायजामा पहने हुये था । हम ज्ञान प्रकाश मिश्रा के घर के सामने से जा रहे थे । ज्ञान प्रकाश मिश्रा को हम अगस्त 1990 के शुरू हुये संघर्ष के दौरान अच्छी तरह जान गये थे क्योंकि अक्सर ज्ञान प्रकाश मिश्रा व उसके साथी हमारी रैलियों पर हमला करवाया करते थे । हुडको आफिस से मेरे घर जाने का रास्ता ज्ञान प्रकाश मिश्रा के घर के सामने से होकर ही जाता है । ज्ञान प्रकाश मिश्रा अपने घर के सामने ही कुछ और लोगों के साथ बातचीत कर रहे थे । भिलाई वायर्स में नया मजदूर यादव, जोकि वाचमैन की ड्यूटी कर रहे हैं, ने हमारी तरफ इशारा करते हुये ज्ञान प्रकाश मिश्रा को बताया कि हम नियोगी की यूनियन के सक्रिय कार्यकर्ता हैं । ज्ञान प्रकाश मिश्रा ने मेरा नाम पुकार कर मुझे रोका और अपनी भाषा में बात करते हुये कहा कि क्यों हड़ताल कर रहे हो, हड़ताल बंद करो और पैसे लेकर चले जाओ ।

मैंने उससे पूछा कि आप किस हैसियत से हमसे बात कर रहे हैं तो उसने कहा कि मैं उत्तर प्रदेश का ही रहने वाला हूँ और आपका हितैषी हूँ । मैंने ज्ञान प्रकाश मिश्रा से पूछा कि किन शर्तों पर हम हड़ताल तोड़ दें तो उसने कहा कि कि हम आपको नवाब शाह से कुछ पैसे दिला देंगे, इस पर मैंने उससे पूछा कि हम तो केडिया के मजदूर हैं नवाब शाह हमें क्यों पैसे देगा। इस पर ज्ञान प्रकाश मिश्रा ने कहा कि केडिया जी ने यूनियन को तोड़ने का काम नवाब शाह को सौंप रखा है । इसके कुछ दिनों बाद ज्ञान प्रकाश मिश्रा ने मुझे व दीपचंद को उसी वाचमैन यादव के द्वारा बुलाया परन्तु हम नहीं गये । मुझे याद नहीं कि मैंने ज्ञान प्रकाश मिश्रा के साथ हुई भेंट के बारे में किस किसको बताया परन्तु कुछ मजदूर साथियों को जरूर बताया होगा

28·9·91 को नियोगी जी की हत्या के बारे में मुझे सुबह 7·30 बजे

T.C.B

के करीब मजदूर भाईयों से पता चला था । मुझे विश्वास नहीं हुआ था और मैं पैदल ही घासीदास नगर आफिस की तरफ जा रहा था तो रास्ते में मेरा एक दोस्त रामाकांत स्कूटर पर जा रहा था, उसके स्कूटर पर बैठकर मैं घासीदास नगर आफिस गया तो वहाँ पर शोक मनाया जा रहा था । हम लोग कुछ देर तक मौन खड़े रहे [illegible] उसके बाद हमें बताया गया कि हम लोग हस्पताल पहुँचे जहाँ पर नियोगी जी का पोस्ट मार्टम होना है । जनकलाल ठाकुर ने हमें ये भी बताया कि दुर्ग की आफिस में मीटिंग होगी और 5 बजे नियोगी जी का शव अंतिम दर्शनों के लिये रखा जाएगा । हम दोनों स्कूटर पर हस्पताल गए और उसके बाद दुर्ग की आफिस में नियोगी जी के अंतिम दर्शन किये । मैं दूसरे दिन उनके अंतिम संस्कार में भाग लेने के लिये राजहरा भी गया ।

हम हड़ताल के शुरू के दिनों से ही फैक्ट्री के गेट पर शिफ्ट शुरू होने पर नारे लगाते हैं । नारे मालिकों के व प्रशासन के खिलाफ भी होते हैं क्योंकि संतोष गुप्ता आदि हमारी यूनियन को तोड़ने की कोशिश करते थे तो अक्सर नारे लगाए जाते थे जैसे (मालिकों के दलालों को मारो जूते सालों को) । नियोगी जी यूनियन की मांगों के सिलसिले में दिल्ली भी गए थे । दिल्ली से आने के बाद नियोगी जी ने कोई मीटिंग नहीं की थी परन्तु हमें पता चला था कि नियोगी जी ने कहा था कि 15 दिन के भीतर हमारी मांगों पर समझौता हो जाएगा । हमारी 2 अक्टूबर को सिविक सेंटर से एक बड़ी भारी रैली होने वाली थी, 15 दिन के अंदर मांगे पूरी न होने के कारण मजदूरों में काफी आक्रोश था । बहुतेरे मजदूरों का मत था कि अब हमें कड़े कदम उठाने पड़ेंगे जिसमें मिलों को बंद करना भी था ।

पढ़कर सुना व तसदीक किया ।

मेरे समक्ष

सत्य प्रतिलिपि

(बी०एस०ठाकुर)
डी०एस०पी०/सी०बी०आई०
एस०आई०सी०-2/नई दिल्ली
कैम्प भिलाई

सी·डब्ल्यू III

बयान श्री सुधाकर प्रसाद पुत्र श्री काली मेहता, उम्र 27 साल, निवासी, धर्मीदास नगर, भिलाई, मूल निवासी ग्राम देवघाट पोस्ट भटनी थाना भटनी, जिला देवरिया।

मैं दिसम्बर ... से फिटर के पद पर सिम्पलेक्स यूनिट -2 (उरला) में काम कर रहा हूं। मैं 3 जून 1990 में छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा का सदस्य बना था। बाद में जब प्रगतिशील इंजीनियरिंग श्रमिक संघ का गठन किया गया तो मैं उसका सदस्य बन गया। मेरे सभी साथी इस संगठन के सदस्य बन गये थे, मेरे फैक्टरी में 50 के करीब मजदूर काम करते हैं। पिछले साल जल सप्लाई वाले लोगों को कम्पनी वाले निकालने लगे तो उनको लेकर हम 10-11 लोग श्री मूलचंद शाह के पास गये तो उन्होंने कुछ भी सुनने से इंकार किया। 17/9/90 को छ.मु.मो. यूनियन के श्री नियोगी के नेतृत्व में एक रैली निकाली थी, रैली को ए.सी.सी. चौक सिम्पलेक्स चौक होकर हाउसिंग बोर्ड जाना था कुछ लोग पीछे रह गये तो उनके साथ ज्ञान प्रकाश मिश्रा के लोगों ने मारपीट की। मैं ज्ञान प्रकाश मिश्रा को पहले से जानता हूं अक्टूबर नवम्बर 1990 में मैं प्रगतिशील इंजीनियरिंग श्रमिक संघ की ओर से मांग पत्र लेकर श्री अरविंद शाह के पास गया था। उन्होंने मांग पत्र लेने से इंकार कर दिया। इसके बाद हम सब मुखिया लोग सब श्री मूलचंद शाह व अरविंद शाह को मिलने गये तो उन्होंने कहा कि लाल हरा झंडा यूनियन को छोड़ो, अपनी कम्पनी की यूनियन बनाओ उसके लिये हमीं फण्ड दे देंगे। और मांगों पर भी विचार करेंगे। मैंने कहा कि मांग पत्र आप रिसीव करेंगे या नहीं तो मूलचंद शाह ने मना किया तथा कहा कि चाहे फैक्टरी बंद करनी पड़े मैं लाल हरा झंडा यूनियन से बात नहीं करेंगे। 2 दिसम्बर 1990 को बाहर से 5-6 लोग कम्पनी में आये थे और मुखिया लोगों की पिटाई किया था इस मारपीट में श्री गोपचंद हिरवानी, नवीन सिंह को चोट आई थी, हमने थाने में रिपोर्ट की थी परन्तु उस रिपोर्ट पर हमारे ऊपर उल्टा केस बनाया

गया बातचीत ठेकेदार के साथ में हुई थी, और राम कुमार जैन जी•एम•भी मौजूद थे ।

22/12/90 को जब हम लोग ड्यूटी पर गये तो मुड़िया लोगों को मुड़िया को अलग कर दिया गया और कहा कि टर्मिनेट कर दिया है बाहर चले जाओ, बाकी लोगों को गेट के अंदर आफिस ले गये और उन्हें एक कागज पर दस्तखत करने के लिये सबको अलग अलग से कहा, । उस कागज पर लिखा था, कि नियोगी की यूनियन से हमारा कोई लेना देना नहीं है और कंपनी जैसा भी कहेगी वैसा ही काम करना होगा, डर कर 50/60 लोगों ने दस्तखत किया जिन लोगों ने दस्तखत नहीं किया, उनको बाहर निकाल दिया गया ।

सिम्पलेक्स यूनिट-2 से निकाले हुये मजदूरों की मैंने लिस्ट बनाई थी, आज आपने मुझे एक लिस्ट प्रगतिशील इंजीनियरिंग श्रमिक संघ की ओर से क्रमांक 1 से 207 तक दस्तखत की हुई दिखाई है । यह लिस्ट मेरे द्वारा बनाई गई लिस्ट की टाइप कापी है इस लिस्ट में क्रमांक 70 से 88 तक उन लोगों के नाम है जो मेरे साथ उसी ठेकेदार के अंडर काम करते थे । 25 Sept 1991 को मेरे साथी राम आसरे, जो कि ज्ञान प्रकाश मिश्रा के घर के पास ही रहते है, ने बताया कि उसे ज्ञान प्रकाश मिश्रा ने पिछली रात को बुलाया था, और कहा था कि 4 दिन के अंदर अंदर ड्यूटी पर चले जाओ नहीं तो मुसीबत होगी ।। उसने ये भी बताया था कि कोंडिया के कुछ लोग ज्ञान प्रकाश मिश्रा के द्वारा बात कर रहे है । उसने मुझे भी नियोगी जी से मिलने के लिये तथा बातचीत करने के लिये भी कहा था, मैं नियोगी जी को 26/9/91 को 12-1 बजे दुर्ग आफिस में मिला था, और उनको उपरलिखित जानकारी दी थी, । नियोगी जी ने कहा था कि धमकी देते रहेंगे, डरो नहीं परन्तु सतर्क रहा करो और चार-पांच लोग इकट्ठे रहा करो, ।

पढ़कर सुनाया, सही पाया ।

मेरे समक्ष
हस्ता/सही
(बी.एस. कंवर)
आरक्षी उपाधीक्षक,
सी.बी.आई./एस.आई.सी.-2, कैम्प भिलाई.

//सत्य प्रतिलिपि//

D-112

PW 98
30-1-96

31.12.91
BHILAI

Statement of Shri Ketan Shah S/o Shri Moolchand Shah, Manager, Simplex Castings Ltd., 5, Light Industrial Area, Nandini Road, Bhilai (MP) r/o Simplex Colony, G.E. Road, Durg (M.P.).

******

I did my B.E. in the year 1987 from Madhav Institute of Technology and Science, Gwalior (MP). For two years i.e. till Aug.89, I was working in the Project Division of Simplex Engineering and Foundary Works Ltd., 65, Light Industrial Area, Nandini Road, Durg MP). In Aug.1989, I went to U.S.A. to pursue my further studies as an M.B.A. I passed MBA from Univeersity of Florida at Gainesvile in the year 1991 and returned to India on 21 & 22nd of Aug.1991. As soon as I came back to India, I joined Simplex Castings Ltd. as Manager.

From Durg I visited Bombay on 3.12.91. My father also visited Bombay on 5.12.91 in order to attend his nephew's marriage. My father was suffering from stomach pains for the last four five months. He was under the treatment of Dr. Sharma of Chhattisgarh Hospital, Bhilai. Due to his stomach problem, my father has lost approximately 14 kgs of weight. Because this much of weight loss, my-self and my elder sister Smt. Jayshree Haria W/o Sanjeev Haria r/o Sion, Bombay persuaded my father to go in for a complete check-up. My father was admitted in Hinduja Hospital, Bombay on 8 or 9th December,1991 and was daignosed with peptic duodenal ulcer and he was asked to be in Bombay for a period of two to three weeks for observation. Around 12.12.91 I got a message at Bombay over telephone that CBI had come up with a 160 Cr.P.C. notice requesting my father's presence at Bhilai. I met my father in Hospital and told him about 160 Cr.P.C. notice of CBI. Since I was starting for Bhilai on 13.12.91, he gave me a hand written letter dt. 13.12.91, addressed to the officer-in-charge, CBI team, Camp-Bhilai and asked me to

Ex P
(00261)

deliver the same to CBI, Bhilai. I took evening flight to Raipur but delivered the aforesaid letter on 17.12.91. My father had given this contact address at Bombay so that he could be contacted for any enquiry at the said address. The letter was written in hand by him and he has signed it.

A draft letter addressed to Hon'ble Kailash Chawla, Hon. Minister, Govt. of M.P., Bhopal which is not complete is before me. The subject of the aforesaid letter had been mentioned as 'Labour unrest created at Industrial Estate Bhilai'. This draft which is incomplete is in hand-writing of my father, Shri Moolchand Shah which I identify and verify.

RO&AC.

Before me,

Sd/-
(B.N.P.AZAD) 31.12.91
DSP/CBI/SIC.II/NEW DELHI.
(AT BHILAI)

T.C. [signature]

Pw - 113

<u>बयान</u>

डॉ० देवीदास पुत्र प्रीतमदास सिंधी उम्र 45 साल, सा० रामनगर प्रकाशक "भिलाई टाइम्स" - भिलाई ।

. . . .

मैं ओनर प्रकाशक एवं प्रधान संपादक भिलाई टाइम्स का हूँ । मैंने आपके द्वारा दिखलाया "भिलाई टाइम्स पेपर" दिनांक 30 अप्रैल 1991 का पृष्ठ एक अंक 71 वर्ष तीन को देखा । इसमें जो पृष्ठ एक में शुरू में जो खबर " नियोगी जी की हत्या का षड़यंत्र रचा था" शाह ने "चन्द्रकांत शाह के विदेश प्रवास का राज क्या है", छपा है को मैंने देखा व पढ़ा । इस खबर में जो अंतर्देशीय पत्र का उल्लेख है उसमें लिखित जानकारी हूबहू छापी गई थी। खबर में जो पत्र का उल्लेख है उसकी फोटो कापी मुझे श्री नियोगी जी के द्वारा दिनांक 30.4.91 के सुबह मेरे आफिस में मुझे दी थी । [illegible] जो मैंने उसे उसी दिन प्रकाशित कर दी थी । पेपर पर जो हिन्दी में "सिम्पलेक्स कास्टिंग इंजीनियरिंग वर्क्स लाईट इन्डस्ट्रीज एरिया भिलाई म०प्र०" वाली स्याही से डाटपेन से हिन्दी में है वह भिलाई टाइम्स के आफिस सेक्रेटरी मैडम क्रिस्टीना कुमार की लिखावट है मैं उनकी लिखावट अच्छी तरह पहचानता हूँ । यही मेरा बयान है पढ़कर सुना ठीक है ।

सत्य प्रतिलिपि

सही/-
23.10.91
उप पुलिस अधी०
कैम्प-भिलाई

T.C.

PW-114

26.12.91

Statement of Shri Amit Bose, Editor, Bhilai Times, Ramnagar, Bhilai.

******

On being asked I state that I am as above since 1981. The said newspaper is managed by Dr. Devi Dass who is also the Chief Editor.

Today you have shown me the Bhilai Times dated 30.4.91 bearing the address of Simplex Casting Engineering Light Industries Area, Bhilai, MP. The said address has been written in the handwriting of Madan Christina Kumar of our office and I identify her handwriting as I have ~~k~~ seen her writing & signing. Madan Christina Kumar is PA to our Chief Editor, Dr. Devi Dass. The said newspaper has been posted from Ramnagar Post-office as usual. Since ours is a registered Newspaper so it get concession in postage, that is why said newspaper bears the 15 paisa postage. The address of Simplex Casting & Engineering Works, Light Industries Area, Bhilai, MP is on our mailing list and from the said list Madan Christina Kumar noted down the address and sent the same to Ramnagar Post-office for its delivery.

RO&AC.

Before me,

Sd/-
(SHAMSHER)
Inspr./CBI/SIC.II/New Delhi.
Camp : Bhilai.

T.C. 247/2

PW-115

बयान

श्रीमती किरटना कुमार पत्नी यूनुस कुमार 38 साल साकिन नन्दानगर कैम्प । भिलाई हाल भिलाई टाइम्स रामनगर भिलाई,

--00--

मैं दिसम्बर 1988 से भिलाई टाइम्स में आफिस सेक्रेटरी के पद पर कार्यरत हूँ । मैं इंटर पास पढ़ी हूँ । मुझे 1000/- रुपये तनखा मिलती है । मैंने भिलाई टाइम्स [illegible] दिनांक 30 अप्रैल 1991 का पेपर आपके दिखाने पर देखा इस पेपर के ऊपर पृष्ठ एक में जो हिन्दी में सिम्पलेक्स कास्टिंग इंजीनियरिंग वर्क्स लाइट इंडस्ट्रीज एरिया भिलाई म.प्र. नीली स्याही के डाट पेन से लिखा है यह हिन्दी की लिखावट मेरी है । इस पेपर में 15 नये पैसे की टिकट लगी है ।, जिस पर पोस्ट आफिस की सील है । डाक पंजीयन क्रमांक 22/2जी दुर्ग/29 म.प्र. हमारा पोस्टल रजि० नंबर है । इससे यह 15 पैसे की टिकट लगाकर डिस्पैच किया गया था । सिम्पलेक्स कास्टिंग इंजीनियरिंग वर्क्स लाइट इंडस्ट्रीज एरिया भिलाई को यह पेपर हमारे डिस्पैच रजिस्टर जिसमें हमारे ग्राहकों एवं पाठकों के पते लिखे है, इसके आधार पर रोज पेपर भेजे जाते थे इसी आधार पर मैंने यह पेपर दिनांक 30 अप्रैल का उसके दूसरे दिन डिस्पैच किया था डिस्पैच रजिस्टर के अनुसार क्रमांक 38 पर सिम्पलेक्स कास्टिंग इन्जीनियरिंग का पता दर्ज है और इसी के अनुसार यह पेपर भेजा गया था, । पृष्ठ क्रमांक 38 के अनुसार इस वर्ष 1/1/91 से अभी तक नियमित पेपर सिम्पलेक्स इंजीनियरिंग को भेजा जा रहा है डिस्पैच रजिस्टर की फोटो स्टेट कापी करवाकर पेश करूंगी । यही मेरा बयान है , पढ़कर सुना ठीक है ।

//सत्य प्रतिलिपि//

सही/-

दि. 25/10/91

TC

D-116

26.12.91

Statement of Shri K.T.Pathak, Sub-Post Master, Sub-Post Office, Ramnagar, Supela, Bhilai.

******

On being asked I state that I am as above since 1988.

Today you have shown me Bhilai Times Newspaper dated 30th April,1991 bearing the registration No. 50221/89. The said newspaper is affixed with a 15 paisa postage stamp which is duly de-faced by the rubber stamp of our said post-office. Since this newspaper has ~~to~~ no a registration no. so it can be posted at a concessional rate i.e. only 15 paisa postage required. As per requirement, the said Newspaper comes in our post office for delivering the same to its destination. The said newspaper bear the address Simplex Casting Engineering Works, Light Industries Area, Bhilai, M.P. and as such it was sent to R.M.S., Durg for its onward despatch to the delivery post-office.

ROSAC.

Before me,

Sd/-
(SHAMSHER)
Inspr./CBI/SIC.II/New Delhi.
Camp : Bhilai.

T.C. 2H

PW-117

26.12.91

Statement of Shri C.P.Radhakrishnan, Sub-Post Master, Sub Post Office, Industrial Estate, Bhilai.

******

On being asked I state that I am as above. Today you have shown me Bhilai Times Newspaper dated 30.4.91 bearing the address Simplex Casting Engineering Works, Light Industrial Area, Bhilai, M.P. bearing a postage stamp of 15 paise. The said newspaper was collected by a messenger of Simplex Engineering Works, Nandini Road, Bhilai because, mail relating to said factory is collected by the messenger. Since Simplex Casting is the sister concern of Simplex Engineering so the said Newspaper was collected by Simplex Engineering only.

RO&AC.

Before me,

Sd/-
(SHAMSHER)
Inspr./CBI/SIC.II/New Delhi.
Camp : Bhilai.

T.C. [signature]

PW दि. 30-1-96

PW (1) Suresh विश्वकर्मा S.No. 147

PW 97 — 30-1-96

[illegible]

X गोरखपुर ... [illegible] 29-30 ...

... 4000 ...

X Tiwary for Paltan

(2) PW 98 — S.N. 112 — 30-1-96 — Ketan Shah S/o Moolchand Shah Manager Simplex Casting Ltd. Letter & documents proved.

(3) PW 99 — S.N. 112 — 30-1-96 — X By Shri Rajendrasingh

(3) PW 99 — 0248 — 96 — Yogesh Relating to documents — Administrative Officer of Simplex Bhilai on Letter dt 13-12-91

(6) PW 102 — S.N. 189 — 30/1/96 — [illegible] Service ... 1500/ ... 500/- ...

(7) PW 103 — S.N. 118 — 30/1/96 — [illegible]

राधेश्याम यादव S.I.
इंट मुहमुंशी
पहचान किया

Yadav

समाचार पत्र Paper News
[illegible]

PW 103 30/1/96 Hoshk

पी डब्ल्यू 118

बयान कोदूराम व0 मोलाल उम्र 31 साल सा0 मकान नं0 665 सामने सेंट्रल गवर्नमेंट स्कूल बाल्ड टाउन थाना जिला भिलाई ।

मैं उपरोक्त हूं और पिछले 17-18 साल से सुरज सेठ के यहां काम करता हूं । करीब दो साल पहले 89 के दिपावली के समय से सुरज सेठ के कहने पर मैं चंद्रकांत साहब के घर पर काम कर रहा हूं उनके घर पर मेरा काम है सुबह शाम कुत्ते को खाना खिलाना व घुमाना व उनके साफ सफाई देखरेख और सुबह शाम दूध चन्द्रकांत साहब के घार पर पहुंचाना ।

मेरे अलावा चंद्रकांत के घार पर जोबन नाम का एक लड़का भी जाता है जो कि मेरे ही साथ सुरज सेठ के खेत पर काम करता है जोबन का काम है कुत्ते को सुबह घुमाना वह सुरज सेठ के ही खेत पर एक झोपडी में रहता है इस खेतमें दो कमरों का एक मकान भी है जिसमें इमामुद्दीन उर्फ बाबा रहता है चन्द्रकांत साहब के घार पर दो उड़ियाइने भी काम करती है एक का नाम है ममता बाई और दूसरी का नाम है बसती बाई ।

मैं हर दिन सुबह लगभग 6-630 बजे चन्द्रकांत साहब के घार दूध पहुंचाता हूं इसके बाद कुत्ते को खाना खिलाता हूं और घुमाता हूं 7.30-8.00 बजे तक वापस चला जाता हूं शाम को भी दूध पहुंचाता हूं और कुत्ते को खाना देता हूं मैंने ज्ञान प्रकाश को जिसको मैं अच्छी तरहसे जानता हूं, कई बार चन्द्रकांत साहब के घार आते जाते देखा है दि0 28.9.91 के सुबह शंकर गुहा नियोगी जो किएक मजदूर नेता थे कि हत्या कर दी गई है, ऐसा हमने सुना था उस दिन सुबह जब मैं गया तो रेनू मेम साहब तथा चंद्रकांत साहब घर पर ही थे जब मैं कुत्ते को खाना खिलाने गया तो ज्ञानप्रकाश आया चंद्रकांत साहब घर के बरामदे में ज्ञानप्रकाशके साथ बैठे और हमने चंद्रकांत के हाथ में पचास-2 के नोटों की एक गड्डी (बंडल) देखा था जिसको उसने ज्ञान प्रकाश को दिया था ।

इसके बाद दि0 3.10.91 को सुबह हमको चंद्रकांत साहब अपने घर पर दिया था। रात को जब हम उनके कुत्ते को खाना देने गये तो चंद्रकांत साहब ने हमसे कहा कि महादेव ड्रायवर को इस खेत वाला मकान दिखला दे और टेम्पो ट्रेलर को इस वहीं खड़ी करवा दें मैं साइकिल से आगे आगे चलकर खेत वाले मकान पर गऐ और पिछे-2 महादेव गाड़ी ले आया गाड़ी खड़ी करने के बाद हम लोग हमारे ही साइकिलसे वापस चंद्रकांत के घर पर आए घर पर ताला लगा हुआ था हमलोग सड़क पर आ गए वहां हमने चंद्रकांत को चाबी दे दिया उसके बाद हम अपने-2 घर चले गये ।

रात को करीब 9.30 बजे हमको इमामुद्दीन बुलाने के लिए घर पर आया और कहा कि हमको चंद्रकांत साहब खेत पर बुला रहे हैं वहां पर फियट कार खड़ी थी चंद्रकांत साहब ने कहा कि हमको कल सुबह महादेव ड्रायवर ने अगर खड़ी करवा देना हमने हां कर दिया और अपने घर सोने चले गये ।

... 2 पर

PW - 113

/////2/////

दिनांक 4.10.91 को सुबह जब मैं शोरूम पर पहुंचा तो वहां टेम्पो ट्रेवलर नहीं थी जब मैं 9.30 बजे चंद्रकांत के घर पर पहुंचा तो घर पर ताला लगा हुआ था और काम करने वाली ने बाहर ही खड़ी थी। महादेव भी जब आया तो हमने उसको किराए खाली करने को मना कहा और शाम को बुलाया क्योंकि गैरेज की चाबी इसको सूरज सेठ ने देनी थी।

इसके बाद शाम को करीब 6.30 बजे महादेव आया और गाड़ी को हमने गैरेज में खड़ी करवा दी। महादेव ने कहकर हमने हर दरवाजे और डिग्गी को बंद करवा लिया। गैरेज की चाबी हमने सूरज सेठ को दे दिया और गाड़ी की चाबी टेम्पो स्टैंड को बाद में दे दिया था।

जैसा कहा वैसा ही लिखा।

मेरे समक्ष

ह0/24.10.91

(के0भट्टाचार्य)

एस.आई. सीबीआई/जबलपुर.

सत्यप्रतिलिपि

P10 26
24.3.94

PW-119

BHILAI
5.12.91

Statement of Shri K.S.Bhatia S/o Shri Inderjit Singh Bhatia, Age 36 yrs. r/o Q.No.11-Q, Avenue 'D' Opposite Agarsen Bhawan, Sector VI, Bhilai & Permanent Address Dayalband Buri Khar Ki Gali, Bilaspur (MP).

******

I am M.Com. I started my career in Bilaspur-Raipur Kshetriya Grammin Bank in 1977. I was suspended in 1984 and finally left the job in 1988. In 1986, I joined Singh Enterprises, Sector-I Bhilai and left the job in Dec.1989. Since Jan.1990, I am doing part time job of Accountant. I am working as a part time Accountant of M/s. Oswal Iron & Steel Pvt. Ltd., 33-B, Industrial Estate, Bhilai since Jan.1990. I am getting Rs.1500/- P.M. This firm was registered in 1988 but started business in Jan.1990. This firm undertakes the job of steel processing which includes cutting, breaking, twisting and straightening etc. For this purpose company have machines like, drop hammer, shearing machine and twisting machine. Breaking of steel is also done manually. The main customers of the firm are Simplex Castings Ltd. and Bhilai Engg. Corporation Ltd. Normally breaking charges varies from Rs.125/- to Rs.150/- per ton.

The firm is of Sh. Chandra Kant Shah. Shri Rajesh Shah is the Manager. Other employees working in the office are Sh. Trilok Nath Pandit as Office Supervisor, Ms.Merry, Accounts Clerk, Ms.Achhma Clerk-cum-typist and Chowkidar. Uptill last financial year ending 31.3.91, the work is to be given to contractor who were employing labourers, Hammer operator etc. for the last. But from April 1991, all the employees are on our rolls i.e. working is got done directly and not through contractor. Earlier payments were made to the contractor who was raising bills on the firm for the charges. Now all the employees

 PW - 119

are paid on salary sheet. As Accountant my job is to supervise the preparation of subsidiary records, bill and challan etc. and I personally write Cash Book, Ledger, attend to sales tax work, getting the account audited and prepare final account.

I have today produced Job Work Register of Oswal Iron & Steel Pvt. Ltd. for the year 1990-91 and 1991-92. These registers are based on bills raised for the work, challan forwarding the processed material to the parties. There is a column for Nature of job in this register but the same is not filled in all cases presently. This register is prepared by the clerks who work in office. I also sometime make entries in this when the clerks are busy. Ledger Folio is entered by me personally at the time of making entries in the ledger but sometime I take the help of other clerks too.

I have seen the Job work Register for 1990-91. All the entries on page 1 to 3 in the handwriting of Sh. Subramaniam Clerk in the office except the Col. Nature of Job which is in the handwriting of Shri. Ashok Bhai, the then Manager which I identify. All the entries on page 4 & 5 are in the handwriting of Sh. Ashok Bhai. The entries on page 6 & 7 (upto Bill No.88) are in the handwriting of Sh. Rao the then clerk except nature of job which is in the handwriting of the Ashok Bhai. The entries on page 7 & 8 from Bill No.89 to 115 except for Bill No.98 are in my handwriting. Entries in the register upto Dec. 1990 are in the handwriting of Ms. Merry. The entries for the month of Jan.91 to March 1991 are also in the handwriting of Ms. Merry except entries of Bill No.166 to 180 & 184 which are in the handwriting of Shri Victor, the then clerk. I do not know as to whether S/Shri Ashok Bhai, Victor, Subramanian & Rao are working at present.

TCB

 PW-119

The Job Work Register for the year 1991-92 of Oswal Iron & Steel Pvt. Ltd. is maintained in the handwriting of Ms. Merry except a few entries in Ledger Folio which are in my hand. Upto 25.11.91, the firm had raised 44 bills out of them 39 are in Simplex Castings Ltd., Bhilai and the rest firms are Pragatisheel Engg. Works, Baxi Enterprises, Hari Ram Aggarwal, Sharma Steels & General Engg. Works.

I have seen Shri Chandra Kant Shah writing and signing and had also been receiving papers written and signed by him, as such I am conversant with the writing and signature. Today I have been shown the following documents written in Hindi and English and identify them to be in the handwriting of Sh. Chandra Kant Shah and some bears his signatures too :-

(i) Writing on the inside of the cover of Blue Bells Knitwear box.

(ii) Diwali greeting card addressed to Master Karan and on its envelope.

(iii) Diwali Greeting Card addressed to Sh. Kamla Kant Shukla and on its envelope.

(iv) Diwali Greeting Card from Pappu to Sonu & Baboon.

(v) Diwali Greeting Card from C.K. Shah to Renu.

Sd/-
(B. S. KANWAR) 5.12.91
DSP/CBI/SIC.II/NEW DELHI.

T.C.

[signature]

पी.डब्ल्यू 120

कथन

त्रिलोक नाथ पंडित आत्मज स्व. श्री दयाराम पंडित ब्राम्हण उम्र 58 साल, निवासी बारामुला कॉलोनी मकान नं. 103 वार्ड नं. 9 जिला बारामुला कश्मीर हाल 122 एल./सी.डी.जी. आउटिंग रोड थाना जामुल जिला दुर्ग (म.प्र.)

--00--

मैं आउटिंग रोड जामुल में रहता हूं भोपवाल आयरन एण्ड स्टील कम्पनी इन्डस्ट्रीयल एरिया जामुल में आफिस क्लर्क के पद पर कार्य करता हूं फरवरी 1991 से काम कर रहा हूं मैं कश्मीर में कुपवाडा बी.आर./पी. डिवीजन पी.डब्ल्यू.डी. से अक्टूबर 1990 में रिटायर्ड होकर अपने लड़के विनोद पंडित जो खण्डेलवाल कम्पनी में सेल्स एक्जिक्यूटिव के पद पर कार्य करता है के पास आकर नौकरी की तलाश किया तब कई फेक्टरी में पूछा, तब भोपवाल कम्पनी में चन्द्रकांत शाह से मिला जिन्होने मुझे क्लर्क के पद पर रख लिया, तब से भोपवाल कम्पनी में काम कर रहा हूं मुझे 1500/- रु माहवार वेतन मिलता है भोपवाल कम्पनी में मैनेजर राकेश शाह है जो फेक्टरी का काम देखते है सुपरवाइजर एस.पी. पाल है एकाउंटेंट के.एल. भाटिया है अन्य क्लर्क मिश्रा जी तथा श्री मती शर्मा है चन्द्रकांत शाह की भोपवाल स्टील कम्पनी नन्दिनी रोड करीब 3-4 माह से बंद है दूसरी फेक्टरी भोपवाल आयरन इन्डस्ट्रीयल स्टेट में आफिस स्टाफ बैठता है जो दो हिस्से है जिसमें एक रोलिंग डिवीजन में है दूसरा बंद है। एम. एस. शेयरिंग मशीन प्लेट कटिंग की है चन्द्रकांत शाह फेक्टरी में हमेशा आते थे जो करीब डेढ माह से बिलकुल नहीं आ रहे है फेक्टरी में ज्यादातर माल रिजेक्टेड फाउड़ी का तोडने के लिये सिम्पलेक्स कास्टिंग से आता था जो माल कम आता है इसलिये फेक्टरी में काम बंद है। भोपवाल स्टील तथा भोपवाल आयरन दोनो कम्पनी में सिर्फ रोलिंग का काम होता है।

//सत्यप्रतिलिपि//

हस्ता/सही,

27/10/91

Statement of Sh.Trilok Nath Pandit s/o Sh.Daya Ram age-58 yrs Office Clerk, Oswal Iron & Steel Pvt.Ltd., 33-B, Light Industrial Area, Bhilai. House Add.LIC, 1122, Housing Board, Bhilai.

PW-120

....

I am working here as above since Feb.91. I am well conversant with the handwriting and signature of Shri Chandra Kant Shah, who is director of this factory as almost every day, I came across with it.

In the leave application of Sh.Shekar dt.19.9.91 and letter dt.6.2.91 addressed to Sr.Manager SAIL which have been seized from me. I identify the writings in Hindi and signature in English of Shri Chandrakant Shah respectively. I have encircled the writing and signature of Sh.Chandrakant Shah with blue pencil after identifying the same.

RO&AC

Sd/-(R.K.Shukla) 28/11/91
Inspr. of Police CBI
~~Jabalpur~~ Camp;Bhilai.

05.12.91
BHILAI

Further statement of Shri Triloknath Pandit S/o Late Shri Dayaram Pandit r/o LIG-1122, Housing Board Colony, P.O. Jamul, Bhilai(MP) P/A - Baramulla Town, House No.103, Kamil Bagh Ward No.9, Baramulla(J&K).

******

I am working as office clerk in Oswal Iron and Steel Industries, Bhilai since February 1991. This Industry belongs to Shri Chandrakant Shah. I have seen him writing and signing and as such I am conversant with his writing and signatures.

The writings 00977 Si 22056 [illegible] on a paper piece is in the handwriting of Shri Chandrakant Shah.

The writing "06154-2776 [illegible] on the backside of visiting card of Chandrakant R. Shah is in the handwriting of Shri Chandrakant Shah.

The writing on backside of the visiting card of Rabindra Shrestha are in the handwriting of Chandrakant Shah.

The signature of guest on cash/credit memo Nos.006612,006613, 004080, 004087, 006646 and 006648 of Hotel Yellow Pagoda, Kantipath, Kathmandu are that of Chandrakant Shah.

Letter dt. 23.9.79 addressed to Renu written in Hindi is in the handwriting of Shri Chandrakant Shah.

Draft in Hindi relating to proposed housing scheme in Chandra Vihar Model Town, Bhilai is also in the handwriting of Shri Chandrakant Shah.

Letter written in Hindi in red ink addressed to Rameshbhai is in the handwriting of Chandrakant Shah and it bears signature of Chandrakant Shah in English with date 15.6.87.

Letter dt. 11.6.91 in English bears signatures of Chandra Kant Shah in English.

Draft in Hindi addressed to [illegible] जैन शाह एण्डकम्पनी प्रकाश गंगा मेला [illegible] [illegible] is in the handwriting of Chandrakant Shah.

Draft in Hindi addressed to जैन शाह एण्ड कम्पनी, 108 प्रकाशगंगा मेला [illegible] [illegible] is in the handwriting of Chandrakant Shah.

Draft in Hindi regarding proposed residential scheme "Chandra Vihar" is also in the handwriting of Chandrakant Shah.

State Bank of India, Exchange Bureau, Bombay letter regarding sale of Foreign currency to Shri C.R.Shah on 28.4.91 bears signatures of ChandrakantR.Shah in English.

Chit showing Hindi writings डा. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] July to 18 July के [illegible] [illegible] [illegible] दूं. and English writing MIR 227 Jeep, MPT 7971 Jeep is before me. The english writings MIR 227 Fiat, MPT 7971 Jeep are in the handwriting of Shri Chandra Kant Shah.

A paper chit having Hindi handwriting एच.एन. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]. is before me. These writings are in the handwriting of Chandrakant Shah.

RO&AC.

Before me,

Sd/-
(B.N.P. AZAD) 5.12.91
DSP/CBI/SIC.II/NEW DELHI.

T.C.

कथन   FW - 121

अतुलचंद पाल आत्मज रमेश चंद्र पाल कायस्थ उम्र 45 साल निवासी, सेक्टर 6 सड़क 24 क्वार्टर नं. 4/बार थाना भिलाईनगर, ।

---00---

मै सेक्टर 6 में किराये के क्वार्टर पर रहता हूं । वर्ष 1965 से 1967 तक बी.एस.पी. में फिटर के पद पर कार्य करता था, । छटनी होने पर 1967 में बी.एस.पी. छोड़कर पुरानी गाड़ी की ठेकेदारी में काम करता था । 1984 तक काम किया । 1984 में यूटे चंद्रकांत शाह भिलाई फाउन्ड्री में सिम्पलेक्स का माल, एस.बी.आई.एम. कास्ट आयरन को तुलवाने के लिये आते थे, जिनसे पहचान हुई तब चंद्रकांत शाह ने मुझसे कहा कि मै भी हेमर मशीन डाल रहा हूं तुम मेरे पास काम करो, तुम्हे ज्यादा वेतन दूंगा, । तब 1984/85 में मैने भिलाई फाउंड्री से काम छोड़कर चंद्रकांत शाह की ओसवाल स्टील नन्दनी रोड में मेकेनिकल सुपरवाइजर के पद पर काम करने लगा जिसमें मुझे 2000/- रुपये माहवार देने लगे । ओसवाल स्टील में दो हेमर मशीन थी, जिसमें सिम्पलेक्स कास्टिंग डायरेक्ट, बी.एस.पी. से कास्ट आयरन, एस.बी. आई.एम. खरीदते थे, जो तुड़वाने के लिये सीधे ओसवाल स्टील में भेज देते थे, जिसे तोड़कर सिम्पलेक्स कास्टिंग को भेज देते थे, उस समय ओसवाल, स्टील में 30 लेबर काम करते थे, करीब 3 साल पहले इन्डस्ट्रियल स्टेट में 3 एकड़ का प्लाट खरीदा था, जिसमें दो हेमर लगाये और एक शेयरिंग मशीन डाले, सिम्पलेक्स कास्टिंग से ए.बी.आई.एम. कास्ट आयरन नहीं मिलने से ओसवाल स्टील नंदनी रोड को करीब 4 महीने पहले बंद कर दिए और ओसवाल आयरन को चालू किये जिसमें छोटी मोटी पार्टी जनरल इंजीनियरिंग कास्टिंग सिम्पलेक्स कास्टिंग का थोड़ा काम आने से एक हेमर चल रहा है, चंद्रकांत शाह हमेशा आते रहते थे, अभी करीब डेढ माह से फैक्ट्री नहीं आ रहे है । ओसवाल आयरन में मेनेजर राजेश शाह एकाउंटेंट भाटिया त्रिलोकनाथ पंडित, मेरी आत्मा काम करते है । फैक्ट्री में चौकीदार मेद सिंग है । हेमर मशीन डी.टी आपरेटर राजेन्द्र, असीम, कृष्णा है ।

//सत्यप्रतिलिपि//   हस्ता/सही,
                                                          27/10/91

TC
S.

21.12.91

बयान श्री अतुल चन्द्र पाल पुत्र रमेश चन्द्र पाल, उम्र करीब 45 साल, निवासी सड़क नं0 24, क्वा0 नं0 4-आर, सेक्टर 6, भिलाई ।

PW-121

......

बयान करता हूं कि मैं उपरोक्त क्वार्टर में किराये पर रहता हूं । वर्ष 1965-1966 तक मैं आरसना में काम करता था । छटनी होने पर मैंने आरसपा के अन्दर ही टाटा कम्पनी में हैमर पर लोहा तोड़ने का काम शुरू कर दिया । सन् 1970 में एक जी.एस.ओझाना ने उक्त टाटा कम्पनी खरीद ली और मैं उसमें 1979 तक कार्य करता रहा और उसके बाद 1979-81 तक बिना काम के रहा । सन् 1981 में उक्त जी.एस.ओझाना ने भिलाई फाउंड्री नाम की कम्पनी शुरू की और मुझे इसमें फिर से हैमर पर लोहा तोड़ने की नौकरी मिल गई । इसी दौरान श्री चन्द्रकांत शाह सिम्पलेक्स कास्टिंग से लोहा तुड़वाने के लिये भिलाई फाउंड्री आते थे । चन्द्रकांत शाह मुझसे बोले कि वो हैमर मशीन लगाने जा रहे हैं और मुझे रखना चाहते हैं । इस प्रकार सन् 1984 से मैं चन्द्रकांत शाह की ओसवाल स्टील नांदनी रोड फैक्ट्री पर चला गया और अब तक चन्द्रकांत शाह की फैक्ट्री पर ही काम कर रहा हूं । चंद्रकांत शाह की ओसवाल स्टील नाम की फैक्ट्री पिछले 4-5 महिनों से बंद हो गई है और आजकल ओसवाल आयरन फैक्ट्री चालू है और मैं उसी में कार्यरत हूं ।

चार वर्ष पहले चन्द्रकांत शाह ने मनु उद्योग ईंटा-भट्टा के नाम से एक ईंटा-भट्टा, ग्राम सोमपुर, पाटन में मेरे नाम से रजिस्टर्ड करवा के खोला। इस ईंटा भट्टा का सारा खर्चा चन्द्रकांत शाह ने ही किया है मैं तो केवल नाम मात्र का ही मालिक हूं । भट्टे पर मजदूर, मुंशी या मैनेजर चन्द्रकांत शाह ही अपनी मर्जी से रखते हैं । जब भट्टा शुरू हुआ था तो चन्द्रकांत शाह के मित्र ज्ञान प्रकाश मिश्रा ही कोयला आदि सामान खरीदना, हिसाब किताब रखना और भट्टे की देखभाल किया करते थे । मैं केवल किसी सामान जैसे पानी का पम्प या मजदूरों के घरों की छतों की मरम्मत आदि करने के लिये जाता था । कोई कागज वगैरह भी साइन करना होता था तो करता था । उक्त ज्ञान प्रकाश भट्टे पर केवल शुरू के 7-8 महीने ही काम किया । पैसों का लेनदेन या पढ़ालिखी जो सब चन्द्रकांत शाह को ही दिया करते थे । ज्ञान प्रकाश के बाद भट्टा कामकाज देखने और सम्भालने के लिये चन्द्रकांत

.......2...

PW-121

भईया ने देवल कुमार दे को रखा जो 3 साल करीब काम करके छोड़ दिये । उसके बाद चन्द्रकांत शाह ने एक बानकुर नाम का आदमी रखा था जो केवल 3 महीने काम करके चला गया । आजकल राय साहब भट्टे का काम वगैरह देखते हैं । भट्टे का सारा रिकार्ड चन्द्रकांत शाह अपने पास ही रखते थे । ज्ञान प्रकाश मिश्रा को निकलते वक्त में मैंने कभी भी पैसे नहीं दिये । केवल चन्द्रकांत भईया ही उनसे लेन देन करते थे । ये ज्ञान प्रकाश जैसवाल आयरन के आफिस में भईया से मिलने मुझे आता रहता था ।

सत्य प्रतिलिपि

सही/-
(शमशेर)
नि0/सीबीआई/एसआईसी-2
दिल्ली, केम्प भिलाई.

Pn-122

BHILAI
28.11.91

Statement of Sunil Agarwal s/o late Shri Laxmi Narayan Agarwal r/o 45, Motilal Nehru Nagar, Bhilai (Durg).

I am as above. My main business is cigarette manufacture on behalf of ITC Ltd. We are wholesale dealers of ITC Ltd and our concern is Agarwal Traders, Civic Centre, Bhilai.

In the year 1979, I got a piece of land on premium and on lease basis from Special Area Development Authority, Bhilai, Durg. The land was earmarked for picture hall and commercial shopping complex when the plot was auctioned. Self, S/Shri Kuldeep Kumar Gupta and Kailashpati Kedia and my elder brother Shri Anil Agarwal were present and I being the youngest, the plot was taken in my name. Thereafter an agreement of Association of persons was formed on 1.12.83 in which family trusts belonging to three groups namely Kedia Group of Industries, Beekay Group of Industries and Agarwal Group of Companies were having interest of 1/3rd each. Maurya Chandra picture halls etc were constructed on the aforesaid piece of land and the same belongs to the aforesaid association of persons.

Shri Prabhu Nath Mishra, elder brother of Gyan Prakash Mishra met me in my tobacco factory and talked to me if cycle stand in Maurya Pictures has to be given may be given to some youths particularly Avdhesh Rai. Shri Prabhu Nath Mishra had come alongwith a youngman whose name was Abhay Singh. I asked Shri Prabhunath Mishra to contact the Manager in this regard so that the boys who wanted to take cycle stand could familiarise themselves with terms and conditions and also whether they will be able to run the cycle stand profitably. Thereafter some one came and enquired as to when cycle stand will be given to them. While enquiring he gave the reference of Shri Prabhunath Mishra, I asked him to go to Maurya and contact the manager in this regard. Thereafter Shri Prabhunath Mishra who was accompanied by a youngman informed me that the boys who wants to take cycle stand understood the business and Avdhesh Rai was ready to take the cycle stand and the same can be

W-122

given to them. Shri P.N.Mishra told me that for security deposit some time will be required which I agreed. Two months rent was required to be given to us as security deposit. I allowed them time for deposit of security. I informed Shri Raju, Manager, [illegible] Pictures to give cycle stand to Avdhesh Rai and allow time for deposit of security. In this connection Gyan Prakash Mishra, younger brother of Prabhunath Mishra had also met me in factory. At that time he was accompanied by 3-4 youngmen. I came to know that Avdhesh Rai met Raju and signed the agreement on 30.9.91. The cycle stand of Avdhesh started functioning from 1.10.1991.

RO&AC

Before me

Sd/-

(B.N.P.AZAD)
DSP : CBI : SIC.II : N.Delhi
At Bhilai

T.C.

Last round of negotiations

– P.K. Moitra –

B.I.A - representative - at that time
B.E.C. employee - ~~emplo~~ Chairman
B.R Jain also Chairman B.I.A.

✓ <u>You have represented</u> BEC group
in many negotiations – (dates)
in the <u>A.L.C.'s office</u> – Record note
of discussion.
This was a followup of the agreement reached in the High Powered
meeting – 28.1.92. Commissioner, 3 collectors
S.P.'s, ~~a~~ Binoo Jain s/o B.R. Jain
J.L. Thakur, Ganesh Ram Chandhari
Anoop Singh, Sheikh Ansar,
Proposal – Dismissed workers
will be taken back in 2 phases
in BEC (1 unit → BEC Project Urla). Those workers
regarding whom there was a
dispute it would be resolved.
In respect of 110 workers.

//

(2)

In the ALC office P.K. Moitra introduced a new condition that the picketing of the gate should be removed before workers are taken back.

Talks hence failed.

Unfettred right to business is being taken away." — 1st. Feb. '92.

J.L. Thakur – 26th Jan. '92 – hunger strike.

Total Units of BIA – 15 units.

25th May '92 – Bhilai Bandh – call given

22nd. May '92 – Kailash Joshi – Industries Min.

asthurance to settle dispute in 15 days

As a follow up – 2nd – 4th June – dialogue in Durg

Durg – SP, Collector,

Labour Commissioner – Indore

A.L. C." – Raipur

A.D.M. – Pandey.

P.K. Moitra – Repve. of B.I.A.

1) Did you participate in the
2) meeting of 3rd June '92. (Talks from 2nd-6th June)
3) Who represented the Admn
Collector + S.P's present from 4th - 6th June.
4) When + where did the meeting take place.

5) Out of the 9 demands which point was discussed. (9th point regarding takeback workers)

6) Later said will talk about all the 9 points together - this nullified the entire process of negotiation till then - Letter sent by CMM in protest dt. 5.6.92.

Meeting in Raipur on 6.6.92 Union went + put forth above point but did not refuse to dialogue

7) ~~Ad~~ This dialogue done on Kailash Joshi's intervention. + dialogue with industrialists.

8) 28th Jan.'92 Commissioner's intervention Raipur.

9) 1st week (2nd-4th Feb) of Feb.'92 B.E.C. project Urla, P.K. Moitra personally participated. - talks failed.

10) ~~B~~ You have an ideological difference with CMM - you want capital to be invested + industr.

Re: Commissioner, D.I.G., I.G.
Kailash Joshi, Sunderlal Patwa

1) Affidavit + xxx of Collector

2) B.B. ~~S.~~ Thakur ~~S/o~~ Addnl S.P.

3) A.D.M. Pandey

11) 11th & 12th June ~~3~~ (4) talks in Indore on all 9 points.

12) This viewpoint (in pt. 10) is repre of B.I.A's viewpoint.

13) On 27th Jan '92 a ~~repre~~ delegation of BIA met Collector & said that CMM anti-indus. & their activities should be controlled.

Joint Press Conference at Agrasen Bhawan

(Video) Bhilai – B.R. Jain, Moolchand Shah

K. Kedia – emotional – anti CMM – collective action of BIA

How will पूंजी come, CMM

पर अंकुश लगाना

14) B.I.A. functions as one body.

15) "Bhilai को राजहरा नहीं बनने देंगे"

16) After Niyogi's death – B.I.A. members went to Patwa for providing security.

17) In all negotiations – joint reply

C.M.M. has asked for seperate dialogue with each indus.

बयान विजयकुमार ~~अम्बू~~ पिता पी आर के पनिक्कर जाति ब्राह्मण (नायर) उम्र 32 साल सा0 वल्ले पल्ली थाना गलेवल्ली जिला पटनामटिट्टा केरल हाल सेक्टर । सड़क 23 क्वा0 3ए थाना भट्टी से0 3 भिलाई ।

मैं उक्त पते पर रहता हूं तथा 11 वां क्लास 10 हाई स्कूल में पढ़ा हूं पिताजी 1982 में फौत हो चुके हैं मां ... में आफिस सुपरिटेंडेंट का काम परचेज विभाग में करती है मैं दो भाई एक बहन हूं मेरी शादी राउरकेला में राम मंदिर के पास कृष्णा नायर की लड़की अनीता के साथ 1987 में हुई है जिससे गरभ से एक लड़की तीन साल की है वर्ष 1977 में पढ़ाई छोड़ चुका हूं पढ़ाई छोड़ने के बाद आईटीआई भिलाई से किया आईटीआई करने के बाद ओ पी 2 कंपनी में काम करता रहा वर्ष 1982 में जब मौर्या टाकीज बन रहा था तब सुपरवाइजर का काम देखा करता था इसके बाद 1989 में इन्डो। कंपनी नंदनी रोड में सिविल सुपरवाइजर का काम किया इस फैक्ट्री का मालिक सुनिल अग्रवाल है जो मौर्या टाकीज में भी पार्टनर है जो माह 1.9.91 से मुझे मौर्या टाकीज का मैनेजर बनाकर रखे हैं वेतन 2290/ मिलता है मेरे टाकीज में आने के करीबन 15 दिन बाद मेरे पास टाकीज में अवधेश राय, अभय सिंह, बल्देव सिंह तथा चंद्रभूषण सिंह उर्फ छोटू आये तथा बोले कि सायकल स्टैंड चलाने का ठेका लेने आए हैं मैंने उन्हें बतलाया कि 25 हजार रुपये दोनों टाकीज मौर्या वा चंद्रा का स्टैण्ड किराया लगेगा। तथा ठेका लेने वाले को दो माह का किराया 50 हजार रु0 एडवांस जमा करना अनिवार्य है इस पर अवधेश भी तैयार हो गया और एग्रीमेंट फार्म साथ लेकर चला गया इसके बाद फिर अवधेश अपने साथियों के साथ मिला तथा बताया कि उसकी बात मालिक सुनील अग्रवाल से हो गई है एडवांस रकम जमा करना अनिवार्य नहीं है इस बात को मैंने अपने टाकीज मालिक सुनील अग्रवाल को बताया जो बोले ठीक है ठेका दे दो दि0 30.9.91 को अवधेश राय अपने साथियों को लेकर आया तथा एग्रीमेंट फार्म पर दस्तखत किया तथा उसे सायकल स्टैण्ड का ठेका दे दिया गया इससे कोई एडवांस नहीं जमा कराया कराया था चंद्रा मौर्या के स्टैण्ड की नीलामी की जानकारी देशबंधु पेपर में निकलवायी गई थी मेरी एग्रीमेंट की शर्तों के अनुसार इसी कारण से 50 हजार रू0 एडवांस नहीं जमा कराए गए थे बयान को पढ़कर सुना ठीक यही मेरा बयान है ।

ह0/19.10.91

सत्यप्रतिलिपि

[signature]

P.-123

Dt.15.11.91

Statement of Sh. P.K.Vijay Kumar s/o late P.R.K.Panichar aged 32 yrs r/o Q.N.3A, Sector I Street no.23, Bhilai.

PW-193

I was born & brought in Bhilai. I did my Higher Secondary from Higher Secondary School Sector-10 Bhilai in the year 1977. Thereafter I passed I.T.I. in the year 1982 and served with Sh. Kuldip Gupta, as a construction Supervisor, from 1982 to 1984. On completion of Chandra & Maurya Cinema Halls I was appointed Asstt Manager M/s Maurya Pictures till 1989 when I shifted to M/S Dun Hill Engineering Co, 87-A Industrial Estate Bhilai of Sh.Sunil Aggarwal.

I was again shifted to M/S Maurya Pictures and appointed Manager w.e.f. 1.9.91 where I am presently serving. M/s Maurya Pictures is owned by S/Sh. Kailash Pati Kedia, Kuldip Kumar Gupta, Vijay Kumar Gupta and Sunil Aggarwal. Presently the affairs of M/s Maurya Pictures are looked after by Sh. Sunil Aggarwal.

There is a Canteen & cycle stand in M/S Maurya Pictures which is run on contract basis. Earlier Sh. Rajappan was the contractor of cycle stand till 30.9.91. M/S Maurya Pictures have already invited tenders for running canteen & cycle stand which appeared in Desh Bandu Hindi News Paper on 17-7-91. In response to the advertisement number of parties have submitted Quotation for taking cycle stand & canteen on contract as detailed below:-

Name of Party	Rates Quoted for cycle stand	Rates for Canteen
1) Vilas J.Pathak Q.N.LIG-1125 Adarsh Ngr, Industrial	Rs.40,000/- security deposit Rs.20,000/- rent per month	Rs.18000/- security deposit Rs.9000/- rent per month
2) Uma Shankar, Q.N.B-35 MPHB colony Industrial Estate Bhilai.	Rs.40,501/- as deposit Rs 20,000/- rent P.M.	18,501=00 deposit 9000/- rent P.M.

T.P. [signature]

PW-123

Name of Party	Rates Quoted for Cycle Stand	Rates for Canteen
3) Sanjay Sharma, New Khursipar Bhilai Nagar	Rs.40,500/- as S.deposit Rs.20,500/- as rent P.M.	- -
4) Sukhdev Singh, Q.N. 19-B Street-36 Sector 4 Bhilai.	Rs.40,000/- as S.deposit Rs.20,000/- as rent P.M.	- -
5) Nourshtrading Co, 'A' Market Sector-I, Bhilai.	Rates not quoted.	
6) Chander Sekhar Aggarwal, Sikshak Nagar Durg.	Rates not quoted.	
7) Ashok Kumar Jain Pataudi Bhawan Sadar Bazar Durg.	Offered to deposit three months rent as advance.	

However the above quotations were not processed and no action till Sep,91 was taken. After my taking over as Manager Mr. Sunil Aggarwal told me that Prabhu Nath Mishra had brought some party and the cycle stand contract is to be given to that party, who would be calling on me as directed by him i.e. Sunil Aggarwal. Sunil Aggarwal further told me that the parking rates should be increased and accordingly the monthly rent was to be increased to Rs.25000/- and directed me to explain to them the terms & conditions of the contract.

After 3/4 days of the above Awadesh Rai accompanied by Abhay Singh, Chhotu Pahalwan and Baldev Singh approached me in my office around mid Sep,91 and told that they had already met Sunil Aggarwal for taking cycle stand contract and wanted to know the terms & conditions. I explained to them that they will have to deposit Rs.50,000/- as security deposit and pay Rs.25000/- rent per month. On this they told me that they have already sorted out the security deposit matter with Sh. Aggarwal and would pay the same later on. Since Sh.Aggarwal had already asked me give the

contract to them I told them that the contract would be awarded w.e.f. 1-10-91. Subsequently I apprised Sunil Aggarwal about my discussion with Awadesh Rai & party. Thereafter Abhay Singh, Awadesh, Chhotu & Baldev enquired 2/3 times about the allotment of contract. Ultimately the agreement XX awarding contract to Awadesh was signed on 30-9-91 between Awadesh and Kuldip Gupta & Vijay Gupta. I have been shown the agreement and I identify the signature of Awadesh on it. I also identify my signature as well as that of Piyush Sapru on it. Sh. Piyush Sapru is working as accountant with M/S Maurya Pictures. The terms & conditions incorporated in the agreement were copied from the earlier agreement executed with Sh.Rajappan and are same except the amount of security deposit & monthly rent.

After the contract had been signed I have given copies of the same to Sunil Aggarwal & Vijay Kumar Gupta. So far the security deposit of Rs.50,000/- has not been made by Awadesh or any body else. Neither they have paid any rent. Initially they were depositing the daily collection in Bank account of Gyan Parkash Mishra as they were his men. By them I mean Abhay Singh, Awadesh, Baldev & Chhotu as all of them were working on cycle stand.

RO&AC

Sd/- 15/11/91
Dy.S.P./CBI/SIC-II
N.Delhi
C.Bhilai.

T.C.

[signature]

Statement of Sh.Naresh Chandra Shukla s/o Sh.Ramesh Chandra Shukla, age 41 yrs.Clerk, Syndicate Bank , Moraya Cinema Complex, G-Road, Bhilai, Distt-Durg(M.P.).

PW-124

....

I am working as above since 1989 in this branch. In the bank, whenever any person comes to open the a/c, his specimen signature is obtained in/presence of the some of the bank official deals with S.B.Account . Today I have been shown the specimen signature card and a/c opening form of SB A/c No. 5405 in the name of Gyan Mishra. After having seen, I can say that Sh.Gyan Mishra to whom I know very well, had opened a S.B.A/c 5405 on dt.4.10.91with initial deposit of Rs.501/-. In the a/c opening form and specimen signature card, it was me who had obtained his signature which he had done in hindi. Today I identify the same on the specimen card and a/c opening form pertain to a/c No.5405. In the a/c opening form and specimen card as to who has written the name and address of Gyan Mishra, I cannot say. The specimen signature was obtained by me, I remember very well; because in the signature specimen card the rectified name as "Gyan Mishra" was written by me with different ink on the top of this card. I identify my signature/ handwriting also on it. In this a/c there are following credit entries and the details of which as per the credit vouchers are as follows:-

Date of deposit	Mode of	Amount	Name of depositor
1. 4.10.91	Cash	Rs.501/-	Gyan Mishra
2. 7.10.91	-do-	Rs.1500/-	
3. 10.10.91	-do-	Rs.1500/-	
4. 12.10.91	-do-	Rs.1100/-	
5. 15.10.91	-do-	Rs.2700/-	

There is no withdrawal and total credit balance in this a/c is Rs.7301/--in todays date.

RO&AC

Sd/(R.K.Shukla)
Inspr. of Police CBI
Jabalpur, Camp:Bhilai.

T.C.

PW-125

BHILAI
20.12.91

Statement of Shri Pradeep Kumar Sural (aged about 40 yrs) S/o late Manmath Nath Sural, Officer (Contract Billing) M/s. Simplex Castings Ltd. 5, Industrial Estate, Bhilai (M.P.).

******

I am serving in Simplex Castings since 1975. In mid 1990, labour leader Shanker Guha Niyogi started labour agitation for better wages in Bhilai. The echo of the said agitation was felt in Simplex Castings, Bhilai in Sept-Oct.1990 due to which a large number of labourers working in the factory went on strike which paralysed the working of the factory. Though, the company had been arranging labourers through Audyogik Shramik Kalyan Sahkari Samiti, Bhilai since Oct.1990, the production of the company had gone down. The activists of Prgatisheel Engineering Shramikk Sangh used to come on factory gate almost daily between 7.30 AM/8.00 AM and shout provocative slogans to the annoyance of the management. They also used to distribute pamphlets seeking justice.

During July-Aug.1991, Gyan Prakash Mishra met Shri Navin Shah who is known as Vice-Chairman of the company and asked him to employ Dayanand Mishra. Shri Navin Shah called me and gave the application of Dayanand Mishra and asked me to do the needful. I took the application and met Shri Janak Singh and conveyed the message of Shri Navin Shah. Shri Dayanand Mishra was appointed as Security guard/watchman. Shri Gyan Prakash Mishra was accompanied by Baldev Singh and Chhotu.

R.C.
[signature]

PW-125

2/3 days after the aforesaid visit of Gyan Prakash Mishra, I found Baldev Singh and Chhotu loitering in the compound of the factory. They were accompanied by an old man. One of them told me that they came to factory for getting the old man appointed as security guard. Later on I came to know that the old man was not given any employment in the factory.

Thereafter I saw Gyan Prakash Mishra with Shri Navin Shah. Shri Navin Shah asked me to prepare and give a list of all those labourers who were still on strike to Gyan Prakash. I could not prepare and give the list to Shri Gyan Prakash Mishra.

RO&AC

Before me,

Sd/-

(B.N.P. AZAD) 20.12.91
DY.SP/CBI/SIC.II/New Delhi.
(At Bhilai)

T.C.

[signature]

Statement of Shri Janak Singh S/o Late Captain Rai Singh, 65 years (27.11.27 Date of Birth) r/o 4C, South Park Avenue, Sector 5, Bhilai, P/A- Vill. & P.O. Panjawar, Tehsil & District Una (H.P.).

******

I am as above and am working with Simplex Group as Chief of Security since 2.12.85. My office is in Simplex Castings but I am the overall incharge of the Security of all the units of Simplex Group viz. Simplex Engg. & Foundary Works, Sangam Forgings, Tedesara, Simplex Castings, Urla, Simplex Projects in Bhilai Steel Plant. My functions and duties at Simplex Group covers the security of the property of the company, to maintain harmony amongst co-workers by preventing fights etc., prevention of theft, damage of the property of the company at the various units of Simplex Group.

My function also includes the administration work of the security department viz. sanction of leave, appointment of watchmen and recommending the names to the personnel department. In the first week of August 1991, Shri P.K.Sural came with an application of one Dayanand Mishra and Dayanand Mishra in the tow. He told me that Dayanand Mishra is the man of Gyan Prakash Mishra who has recommended for his appointment to Shri Navin Shah. Navin Shah has directed to appoint this man. I immediately knew that the tests and formal interview etc. for such candidate was not required as he was already chosen for the job and therefore I merely recommended the application with favourable comments. Dayanand Mishra joined the post of watchman the next day as I had asked him to report the very next day.

In our organisation there is a Labour problem of strikes called by the Chhattisgarh Mukti Morcha around the Vishwakarma Puja

 P.W. 126.

Day of '90, and therefore in the case of Dayanand Mishra, the condition of surity was waived aside on the instructions of Navin Shah, through Shri Surad.

RO&AC.

Before me,

Sd/-
(K. BHATTACHARYA) 20.12.91
Sub-Inspr./CBI/Bhopal
Camp : Bhilai.

T.C. 24/12

Pw 127

आर·सी·9(एस)91 ए.सी.आई.यू-5 दिनांक : 20/12/91

बयान श्री दयानन्द मिश्रा पुत्र श्री साधु मिश्रा उम्र 28 वर्ष, नि·क्वार्·नं० सी, ब्लाक नं· सी·डी·9, सेक्टर-1, सुपेला जि·दुर्ग । स्थाई पता-ग्राम भोलमपुर अरा, पो·भोलमपुरअरा, जि· आजमगढ़ ।

......

मैं उपरोक्त गाँव का स्थाई निवासी हूँ । मेरे पिताजी भिलाई इस्पात संयत्र (बीएसपी) में इलेक्ट्रीशियन का काम करते हैं । वे लगभग 12/13 वर्षों से यहाँ इस नौकरी में हैं और भिलाई में ही रहते हैं ।

मैंने 9वीं कक्षा तक पढ़ाई की है । मैं अपने गाँव के नजदीक के ही विद्यालय भरोली स्मारक इन्टर कालेज में पढ़ता था और वहीं से 9वीं पास किया ।

मैं 1980 में अपने पिताजी के पास भिलाई में आया था । उस समय मैंने अपना नाम दुर्ग में एम्प्लायमेंट एक्सचेंज में नौकरी के लिए लिखाया था । मैं 1981 में वापस अपने गाँव चला गया था ।

1991 के अप्रेल माह में मेरे पिताजी ने गाँव में मेरे पास सूचना भिजवाई की कि एम्प्लायमेंट एक्सचेंज से मुझे बुलाया है और 16/4/91 को मुझे एम्प्लायमेंट एक्सचेंज में जाना और मिलना है । यह सूचना चपरासी के पद के लिये थी ।मैं सूचना मिलते ही भिलाई आ गया । मैं 16/4/91 को एम्प्लायमेंट एक्सचेंज में गया और वहाँ उन्होंने कुछ फारम वगैरह भरवाए और बताया कि किसी सरकारी विद्यालय में चपरासी का पद रिक्त है जिसके लिये मुझे डी·ई·ओ· के आफिस में साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा । मैं उसके बाद एक दो बार डी·ई·ओ· आफिस भी गया लेकिन काम नहीं बना और मुझे साक्षात्कार के लिए नहीं बुलाया गया ।

मैं पिताजी के उपरोक्त पते पर बेकार बैठा रहा । मैंने पिताजी से इस विषय में चर्चा की तो पिताजी ने कहा कि वे इस संबंध में श्री ज्ञान प्रकाश मिश्रा जो छोटकन मिश्रा के, जिन्हें मामा कहते हैं लोग के पुत्र हैं से चर्चा करेंगे । मेरे पिताजी का मकान मामा के घर से ज्यादा दूर नहीं है ।

अगस्त 1991 में 4/5 ता· को मैं अपने पिताजी के साथ दोपहर में छोटकन मिश्रा के घर गया । पिताजी ने सुन रखा था कि ज्ञान प्रकाश मिश्रा कहीं नौकरी लगा सकते हैं । उनके घर पहुँचने पर मालूम हुआ कि श्री ज्ञान प्रकाश मिश्रा घर पर ही है । हम लोग उनसे मिले और पिताजी ने अपनी गरीबी का हवाला देते हुए उनसे मुझे किसी भी तरह का काम मेरी योग्यतानुसार दिलाने के लिए कहा । इस पर ज्ञान प्रकाश मिश्रा ने कहा कि वे प्रयास करेंगे और मुझे

...2/...

PW 127

उन्होंने अगले दिन सिम्पलेक्स कास्टिंग के गेट पर 10 बजे आने को कहा । उन्होंने बताया कि वे वहाँ 10 बजे दिन में मिलेंगे और सिम्पलेक्स कास्टिंग में मेरी नौकरी के लिए बात करेंगे ।

मैं अगले दिन 10 बजे के कुछ पहले ही सिम्पलेक्स कास्टिंग, नन्दीनी रोड के गेट पर पहुँच गया । कुछ समय बाद श्री ज्ञान प्रकाश मिश्रा एक और व्यक्ति के साथ अपने स्कूटर में गेट पर पहुँच गये । जो व्यक्ति ज्ञान प्रकाश मिश्रा के साथ स्कूटर में आया था उसका नाम मुझे बाद में चन्द्रप्रकाश सिंह उर्फ छोटू पता चला । अब मैं उसे पहचानता हूँ । मैंने ज्ञान प्रकाश मिश्रा को नमस्ते किया तो उन्होंने मुझे इशारा किया कि मैं उनके पीछे-2 आऊँ । वे लोग अपने स्कूटर में ही गेट के अंदर चले गए । उन्हें किसी गेट वाले ने ~~नहीं~~ रोका नहीं ।

अंदर पहुँचने पर श्री ज्ञान प्रकाश और छोटू नवीन शाह जो सिम्पलेक्स कास्टिंग के अधिकारी हैं के आफिस पहुँचे । मैं भी वहीं पहुँचा । ज्ञान प्रकाश मिश्रा और छोटू दोनों ही नवीन शाह जिस कमरे में बैठते हैं चले गए । मैं बाहर ही बैठा रहा । उन लोगों के अन्दर जाने के लगभग 15/20 मिनट बाद छोटू दरवाजा खोलकर मुझे इशारे से अंदर बुलाया । मैं अंदर गया । ज्ञान प्रकाश और छोटू नवीन शाह के सामने वाली कुर्सी पर बैठे थे । मैं उन्हीं लोगों के निकट खड़ा हो गया । ज्ञान प्रकाश मिश्रा साहब ने मुझे नवीन शाह जी को नमस्ते करने को कहा । मैंने नमस्ते किया । उसके पश्चात श्री नवीन शाह ने मुझसे मेरा नाम पूछा और बताया कि वे मुझे सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी दे रहे हैं । मुझे कहा कि जैसे पुलिस में सिपाही अपनी ड्यूटी करता है उसी तरह मुझे भी सतर्कता से अपनी नौकरी करनी होगी। 10 घंटे काम करना होगा एवं गेट से आने जाने वाले लोगों को चेक करना होगा तथा किसी को चोरी का माल नहीं ले जाने देना होगा । मैंने कहा कि मैं पूरी ईमानदारी से काम करूँगा । नवीन शाह जी ने मुझे अगले दिन 10 बजे अपने आफिस में आने को कहा । मैं वापस आ गया । ज्ञान प्रकाश मिश्रा और छोटू भी आ गए । वे लोग स्कूटर से वापस चले गए और मैं अपनी साइकिल से वापस चला गया ।

अगले दिन मैं पुनः श्री नवीन शाह के दफ्तर गया और वहाँ पहुँचकर उनकी प्रतीक्षा की । मैं लगभग 9 बजे ही पहुँच गया था । करीब 10 बजे नवीन शाह आये । मैंने नवीन शाह को नमस्ते किया । वे अंदर अपने कमरे में चले गए । थोड़ी देर में उन्होंने मुरल साहब को अंदर बुलाया । अब मैं मुरल साहब को जानने लगा हूँ उस समय नहीं जानता था । मुरल साहब वापस आये और मुझे अपने साथ अपने आफिस ले गये । वहाँ उन्होंने चपरासी से जनक सिंह सिक्योरिटी इंचार्ज को

बुलवाया । जनक सिंह के आने पर गुरु साहब ने मेरी तरफ इशारा करके कहा कि दयानन्द मिश्रा को सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी में रखना है । इसके लिए नवीन शाह जी ने कहा है । उसके बाद जनक सिंह साहब मुझे लेकर अपने आफिस आ गए ।

अपने आफिस में जनक सिंह साहब ने मुझसे मेरी पढ़ाई, पारीवारिक स्थिति और पते वगैरह के विषय में बिल्कुल जानकारी ली और कहा की वे मुझे सिक्योरिटी गार्ड कि नौकरी दे रहे हैं । उन्होंने मुझे ~~XXX~~ अगले दिन डयूटी पर आने को कहा ।

मैं जब अगले दिन जनक सिंह साहब के आफिस में 8 बजे पहुँच गया तो उस दिन उन्होंने मुझे वापस कर दिया और फिर अगले दिन यानि 9/8/91 को बुलाया । जब मैं 9/8/91 को जनक सिंह साहब के आफिस पहुँच गया तो उन्होंने बताया कि मुझे आज से ही डयूटी करनी होगी । मुझे वे गेट पर ले गए और वहाँ तैनात गार्ड से कहा कि वह मुझे गेट बन्द एवं खुलवाने के काम में लगाये । मैं उसी दिन से नौकरी करने लगा ।

10/8/91 को जब मैं डयूटी पर आया तो मुझे जनक सिंह साहब ने बताया कि मुझे डायरेक्टर के नाम से एक दरख्वास्त देनी होगी । मैंने वह दरख्वास्त गेट पर तैनात गार्ड से लिखवाई और उसपर अपने हस्ताक्षर कर उसे जनक सिंह को दे दिया । इस तरह अब मैं सिम्पलेक्स कास्टिंग में वाचमैन के पद पर कार्यरत हूँ ।

नौकरी में आने के लगभग । माह बाद मुझसे मेरा फोटो और स्कूल के कागज की कापी ली गई । कुछ फारम वगैरह भी भराए गए जिस पर मैंने अपने हस्ताक्षर किए ।

मुझे 1000/- माह के मिलते हैं । मैं अपने पिताजी के साथ ही रहता हूँ जो बीएसपी के अपरोक्त मकान में रहते हैं ।

आज मुझे मेरे पर्सनल फाईल से 10/8/91 कि दरख्वास्त जो सिम्प्लेक्स कास्टिंग के डायरेक्टर के नाम से है दिखाया गया । इसे देखने पर मैं बताता हूँ कि वही दरख्वास्त मैंने गार्ड से लिखवाकर दी थी । इस पर मेरे हस्ताक्षर हैं जिसे मैं पहचानता हूँ ।

जैसा मैंने पहले बयान दिया है सिम्पलेक्स कास्टिंग में मुझे यह वाचमैन की नौकरी श्री ज्ञान प्रकाश मिश्रा कि सिफारिश पर मिली है जो उन्होंने श्री नवीन शाह से कह कर दिलाई थी । मैं ज्ञान प्रकाश मिश्रा को पहले नहीं जानता था लेकिन अब उन्हें अच्छी तरह जानता हूँ । मेरे पिताजी ज्ञान प्रकाश मिश्रा को जानते थे ।

जब से मैं नौकरी कर रहा हूँ मेरी डयूटी गेट पर ही होती है । पहले

PW127

सप्ताह में जनरल शिफ्ट में 8 बजे से 5 बजे तक ड्यूटी में रहा उसके बाद शिफ्ट बदलती रही । जब से मैं नौकरी पर आया उस समय से सितम्बर माह तक ज्ञान प्रकाश मिश्रा 3/4 बार सिम्प्लेक्स आवास में आए थे मैंने उन्हें देखा उनके साथ 2/3 बार मैंने छोटू को भी देखा है । छोटू का नाम मुझे ज्ञान प्रकाश मिश्रा जी से ही मालूम हुआ था । मैंने जब भी यहाँ सिम्प्लेक्स आवास में ज्ञान प्रकाश मिश्रा एवं छोटू को देखा तो लगभग 11/12 बजे के करीब देखा है । मेरी शिफ्ट ड्यूटी एक एक सप्ताह की होती थी ।

मेरे समक्ष
Sd/-
(R.S. PRASAD)
20.12.91

T.C.
[illegible]

सी. डब्लयू 128

3/12/91

ब्यान श्री [illegible] चौधरी उर्फ राजिन्द्र चौधरी पुत्र श्री जी.सी. चौधरी उम्र 23 साल निवासी क्वाटर नं. 2 डी. गली नं. 9 सेक्टर 4 भिलाई,

--00--

मैं उपरोक्त पते पर मय परिवार रहता हूं। मेरे पिता जी बी.एस.पी में चार्जमैन की हैसियत से नौकरी करते हैं। मैं बी ए पास हूं, और मेरा ट्रांसपोर्ट का धंधा है। मैंने एक सेकेन्ड हैंड जीप नम्बरी एम.पी.आर. 1438 जुलाई/अगस्त 1989 में श्री ओमप्रकाश निवासी पावर हाउस भिलाई से 58000 रुपये में खरीदी थी इस जीप को मैं भिलाई शहर और उसके आस पास के नजदीकी इलाकों में किराये पर टैक्सी के रूप में चलवाता था। एक शंकरगुहा नियोगी जी छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा के नेता थे, को जानता था और एक बार जुलाई 91 के पहले सप्ताह में छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं द्वारा मांगने पर कुछ दिनों के लिये मैंने अपनी यह जीप उनको दी थी। इस्तेमाल के बाद उन्होंने यह जीप मुझे वापिस लौटा दी थी। जुलाई 91 के बाद के मध्य में मैंने यह जीप श्री वी. रामाराव निवासी [illegible] भिलाई को 62,000/- रुपये में बेच दी थी,।

पढ़कर सुनाया ठीक पाया।

मेरे समक्ष

हस्ता/सही

(होशियार सिंह)

निरीक्षक, सी.बी.आई.

एस.आई.सी.-2/नई दिल्ली कैम्प भिलाई,

//सत्यप्रतिलिपि//

PW-129

पी.डब्ल्यू 129

- - - - - - - -

28/12/91

बयान श्री शारदा प्रसाद लम्मोड पुत्र श्री नाजभाजी लम्मोड निवासी शिवजीनगर सिनुरडीह दुर्ग उम्र 42 साल टेलीफोन नं. 6754, 5603 प्रायवेट निम्मले कर एजेंसी 65 इन्डस्ट्रियल स्टेट नंदिनी रोड भिलाई,

--cc--

मैं निम्मलेकर एजेंसी 65 इन्डस्ट्रियल स्टेट रजिस्टर प्राप्ति नंदिनी रोड भिलाई में प्रायवेट की हैसियत से 1978 से नौकरी करता हूं हमारा उपरोक्त निम्मलेकर इंजीनियरिंग एंड फाउंड्री वर्क्स, लिमिटेड नंदिनी रोड भिलाई फैक्ट्री के दफ्तर वाली बिल्डिंग में ही है। निम्मलेकर सेल्स एजेंसी के दो शेड हैं एक 34 सिविक सेंटर भिलाई में है और दूसरा 17 ए नंदिनी रोड भिलाई में है नंदिनी रोड पर शोरूम हार्डवेयर का है और 24 सिविक सेंटर का शोरूम टी.वी. फ्रिज वगैरह व निम्मलेकर सेल्स एजेंसी का है निम्मलेकर सेल्स एजेंसी 1963 में चालू हुई थी और 1987 से इसके निम्नलिखित व्यक्ति पार्टनर है :-

1. मूलचंद रामजी भाई शाह,

2. नवीन, -"- -"- -"-

3. श्यामजी शिवजी, -"- -"-

4. श्रीमती मधुबेन दीपक शाह,

5. श्रीमती वन्दना नालाबेन शाह,

1987 से पहले निम्मलेकर सेल्स एजेंसी का पूर्णतया देखभाल, श्री मूलचंद राम जी भाई शाह करते है, व दफ्तर में हमारे इन्चार्ज वही है हमारी निम्मलेकर, सेल्स एजेंसी, में एक भी कार बस नहीं है गाड़ियों में सिर्फ एक क्रेन उपरोक्त एजेंसी के नाम है। एक मारुति, जिप्सी, लाल रंग नम्बर एम.के.आर. 16, 1986-87 निम्मलेकर सेल्स, एजेंसी ने 1986-87 में खरीदी थी, उस समय चंद्रकांत के पिता जी, श्री रामजी भाई इस एजेंसी, के मैनेजर थे, । और उस समय इस कम्पनी में निम्नलिखित पार्टनर थे :-

1. हेमन्त रामजी भाई शाह,

PW-129

2. फूलचंद रामजी भाई शाह,

3. श्रीमती मधुबेन दीपक भाई शाह,

इस गाडी का रजिस्ट्रेशन इसके पहले वाले मालिक किसी दिनेश कुमार गुप्ता निवासी भिलाई के नाम ही था गाडी की खरीद का पैसा करीब 96000/- कम्पनी ने उस समय दिया था यह गाडी, सिमप्लेक्स सेल्स एजेंसी में कभी इस्तेमाल नहीं हुई इस गाडी को राम जी, भाई ने चंद्रकांत के लिये खरीदा था और चंद्रकांत शाह ही इसे इस्तेमाल करता था, सन् 1987 में राम जी भाई सिमप्लेक्स सेल्स एजेंसी से रिटायर हो गये और रमेश भाई भी इस कम्पनी के पार्टनर शिप से निकल गये और तब से इस कम्पनी में ऊपर बताये गये पांचो आदमी पार्टनर हैं सन् 1988 में इस गाडी के रजिस्ट्रेशन पेपर, सिमप्लेक्स सेल्स एजेंसी के नाम इसने दिनेश कुमार गुप्ता से ट्रांसफर करवा लिये उस समय तक चंद्रकांत शाह ने इस गाडी की खरीद का 50,000 रूपया मैं/गैदा रकम होने पर इसने यह गाडी ओसवाल ट्रांसपोर्ट कम्पनी जिसका मालिक चंद्रकांत शाह था को बेच दी थी जिसका यह 37000 रूपया, अभी भी सिमप्लेक्स सेल्स एजेंसी ने ओसवाल ट्रांसपोर्ट कम्पनी से लेना है और यह गाडी अभी भी चंद्रकांत के नाम है इस गाडी के सेल के टी.टी.ओ. फार्म भरकर पार्टनर शिप डीड इत्यादि की कापी इत्यादि ओसवाल ट्रांसपोर्ट कम्पनी को 1988 में ही दे दिया था आज आपके द्वारा मांगे जाने पर मैंने एक सेल लेटर जो उपरोक्त जिप्सी को मिलाकर तीन गाडियों के बारे में है जो ओसवाल, ट्रांसपोर्ट कम्पनी को 17/1/89 को बेच दी थी की फोटोकापी व पार्टनरशिप डीड दिनांक 23 अक्तूबर 1987 की एक फोटोकापी सत्यापित करके आपको दी है।

बयान सुन लिया ठीक है,।

//सत्यप्रतिलिपि//

मेरे समक्ष

हस्ता/सही,

(होशियार सिंह,)

इन्सपेक्टर, 23-12-91

सी.बी.आई./एस.आई.सी.2

नई दिल्ली

कैम्प भिलाई.

TC

PW.120 पी डब्लू 130 दि० 29.12.91

बयान श्री सुरेश प्रताप सिंह पुत्र स्व० श्री सी०बी० सिंह, उम्र 50 साल निवासी जेल लाइन जेल क्वार्टर जिला, दुर्ग ।

....

मैं जिला जेल दुर्ग में सहायक जेलर की हैसियत से दि० 28.8.88 से कार्यरत हूं। मेरी ड्यूटी जेल में कानून व व्यवस्था कायम रखने, कैदियों की निगरानी व देखभाल व प्रबंध, प्रशासन, कैदियों से मुलाकात, इत्यादि करवाने की है । माह मार्च 1991 में श्री तेज बहादुर सिंह प्रभारी जेलर की हैसियत से इस जेल में तैनात थे । मैं जेल में रखे हुए तमाम रिकार्ड की भी देखभाल व निगरानी रखता हूं । आज मैं आपके द्वारा मांगे जाने पर निम्नलिखित कैदियों {विचाराधीन बंदियों} की विभिन्न तिथियों पर जेल में आमद व छूटने संबंधी सूचना दे रहा हूं :-

	विचाराधीन बंदी रजि० क्र०	विचाराधीन बंदी रजि० इंद्राज क्र०	तिथि जेल प्रवेश	तिथि रिहाई
1. ज्ञान प्रकाश मिश्रा पुत्र श्री छुटकन मिश्रा निवासी कैंप नं० 1 भिलाई	39	107	8.4.85	10.4.85
	44	2635	8.11.85	24.3.86
	68	321	29.4.88	9.5.88
	69	1241	27.6.88	18.8.88
2. पलटन मल्लाह पुत्र नोखई निवासी गांधीनगर भिलाई	52	2437	7.10.86	10.10.86
	67	7666	22.1.88	28.1.88
	67	8196	1.3.88	10.8.88
	90	8927	29.1.91	27.3.91
3. अवधेश राय पुत्र आशीष राय निवासी सेक्टर 4 गली नं० 4, क्वा० नं० 7ए भिलाई	41	1400	23.7.85	24.7.85
	66	7211	19.12.87	2.7.88

उपरोक्त विचाराधीन बंदी रजिस्टरों के उपरोक्त इंद्राज के मुताबिक मैं बयान करता हूं कि कैदी ज्ञान प्रकाश मिश्रा, पलटन मल्लाह व अवधेश राय इस जेल में बंदी के दौरान दि० 29.4.88 से लेकर 2.7.88 तक {दिनांक 10.5.88 से 26.6.88 के समय को छोड़कर} एक साथ बंद रहे । कैदी ज्ञान प्रकाश मिश्रा व पलटन मल्लाह दिनांक 29.4.88 से 9.5.88 व 27.6.88 से 10.8.88 तक एक साथ दुर्ग जेल में बंद रहें} कैदी पलटन मल्लाह व अवधेश राय दिनांक 22.1.88 से 28.1.88 व 1.3.88 से 2.7.88 तक एक साथ दुर्ग जेल में बंद रहें । कैदी ज्ञान प्रकाश मिश्रा व अवधेश राय 29.4.88 से 9.5.88 व 27.6.88 से 2.7.88 तक एक साथ दुर्ग जेल में बंद रहें ।

मैं आगे बयान करता हूं कि ये उपरोक्त रिकार्ड जो उपरोक्त विचाराधीन

..... 2 पर

बंदी रजि0 में इंद्राज है अन्य है वे अब उपरोक्त विचाराधीन बंदी रजि0 इन इंद्राजों की असल गवाही के साथ अदालत में पेश किए जाएंगे । आगे मैं बयान करता हूं कि विचाराधीन बंदी जेल में अपने वाकये दौरान एक दूसरे से आपस में मिलते जुलते हैं । विचाराधीन कैदियों को जेल के अंदर विभिन्न बैरकों में रखा जाता है लेकिन उनको भोजन देने के समय, दैनिक क्रिया व इस्नान करने के समय व दिन के अन्य समय जब बैरकों को खुला रखा जाता है तो वे आपस एक दूसरे से मिलते हैं ।

आज मैंने आपके द्वारा मांगे जाने पर दि0 19.3.91 के वकीलों के मुलाकात रजि0 के पेज नं0 12 की फोटोकापी सत्यापित पेश की है जिसको इंद्राज क्र0 14 के अनुसार श्री आर0के0 नायक, एडवोकेट द्वारा श्री शंकर गुहा नियोगी से कानूनी मुद्दों पर बातचीत के लिए मुलाकात का इंद्राज है । इसके अलावा पेज नं0 127 व 128 दि0 19.3.91 "आदमी आमद रजि0" की फोटोकापी दो शीटें सत्यापित पेश की है जिसमें श्री आर0के0 नायक का जेल में मुलाकात के लिए 10.20 पर (पेज 127) आना व 11.10 पर जाना (पेज 128) दि0 19.3.91 में दर्ज है । उपरोक्त इंद्राज श्री आर0 के0 नायक द्वारा अपने हाथ से की गई है जिसको मैं पहचानता हूं । उपरोक्त तीनों शीटें आपने मेमो बनाकर कब्जा में ली है ।

मैं आगे बयान करता हूं कि दि0 19.3.91 को सुबह करीब 8.20 बजे से मैं अपनी ड्यूटी पर दुर्ग जेल में था तो करीब 10.20 बजे सुबह श्री आर0के0 नायक वकील श्री शंकर गुहा नियोगी से दुर्ग जेल में जहां वे उन दिनों बंद थे मिलने आए श्री आर0 के0 नायक का श्री नियोगी से मिलने के बारे में गेट के "आदमी आमद रजि0" व वकीलों की मुलाकात का रजि0 में इंद्राज करवा कर, सहायक जेलर के दफ्तर में श्री आर0के0 नायक की मुलाकात श्री नियोगी से करवाई । उन दिनों इस जेल में दुर्ग बम कांड वाले मुलजिम बंद थे । उस समय मैंने श्री श्यामकृष्ण तिवारी, मुख्य प्रहरी को अन्य दो कैदियों को मुलाकात के लिए जेल द्वार पर आने के लिए उनके नामों की लिस्ट दी जिनमें एक मुलजिम अनवर, जो दुर्ग बम कांड में बंद था का नाम भी था उसके कुछ देर बाद मैं अपने मकान पर जो जेल अहाते में ही है वर्दी इत्यादि पहनने के लिए चला गया ।

PW 12 //31//

उसके कुछ देर बाद ही मैं श्री राधाकृष्ण तिवारी, मुख्य प्रहरी द्वारा बुलाए जाने पर वापिस जेल में पहुँचा। जब मैं जेल में पहुँचा तो भी श्री नियोगी की मुलाकात उनके वकील श्री आर०के० पाल के जेलर साहब के दफ्तर में चालू थी। कैदी अनवर खान भी उस समय तक जेल के अंदर से ड्योढ़ी में आ चुका था और वहाँ मौजूद था। उसके बाद मैं अपने काम में लग गया।

जिला जेल दुर्ग का असल रिकार्ड यानि उपरोक्त जिक्र किए हुए रजिस्टर मैं शहादत के समय कोर्ट में पेश करूंगा।

मेरे समक्ष

सही/- 29.12.91

(होशियार सिंह)

पुलिस निरीक्षक/सी०बी०आई०

एस०आई०सी०-2/नई दिल्ली

कैंप भिलाई

सत्यप्रतिलिपि

[signature]

पी0डब्ल्यू - 131

29.12.91

बयान श्री श्यामकृष्ण तिवारी पुत्र स्व0 अनन्तराम तिवारी, उम्र 51 साल, साकिन जेल लाईन्स, दुर्ग, जिला जेल ।

मैं जिला जेल दुर्ग में सितम्बर 1988 से बतौर मुख्य प्रहरी तैनात हूं । दिनांक 19.3.91 को सुबह 10/साढ़े दस बजे के करीब श्री शंकर गुहा नियोगी अपने वकील जिसका नाम बाद में पता लगा आर0के0 गुप्ता से जेलर साहब श्री टी0डी0 सिंह के दफ्तर में मुलाकात कर रहे थे । उसके बाद श्री एस0पी0 सिंह, असिस्टेंट जेलर ने मुझे 11 आदमियों की लिस्ट दी थी जो मुलजिमों के नाम थे और उनके संबंधी मुलाकात के लिए जेल गेट के बाहर आए हुए थे जिन कैदियों को जेल के अन्दर से मुलाकात जाली पर बुलवाना था । उन दिनों जेल में दुर्ग बम कांड वाले मुलजिम बन्द थे और उस दिन मुलाकात करने वालों में उनमें से एक अनवर खान पुत्र अकबर खान भी था ।

श्री एस0पी0 सिंह मुझे वो लिस्ट देकर करीब 10.30 बजे सुबह अपने जेल अहाता के क्वार्टर पर वर्दी लाने के लिए चले गए थे । उसके बाद मैंने उन 11 कैदियों को अन्दर से मुलाकात के लिए ड्योढ़ी में इकट्ठा किया उनमें अनवर कैदी भी था । उस समय श्री नियोगी की मुलाकात चालू थी । उसके बाद मैं उन कैदियों को मुलाकात खिड़की पर ले गया और मुलाकात करवाई ।

बयान सुन लिया ठीक है ।

सत्य प्रतिलिपि

मेरे समक्ष
सही-
(होशियार सिंह)
निरीक्षक
सी0बी0आई0/एस0आई0सी0-2
कैम्प भिलाई

30/12/91

बयान श्री भुजा राम ठाकुर आत्मज स्व. रामदयाल ग्राम/पो ज्होले. मोहल्ला थाना अरजुंदा जिला दुर्ग उम्र 45 साल, ।

—00—

मैं उपरोक्त पता का स्थायी निवासी हूं और दल्ली राजहरा में लोहे की खदान में सोसायटी संस्था के अन्तर्गत पत्थर निकालने का काम लगभग करीब 15 साल से करता हूं। मेरा परिवार जिसमें मेरी पत्नी तीन लड़के, एक अपाहिज लड़की है उपरोक्त पता पर मेरे गांव में रहता है और मैं अपना झोपड़ा झोपड़ी दल्ली राजहरा में बनाकर अकेला वहीं रहता हूं और करीब 15 दिन बाद अपने परिवार को मिलने अपने गांव आता जाता हूं। मैं छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा का मेम्बर हूं मैं स्व. शंकर गुहा नियोगी को 1974 से जानता हूं नियोगी जी भी मुझे अच्छी तरह जानते थे।

दिसम्बर 90 के आखिरी सप्ताह में मेरी बेटी को बच्चा पैदा हुआ था जो पैदा होने के अगले दिन अपने आप मर गया था उसके 2/3 दिन बाद मुझे अर्जुन्दा पुलिस ने उस बच्चे को मारने के जुर्म में बन्द कर दिया था और मुझे 1 जनवरी 91 को दुर्ग जिला जेल में भेज दिया गया।

मेरे जेल में रहने के करीब 1 महीना बाद श्री शंकर गुहा नियोगी जी वहां जेल में बन्दी रख दिये और मैं नियोगी साहब से खाना के साथ में मिलता था, और हम दोनों की वहां अक्सर मुलाकात होती थी, और नियोगी जी के पूछने पर मैंने बताया कि मुझे अपनी लड़की के बच्चे को मारने के जुर्म में बन्द किया है। नियोगी जी मुझसे मेरी जमानत का प्रबन्ध करने के लिये बातचीत करते थे और उन्होंने मेरी जमानत करवाने में मदद भी की। नियोगी जी जेल में मेरे साथ करीब 2 महीना रहे। फिर छूट गये और मेरी जमानत जून/जुलाई में हुई जो केस अभी भी दुर्ग कोर्ट में विचाराधीन है।

बयान सुन लिया ठीक है।

मेरे समक्ष

// सत्यप्रतिलिपि //

होशियार सिंह,
30/12/91
नि. सी. बी. आई.
एस. आई. सी. 2 नई दिल्ली केम्प भिलाई

Statement of Shri Bola Rao, Dealing Assistant R.T.O. Office, Raipur.

******

Pw-133

I am working as Dealing Assistant, R.T.O. Office, Raipur. Regarding Motor Vehicle No. MTR-227 L.N Premier Padmini 1987 Model has been registered in this office in the name of Smt. Meena Bai Kalwani W/o Shri Chotmal Kalwani C/o Anil Kumar Kalwani near Jain Dharmasala, Dhamar , Raipur. The above vehicle has been transferred in the name of Dr. Puri Hari Brath Gun S/o Shri Atindra Mohan, Shahid Hospital, Dalli Rajhara on 6.6.90.

Recorded by me read over to the witness and admitted by him to be correct.

R.C.

Sd/-
(P.J.MATHAI) 3.12.91
Inspector of Police
CBI : JABALPUR (MP)
Camp : Bhilai.

PW-133

Statement of Shri Bola Ram Takur, Dealing Asst. R.T.O. Durg.

I am working as a dealing Asst. R.T.O. Durg since 5 years. Motor vehicle MPT-7971, Mahendra Jeep was registered in this office in 1978 in the name of Chhattisgarh Mines Shramik Sangh, Dali Rajhara, Distt. Durg as per the R.T.O. Register. The register in which MPT-7971 is maintained by me. The particulars of M.V. MPT-7971 is prepared by me. I also put my initial on it and the same was signed by Shri S.P.S. Chauhan, Vehicle Inspector.

Recorded by me read over to the witness and admitted him to be correct.

Sd/-
(P.T.MATHAI) 10.12.91
Inspr/CBI/Jabalpur
Camp Bhilai.

PW-134

RC.3(S)/91-SIU.V/SIC.II/CBI   Dated : 1.12.91

Statement of Shri Venkteshwar Rao @ Babu S/o Shri S.Appa Rao, aged about 22 yrs. r/o MIG-i/849, Hudco, Amdi Nagar, Bhilai, Distt.Durg (MP), Shopkeeper M/s.Baba Pan Bhander, Sri Ram Chowk, Hudco, Amdi Nagar, 'A' Market, Bhilai, Distt. Durg (MP).

******

I am running the above mentioned shop since last about one & half year. I open my shop at 7 AM and close at 12 noon and again open in the evening at 6 PM and close at 9.30 PM.

Today I have been shown photographs of 3 different persons. I can identify the photograph of one person and the photographs of the remaining 2 persons, I cannot identify as I have not seen them. I do not know the name and address of the person, whose photograph has been identified by me today. Once this person, whose photograph I have identified, about 4/5 days before the death of Shri Shanker Guha Niyogi, had come to me on my pan shop and had ascertained from me the office and residential address of Niyogiji, the leader of the union. The said person had come on a TVS Ind-Suzuki motorcycle of red colour. I thought that this person ~~is~~ appeared to be union's worker of other union, therefore I had told him that the office address of Shri Niyogi ji is MIG-II/273, Hudco but about his residential address I had shown ignorance, however, I had given him the indication about the situation of Shri Niyogi's house in MIG-I, Hudco.

Fls - 134.

I identify this person's photograph, as this person had come on a red coloured motorcycle on first day to me and thereafter on the same motorcycle, he had passed through Sri Ram Chowk during my shop timings and I had seen him while coming and going about 4/5 times. This person during his these visits through Sri Ram Chowk had visited the MIG-II & MIG-I flats in Hudco, where the office & residence of late Shri Shankar Guha Niyogi are situated.

Once the above mentioned person had stopped his red coloured motorcycle near a small "Pulia" at the left hand side of my shop at Sri Ram Chowk and by standing there he was looking at both the directions i.e. MIG-II & MIG-I side flats. At that time I was busy with my customers, therefore, I had not taken any interest about his movements.

I can identify him i.e. the person whose photograph has been identified by me today, if he is brought before me.

ROEAC.

Before me,

Sd/-
(J.C.PRABHAKAR) 1.12.91.
Inspr./CBI/SIC.II/New Delhi.
Camp : Bhilai.

TC

PW-135

पी0डब्ल्यू0 - 135

दिनांक 2·1·92

बयान श्री प्रभुनारायण राय पुत्र स्व0 श्री शम्भू राय, निवासी- क्वार्टर नं0 3 डी, 36 स्ट्रीट नं0 8, सेक्टर -7, भिलाई, उम्र 33 साल ।

मैं उपरोक्त पते पर परिवार सहित रहता हूं । उपरोक्त क्वार्टर मेरी सास श्रीमती मीरा देवी जो कि बी0एस0पी0 प्रिंटिंग प्रेस में करीब 25 साल से नौकरी करती हैं, के नाम अलाट है । क्योंकि उनको मेरे ससुर स्व0 श्री राजनारायण सिंह, जो पहले पागल हो गए थे और बाद में मर गए थे, की जगह नौकरी बी0एस0पी0 में मिली थी । मेरा पुश्तैनी गांव इसडी, थाना दुर्गावती, जिला रोहतास, बिहार है लेकिन अब करीब 5 साल से भिलाई में रह रहा हूं । मेरी पत्नी का पुश्तैनी गांव लठौरा थाना चकियां, जिला वाराणसी है । और उससे मेरी शादी सन् 1980 में वहीं पर हुई थी । उसके बाद से मैं अपनी सास व पत्नी से मिलने भिलाई आता जाता रहता था ।

मैंने सन् 1986 में आठवीं कक्षा पास की उसके बाद जबलपुर में फौज में करीब एक साल मैस बॉय की नौकरी की । उसके बाद सन् 1988 में पक्के तौर पर अपनी सास के पास भिलाई आ गया । अक्तूबर 1988 से मैंने गुरुनानक इंजीनियरिंग कंपनी नंदिनी रोड में सुपरवाईजर की नौकरी 1990 तक की । उसके बाद यह कंपनी श्री ओ0पी0 खंडेलवाल ने खरीद ली । मेरी नौकरी फिर भी रही और मैं वहीं पर अप्रैल 1991 तक नौकरी करता रहा ।

उसके बाद मैं अपने गांव चला गया और करीब दो महीना बाद लौटा । तब तक श्री खंडेलवाल ने मेरी जगह दूसरा आदमी रख लिया था । जब मैं श्री खंडेलवाल के यहां काम करता था तो मेरी मुलाकात कभी-कभी श्री राकेश शाह से होती थी जो चंद्रकांत शाह की ओसवाल आयरन एण्ड स्टील कंपनी नंदिनी रोड वाली फैक्टरी में मैनेजर था । उन्हीं दिनों जब मैं श्री खंडेलवाल के काम से सिम्पलैक्स सेल्स एजेंसी, सर्विस सैन्टर भिलाई जाता था तो मेरी पहचान श्री राकेश शाह जो सिम्पलैक्स एजेंसी में मैनेजर था से हुई । राकेश शाह मेरी सास के क्वार्टर के पास ही एक मकान में रहता था । मेरी सास के कहने पर राकेश शाह मैनेजर ने मुझे अपने पास सिम्पलैक्स सेल्स एजेंसी सर्विस सैन्टर में टी0वी0, वाशिंग मशीन सुधारने का काम सीखने के लिए लगा लिया।

————2

[illegible] जहां पर मैंने जून, जुलाई, अगस्त करीब तीन महीने काम सीखा और वहीं मेरी मुलाकात चंद्रकांत शाह, हेमन्त शाह व श्री एस०सी० पाल जिसके नाम पर सोनपुर पाटन में ईंट भट्ठा है से हुई । जब मैं सिम्पलेक्स सेल्स एजेंसी सिविक सैन्टर भिलाई में काम सीखता था तो मैंने एक सैम्पो ट्रैक्टर भी चंद्रकांत शाह का था, जो कई बार सिम्पलैक्स सेल्स एजेंसी पर आते जाते देखा था । राजेश शाह के कहने पर श्री एस०सी० पाल ने मुझे ईंट भट्ठा सोनुपर, नजदीक पाटन, में 700/- रुपया माहवार नौकरी पर दिनांक 3.7.91 से लगवा दिया । मुझे ईंट भट्टे पर चौकीदार लगाया था । मैंने 3.7.91 से ही वहां सोनपुर ईंट भट्टे पर अपनी नौकरी शुरू कर दी । यह भट्ठा असल में श्री [illegible] चंद्रकांत शाह [illegible] का है और यह करीब 32 एकड़ जमीन में स्थित है जो उसकी पत्नी रेणु शाह के नाम पर है । ईंट भट्टे का लाइसेंस एस०सी० पाल के नाम पर शुरू से ही है । एस०सी० पाल जोतवाल आयरन एण्ड स्टील फैक्टरी में राजेश शाह के साथ जूनियर मैनेजरी की नौकरी करता है ।

मैं 3.7.91 को दिन में करीब 12 बजे सोनपुर ईंट भट्टे पर पहुंच गया । मुझे जयवीर सिंह फौजी चौकीदार मिला । उस दिन मुलाकात के दौरान मुझे जयवीर सिंह फौजी चौकीदार ने बताया कि अभय सिंह जो सी०एस०पी० में नौकरी करता है, उसका भतीजा लगता है और भिलाई वाले ज्ञान प्रकाश मिश्रा जो बी०जे०पी० लीडर प्रभुनाथ मिश्रा के भाई हैं, से भी उसकी दोस्ती है और ज्ञान प्रकाश मिश्रा व अभय सिंह दोनों की गहरी दोस्ती है । फौजी जयवीर सिंह ने यह भी बताया कि ज्ञान प्रकाश मिश्रा [illegible] भट्टे के मालिक श्री चंद्रकांत शाह का गहरा दोस्त है और भट्टे का सारा काम ज्ञान प्रकाश मिश्रा ही देखते हैं । ज्ञान प्रकाश मिश्रा, अभय सिंह, अवधेश राय अपने अन्य दोस्तों के साथ भट्टे पर अक्सर काम की देखभाल के लिए आता जाता रहता था ।

मैं उस दिन शाम को करीब 3/4 बजे वहां से रोजमर्रा के इस्तेमाल का सामान भिलाई से लाने के लिए चल दिया और रात को अपनी सास के क्वार्टर पर, जहां मेरी पत्नी व बच्चे रहते हैं, पहुंच गया और दिनांक 4.7.91 को भी मैं भिलाई में ही रहा ।

———3

PW-135 - 3 -

दिनांक 5.9.91 को मैं सुबह 9 बजे बस द्वारा भिलाई से पाटन के लिए चला और करीब एक बजे मैं पाटन पहुंच गया । वहां से मैंने किराए पर साईकिल ली और सोनपुर ईंट भट्टे के लिए [illegible] दिया । रास्ते में मुझे सिम्पलैक्स आयरन एण्ड स्टील की गाड़ी टैम्पो ट्रैवलर जिसको मैंने पहले भी देखा था, जिसमें कुछ आदमी बैठे थे, पाटन की तरफ जाता हुआ मिला । जब मैं भट्टे पर पहुंचा तो मुझे वहां जवाहर सिंह फौजी चौकीदार व भट्टे का मुंशी [illegible] मिले । वहां मुझे जवाहर सिंह ने बताया कि ज्ञान प्रकाश मिश्रा, अभय सिंह, अवधेश राय व उनके 3 दोस्त टैम्पो ट्रैवलर में भट्टे पर आए थे और वे सभी अब पाटन तक गए हैं और वापिस आने वाले हैं । करीब 3 बजे वो टैम्पो ट्रैवलर वापिस भट्टे पर पहुंचा, उस समय मैं आलमशान व जवाहर सिंह भट्टे पर मौजूद थे । टैम्पो ट्रैवलर से 6 आदमी उतरे । आलमशान मुंशी व जवाहर सिंह ने मेरी मुलाकात उन सभी से करवाई । उनमें ज्ञान प्रकाश मिश्रा, अभय सिंह, अवधेश राय व उनके तीन और दोस्त जिनके नाम बलदेव सिंह, चन्द्र[illegible] सिंह उर्फ छोटू पहलवान व एक पतला लड़का महेन्द्र प्रताप सिंह पता लगे । उस दिन मुझे आलमशान ने बताया कि ये ज्ञान प्रकाश मिश्रा ही भट्टे की देखभाल करता है और अक्सर अपने इन दोस्तों के साथ यहां भट्टे पर आता जाता रहता है । फिर ज्ञान प्रकाश मिश्रा, अभय सिंह व उनके दोस्तों ने आलमशान मुंशी व चौकीदार जवाहर सिंह फौजी से करीब दो घंटे बातचीत की । उसके बाद वे सब उसी गाड़ी में बैठकर करीब 5 बजे वहां से भिलाई के लिए चल दिए ।

उसके बाद भी माह सितम्बर 1991 में ज्ञान प्रकाश मिश्रा, अभय सिंह व अपने अन्य दोस्तों के साथ भट्टे पर कई बार आता । ज्ञान प्रकाश मिश्रा ही भट्टे की देखभाल करता था । मैं ज्ञान प्रकाश मिश्रा और उसके दोस्त अभय सिंह, अवधेश राय, बलदेव सिंह, छोटू पहलवान व महेन्द्र को सामने आने पर पहचान सकता हूं ।

पढ़कर सुनाया, सही पाया ।

सत्य प्रतिलिपि

[signature]

मेरे समक्ष
सही-
(होशियार सिंह)
निरीक्षक 7.1.92
सी0बी0आई0/एस0आई0सी0-2
कैम्प भिलाई

P.W.136

Statement of Shri A.K.Tiwari s/o Shri S.N.Tiwari, Telecommunication District Engineer, Durg Telecom Division, Durg (M.P.) resident of New Telephone Exchange Building, Sector-1, Bhilai Distt. DURG (MP)

(In RC.9(S)/91-SIU.V) Dated 6-12-91

I joined service as Asstt. Divisional Engineer in the office of General Manager, Telecommunication Centre, Jabalpur (M.P.) on 28.5.1985 and since 29.9.89 I am working as Telecommunication District Engineer, Durg office at Raipur, which shifted to Durg on 28.5.90.

On 5.12.1991, I had received a letter No.35/3/9(S)/91-SIU.V/ CBI dated 4.12.91 of the Supdt of Police, CBI, SIC.II, New Delhi Camping at Vishakhapatnam Hostel, Bhilai for supply of information about the telephone numbers mentioned in the said letter. On receipt of this letter, I had entrusted this job to the concerned officer of my office. For supply of information of the Telephones pertaining to Durg Telephone Exchange, Shri Shailendra Aggarwal, Jr. Telecom Officer, was deputed and of the telephones pertaining to Bhilai Telephone Exchange Shri S.C.Gaurkar, S.D.O. (Phones), Bhilai was deputed. These both officers on the basis of record maintained in their offices, had supplied the required information to me vide their statements both dated 5.12.91.

Today, I have handed over the above said both statements to you vide a forwarding letter No.X-Z/CP/CON/Ch.III/327 dated 5.12.91 duly signed by me addressed to the Supdt of Police/CBI/SIC.II, New Delhi camping at Bhilai. I identify my signature on this forwarding letter and the signatures of S/Shri Shailendra Aggarwal & S.C.Gaurkar on the enclosed both statements with this forwarding letter.

On the basis of record maintained during the routine course of our official business, the statements mentioned as above were prepared. The name and address pertaining to the Telephone numbers mentioned in your letter are mentioned below against the respective Telephone number :-

S.No.	Telephone No.	Address
1.	2057	Shri D.V.Singh, M/s Simplex Casting Ltd. 12/1 [illegible] lviya Nagar.
2.	2064	Simplex Engg. & Casting Works MIG-65 Padamnabhpur.
3.	2119	Simplex Casting Ltd. Malviya Nagar.
4.	2209	Shri Navin R.Shah, Simplex Colony, Malviya Nagar.
5.	2387	Shri Navin R.Shah, Simplex Casting, Malviya Nagar.
6.	2478	Shri Deepak Shah, Deepak Nagar.
7.	2574	Shri A.K.Awasthi, Simplex Casting MIG-31 Padamnabhpur.
8.	2579	Shri R.B.Shah, Simplex Sales Agency, M-52 Padamnabhpur.
9.	2587	Shri A.K.Shah, Ravi Nagar.
10.	2668	Simplex Engg. & Foundary Works Pvt Ltd. Malviya Nagar.
11.	2761	Shri B.Srivastava, M/s Simplex Casting Ltd. MIG-393, Padamnabhpur.
12.	2863	Shri H.B.Shah, Simplex Engg. & Foundary Works Ltd. Malviya Nagar.
13.	3020	Simplex Engg. & Foundary Works Ltd, SM-54, Padamnabhpur.
14.	3054	Complex services, Simplex Colony, Malviya Nagar.
15.	3415	Shri S.K.Bapa, Simplex Engg. & Foundary Works Ltd, MIG-193, Padamnabhpur.
	KEDIA GROUP	
16.	2228	M/s Kedia Distilleries Ltd. 59/1, Malviya Nagar (W).
17.	2588	M/s Kedia Distilleries, 64, MLN Nagar.
18.	2589	M/s Mohan Lal Bhagwati Prasad, 59/I, Nehru Nagar (W).
19.	2626	Shri Pradeep Dewra 64, MLN Nagar.

S.No.	Telephone No.	Address
20.	2659	Shri Vinay Kedia, 64 MLN Nagar.
21.	2661	Shri Kailashpati Kedia, 64 MLN Nagar.
22.	2663	Shri Mohan Lal Kedia, 64 MLN Nagar.
23.	2763	Smt. Manju Kedia, 2/4 MLN Nagar.
	OTHERS	
24.	2129	M/s Hindustan Electro Graphites Ltd., Nahar Complex, 2nd Floor, Old Bus Stand, Durg.
25.	2229	Shri Manohar Lal Shanti Lal, Matrai Bazar, Durg.
26.	2378	Shri Randhir Singh, Luchaki Tolak, Durg.
27.	771-3235444	M/s B.E.C. Detergent Apna Washing Powder, Urla, Raipur.

All the above telephones are of Durg Exchange.

The undermentioned telephone numbers pertain to Bhilai Telephone Exchange :-

S.No.	Telephone No.	Address
28.	5870	M/s Simplex Engg. & Foundary Works, 65, Industrial Estate.
29.	5553	Dr. Devidas, Bhilai Times, Ram Nagar, Bhilai.
30.	6354	M/s Oswal Iron & Steel Pvt Ltd, 17-C, Industrial Estate, Bhilai.
31.	5569	M/s Simplex Casti[illegible], Plot No.5A, I/E, Nandni Road.
32.	6123	-do-
33.	6286	M/s Simplex U[illegible], 65-I/E, Nandni Road.
34.	5218	M/s Jai Bharat Transport Co., opp. Basant Talkies, G.E.Road, Bhilai.
35.	5817	Shri P[illegible] Nath Mishra, Baba Atta Chakki, Steel Nagar, Camp No.1, Bhilai.
36.	6478	M/s Oswal Steel Industries, 17-C, I/E, Bhilai.
37.	5603	M/s Simplex Engg. & Foundary Works, 65, I/E, Bhilai.
38.	5605	M/s Simplex Motors, 112, 116 Akashganga Complex, Supela, Bhilai.

S.No.	Telephone No.	Address
39.	6254	M/s Simplex Engg. & Foundary Works, I/E, N.Road.
40.	5416	Managing Director M/s Kedia Distilleries, 4-D, Light Industrial Area, Bhilai.
41.	5695	Shri V.C.Shah, Res. LIC-100 Vaishali Nagar of M/s Simplex Casting.
42.	6209	M/s Simplex Engg. & Foundary Works, 65, I/Area.
43.	5617	M/s Simplex Sales Agency, 34-Civic Centre, Bhilai.
44.	5726	M/s Manju Rare Chemicals & Ferro Alloys, I/E, Bhilai.
45.	5308	M/s Simplex Casting Pvt Ltd. I/E, N.Rd., Bhilai.
46.	5375	M/s Simplex Casting MIG-71, Vaishali Nagar.
47.	5953	Simplex Sales Agency, 17-A, Nandni Road, Bhilai.

48. Telephone No.22056 does not relate to Durg and Bhilai Telephone Exchanges.

RO&AC

Before me.

Sd/- 6.12.91

(J.C.PRABHAKAR)
Inspr/CBI/SIC.II/Camp
Bhilai/Durg.

T.C.

RC.9(S)/91-SIU.V/CBI

Dated : 31st December, 1991.

Statement of Shri Ram Gopal Pandey, age about 35 years S/o Shri Chanderbhushan Prasad Pandey r/o Vill. & PO [illegible]thari, District Shahdol (MP) presently working as Asstt. Labour Commissioner, Raipur (MP) recorded u/s 161 Cr.P.C.

On being asked, I hereby state that I have been working as above since 25.6.90. I am in-charge of 4 districts i.e. Raipur, Durg, Rajnandgaon and Bastar. My duties are inter-alia implementation of labour laws and orders, and to settle the industrial disputes arising between employers and employees. As per Contract Labour (Regulation & Abolishion) Act, 1970 and Rule 1973, every union is required to be registered with Registrar of Trade Unions, Indore. The rule provides that whenever any union wants to register with the Registrar of Trade Unions, they must show the membership of at least 7 members and their by-laws and only after examination of the same, Registrar of Trade Unions register such unions and give registration number. As per the law, every State Government, including the MP State framed by-laws within the framework of the Act passed by Govt. of India for the safeguard of labourers.

Under this Act, there is a provision for contract labour system and such contractor or employer is bound to get the firm registered with Labour office if they engages 20 labrurers and above and every year this has to be renewed. If the contractors or employees engage less than 20 persons for particular work, they are not required to be registered. The law also provides that every contractor/employer has to give number of facilities to the labourers, if those facilities are not given as mentioned in the law, they are bound to face the legal action and legal actions are being taken by us. The contractor/employer has to deposit Rs.30/- per head as security money and over and above they have to pay ~~xxx~~ some fees annualy.

Every contractor or employer, as required under law has to maintain record of the labourers so engaged so that at the time of inspection their actual position could be ascertained as to whether they have engaged 20 and more labourers or less than that. Even if a contractor or employer engages less than 20 persons, no doubt they are not required to be registered with labour office but they have to follow the instructions as provided under the Minimum Wages Act and Rules.

Chhattisgarh Mukti Morcha is a political party. As such they are the appex platform of different trade unions such as (i) Chhattisgarh Shrimik Sangh (ii) Pragatisheel Engineering Shramik Sangh (iii) Pragatisheel Cement Shramik Sangh etc. The above mentioned three trade unions are registered with Registrar of Trade Union, Indore.

M/s. Simplex Group of Industries have got five units situated in Raipur, Durg and Rajnandgaon. Pragatisheel Engineering Shramik Sangh bearing registration No.4119 is the registered trade union with the units of Simplex Group of Industries. As per Rule 31(2) of MPIR the trade union has to give notice/charter of demands to the employer in a prescribed format and copy of the same is required to be given to the Councilaitor/ALC, Chief Councilaitor/LC and Registrar of Trade Union. If no agreement arrives between employer and trade union as provided under Rule 53 within a limited period and if union submits further report of dispute to the above officers then the proceedings are to be started by this office. Pragatisheel Engineering Shramik Sangh had submitted charter of demands/notice to the employer on 15.10.90 for their various demands, copy of which was also given to this office. I produce herewith the copy of the said demands dt.15.10.90 after duly certifying the same. Subsequently, the trade union also submitted the list of employees/labourers whose services were terminated during October, November, and December 1990. The copy of those lists

of the terminated employees are also produced herewith after attesting the same from my record. Such notice/charter of demands were also received in respect of other industrial establishments within this area. These charter of demands were not submitted in the prescribed proforma. As such this office did not take any action immediately against the management of the industries. But since this dispute continued and it is the duty of the labour office to resolve such disputes, I asked the management to appear before me. I also asked the trade union to send their representative to resolve this dispute on 31.10.90. No representative from Simplex Group of Industries attended the meeting. Thereafter on four different dates such meetings were fixed in my office such as 8.11.90, 14.11.90, 27.11.90 and 10.12.90, but on none of the dates fixed, the representative of Simplex Group of Industries attended. As such this problem could not be sorted out.

In the meanwhile on 15.11.91 vide this office letter No.1356/3/RS/911-10873, all the industrial groups were requested to give comments regarding the charter of demands submitted by the trade unions. I also carried out number of joint inspections in Simplex Group of Industries. (3)

In response to this office letter dt. 15.11.91, Shri S.N.Sharma, General Manager (Commercial), Simplex Group of Industries wrote a letter vide No.SE/ADM dt.12.12.91 to this office. In this letter Shri Sharma has tried to explain position regarding the termination of the employees and has also refuted the charges levelled against the management by the trade unions. An attested photocopy of this letter I produce herewith for ready reference. (4)

As a result of the joint inspection, I recommended prosecution of Simplex Group of Industries for violation of different laws, the details of which I furnish below :

Sr.No.	Name of the Act	No. of cases	Section/Rule under which prosecution is recommended
1.	Minimum Wages Act	27	U/s 18 Rule 22/3, 31 A, 22/4, 23/29
2.	Contract Labour Act	9	Rule 29, 78, 81/1, 81/2
	Total	36	

I have submitted the report for launching prosecution against this group of Industries and the necessary steps will be taken in due course.

During the various meetings with the union leaders, I asked the union leaders to give further comments on the letter of Shri S.N.Sharma, General Manager (Commercial) dt.12.12.91. Shri Anoop Singh, Genl. Secretary, Pragati-sheel Engineering Shramik Sangh submitted a reply to the Addl. Labour Commi-ssioner (Indore) on 31.12.91 and the copy of the same has also been submitted to my office today. I produce a photocopy of the same.

RO&AC

Before me,

Sd/- 31/12/91
(M.K.JHA)
DSP/CBI/SIC.II/New Delhi.
Camp : Bhilai
31.12.91

T.C.

PW95
29-1-96

पी.डब्लू 138

ब्यान

श्री डी.के. दुबे आत्मज श्री जे.के. दुबे उम्र 49 आर./पो.- 16-कालेज रोड चौबे कालोनी रायपुर,

--00--

मैं बताया कि मैं स्टेट बैंक आफ इण्डिया ब्रान्च, इण्डस्ट्रीयल, स्टेट, नंदनी रोड में ब्रान्च एकाउन्टेन्ट के पद पर सन् 1991 में था। भोगवाल आयरन एण्ड स्टील का बैंक एकाउन्ट ओपनिंग फार्म [illegible] फार्म तथा भोगवाल, स्टील इण्डस्ट्रीज इन्डस्ट्रीयल स्टेट भिलाई के [illegible] फार्म आज दिनांक 11/12/91 को सी.बी.आई. द्वारा [illegible] जिन पर मैंने हस्ताक्षर किये हैं तथा इन डोक्यूमेंट पर मैंने हस्ताक्षर किये हैं। इन दोनो डोक्यूमेंट के एकाउन्ट नं. 10/1033 तथा 4/611 X, पर श्री जे.के. भाटिया के हस्ताक्षर हैं, जिन्होंने एकाउन्ट ओपनिंग फार्म स्पेसीमेन एवं स्पेसीमेन शीट पर दो जगह हस्ताक्षर प्रमाणीकरण के किये हैं श्री नंदलाल शाह के [illegible] उन्होंने ही प्रमाणित किये हैं। X हैं। श्री [illegible] शाह [illegible] श्री [illegible] शाह [illegible] एकाउन्ट नं. 10/1033 पर श्री एन.डी. [illegible] [illegible] हस्ताक्षर की जगह [illegible]

//सत्यप्रतिलिपि//

हस्ताक्षर/सही
11/12/91

(ए.डी. पाण्डे,)
डी.एस.पी., सी.बी.आई.
एस.आई.सी. 2,

एकाउन्ट नं. 4/611

DW 96
29-1-96

PW-139

16.12.91
BHILAI

Statement of Shri B.L.Dewagan, Vigilance Watcher (Spl. Grade) HSCL Ltd., Bhilai (MP).

******

Today, one Sh. Chander Kant Ramji Shah of Nehru Nagar, Bhilai gave his specimen writings and signature in Hindi and English in my presence as well as in the presence of my colleague, Shri P.R.Dewagan on 12 sheets. I have signed all the sheets in token of having witnessed the same.

(B.S.KANWAR) 16.12.91
DSP/CBI/SIC.II/NEW DELHI.
CAMP : BHILAI.

T.C.

PW-140

Statement of Shri P.R.Dewagan, Vigilance Watcher (Spl. Grade) HSCL Ltd., Bhilai (MP).

Given up.
29-1-96

******

Today, one Sh. Chander Kant Ramji Shah of Bhilai gave his specimen writings and signature in Hindi as well as English on 12 sheets in the presence of Sh. B.L.Dewagan my colleague and myself. Both of us have put our signature on all the sheets in token of having witnessed the same.

(B.S.KANWAR) 16.12.91
DSP/CBI/SIC.II/NEW DELHI.
CAMP : BHILAI.

T.C.

PW 21
1.3.95

Ex P/115

BHILAI
3.12.91

Statement of Shri D.P.Bhattacharya(Durga Prasad Bhattacharya) S/o Shri M.K.Bhattacharya r/o HIG-I/1066, M.P. Housing Board, P.O.Industrial Estate, PS-Jamul, Bhilai.

******

I started working in Simplex Engineering and Foundary Works Ltd., Bhilai since 1971. Shri H.B.Shah is the Chairman while Shri M.C.Shah, Navin Shah and Arvind Shah are its three Directors. There are three units in Simplex Engineering & Foundary Works Ltd. i.e. Unit No.1 Unit No.2 and Unit No.3. Shri Mool Chand Shah is the Technical Director of Unit No.1,2 & 3 while Shri Arvind Shah is the Commercial Director of Unit No.1,2 & 3. This company undertakes the work of fabrication and machining of equipments to meet the job orders of various steel plants. There is also Simplex Castings Ltd. Shri H.B.Shah is its Chairman-cum-Managing Director while M.C.Shah, Arvind Shah and Navin Shah are its Directors. There are two units of Simplex Castings Ltd. In Unit No.1 Navin Shah is the Technical Director while Arvind Shah is Director Commercial. In Unit No.2 situated at Urla, Raipur Shri Deepak Shah is the Chief Executive, required to report directly to Navin Shah. Simplex Castings Ltd. undertakes the work of Ferrous & Non-Ferrous casting. There is other concern named Sangam Forging, Tedesara, Rajnandgaon, a Pvt. Ltd. Its Chairman is also Shri H.B.Shah and as regarding the Directors, I only know about Arvind Shah as its Director. This firm undertakes the work of Iron forging and Shri S.K.Dass Gupta is the Chief Executive of Sangam Forging. There is another concern Oswal Steel & Iron Works and it is headed by Shri Chandra Kant Shah and I do not know what type of works are undertaken by this company/firm. Shri Moolchand Shah, Director Technical, Arvind Sha, Director Commercial, Prasar Shah Director Marketing, Navin Shah, Director Technical Simplex Casting,

D V Singh (248)
Simplex Castings
Urla

Rajesh P. Shah
Manager Oswal

PW-141

Shailesh Shah, Chief Executive Works Unit-1, all sit in the office situated in Unit No.1, located at 65, Industrial Estate, Bhilai. Smt. Jasberda is the Receptionist for whole of the office. Shri Moolchand is assisted by me as PA and Mr. K.Thankachan, Steno. Shri S.Nagarajan is Steno-cum-PA to Shri Arvind Shah. Shri Vishwanathan is PA-cum-Steno to Shri Navin Shah. All these PA-cum-Steno sit in the Unit No.1 except Shri Vishwanathan who sits in Simplex Castings Unit No.1. Shri Prasan Shah, Director Marketing has no PA and he uses the services of Mr.Nagarajan and Mr. K.Thankachan. Shri Shailesh Shah, Chief Executive Works is having Smt. Sushma Shrivastawa as PA cum TA. In Simplex Castings Unit-I, Mrs. Ghosh is the Receptionist, while in Unit-2 of this company Mr.Nair, a wireless Operator attends to these duties. In Unit-2 of Simplex Engg. & Foundary Works Ltd., there is no PA/Receptionist while in Unit No.3 of this company Mr.Kutty, Wireless Operator attends to these duties. When I joined Simplex Engineering & Foundary Works Ltd. in 1971 at that time it was not a limited company. At that time the works of Simplex Castings, Simplex Udyog and Simplex Engineering & Foundary Works were in one and the same unit. In 1972 Simplex Castings was separated and in 1973-74 Simplex Udyog was separated from the parent compnay. I worked for about 6/7 years as Timekeeper which was my initial appointment and thereafter for about 4/5 years as Store Asstt. In 1979 I started working as Sr.Asstt. in the Execution Department headed by Shri H.B.Shah and worked with him for about 3/4 years. In the Execution Department I was attending to typing, bill work and also as telephone attendant. In 1983 H.B. Shah went away to Delhi to head an office there and I started working as PA to Arvind Shah. About 4/5 years back Arvind Shah went to head Unit No.3 and I started working as PA to Mool ChandShah I am working as such

Pr

for the last about 5 years. My duties as PA include to receive all letters of M.C.Shah, Arvind Shah, Prasan Shah, Sailesh Shah and then to distribute the same to the other concerned PAs, to receive wireless message, to operate telex and also sometimes to draft reply of official letters. I also look after the maintenance of the xxvehicles of the company Unit No.1. My duties are from 8 AM to 5 PM with lunch break of one hour from 12.00 noon to 1.00 PM. I am getting pay of Rs.2350/- +100 HRA + Rs.200/- conveyance allowance, in addition to 20% bonus per year.

Whosoever visits to meet Shri Moolchand Shah, he has to approach Mrs. Jasoanda who informs me on the intercom about the visitor. I at my own part seek the permission from Shri Moolchand Shah on the intercom and then send the visitor in. I know Shri Gyan Prakash Mishra of Bhilai, who is a younger brother of Shri Prabhu Nath Mishra. Shri Gyan Prakash Mishra alongwith some other persons had visited Shri Mool Chand Shah in the middle/end of July, middle of August, end of August and beginning of September,1991. As regards the other persons accompanying Gyan Prakash Mishra, I do not know their names but am confident to identify a few if produced before me. I do not know as in which connections Shri Gyan Prakash Mishra had met Shri Mool Chand Shah. On no occasion I was informed about the purpose of visit by Gyan Prakash Mishra nor did I enquired from him. I know and can identify Shri Gyan Prakash Mishra.

I further state that there are three main sections on which mainly the production and despatch of the product depends. Firstly it is the store section which is headed by Shri H.T.Shah who is assisted by Lal Singh and K.K.Khandelwal. Shri H.T.Shah is Manager Stores. The receipt and despatch of the material is done by this section, which is headed by Shri A.S.Natrajan, General Manager Works who is assisted by Shri S.K.Jain, Sr. Manager Works. The third section is the Planning Deptt.,

headed by Shri O.P.Khare, Dy.General Manager, Planning who is assisted by Rajnand Rastogi. I further state that the Stores Department and the Production Department submit the daily despatch and production statement indicating the quantity of material produced and despatched. Both these departments also submit monthly despatch and production reports. The Planning section submits monthly Planning Report in the first week of every month, normally indicating the targets for production, despatch etc. 'C' All these statements i.e. daily or monthly, go to Shri Sailesh Shah and then are received by Shri Mool Chand Shah through me. I do not scrutinise the statements minutely but just have a cursorey look before forwarding these to Shri Mool Chand Shah. 'D' On the basis of the statements seen by me earlier, I can say that since May/June,1991 the production has decreased in Simplex Engineering & Foundary Works Ltd. This is mainly due to the labour trouble, caused by the strike of Chhattisgarh Mukti Morcha, earlier headed by Shri Shanker Guha Niyogi. Prior to May, 1991 there used to be despatch work of worth about Rs.1 crore of Unit No.1 & 2 and thereafter it fumbled down to Rs.75 to 80 lakhs and sometimes even it has gone to Rs.50 lakhs. 'D' The daily despatch and production reports and monthly despatch and production reports are returned to the concerned sections after the perusal by Shri M.C.Shah. The Planning Report submitted monthly by the Planning Department is also returned to the Planning Department after its perusal. These may be available with the concerned Departments/Sections.

RO&AC.

Before me,

Sd/-
(HARBHAJAN RAM) 3.12.91
DY.SP/CBI/SIC.II/NEW DELHI.
CAMP : BHILAI.

PW-142

Dated : 16.12.91

Statement of Shri Ravinder Kumar Pandey, Branch Manager(Bank Officer) Gorakhpur Kshetriya Grammin Bank, Mirzapur, Distt. Gorakpur.

******

On enquiry, I state that Saving Bank A/c No.1561 was opened in my bank by Smt. Sawari W/o Late Sheetal Mallah (Correct name Sita Ram Mallah as explained by introducer of account, Shri Sukhdev Pandey, Postman, Mirzapur) r/o Mirzapur on 9.10.91 by depositing an amount of Rs.3500/-. ~~Smt.~~ Since Sawani is an illeterate lady, the account opening form was filled in by Shri Ram Sewak, messenger of the Bank and her photo affixed in specimen signatures Register of Account holder at Sr.No. SS2/624 of the register.

Thereafter, there had been no deposit. But withdrawals only, as indicated below :-

1.	Withdrawal on	8.11.91	Rs.1000/-
2.	"	22.11.91	Rs.1000/-
3.	"	2.12.91	Rs. 500/-
	Balance		Rs.1023/- with interest.

The pay-in-slip of deposit of Rs.3500/- on 9.10.91 and then withdrawal of Rs.1000/- on 8.11.91 have been filled in by Sh. Ram Sewak, messenger of the bank, whereas for withdrawls on 22.11.91 and 2.12.91 by somebody else.

RO&AC.

BEFORE ME,

Sd/-
(D.P. SINGH)
DSP/CBI/SIC.II/NEW DELHI.
CAMP : BHILAI.

T.C.

PW 100
30-1-96

PW143

- बयान -

श्री राधे श्याम यादव पिता का नाम श्री राम पूजन यादव निवासी ग्राम कुसम्हिया, थाना रुद्रपुर जिला देवरिया (उ.प्र.) का धा.द.प्र.सं. की धारा 161 के अन्तर्गत लिया गया बयान।

---00---

मैं उपरोक्त हूं मेरी उम्र लगभग चालीस साल की है मैं देवरिया जिला अन्तर्गत रुद्रपुर थाना के राम नगर ग्राम के निवासी श्री राम प्रकाश मल्ल के ईंट की भट्ठी पर हिसाब मुंशी के रूप में कार्यरत हूं।

मेरा काम उपरोक्त ईंट भट्ठे पर ईंट बेचना और दैनिक मजदूरों को मजदूरी बांटना है, मेरे अलावा एक और मुंशी जी का नाम राम जीत यादव है, और जो रुद्रपुर (देवरिया) थाना के अन्तर्गत मकटहां ग्राम के निवासी है, इस काम को देखते है।

इस ईंट के भट्ठे पर से ईंट के नगद बिक्री का काम हम स्वयं कर लेते है। उधार की बिक्री के लिये भट्ठे के मालिक की अनुमति आवश्यक है। ईंट बेचने की दर दो ढंग से तय होती है एक में केवल ईंट का दाम तय होता है, और दूसरे तौर पर ईंट के दाम के साथ साथ ढुलाई का खर्च भी शामिल होता है। प्रथम तरीका में ग्राहक को ईंट भट्ठे पर से अपने घर तक अपने साधन द्वारा ले जाना पड़ता है जबकि दूसरे तरीके में ग्राहक के घर पर ईंट पहुंचाने का जिम्मा भट्ठे मालिक की होती है। यह अपने ट्रैक्टर के द्वारा ईंट ग्राहक के घर पर पहुंचाते है। ईंट की नगद बिक्री को हम लोग एक रजिस्टर में दर्ज कर लेते हैं

ईंट की बिक्री का रजिस्टर मेरे सामने हैं, इसमें दिनांक 4/10/91 को निवही ग्राम निवासी, नोखई मल्लाह के नाम से चार हजार ईंट जो कि बिक्री दर्ज है। ढुलाई सहित 730 रुपये की दर से इंटों की बिक्री हुयी थी, और ग्राहक ने कुल 2920 रुपये नगद प्रदान किये थे।

जहां तक मुझे याद है दिनांक 4/10/91 को दो व्यक्ति लाल रंग की टी.वी.एस. सुजुकी मोटर साईकिल पर ईंट खरीदने के लिये आये थे। उनमें एक व्यक्ति निवही ग्राम का निवासी नोखई मल्लाह

मालिक पलटन मल्लाह था, जिसका फोटो अभी आपने मुझे दिखाया। और दूसरे आदमी थे मैं नहीं पहचानता हूँ। पलटन मल्लाह ने ठेका दर तय किया और चार हजार ई. अपने पिता के नाम पर खरीदा। इसके लिये उसने दो हजार नौ सौ तीस रुपये ईंट का नकद भुगतान किया इसके बाद वे दोनों लड़के उसी लाल रंग की टी.व्ही.एस. सुजुकी मोटर सायकिल पर निवड़ी की तरफ चले गये। हम लोगों को इस ढुलाई का कर्ज प्राप्त हो गया था अतः उपरोक्त चार हजार ईंटों को जिन पर आर.पी.एस. का निशान है था। प्रकाश मल्लाह (भट्ठा मालिक) के ट्रैक्टर द्वारा पलटन मल्लाह के घर निवड़ी पहुंचवा दिया गया।

पढ़कर सुनाया यथार्थ स्वीकार किया गया

मेरे समक्ष

हस्ता/-अपठ,

(एस.के.पाठक,)

निरीक्षक.सी.बी.आई.

कैम्प गोरखपुर,

//सत्यप्रतिलिपि//

RC.9(S)/91-SIU.V/CHI Dated ; 20.12.91

Statement of Shri Ajay Kumar Singh, age 37 yrs., S/o Shri Girish Prasad Singh r/o Vill & P.O. Narenderpur, PS Ander, Distt. Siwan u/s 161 Cr. P.C.

******

I am as above. I had started working as Manager of Hotel Banjara, Srinagar, Siwan in Oct./Nov.1989 and worked in this capacity till May 1991. Today you have shown me the visitor's Register of Banjara Hotel. On being shown the page No.16, I can say that on 14.11.90 one Gyan Prakash Mishra had stayed in our hotel till 19.11.90 and then again checked in on 19.11.90. Theccustomer himself had made the entries. On the basis of this I can say that two persons had stayed in Room No. 111 and 101 from 14.11.90 to 19.11.90 and 19.11.90 to 23.11.90 respectively. There are two other entries at page 17 on 22.11.90 at Sl.No.2 and on 23.11.90 at Sl.No.1 which also been made by the customer. There is another entry at page No.21, Sl.No.1 dated 10.12.90 of Gyan Prakash Mishra made by the customer. This register was being maintained in the Hotel for the entries of visitors. Three to four persons had come in Nov/Dec.1990 in a red Gypsy bearing No. HKR-16. Today I was also shown two bill books of the hotel. Bill No.1064 dated 19.11.90 pertaining to room No.111. On the basis of this I can say that three persons had stayed in the hotel. The bill has been prepared by me and bears my signature. The bill totals to Rs.775/-. Bill No.1074 dated 23.11.90 of room No.104 reveals that one person had stayed in the room. This bill has also been prepared and signed by me. Bill No.1089 dated 1.12.90 has also been prepared and signed by me. It shows that 3 persons had stayed in the room. Bill No.1103 dated 13.12.90 has been

T.C.

PW-144

prepared and signed by me. According to this on Shri Gyan Prakash Mishra had stayed alongwith another persons from 9.12.90 to 13.12.90.

Today I was also shown the telephone Register of our hotel in which we make entries of the customers who use our telephone. The entry dated 14.11.90 has been made by me. According to this the person who stayed in Room No.111 Had made a call to Patna. The other entries have however not been made by me. Whoever remains at the counter makes the entries in this register. This register is of the hotel.

Today you have shown me 6 photographs but on seeing them I can not say whether any of them stayed in our hotel. However, if I see the persons I may be able to recognise the people who stayed in our hotel. As per our register Gyan Prakash Mishra and Awadesh had stayed in our hotel in Nov./Dec.1990. They had frequently made local as well as long distance calls using our STD facility of Telephone No.2776. Now our telephone does not have STD facility and the No. is 2987.

RO&AC.

Before me,

Sd/-
(N.M. SHERAWAT) 20.12.91
Inspr/CBI/SIC.II/NEW DELHI.
At Siwan.

T.C.

PW-145

RC.9(S)/91-SIU.V, SIC.II, SPE
CBI, New Delhi
19/12/1991.

बयान श्री जयगोविन्द पाल आत्मज श्री कृष्णदास ग्राम/पो० ग्राम पलिकपुर सकरी पी.ओ. भूतर मठा थाना पर्व जिला सीतामढ़ी बिहार दौरान में बेयरा होटल लजारा श्रीनगर जिला सिवान बिहार, जुर्म 161 सी.आर.पी.सी.

—00—

मैं ऊपर लिखित हूँ। मैं ऊपर लिखित होटल में लगभग एक वर्ष से ऊपर से बेरे के रूप में काम कर रहा हूँ। मेरा काम मेहमानों को खाना खिलाना व कमरा ठीक ठाक रखना है। आज मुझे आपने चार फोटो दिखाये उनमें से मैं दो को पहचान सकता हूं क्योंकि आज से लगभग एक वर्ष पहले ये दोनों कमरों में रुके थे चार पांच दिन के लिये रुके थे और फिर पटना चले गये थे जैसाकि मुझे बताया था, कुछ दिन बाद फिर लौट कर आये फिर दो एक दिन रुके व फिर वापस चले गये जिन फोटो को मैं पहचान रहा हूं उनके पीछे मैंने अपने बायें हाथ का अंगूठा, श्री. भूपेन्दर सिंह पुत्र श्री भुवनेश्वर सिंह निवासी ग्राम भरथुईगढ़ पो.आ. जिरादेई थाना व जिला सिवान बिहार के सामने जो कि मैनेजर लजारा होटल है लगाया है ये लोग लाल रंग की जिप्सी में आये थे श्री भूपेन्दर सिंह ने भी दो फोटो के पीछे दस्तखत किये है।

पढ़कर सुनाया व सही पाया

मेरे समक्ष

हस्ता/-सही, 19/12/91

(न.कि. शङराका)

//सत्यप्रतिलिपि//

निरीक्षक सी.बी.आई. कैम्प सिवान,

PW-146 RC.9(S)/91-SIU.V/SIC.II/CBI/NEW DELHI.

पी.डब्लू -146 आर.सी.9(एस)-91

बयान श्री रमेश शर्मा आत्मज श्री रघुनाथ शर्मा. आर./ओ. रौलीकोठी रुस्तमपुर गोरखपुर (उ.प्र.)

यू/एस 161 सी.आर.पी.सी.

मैं ऊपर लिखा हुआ [illegible] ज्ञान प्रकाश मिश्रा को जानता हूँ। नवम्बर 1990 में ज्ञान प्रकाश मिश्रा [illegible] आदमियों सहित एक लाल रंग की जिप्सी में आया था और [illegible] ब्लाक प्रमुख रौली कोठी रुस्तमपुर गोरखपुर के [illegible] रुके थे इनके साथ चार डाकी स्टिक थी और वह कह रहे थे कि [illegible] सिवान, [illegible] होते हुये नेपाल जायेंगे। आपने मुझे पांच फोटो दिखाये इनमें से मैं ज्ञान प्रकाश मिश्रा व एक अन्य का फोटो पहचान रहा हूँ और इन दोनों फोटो के पीछे मैंने हस्ताक्षर कर दिए है।

पढ़कर सुनाया व सही पाया.

मेरे समक्ष

हस्ताक्षर/सही,

24/12/91

(न.सि. महरावत)

निरीक्षक,

सी.बी.आई. कैम्प गोरखपुर.

//सत्यप्रतिलिपि//

PW 97
30-1-96

पी.डब्लू.-147

आर.सी.-9(एस)91 एस.आई.यू.-5

बयान

मैं सुरेश विश्वकर्मा पुत्र स्व. राम अवध विश्वकर्मा निवासी, ग्राम निरही थाना रूद्रपुर जिला देवरिया (उ.प्र.) का भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के तहत लिया गया बयान।

—oo—

मैं उपरोक्त हूँ मेरी उम्र लगभग 25 वर्ष की है जीविकोपार्जन के लिये मैने गोरखपुर जनपद के [illegible] थानान्तर्गत नई बाजार नामक स्थान पर अनुज रेडियो सर्विस के नाम से एक रेडियो टेप रिपेयर की दुकान खोल रखी है। मैं चार वर्षो से रेडियो मैकेनिक का काम कर रहा हूँ।

मैं देवरिया जिला के रुद्रपुर थानान्तर्गत निरही ग्राम का निवासी हूँ मेरे पिता स्व. राम अवध विश्वकर्मा थे। हम 6 भाई हैं। मेरे तीन भाई सदानंद, मेघराज, एवं नंद लाल विश्वकर्मा बम्बई में रहकर काम करते है। चौथा भाई हंसराज विश्वकर्मा गोरखपुर में [illegible] स्थित [illegible] फैक्ट्री में लेथ मशीन पर काम करता है पांचवा मैं हूँ और सबसे छोटा भाई रामनवल विश्वकर्मा, आई.टी.आई. गोरखपुर का छात्र है।

मैं अपने गांव निरही के [illegible] मल्लाह के पुत्र सल्टन मल्लाह को बचपन से जानता हूँ वह अधिकांशतः मध्यप्रदेश के भिलाई शहर में रहता था, सन् 1991 के अक्टूबर माह के प्रथम सप्ताह में वह भिलाई से अपने गांव निरही आया जब मैं नई बाजार से अपनी दुकान बंद करके वापस निरही लौटता था, तो उससे मुलाकात होती रहती थी, चार अक्टूबर, 1991 को सल्टन मल्लाह मुझसे मुलाकात किया, और बोला कि उसे मकान बनवाने के लिये ईटें खरीदनी थी, उस समय सल्टन के पास में एक लाल रंग टी.व्ही.एस. सुजुकी मोटर सायकिल थी, ईट के भट्ठे पर चलने के लिये उसने मुझसे आग्रह किया उसके बाद हम दोनो, उस लाल रंग की टी.व्ही.एस. सुजुकी मोटर सायकिल, पर चढ़कर पास के गांव रामनगर वाले राम प्रकाश मल्लाह के ईट की चिमनी पर गये वहां पर हम लोगो ने ईट की खरीद दारी के लिये चिमनी के मुंशी

PW-147

से बात की, ।

उस समय ईंट का मूल्य बाजार भाव सौ रुपये प्रति हजार से ऊपर चल रहा था सलटन ने चार हजार ईंट खरीदना था, इसके लिये उसने सात सौ तीस रुपये प्रति हजार की दर से दो हजार नौ सौ बीस रुपये मात्र नगद भुगतान किया । सलटन ने ईंटों को अपने पिता गोकुल के नाम से खरीदा । इसी ईंट को सलटन [illegible] के घर तक पहुंचाने का भाड़ा भी शामिल था । मुंशी ने इस रकम को अपने रजिस्टर में दर्ज कर लिया था । उसके बाद सलटन ने मुझे लाल रंग की टी.वी.एस. सुजुकी मोटर सायकिल पर बिठाकरके मुझको घर पर छोड़ दिया और अपने कहीं अन्यत्र चला गया, । उसके दो चार दिनों बाद सलटन से मेरी मुलाकात हुई तो उसने बताया कि [illegible] वालो ने अपने ट्रेक्टर से सम्पूर्ण ईंट मेरे घर पर भिजवा दिये थे । उस समय वह बाजार से आ रहा था, और लाल रंग की टी.वी.एस. सुजुकी मोटर सायकिल उसके साथ थी ।

आज आपने उस सलटन का फोटो दिखाया तो मैंने बताया कि वह सलटन का ही फोटो था ।

पढ़कर सुनाया गया और सही पाया ।

मेरे समक्ष,

हस्ता/सही,

(एन.के.पाठक)

निरीक्षक, सी.बी.आई./एस.पी.ई.

एस.आई.सी. 2,

कैम्प गोरखपुर,

//सत्यप्रतिलिपि//

पी0डब्ल्यु0- 148

दिनांक 2·1·91

बयान श्री टीकमदत्त पांडे पुत्र स्व0 जादोलाल पांडे, उम्र 54 साल, निवासी- क्वार्टर नं0 29 सी, स्ट्रीट नं0 16, सेक्टर 2, ... , भिलाई, टेलीफोन नं0 4529·

मैं उपरोक्त पते पर अपने ...-बच्चों के साथ सन् 1971/72 से रह रहा हूं और मैं भिलाई स्टील प्लांट में ... सी0ई0डी0 आपरेशन जोन-3 में पिछले करीब 22 साल से नौकरी कर रहा हूं। यह उपरोक्त क्वार्टर नं0 29 सी, गली नं0 16, सेक्टर 2, भिलाई मेरे नाम पर सन् 1980 से सन् 1988 तक करीब 7/8 साल अलाट ..., क्योंकि सन् 1988 में मेरा अपना मकान हुडको भिलाई में बन गया था और मैंने अपने उस मकान का कब्जा ले लिया था। ... मैंने उपरोक्त क्वार्टर को समर्पण करने की रिपोर्ट टी0एस0पी0 को दे दी, लेकिन मैं उसके बाद भी उसी क्वार्टर में रहना चालू रखना चाहता था क्योंकि यह ...ऑफिस के नजदीक पड़ता था। मैंने हुडको वाले अपने मकान का कब्जा लेने के बाद ... तारासिंह, चार्जमैन, सिविल इंजीनियरिंग बी0एस0पी0, भिलाई को ... से मेरा साथी है को रहने के लिए दे दिया क्योंकि तारा सिंह ने मुझे मेरा क्वार्टर कैंसिल करवाने से पहले ही बताया था कि वो मेरा यह क्वार्टर किसी जानकार दोस्त के नाम अलाट करवा देगा और मैं उस क्वार्टर में आगे भी रहना चालू रख सकूंगा। इसी के मुताबिक तारा सिंह ने उपरोक्त क्वार्टर श्री रामआशीष राय जिसको वो पहले से जानता था और उसका दोस्त भी है के नाम अलाट करवा दिया। तभी से मैं रामआशीष राय को जानता हूं। रामआशीष राय इस क्वार्टर में कभी नहीं रहा। मैं उसी उपरोक्त क्वार्टर नं0 29 सी, गली नं0 16, सैक्टर 2, भिलाई में ही लगातार ... रहता आ रहा हूं। और मैं इस क्वार्टर का किराया 140/- रुपये माहवार श्री तारासिंह को देता हूं। तारासिंह रामआशीष राय को कितना किराया देता है मुझे नहीं पता।

मैं आगे बयान करता हूं कि मेरे हुडको वाले मकान में शिफ्ट करने से पहले क्वार्टर नं0 7 ए, गली नं0 5, सेक्टर 4, भिलाई में सन् 1983 से पहले तारा सिंह

उपरोक्त रहता था । सन् 1988 में तारा सिंह ने अपने नाम से यह क्वार्टर कैंसिल करवा दिया और वह क्वार्टर दुखितराम, फिटर, बी०एस०पी० के नाम अलाट करवा दिया और तब से वह क्वार्टर दुखितराम के नाम पर ही अलाट है । दुखितराम बी०एस०पी० के पडोस के किसी गांव में रहने आता है और अपने घर से ड्यूटी करता है वह भी उपरोक्त मकान में नहीं रहता । इस क्वार्टर में रामआशीष राय ही सन् 1988 से सपरिवार रहता आ रहा है । रामआशीष राय दुखितराम को या तारा सिंह को इस क्वार्टर का कितना किराया देता है वह मुझे नहीं पता ।

मैं यहां यह भी बताना चाहूंगा कि तारा सिंह मेरा 25 साल पुराना गहरा दोस्त है और मेरे इस मकान के कब्जे की किस्त जो करीब 20,000/- रुपए नकद थी भी उसने अपनी जेब से भरी थी क्योंकि मेरा पैसा मेरी दो लड़कियों की शादी में खर्च हो गया था । इसलिए मैं सन् 1993/94 में कब्जा लेने के 5 वर्ष पूरे होने के बाद यह मकान भी तारा सिंह को ही बेच दूंगा । ऐसा हम दोनों का लिखित में आपसी समझौता है ।

बयान सुन लिया, ठीक है ।

मेरे समक्ष

सत्य प्रतिलिपि

सही-
(होशियार सिंह)
निरीक्षक
सी० बी० आई०/एस० आई० सी०-2
कैम्प भिलाई

बयान

आलम मिर बेग पुत्र सिद्दुदान बेग मुसलमान आयु 32 साल, सा0 निबहा, थाना रुद्रपुर जिला देवरिया (उ0प्र0) का निवासी हूँ। PW-149

मैं गाँव का प्रधान हूँ। पल्टन मल्लाह मेरे ही गाँव का रहने वाला है। उसे मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। कुछ समय से पल्टन भिलाई (म0प्र0) में रहता है। गाँव कभी कभी आता जाता है। गाँव में पल्टन आज से करीब डेढ़ माह पहले आया था। जब वह हरे रंग का सुजुकी मोटर सायकिल लेकर अकेले आया था। वह उस समय करीब 8 दिन तक ग्राम मरुआ, बालापार उर्फ मेयापार थाना झंगहा जिला गोरखपुर में रहा। उसके बाद बम्बई जाना कहकर चला गया। कह रहा था कि उसका भाई संसार (पल्टन का) जो बम्बई में रहता है। बीमार है। करीब एक हफ्ता बाद फिर से वापस आया। तब वह लाल रंग का सुजुकी मोटर सायकिल में आया। जो अभी भी पल्टन के पास है। लाल रंग की सुजुकी मोटर सायकिल का नम्बर एम0पी0024 बी/1707 है। पहले वाला हरे रंग की सुजुकी मोटर सायकिल पुराना था जो कहीं बिक्री कर दिया है। जब से वह दुबारा लाल रंग का सुजुकी लेकर आया है तब से बीच बीच में कई बार कई कई दिनों तक वह दिखा नहीं कहीं बाहर आता जाता था। पल्टन ने अभी अभी दो हजार रुपये में बैल खरीदा है तथा मकान बनवाने के लिये करीब 4/5 हजार ईंट भी खरीदा है। जो उसके घर में रखे हैं। पल्टन जब से यहाँ आया तब से सुजुकी में बहुत घूमता है। पेट्रोल बहुत खर्च कर रहा है। गाँव में ऐसा हल्ला है कि पल्टन भिलाई में रहकर चोरी डकैती करता है। वहाँ कोई काम धंधा नहीं करता है।

पल्टन मल्लाह तीन भाई है (1) भरत उर्फ रामभरत कोरबा (म0प्र0) में रहता है दूसरा संसार बम्बई में रहता है। दोनों की औरतें अभी ग्राम निबहा में ही हैं। पल्टन का एक साथी सुरेश लोहार निबहा रोडवेज मैकेनिक की दुकान नई बाजार थाना [illegible] जिला गोरखपुर में खरीदा है झगडू, बब्बा, सदानन्द, राम दरश चौकीदार तथा श्यामनाथ निषाद प्रधान (X) यादव के पास भी आता जाता उठता बैठता है। पल्टन यदि गाँव आया तो मैं उसको पकड़वाकर पुलिस के हवाले कर दूँगा।

(X) जयप्रकाश निषाद बी.डी.सी. तथा [illegible]

सही/-
15.10.91

सत्य प्रतिलिपि

[illegible]

बयान मिर्जा आलमगीर, ग्राम प्रधान गाँव निभई थाना हडपुर, जिला ~~[illegible]~~ देवरिया (उ0प्र0)

....

PW-149

मैं गाँव निभई थाना हडपुर जिला देवरिया का ग्राम प्रधान हूं और इसी गाँव का बाशिंदा हूं। मेरे गाँव में मल्लाह (केवट) जाति के लोग भी रहते हैं। मैं नौबई मल्लाह [illegible] को अच्छी तरह जानता हूं। नौबई गाँव में ही रहता है और मकान भिलाई में काम करता है और कभी कभी गाँव आता है। इस वर्ष अक्तूबर के शुरू में वह भिलाई से गाँव आया था। उसके पास लाल रंग की इंड सुजुकी मोटर साईकिल नम्बरी एम0पी0 24 बी-1707 थी जिस पर वह घूमता रहता था। यहाँ आने के एक दो दिन बाद उसने मकान बनाने के लिये ईंटें खरीदी और एक बैल भी खरीदा क्योंकि नौबई का पहला बैल मर गया था। खेती के लिये नौबई और उसका भाई सुदामा 1-1 बैल रखे हैं। यहाँ गाँव में उसका गाँव के चौकीदार राम दरस दुबे और सुरेश बढ़ई से अच्छा मिलता है। इससे पहले करीब एक साल हुआ तो पल्टन एक काला मोटर साईकिल लेकर आया था, जो सुना है वापस भिलाई जाने से पहले कहीं बेचकर गया था। यहाँ उसके आने के करीब 10-12 दिन बाद इलाके के दरोगा जी डी0पी0 सिंह ने मुझसे उसके बारे में दरयाफ्त किया था, तो मैंने उन्हें बताया था कि गाँव में अभी 10-12 दिन पहले ही आया है और ईंट व बैल को खरीद किया है, पिछले साल काला मोटर साईकिल लाया था और इस साल लाल सुजुकी मोटर साईकिल लाया है। दरोगाजी से पता चला कि वह मोटर साईकिल पर अपराधी प्रवृत्ति के लोगों के साथ देखा गया है तो मैंने कहा कि मुझे शक है कि जो मोटर साईकिल उसके पास है चोरी की ही होगी। आप इस बारे में तहकीकात करें।

फिर 14.10.91 को रात को म0 प्र0 पुलिस के साथ दरोगा जी आये। उस दिन उससे पहले मुझे पता चला कि पल्टन ~~[illegible]~~ के बाबू चौकीदार राम दास बात करने दरोगा जी से थाने गया था क्योंकि पल्टन इसके दो दिन पहले राम लखन चौराहे पर पुलिस को झांसा देकर मोटर साईकिल पर भाग गया था और उसके बाद दरोगा जी ने उसके बारे में ~~तहकीकात~~ मालूमात करना शुरू कर दी थी। मैंने पुलिस को बता दिया कि चौकीदार पल्टन के पते ठिकाने के बारे में अच्छी तरह बता सकता है क्योंकि उसकी पैरवी के लिये

[signature]

PW-149

को आज थाने भी गया था । चौकीदार रामदरस को बुला लिया गया और फिर उसको साथ लेकर पल्टन को पल्टन के घर और घाट पर ढूंढा गया जब भी वहाँ नहीं मिला तो गाँव में ढूंढाई शुरु की गई । पुलिस ने चौकीदार से बात की अब पर पल्टन कहीं नहीं मिला । इसी बीच एक तरफ कुछ आवाज सी हुई और देखा कि चौकीदार भाग लिया जब सबने कि पल्टन उधर ही खेतों में भाग लिया है, पुलिस और गाँव वाले चौकीदार के पीछे भागे, पर पल्टन नहीं मिल पाया, उसके बाद चौकीदार भी गायब हो गया, उसे बहुत ढूंढा गया पर मिला नहीं । फिर पुलिस रात में ही गाँव से पल्टन की खोज में चला गया । उसके बाद से भी पल्टन गाँव में नहीं दिखाई दिया है और न राम दरस चौकीदार ही । पल्टन की मोटर साईकिल का भी पता नहीं कहाँ है ।

पढ़कर सुनाया सही होना तस्दीक किया ।

मेरे समक्ष

सत्य प्रतिलिपि

सही/-

डी०पी०सिंह,
उप पुलिस अधीक्षक/सी०बी०आई०
एस०आई०सी०-2/नई दिल्ली
कैम्प मिई, देवरिया

पी0डब्ल्यू0 150

दिनांक: 29·12·91

ब्यान श्री गौकरण गजपाल पुत्र श्री छेकराम गजपाल, सहायक उप निरीक्षक, पुलिस थाना जामुल, भिलाई ।

ब्यान करता हूं कि मैं उक्त थाना में उक्त पद पर 1990 से तैनात हूं । रोजनामचा दिनांक 17·9·90 के सान्हा नं0 964 में दर्ज की गई रिपोर्ट अनुसार एक सुर्यदेव वर्मा पुत्र कान्हयाराम, निवासी खुर्सीपार, भिलाई, पर कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा हमला किया जाना बताया गया है । उक्त रोजनामचा कापी पर ही मुझे टी0आई0 श्री ... ने उक्त मामले में कार्यवाही करने हेतु 24·9·90 को अपने हस्ताक्षर करके आर्डर किया । तत्पश्चात मैंने मुकदमा नं0 580 दिनांक 25·9·90 को धारा 325 के तहत स्वयं दर्ज कर कार्यवाही शुरू की । मामले में कार्यवाही शुरू करते वक्त मुझे सुर्यदेव वर्मा की एम0एल0आर0 रिपोर्ट, मेडीकल रिपोर्ट व एक अखबार की कटिंग जिसमें सुर्यदेव को जख्मी हालत में दिखाया गया था, जो दी गई जो आपने मुझे दिखाई है । मामले की तहकीकात के सिलसिले में मैंने सबसे पहले सुर्यदेव वर्मा का ब्यान लिया परन्तु उसने हमला करने वालों के नाम या पहचान बताने में असमर्थता जाहिर की । इसके उपरान्त मैंने गौतम शर्मा जो सुर्यदेव वर्मा के साथ घटना वाले समय मौजूद था, का ब्यान लिया परन्तु हमलावरों की पहचान नहीं की जा सकी । सुर्यदेव वर्मा के भाई मुन्ना वर्मा व रामविलास के भी ब्यान लिए परन्तु कोई भी हमलावरों के बारे सही सही कुछ भी न बता पाया । इस प्रकार उक्त मारपीट का मामला मैंने खात्मा रिपोर्ट लिखकर टी0 आई0 सलाम को बताई व फिर ऊपर पुलिस अधीक्षक को भेज दी । क्योंकि हमलावरों की पहचान आदि कुछ भी न हो सकी ।

पढ़कर सुना गया, सही पाया ।

सत्य प्रतिलिपि

मेरे समक्ष

सही-

(रामशेर)

निरीक्षक

सी0बी0आई0/एस0आई0सी0-2

कैम्प भिलाई

पी0डब्ल्यू0 151

दिनांक: 29.12.91

बयान श्री गौतम शर्मा पुत्र श्री सुनाव शर्मा, उम्र करीब 20 साल, निवासी- लेबर कालोनी, शर्मा आश्रम, खुर्सीपार, भिलाई।

पूछने पर बयान करता हूं कि मैं उक्त स्थान पर अपने एक गांव के लड़के जिसका नाम जयराम है, के घर मार्च 1987 से रह रहा हूं। उक्त जयराम को मैं अपना भाई मानता हूं।

अप्रैल 1987 से मैं [illegible] करता हूं। पिछले साल अगस्त माह से मैं लाल हरे झंडे की पर्ची काटता हूं। सितम्बर 1990 में लाल हरे झंडे की यूनियन, जो नियोगी जी की है, ने एक जुलूस रखा था। इस जुलूस में शामिल होने के लिए मैं, सूर्यदेव वर्मा व अन्य लोग साईकिलों से सिम्पलैक्स चौक पहुंचे। उस समय सूर्यदेव वर्मा के हाथ में लाल हरा झंडा था। मेरे पास कोई झंडा नहीं था। हमारे अन्य साथियों के पास भी लाल हरा झंडा था। जैसे ही हम सिम्पलैक्स चौक से हाउसिंग बोर्ड की तरफ की ओर बढ़े तो उसी समय सिम्पलैक्स इंजीनियरिंग फैक्टरी की ओर से ज्ञानू और उसके 4-5 साथी हाथ में डंडा व रोड लिए हमारी ओर दौड़े। मेरे अन्य साथी भाग गए तथा मैं और सूर्यदेव वर्मा उनकी पकड़ में आ गए। जब ज्ञानू व उसके साथी हमारी ओर दौड़े थे तो वो बोल रहे थे कि लाल हरे झंडा के जुलूस में शामिल होने जा रहे हो, वहां मत [illegible]। मैंने कहा कि मैं तो मेम्बर नहीं हूं और न ही मेरे हाथ में लाल हरा झंडा है तो उन्होंने मुझे छोड़ दिया परन्तु तब तक मुझे कुछ मार पड़ चुकी थी। मैं भागकर अपने घर में छुप गया। जब मैं भागा तो उस समय सूर्यदेव वर्मा को ज्ञानू व उसके साथी लाठियों से मार रहे थे।

पढ़कर सुनाया, सही माना॥

सत्य प्रतिलिपि

[signature]

17.9.91 occurrence
at about 2 PM

मेरे समक्ष

सही-

(शमशेर)

निरीक्षक

सी0बी0आई0/एस0आई0सी0-2

कैम्प भिलाई

Case No.RC.9(S)/91-SIU.V/SIC.II Dated : 2.12.91.

Statement of Shri D.Sunder Paul, Asstt.Executive Engg. N.H.Section, near Bus Stand, Gudur recorded u/s 161CR.P.C.

******

PW-152

On being asked I state that I am working as above for the last 8 months. Today I have handed over to you a photocopy of the extract from toll-gate register Sheet No.27, of our toll-gate at Vill. Manobolu, Gudur. The said document has been taken by you vide a receipt memo of even date which has been duly signed by me as well as by you. A copy of the same has also been provided to me by you.

As per your directions, the register containing the said sheet No.27 has been kept by me and the same will be produced before rightful authority as and when required.

RO&AC.

Before me,

Sd/-
(SHAMSHER)
Inspr./CBI/SIC.II/N.Delhi.
Camp : Bhilai.

RC.9(S)/91-SIU.V/CBI/SIC.II

Pw-153

Dated : 31st December,1991.

Statement of Shri Bal Kishan Aggarwal, age about 30 yrs. S/o late Shri Ramdhan Aggarwal, Chief Editor 'Rodramukhi' Mathpurnia, Raipur recorded u/s 161 Cr. P.C.

******

I hereby state that I have started this publication of daily Hindi newspaper 'Rodramukhi' since 26.3.91. We have got our bureau office at Durg which cortrols Durg district. I, on being shown Rodramukhi paper dt. 9.4.91 and on referring to the same, state that interview of late Shanker Guha Niyogi, the then chief of Chhattisgarh Mukti Morcha was published in this issue of Rodramukhi. This report came from Bhilai correspondent, Shri Anil Verma. Shri Anil Verma now-a-days is not working with us.

RO&AC.

Before me,

Sd/-
(M.K. JHA) 31.12.91
DSP/CBI/SIC.II/New Delhi.
Camp : Bhilai.

आर.सी. 1(एस) 91/एस.आई.यू.-5, एस.आई.सी.-2 Pw-154

दिनांक 2/1/92

बयान श्री अनिल वर्मा पुत्र श्री भुवन वर्मा, उम्र 30 साल निवासी-जे. 16 ए मडोदा, सेक्टर भिलाई, ।

स्थाई पता :- गाँव एवं पोस्ट निलडीह, तहसील निलोत, जिला दुर्ग.

--00--

पूछने पर बयान करता हूँ कि मैं एम.काम बी.एड तक पढ़ा हूँ मेरी रुचि पत्रकारिता, मैं विद्यार्थी, जीवन से ही रही है । जीविकोपार्जन के लिये सहारा इंडिया में फाइनांस विभाग में 1989 में मैंने नौकरी कर ली थी जब रौद्रमुखी पेपर का प्रकाशन होने को आया तो मुझे मौका मिला और मैंने भिलाई रिपोर्टर के रूप में नौकरी ज्वाइन कर ली, अभी मैं श्रमबिन्दु और छत्तीसगढ़ युग के लिये कार्य कर रहा हूँ । फिर मेरी, नियुक्ति राष्ट्रीय सहारा हिन्दी दैनिक जो दिल्ली से निकलता है में हो गयी किन्तु कुछ शर्तों पर अभी अंतिम रूप से सहमति नहीं हुई है, । इसी कारण से मैं अभी श्रमबिन्दु और छत्तीसगढ़ युग के लिये ही कार्य कर रहा हूँ ।

जब मैं रौद्रमुखी के लिये काम करता था तो शंकर गुहा नियोगी से मेरी अक्सर मुलाकात होती रहती थी उनसे मुझे हमेशा समाचार मिलता रहता था, 9-4-91 के रौद्रमुखी अखबार की प्रति देखने पर मैं बयान देता हूँ कि इसमें जो शंकर गुहा नियोगी की भेंट वार्ता छपी है वह मैंने ही कलमबद्ध की थी । यह इन्टरव्यू मेरे मित्र श्री चंद्रशेखर दुबे जो दुर्ग शहर के रिपोर्टर है ने लिया था किन्तु 8/4/91 को मुझे उनका नोट मिला था, मैंने उस नोट के आधार पर भेंट वार्ता का पूरा समाचार बनाकर रायपुर भेज दिया था, जो 9/4/91 को छपा, इसका मैं पूरा सत्यापन करता हूँ ये भेंट वार्ता हूबहू उसी प्रकार छपी है जिस प्रकार मैंने बनाकर भेजी थी, मैंने रौद्रमुखी 31/8/91 को छोड़ दिया था, ।

पढ़कर सुनाया सही पाया ।

मेरे समक्ष

हस्ता/सही,

(एस.के.शा) 2/1/92

आरक्षी उपाधीक्षक, सी.बी.आई.
एस.आई.सी. -2

//सत्यप्रतिलिपि//

आरसी-9(एस)/91/एस.आई.यू.-5/एस.आई.सी.-2 PW-155

दिनांक 2/1/92

बयान श्री चन्द्रशेखर दुबे पुत्र श्री आनंद माधव श्याम दुबे उम्र 26 साल निवासी शॉप नं. 80 सेक्टर 10 ए मार्केट भिलाई ।

—oo—

पूछने पर बयान देता हूँ कि मैं एम.काम तक पढ़ा हूँ । पार्ट टाइम के तौर पे पत्रकारिता में लगा रहा । धीरे धीरे मेरी रूचि इसकी तरफ बढ़ी । पहले मैं भास्कर दैनिक रायपुर में काम करने लगा 11/11/90 को मैंने रौद्रमुखी हिन्दी दैनिक में सिटी रिपोर्टर दुर्ग में नौकरी ज्वाइन कर ली । रौद्रमुखी मार्च के अंतिम सप्ताह में प्रकाशन में आया ।

मैं स्वर्गीय शंकर गुहा नियोगी को जानता था उनसे 2-3 बार मेरी मुलाकात भी हुई है । रौद्रमुखी 9-4-91 को प्रति देखने पर शंकर गुहा नियोगी को जो भेंट वार्ता छपी है इसके बारे में मेरा बयान है कि 7/4/91 को नियोगी जी के आफिस में मैंने उनका इंटरव्यू लिया था और वो इंटरव्यू मैंने पूरे ब्यौरे के साथ अनिल वर्मा जो भिलाई के रिपोर्टर थे को 8 तारीख को उनके पास भेज दिया ताकि वे पूरा न्यूज आइटम बनाकर प्रेस में भेज दे । ये मैंने इसलिये किया था कि यह समाचार, भिलाई के रिपोर्टर के जरिये होना चाहिये किन्तु जिस समय मैं इंटरव्यू लेने जा रहा था तो अनिल वर्मा से मेरी मुलाकात नहीं हो पाई थी, अतः मैंने इंटर व्यू का पूरा ब्यौरा अनिल जी के पास भेज दिया था, ये जो इंटरव्यू 9/4/91 के अंक में छपा है, पूरा ब्यौरा जैसा मैंने इंटरव्यू लिया था, मैं इसका सत्यापन करता हूँ ।

पढ़कर सुनाया सही पाया ।

मेरे समक्ष,

हस्ता/सही,

(एस.के.शा) 2/1/92

आरक्षी उपाधीक्षक,

सी.बी.आई./एस.आई.सी.-2

कैम्प भिलाई,

STATEMENT

PW-156

CASE NO. RC.9(S)/91-CBI/SIC.II N.Delhi

Dated : 20.11.91.

Statement of Shri B.B. Burman s/o late G.P.Burman, Quarter Master, CISF, Bhilai Steel Plant, Durg (M.P.)

I am working as above since August 1990. The quarter No. 6F was allotted to CISF which is located in Camp 1, vide occupation report no.00612 dt.20.1.91. Shri C.Phukan, Quarter Master CISF had received it from Bhilai Management for allotment to CISF staff. Thereafter vide letter No. C/101/KCUB/BSP/90/608 dt.16.7.91. This quarter was allotted to Shri R.Sriram Reddy Constable (Fresh) of CISF Bhilai,on the basis of his application dt.1.10.90 by Asstt Commandant HQ, CISF, Bhilai.On perusal of quarter occupation register of CISF unit BSP Bhilai it is found that this quarter i.e. 6F was not occupied by Sri Reddy. The key of this house was also not issued to him. The above quarter has not been allotted to any other CISF staff thereafter. Since then this quarter is lying vacant as per record.

R.O.A.C.

PW23 24.3.95

Sd/- 20.11.91
(R.K. SHUKLA)
Inspr/CBI/Jabalpur
Camp Bhilai.

T.C.

N.C. Morghade examined in place of B.B. Burman, who is on Elec. Duty

BHILAI
23.12.91

Statement of Shri Ramesh Bhasin S/o Late Chunni Lal Bhasin R/o MIG-8, Vaishali Nagar, P.S. Supela, Bhilai.

******

PW-157

On being asked I state that I am r/o as above. Presently I am doing transport business. I have two trucks with registration No. [illegible] and CPR-8464. Truck with Registration No. [illegible] is registered with RTO, Raipur in the name of my [illegible] charan [illegible] r/o Katni. Another truck with Registration No. CPR-8464 is registered with RTO, Durg in the name of my elder brother Rajkumar Bhasin. Both the aforesaid trucks are in my physical possession and are managed by me.

In 1984 I was doing work for Bhartiya Yuva Morcha, a youth wing of BJP and C.K.Shah was also doing the work for the said Morcha. So we both came in contact with each other during that period. During that time I was having two trucks and one tractor trolley. C.K.Shah was having transport contract with Simplex Industries so he asked me to give my aforesaid truck & trolley for transport work on hire basis. As such my association with C.K.Shah came into existence. At that time C.K.Shah was having his transport company in the name & style of 'Lift & Shift'. His contract was to lift the material from BSP to Simplex Industries and elsewhere as required. In 1984 or so C.K.Shah opened an Oswal Steel Industries, in Bhilai while carrying out his transport business.

PW-157

In [illegible]/March 1987 C.K.Shah got the transport contract from [illegible] Iron & Steel Works, Nandini Road for carrying the material from BSP stockyard to said factory. In the meant[illegible] contract from BEC for transp[illegible] [illegible] was increase in the transport business of C.K.Shah. [illegible] C.K.Shah asked me to ma[illegible] his entire [illegible] business. At that time I opened my own transport company in the name & style of Nanak Transport. Lift & Shift Transport Company was already functioning. Thus I started sitting in the office of Oswal Steel Co. at Nandini Road, to supervise the transport business of C.K.Shah as well as mine. In 1987 C.K.Shah also added three more second hand trucks.

In Dec. or so 1989 I stopped working for C.K.Shah because he w[illegible] me to devote more time and labour to supervise his transport work which I was unable to do. So only my trucks continued to ply with C.K.Shah for transport work. At this stage my aforesaid company i.e. Nanak Transport also ceased to exist as I closed it down.

In 1989 itself C.K.Shah had opened his Oswal Transport Co. Pvt. Ltd. and he began his transport business under the said company.At this stage, C.K.Shah was having 6 trucks i.e. three trucks given by Simplex Castings of Navin Bhai, two old trucks purchased from Syndicate Engineering and one truck from some Sardarji and one from

BSP. In 1988 or so C.K.Shah got installed a crane on one of my truck No. CPS-9225 and he used it in his own ind. and elsewhere till 1991 and thereafter I got its physical possession. I paid no money for crane and received no income from the said crane while its was in possession of C.K.Shah.

In May 19[illegible], I again joined C.K.Shah to supervise his transport business and again left in Dec.1990 because this time I could not tolerate the treatment meted out to me by C.K.Shah.

I know Gyan Prakash Mishra was a good friend of C.K.Shah and he used to come to Oswal Steel Ind. office at Nandini Road, to meet C.K.Shah. On 3/4 occasions I was asked by C.K.Shah to hand over some money to Gyan Prakash Mishra which I did. The money given to Gyan Prakash Mishra was not shown in the company's account.

Today you have shown me a paper containing a message in Hindi which reads as "रमेश भाई, ज्ञान प्रकाश को 1000/- (एक हजार) दे दीजियेगा।" which is signed by C.K.Shah with dated 15.6.87. The aforementioned message in Hindi has been written and signed in English by C.K.Shah as I identify his handwriting and signature because I have seen C.K.Shah while writing and signing as such I am conversant with his writings/signatures in Hindi and English. Thus as per the message contained in the aforesaid paper I handed over Rs.1000/- to Gyan Prakash Mishra. Once I was also asked by

 SW-157

C.K.Shah to arrange steel etc. worth Rs.9000/- for Gyan Prakash Mishra which I did. For this C.K.Shah asked me orally. Gyan Prakash Mishra used to come to the office of C.K.Shah at Oswal Steel Ind. Nandini Road alongwith Prabhunath Mishra and Avdesh Rai, to meet C.K.Shah.

Today you have also shown me the following documents wherein I identify the handwritings of C.K.Shah as mentioned therein :-

1. One small chit of paper containing the writing '00977 51220 56 राज भाई वीरगंज पराजुली वितर्ककृत one side and "गाभी जो पेसेनेट नं0 18 शंकर नगर" on the other side.

2. Backside of the visiting card of SINTLEX, in the name of Chander Kant R.Shah, Oswal Iron & Steel Pvt. Ltd., Bhilai containing the writings of C.K.Shah as "06154-2776 बंजारा । तिवान, राजीतलक जैन 52707/63840"

3. Backside of the visiting card of one B Rabindra Shrestha of Nebico Private Ltd., Kathmandu containing the handwritings of C.K.Shah as "524043 विजय प्रताप राणा 051-वीरगंज 21045, 22056-राज 215859 272808 अरुण जो CFF 224526 प्रमोद 22109 वीरगंज"

4. Six cash/credit memo Nos. 006648, 006646, 004087, 004080, 006613 & 006612 respectively of Hotel Yellow Pagoda, Kantipath, Kathmandu all bearing signatures of C.K.Shah at the place of guest's signature which I identify.

T.C.
Sd/-

 PW-157

5. Backside of the visiting card of M.K.Srivastav, Proprietor, Nisha Trading Kathmandu containing handwriting of C.K.Shah as "LUNGS AT WORK NO S[illegible]".

6. Two sheets of pink paper, containing handwritings of C.K.Shah [illegible] which is a letter addressed by C.K.Shah to his wife Renu, dt. 23.9.79 and signed by C.K.Shah as C.K. in English, which I identify as the writings of C.K.Shah.

7. Three pages regarding the proposed Residential Plan of Chandra Vihar, containing handwritings of C.K.Shah in Hindi which I identify.

8. One application regarding cancellation of authority and despatch of material, typed in English and duly signed by C.K.Shah dt. 12.7.91 as Director for Oswal Iron & Steel (P) Ltd., which I identify as the signature of C.K.Shah.

9. One application addressed to Manager (व्यवस्थापक) Jain Shah & Company, Akash Ganga, Supela regarding the membership the entire body of which is written in Hindi by C.K.Shah in his own handwriting which I identify.

R.C.

Rh

1/4/-157

10. One piece of paper containing the handwritings of C.K.Shah which reads as "जैन शाह एंड कम्पनी, 108 आजाद गंगा, ज्योति निवास (1090) and details of Chandra Vihar in Hindi. The entire body of the said letter in Hindi has been written by C.K.Shah in his own handwriting which I identify.

The aforementioned letter has its one enclosure in the shape of an extra of चन्द्रा विहार, which contains the handwritings of C.K.Shah which I identify.

11. One piece of paper containing the details of चन्द्रा विहार written on one side in the hand of C.K.Shah which I identify.

12. One printed Form of SBI, Exchange Bureau Bombay International Airport (Terminal-II) Sahar Bombay for Rs.470/-, bearing the signature of C.K.Shah in English at the place of travellers cheques details, which I identify as the signature of C.K.Shah made by him in his own hand.

13. Small piece of paper containing the handwritings of C.K.Shah which reads as 'MIR FIAT 227 MPT 7971 JEEP on one side and 423488, 323377 विक्रम सिंह on the other side, which I identify as that of C.K.Shah.

14-157

14. Small piece of paper containing the names of एम0एस0 खान, [illegible], [illegible] दास, पुदापा, which have been written by C.K.Shah in his own handwriting and I identify the same.

15. Card-Board [illegible] of Blue Bells Knitwear innerside containing the writings of C.K.Shah which reads as [illegible] वाले चन्द्रकान्त शाह [illegible] प्रा0 लि0 (Simplex) फोन नं0 6354, 6475, 5758, घर 2579, ओ5 0774 Bhilai M.P. which has been written by C.K.Shah in his own and I identify the same.

16. Inner-side of the last page of Road Atlas of India containing the hardwritings of C.K.Shah which reads as 13, [illegible] रोड, मद्रास- 8 Tel 88864'. The said handwriting I identify as that of C.K.Shah.

17. One greeting card reading as Renu 'I feel for you C.K.Shah" where the word Renu has been written by C.K.Shah in his own hand and then signed by him as C.K.Shah, and I identify the same as writing of C.K.Shah.

18. One greeting card shown to have addressed by Papu to Loving Sony and Baboon, and the same has been written by C.K.Shah in his own hand which I identify.

19. One red colour envelope addressed in Hindi to one Sh. Kamlakant Ji Shukla Sadar Bazar Bhatapora, Raipur alongwith Diwali greetings to आदरणीय पापा अम्मा नातु मनोज एवं प्यारे प्यारे नन्हे मुन्हे has been written by C.K.Shah in his own hand and duly signed by him as चन्द्रकान्त, which I identify as the handwriting of C.K.Shah.

20. One pink coloured envelope addressed in Hindi to मास्टर अरुन, भाटापारा, रायपुर alongwith Diwali Greeting contains the handwritings of C.K.Shah on the envelope as well as in the greeting card which I identify.

21. One Registration Form No.70062, of Hotel President, Madras of which columns like Name, Designation & Co. Address, Nationality, No. of Persons, Arrived From, Proceeding to, Date of arrival & time, have been filled up by C.K.Shah in his own handwritings and then duly signed at the place of Guest signature which I identify.

22. Register of Arrival Sheet No.1052 of Hotel Godavari, Bhadrachalam shows the handwritings of C.K.Shah on 11.10.91 at Regd.No.1739 in the columns of Name & address, Full Address, Arrived From, Occupation, Probable date of departure, Nationality and his signature in the last column and I identify the same as the handwritings/signature of C.K.Shah.

23. Guest Register's Sheet No.63 of Hotel Sona, Nagpur which contains the handwritings of C.K.Shah at Sr.No.665, dated 8.10.91 in the [illegible] Passenger's Full Name, Passenger's permanent address, and his signature in the signature column which I identify, as the handwriting and signature of C.K.Shah.

RO&AC.

Before me,

Sd/-
(SHAMSHER)
Inspr./CBI/SIC.II/New Delhi.
Camp : Bhilai.

T.C.

PW2 10.8.94

PW-158

BHILAI
30.12.91

Statement of Shri Rajesh Bajaj S/o Shri R.N.Bajaj, Proprietor, Bajaj Printers, Subhash Chowk, Main Road, Dalli Rajhara (R/o Qr.No.221-A, Hospital- Sector- Dalli Rajhara).

*****

On being asked I state that I am running the aforementioned printing press since March, 1981. The printing work of Chhattisgarh Mukti Morcha and its affiliated trade unions like Pragatisheel Engg. Shramik Sangh, Chhattisgarh Mines Shramik Sangh, Chhattisgarh Chemicals Mills Majdoor Sangh, Pragatisheel Transport Shramik Sangh and Ispat Shramik Sangh etc. is given to me for printing against the usual rate of payment.

Today you have shown me ~~the~~ One yellow pamphlet containing the news of attack on Vice-President, Shri Uma Shanker Rai of Pragatisheel Engineering Shramik Sangh at 5.30 PM on 19.8.91, by the hired goondas of Kailashpati Kedia. The said pamphlet has been shown to bear the names of S/Shri Janak Lal Thakur, President CMM, Anoop Singh of PESS, Sudha Bhardwaj, Secretary CMM, Shanker Guha Niyogi, Organising Secretary CMM, and Bhir Rao Bangare, President CMSS, respectively, who got published the aforesaid pamphlet under their names. The said pamphlet also bears the name of my printing press at the bottom i.e. "Bajaj Printers, Rajhara." As per entry in my letter head, the said pamphlet was printed by me and delivered on 21.8.91. I printed 10,000 copies of the said pamphlet and received Rs. 1450/- as payment.

RC

[signature]

PW-158

You have also shown me one pink coloured pamphlet addressed to [illegible] under the names of Punam Vamankar, Pragatisheel Transport Shramik Sangh, Janak Lal Thakur, President CMM & N.R.Ghoshal, General Secretary, Ispat Shramik Sangh, Bhilai. The said pamphlet containing a call to participate in a general meeting to be held on 17.9.90, on Monday in Industrial Estate Ground. The said pamphlet was also got printed in my printing press and the same is also shown at the bottom of the said pamphlet which bears the name - Bajaj Printers, Rajhara. As per record available with me, the said pamphlet was printed in my press and delivered on 13.9.90 against the payment of Rs.540/- for 5000 copies as shown in my copy dated 12.9.90 to 19.9.90.

The third pamphlet, of pink colour, shown to me, contains a message for 2 industrial houses of Bhilai namely Bhilai Wires and Simplex Group, where the strike will be observed. The said pamphlet bears the names of S/Shri N.R.Ghoshal, Janak Lal Thakur and Shanker Guha Niyogi, which contains the demands of labourers like grant of CPF & Gratuity, Safety apparatus to avoid accidents, BSP Hospital facility, 15 days C.L., 10 days festival leave and 30 days medical leave etc.

The said pamphlet was also printed at my printing press and the same is also shown at the bottom of the pamphlet i.e. Bajaj Printers, Rajhara.

RO&AC.

Before me,

Sd/-
(SHAMSHER)
Inspr/CBI/SIC.II/New Delhi

T.C.

PW 102
30/1/96

दिनांक 27/12/91

ब्यान कमालुद्दीन पुत्र अलाऊद्दीन उम्र तकरीबन 28 साल, साकिन ब्लाक नं. 135 मकान नं. ए. कैम्प 1 भिलाई.

PW-159

--00--

मुझसे पूछने पर ब्यान करता हूं कि मै आठवीं पास व थोडी थोडी अंग्रेजी व हिन्दी लिखनी भी जानता हूं मैं पिछले चार वर्ष चंद्रा मौर्या सिनेमा के साइकल, स्कूटर व कार स्टेण्ड के ठेकेदार के यहा नौकरी करता आ रहा हूं। अक्टूबर 1991 से पहले ठेका राजस्थान के पास था और अक्टूबर 1991 में यह अवधेश राय के नाम हो गया। पुराना, और तजुर्बेदार नौकर होने की वजह से मेरी नौकरी नए ठेकेदार के साथ बरकरार रही। मुझे 500/रुपये माहवार, पगार मिलती है।

आज आपने मेरे को सिंडीकेट बैंक शाखा भिलाई की दो कैश जमाकरने की स्लिप ता. 12/10/91 व 15/10/91 जिनमें जमा राशि 1100/- व 2700/- दिखाई गई है, दिखाई, उक्त राशि मैने ही जमा करवाई, है उक्त स्लिपे भी मेरे हाथो से ही भरी गई थी, और जमाकर्ता के हस्ताक्षर भी मेरा ही है। उक्त राशि मैने इसलिये जमा करवाई, क्योंकि साइकल स्टेण्ड का पूरा पैसा, बलदेव सिंह इकट्ठा व जमा करवाता था, परन्तु 10/10/91 के बाद, बलदेव सिंह का साइकल, स्टेण्ड पर आना बंद हो गया था, और साईकल स्टेंड का पैसा मेरे पास रहने लगा था, यही साइकल स्टेंड पर बैंक की स्लिप पडी रहती थी, उन्हीं मे से मैने ए/सी नं. 5405 देखा और पैसा सिंडीकेट बैंक मे जमा करवा दिया,। उक्त ए/सी. नं. ज्ञान प्रकाश मिश्रा के नाम से है, मुझे ये भी मालुम है मुझे एक कैश जमा करने कि स्लिप तारीख 10/10/91 का जो ए/सी.नं. 5405 जिसमें ज्ञान प्रकाश के नाम से 1500/- जमा करवाये गये है, दिखाई गई है यह स्लिप बलदेव सिंह सन्धु ने भरी है व हस्ताक्षर किये है। मै बलदेव सिंह सन्धु की लिखाई व हस्ताक्षर पहचानता हूं क्योंकि उसको मैने अपने सामने लिखते हुये व हस्ताक्षर करते हुये देखा है।

//सत्य प्रतिलिपि //

हस्ता/सही,
(शमशेर सिंह)
निरीक्षक, सी.बी.आई.,
कैम्प भिलाई.

सी०डब्ल्यू० - 160

दिनांक 2·1·92

बयान सरदार तारा सिंह पुत्र [illegible] उम्र [illegible] साल, निवासी - एम०आई०जी० आई/942, आपदो नगर [illegible], [illegible]ाई, टेलीफोन नं० [illegible]501 ।

मैं उपरोक्त [illegible] पिछले [illegible] 2 साल से रहता हूं और बी०एस०पी० में चार्जीन सर्विसेज । [illegible] डिपार्टमेंट [आपरेशन] नं० 13/14 में नौकरी [illegible] में हूं । मुझे बी०एस०पी० में [illegible] रहता हूं । मेरे नाम क्वार्टर नं० 7 ए, [illegible] नं० 5, सेक्टर 4, [illegible], 1972 से 1989 तक करीब 17 साल तक रहा और मैं इस अरसा में इसी क्वार्टर में सपरिवार रहा । सन् 1988 में मेरे दोस्त बी०के० शर्मा जो क्वार्टर नं० [illegible] डी, गली 7, सेक्टर 4, भिलाई में रहते थे रिटायर हो गए, वो बड़ा क्वार्टर था तो मैंने बी०एस०पी० के "सब्जैक्ट टू वेकेशन" के रूल से मैंने उससे उस क्वार्टर के लिए मेरे पर अलाट करने के लिए लिख कर देने को कहा तो उसने शर्त रखी कि उसे एक साल और उसी क्वार्टर में रहने दिया जाए मैंने यह शर्त मान ली । उसके बाद मैंने श्री बी०के० शर्मा वाला क्वार्टर अपने नाम 1988 में करवा लिया और शर्त के मुताबिक वहीं उस क्वार्टर में मार्च/अप्रैल 1989 तक रहता रहा । जिस क्वार्टर में मैं पहले से रह रहा था यानि क्वार्टर नं० 7 ए, गली [illegible], सेक्टर 4, भिलाई को मैंने दुखिराम के नाम पर "सब्जैक्ट टू वेकेशन" का [illegible] दे दिया और यह क्वार्टर उसके नाम 9·2·88 को [illegible] लेकिन मैं [illegible] इस मकान में रहता रहा । दुखिराम इस मकान में कभी नहीं रहा ।

श्री दीपकादत्त पांडे मेरे अच्छे दोस्त [illegible]० में साथ करीब 30 साल से काम करते हैं का अपना मकान [illegible] में [illegible] निकल गया था और रूल के मुताबिक उनको बी०एस०पी० वाला क्वार्टर 29 डी, गली 1[illegible], सेक्टर 2 जिसमें वो पिछले 16/17 साल से रहते आ रहे थे खाली करना था । मैं राम[illegible] राय जो अवधेश राय का बाप है को पिछले करीब 25 साल से जानता हूं जो उन दिनों कैम्प नं० 1 के बी०एस०पी० के लेबर क्वार्टर में रहता था और वो अक्तूबर/नवम्बर 1988 से बड़े मकान की तलाश में था ।

-------2

तो मैंने क्वार्टर नं0 29 सी, गली नं0 16, सैक्टर 2 वाला क्वार्टर जिसमें टीकम दत्त पांडे रह रहा था को राजआशीष राय के नाम अलाट करवा दिया गया और टीकम दत्त पांडे ही रहता रहा और [illegible] राजआशीष राय को दुखिराम के नाम पर अलाट क्वार्टर नं0 7 ए, गली नं0 5, सैक्टर 4, भिलाई में अप्रैल/मई 1989 में शिफ्ट करवा दिया। मैं उस क्वार्टर में मेरे नाम पर 1988 में [illegible] होने के बाद भी अप्रैल/मई 89 तक रहता रहा। मेरे बाद राजआशीष राय परिवार के साथ उस क्वार्टर में आ गया। मैं दुखिराम को 150/- रुपया किराया माहवार देता हूं। मैं अप्रैल/मई में क्वार्टर नं0 5 डी, गली नं0 7, सैक्टर 4, भिलाई में आ गया और जनवरी 90 में मैंने टीकम दत्त पांडे के अपने मकान हुडको एम0आई0जी0 आर/942 में शिफ्ट कर लिया। मैंने इस मकान को टीकम दत्त पांडे से खरीदना है मेरा उसके साथ लिखा में समझौता हो चुका है और मैंने उसको करीब 50,000/- रुपया अब तक दे भी चुका हूं।

यहां मैं यह भी बताता हूं कि टीकम दत्त पांडे वाला क्वार्टर नं0 29 सी, गली नं0 16, सैक्टर 2, 29 अक्तूबर 1988 से राजआशीष राय के नाम पर है लेकिन अभी भी टीकम दत्त पांडे ही सपरिवार उसमें रह रहा है। मैं राजआशीष राय को 40/- रुपया माहवार देता हूं क्योंकि राजआशीष राय का किराया 40/- रुपया [illegible] तनख्वाह में से ज्यादा कटता है।

बयान सुन लिया, ठीक है।

मेरे समक्ष
सही -
(होशियार सिंह)
निरीक्षक
सी0बी0आई0/एस0आई0सी0-2
कैम्प भिलाई

सत्य प्रतिलिपि

पी0डब्ल्यू0- 161
2.1.92

बयान श्री दुखितराम पुत्र स्व0 पांचा, जाति सतनामी, निवासी- डूमरडीह, थाना- उतई, जिला दुर्ग, उम्र 40 साल ।

मैं उपरोक्त पते पर रहता हूं और बी0एस0पी0 में सर्विसेज । सी0ई0डी0 आपरेशनमें कारपेन्टर की नौकरी करता करीब 19 साल से कर रहा हूं । सरदार तारासिंह चार्जमैन बी0एस0पी0 में मेरे चार्जमैन हैं । उन्होंने मेरे नाम पर 9.2.88 को क्वार्टर नं0 7 ए, स्ट्रीट नं0 5, सेक्टर 4 अलाट करवा दिया था । जिसमें मैं कभी नहीं रहा और मेरे नाम पर यह क्वार्टर अलाट होने के करीब सवा साल तक यानि अप्रैल/मई 1989 तक सरदार तारासिंह सपरिवार रहते रहे । उसके बाद उन्होंने अपने जानकार रामआशीष राय को उस मकान में रखवा दिया और तब से वह ही सपरिवार इस क्वार्टर में रह रहा है । सरदार तारासिंह मुझे इस क्वार्टर का 150/- रुपया माहवार किराया देते हैं ।

बयान सुन लिया, ठीक है ।

सत्य प्रतिलिपि

मेरे समक्ष
सही-
(होशियार सिंह)
निरीक्षक
सी0बी0आई0/एस0आई0सी0-2
कैम्प भिलाई

PW-162

1.1.92

Statement of Shri Piyuskar S/o late Shri Lal Mohankar r/o Qr.No. 5-C, Street No.5, Sector 2, Bhilai, Supervisor, Town Engg. Deptt., Sector 4, Maintenance Office, near Market Bhilai, Tel.No.3494, age 39 years.

****

I was employed in BSP as Asstt.Supervisor since 1979 and I am serving as Supervisor in the Maintenance Office Sector 4, near Water Tank Bhilai since July 1991. Today as required I have submitted the certified photocopy of the allotment letter and occupation Report in r/o Qr.No. 7-A, Street No.5, Sector 4, Bhilai. As per our office records, this quarter was allotted to Shri Dukhit Ram, Civil Engg. Deptt., Operation, Bhilai Steel Plant vide Allotment Order No.02267 dt. 9.2.88 issued by Shri Rajkumar Hansda, Estate Manager, Housing and I identify his signature. As per the occupation report, the above allottee Shri Dukhit Ram is under the occupation of the above said quarter w.e.f. 18.2.88 as per occupation report No.03496 dt. 18.2.88 issued by the Section Officer. I will produce the original record at the time of evidence as and when required.

RO&AC

Before me,

Sd/-
(HOSHIYAR SINGH) 1.1.92
INSPR/CBI/SIC.II/NEW DELHI.
CAMP : BHILAI.

T.C.

2/1/2

PW-163

1.1.92

Statement of Shri Surender Kumar S/o Late Manoharrao Naughare r/o Qr.No. EWS-55, Padamnabhpur, Durg near Vishwadeep School Durg, Tel.No.4704, Age 39 years.

******

I am serving as Section Officer in Township Engg. Deptt.(Civil) BSP, Maintenance Office, Sector 2, near A-Market, Bhilai for the last 4/5 years. Prior to this, I had been working in this office for the last about 9 years. Today, as required I have submitted a certified copy of letter No. EST/5(H)/88/373 dt. 29th Oct.88 which relates to the allotment of Qr.No. 29-C, Street No.16, Sector 2, AI Type to Shri R.Ashish Rai, Personnel No.118031, H.S.Rigger TPI Deptt. issued by Shri Chandra Shekhar, Estate Manager Housing, BSP. Ididentify his signature. I have also submitted a photocopy of occupation report No.2064 dated 11.11.88 vide which Shri Ram Ashish Rai occupied his quarter. I will produce the original record as and when required by the court or police.

ROSAC.

Before me,

Sd/-
(HOSHIYAR SINGH) 1.1.92
INSPR/CBI/SIC.II/NEW DELHI.
CAMP : BHILAI.

T.C.

PW-164

कथन

मिसेज अहल्या पत्नी आर.के. वर्मा उम्र 30 साल सा. सेक्टर 5. 6 क्वार्टर नं. आई. ब्लाक नं. 3 स्ट्रीट नं. 21 भिलाई.

मैं भिलाई मिनरल्स में वर्ष से भोपाल आयरन एण्ड स्टील सिंडीकेट लिमिटेड वैशाली नगर में काम करती हूं। सिम्पलेक्स कास्टिंग से रिजेक्टेड कास्टिंग्स आदि जो माल आता है, उसे चालान के आधार पर स्टाक रजिस्टर में मेरे द्वारा इंद्राज किया गया है दिनांक 27/4/91 से दिनांक 25/11/91 तक कुल 598, 565, मीट्रिक टन माल प्राप्त हुआ, तथा दिनांक 2/4/90 से दिनांक 20.3.91 तक कुल 1516. 257 मिट्रिक टन रिजेक्टेड व अन्डरसाइज माल, विभिन्न प्रकार का प्राप्त हुआ। रजिस्टर में सभी प्रविष्टियां मेरे द्वारा की गई है। ये सभी माल सिम्पलेक्स कास्टिंग से प्राप्त हुआ था।

हस्ता/सही,

एम.डी. पाण्डे, 18.12.91

डी.एस.पी. सी.बी.आई.

एस.आई.सी. 2 कैम्प भिलाई

//सत्यप्रतिलिपि//

- ब्यान -   P(W) · 165

मिस मेरी पुत्री श्री के.के. [illegible] उम्र 25 साल सा. नंदिनी, माइंस क्वाटर नं. 4डी स्ट्रीट नं. 33 भिलाई, ।

—00—

मैं [illegible] साल से भो[illegible] [illegible] इन्डस्ट्रील प्राइवेट लिमिटेड 33.8 लाईट इंडस्ट्रीयल इंजीनियरिंग में एकाउन्ट सहायक के पद पर कार्य कर [illegible] श्री [illegible], इस फैक्ट्री के मालिक है, मैं जाप्ता की [illegible] रजिस्टर वर्ष 1990-91 के पेज नं. 13 पर प्रविष्टि [illegible] प्रविष्टियों में पार्टियों का नाम सिम्पले[illegible] कास्टिंग लिमि[illegible] भिलाई इंजीनि[illegible] कारपोरेशन बिल नं. तारीख बिल का अमाउंट चालान नंबर तथा [illegible] भार टन का उल्लेख किया है ये प्रविष्टियां दिनांक 2/[illegible]/91 से 28/2/91 तक है, कुल भुगतान, 224221-00 सिम्पलेक्स कास्टिंग लिमिटेड भिलाई इंजीनियरिंग कारपो. से प्राप्त किया कुल कितना माल भेजा [illegible] यह [illegible] नहीं [illegible] है क्योंकि रिकार्ड वही मेनटेन करती है, दिनांक 27/4/91 से 25/11/91 तक का दूसरे रजिस्टर में जो [illegible] की प्रविष्टि अपने हाथ से की है कुल 598.565 मीट्रिक टन माल प्राप्त हुआ जिसका कुल पेमेन्ट 824011-00 की, जाप्ता का लिखा हमारे एकाउन्टेट श्री के.एम. भाटिया है उन दोनो रजिस्टरो में शेष प्रविष्टियां उन्हीं के हाथों की है ।

हस्ता/सही,

एम.डी. पाण्डे,

डी.एस.पी. सी.बी.आई. एस.आई.सी.2

कैम्प भिलाई,

//प्रतिलिपि//

PW-166

पी०डब्ल्यू०- 166

बयान श्री वी०के० शुक्ला, इंस्पेक्टर, पुलिस स्टेशन राजहरा, जिला दुर्ग ।

मैं उपरोक्त पुलिस स्टेशन राजहरा का प्रभारी हूं । मुझे आज एक पत्र दिनांक 29·4·91, जो छत्तीसगढ़ श्रमिक संघ राजहरा ने थाना प्रभारी राजहरा को लिखा था, दिखाया गया । इस पत्र के साथ धमकी भरे पत्र की फोटो कापी भी मिली थी । इस पत्र के [illegible] मिलने पर मैंने इस पत्र को श्री योगेन्द्र मिश्रा, ए०एस०आई० को जांच करने व रिपोर्ट देने के लिए पत्र में ही आदेश दे दिया । मैं अपने आदेश व दस्तखत पहचानता हूं । श्री योगेन्द्र मिश्रा, ए०एस०आई० की बीट में छत्तीसगढ़ माईन्स श्रमिक संघ पड़ता है । उसने कुछेक लोगों के बयान लेकर पर एक रिपोर्ट दी थी जिसका मुलाहिजा करने पर हमने पाया कि इस पर अग्रिम कार्यवाही थाना जामुल भिलाई में ही होनी है इसलिए मूल पत्र रिपोर्ट के साथ थाना जामुल को भेज दिया गया था । इसके बाद जुलाई, 91 में एक और पत्र जिसमें नियोगी जी को धमकी दी गई थी, उसको भी मैंने श्री मिश्रा को जांच करने हेतु दिया था । इस पर भी मिश्रा जी ने जांच करने के बाद एक रिपोर्ट दी । क्योंकि पहले आया पत्र, जो श्री नियोगी की हत्या करने की धमकी से संबंधित था, पहले ही थाना जामुल भेज दिया गया था इसलिए इस पत्र की कार्यवाही के बाद हमने अपने पास ही रखा हुआ है ।

30·9·91 को श्री गणेशराम पुत्र श्री आसाराम चौधरी, उपाध्यक्ष छत्तीसगढ़ माईन्स श्रमिक संघ राजहरा, ने एक रिपोर्ट जिसपर श्रीमती आशा गुहा नियोगी के हस्ताक्षर थे, पेश की थी । आज मुझे वो रिपोर्ट दिखाई गई, इस पर मैं अपनी नोटिंग व हस्ताक्षर पहचानता हूं । इस शिकायत के संबंध में थाना राजहरा के रोजनामचा में भी रिपोर्ट क्रमांक 2278 पर लिखा गया था और रोजनामचा की नकल के साथ उक्त रिपोर्ट को अग्रिम कार्यवाही के लिए अन्वेषण अधिकारी जो शंकर गुहा नियोगी की हत्या के मामले की जांच कर रहे हैं, को भेज दिया गया ।

पढ़कर सुनाया, सही पाया ।

सत्य प्रतिलिपि

मेरे समक्ष
सही-

(बी०एस० कंवर)
आरक्षी उपाधीक्षक
सी०बी०आई०/एस०आई०सी०-2
कैम्प भिलाई

दुर्ग

पी0डब्ल्यू0 167 दिनांक:6·1·92

बयान दर्ज यू0/एस 161 सीआरपीसी

बयान श्री शिवनारायन सिंह ﴾एस0एन0 सिंह﴿ उम्र करीबन 35 वर्ष पुत्र गोविन्द सिंह,

निवासी- ग्राम-पोस्ट पोंगरो, तहसील सरोवा, जिला रायगढ़ ।

वर्तमान पता - निरीक्षक आर0टी0ओ0 दुर्ग ।

मैं पूछने पर बयान देता हूं कि मैं 31·10·91 से उपरोक्त कार्य कर रहा हूं । मैंने आर0टी0ओ0 की नौकरी 15·7·81 से की है ।

आज मुझे ता0 29·10·91 का पत्र जो थाना प्रभारी भिलाई नगर ने अति0 क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी के नाम से दिया गया है तथा जिसके द्वारा निम्नलिखित गाड़ियों के बारे में सूचना मांगी थी - 1· टैम्पो ट्रैवलर्स-एम0पी0-24बी-6622 2·फियेट कार एम0पी0 23/7736 3· मारुति जिप्सी एम0के0आर- 16 एवं 4· ﴾﴿ टी0वी0एस0 सुजुकी एम0पी0-24बी-1707, दिखाया गया । मैं इस आधार पर बयान देता हूं कि उपरोक्त सूचना अति0 क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी श्री आर0के0 त्रिवेदी साहब ने अपने दस्तखत के तहत निम्नलिखित सूचना उपरोक्त पत्र के पीछे पृष्ठ परदी । यह सूचना ता0 29·10·91 को ही दी गई थी । सूचना निम्न प्रकार है :-

1· एम0के0आर0-16-का मालिक जिप्सी···· सेल्स ऐजेन्सी, 65 औद्योगिक क्षेत्र, भिलाई है ।
2· एम0पी0-24बी-6622 टैम्पो ट्रैवलर्स का मालिक पी0 जीवाल आयरन एवं स्टील प्रा0 लि0 33 टीबी लाईट इंडस्ट्रीयल एरिया, भिलाई है ।
3· एम0पी0 - 24 बी- 1707, मालिक कुमार स्कूटर श्री दीपक सुराना पुत्र श्री हेमचन्द्र सुराना एम0आई0जी0-28 पद्मनाभपुर, दुर्ग के नाम से पंजीकृत है ।

इसके बाद 23·11·91 को मैंने अपने दस्तखत के अंतर्गत गाड़ी नं0 एम0पी0 24बी-1772 ﴾टैम्पो 50 सीसी﴿ जो ···· गरोडा पुत्र किरन क्वा0 नं0 105/ए स्ट्रीट के0एल0सी, सेक्टर -11, जोन -2 ﴾﴾आ0 ﴿﴿﴿ खुर्सीपार भिलाई एवं एम0पी0-24बी-1752 ﴾बजाज के﴿ जो श्री पवन कुमार विश्वकर्मा पु0 श्री जी0एल0 विश्वकर्मा, सामने क्वाटी कवरधा

---2

 PW 167

जिला राजनांदगांव के नाम से पंजीकृत है, के बारे में उत्तर दिया था । इस मैंने 23.11.91 को दस्तखत करके दिया था मैं अपना दस्तखत तथा श्री आर0के0 त्रिवेदी जी का दस्तखत पहचानता हूं ।

पढ़कर सुनाया, सही माना ।

पूर्ण सत्य प्रतिलिपि

मेरे समक्ष

सही-

{एस0के0 झा}

आरक्षी उपाधीक्षक

सी0बी0आई0/एस0आई0सी0-2

कैम्प भिलाई

TC [illegible]

PW-225 ✓ PW.225

STATEMENT OF SH.T.K.SENGUPTA, ASSTT. COMMERCIAL MANAGER (MKT) TAKEN TODAY, THAT IS, 17TH DEC.'91.

I am as above

I have been working as Asstt. Commercial Manager, Indian Airlines since last six years. Now I have been shown a document which is called Passenger Manifest. The very purpose of passenger manifest is to enroll the names of the passengers who are travelling at that particular day between any two places. Another document shown to me is called flight coupen attached with F.T.T. receipt. This payment is as per regulation of Govt. of India, every passenger has to pay travel tax whenever he travels to foreign country. With the above flight coupon the passenger travels. The flight coupon ensures the confirmatory of the ticket. On corelating the two documents I can say that Mr. Gyan Prakash Mishra has travelled on 26.2.91 by flt. IC-747 from Calcutta to Kathmandu.

R.O.A.C.

Sd/-
17/12/91
RAJESH SHARMA
Sub-Inspector
CBI/ACB/Cal.

TC
M

NAGPUR
24.12.1991

Statement of Shri C.A.Shiv Kumar S/o C.M.Appaji, age 29 years, r/o Dodahan village Ta-Distt. Mysore, Karnataka, occupation-Driver.

****

On being asked I am submitting my statement as under. I had my education up to standard VIIth at KAMBILE in a public school, Distt. DODUCU, Karnataka. My driving licence No. 8/911/MCP/87 which is valied up to 20-07-1993. I am licenced to drive HGV, MGV, LMV & motorcycle. I am attached Radha Bihari Tours & Travel from May 1991. This tours & Travels is at 10, Ramdaspeth, Nagpur. On 7th November at about 15.00 hrs. I picked up one passenger from reception room of Hotel Surya Regency, Nagpur in Fiat No. MH-31/2052. That man was heavily built with round face. He was bit dark in colour. He was wearing parrot green coloured shirt, colour of pant, not recalling. He was using a golf cap. He did not halt at any place. He did not phone anywhere.

He got down at canteen of Maharashtra Tourism Department. He gave me Rupees 850/- for travelling in taxi. He boarded his tempo traveller parked there. The colour of the vehicle was parrot green colour. He asked me to move after his departure. Likewise I waited till he started. I could see his vehicle running in direction of Nagpur. Afterwards I could not see him on account dust on the road & high speed of his vehicle.

This Fiat No. MH-31/2052 in normally attached to Ramdevbaba Travels Dharampeth, Khare town Nagpur. Ramdev travels pays @ Rs.2.35 per K.M. subject to minimum run of 200 Km/day.

Before me,

Sd/-
(SATISH H.JOSHI)
PI/CBI/SPE/NGP.

T.C.

ksn

P[illegible]-237

Nagpur
26.12.1991

Statement of Shri Dilip Wankar S/o, Bhalchandra Wankar aged 36 yrs, r/o plot no.66, Farmland layout Ramdaspeth Nagpur, Occupation - Pathologist.

I Dilip Wankar s/o Bhalchandra Wankar today give statement to C.B.I. officials at time asked as under. I am running Shailaja diagnostic laboratory & blood Bank at Rajkamal Complex, Panchashil square, Wardha road, Nagpur from Sept.1990. My F.D.A. licence no is ND/5. I am maintaining blood unit issue records, & these records are maintained to the best of my knowledge & belief. The above records indicate the blood issued after due cross match to the beneficient patient & then respective nursing homes, as directed by Food and Drug administration Nagpur.

There is one entry on 7th November 1991 in name of Shri Singh, as the name was told by the person who approached me as a patients relative stating that on account of some emergency he is badly in need of O Rh (+)ve blood. The above unit was issued purely on humanitarian grounds as the person approached claimed to be from outstation & he was willing to take the risk of transfusion due to his enability to produce cross matching sample of the patient & Doctors requisition. He further assured that the blood will be cross matched before transfusion by a qualified pathologist. The money receipt was refused by the patient's relative hence was not given. The amount realised was Rs.180/- for one unit of bottle.

1 w 2 37

This is not a regular practice in our blood bank but as stated above was followed purely on humanitarian grounds due to emergency which the patients relation pressed. About personality of the patients relative and do not recall.

Before me.

Sd/- 26/12/91

Satish H.Joshi
PI/CBI/SPE/Ngp.

TC V.B/

PW-238

Nagpur
26.12.91.

Statement of Shri Bhagvatiprasad Tiwari s/o Premnarayan Tiwari, age 29 yrs, r/o near Devi temple, parvatinagar, Ajny, Nagpur. Occupation Private service.

On being asked by C.B.I. officials I submit my statement as under. I am M.Com. post graduate from Commerce faculty and working as receptionist with hotel Surya regency from 1988, They make me payment of Rs.1150/- permonth. My job involves dealing with delegates taking entries in Counter register, Givinc bills of stay and food (restaurent) and any other miscellaneous bills & recovering amount payable. I also carryout work of arranging taxi, tickets etc. as per the requirement customers.

Mr. Ram Singh reached this hotel on 5th Nov.1991 at 9 P.M. from Jabalpore. His address as per records is 52 Civic Centre Jabalpore. During his stay in hotel, He left for Navegaon by a taxi (Fiat) hired from Ramdeoji travels XXXX Dharampeth Nagpur. On 7 November in night hours Mr Ram Singh was in room. On 8th November at 7.00 P.M. he left the hotel for Jabalpore as per records. During his stay in hotel he stayed in Room no 215, Non A.C. double bed single occupancy. He was charged a bill of Rs.448/- only towards his stay as per bill no 5396 dt 8th Nov.1991.

I do not recall the person by face. During course of his stay he did not use the facility of laundry, he has not made any fone calls also.

Before me

Sd/- 26/12
(Satish M.Joshi)

T.C.

टी.डब्ल्यू. 243

दिनांक 7/1/92

आरसी 9(एस)/91/एस.आई.यू.-5/एस.आई.सी.-2

बयान श्री निर्मलदास मानिकपुरी पुत्र श्री रामेश्वर दास मानिकपुरी, उम्र 24 साल निवासी [illegible] के पास, भिलाई, फोटोग्राफर, [illegible] आर्ट स्टूडियो [illegible] जे.ई. रोड भिलाई, ।

--00--

मैं उपरोक्त हूं मैं 1986 से [illegible] आर्ट स्टूडियो में फोटोग्राफर के पद पर काम कर रहा हूं । [illegible] आर्ट स्टूडियो में फोटो खींचने का काम होता है ।

पुराना भिलाई थाना हमारे स्टूडियो के सामने ही है इस थाने में जब भी किसी अपराधी का फोटो खींचना होता है तो हमारे स्टूडियो से फोटोग्राफर बुलाया जाता है और हम लोग जाकर फोटो खींचते है तथा फोटो बनाकर थाने को दे देते है और उसका नेगेटिव अपने पास रखते है दूसरे ग्राहकों के फोटो की नेगेटिव भी हम अपने स्टूडियो में रखते है ।

जनवरी 1991 के शुरू में मुझे पुरानी भिलाई थाने में एक अपराधी का फोटो खींचने के लिये बुलाया गया था मैं खुद ही, फोटो खींचने गया था मुझे उस अपराधी का नाम पलटन पता चला उसका फोटो बनाकर मैंने थाने में दे दिया था और नेगेटिव हमारे स्टूडियो में ही रख लिया था, जो फोटोग्राफ पुरानी भिलाई थाने के लिये खींचते है उसका निगेटिव हम अलग रखते है ।

आज मांगने पर मैं अपराधी पलटन, जिसका फोटो मैंने ऊपर कहे अनुसार लिया था, की नेगेटिव और एक पाजिटिव फोटो प्रस्तुत कर रहा हूं और बयान करता हूं कि ये नेगेटिव और पाजिटिव ,अपराधी पलटन के है, जो मेरे द्वारा खींचा गया था, ।

उपरोक्त नेगेटिव और पाजिटिव फोटोग्राफ देने के लिये एक रसीद बनाई गई जिसकी प्रति मुझे प्राप्त हुई, मैं अपराधी पलटन को सामने आने पर पहचान सकता हूं पढ़कर सुनाया, सही पाया ।

मेरे समक्ष,
हस्ता/सही,
आर.एन. प्रसाद, आरक्षी उपाधीक्षक,
सी.बी.आई./एस.आई.सी.-2 कैम्प भिलाई,

//सत्य प्रतिलिपि//

TC [illegible]

पी डब्लू 244

7/1/92

बयान श्री ए.एस. परमेश्वर आरक्षी उप निरीक्षक थाना [illegible], रायपुर म.प्र.

-(-

मैं इन दिनों थाना [illegible] रायपुर में आरक्षी उप निरीक्षक पद पर दिनांक 4/1/92 से कार्य कर रहा हूं इसके पहले मैं उरला पुलिस चौकी उरला रायपुर में चौकी प्रभारी के रूप में 6.2/91 से 3/1/92 तक कार्य करता रहा, दिनांक 17/4/91 को हमारे पास सिम्पलेक्स कास्टिंग लिमिटेड कंपनी उरला के जनरल मैनेजर श्री डी.पी. सिंह द्वारा एक लिखित, शिकायत पत्र दिनांक 17/4/91 का आया था जिसे मुझे उसी कम्पनी में काम करने वाले श्री प्रभाकर सिंह पुत्र श्री आयाधर सिंह ठाकुर ने दिया था, वह शिकायत पत्र मैंने आज आपको दे दिया है जिसकी रसीद भी प्राप्त कर ली है ।

उपरोक्त शिकायत पत्र को पाने के बाद मैंने अपने हेड कान्स्टेबल, नं. 86 रंजीत सिंह जिसकी हड़ताल के वजह से सुरक्षा व्यवस्था के लिये सिम्पलेक्स कास्टिंग लिमिटेड में ही स्थाई तौर पर ड्यूटी थी को जांच के लिये दिया था, और इस बारे में मूल शिकायत पत्र पर ही, मैंने इन्डोर्समेन्ट कर दिया था जिसे देखकर मैं पहचान करता हूं कि यह मेरा लिखा है और मेरे ही द्वारा हस्ताक्षरित है प्रधान आरक्षक रंजीत सिंह को लेकर जांच करने हड़ताली कर्मचारियों के पास गये परन्तु उन लोगो ने उनसे ठीक से बात नहीं किया अतः मैं स्वयं इसकी जांच के लिये सिम्पलेक्स कंपनी और हड़ताली कर्मचारियों के पास गया और जांच करने पर ज्ञात हुआ कि पत्र में लिखित शंकरगुहा नियोगी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा द्वारा की गयी हड़ताल आमरण और नारे बाजी की घटनायें तो सही थी परन्तु अभद्र व्यवहार, गाली गलौज, मार पीट, अश्लीलता, तथा जान से मारने की धमकी आदि के बारे में रिपोर्ट में बढ़ा चढ़ा कर लिखा था, अतएव मैंने इस बारे में और कोई कार्यवाही करना उचित नहीं समझा चौकी में वापस आकर सान्हा नं. 489 दिनांक 20/4/91 दर्ज कराया और शिकायत पत्र को फाइल कर दिया उपरोक्त सान्हा की सत्य प्रतिलिपि जो कि उस चौकी के प्रधान आरक्षक भगवान सिंह ठाकुर द्वारा सत्यापित की गई है भी मैं पेश कर रहा हूं

पढ़कर सुनाया और सही माना, मेरे समक्ष,

हस्ता/सही 7/1/92

ए.पी. सिंह, डी.एस.पी. सी.पी.सी.ली. बाई कैम्प भिलाई

Ex. D-1
27-X-94
PW-8

PW-245

Pw100
30-1-96

RC.9(S)/91, SIU-V, SIC-II
New Delhi
7.1.92, Bhilai
Recorded u/s 161 Cr.P.C.

Statement of Shri Yogesh Mukund Prasad Dave aged about 36 yrs. R/o Dheeraj, House No 183. St.No.11 Shanti Nagar, Bhilai, Presently working as Administrative Officer M/s Simplex groups of Industries, Nandani Road, Bhilai.

I am as above since a long. I am in-charge of Personnel Deptt of this group of Industries. Shri S.K.Sharma is [illegible] over all in charge of this Deptt. Shri Moolchand R.Shah is one of the Directors of this group of Industries and looking after M/s Simplex Engg & Foundary works Ltd. As head of the personnal Deptt. I have to meet Shri Moolchand Shah for instruction etc. as such I have seen his writings & signatures many time. I can identify his writings & signatures. I am shown today a hand written letter dt.13.12.91 on the letterhead of M/s Simplex Engg. & Foundary Works Ltd. This letter is addressed to the 'Officer-incharge of CBI team'. I am also shown one half prepared draft letter addressed to Hon'ble Kailash Chawla, Home Minister, Govt of M.P. On referring to the above two letters I state that both the letters are written by Shri Moolchand Shah in English. I identify them. The Letter dt.13-12-91 is also signed by him. I identify his signature on it.

I am shown a chit bearing the names and addresses of S/Shri Uma Shankar Rai and Bharat Bhushan Pandey and on referring to this chit I state that this chit was prepared by me. The above two persons are working in this company through Labour Contractor. I also remember that this information was asked by Shri Bhattacharya, P.A. to Shri Moolchand Shah sometime in the begining of 1991. Accordingly I prepared the same after collecting the same and sent to Shri Bhattacharya. Shri Arun Banerjee is working with me and assisting me in the work.

R.O.& A.C.

Before me
Sd/- 7.1.92
(M.K.JHA)
DY.SP/CBI/SIU.V/SIC-II/SPE/
N.Delhi.

T.C.

PW-246

RC.9(S)/91-SIU.V/SIC.II/NEW DELHI. 7.1.92 , Bhilai

Left
Given up
30.1-96

Statement of Shri Arun Banerjee aged about 33 years S/o Sh. S.R.Banerjee R/o E-7/A, Maroda Sector, Bhilai recorded u/s 161 Cr.P.C.

******

I hereby state that I have been working as Office Assistant, Personnel Deptt. in M/s. Simplex Engg. & Foundary Works. I am Sc. Graduate from Durg, Sc.College and I joined M/s. Simplex Engg. & Foundary Works in the year 1984.

Shri Moolchand R.Shah is the Director of Simplex Groups of Industries and looking after the above mentioned Unit. Shri Y.M.P.Dave is working as Administrative Officer and in-charge of Personnel Deptt. Since I have been working in Personnel Deptt. I have been meeting Shri Moolchand R. Shah. I have seen the writings and signatures of Shri Mool Chand Shah. I have also seen the writings and signatures of Shri Dave.

I am shown a hand written letter dt. 13.12.91 addressed to 'The Officer in-charge, CBI Team, Bhilai' on the letter head of Simplex Engg. & Foundary Works Ltd. and a half prepared draft letter addressed to Hon'ble Kailash Chawla, Home Minister, Govt. of MP and state that both the letters are written by Shri Moolchand Bhai R.Shah, the director of this company. I identify his hand writings. I also identify his signature on letter dt. 13.12.91.

I am also shown a chit on which the name and addresses of S/Shri Umashanker Rai and Bharat Bhushan Pandey are written. On referring to the same I state that this chit is written by Shri Y.M.P.Dave, our Admn.Officer. I identify his writing on this chit.

Shri Moolchand Shah is looking after this company as Director and Chairman of this group is Shri H.B.Shah.

RO&AC.

Before me,

Sd/- 7.1.92
(M.K.JHA)
DY.SP/CBI/SPE/SIC.II/NEW DELHI.

T.C. [signature]

RC.9(S)/91-SIU.V/SIC.II/N.DELHI

8.1.1992, Bhilai

Recorded u/s 161 Cr.P.C.

Statement of Shri Pravir Chandra Tiwari S/o Shri Giriraj Prasad Tiwari, aged 31 years, r/o 6?0, Sunder Nagar, Raipur, presently working as Station House Officer Police Station Lalbaag, Distt. Rajnandgaon, M.P.

PW3
10.8.94

****

I hereby state that I have been working as mentioned above since 29.7.1990. Today I produce letter No.SE/U-III/ADM/90-91 dt. 14th December,1990, signed by Shri S.N.Singh, Dy.General Manager, Simplex Engineering & Foundary Works Ltd., addressed to the SP Rajnandgaon, alongwith its enclosure, letter dt. 5.5.91/614 signed by Shri C.Gopalaswami, General Manager, Simplex Engg. & Foundary Works Ltd. and letter No. SF/90-91/818 dt. 23.11.90 sent by Shri S.K.Das Gupta, Chief Executive M/s. Sangam Forgings, Rajnandgaon, addressed to the Collector, Rajnandgaon, copy to SP Rajnandgaon.

Since the above units fall under the jurisdiction of Police Station Lalbaag, the above letters were marked to me for necessary action by CSP, Rajnandgaon. The letter dt. 14th December 1990 of Shri S.N.Singh of M/s. Simplex Engg. & Foundary Works Ltd. was received in the office of SP Rajnandgaon on 14.12.90 and on the same day this was marked to CSP and in turn it was marked to me by CSP on 18.12.90. Alongwith this letter a complaint of tempo driver, namely Atiullah Khan was received. This complaint was also bearing signatures of 7 persons and lodged the complaint against the 9 persons of CMM. Before receiving this letter through our CSP office, a case was already registered vide FIR No.318/90 dt. 15.12.90 u/s 341, 323, 506, 34 IPC on the basis of the complaint of tempo driver Atiullah Khan S/o Yusuf Musalmaan, Camp-I, Bhilai and a chargesheet was already filed against Y.K.Chandrakar S/o Dehra Chandrakar, Shiv Shanker S/o Ranglal Vishwakarma,

PW 2 41

Ashok S/o Narain Chiratkar, Shatrughan S/o Durgesh Nirmelkar on 27.12.90. Prior to that they were already arrested on 20.12.90. These persons were working in the Simplex Engg. & Foundary Works Ltd. Tedesara, Rajnandgaon and belonged to the CMM trade union. Since a case was already registered prior to receipt of this letter this letter alongwith its enclosure was kept on record as no action was required to be taken on it.

Letter dt. [illegible].5.91/814 of Shri G.Gopalaswami, Genl. Manager, Simplex Engg. & Foundary Works Ltd., addressed to SP Rajnandgaon and copy to me in which it was alleged that the persons mentioned therein were making indissent unparliamentary and crime provocative slogans, Iddid not take any action on this because preventive action against most of the persons whose names were mentioned in that letter such as Y.K.Chandrakar, Surendra Giri, Ashok Chiratkar, Om Prakash, Bheem Rao, Kedar Nath was already taken on 15.12.90 and 12.4.91 and actions were taken under preventive Sections 107/116(3) of the Cr.P.C. As such, no further action was required to be taken. Hence, this letter was kept on record.

On referring to letter No.SF/90-91/818 dt. 23.11.90 signed by Shri S.K.Das Gupta, Chief Executive, addressed to the Collector, copy to SP Rajnandgaon, I state that this letter was received by SP and subsequently I received through CSP Rajnandgaon on 24.11.90. Since it was for the information of the police office regarding the loss incurred to the factory due to the strike by the labourers on 20.11.90 as such, it was also filed and kept on record. In this letter it has been mentioned that due to the strike on the above mentioned date the factory incurred a loss of Rs.1,18,930/-.

R.O.& A.C.

Before me,

Sd/- 8.1.92
(M.K. JHA)
DY.SP/CBI/SIC.II/N.DELHI.

T.C.

Statement of Shri Dig Vijai Singh S/o late Shri Ranbir Singh r/o Vill. Sonana, P.S Jawan, Distt. Aligarh (UP), presently residing at Plot No.[illegible], Vidya Vihar, Motilal Nehru Nagar, Extreme West, Bhilai, Distt. Durg (MP).

* *****

I am working as [illegible] (Project) of M/s. Simplex Castings Ltd., Urla, [illegible] since 1.1.1986. I look after the works of [illegible], fabrication, erection etc. in [illegible] addition I also attend to the general liaison [illegible]. I see the original complaint dated 17.[illegible] Officer-in-Charge of Police Post Urla, Distt. [illegible]pur which is in the handwriting of Mr. Prabhakar, Incharge of Time Office of the company with some additions at the bottom of complaint in the handwriting of Shri Mohan Lal Tiwari, Excise Clerk of our company and is signed by me which I identify. They had written this complaint in my presence and on my dictation. I had sent the above mentioned Shri Prabhkar to Police for handing over this complaint.

This complaint was made to Police in order to apprise them about the situation created by striking workers of Chhattisgarh Mukti Morcha headed by Shri Shanker Guha Niyogi in front of our company. I had given the background of developments which took place from time to time from 18.12.90 till the last incident of 11.4.91 which had happened by that time. The incidents mentioned in the complaint are correct. It is a fact that willing workers, staff members and the contractors etc. of the company were [illegible] allowed by the striking workers of CMM to attend to their works in the company from December 1990 and the striking workers were giving threats and were shouting slogans etc. against the management and others of the company on the [illegible]ctions of their leader, Shanker Guha Niyogi which I [illegible] mentioned in the complaint. After the complaint was [illegible] I had brought it to the notice of Shri

Deepak Shah, one of the Directors of the company who has been coming regularly to the company at Urla. The Directors of the company were fully concerned about the day to day developments taking place in the company and I also used to inform Sh. Deepak Shah about all the important incidents which were happening in and around the company from time to time.

RO&AC

Before me,

Sd/-
(M.P.SINGH)
DSP/CBI/SIC.II/NEW DELHI.
CAMP : BHILAI.

T.C.